

निरंतर मूल्य संवर्धन
हेतु तत्पर
READY FOR
CONSISTENT VALUE CREATION



निरंतर मूल्य संवर्धन हेतु तत्पर

पिछले कुछ वर्षों में, हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लाभप्रद बनाने के लिए कई निर्णायक और सुधारात्मक कदम उठाए हैं। हर कदम पर, हमने अपने ऋण क्षेत्र में कार्य निष्पादन, लाभप्रदता, वसूली, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी निर्माण की गति में सुधार करने में कोई कसर शेष नहीं छोड़ी। हमारी वर्षों की योजना एवं गंभीरता के ठोस परिणाम अब दिखने लगे हैं।

लगातार छह वर्षों तक घाटे में रहने के बाद, हम वित्त वर्ष 2022 में लाभप्रद स्थिति में आ गए हैं। यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक परिवर्तनकारी यात्रा का परिणाम है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हमारी बैलेंस शीट में लचीलापन, आस्ति गुणवत्ता की प्रवृत्ति, बेहतर तरलता, अधिक डिजिटलीकरण एवं उत्पादकता लाभ तथा बेहतर पूंजी स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है।

आज मूल्य सृजन की हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। आगे बढ़ते हुए, हम एक प्रगतिशील भारत हेतु एक मजबूत भागीदार बनने का इरादा रखते हैं। हम स्वयं को प्रौद्योगिकी सक्षम और बैंकएंड संचालन द्वारा समर्थित डिजिटल संगठन के रूप में बदलने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जैसे-जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है, हम भी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने समकक्षों के समान मल्टी-चैनल प्लेटफार्मों में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को उनकी आकांक्षाएं पूर्ण करने में मदद करना तथा उनकी दिन-प्रतिदिन की बैंकिंग को सहज, सुगम एवं सुरक्षित बनाना है।

पिछले 111 वर्षों के शानदार इतिहास के दौरान, आपके बैंक ने कई तूफानों को झेला है तथा अनेक चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें हर बार हम और मजबूत होकर उभरे हैं। आज, हम अर्थव्यवस्था में अत्यधिक प्रासंगिक तथा योगदान दाता बैंक बनने के शिखर पर हैं। आगे बढ़ते हुए, हम प्रत्येक व्यावसायिक इकाई हेतु अपने मुख्य परिचालन लाभ के लक्ष्यों को पूरा करने एवं आरओए में सुधार करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेंगे। हर गुजरते साल के साथ, हम जिम्मेदार बैंकर के रूप में अपनी समग्र बैलेंस शीट को मजबूत करने की दिशा में अपनी यात्रा में दृढ़ बने रहने का इरादा रखते हैं।



READY FOR **CONSISTENT VALUE CREATION**

Over the past few years, we have taken many decisive and reformative steps to return Central Bank of India to profitability. At every step, **we left no stones unturned to improve our lending performance, profitability, recoveries, asset quality and the pace of capital generation.** Our efforts from years of planning and perseverance are beginning to show tangible results.

After six consecutive years of incurring losses, we have returned to profitability in FY2022. This is the result of a transformational journey at Central Bank of India, which has resulted in sustained improvements in our balance sheet resilience, asset quality trends, enhanced liquidity, greater digitalisation and productivity gains, and a more robust capital position over the past few years.

Today, our story of value creation has taken a fresh course. Going forward, we intend to be a strong partner to a progressing India. We are committed to transforming ourselves into a digitalised organisation, supported by technology-enabled frontend and backend operations. As the digital economy is thriving, we, too, are moving forward with growing our presence in multi-channel platforms, keeping Central Bank of India at par with its peers. We aim to continue helping our customers realise their aspirations and make their day-to-day banking intuitive, easy, and secure.

During the past 111 years of illustrious history, your Bank has weathered many storms and faced many challenges, only to emerge stronger each time. Today, we are at the tipping point of becoming a highly relevant and contributing bank to the economy. Going forward, we will continue pursuing our goals of meeting our core operating profit targets for each business unit and improving our ROA. With every passing year, we intend to be steadfast in our ongoing journey towards strengthening our overall balance sheet while being responsible bankers.

अनुक्रमणिका

Contents

रणनीति	
कॉर्पोरेट सूचना	07
निदेशक मंडल	08
कार्यात्मक प्रभारी	10
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया विषयक	12
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	16
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	20
उन्नत बैंकिंग हेतु डिजिटली सशक्त बनना	28
समग्र डिजिटल परिवर्तन जारी	
वित्तीय वर्ष 2022 : विश्वास पुनर्स्थापित करने का वर्ष	36
आगामी वर्षों हेतु मूल्य संवर्धन के लिए तैयार	
कार्यनिष्पादन हेतु लोगों को प्राथमिकता देना :	44
एक तत्पर और शिक्षित कार्यबल द्वारा रचनात्मक विकास	
सूचना	
15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	52
रिपोर्ट	
निदेशक रिपोर्ट 2021-22	61
स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र	65
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	67
निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र	71
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट	72
प्रबंधकीय चर्चा एवं विश्लेषण	74
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	111
सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं)	133
विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाणपत्र	
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट 2021-22	134
लाभांश वितरण नीति	157
वित्तीय	
स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट (एकल)	159
एकल वित्तीय विवरण	168
स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)	227
समेकित वित्तीय विवरण	236
दिनांक 31.03.2022 को पिलर 3 (बेसल III)	266
प्रकटीकरण	

STRATEGY	
Corporate Information	07
Board of Directors	08
Functional Heads	11
About Central Bank of India	14
Performance Highlights	18
Message from the Desk of MD and CEO	24
Becoming digitally empowered for advanced banking	32
Undergoing wholesale Digital Transformation	
FY2022: the year of reinstated conviction	40
Prepared for consistent value creation for years ahead	
Prioritising people for performance	48
Creative growth by an agile and learning	
NOTICE	
Notice of 15 th Annual General Meeting	288
REPORTS	
Directors' Report 2021-22	297
Independent Auditor's Certificate	301
Secretarial Audit Report	303
Certificate of Non-Disqualification of Directors	307
Annual Secretarial Compliance Report of Central Bank of India	308
Management Discussion and Analysis	310
Corporate Governance	347
Certificate Under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	369
Business Responsibility and Sustainability Report 2021-22	370
Dividend Distribution Policy	393
FINANCIALS	
Independent Auditors' Report (Standalone)	395
Standalone Financial Statements	404
Independent Auditors' Report (Consolidated)	463
Consolidated Financial Statements	470
Pillar 3 (Basel III) Disclosures as on 31.03.2022	501



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "सेंट्रल"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कॉर्पोरेट सूचना

Corporate Information

निदेशक मंडल

श्री एम वी राव
श्री आलोक श्रीवास्तव
श्री विवेक वाही
श्री राजीव पुरी
डॉ. भुषण कुमार सिन्हा (11.04.2022 से निदेशक नहीं है)

श्री पी जे थॉमस
श्री दिनेश पांगती (01.07.2021 से)
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी (21.12.2021 से)
श्री हार्दिक मुकेश शेट (11.04.2022 से)

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस जयकिशन
मेसर्स छाजेड एंड दोशी
मेसर्स अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बारडेकर एंड कं.
मेसर्स किशोर एंड किशोर

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि.
सी-101, 247 पार्क
एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुंबई - 400083
टेलीफोन: 022-4918 6270
फैक्स: 022-4918 6060
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार हेतु पता

उपमहाप्रबंधक/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, 9वीं मंजिल,
चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट
मुंबई - 400 021
संपर्क नं. 022 - 6638 7818 / 7575
फैक्स नं : 022 - 2283 5198
ई-मेल आईडी: dgmcompsec@centralbank.co.in.,
investors@centralbank.co.in

BOARD OF DIRECTORS

Shri M V Rao
Shri Alok Srivastava
Shri Vivek Wahi
Shri Rajeev Puri
Dr. Bhushan Kumar Sinha
(Ceased to be director on 11.04.2022)
Shri P J Thomas
Shri Dinesh Pangtey (w.e.f. 01.07.2021)
Shri Pradip Pranlal Khimani (w.e.f. 21.12.2021)
Shri Hardik Mukesh Sheth (w.e.f. 11.04.2022)

AUDITORS

M/S S Jaykishan
M/S Chhajed & Doshi
M/S Ambekar Shelar Karve & Ambardekar & Co.
M/S Kishore & Kishore

REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park
LBS Marg, Vikhroli (West)
Mumbai - 400 083.
Tel : 022-4918 6270
Fax : 022-4918 6060
E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

ADDRESS FOR CORESPONDENCE WITH THE BANK

DGM / Company Secretary and Compliance Officer
Central Bank of India, 9th Floor,
Chandermukhi Nariman Point
Mumbai - 400 021
Contact No. : 022 - 6638 7818 / 7575
Fax No. : 022 - 2283 5198
E-mail ID : dgmcompsec@centralbank.co.in;
investors@centralbank.co.in

रणनीति / STRATEGY

सूचना / NOTICE

रिपोर्ट / REPORTS

वित्तीय / FINANCIALS

निदेशक मंडल

Board of Directors



श्री एम.वी. राव
Shri M V Rao

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री आलोक श्रीवास्तव
Shri Alok Srivastava

कार्यपालक निदेशक
Executive Director



श्री विवेक वाही
Shri Vivek Wahi

कार्यपालक निदेशक
Executive Director



श्री राजीव पुरी
Shri Rajeev Puri

कार्यपालक निदेशक
Executive Director



डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
Dr. Bhushan Kumar Sinha

निदेशक (11.04.2022 से निदेशक नहीं है)
Director (ceased to be director on
11.04.2022)



श्री पी.जे. थॉमस
Shri P J Thomas

निदेशक
Director



श्री दिनेश पांगती
Shri Dinesh Pangtey

निदेशक
Director



श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
Shri Pradip Pranlal Khimani

निदेशक
Director



श्री हार्दिक मुकेश शेठ
Shri Hardik Mukesh Sheth

निदेशक (11.04.2022 से)
Director (w.e.f. 11.04.2022)

कार्यात्मक प्रभारी

मुख्य सतर्कता अधिकारी	
1. श्री सुनील अरोड़ा	बी.कॉम. (ऑनर्स)
महाप्रबंधक	
2. श्री उमेश कुमार सिंह	बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.) सीएआईआईबी, डीआईटीआरएम
3. श्री ई. रतनकुमार	एम.टेक., बी.ई.
4. श्री स्मृति रंजन दाश	एम.ए., सीएआईआईबी
5. श्री के. सत्यनारायण	एम.कॉम., पीजीडीआईटी, सीएआईआईबी
6. श्री विजय वसंत मुरार	बी.एससी., टी. लॉ में डिप्लोमा, सीएआईआईबी,
7. श्री श्रीराम डी माहुरकर	बी.एससी., सीएआईआईबी
8. श्री मुकुल एन. दंडिगे, (मुख्य वित्तीय अधिकारी)	बी.एससी, सीएआईआईबी
9. श्री मयंक दिनेश शाह	बी.कॉम., जेएआईआईबी
10. श्री बी. एस. हरिलाल	बी.एससी., सीएआईआईबी
11. श्री मोहित कोडनानी	बी.ई., सीएआईआईबी
12. श्री विवेक कुमार	बी.एससी., बी.एड., एमएमएस, एमबीए, सीएआईआईबी
13. श्री डी.एन. राजेन्द्र कुमार	एम.एससी., सीएआईआईबी, पीजीडीएफएम
14. श्री ए.डी. श्रीनिवास	बी.कॉम. (ऑनर्स), सीएआईआईबी
15. सुश्री नमिता रॉय शर्मा	एम.एससी, एलएलबी, सीएआईआईबी
16. श्री संदीप गुलाटी	बी.कॉम, सीएआईआईबी, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट
17. श्री बी.बी. नटराजन	बी.एससी, पीजीडीएचआरएम, सीएआईआईबी
18. श्री श्रीनिवास एस राव	बी.ए., सीएआईआईबी, एमबीए (फाइनेंस)
19. श्री वास्ती वेंकटेश	बी.एससी, सीएआईआईबी, एमबीए (बैंकिंग एण्ड फाइनेंस)
20. श्री जसविंदर सिंह साहनी	एम.एससी, सीएआईआईबी
21. श्री शिव कुमार गुप्ता	बी.कॉम, एम.ए. (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी
22. श्री राजेश कुमार	एम.एससी, सीएआईआईबी, एमबीए (फाइनेंस)
23. श्री बी.बी. मुतरेजा	बी.ए., सीएआईआईबी
24. श्री टी.एस. बालचंद्रन	बी.एससी, सीएआईआईबी, एमबीए
25. श्री सोहेल अहमद	बी.कॉम, सीएआईआईबी, आईसीडब्ल्यूए (आईएनटी)
26. श्री शीशराम तुंदवाल	बी.कॉम, सीएआईआईबी
27. श्री कुशल पाल	एम.ए., सीएआईआईबी
28. श्री के एस एन बी सुब्बा राव	बी.कॉम, एल.एल.बी., सीएआईआईबी
29. श्री राजेश वर्मा	बी.कॉम, एल.एल.बी., सीएआईआईबी
30. श्री वाय अनिल कुमार	एम.एससी, पीजीडीसीएस, एमसीए, सीएआईआईबी
कंपनी सचिव	
31. श्री आनंद कुमार दास, कंपनी सचिव	एफसीएस, एलएलबी, बी.कॉम, सीएआईआईबी, सीबीसीपी

Functional Heads

CVO		
1.	Shri Sunil Arora	B.COM (HONS.)
GENERAL MANAGER		
2.	Shri Umesh K. Singh	B.E.(COM. SC & ENGG), CAIIB,DITRM
3.	Shri E.Ratankumar	M.TECH, B.E.
4.	Shri Smruti Ranjan Dash	M.A., CAIIB
5.	Shri K Satyanarayanan	M.COM., PGDIT, CAIIB
6.	Shri Vijay Vasant Murar	B.Sc, DIP T LAW, CAIIB
7.	Shri Shriram D Mahurkar	B.SC., CAIIB
8.	Shri Mukul N Dandige (Chief Financial Officer)	B.SC., CAIIB
9.	Shri Mayank Dinesh Shah	B.COM, JAIIB
10.	Shri B.S. Harilal	B.SC., CAIIB
11.	Shri Mohit Kodnani	B.E., CAIIB
12.	Shri Vivek Kumar	B.SC,B.ED., M.M.S.,MBA,CAIIB
13.	Shri D N Rajendra Kumar	MSC, CAIIB, PGDFM
14.	Shri A.D.Srinivas	B.COM., CAIIB
15.	Smt. Namita Roy Sharma	MSC, LLB, CAIIB
16.	Shri Sundeep Gulati	B.COM.(H), D.P.M., CAIIB,
17.	Shri V V Natarajan	B.Sc.,PGDHRM, CAIIB
18.	Shri Srinivasa S Rao	BA, CAIIB, MBA(FIN)
19.	Shri Vasti Venkatesh	B.SC., CAIIB, M.B.A.(BNKG & FINANCE)
20.	Shri Jaswinder Singh Sawhney	M.SC., CAIIB
21.	Shri Shiv Kumar Gupta	B.COM. M.A (ECO), CAIIB
22.	Shri Rajesh Kumar	M.SC, CAIIB, MBA (FINANCE)
23.	Shri B.B.Mutreja	B.A., CAIIB
24.	Shri T.S.Balachandran	BSC,CAIIB,MBA
25.	Shri Sohail Ahmad	B.COM, CAIIB, ICWA(INT)
26.	Shri Shishram Tundwal	B.COM, CAIIB
27.	Shri Kushal Pal	MA, CAIIB
28.	Shri K S N V Subba Rao	BCOM, LLB, CAIIB
29.	Shri Rajesh Verma	B Com, LLB, CAIIB
30.	Shri Y Anil Kumar	MSC, PGDCS, MCA, CAIIB
COMPANY SECRETARY		
31.	Shri Anand Kumar Das, Company Secretary	FCS, LLB, B COM, CAIIB, CBCP

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

विषयक



हमारी विरासत

1911 में स्थापित, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। यह भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक था। बैंक की स्थापना, बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला के सपने का साकार होना था। सर फिरोजशाह मेहता इस पूर्णतः 'स्वदेशी बैंक' के पहले अध्यक्ष थे। इस पर

सर सोराबजी पोचखानावाला ने अपने गर्व की अनुभूति व्यक्त करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 'राष्ट्र की संपत्ति और देश की आस्ति' के रूप में घोषित किया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जनता के विश्वास पर कार्यरत है और स्वयं को जनता का अपना बैंक मानता है।

हमारे उत्पाद और सेवाएं

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत में एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक कृषि, लघु उद्योगों और मध्यम और बड़े उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने में तेजी से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बैंक ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं भी शुरू कीं।

बैंक जमा उत्पादों की पेशकश करता है, जिसमें बचत और चालू खाते, सावधि जमा, सावधि जमा और आवर्ती जमा योजनाएं, साथ ही छोटी बचत योजनाएं शामिल हैं; और ऋणों में आवास, ऋण सहित, संपत्ति, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिक, शिक्षा, और कृषि, साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण। बैंक क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड/गिफ्ट कार्ड, नकद प्रबंधन, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करता है, जैसे कि

प्रोजेक्ट फाइनेंस, इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को फाइनेंसिंग, शॉर्ट-टर्म कॉरपोरेट लोन, एडवांस, बर्किंग कैपिटल सुविधाएं, लाइन ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट फाइनेंस, फॉरेन करेंसी लोन, बिल खरीद/छूट/परक्रामण सुविधाएं, गैर-निधि-आधारित सुविधाएं, और अन्य उद्योगों को सुविधाएं।

इसके अलावा, बैंक यूनिट-लिक्ड, संपूर्ण जीवन, बाल, धनवापसी, बंदोबस्ती, पेंशन, स्वास्थ्य, संपत्ति, व्यक्तिगत, आग, चोरी, इंजीनियरिंग, मोटर, पैकेज, यात्रा सहित जीवन बीमा, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को और समूह बीमा उत्पाद, साथ ही सुरक्षा और सेवानिवृत्ति समाधान ब्रिक्की और वितरण करती है।

एमएसएमई उधारकर्ताओं को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत एसएमई एलएपी ऋण उत्पादों की पेशकश करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक सह-ऋण साझेदारी है।





हमारा विशाल नेटवर्क

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया को सभी 28 राज्यों तथा भारत के 8 में से 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने व्यापक नेटवर्क के कारण वास्तव में 'अखिल भारतीय' के रूप में वर्णित किया जा सकता है. 31 मार्च, 2022 तक, आपके बैंक की 17,803 ग्राहक टच पॉइंट्स के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति है. इसमें 4,528 शाखाओं का नेटवर्क, 2,976 एटीएम और 10,299 बीसी आउटलेट शामिल हैं. अखिल भारतीय उपस्थिति में सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 7 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल हैं. ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में इसकी कुल शाखाओं का 65% के साथ बैंक की एक मजबूत ग्रामीण और अर्ध-शहरी उपस्थिति है.



12.17 करोड़

ग्राहक

4,528

घरेलू शाखाएं

2,976

सेवा में एटीएम

10,299

व्यावसायिक प्रतिनिधौ

₹3,42,692 करोड़

जमा (31 मार्च 2022)

1,95,483

एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी

₹1,89,712 करोड़

अग्रिम (31 मार्च 2022)

About Central Bank of India



Our Legacy

Incorporated in 1911, the Central Bank of India is one of India's oldest banks. It was the first Indian commercial bank to be wholly owned and managed by Indians. The establishment of the Bank was the ultimate realisation of the dream of Sir Sorabji Pochkhanawala, founder of the Bank. Sir Pherozeshah Mehta was the first Chairman of a truly 'Swadeshi Bank'.

Such was the extent of pride felt by Sir Sorabji Pochkhanawala that he proclaimed the Central Bank of India as the 'property of the nation and the country's asset'. He added that the 'Central Bank of India lives on people's faith and regards itself as the people's own bank'.

Our Products & Services

Central Bank of India operates as a commercial bank in India. In line with the guidelines from the Reserve Bank of India and the Government of India, the Bank has been playing an increasingly active role in promoting the key thrust areas of agriculture, small-scale industries, and medium and large industries. The Bank also introduced several Self Employment Schemes to promote employment among the educated youth.

The Bank offers deposit products, which include savings and current accounts, time deposits, fixed deposits, and recurring deposit schemes, as well as small saving schemes; and loans, including housing, vehicle, property, personal, senior citizens, education, and agricultural, as well as micro small and medium enterprises loans. The Bank also provides credit, debit, prepaid/gift cards, cash management, mutual funds, depository, mobile and Internet banking, and ATM services.

In addition, the Central Bank of India offers corporate loans, such as project finance, infrastructure funding, financing to infrastructure investment trusts, short-term corporate loans, advances, working capital facilities, line of credit, export finance, foreign currency loan, bills purchase/discount/negotiation facilities, non-fund-based facilities, and facilities to other industries.

Furthermore, the Bank sells and distributes life, general, and health insurance products, including unit-linked, whole life, children, money back, endowment, pension, health, property, personal, fire, burglary, engineering, motor, package, travel, and group insurance products, as well as protection and retirement solutions.

Central Bank of India has a strategic co-lending partnership with IIFL Home Finance Limited to offer SME LAP loan products under the priority sector to MSME borrowers.



Our Vast Network

Among the Public Sector Banks, the Central Bank of India can be indeed described as an 'All-India Bank' due to the distribution of its extensive network in all 28 States and also in 7 out of 8 Union Territories in India. As of March 31, 2022, your Bank has a Pan India presence with 17,803 Customer Touch Points. This includes a network of 4,528 branches, 2,976 ATMs and 10,299 BC Outlets. The Pan India presence covers all 28 States, 7 out of 8 Union Territories and NCT Delhi. The Bank has a strong Rural and Semi-Urban presence, with 65% of its total branches in Rural and Semi-Urban Centres.



12.17 crore

Customers

4,528

Domestic branches

2,976

ATMs in Service

10,299

Business Correspondent Agents

₹3,42,692 crore

Deposits (31st March 2022)

1,95,483

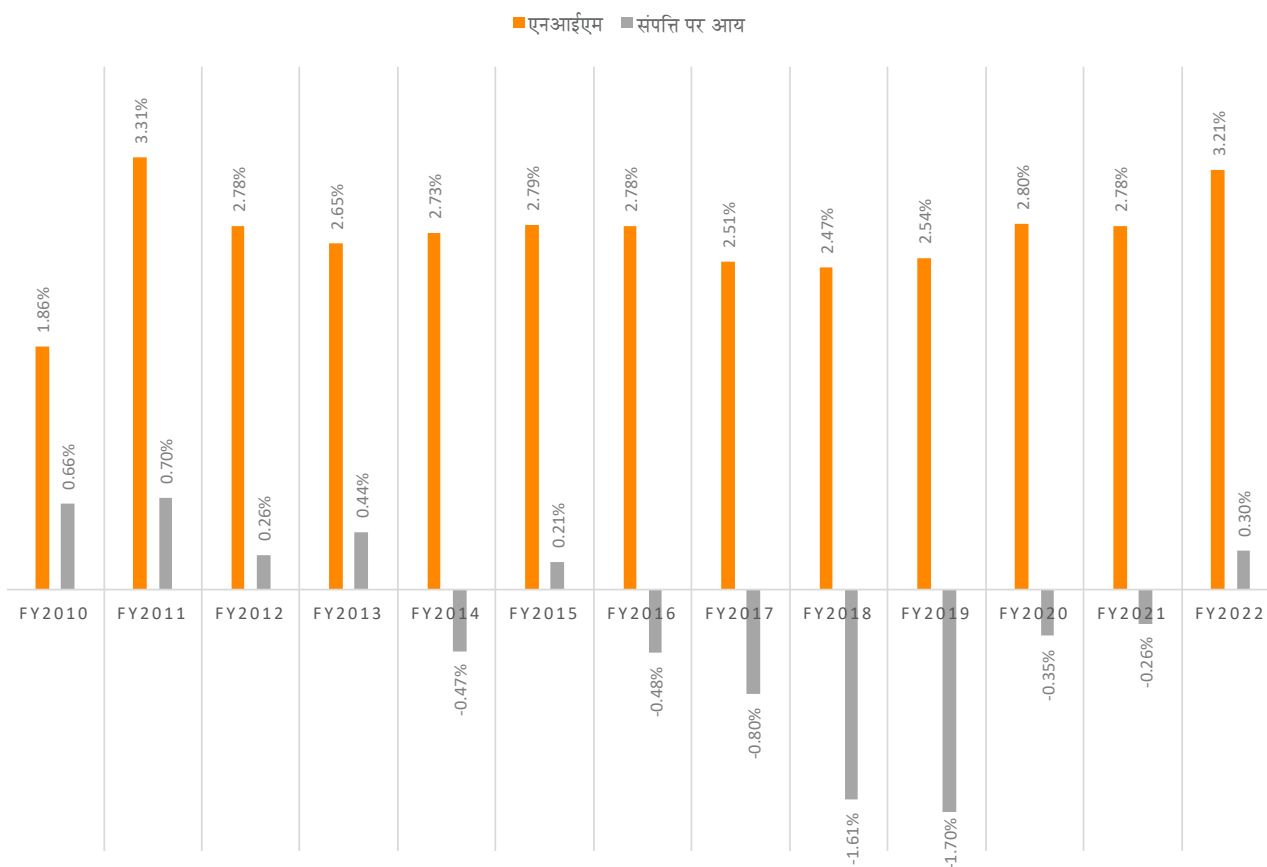
SBI Co-branded Credit Cards issued

₹1,89,712 crore

Advances (31st March 2022)

कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

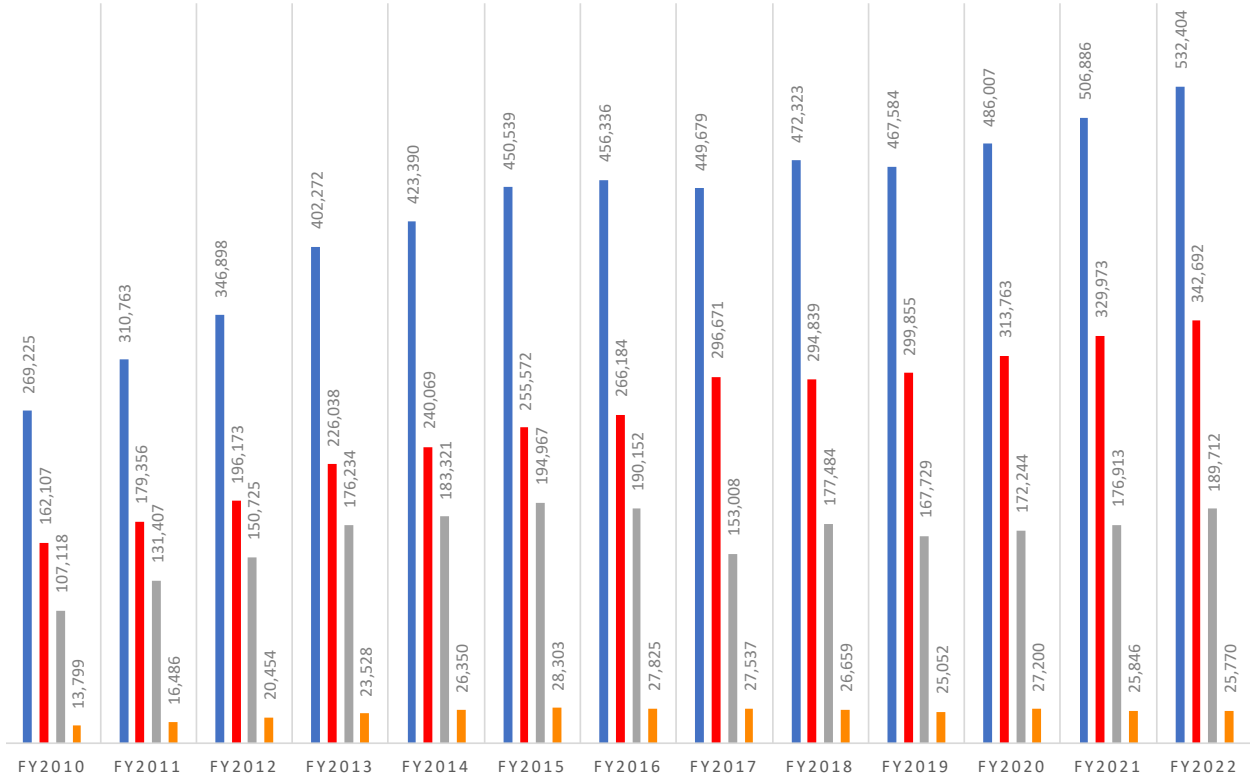
पिछले 111 वर्षों के शानदार इतिहास के दौरान, आपके बैंक ने कई तूफानों का सामना किया है और चुनौतियां झेली है तथा हर बार और मजबूत होकर उभरने के लिए आज, हम अर्थव्यवस्था में अत्यधिक प्रासंगिक और योगदान देने वाले बैंक बनने के शिखर पर हैं. आगे बढ़ते हुए, हम प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के लिए अपने मुख्य परिचालन लाभ लक्ष्यों को पूरा करने और अपने आरओए में सुधार करने के अपने लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे.



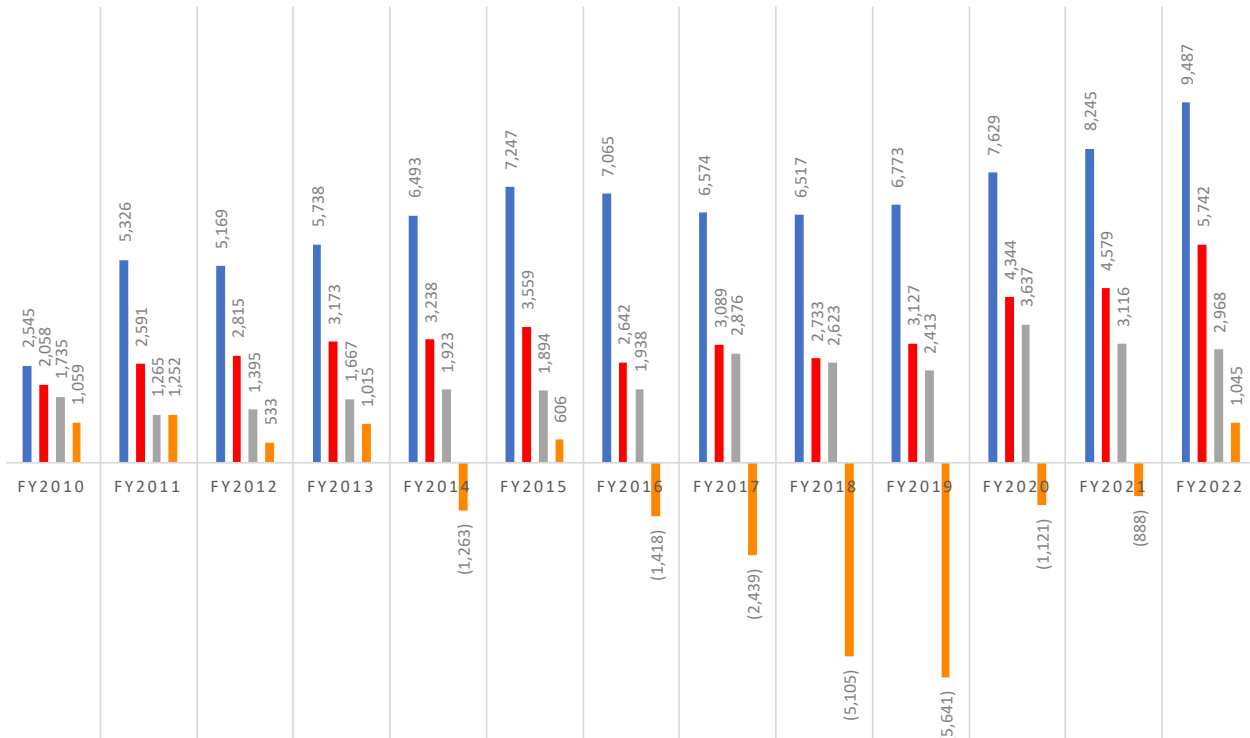


(₹ करोड़ में)

■ कुल व्यापार ■ कुल जमा ■ कुल ऋण और अग्रिम ■ सकल आय

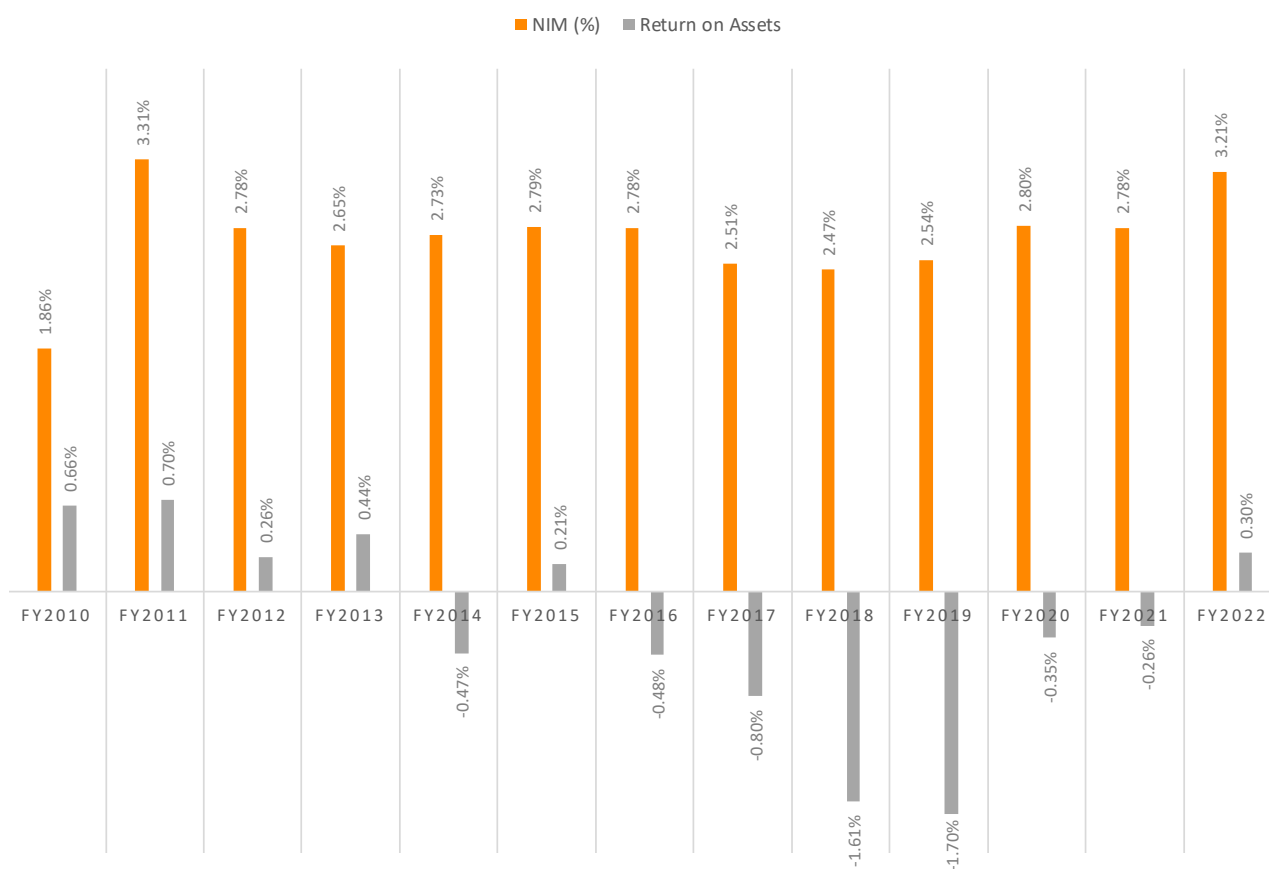


■ कुल ब्याज आय ■ परिचालन लाभ ■ गैर ब्याज आय ■ कुल लाभ/हानि

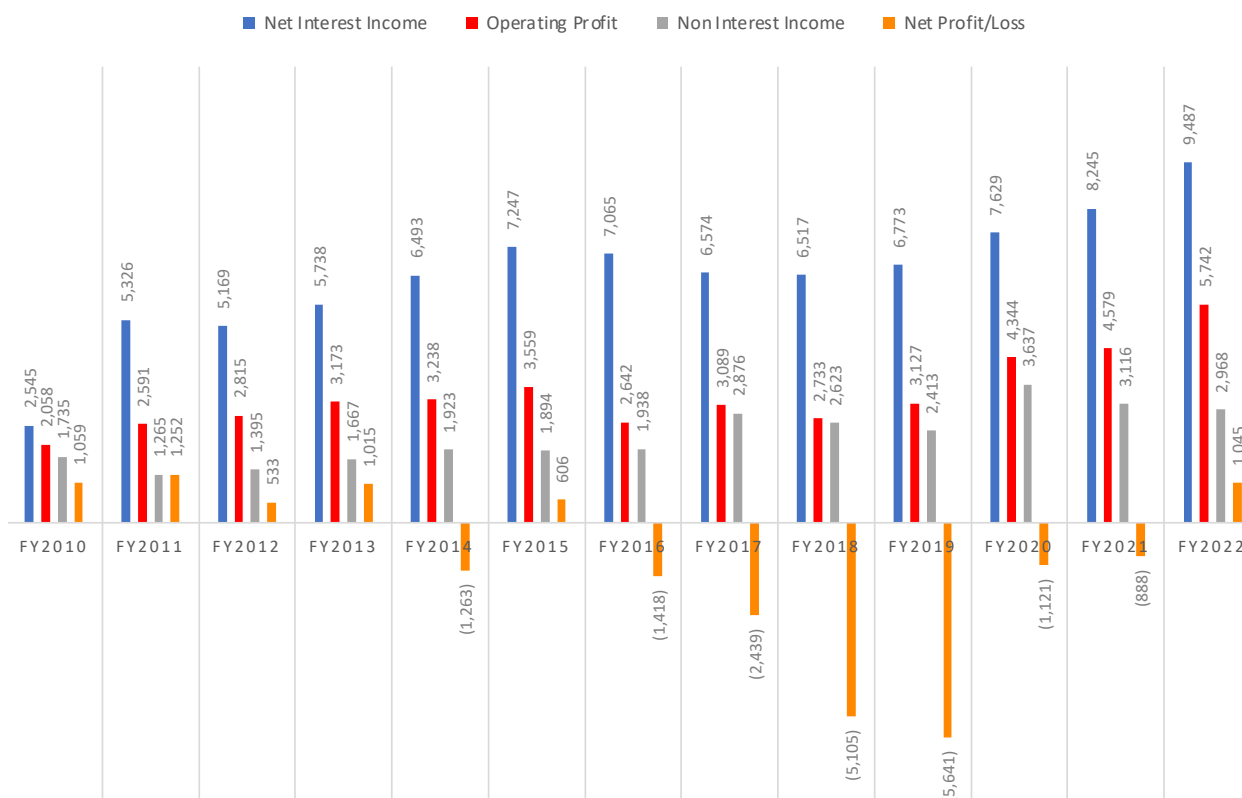
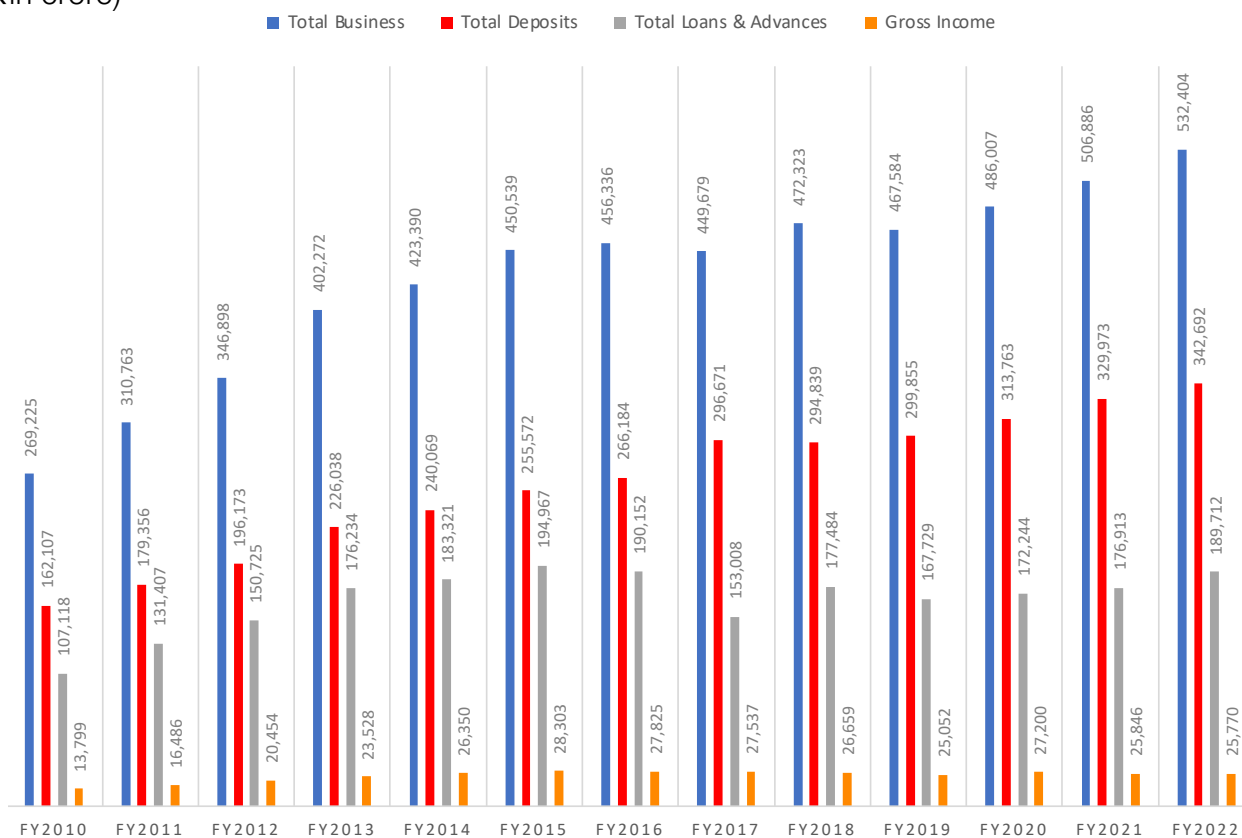


Performance Highlights

During the past 111 years of illustrious history, your Bank has weathered many storms and faced many challenges, only to emerge stronger each time. Today, we are at the tipping point of becoming a highly relevant and contributing bank to the economy. Going forward, we will continue pursuing our goals of meeting our core operating profit targets for each business unit and improving our ROA.



(₹ in crore)



STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश



“

विगत वित्त वर्ष हेतु हमारे परिणामों के आलोक में, शेयरधारकों की अपेक्षापूर्ति हेतु हर्ष व्यक्त करता हूँ. हम अपना व्यवसाय श्रेष्ठीकरण जारी रखेंगे एवं इसे भविष्य के लिए तैयार करेंगे.

एम. वी. राव

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रिय शेयरधारकों,

हम सहर्ष घोषणा करते हैं कि हमारे बैंक ने विगत वित्तीय वर्ष में शानदार प्रगति की है, और हमने स्थिति को परिवर्तित किया है. मैं संलग्न रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए हमारे बैंक के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ.

आर्थिक परिदृश्य:

अप्रैल 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट में, 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि को 2021 में 6.1% की वृद्धि के प्रति 3.6% और आगे 2023 में 3.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है. हालाँकि, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के फलस्वरूप 2022 में वैश्विक विकास धीमा होने की संभावना है. आईएमएफ की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट का अनुमान है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं 2021 में 5.2% की वृद्धि की तुलना में 2022 में 3.3% की वृद्धि दर रहेगी. संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 22 में उच्च मुद्रास्फीति की समस्या का सामना करना पड़ा है, तदनुसार उन्होंने महंगाई की समस्या से निपटने के लिए दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है. उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 2021 में 6.8% की वृद्धि के बाद 2022 में 3.8% से बढ़ने का अनुमान है. जबकि 2023 में, उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 4.4% से बढ़ने का अनुमान है.

घरेलू मोर्चे पर, कोविड -19 महामारी के घटते प्रभाव के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने सहित अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 में 8.7% की वृद्धि हुई. जिसमें खनन, निर्माण, विनिर्माण और कुछ अन्य सेवा क्षेत्रों ने दो कारणों से दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है- वित्त वर्ष 2021 का निम्न आधार और कोविड -19 प्रभाव के बाद आर्थिक गतिविधि में तेजी आना. तिमाही आंकड़ों से पता चलता

है कि घरेलू अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबरने लगी है. 2021-22 की चौथी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 2021-22 की तीसरी तिमाही में (+) 4.1 प्रतिशत की तुलना में (+) 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई. हालाँकि, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय 2021-22 की चौथी तिमाही में 55.5 प्रतिशत तक कम हो गया, जबकि 2021-22 की तीसरी तिमाही में यह 61 प्रतिशत था. दूसरी ओर, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल अचल पूंजी निर्माण 2021-22 की चौथी तिमाही में 33.6 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि 2021-22 की तीसरी तिमाही में यह 30.1 प्रतिशत था.

यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके कारण 2022-23 में विकास धीमा रहने की सम्भावना है. बहरहाल, राजकोषीय व्यय के माध्यम से प्रदान की गई सरकारी सहायता के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से मांग को गति प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

इस वर्ष के केंद्रीय बजट 2022-23 ने सूक्ष्म-आर्थिक स्तर के सर्व-समावेशी कल्याण सहित व्यापक आर्थिक स्तर के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के भावी दृष्टिकोण से अवगत करवाया गया है. इसी नींव पर 75 के भारत से 100 के भारत तक के 'अगले 25 वर्षों के अमृत काल' पर अर्थव्यवस्था का खाका तैयार किया गया है. इन 25 वर्षों में भारत का लक्ष्य दृष्टिकोण को बेहतर बनाने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा फिनटेक, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई और निजी निवेश को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक पूंजी निवेश के साथ निजी निवेश से प्रारंभ कर पुण्य कर्म चक्र पर भरोसा करना है.



ईज 4.0 में बैंक के स्कोर एवं प्रदर्शन में 2020-21 के तिमाही 4 के बेसलाइन स्कोर की तुलना में 2021-22 के तिमाही 3 में उल्लेखनीय (62.34%) सुधार हुआ है। तिमाही 4 के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित है। हमारे बैंक ने अपने कुछ पोर्टफोलियो को बाहरी बेंचमार्क यानि रेपो से जोड़ा है जिससे ट्रांसमिशन में सुधार हुआ है। बैंक डिजिटलीकरण के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। हम अपने मानव संसाधनों का उपयोग प्रौद्योगिकी के युग में समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु कर रहे हैं। ग्राहक केंद्रितता सदैव हमारे बैंक का प्रमुख सिद्धांत रहेगा। वर्तमान समय हम सबकी परीक्षा ले रहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इसे पार कर सकते हैं तथा अपने बैंक को नये शिखर पर ले जा सकते हैं एवं आगे चलकर कई और मील के पत्थर स्थापित कर सकते हैं।

बैंक का प्रदर्शन

व्यवसाय

बैंक का व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹5,06,886 करोड़ की तुलना में वार्षिक आधार पर 5.03% की वृद्धि करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹5,32,404 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में जमाओं में 3.85% की वृद्धि तथा अग्रिम में 7.23% की वृद्धि सहित बैंक की व्यवसाय वृद्धि और दृढ़ हो गई है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की जमा राशि ₹3,29,973 करोड़ की तुलना में ₹12,719 करोड़ बढ़कर ₹3,42,692 करोड़ हो गई है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की कुल जमा में कासा के अंश 49.24% की तुलना में अब कासा का अंश 50.58% हो गया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक के कुल अग्रिम ₹1,76,913 करोड़ की तुलना में वार्षिक आधार पर 7.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2022 को बढ़कर ₹1,89,712 करोड़ हो गये हैं।

बैंक सदैव संतुलित आस्ति मिश्रण बनाए रखना चाहता है, जिसमें कृषि तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है और साथ ही आवास, शिक्षा और वाहन वित्त सहित अन्य खुदरा आस्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वार्षिक आधार पर खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में 5.51% की वृद्धि सहित बैंक के एमएसएमई पोर्टफोलियो ने 5.57% की वृद्धि दर्शाई है। एमएसएमई को कुल अग्रिम ₹34,139 करोड़ तथा कृषि को कुल अग्रिम ₹38,635 करोड़ रहे।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹4,579* करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक का परिचालन लाभ ₹5,742 करोड़ रहा

है। बेहतर प्रदर्शन के साथ, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹888 करोड़ के शुद्ध घाटे की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹1,045 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वार्षिक आधार पर विगत वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान ₹1,349 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में इस वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान ₹310 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय ₹8,245 से बढ़कर वर्ष 2021-22 के दौरान ₹9,487 करोड़ हो गई है। जबकि गैर ब्याज आय 2020-21 के दौरान ₹3,116* करोड़ से घटकर अब ₹2,968 करोड़ हो गई है। शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन आई एम) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.78% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर 3.21% हो गया है। लागत आय अनुपात में भी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 59.70%* से काफी सुधरकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 53.90% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की जमा लागत घटकर 3.86% हो गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यह 4.35% थी।

* वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक है, आंकड़ों की पुनर्गणना / पुनर्गठन किया गया है।

आस्ति गुणवत्ता

एनपीए प्रबंधन पर बैंक के लगातार प्रयास और उच्च गुणवत्ता वाली आस्ति प्राप्त करने से परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2022 तक सकल एनपीए प्रतिशत घटकर 14.84% हो गया, जबकि 31 मार्च, 2021 को यह 16.55% था, साथ ही शुद्ध एनपीए प्रतिशत 31 मार्च, 2021 के 5.77% से घटकर 31 मार्च, 2022 को 3.97% हो गया है। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2021 के 82.54% से बढ़कर 31.03.2022 को 86.69% हो गया, जिससे बैलेंस शीट को दृढ़ता मिली है। हम 2022-23 के दौरान आईबीसी के तहत एनसीएलटी के माध्यम से और बाहर कुछ बड़े एनपीए खातों के समाधान की आशा कर रहे हैं। हम वर्ष 2022-23 के दौरान एनपीए वसूली को अधिकतम करने, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार और शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए सघन प्रयास जारी रखेंगे।

पूंजी

भारत सरकार द्वारा जारी गैर-ब्याज वाले पुनर्पूजीकरण बांड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद सीआरएआर 31 मार्च, 2021 को 15.87% की तुलना में यह 31 मार्च, 2022 तक 13.84% है। शून्य कूपन पुनर्पूजीकरण बांड पर एनपीवी की गणना आरबीआई की अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 के अवलोकन के आधार पर की गई है। एनपीवी के प्रभाव पर विचार किए बिना, सीआरएआर 31 मार्च, 2022 को 15.75% है।

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

बैंक लगातार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दे रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत, बैंक ने निम्नानुसार अनिवार्य लक्ष्यों को विश्वसनीय तरीके से प्राप्त किया है: -

- » कुल प्राथमिकता - 40% के मानदंड के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण का 44.08%
- » कृषि - 18% के मानदंड के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण का 19.79%
- » छोटे और सीमांत किसान - 9% के मानक के प्रति समायोजित बैंक ऋण का 10.39%
- » कमजोर वर्ग - 11% के मानदंड के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण का 16.30%

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में ₹15528 करोड़ मूल्य के पीएसएलसी की बिक्री की है। ये उपलब्धियां वास्तव में समावेशी राष्ट्र निर्माण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बैंक समुचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी के उपयोग और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में प्रमुखता से सहभागिता करने सहित वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी अच्छा कार्य निष्पादन किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्रमशः 19.24 लाख, 55.75 लाख एवं 15.81 लाख नामांकन किये जा चुके हैं।

अखिल भारतीय उपस्थिति

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, 17803 ग्राहक संपर्क केन्द्रों के साथ बैंक की अखिल भारतीय उपस्थिति है। इसमें 4,528 शाखाओं का नेटवर्क, 2,976 एटीएम और 10,299 बीसी आउटलेट शामिल हैं। अखिल भारतीय उपस्थिति में सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 7 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी केंद्रों में कुल शाखाओं के 65% सहित बैंक की ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में दमदार उपस्थिति है।

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण चैनल

सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में, बैंक ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पहचानता है और देश के युवा जनसांख्यिकीय आधार की जरूरतों को पूरा करता है। तदनुसार, बैंक डिजिटल फुटप्रिंट और वैकल्पिक वितरण चैनलों पर जोर देता है। इसके परिणामस्वरूप, वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020-21 के 77.63% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 78.05% हो गई।

मानव संसाधन

बैंक अपने कर्मचारियों और विभागों हेतु एक उत्पादन उन्मुख कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि व्यक्तिगत क्षमता को अधिकतम किया जा सके और संगठनात्मक क्षमता का विस्तार किया जा सके। इस संबंध में बैंक ने ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए योग्यता आधारित भूमिकाएं, कार्य निष्पादन आधारित पदोन्नति, ज्ञानार्जन को प्रोत्साहन देना इत्यादि जैसी सर्वोत्तम मानव संसाधन प्रथाओं को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिससे संगठन का प्रत्येक सदस्य व्यवसाय विकास दर में वृद्धि करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने में सक्षम बन सके।

कर्मचारी सम्बद्धता सर्वेक्षण, कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्षमता निर्माण की पहल, मेंटरशिप कार्यक्रम, उत्तराधिकार योजना (आईडीपी), मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की गई और उन्हें समकालीन करने सहित उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया। अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त सदस्यों की नियुक्ति, कोविड-19 पीड़ितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति वर्ष के दौरान मानव संसाधन संबंधी कुछ पहल थीं।

बैंक अपने कॉर्पोरेट उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में संगठन को अग्रणी बनाने की दृष्टि से कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली प्रथाओं को विकसित करने वाले वातावरण के साथ एचआरडी भूमिका को संरेखित करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा।

एमएसएमई/छोटे व्यवसायों/कॉर्पोरेटों के लिए कोविड-19 राहत

बैंक ने 2021-22 के दौरान 2020-21 में शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई / छोटे व्यवसायों / कॉर्पोरेट्स को अपना समर्थन देना जारी रखा है और उन्हें कोविड -19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 01, 02, 03, 04 का विस्तार किया है।

ईसीएलजीएस	स्वीकृतियों की संख्या	स्वीकृत राशि (रकरोड़ में)
ईसीएलजीएस 01	165775	3150.15
ईसीएलजीएस 01 . का विस्तार	9415	627.94
ईसीएलजीएस 02	174	517.34
ईसीएलजीएस 02 का विस्तार	79	42.22
ईसीएलजीएस 03	466	114.64
ईसीएलजीएस 03 . का विस्तार	284	22.58
ईसीएलजीएस 04	59	4.82

नई पहल

“सफलता अंतिम नहीं होती है; न असफलता घातक होती है: यह कार्य जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है.” बैंक ने परिस्थिति को बदल दिया है और वित्त वर्ष 2016-वित्त वर्ष 2022 की अवधि में घाटा उठाने के बाद वित्त वर्ष 2022 के लिए ₹1045 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है. यह प्रबल सहबद्धता, प्रतिबद्धता, एवं कार्यान्वित किए गए नए विचारों का परिणाम है. तदपि, हम संतुष्ट नहीं होंगे एवं नवीन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त नवीन उत्पादों एवं सेवाओं के साथ व्यवसाय के फलने-फूलने एवं नवोन्मेष विचारों की परिकल्पना करना जारी रखेंगे. इस धारणा के साथ, कुछ नई पहलें निम्नानुसार हैं: -

- » “सीपीएसी – संवितरण पूर्व ऋण समीक्षा प्रक्रिया - मई '21 से कार्यान्वित संवितरण पूर्व ऋण समीक्षा हेतु ऋण प्रक्रिया एवं अनुमोदन केन्द्र ऋण वृद्धि तथा त्वरित ऋण निर्णय लेने के लिए फील्ड में कार्यरत स्टाफ के डर को दूर करने में बहुत सफल रहा है. अब सीपीएसी का परिसंपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ऋण निगरानी तंत्र हेतु और अधिक लाभ उठाया जाएगा.
- » को लेंडिंग – नवीन व्यवसाय विभाग ऋण वृद्धि दर को और प्रबल करेगा.
- » ग्रीन डिपॉजिट: 'संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करने और हमारे जमाकर्ताओं को पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों का चयन करने की सुविधा देने हेतु अतिरिक्त ब्याज दर के साथ एक ऑनलाइन सावधि जमा उत्पाद.
- » वरिष्ठ कर्मचारी सहबद्धता: हमारे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रत्यक्ष बिक्री प्रतिनिधि (डायरेक्ट सेलिंग एजेंट - डीएसए) माना जाएगा. इससे एक ओर हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी तरफ इससे बैंक को उनके स्थानीय संबंधों के फलस्वरूप बढ़िया व्यवसाय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.
- » सूचना साझा करने एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए विशिष्ट मेल आईडी greenchannel@centralbank.co.in बनाई गई

है.व्यवसाय में सहजता एवं बेहतर ग्राहक अनुभव हेतु अतिरिक्त सुविधाओं सहित संशोधित नेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रारम्भ की गई है.

- » उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वालों के लिए सम्मान एवं पुरस्कार प्रारंभ की जायेगी.
- » वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी.
- » एक में सभी बैंकिंग आवश्यकताओं हेतु बहु कार्यात्मकता एवं समन्वयन सहित एक कस्टमाइज्ड बैंक ऐप प्रारंभ किया जाएगा.

भावी पथ

पिछले वित्तीय वर्ष के हमारे परिणामों के आलोक में, शेरधारकों की अपेक्षाएं पूर्ण करने हेतु मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं. हम अपने व्यवसाय को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु आवश्यकता के अनुरूप परिशोधन करना जारी रखेंगे.

मैं अपने प्रयासों में प्रबंधन को बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सूचनाओं हेतु बोर्ड के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं समय-समय पर उनके समर्थन और मार्गदर्शन हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी धन्यवाद देता हूं.

मुझे 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

शुभकामना सहित,

भवदीय,

एम वी राव

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27 जून, 2022

Message from the desk of the MD and CEO



“

In light of our results for the last financial year, I must express my joy for meeting shareholders' expectations. We will continue to transform our business and make it future-ready.

M V Rao
Managing Director and CEO

Dear Stakeholders,

We are pleased to announce that our Bank has made tremendous progress in the last financial year, and that we have made a difference. I am presenting highlights of the performance of our Bank for FY 2022 in the attached report.

Economic Outlook

The International Monetary Fund (IMF) Report released in April 2022, projects the growth of the global economy by 3.6% in 2022 from a growth of 6.1% in 2021 and further projects a growth of 3.6% in 2023. However, the global growth is expected to be slow in 2022 due to impact on economy due to ongoing war between Ukraine and Russia. The April 2022 Report of the IMF estimates advanced economies to grow by 3.3% in 2022 from a growth of 5.2% in 2021. The economy of United States has suffered with the problem of high inflation in the FY22, for which they have started rate hikes to curb the inflation problem. The emerging markets and developing economies are projected to grow by 3.8% in 2022 after a growth of 6.8% in 2021. In 2023, the emerging markets and developing economies are projected to grow by 4.4%.

On the domestic front, as per the provisional figures, real GDP grew by 8.7% in 2021-22 with a pickup in economic activity with the receding impact of Covid-19 pandemic. Sectors like mining, manufacturing, construction, and some other service sectors have reported a double digit growth for two

reasons- low base of FY21 and economic activity gaining momentum after Covid-19 impact faded. The quarterly data shows that the domestic economy slowly started to recover from the pandemic. The Q4 2021-22 real GDP grew by (+) 4.1 per cent vis-à-vis (+) 5.4 per cent in Q3 2021-22. However, private final consumption expenditure as percentage of real GDP softened to 55.5 per cent in Q4 2021-22 as compared to 61 per cent in Q3 2021-22. On the other hand, gross fixed capital formation as percentage of real GDP inched up to 33.6 per cent in Q4 2021-22 vis-à-vis 30.1 per cent in Q3 2021-22.

The ongoing war between Ukraine and Russia is not over yet due to which we expect growth to remain muted in 2022-23. Nonetheless, with the economic activities gaining traction with government support provided through fiscal expenditure will help demand to achieve momentum.

This years' Union Budget 2022-23 conveyed the futuristic viewpoint of attaining macro-economic level growth targets with a micro-economic level all-inclusive welfare. It laid foundation & gave a blueprint of the economy over 'Amrit Kal' of next 25 years – from India at 75 to India at 100. In these 25 years India aims to attain the vision-promoting digital economy & fintech, technology enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment helping to crowd-in private investment.

Performance of the Bank

Business

During the Financial Year 2021-22, the Business of the Bank stood at ₹5,32,404 crore as compared to ₹5,06,886 crore in the Financial Year 2020-21 on 5.03% growth on a YoY basis. Bank's business growth has remained robust in FY 2021-22, with deposit growth of 3.85% and advances growth of 7.23%. The Deposit of the Bank stood at ₹3,42,692 crore as against ₹3,29,973 crore on March 31, 2021, with a growth of ₹12,719 crore. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 50.58% against 49.24% in the Financial Year ended March 31, 2021. Total Advances stood at ₹1,89,712 crore in March 31, 2022 as against ₹1,76,913 crore on March 31, 2021, registering a growth of 7.23% on a YoY basis.

The Bank is always keen to maintain a well-balanced assets mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs), and keeping a focus on other retail assets, including Housing, Education and Vehicle finance. Notably, Bank's MSME portfolio has shown growth of 5.51%, with Retail loan portfolio growth by 5.57% on a YoY basis. Advances to MSMEs stood at ₹34,139 crore and Agriculture at ₹38,635 crore.

Financial Performance

The Operating Profit of the Bank stood at ₹5,742 crore in the financial year 2021-22 as against ₹4,579* crore in the financial year 2020-21. With improved performance, the Bank earned a net profit of ₹1,045 crore against a net loss of ₹888 crore for the FY2022 over FY2021 and from ₹1,349 crore loss to ₹310 crore profit during the fourth quarter on a YoY basis.

The Net Interest Income of the Bank increased to ₹9,487 crore from ₹8,245 during 2021-22, whereas Non-Interest Income decreased to ₹2,968 crore from ₹3,116* crore during 2020-21. Net Interest Margin (NIM) improved to 3.21% during the financial year 2021-22 compared to 2.78% in the financial year 2020-21. The Cost to Income ratio also significantly

enhanced from 59.70%* for the financial year 2020-21 to 53.90% for the financial year 2021-22. The Bank's Cost of Deposits reduced to 3.86% during the financial year 2021-22 as against 4.35% during the financial year 2020-21.

**Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.*

Asset Quality

The consistent effort of the Bank on NPA management and garnering high-quality assets improved the asset quality. Thus, the gross NPA percentage reduced to 14.84% as of March 31, 2022, compared to 16.55% as of March 31, 2021, and also, the Net NPA percentage was brought down to 3.97% as of March 31, 2022, as from 5.77% as of March 31, 2021. The Bank's Provision Coverage Ratio improved to 86.69% as of 31.03.2022 from 82.54% as of 31.03.2021, which has strengthened the Balance Sheet. We expect the resolution of certain big NPA accounts through NCLT under IBC and outside during 2022-23. We shall continue to have focused efforts to maximize NPA recovery, improve asset quality and earn net profit during the year 2022-23.

Capital

CRAR after adjustment for reckoning NPV of non-interest-bearing recapitalization bond issued by the Government of India is 13.84% as of March 31, 2022, as compared to 15.87% as of March 31, 2021. NPV on zero-coupon Recapitalization Bonds has been computed on account of observation of RBI in its Risk Assessment Report 2021. Without considering the impact of NPV, CRAR is 15.75% as of March 31, 2022.

Priority Sector and Financial Inclusion

The Bank is continuously emphasizing meeting various goals under national priorities. Under various national priorities, your Bank has credibly achieved the mandated targets as follows:

- » Total Priority – 44.08% of adjusted net bank credit against the norm of 40%
- » Agriculture – 19.79 % of adjusted net bank credit against the norm of 18%

Message from the desk of MD and CEO

- » Small and Marginal Farmers – 10.39% of adjusted net bank credit against the norm of 9%
- » Weaker Section – 16.30 % of adjusted net bank credit against the norm of 10%

The Bank has sold PSLC to the tune of ₹15,528 crore in FY 2021-22. These achievements indeed speak of the Bank's commitment to inclusive nation-building.

Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion with key interventions in offering appropriate financial products, using technology and enhancing financial literacy.

Bank also performed well under social security schemes launched by the Government of India. 33.32 Lakhs, 55.75 Lakhs, and 15.81 Lakhs enrolments have been done under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Atal Pension Yojana, respectively.

Pan India Presence

As of March 31, 2022, your Bank has a Pan India presence with 17,803 Customer Touch Points. This includes a network of 4,528 branches, 2,976 ATMs and 10,299 BC Outlets. The Pan India presence covers all 28 States, 7 out of 8 Union Territories and NCT Delhi. The Bank has a strong Rural and Semi-Urban presence, with 65% of its total branches in Rural and Semi-Urban Centers.

Digital Banking & Alternate Delivery Channels

In the age of information and technology, the Bank recognizes the customers' changing needs and caters to the needs of the young demographic base of the country. Accordingly, the Bank gives thrust on digital footprints and alternate delivery channels.

As a result, the share of digital transactions through alternate delivery channels increased from 77.63% for FY 2020-21 to 78.05% for FY 2021-22.

Human Resources

The Bank is committed to creating a productive work environment for its employees and departments to maximize individual potential and expand organizational capacity. In this regard bank has taken various steps towards Designing, Developing and Implementing Best HR Practices like Competency-based Roles, Performance-based promotions, and incentivizing learning, among others, to facilitate the creation of an environment where each member of the organization can contribute their best for augmenting our business growth.

Employee Engagement Survey, Capacity Building Initiatives to enhance capabilities of staffs, Mentorship Program, Succession Planning (IDPs), HR Policies Reviewed and made contemporary as well as user-friendly, Engagement of Retirees on a contractual basis, Compassionate Appointment for COVID-19 victims were some of the HR Interventions initiated during the year.

Bank will continue its efforts towards aligning the HRD role with the evolving environment and initiating practices benefitting employees to lead the organization in advancing its corporate objectives.

Covid-19 Relief for MSMEs/Small Businesses/Corporates

Bank has continued extending its support during 2021-22 through various Government schemes launched in 2020-21 to MSMEs / Small Businesses / Corporates and extension of Guaranteed Emergency Credit Line 01, 02, 03, 04 to protect them from hardships caused due to the Covid-19 pandemic.

ECLGS	Number of Sanctions	Amount sanctioned (₹in crore)
ECLGS 01	165775	3150.15
Extension of ECLGS 01	9415	627.94
ECLGS 02	174	517.34
Extension of ECLGS 02	79	42.22
ECLGS 03	466	114.64
Extension of ECLGS 03	284	22.58
ECLGS 04	59	4.82

New Initiatives

"Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." Bank has turned the corner and registered a Net Profit of ₹1,045 Crore for FY2022 after incurring losses for the period FY2016–FY2021. This is due to vigorous engagement, commitment and new ideas implemented. Nevertheless, we will not be complacent and continue to thrive to envisage new and fresh ideas to keep the business flourishing with new products and services besides fresh processes. With this impression, a few of the new initiatives put forward are as follows:-

- » 'CPAC - Pre-disbursal Credit Review Mechanism- Credit Processing & Approval Centre' for pre-disbursement approval implemented w.e.f. May '21 has been very successful in credit growth and taking out the fear from the field staff for undertaking prompt credit decisions. Going forward, the CPAC will be further leveraged for Credit Monitoring Tools to maintain asset quality.
- » Co Lending: New business Vertical will be strengthened to augment credit growth.
- » Green Deposit: An online Time Deposit product with extra ROI to support 'United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and empower our depositors to opt for financial products that positively impact the environment.
- » Veteran Connect: All our retired staff will be considered as Deemed Direct Selling Agents (DSAs). On the one hand, our retired staff would be getting a good incentive, and on the other hand, this would help the Bank garner robust business with their local connections.
- » Dedicated mail ID, i.e. greenchannel@centralbank.co.in for Corporate Borrowers for sharing of information and quick redress of issues.

- » Revamped Net Banking/Mobile Banking facility launched with additional features for ease of business and better customer experience.
- » Recognition and Reward programs for top performers will be instituted.
- » The customer On-Boarding process will be fully digitalized through Video KYC.
- » Customized Bank's App will be launched, having multi-functionality and integration for all-in-one banking needs.

Way Forward

In light of our results for the last financial year, I must express my joy for meeting shareholders' expectations. We will continue to transform our business, to make them future-ready to the extent needed.

I would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and input to the management in our endeavours. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time.

I am happy to present the Bank's Annual Report for the year ended on March 31, 2022.

With best wishes,

Yours sincerely,

M V Rao

Place: Mumbai

Date: June 27, 2022

उन्नत बैंकिंग हेतु डिजिटली सशक्त बनना

समग्र डिजिटल परिवर्तन जारी

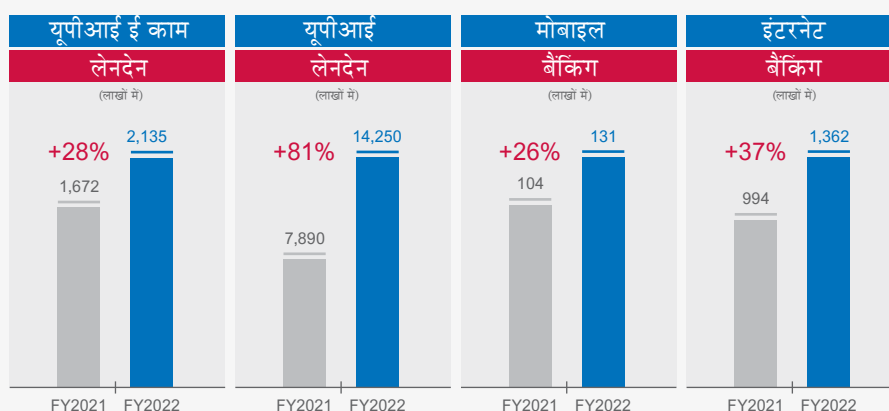
वित्तीय उद्योग के माध्यम से व्यापक प्रौद्योगिकी लहर ने कई पारंपरिक बैंकिंग संरचनाओं को बदल दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग, स्वयं सेवा मशीन, वित्तीय एकीकरण और 24 घंटे पहुंच जैसे कारकों ने डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता संबंधी परिदृश्य बदल दिया है। लगातार, केवल-डिजिटल बैंकिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है, सभी आयु वर्ग के ग्राहक अधिक सुविधा और त्वरित बैंकिंग सेवाओं की अपेक्षा कर रहे हैं। लाखों लोगों द्वारा ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि भविष्य में युवा पीढ़ी के लिए परंपरागत बैंकिंग की प्रासंगिकता कम होना संभव है। सेंट्रल बैंक में, हम तत्परता से डिजिटल भारत की सेवा के लिए समग्र डिजिटल परिवर्तन कर रहे हैं।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में, हमारे ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने के अतिरिक्त, पूर्णतः डिजिटल होने के अन्य आवश्यक कारण भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डिजिटल बैंकिंग के विकास से हमारे ग्राहक अनुभव में वृद्धि होगी, राजस्व वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, लागत में कमी आएगी एवं हमारी उत्पादकता बढ़ेगी।

हाल के वर्षों में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण सूचना तकनीकी परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। इनमें अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन, ट्रेजरी सॉल्यूशन एवं लोन लाइफ साइकल मैनेजमेंट सॉल्यूशन को लागू किया है, जो बैंक हेतु आज के मूलभूत व्यवसाय प्रवर्तकों के रूप में कार्य करते हैं। इसने अच्छे जोखिम प्रबंधन या कॉर्पोरेट प्रशासन के हिस्से के रूप में अन्य परियोजनाओं के साथ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, अवरूद्ध राशि द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (एसबीए), एकीकृत जोखिम प्रबंधन व्यवस्था (आईआरएमएस), धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन (एफआरएमएस), केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रबंधन समाधान एवं प्रलेख प्रबंधन व्यवस्था (डीएमएस) को भी क्रियान्वित किया है। वर्तमान में, बैंक द्वारा एक आईएसओ प्रमाणित डेटा सेंटर द्वारा समर्थित एक अत्याधुनिक आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित है, जिसे परिचालन दक्षता, सुरक्षा, विश्वसनीयता और त्वरित ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अपनी व्यावसायिक रणनीति के हिस्से के रूप में, आपका बैंक एक "डिजिटल परिवर्तन" के दौर से गुजर रहा है। जिसके माध्यम से इसका अपने पारंपरिक व्यापार मॉडल से एक सहज डिजिटल मॉडल में विकसित होने का उद्देश्य है, जो कि अन्य कार्यों सहित यूनिवर्सल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट टैब बैंकिंग, और व्यवसाय प्रतिनिधि केंद्र जैसे कई चैनलों को संचालित करने में सक्षम है। इस दिशा में एक प्रारंभिक चरण के रूप में, बैंक ने वीडियो केवाईसी क्षमता के माध्यम से अपने ग्राहक सहबद्धता की योजना को अंतिम रूप दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ग्राहक सहबद्धता की संख्या में लगातार प्रगति कर रहा है, जिन्हें डिजिटली किया जा रहा है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



वित्त वर्ष 2022 के दौरान अपनायी गई प्रमुख प्रौद्योगिकी में सम्मिलित हैं:

1

टैबलेट के माध्यम से आदि से अंत तक प्रसंस्करण नवीनीकरण सक्षम किया गया

2

अंडर राइटिंग प्रोसेसिंग आईटीआर विश्लेषण, जीएसटी विवरण, लिटिगेशन और एमसीए हेतु एपीआई समन्वयन पूर्ण किया गया

3

कृषि और एमएसएमई उत्पादों हेतु लोन लीड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएलएमएस) स्थापित किया गया



4

रिटेल, एमएसएमई, जमा और तीसरे पक्ष के उत्पादों के प्रबंधन हेतु लीड जनरेशन के लिए विश्लेषणात्मक मॉडल स्थापित किया गया

5

आईटी-आधारित प्रणालियों के लिए लागत प्रभावी क्लाउड बेस समाधान नियोजित किए गए

6

“आस्क सेंट बॉट वन स्टॉप सॉल्यूशन” चैटबॉट को मोबाइल ऐप और वेबसाइट में पेश किया गया

आपके बैंक के डिजिटल कार्य वृद्धि हेतु वित्त वर्ष 2022 में की गई प्रमुख पहलें :



होम स्क्रीन पर कई उपयोगी लिंक सहित बैंक ने मोबाइल बैंकिंग को एक नए रूप एवं प्रभाव के साथ परिवर्धित किया है



मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए हमारे एटीएम पर ओटीपी आधारित नकद निकासी की सुविधा शुरू की



खाता संख्या और ग्राहक पहचान संख्या (सीआईएफ) के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग ऐप पंजीकरण प्रारंभ किया.



मोबाइल बैंकिंग में एक सरल लॉगिन प्रक्रिया प्रारंभ की जिसमें ग्राहक को एक बार पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ता नाम की आवश्यकता के बिना एमपिन के माध्यम से लॉगिन करने का विकल्प प्रदान किया जाता है.



यूपीआई इंटरफ़ेस को नया रूप एवं प्रभाव दिया.



आधार संख्या और एक ओटीपी के माध्यम से यूपीआई ऐप पंजीकरण सक्षम किया गया, जिससे बिना डेबिट कार्ड वाले ग्राहकों के लिए यूपीआई ऐप पर पंजीकरण करना आसान हो जाएगा.



यूपीआई एपीपी के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) भुगतान में मोबाइल फोन पर सहेजे गए संपर्क नंबर के आधार पर भुगतान करने की सुविधा होगी.



एक 'ऑन-डिवाइस वॉलेट' की सुविधा प्रदान करना जो ऑफलाइन मोड के माध्यम से छोटे मूल्य के लेनदेन की अनुमति देता है जिसमें ग्राहक के पास किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने एवं इंटरनेट पहुंच के बिना भुगतान करने का विकल्प हो सकता है.



मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन डीमैट खाते की सुविधा

31 मार्च, 2022 तक स्थापित एटीएम की कुल संख्या

4,240

31 मार्च, 2022 तक स्थापित पीओएस/एम-पीओएस टर्मिनल की कुल संख्या

59.48%

31 मार्च, 2022 तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक के एटीएम का प्रतिशत

2,976

31 मार्च, 2022 तक स्थापित एटीएम की कुल संख्या

>3 crore

31 मार्च, 2022 तक जारी किए गए डेबिट कार्डों की कुल संख्या

1,95,483

एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड 31 मार्च, 2022 तक जारी किए गए

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

Becoming digitally empowered for advanced banking

Undergoing wholesale Digital Transformation

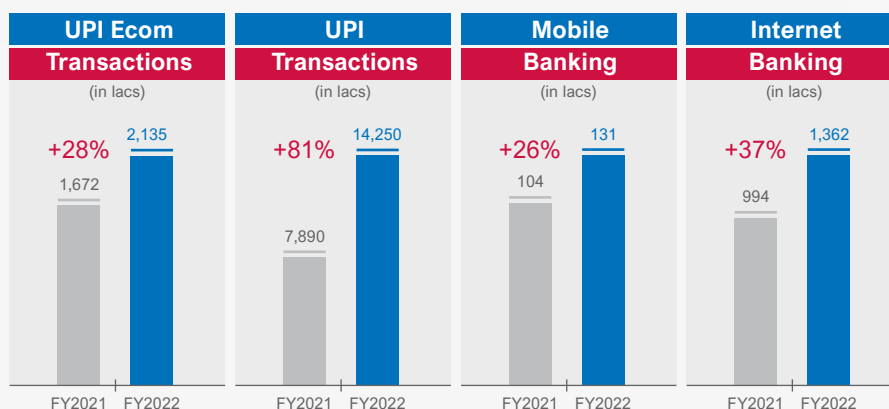
The recent technology wave sweeping through the financial industry has changed many traditional banking structures. Factors such as online banking, self-service machines, financial integration, and 24-hour access have changed the outlook regarding the need for digital banking. Increasingly, digital-only banking is becoming increasingly popular, with customers of all age groups seeking more convenience and faster banking services. The rising adoption of online and mobile banking among millennials indicates brick-and-mortar banking will likely have less relevance to the younger generation in the future. At Central Bank of India, we are undergoing wholesale digital transformation to serve an increasingly digital India.



At Central Bank of India, besides enriching our customer experience, there are other compelling reasons to go fully digital. We expect the development of digital banking to enhance our customer experience, push revenue growth, accelerate cost reduction, and charge up our productivity.

Over recent years, Central Bank of India has implemented several significant IT adoptions such as Core Banking Solution, Trade Finance Solution, Treasury Solution, and Loan Lifecycle Management Solution, amongst others, which act as today's foundational business enablers of the Bank. It has also implemented several other projects such as Anti-Money Laundering, Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Integrated Risk Management System (IRMS), Implementation of Fraud Risk Management System (FRMS), Centralized e-TDS Management Solution, and Document Management System (DMS) among others, as part of either good risk management or corporate governance. Today, the Bank has also established a state-of-the-art IT Infrastructure, backed by an ISO Certified data centre designed to ensure operational efficiency, security, reliability, and prompt customer service.

As part of its Business Strategy, your Bank is undergoing a "Digital Transformation", through which it intends to evolve from its traditional business model into a seamless digital model, enabled by multiple channels such as a Comprehensive App, Mobile Banking, Internet Banking, Tab Banking, and Business Correspondent Points amongst others. As an early step toward this direction, Bank has finalised its customer onboarding journey through Video KYC capability. Furthermore, the Bank is making steady progress in the number of customer engagements that are being conducted digitally, as shown below:



Becoming digitally empowered for advanced banking

Undergoing wholesale Digital Transformation

Key Technology Adoption during FY2022 include:

1

End-to-end processing renewal through tablets was enabled

2

API Integration was completed for the Under Writing Processing ITR Analysis, GST Returns, Litigation and MCA

3

Loan Lead Management System (LLMS) was established for Agriculture & MSME Products



4

Analytical Model for Lead Generation handling Retail, MSME, Deposit & Third-Party Products was established

5

Cost-Effective Cloud Base Solutions for IT-based systems were deployed

6

The "Ask Cent Bot One Stop Solution" CHATBOT was introduced in the Mobile App and the Website

Key initiatives taken in FY2022 to increase the digital footprint of your Bank:



The Bank has revamped Mobile Banking with a fresh look and feel, with multiple useful links on the home screen



Initiated OTP based Cash withdrawal facility on our ATM for our customers through Mobile Banking



Introduced Mobile Banking app registration through Account Number and Customer Identification Number (CIF).



Facilitating an Easy login process in Mobile Banking, wherein the customer is provided with the option to login through an MPIN without needing a username after a one-time registration



Revamped the Look and Feel of the UPI interface



Enable UPI app registration through the Aadhaar number and an OTP, making it easy for customers without Debit Cards to register on the UPI app



Person to Person (P2P) Payment through UPI APP shall have the feature of making payment based on the contact number saved on a mobile phone



Facilitating an 'On-Device wallet' that allows small value transactions through offline mode in which a customer can have the option to scan any QR code and make the payment without needing access to the internet



Facilitating online DEMAT account through Mobile Banking

4,240

Total number of POS/m-POS Terminal Installed as of March 31, 2022

59.48%

Percentage of the Bank's ATMs that are in Rural & Semi-Urban Areas as of 31st March, 2022

2,976

Total number of ATMs installed as of 31st March, 2022

>3 crore

The total number of Debit cards issued as of 31st March, 2022

1,95,483

SBI Co-branded Credit Cards issued as of 31st March, 2022

वित्तीय वर्ष 2022: विश्वास पुनर्स्थापित करने का वर्ष

आगामी वर्षों हेतु निरंतर मूल्य संवर्धन के लिए तैयार



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए, वित्त वर्ष 2022 एक बहुप्रतीक्षित टर्नअराउंड वर्ष रहा है। यह वर्षों की योजना और दृढ़ परिश्रम का परिणाम था। लगातार छह वर्षों के घाटे के बाद, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹1,045 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹888 करोड़ की शुद्ध हानि हुई थी। यह सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में जारी एक परिवर्तनकारी यात्रा का परिणाम है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में इसकी बैलेंस शीट में निरंतर सुधार हुआ है, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार प्रवृत्ति बनी है, तरलता में वृद्धि हुई है, अधिक डिजिटलीकरण हुआ एवं पूंजी की स्थिति बेहतर हुई है। एक ओर जहां बैंक के परिचालनात्मक लाभ में सुधार जारी है, वहीं दूसरी ओर पुरानी तनावग्रस्त आस्तियों में बहुत कमी आई है, जिनके परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ हुआ है। यह वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 की विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद संभव हुआ है, जिसके माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने परिचालनात्मक वातावरण से उत्पन्न चुनौतियों हेतु स्वयं को अच्छी तरह से तैयार किया है।

एक बेहतर स्कोरकार्ड

31 मार्च, 2022 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹5,32,404 करोड़ रहा, जो 31 मार्च, 2021 को ₹5,06,886 करोड़ था। उच्च लागत वाली जमाराशियां 31 मार्च, 2021 के ₹68 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2022 को ₹75 करोड़ हो गई हैं। वर्ष के दौरान जमा एवं अग्रिमों में सतत वृद्धि हुई, तथा 2021-22 में विभिन्न प्रकार के सकल अग्रिम ₹1,98,712 करोड़ रहे। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹5,742 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यह ₹4,579 करोड़ था।

आज आर्थिक गतिविधियों की गति तेज हो गई हैं और यह गति जारी रहना अपेक्षित है। भारतीय बैंकिंग में उभरती प्रवृत्ति पर दृष्टि बनाये रखने सहित बैंक के डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने का यह उपयुक्त समय है।

सभी व्यय शीर्षों में दृढ़ लागत नियंत्रण पहलों के माध्यम से बैंक की परिचालन क्षमता में सुधार ने भी परिवर्तनकारी परिणाम में योगदान दिया। वित्त वर्ष 2022 हेतु लागत आय अनुपात 580 बीपीएस का सुधार दर्ज करते हुए 59.70% से सुधरकर 53.90% हो गया। बैंक का स्लीपेज अनुपात वित्त वर्ष 2022 में 120 बीपीएस का सुधार दर्ज करते हुए 3.20% रहा जबकि वित्त वर्ष 2022 हेतु यह 4.40% था।

₹1,045 करोड़

वित्त वर्ष 2022 के लिए शुद्ध लाभ

₹5,742 करोड़

वित्त वर्ष 2022 हेतु परिचालन लाभ (25.40% तक की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि)

₹1,89,712 करोड़

वित्त वर्ष 2022 हेतु सकल अग्रिम
(वर्ष-दर-वर्ष 7.23% की वृद्धि)

580 बीपीएस

लागत आय अनुपात में
वर्ष-दर-वर्ष सुधार

120 बीपीएस

स्लीपेज अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष सुधार

वित्तीय वर्ष 2022: विश्वास पुनर्स्थापित करने का वर्ष
आगामी वर्षों में निरंतर मूल्य संवर्धन के लिए प्रयास



पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए हमारे फोकस सेगमेंटों एवं सेक्टरों में उधार देने के अवसरों को खोजा जाएगा. एक उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसाय के रूप में विकसित होने के लिये खुदरा, ग्रामीण और एमएसएमई पर हमारा ध्यान जारी रहेगा.

सर्वोत्तम ऋण लागत

बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) ₹ 9,487 करोड़ हुई जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15.07% की बेहतर वृद्धि दर्ज हुई. ऋण बही में वृद्धि और स्लीपेज पर नियंत्रण ने उच्च ब्याज आय में योगदान दिया है. सेंट्रल बैंक को उद्योग में सबसे कम ऋण लागत में से एक होने पर भी गर्व है. वित्त वर्ष 2022 में क्रेडिट लागत भी 154 बीपीएस घटकर 1.41% हो गई है.

15.07%

निवल ब्याज आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

154 बीपीएस

क्रेडिट लागत में वर्ष-दर-वर्ष सुधार

प्रत्येक क्षेत्र में चहुंमुखी सुधार सहित वित्त वर्ष 2022 में तनावग्रस्त के आस्तियों के प्रबंधन पर फोकस जारी रहा. आपके बैंक ने पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप अपनी रणनीति को संयोजित किया तथा वित्त वर्ष 2021 में 4.40% से वित्त वर्ष 2022 में स्लीपेज को 3.20% तक कम कर सका.

कठोर एनपीए प्रबंधन

बैंक की एक सुपरिभाषित वसूली नीति है जिसमें एनपीए प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश हैं. इसमें एनपीए प्रबंधन, निगरानी और अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, सरफेसी अधिनियम और प्रवर्तन एजेंसियों की नियुक्ति के सभी क्षेत्र शामिल हैं. वित्त वर्ष 2022 में तनावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन पर ध्यान देना जारी रहा और हर क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ. आपके बैंक ने पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपनी रणनीति तैयार की और वित्त वर्ष 2021 के 4.40% से सुधरकर वित्त वर्ष 2022 में स्लीपेज अनुपात को 3.20% तक सीमित करने में सफल रहा. वित्त वर्ष 2022 के दौरान, आपके बैंक का शुद्ध एनपीए वार्षिक आधार पर 180 बीपीएस का सुधार दर्ज करते हुए 5.77% से घटकर 3.97% हो गया. बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भी वित्त वर्ष 2021 के 82.54% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 86.69% हो गया, जिसमें 415 बीपीएस का सुधार हुआ.

180 बीपीएस

शुद्ध एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष सुधार

415 बीपीएस

पीसीआर में वर्ष-दर-वर्ष सुधार
(कवरेज अनुपात का प्रावधान)

FY2022: the year of reinstated conviction

Prepared for consistent value creation for years ahead



For Central Bank of India, FY2022 has been a much-awaited turnaround year. This was the result of years of planning and perseverance. After six consecutive years of incurring losses, the Bank posted a Net Profit of ₹1,045 crore in the fiscal year ended March 31, 2022, as against a Net loss of ₹888 crore in the fiscal year ended March 31, 2021. This is the result of a transformational journey taking place at Central Bank of India, which has resulted in sustained improvements in its balance sheet growth, improving asset quality trends, enhanced liquidity, greater digitalisation, and more robust capital position over the past few years. While the core operating profitability of the Bank continues to improve, the drag from legacy stressed assets has also significantly reduced, resulting in net profitability. This has taken shape despite the economic headwinds of FY2021 and FY2022, through which the Central Bank of India adapted well to the challenges posed by the operating environment.

A Scorecard in the Green

As of March 31, 2022, the Total Business of the Bank was ₹5,32,404 crore compared to ₹5,06,886 crore as of March 31, 2021. High-Cost Deposits have been increased to ₹75 crore as of March 31, 2022, from ₹68 crore as of March 31, 2021. Steady growth in deposits and granular advances during the year, and the Gross Advances stood at ₹1,89,712 crore across various segments in 2021-22. The Operating Profit of the Bank stood at ₹5,742 crore for the fiscal year ended March 31, 2022, compared to ₹4,579 crore for the fiscal year ended March 31, 2021.

Today, the pace of economic activity has picked up, and the momentum is expected to continue. The time is opportune to push harder on the digital transformation of the Bank with an eye on emerging trends in Indian banking.

The Bank's improving operational efficiencies through solid cost control initiatives across expense heads also contributed to the turnaround result. The Cost to Income Ratio for the FY2022 enhanced from 59.70% to 53.90%, registering an improvement of 580 bps. The Bank also improved its Slippage Ratio for the FY2022 by 120 bps, standing at 3.20% in FY2022 compared to 4.40% in FY2021.

₹1,045 crore

Net Profit for FY2022

₹5,742 crore

Operating Profit (up by 25.40% YoY) for FY2022

₹1,89,712 crore

Gross Advances (up by 7.23% YoY) for FY2022

580 bps

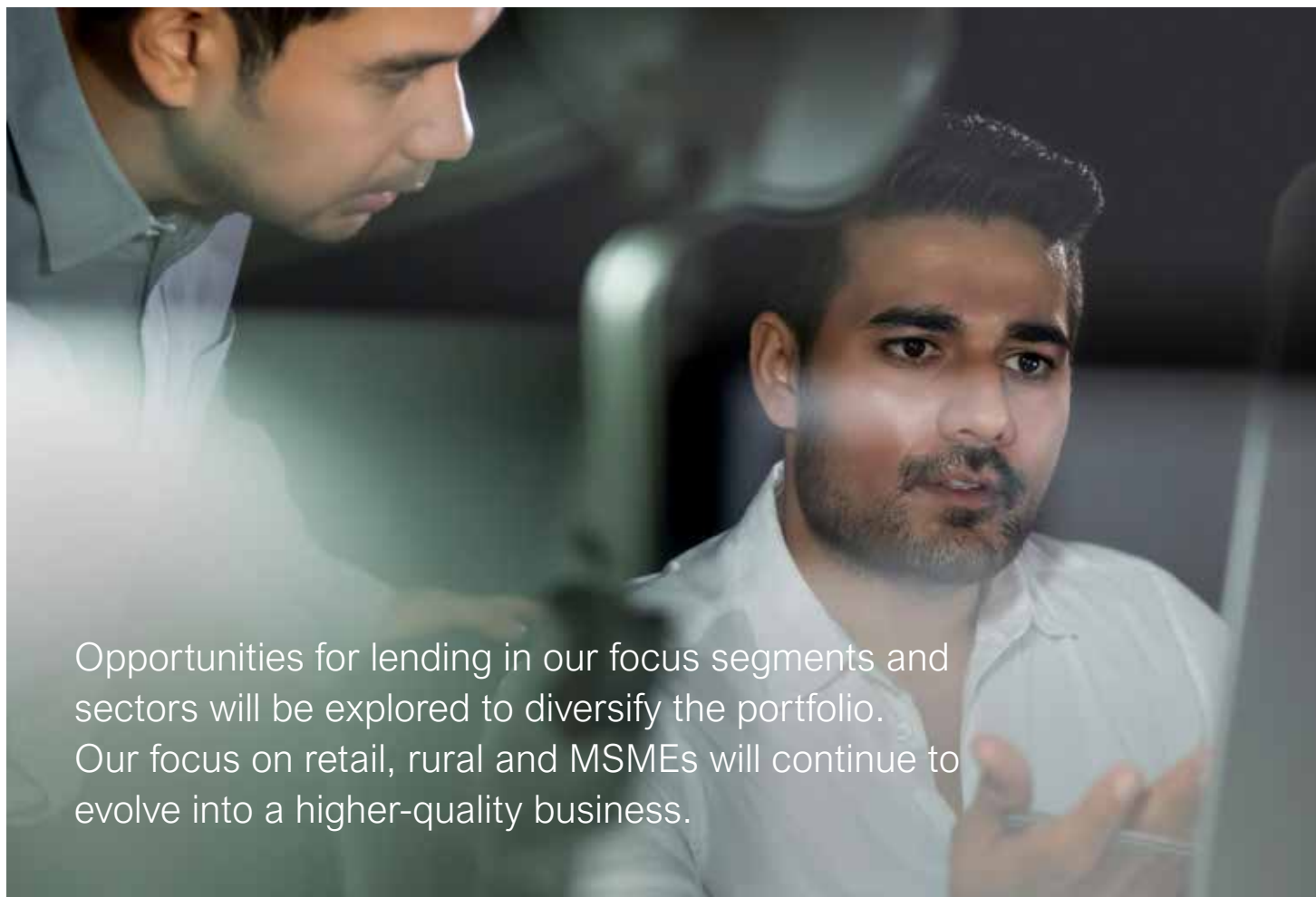
YoY improvement in Cost to Income Ratio

120 bps

YoY improvement in Slippage Ratio

FY2022: the year of reinstated conviction

Prepared for consistent value creation for years ahead



Opportunities for lending in our focus segments and sectors will be explored to diversify the portfolio. Our focus on retail, rural and MSMEs will continue to evolve into a higher-quality business.

Optimal Credit Cost

The Bank's Net Interest Income (NII) registered a healthy growth of 15.07% over the previous year, to ₹9,487 crore. Growth in the lending book and control of slippages have contributed to higher interest income. Central Bank of India also takes pride in having one of the lowest Credit Costs in the industry. Credit costs have also declined significantly by 154 bps to 1.41% in FY2022.

15.07%

YoY growth in Net Interest Income

154 bps

YoY improvement in Credit Cost

The focus on managing stressed assets continued in FY2022 with all-around improvement in every segment. Your Bank has calibrated its strategy for managing stressed assets in line with the ecosystem and was able to contain the slippage ratio to 3.20% in FY2022, down from 4.40% in FY2021.

Rigorous NPA management

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, SARFAESI Act, and Appointment of Enforcement Agencies. The focus on managing stressed assets continued in FY2022 with all-around improvement in every segment. Your Bank has calibrated its strategy for managing stressed assets in line with the ecosystem and was able to contain the slippage ratio to 3.20% in FY2022, down from 4.40% in FY2021. During FY2022, your Bank's Net NPA reduced from 5.77% to 3.97% on a YoY basis registering an improvement of 180 bps. The Bank's provisioning coverage ratio (PCR) also improved from 82.54% for FY2021 to 86.69% for FY2022, reporting an improvement of 415 bps.

180 bps

YoY improvement in Net NPA

415 bps

YoY improvement in PCR (provisioning coverage ratio)

कार्यनिष्पादन हेतु लोगों को प्राथमिकता देना

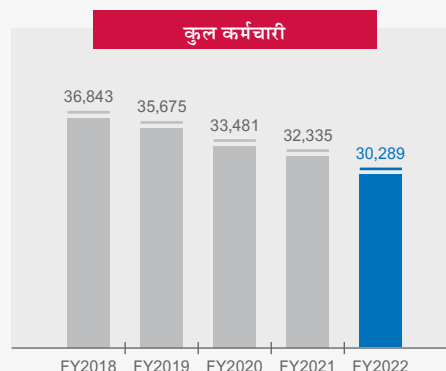
एक तत्पर और शिक्षित कार्यबल द्वारा रचनात्मक विकास

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया तेजी से बदलते व्यवसायिक परिदृश्य और नियामक अपेक्षाओं की मांगपूर्ति हेतु त्वरितता से आस्ति प्रबंधन, आईटी, सूचना सुरक्षा, जोखिम, ऋण एवं लेखा परीक्षा में विशेष प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है। यह मानव संसाधन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कार्यबल आयोजना के लिए एक शाखा-आधारित मॉडल भी अपना रहा है। यह मॉडल शाखाओं के उत्पादकता मानकों जैसे परिचालन संवाहक, संव्यवहार भारकारक, ऋण खातों की संख्या, और परिचालन इकाइयों एवं संगठनात्मक इकाइयों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। हम कोविड महामारी की कष्टदायक अवधि के दौरान भी बैंक के कार्यनिष्पादन को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने हेतु अपने कर्मचारियों के संकेंद्रित प्रयासों की सराहना करते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया अपने वर्तमान और भविष्य के संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका में विश्वास करता है एवं उसे मानता है। आपके बैंक की मानवीय पूंजी ने प्रौद्योगिकी और ग्राहक-केंद्रितता से उत्पन्न नए युग के अवसर का सामना करने हेतु उच्च प्रेरणा और भावना का प्रदर्शन किया है।

एक उत्पादक कार्यबल से प्राप्त लाभार्जन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का करियर विकास कर्मचारी के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु एक पारदर्शी, विश्वसनीय डेटा-समर्थित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों के मध्य उत्तरदायित्व, कार्यनिष्पादन, दृश्यता तथा बेहतर संयोजन प्रदान करती है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में कर्मचारियों की लगातार घटती संख्या, रणनीतिक उत्पादकता लाभ का एक कार्य है, जिसे प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च कौशल, चलाये जा रहे डिजिटल रूपांतरण तथा आपके बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत गर्व महसूस करने वाले एक अत्यधिक प्रतिबद्ध कार्यबल द्वारा किया गया है।





कोविड-19 प्रतिसाद

कोविड-19 के प्रारंभ के फलस्वरूप हमारे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। महामारी के जवाब में, हमने परियोजना शटडाउन प्रोटोकॉल, हमारे कार्य संचालन में प्रवेशकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत स्क्रीनिंग; सामाजिक दूरी निर्वहन; कोविड-19 विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण आवश्यकताएं; एवं पुष्ट मामलों की स्थिति में प्रोटोकॉल के समाधान हेतु वैश्विक मानकों की एक श्रृंखला विकसित की।

वित्त वर्ष 2022 की शुरुआत में कोविड महामारी की दूसरी लहर ने देश को बहुत कष्ट दिया और भारी जन हानि हुई, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के कई कर्मचारी भी सम्मिलित थे। हालांकि, इसने बैंक के प्रतिबद्ध फ्रंटलाइन स्टाफ की अटूट भावना को कम नहीं किया। उन्होंने महामारी संबंधी प्रतिबंधों और

कार्यनिष्पादन हेतु लोगों को प्राथमिकता देना...

एक तत्पर और शिक्षित कार्यबल द्वारा रचनात्मक विकास



संबंधित लॉकडाउन के कारण कम कर्मचारियों की संख्या के साथ भी वर्तमान कार्य मॉडल संयोजन के साथ पूरे देश में निर्बाध वित्तीय सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया।

कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व समय के दौरान, जब स्टाफ सदस्य और उनके आश्रित उचित चिकित्सा और उपचार पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारे द्वारा एक उपयोगकर्ता अनुकूल इन-हाउस पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। इसने स्टाफ सदस्यों को भारत में कहीं से भी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोविड -19 आवश्यकताओं से संबंधित अनुरोध करने की सुविधा दी गई थी। प्रशासनिक कार्यालयों के स्वयंसेवी स्टाफ सदस्य हेल्पलाइन पर कार्यरत रहे हैं। कई मामलों में, आपके बैंक ने गर्भवती महिलाओं, कैसर रोगियों और दिव्यांग कर्मचारियों हेतु घर से काम करने की सुविधा प्रदान की है। इसने कोरोना वायरस से मरने वाले स्टाफ सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद की।



लैंगिक विविधता

लिंग संवेदनशीलता और समावेशिता सदैव आपके बैंक की मानव संसाधन नीति की आधारशिला रही है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों और पदानुक्रम के स्तरों में विस्तारित कुल कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 24.35% है।

बैंक ने कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न प्रतिबंधित किया हुआ है। यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देशों को "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के अनुसार लागू किया गया है। अधिनियम के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है।

प्रशिक्षण

आपके बैंक में प्रशिक्षण का उद्देश्य सदैव बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन तथा ग्राहक अभिविन्यास हेतु कार्यबल के ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण को बढ़ाना रहा है। आपके बैंक के कर्मचारियों के लिए एक अधिक नवीन तथा अधिक प्रभावशाली शिक्षण यात्रा बनाने हेतु आपके बैंक ने प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। बढ़े हुए प्रशिक्षण घंटों और सीखने के अतिरिक्त तरीकों के माध्यम से सभी कर्मचारियों के अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रशिक्षण नीति 2022-23 की समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। हमारे बैंक में कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उदाहरणार्थ, ट्रेजरी, जोखिम, लेखा और ऋण विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 374 कर्मचारियों के लिए प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। महामारी के कारण अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए गए थे। वित्त वर्ष 2022 में एल एम एस में लॉन्च किए गए ई-लर्निंग मॉड्यूल की संख्या में भी वृद्धि देखी गई, जो वर्ष की शुरुआत में 104.5 घंटे से बढ़कर 208 घंटे हो गई, जिसमें वर्ष के अंत में 85 विषय शामिल थे। सभी बैंकिंग क्षेत्रों को पूरा करने के लिए जाब फैमिली को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था।

96%

वित्त वर्ष 2022 के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी

7,51,794 घंटे

वित्त वर्ष 2022 के दौरान दिए गए प्रशिक्षण के कुल श्रम घंटे (ऑनलाइन और भौतिक)

24.35%

कुल कार्यबल का प्रतिशत जो महिलाएं हैं

25,585

वित्त वर्ष 2022 के दौरान कोविड टीकाकरण की सुविधा प्रदान की गई

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

Prioritising people for performance

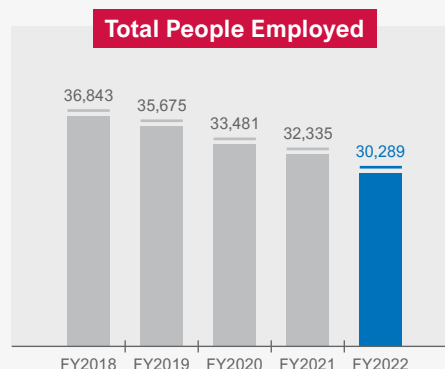
Creative growth by an agile and learning workforce

Central Bank of India is actively recruiting specialised talent in Wealth Management, IT, Information Security, Risk, Credit, and Audit, among others, to meet the demands of the fast-changing business landscape and regulatory requirements. It also adopts a branch-based model for workforce planning to ensure optimal utilisation of Human Resources. This model is based on the branches' productivity parameters, such as operational drivers, transaction load factors, number of advance accounts, and feedback from the operating units and organisational structure. We recognise our employees' focused efforts to steer the Bank's performance to greater heights, even during the turbulent period of the Covid Pandemic.

Central Bank of India believes in and acknowledges the critical role of its employees in achieving its present and future organisational goals. The human capital of your Bank has demonstrated high motivation and spirit to face the new age opportunity emanating from technology and customer-centricity.

Gaining from a productive workforce

The Bank's career development ensures a transparent, credible data-backed performance evaluation process for the assessment of employee performance. The system provides accountability, performance, visibility, and greater alignment between individual and organisational goals. The steadily declining total headcount at Central Bank of India is a function of strategic productivity gains brought on by higher skillsets through training, the ongoing digital transformation and a highly committed workforce that takes immense pride in taking your Bank to new heights.





COVID-19 Response

The onset of COVID-19 resulted in a significant broadening of our health and safety aims. In response to the Pandemic, we developed a range of global standards addressing project shutdown protocols; personal screening for people entering our operations; social distancing applications; COVID-19 specific personal protective equipment requirements; and protocols in the event of confirmed cases.

The 2nd wave of the covid Pandemic hit the country hard at the beginning of FY2022 and took a heavy toll on lives, which included many Central Bank of India's employees. However, it did not deter the unwavering spirit of the Bank's committed frontline staff. They ensured the delivery of uninterrupted financial services across

Prioritising people for performance...

Creative growth by an agile and learning workforce



the length and breadth of the country by fine-tuning the existing work model, even with reduced staff strength due to Pandemic related restrictions and associated lockdowns.

During the unprecedented times of the COVID-19 Pandemic, when staff members and their dependents were struggling to get proper medical attention and treatment, a user-friendly in-house portal and mobile app were developed by us. This enabled staff members to initiate requests related to Covid-19 requirements for employees and their family members from anywhere in India. Volunteer staff members from administrative offices are staffing the helpline. In several instances, your Bank extended a work-from-home facility to pregnant women, cancer patients and workers with disabilities. It also opened financial assistance in providing compensation to the tune of ₹20 lacs to the legal heir of the staff member who succumbed to the Corona Virus.



Gender Diversity

Gender Sensitivity and Inclusiveness have always been the cornerstone of your Bank's HR policy. Out of the total workforce, the representation of women is 24.35% spread across all geographies and levels of hierarchy.

The Bank prohibits Sexual Harassment in the workplace. The guidelines on Sexual Harassment have been implemented as per the "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013." As per the Act, the Bank has constituted Internal Complaint Committees at all administrative offices.

Training

The objective of training in your Bank has always been to enhance the workforce's knowledge, skills, and attitude, for superior business performance and customer orientation. Your Bank has introduced significant changes into the training eco-system to create a more innovative and more impactful learning journey for your Bank's employees. To focus on the Up-skilling and Re-Skilling of all employees through increased training hours and additional avenues of learning, the Training Policy 2022-23 was reviewed and approved by the Board. To enhance the capabilities of staff in our Bank, for example, Certifications have been made mandatory for 374 employees staffing key roles in Treasury, Risk, Accounting and Credit Departments. Most of the training programmes were held online mode, due to the Pandemic. FY2022 also saw an increase in the number of e-learning modules launched in LMS, from 104.5 hours at the beginning of the year to 208 hours spanning 85 topics at the year's close. Courses in all job families were added to cater to all banking segments.

96%

Officers who received training during FY2022

7,51,794 hours

Total Manhours of training imparted (Online and Physical) during FY2022

24.35%

The percentage of the total workforce that are Women

25,585

Covid Vaccinations were facilitated during FY2022

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 15 वीं (पंद्रहवीं) वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 10 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय (बैठक का प्रस्तावित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से, निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी:

- 1) दिनांक 31 मार्च 2022 को बैंक के लेखापरीक्षा एकल और समेकित तुलन पत्र, दिनांक 31 मार्च 2022 को बैंक के एकल और समेकित लाभ और हानि खाते, खातों की इस अवधि में बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन करना तथा इन्हें स्वीकार करना।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्मृति रंजन दाश

महाप्रबंधक

स्थान : मुंबई

दिनांक: 27.06.2022

टिप्पणियाँ:

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन

- i. जारी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 सहपठित कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") के परिपत्र संख्या 20 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33 दिनांक 28 सितंबर, 2020, परिपत्र संख्या 39 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, परिपत्र संख्या 2 दिनांक 13 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या 19 दिनांक 2 दिसंबर 2021, परिपत्र संख्या 21 दिनांक 14 दिसंबर 2021 और परिपत्र संख्या 2 दिनांक 5 मई 2022 (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। इन एमसीए परिपत्रों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं)

विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक के सदस्यों की वार्षिक सामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

- ii. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और मीटिंग) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने का पात्र सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और अपनी ओर से मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का पात्र है। और प्रॉक्सी बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

iii. एक प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में भाग लेने या मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति बैंक को smird@centralbank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार दिनांक 05 अगस्त, 2022 के शाम 5.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व प्राप्ति नहीं होनी है।

- iv. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

v. ईमेल आईडी और बैंक खाते के विवरण का पंजीकरण:

यदि शेयरधारक की ईमेल आईडी पहले से ही बैंक / उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट "आरटीए" / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉग इन विवरण पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं।

यदि शेयरधारक ने अपना ईमेल पता बैंक / उसके आरटीए / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है या भविष्य में घोषित लाभांश की प्राप्ति के लिए बैंक खाता अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

- (i) कृपया हमारे आरटीए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर इन्वेस्टर सर्विसेस > ईमेल / बैंक विवरण पंजीकरण पर लॉग इन करें, विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें।

अथवा

(ii) यदि शेयर डीमैट रूप में रखे गये हैं :

शेयरधारक कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") से संपर्क करें और डीपी में प्रचलित और उनके द्वारा सूचित पद्धति के अनुसार डीमैट खाते में ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें।

vi. उक्त वर्णित एमसीए परिपत्रों तथा सेबी द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 को जारी परिपत्र (यथा संशोधित, यदि कोई हो) के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर इन्वेस्टर रिलेशन्स लिंक के अंतर्गत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. तथा बीएसई लिमिटेड इन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में सिर्फ वीसी/ओएवीएम सुविधा से ही उपस्थिति और सहभागिता कर सकते हैं।

vii. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे, बैंक और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि में परिवर्तन की सूचना दें यदि कोई हो :

ए. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए: उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) को

बी. भौतिक रूप में धारित शेयरों हेतु : सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 3 नवंबर, 2021 के अनुसार निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य रूपों में बैंक/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए बैंक ने भौतिक शेयरधारकों को पत्र भेजे हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Letter-to-Physical-Shareholders.pdf> पर भौतिक शेयरधारकों हेतु पत्र भी देख सकते हैं।

viii. सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों जैसे डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना; दावा न किए गए उचित खाते से दावा; प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय; अनुमोदन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन; संचरण और

स्थानांतरण को संसाधित करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अनिवार्य किया है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर - 4 जमा करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप बैंक की वेबसाइट https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Form_ISR-4.pdf और बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों की वेबसाइट पर, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड <https://web.linkintime.co.in/client-downloads.html> पर उपलब्ध है। यह ध्यान रखें कि कोई भी सेवा अनुरोध, फोलियो के केवाईसी अनुपालित होने पर ही संसाधित किया जा सकेगा।

xi. सेबी ने दिनांक 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और संचरण एवं रूपांतरण के अनुरोधों सहित सभी अनुरोधों को केवल अभौतिक रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए एवं भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने तथा डीमैटरियलाइजेशन के विभिन्न लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा रखे गए शेयरों को डीमैटरियलाइज करें। सदस्य इस संबंध में सहायता हेतु बैंक या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

x. सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों के पास उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म संख्या एसएच-13 जमा करके इसे पंजीकृत करें। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन को बदलना या रद्द करना चाहता है और एक नया नामांकन दर्ज करना चाहता है और ऐसा कोई भी मामला हो, तो वह इसे फॉर्म आईएसआर -3 में जमा कर सकता है। उक्त प्रपत्र बैंक की वेबसाइट <https://www.centralbankofindia.co.in/en/node/217707> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर उनके द्वारा डीमैट रूप में धारित हैं तो वे अपने डीपी को उक्त विवरण प्रस्तुत करें और यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दें।

xi. ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश इस प्रकार हैं:

2. शेयरधारकों/सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के निर्देश:

1) लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शेयरधारक/सदस्य नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के पात्र हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए पहले आए पहले पाए के आधार पर उपलब्ध होगी।

शेयरधारक/सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी / ओएवीएम के माध्यम से सहभागिता सीमित होने के कारण “पहले आयें पहले पायें” के आधार पर सहभागिता करें और यह सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पश्चात बंद की जायेगी. 2% से अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक / सदस्य, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, केएमपी, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति, स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षक आदि को बैठक में “पहले आयें, पहले पायें” के प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी. सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पूर्व लॉग-इन कर बैठक में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए विन्डो निर्धारित समय के पश्चात 15 (पंद्रह) मिनट तक खुली रहेगी. सहभागिता सिर्फ 2500 सदस्यों तक ही सीमित हैं.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु शेयरधारक / सदस्यों को ‘इन्स्टामीट’ सुविधा प्रदान की जाएगी. जिसमें शेयरधारक / सदस्यों को निम्नानुसार अपने विवरण पंजीकृत कर बैठक में उपस्थित रहना होगा:

1. इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर, इन्स्टामीट के लिए यूआरएल <<<https://instameet.linkintime.co.in>>> डालें और निम्न विवरण पंजीकृत करें:
ए. डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं.: आपका बैंक के साथ पंजीकृत 16 अंकों वाला डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं. प्रविष्ट करें.
बी. पैन: आपका 10 डिजिट का स्थायी खाता नंबर प्रविष्ट करें.
सी. मोबाइल नंबर.
डी. ई-मेल आईडी
2. “गो टू मीटिंग” पर क्लिक करें.

नोट :

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि ब्राडबैंड से जुड़े टेबलेट / लैपटॉप के माध्यम से बैठक में जुड़े.

बैठक के दौरान व्यवधान टालने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को अच्छी स्पीड (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्ट्रीम) के इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए.

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉट स्पॉट के जरिए मोबाइल / टेबलेट/ लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य-श्रव्य में व्यवधान हो सकता है. अतः उक्त खामियों को दूर करने हेतु स्थिर वाई-फाय अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है.

यदि शेयरधारकों / सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6175 पर कॉल करें.

वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान वक्ता के रूप में पंजीकरण चाहने वाले शेयरधारकों / सदस्यों के लिए अनुदेश :

बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने वाले शेयरधारक / सदस्य स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने के लिए अपना अनुरोध ई-मेल smmbd@centralbank.co.in पर दिनांक 05.08.2022 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 08.08.2022 को सायं 5.00 बजे तक अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ भेजें.

बैठक के दौरान वक्ताओं को “पहले आयें पहले पायें” के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

बैठक के लिए उपस्थिति दर्ज करने के बाद शेयरधारकों को “वक्ता क्रमांक” प्राप्त होगा. अन्य शेयरधारक बैठक के दौरान सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पैनलिस्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वक्ता क्रमांक याद रखें और डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को चालू करके पैनलिस्ट के साथ बातचीत शुरू करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तभी बोलें जब बैठक / प्रबंधन का मॉडरेटर बोलने के लिए उनके नाम और क्रमांक की घोषणा करेगा.

शेयरधारक / सदस्य, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना प्रश्न पहले ही ई-मेल smird@centralbank.co.in पर अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ भेजें. उसका जवाब बैंक द्वारा उचित प्रकार से दिया जाएगा.

नोट :

बैठक के दौरान, सिर्फ वक्ता के रूप में पंजीकृत शेयरधारकों / सदस्यों को ही अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी. बैंक वार्षिक सामान्य बैठक हेतु उपलब्ध समय के अनुसार वक्ताओं की संख्या सीमित रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.

शेयरधारकों / सदस्यों को कैमरे का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्ट्रीम) के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक है.

वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान इन्स्टामीट के माध्यम से वोट करने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को अनुदेश :

बैठक के दौरान जब संचालक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया सक्रिय की जाएगी तब जिन शेयरधारकों / सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे निम्नानुसार अपना वोट दे सकेंगे :

1. शेयरहोल्डर्स वीसी पेज पर ई-वोटिंग के लिए “कास्ट योर वोट” लिंक पर ई-वोटिंग के लिए क्लिक करें.

2. डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या और "इन्स्टामीट" के पंजीकरण के दौरान (पंजीकृत मोबाइल नंबर / पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त) ओटीपी प्रविष्ट करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें.
3. सफल (सक्सेसफुल) लॉगिन के पश्चात आपको मतदान करने के लिए "रिजोल्यूशन डिस्क्रीप्शन" और उसके सामने "फेवर/ अगेन्स्ट" का विकल्प दिखायी देगा.
4. अपने इच्छित विकल्प अर्थात "फेवर / अगेन्स्ट" का चयन कर अपना वोट दें. नियत (कट ऑफ) तारीख पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) "फेवर/ अगेन्स्ट" में प्रविष्ट करें.
5. आपके निर्णय के अनुसार "फेवर / अगेन्स्ट" में से उचित विकल्प का चयन करने पर 'सेव' क्लिक करें. तब एक "कन्फर्मेशन बॉक्स" प्रदर्शित होगा. अगर आप अपने वोटों की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "कन्फर्म" पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो "बैक" पर क्लिक कर अपने वोट में सुधार करें.
6. एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात, अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करना संभव नहीं होगा.

नोट :

"इन्स्टामीट" सुविधा के जरिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में जो शेयरधारक / सदस्य उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए बर्जित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने हेतु पात्र होंगे.

वार्षिक सामान्य बैठक से पूर्व जिन शेयरधारकों / सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दिया है, वे वार्षिक सामान्य बैठक में इन्स्टामीट सुविधा के जरिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित रहने / सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे. तथापि, वे बैठक के दौरान पुनः वोट देने हेतु पात्र नहीं होंगे.

यदि शेयरधारकों / सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6175 पर कॉल करें.

3. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुपालन में, बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पायें. बैंक द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 "सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा" पर, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए अपने डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया को सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों के लिए सक्षम किया गया है. व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता ("ईएसपी") के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा भी होगी. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें.

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 07 अगस्त 2022 को प्रातः 10.00 बजे से गुरुवार, 09 अगस्त 2022 को सायं 05.00 बजे तक है. इस अवधि के दौरान नियत (कट ऑफ) तारीख अर्थात बुधवार, 03 अगस्त 2022 को भौतिक रूप से या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं. तत्पश्चात, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की यह सुविधा बंद कर दी जाएगी.

डीमैट रूप / भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और लॉगिन पद्धति के लिए प्रक्रिया और निर्देश नीचे दिए गए हैं:

- डीमैट रूप / भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन नीचे दिया गया है: -

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- यदि शेयरधारक पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत है, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। इस पर ई-सेवाओं का मुख पृष्ठ खुलने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएस' सेक्शन पर उपलब्ध है। तब एक नई स्क्रीन खुलेगी। तब शेयरधारक को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग सेवाओं को देख सकेंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करने पर ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और शेयरधारक को ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। - यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तब पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीईएस" पोर्टल पर या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करके ऑनलाइन पंजीकरण करें। - एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। इस पर ई-सेवाओं का मुख पृष्ठ खुलने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "शेयरधारक / सदस्य" आइकन पर क्लिक करें, तब एक नई स्क्रीन खुलेगी। तब शेयरधारक को अपनी यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ अपनी सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडारेक्ट किया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग पेज देख सकता है। बैंक या लिंक इनटाइम के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल में सम्मिलित होने एवं बैठक के दौरान वोट करने के लिए वह ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in पर रीडारेक्ट किया जाएगा।
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	- विद्यमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी / ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी / ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और नए सिस्टम मायसी पर क्लिक करें। - ईजी / ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेंगे। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें। - यदि उपयोगकर्ता ईजी / ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। - वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com मुख पृष्ठ पर एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक) और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें	- शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। - लॉगिन करने के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। एक बार जब वह ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करता है, तो उसे सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है। बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए उन्हें ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडारेक्ट किया जाएगा।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	► इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ "शेयर धारक" टैब के अंतर्गत "साइनअप" पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरण के साथ पंजीकरण करें: - ए. यूजर आईडी: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक / सदस्य, कंपनी के साथ पंजीकृत इवेंट नंबर + फोलियो नंबर प्रदान करेंगे. बी. पैन: अपना 10-अंकीय स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें (जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) / कंपनी के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, आपको प्रदान की गई अनुक्रम संख्या यदि लागू हो का उपयोग करेंगे. सी. जन्मतिथि / निगमन तिथि: जन्म तिथि / निगमन तिथि प्रविष्ट करें (जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज किया गया है – तिथि / माह / वर्ष प्रारूप में) डी. बैंक खाता संख्या: अपनी बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) प्रविष्ट करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के पास प्रविष्ट है. ● भौतिक रूप में शेयर रखने वाले लेकिन उक्त 'सी' और 'डी' दर्ज नहीं किए गए शेयरधारक / सदस्य, ऊपर 'डी' में अपना फोलियो नंबर प्रदान करेंगे. ► अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष वर्ण (@!#\$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़े अक्षर का होना चाहिए. ► "कंफर्म" पर क्लिक करें (आपका पासवर्ड अब तैयार हो गया है). 1. 'शेयर धारक' टैब के अंतर्गत 'लॉगिन' पर क्लिक करें. 2. अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें. 3. सफल लॉगिन के बाद आप ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन देख पाएंगे. 'व्यू' आइकन चुनें. 4. ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा. 5. संकल्प विवरण देखें और अपने वांछित विकल्प 'पक्ष / विपक्ष' का चयन करके अपना वोट दें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'रिज़ॉल्यूशन देखें' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें). 6. वांछित विकल्प यानी पक्ष / विपक्ष का चयन करने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'हां' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नहीं' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

यदि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं:

- 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत 'लॉगिन' पर क्लिक करें और आगे 'फॉर्गेट पासवर्ड' पर क्लिक करें.
- उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें, मोड चुनें एवं चित्र सत्यापन कोड (कैप्चा) दर्ज करें. "सबमिट" पर क्लिक करें.

यदि शेयरधारक के पास वैध ईमेल पता है, तो पासवर्ड शेयरधारक के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा. अन्यथा, शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न और उत्तर, पैन, जन्म तिथि / डीओआई, लाभांश बैंक विवरण आदि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकता है और पुष्टि कर सकता है. (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, न्यूनतम एक विशेष वर्ण (@ !# \$&*), न्यूनतम एक अंक, न्यूनतम एक अक्षर और न्यूनतम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए)

नोट :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर मतदान के लिए किया जा सकता है.

यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं:

शेयरधारक / सदस्य जो यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें.

अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में दें

- सफल लॉग-इन के पश्चात, इन्स्टा वोट के होम पेज पर आपको ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन दिखायी देगा. वोट देने के लिए बैंक का "इवेंट नंबर" चयन करें या देखें(सिलेक्ट/व्यू).
- वोटिंग पेज पर आपको "रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखायी देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "फेवर/अगेन्स्ट" का विकल्प दिखायी देगा. उचित विकल्प अर्थात् इच्छानुसार "फेवर/अगेन्स्ट" का चयन कर अपना वोट दें.
कट ऑफ तारीख पर शेरर की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) "फेवर/अगेन्स्ट" में प्रविष्ट करें. आप "अलग रहना (अबस्टेन)" का विकल्प भी चुन सकते हैं, तो धारित शेरर्स "फेवर/ अगेन्स्ट" के लिए नहीं गिने जायेंगे.
- यदि आप पूरा संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो "व्यू रिजोल्यूशन" फाइल लिंक पर क्लिक करें.
- "फेवर/ अगेन्स्ट" में से उचित विकल्प का चयन करने पर आपने वोट देने का निर्णय लिया है तो 'सबमिट' पर क्लिक करें. एक "कन्फर्मेशन बॉक्स" दिखेगा. अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "हां (यस)" पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो "नहीं (नो)" पर क्लिक कर, अपने वोट में संशोधन करें.
- एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करना संभव नहीं है.
- आप वोटिंग पृष्ठ पर "प्रिंट" विकल्प का चयन कर, अपने दिये गये वोट का 'प्रिंट आउट' भी ले सकते हैं.

संस्थागत शेररधारकों के लिए दिशानिर्देश:

- संस्थागत शेररधारकों (अर्थात् वैयक्तिकों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में <https://instavote.linkintime.co.in> पर लॉग इन कर कस्टोडियन (म्युचुअल फंड/कॉर्पोरेट निकाय) के तौर पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा.
उन्हें बोर्ड का संकल्प / प्राधिकार पत्र/ मुख्तारनामा आदि की स्कैन की गयी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, साथ ही विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, पीडीएफ प्रारूप में "अभिरक्षक (कस्टोडियन/ म्युचुअल फंड/ कॉर्पोरेट निकाय) लॉग-इन में अपलोड करने होंगे, ताकि जांचकर्ता (स्क्रीटिनाइजर) उसे सत्यापित कर सकें.

सभी शेररधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- वोटिंग अवधि के दौरान शेररधारक उस विशिष्ट इवेंट के लिए संकल्प(ल्पों) हेतु वोट करने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं.
- विभिन्न फोलियों / डीमेट खाता रखनेवाले शेररधारक, प्रत्येक फोलियो / डीमेट खाते के लिए स्वतंत्र रूप से वोटिंग प्रक्रिया को चुन सकते हैं.
- डीमेट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेररधारकों के लिए हेल्पडेस्क:

यदि शेररधारकों / सदस्यों के पास डीमेट रूप में प्रतिभूतियों को रखने के लिए डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल / सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेररधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं.
सीडीएसएल के साथ डीमेट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेररधारक	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं.

- यदि शेररधारक / सदस्य भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को धारण करते हैं / संस्थागत शेररधारकों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया <https://instavote.linkintime.co.in>, पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न ("एफएक्यू") और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें, या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिखें या हमें कॉल करें:- दूरभाष:022-49186000
- शेररधारकों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख अर्थात् बुधवार, दिनांक 03 अगस्त, 2022 को बैंक की चुकता इक्विटी शेरर पूंजी में उनके शेररों के अनुपात में होंगे. तथापि, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर, बैंक का अन्य कोई भी शेररधारक उसके धारित शेररों के लिए बैंक के सभी शेररधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.
- ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 03 अगस्त 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है, सिर्फ वह रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा के लिए पात्र होगा.
- ऐसा व्यक्ति, जो बैठक की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बना हो तथा कट- ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 03 जुलाई 2023 को शेरर धारण करता हो, उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.
- इस नोटिस की एक प्रति बैंक की वेबसाइट और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.

VI. रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु, कंपनी सचिव एस. एन अनंथसुब्रमनियन एंड कंपनी को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

VII. जांचकर्ता ई-वोटिंग अवधि के समापन से दो (2) कार्य दिवसों की अधिकतम अवधि के भीतर कम से कम दो (2) गवाहों जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं की उपस्थिति में वोटों को अनब्लॉक करेगा और जांचकर्ता की रिपोर्ट चाहे वह पक्ष में अथवा विरुद्ध, जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जायेगी।

VIII. जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के दो (2) दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किया जायेगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 07 अगस्त, 2022 (रविवार) से 10 अगस्त, 2022 (बुधवार) (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

5. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा / होगी।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दिखाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा।

6. बैठक का परिणाम:

इस संकल्प को एजीएम की तारीख को बैंक के प्रधान कार्यालय में संकल्प के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मतों की प्राप्ति के अधीन पारित माना जाएगा।

7. बैठक का अभिलेख / कार्यवृत्त:

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम का कार्यवृत्त यथाशीघ्र निवेशक संबंध अनुभाग के तहत बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

8. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर्स संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने का पात्र होगा।

9. शेयरधारक बैठक के लिए बैंक की वेबसाइट से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।

10. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों को सूचना:

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें। आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा, जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है। शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि। साथ ही, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, भले ही आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों।

11. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या दूसरा (डुप्लीकेट) लाभांश वारंट / मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा बैंक पर लागू नहीं होगा। जिन शेयरधारकों का अदावाकृत लाभांश आईईपीएफ को हस्तांतरित कर दिया गया है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म नंबर आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक ऑनलाइन आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं। विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट वाले भाग को देखें और बैंक की वेबसाइट https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/FAQ_Information_for_shareholders.pdf पर निवेशक पृष्ठ पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।

व्यवसायिक विश्लेषण (₹ करोड़ में)

	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22
कुल व्यवसाय	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886	5,32,404
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%	4.30%	5.03%
कुल जमा	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	3,29,973	3,42,692
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%	5.17%	3.85%
कुल ऋण एवं अग्रिम	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913	1,89,712
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%	2.71%	7.23%
निवेश	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820	1,46,759
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%	(4.59%)
सीढ़ी अनुपात	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%	55.63
आस्तियों पर आय	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)	(0.26%)	0.30%

लाभप्रदता (₹ करोड़ में)

	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22
सकल आय	13,799	16,486	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	27,200	25,846	25,770
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	8.57%	(4.98%)	(0.29%)
सकल व्यय	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267	20,028
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.25%	(6.95%)	(5.83%)
परिचालन लाभ	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344	4,579	5,742
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%	5.41%	25.40%
शुद्ध लाभ/हानि	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)	(888)	1045
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%	(20.79%)	217.68%
निम (%)	1.86%	3.31%	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.80%	2.78%	3.21
शुद्ध व्याज आय	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245	9,487
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%	8.07%	15.06%
गैर व्याज आय	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637	3,116	2,968
वर्ष - दर - वर्ष वृद्धि	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73	(14.32%)	(4.75%)

*चालू वर्ष में वर्गीकरण की पुष्टि हेतु जहाँ भी आवश्यक है वहाँ मार्च 21 के आंकड़ों का पुरः परिकलन/पुनः समुहन किया गया है.

निदेशक रिपोर्ट 2021-22

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 532404 करोड़ रहा जो 31 मार्च 2021 को ₹ 506886 करोड़ था।
- » बैंक की कुल जमाराशि ₹ 342692 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च 2021 को ₹ 329973 करोड़ थी।
- » बैंक का कुल अग्रिम ₹ 189712 करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2021 को ₹ 176913 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 25770 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 25846 * करोड़ थी।
- » बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2022 को ₹ 2968 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3116* करोड़ थी।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ 25.40% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 5742 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 4579* करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक ने ₹ 1045 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। जबकि दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष के दौरान निवल हानि ₹ 888 करोड़ थी।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी व्यवसाय बढ़कर ₹ 17.15 करोड़ हो गया। जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में ₹ 16.50 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल – III के अनुसार) 13.84%@ रहा। जिसमें टीयर I - 11.48% तथा टीयर II - 2.36% रहा।
जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में सलाह दी है कि, बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद पूंजी अनुपात की गणना की है। एनपीवी के प्रभाव पर विचार किए बिना, टीयर I, टीयर 2 और सीआरएआर क्रमशः 13.39%, 2.36% तथा 15.75% है।)
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को नैट वर्थ ₹ 23801.85 करोड़ रही।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली में बेहतरी दर्शाते हुए (एनपीए की बिक्री सहित) ₹ 3266 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 2963 करोड़ थी।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम अनुपात में बेहतरी दर्शाते हुए 14.84% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को 16.55% था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को निवल एनपीए से निवल अग्रिम अनुपात में घटकर 3.97% हो गया। जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को 5.77% था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर

- 86.69% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को 82.54% था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) बेहतरी दर्शाते हुए 3.21% रहा। जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 2.78% था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 0.30% रहा।
- » वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन ₹ 93887 करोड़ रहा। तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एनबीसी को ऋण के आधिक्य का लाभ उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेन-देन किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 15528 करोड़ के पीएसएलसी की बिक्री की।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का कृषि ऋण ₹ 38635 करोड़ हो गया। जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 36207 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएमई अग्रिम पीएसएलसी के बिना ₹ 31438.55 करोड़ रहा और सिडबी में ₹ 264.04 करोड़ का तथा मुद्रा लिमिटेड में ₹ 31.65 करोड़ का निवेश है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का पीएसएलसी शून्य है।
- » दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिटेल ऋण बढ़कर ₹ 52226 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 49468 करोड़ था।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹ 30163 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 7.84% की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को कुल रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 57.75% रही।
- » बैंक ने देश के 9 राज्यों में यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, आरएसईटीआई ने 672 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 18589 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से 5501 (अर्थात 30%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्ववित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है। नियोजित अभ्यर्थियों की क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि 2879 अर्थात 16% रही।
- » बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2022 तक 2 राज्यों के 23 जिलों में 1174 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।
- » बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 10299 बीसी एजेंट को तैनात किया है बैंक ने 196 शहरी वित्तीय समावेशन खोले हैं। बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से ₹ 231.41 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकाशयुरेंस व्यवसाय से कुल ₹ 74.36 करोड़ की आय हुई।
- » दिनांक 31 मार्च, 2022 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4528

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

शाखाएं हैं जिनमें से 65% शाखाएँ ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में, 2976 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं।

2. आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

	31.03.2022	31.03.2021	विचलन	(₹ करोड़ में) %
1 व्याज आय	22802	22730	72	0.32
- अग्रिम	11501	11638	(137)	-1.18
- निवेश	9264	10009	(745)	-7.44
- अन्य	2037	1083	954	88.09
2 गैर व्याज आय*	2968	3116	(148)	-4.75
3 कुल आय (1+2)*	25770	25846	(76)	-0.29
4 प्रदत्त व्याज	13315	14485	(1170)	-8.08
- जमाराशि	12848	13994	(1146)	-8.19
- अन्य	467	491	(24)	-4.89
5 परिचालन व्यय	6713	6782	(69)	-1.02
- स्थापना	3927	4141	(214)	-5.17
- अन्य	2786	2641	(145)	5.49
6 कुल व्यय (4+5)	20028	21267	(1239)	-5.83
7 स्प्रैड (1-4)	9487	8245	1242	15.06
8 परिचालन लाभ (3-6)*	5742	4579	1163	25.40
9 प्रावधान*	4152	5467	(1315)	-24.05
10 कर के लिए प्रावधान	672	(436)	1108	-254.16
11. असाधारण मद (व्यय)	545	-	545	100
11 शुद्ध लाभ/(हानि) (8-9)	1045	(888)	1933	-217.68

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हुआ, आकड़ों की पुनर्गणना / पुनर्समूहन किया गया है।

3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹4152 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

	31.03.2022 (वि.व)	31.03.2021 (वि.व)	विचलन (₹ करोड़ में)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(222)	263	-184.41
एनपीए के लिए प्रावधान	2461	5176	-52.45
पुनर्संचित खातों के लिए प्रावधान	596	77	674.03
निवेश के लिए प्रावधान	646	357	80.95
करों के लिए प्रावधान	672	(436)	-254.16
अन्य	(1)	30	-103.33
कुल	4152	5467	-24.05

4. लाभप्रदता अनुपात

	31.03.2022 (वि.व)	31.03.2021 (वि.व)	(₹ करोड़ में)
जमाओं की लागत	3.86	4.35	
निधियों की लागत	3.92	4.43	
अग्रिमों पर आय	6.57	6.63	
निवेशों पर आय	6.27	6.63	
निदेश पर आय (ट्रेडिंग लाभ सहित)	6.59	7.53	
शुद्ध व्याज मार्जिन	3.21	2.78	
लागत आय अनुपात	53.90	59.70	

5. व्यावसायिक अनुपात

	31.03.2022 (वि.व.)	31.03.2021 (वि.व.)
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से ब्याज आय	6.65	6.67
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से गैर ब्याज आय	0.87	0.91
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) से परिचालन लाभ	1.67	1.34
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.30	(0.26)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	17.15	15.60
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	3.38	(2.74)

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, आकड़ों की पुनर्गणना / पुनर्समूहन किया गया है।

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूँजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नानुसार रहे:

	31.03.2022 (वि.व.)	31.03.2021 (वि.व.)
	बासल-III	बासल-III
टियर -I	11.48%	12.82%
टियर -II	2.36%	1.99%
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	13.84%	14.81%

* जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में सलाह दी है, बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के एनपीवी की गणना के लिए समायोजन के बाद पूँजी अनुपात की गणना की है। एनपीवी के प्रभाव पर विचार किए बिना, टियर 1, टियर 2 और सीआरएआर क्रमशः 13.39%, 2.36% तथा 15.75% है।

7. शुद्ध लाभ/हानि

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹1045 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर किसी प्रकार का लाभांश देने की संसुति नहीं की है।

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

दिनांक 23 मई, 2021 को कार्यालयीन समय की समाप्ति से श्री तपन रे अंश कालिक गैर- अधिकारी निदेशक, साथ ही गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, बैंक के निदेशक नहीं हैं।

दिनांक 30 जून, 2021 को कार्यालयीन समय की समाप्ति से सुश्री मिनी आइप, शेयर धारक निदेशक, बैंक की निदेशक नहीं है।

दिनांक 01 जुलाई, 2021 से श्री दिनेश पांगती शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी दिनांक 21 दिनसम्बर, 2021 से बैंक के गैर-अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के निदेशक पद से निवृत्त हुए श्री तपन रे तथा सुश्री मिनी आइप द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है।

9. व्हिसल ब्लोअर नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का "सेन्ट्रल ई व्हिसल ब्लोअर" नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ महाप्रबंधक - मानव संसाधन विभाग को ही ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।

10. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

दिनांक 13 जून, 2017 को जारी अपने पत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्च शुद्ध एनपीए और आस्तियों पर नकारात्मक प्रारूपों के आलोक में बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एससीबी के लिए संशोधित पीसीए ढांचे के तहत सभी मानकों को पूरा कर लिया है और बैंक पीसीए से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से काम करेगा।

11 व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है, इसके साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है।

12. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;

समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ/हानि का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;

भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं;

लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित है, और

सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से क्रियान्वित हैं।

13. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है।

14. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

एम वी राव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 27 जून, 2022

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मेसर्स/ **एस. जयकिशन**
सनदी लेखाकार
हो ची मिन्ह सरानी सूट नं 2 (डी, ई तथा एफ) 2रा माला,
कोलकाता - 7000 071.

मेसर्स/ **ए.एस. के. ए. एंड कं.**
(पहले अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बार्डेकर नाम से जाने जाते थे)
सनदी लेखाकार
501, मिराज आर्केड, गणेश मंदिर के सामने, ऑफ फडके रोड डोम्बीवली पूर्व,
मुंबई - 421 201

मेसर्स/ **छाजेड़ एंड दोशी**
सनदी लेखाकार
101, हबटाउन सोलारीस एन.एस. फडके मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई - 400 063.

मेसर्स/ **किशोर एंड किशोर**
सनदी लेखाकार
सी-7, सेक्टर - ई (न्यू), अलीगंज लखनऊ - 226 024.

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन के क्रम में

प्रति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

- यह प्रमाणपत्र हमारे सहबद्धता पत्र दिनांक 07 अक्तूबर, 2021 की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
- वर्ष 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) में संदर्भ के अनुरूप, समय-समय पर संशोधित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, इस रिपोर्ट में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक') द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का विवरण है।

सूचीकरण विनियमों की शर्तों के अनुपालन के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ उसके सभी प्रासंगिक सहायक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी परीक्षा उपर्युक्त सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
- सूचीकरण विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक उचित आश्वासन प्रदान करें कि क्या बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।
- हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट संशोधित 2016 ('मार्गदर्शन नोट') के अनुसार अपनी परीक्षा आयोजित की। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- हमने ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी, अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा संप्लुतता की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाले फर्मों के लिए लागू गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक (एसक्यूसी) 1 की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं, गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन किया है।

राय

- हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है।
- हम कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाण पत्र को बैंक के सदस्यों को केवल इस उद्देश्य के लिए संबोधित और प्रदान किया जाता है कि बैंक सूचीकरण विनियमों की आवश्यकता का पालन कर सके, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, हम किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाण पत्र दिखाया गया है या जिसके हाथ में यह हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, किसी भी दायित्व या किसी भी कर्तव्य को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं.

कृते **एस. जयकिशन**
सनदी लेखाकर
एफ आर सं. 309005ई

कृते **छाजेड एंड दोशी**
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 101794डब्लू

(सीए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईआरसीक्यूडब्ल्यू 4087

(सीए किरण के दफ्तरी)
भागीदार
सदस्यता सं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईक्यूझेडजेएन 8912

कृते **ए.एस.के.ए. एंड कं.**
सनदी लेखाकर
एफ आर सं. 122063 डब्ल्यू

कृते **किशोरी एवं किशोर**
सनदी लेखाकर
एफ आर सं. 000291एन

(सीए विजय शेलार)
भागीदार
सदस्यता सं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईक्यूझेक्यूके2052
दिनांक : 09.05.2022
स्थान : मुंबई

(सीए पी.आर. करंथ)
भागीदार
सदस्यता सं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईआरएवी7815

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म संख्या एमआर -3

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचिकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 24ए तथा सेबी परिपत्र: सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी 2019 के अनुसार]

प्रति,
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया,
चंद्रमुखी भवन, 9वां तल,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

मैंने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है और पाया है कि **सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया** (इसके पश्चात **बैंक** कहा गया है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों का पालन किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गई है कि इस पर मुझे कॉर्पोरेट संचालन / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन एवं अपनी टिप्पणियां व्यक्त करने हेतु उचित आधार दिया गया है।

बैंक की कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न एवं बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच, साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा करने के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करती हूँ कि मेरे विचार में, बैंक ने, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाले लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास इस के लिए और इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग के लिए उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं एवं अनुपालन-तंत्र हैं:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं इसके अधीन बने नियम, जिस सीमा तक बैंक पर लागू हो।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं इसके तहत बनाए गए नियम।
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं इसके अंतर्गत बनाये गए विनियम और उपनियम।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक उधार के लिए एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों; **(समीक्षाधीन अवधि में बैंक के लिए लागू नहीं)**

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अन्तर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश -

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सूचिकरण बाध्यताएं प्रकटीकरण अपेक्षाएं") विनियम, 2015 यथा संशोधित;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 यथा संशोधित;

(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 यथा संशोधित. **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय-बैक) विनियम, 2018. **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021; **(समीक्षाधीन वर्ष हेतु बैंक पर लागू नहीं)**

(एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (गैर- परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं उन्हें सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021; **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)** भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015; यथा संशोधित;

बैंक पर लागू निम्न अन्य अधिनियम:

- भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949.
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और उसके संशोधन.
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970.
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 1998.

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

- बोर्ड की बैठकों और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेन्ट्रल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 और बोर्ड बैठक और सामान्य बैठकों से संबंधित समय-समय पर संशोधित भारिबैंक /भारत सरकार द्वारा जारी अन्य लागू नियमों, विनियमों, परिपत्रों, जारी अधिसूचनाओं, के प्रावधानों का बैंक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।
- बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते.

मैंने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए,

बैंक द्वारा स्थापित तंत्र एवं व्यवस्था की भी समीक्षा की है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने उक्त के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं यह भी रिपोर्ट करती हूँ कि-

बैंक के निदेशक मंडल को बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9 (3) के तहत और कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशक और शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत नियुक्त किया गया है। तथापि, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 यथा संशोधित के खंड 17 (1) (ए) के तहत आवश्यकतानुसार बैंक के बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति का अनुपालन समीक्षाधीन अवधि के दौरान नहीं किया गया है। तथापि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है। बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत सरकार इसका प्रवर्तक है। निदेशक मंडल की संरचना उपर्युक्त बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत निर्देशित होती है। बैंक के बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक को छोड़कर सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामांकित किया जाता है और एक शेयरधारक निदेशक आरबीआई और भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्त और उचित मानदंडों को पूरा करता है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम की शर्तों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों द्वारा चुना जाता है। निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान पाये गए हैं, सेबी (एलओडीआर) के अनुसरण में बैंकिंग नियमों के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं।

बैंक के कार्यकलापों को बोर्ड और उसकी निम्नलिखित समितियों के माध्यम से प्रबंधित / शासित किया जाता है।

- 1) प्रबंधन समिति
- 2) लेखा परीक्षा समिति
- 3) स्टेकधारक संबंध समिति
- 4) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
- 5) मानव संसाधन समिति
- 6) जोखिम प्रबंधन समिति
- 7) बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए विशेष समिति
- 8) ग्राहक सेवा समिति
- 9) सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- 10) वसूली की निगरानी के लिए समिति
- 11) पूंजी संग्रहण समिति
- 12) सतर्कता समिति

- 13) असहयोगी उधारकर्ताओं की घोषणा के लिए समीक्षा समिति
- 14) इरादतन चूककर्ता की पहचान की समीक्षा के लिए बोर्ड की समिति
- 15) क्रेडिट अनुमोदन समिति
- 16) कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से भेजे जाते हैं और बैठक में एजेंडा मदों पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है ताकि बैठक में एक सार्थक सहभागिता हो सके।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी छूट के अधीन, बोर्ड की बैठकें और आम बैठकें तथा अन्य समिति की बैठकें वीडियो या ऑडियो-विजुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गईं और सभी बैठकों की सूचनाएं ई-मेल के माध्यम से भेजी गईं और उचित रिकॉर्डिंग को तदनुषंगी संदर्भ के लिए रखा गया है।

बैंक के निदेशक मंडल तथा उसकी समितियों की बैठक में परिपत्रों के द्वारा प्रस्तावों सहित निर्णयों पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई। समीक्षा की अवधि के अंतर्गत निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमति नहीं दर्शाई गई।

मैं आगे रिपोर्ट करती हूँ कि बैंक के आकार और परिचालन के अनुसार इनकी देखरेख सुनिश्चित करने के लिए लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त, मैं आगे रिपोर्ट करती हूँ कि समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक की निम्नलिखित प्रमुख विशिष्ट आयोजन या कार्रवाईयां थी जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक पर प्रभाव डाल सकती हैं :

1. बैंक ने 30 मार्च 2022 को आयोजित अपनी बैठक में चार संहिताओं/ नीतियों में संशोधन किया है यथा: संबद्ध पक्ष लेन-देन नीति महत्वपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं के निर्धारण और प्रकटीकरण पर नीति सेबी (अंदरूनी ट्रेडिंग पर रोक) के अनुसार अंदरूनी ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता एवं लाभांश वितरण नीति।
2. पूंजी संग्रहण समिति ने अपनी बैठक दिनांक 20 अप्रैल 2021 में ₹ 4800 करोड़ की पूंजी निधि जुटाने के लिए ₹ 10 अंकित मूल्य के 280,53,76,972 इक्विटी शेयर 17.11 प्रति शेयर निर्गम मूल्य, सेबी आईसीडीआर नियमन 2018 के अनुसार निर्धारित 7.11 प्रति शेयर प्रीमियम के साथ अधिमानी आधार पर शेयर धारकों, भारत सरकार के अनुमति के अधीन भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को जारी एवं आबंटित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
3. बैंक ने 18 मई 2021 को आयोजित अपनी असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका या ऐसे अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या विदेश में ₹ 4800/- (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़)

(प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) के मूल्य तक की संख्या में इक्विटी शेयरों के सृजित करने, प्रस्तावित करने, जारी करने और (ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों जिन्हें प्रचलित कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है को इस निर्गम के कतिपय अंश के सुनिश्चित और/या प्रतिस्पर्धी आधार पर आबंटन हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) आबंटित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया।

4. तदनुसार, पूंजी संग्रहण समिति ने अपनी 29 मई, 2021 को आयोजित बैठक में 280,53,76,972 इक्विटी शेयर जो कि ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ₹17.11 प्रति शेयर के मूल्य पर जारी किये गये थे जिसमें प्रीमियम ₹ 07.11 की राशि सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 के अनुसार निर्धारित की गयी थी को भारत के राष्ट्रपति (भारत शासन)को आबंटित किए गए.
5. बैंक ने सूचना ज्ञापन की शर्तों के अनुसार निम्न लिखतों को भुनाया जिसका अनुमोदन भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया.

भुनाने की तिथि	लिखत की प्रकृति	भुनाए जाने की राशि (₹ में)	उद्देश्य
21.12.2021	लोअर टियर II बांड श्रृंखला XIV (आईएसआईएन : आईएनई483A09245	500,00,00,000 (मूल राशि) 46,65,00,000 (ब्याज राशि)	सूचना ज्ञापन के खंड के अनुसार

6. सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकता), 2015 के विनियम 57(1) के अनुसरण में, बैंक ने निम्नलिखित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए ब्याज का भुगतान किया तथा मूल राशि अथवा ब्याज अथवा दोनों देय हो जाने पर इनकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को दी है.

क्र.	विवरण	देय दिनांक	ब्याज राशि	मूल राशि
1.	पात्र बांधधारकों को 9.40% की कूपन दर पर ₹139.10 करोड़ मूल्य के बेमियादी बॉन्ड सीरीज II (आईएसआईएन : आईएनई 483ए09252)	28.09.2021	₹ 13,07,54,000/-	लागू नहीं
2.	पात्र बांधधारकों को 9.80% की कूपन दर पर ₹500 करोड़ मूल्य के बेसल III अनुपालित टियर II बॉन्ड सीरीज IV (आईएसआईएन : आईएनई 483ए08023)	30.09.2021	₹ 49,00,00,000/-	लागू नहीं
3.	कॉल ऑप्शन के प्रयोग पर अनुपालित बेसल III टियर II बॉन्ड सीरीज I (आईएसआईएन : आईएनई 483ए09260)	08.11.2021	₹ 99,00,00,000/-	लागू नहीं
4.	लोअर टायर II बांड सीरीज XIV(आईएसआईएन : आईएनई 483ए09245	21.12.2021	₹ 46,65,00,000/-	₹ 500,00,00,000/-
5.	पात्र बांधधारकों को 8.62% की कूपन दर पर ₹500 करोड़ मूल्य के बेसल III अनुपालित टियर II बॉन्ड सीरीज II (आईएसआईएन : आईएनई 483ए09278)	07.03.2022	₹ 42,98,19,178/-	लागू नहीं
6.	पात्र बांधधारकों को 9.20% की कूपन दर पर ₹500 करोड़ मूल्य के बेसल III अनुपालित टियर II बॉन्ड सीरीज V (आईएसआईएन : आईएनई 483ए08031)	21.03.2022	₹ 46,00,00,000/-	लागू नहीं
7.	पात्र बांधधारकों को 10.80 % की कूपन दर पर ₹500 करोड़ मूल्य के बेसल III अनुपालित टियर II बॉन्ड सीरीज III (आईएसआईएन : आईएनई 483ए09286)	29.03.2022	₹ 54,00,00,000/-	लागू नहीं

कृते शालिनी पांडे एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

यूडीआईएन :एफओ10462डी000339109

दिनांक: 18/05/2022

स्थान: मुंबई

शालिनी पांडे

एफसीएस : 10462; सीपी : 20576

अनुलग्नक - I

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
चंद्रमुखी बिल्डिंग
9वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट
मुंबई - 400 021

इस तारीख की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के लिए लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है. इस सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करने के लिए मेरी जांच नमूना परीक्षण आधार पर अभिलेखों एवं प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी.
2. लागू कानूनों के सचिवीय एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है. मेरी जिम्मेदारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जो बैंक द्वारा रखे गए संबंधित अभिलेखों के लेखा परीक्षा एवं जिसे बैंक द्वारा मुझे आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ उपलब्ध कराया गया, पर आधारित है.
3. सचिवीय अभिलेखों की मदों की सत्यता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए मैंने लेखा परीक्षण की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है. यह जांच परीक्षण आधार पर की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में प्रदर्शित तथ्य सत्य हो. मुझे विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का मैंने पालन किया है, वे इस सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करने के लिए मेरे मत को यथोचित आधार प्रदान करते हैं.
4. मैंने बैंक के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
5. जहां भी आवश्यक था, मैंने कानूनों, नियमों, विनियमों एवं लेखा परीक्षण अवधि के दौरान होने वाली गतिविधियों के अनुपालन हेतु प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है.
6. यह सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है.

कृते शालिनी पांडे एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

यूडीआईएन : एफओ10462डी000339109

दिनांक: 18/05/2022

स्थान: मुंबई

शालिनी पांडे

एफसीएस : 10462; सीपी : 20576

निदेशकों के गैर - अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015) के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V पैरा सी के खंड (10) (i) के आलोक में)

प्रति,
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
चन्द्रमुखी बिल्डिंग
9वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट
मुम्बई - 400 021

मैंने **सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया**, जिसका पंजीकृत कार्यालय चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021 (इसके पश्चात इसे बैंक कहा गया है) जिनके पास सीआईएन (लागू नहीं) है के निदेशकों, से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियाँ और प्रकटीकरण की जाँच की है जिसे बैंक ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V पैरा सी के खंड (10) (i) सह पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत किए हैं।

मेरी राय में, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं आवश्यकतानुसार निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित सत्यापन तथा बैंक और इसके अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं यह प्रमाणित करती हूँ कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिए गए बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक पद पर नियुक्त होने या पद पर बने रहने से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय / वित्त मंत्रालय / भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा विवर्जित या अयोग्य करार नहीं किये गये हैं।

क्र सं	निदेशक का नाम	श्रेणी	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि	स्थगन की तिथि
1	तपन रे	गैर-कार्यकारी निदेशक	00728682	23-05-2018	23-05-2021
2	एम बी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	06930826	01-03-2021	-
3	आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	05123610	23-01-2019	-
4	विवेक बाही	कार्यपालक निदेशक	07490023	10-03-2021	-
5	राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक	07330989	10-03-2021	-
6	भूषण कुमार सिन्हा	गैर-कार्यकारी निदेशक	08135512	14-05-2018	-
7	पी जे थॉमस	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	*	28-09-2020	-
8	मिनी आइप	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	07791184	01-07-2018	30-06-2021
9	प्रदीप प्राणलाल खिमानी	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	*	21-12-2021	-
10	दिनेश पांगती	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	07517137	01-07-2021	-

नोट : * श्री पी जे थॉमस, बैंक के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित तथा श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी, स्वतंत्र निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित के पास कोई डीआईएन (निदेशक की पहचान संख्या) मौजूद नहीं है, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में नियुक्त निदेशक के लिये डीआईएन का होना अनिवार्य नहीं है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता की पात्रता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इस पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन तंत्र की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है।

कृते शालिनी पांडे एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

यूडीआईएन : एफओ10462डी000339109

शालिनी पांडे

प्रोपराइटर

एफसीएस : 10462; सीपी : 20576

दिनांक: 18/05/2022

स्थान: मुंबई

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(सेबी (सूचीकरण बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं के विनियम 2015) के विनियम 24 ए के अनुरूप परिपत्र क्रमांक सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के अनुसरण में)

प्रति,
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया,
चंद्रमुखी भवन
9वां माला, नरीमन पॉइन्ट
मुम्बई – 400021

1. मैंने निम्न जांच की है :

- (ए) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("सूचीबद्ध कंपनी") द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए सभी प्रलेख और अभिलेख तथा प्रदत्त स्पष्टीकरण.
- (बी) सूचीबद्ध कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में जमा की गई विवरणियाँ.
- (सी) सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट
- (डी) अन्य कोई दस्तावेज़/विवरणी, जो इस प्रमाणीकरण के आधार के तौर पर प्रासंगिक हो सकते हैं,

निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष (समीक्षा अवधि) के लिए

- (ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 ("सेबी अधिनियम") और उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश, एवं
- (बी) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") के नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश

2. विशिष्ट विनियम एवं उनके प्रावधानों के तहत जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों की जांच की गई जिसमें निम्न सम्मिलित हैं:

- (ए) यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015
- (बी) यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन) एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2018
- (सी) यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (एफ) संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय और मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (जी) संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- (एच) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं भारत सरकार (जीओआई) द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं और परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949.
- (आई) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं उसके संशोधन

(जे) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970

(के) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं बैठक) विनियम, 1998

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों की मेरी जांच एवं सत्यापन पर आधारित और बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर मैं एतद्वारा रिपोर्ट करती हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष की समीक्षाधीन अवधि के दौरान :-

(ए) नीचे दिये गए विनियमों को छोड़कर, सूचीबद्ध कंपनी द्वारा उपरोक्त विनियमों और परिपत्र / दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है

क्र	अनुपालन अपेक्षाएं (विशिष्ट खंड सहित विनियम/सं परिपत्र / दिशानिर्देश)	विचलन	कार्यरत कंपनी सेक्रेटरी के पर्ववेक्षण एवं टिप्पणियाँ

निरंक

(बी) उन अभिलेखों के मेरे परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि सूचीबद्ध कंपनी द्वारा उपरोक्त विनियमों और परिपत्र / दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत उचित अभिलेख रखा गया है

(सी) सूचीबद्ध कंपनी / उसके प्रवर्तकों / निदेशकों / महत्वपूर्ण अनुषंगियों के विरुद्ध "सेबी" या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, उपरोक्त अधिनियमों / विनियमों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई सहित)

क्र सं	निम्न के द्वारा की गई कार्रवाई	उल्लंघन विवरण की गई कार्रवाई जैसे दंड, चेतावनी पत्र, रोक आदि का विवरण	कार्यरत कंपनी सचिव के पर्यवेक्षण/टिप्पणियाँ यदि कोई हो

निरंक

(डी) पिछली रिपोर्ट में किये गए प्रेक्षणों के लिए, सूचीबद्ध कंपनी को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते शालिनी पांडे एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

यूडीआईएन : एफओ10462डी000339109

दिनांक: 18/05/2022

स्थान: मुंबई

शालिनी पांडे

एफसीएस : 10462; सीपी : 20576

प्रबंधकीय चर्चा एवं विश्लेषण

आर्थिक परिदृश्य

विश्व अर्थव्यवस्था

कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव से उबर रही विश्व अर्थव्यवस्था यूक्रेन-रूस युद्ध की शुरुआत के बाद भू-राजनीतिक तनाव से बाधित हो गई है। अभी भी चल रहे युद्ध ने वित्तीय बाजार, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों में उथल-पुथल मचा दी है, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार में संंध लगी है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वस्तुओं की उच्च कीमतों के कारण अब सबसे उन्नत और साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मुद्रास्फीति धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

उच्च मुद्रास्फीति ने केंद्रीय बैंकों को तत्परता से दरों में वृद्धि और अन्य बैलेंस शीट में कमी के उपाय करने के लिए मजबूर किया है इसके अलावा, चीन में कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि और आगामी लॉकडाउन ने आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर, आईएमएफ ने अप्रैल 2022 में जारी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अपने वैश्विक विकास अनुमानों को वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 दोनों के लिए वित्त वर्ष 21 में 6.1 प्रतिशत से घटाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया। यह पूर्वानुमान इस धारणा पर आधारित है कि युद्ध यूक्रेन और रूस तक ही सीमित रहेगा और रूस पर प्रतिबंध ऊर्जा क्षेत्र को कवर नहीं करेंगे और कोविड-19 का प्रभाव आगे चलकर कम होगा। विश्व व्यापार संगठन ने भी 2022 के लिए विश्व व्यापार वृद्धि के अनुमान को 1.7 प्रतिशत अंक घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, 28 अप्रैल 2022 को जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2022 की पहली तिमाही में 1.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से घट गया। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी ने निजी इन्वेंट्री निवेश, निर्यात, सरकारी खर्च में कमी को दर्शाया जबकि व्यक्तिगत उपभोग व्यय, गैर-आवासीय और आवासीय स्थाई निवेश में वृद्धि हुई। अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति 8.3 प्रतिशत पर बनी रही। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यूएस फेड ने मार्च 2022 में अपनी पहली दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की घोषणा की, जिसके बाद मई 2022 में 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई। दूसरी दर वृद्धि के पश्चात यूएस ट्रेजरी के 10 वर्षीय बान्ड से आय लगभग 3 प्रतिशत रही, जिसने 2 वर्षीय एवं 10 वर्षीय आय के अंतर को कम कर दिया जो आय में वक्रता का संकेत (मंदी का संकेत) दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा बाजार और शेयर बाजार में नवंबर 2021 से डो जोन्स और नास्डेक में लगभग 15 प्रतिशत के सुधार के साथ अत्याधिक अस्थिरता देखी गई है।

यूरोप में यूरोपीय संघ के सांख्यिकीय कार्यालय, यूरोस्टैट द्वारा 17 मई 2022 को प्रकाशित एक ताजा अनुमान के अनुसार, पिछली तिमाही की तुलना में आवधिक रूप से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद में यूरो क्षेत्र में 0.3% और यूरोपीय संघ में 0.4% की वृद्धि हुई। इस समय चल रहे युद्ध के कारण यूरोप को गंभीर व्यवधान का अनुभव होने की संभावना है। लगातार

उच्च मुद्रास्फीति और लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और बिगड़ गए हैं। ऊर्जा के बड़े आयातक होने के नाते, उच्च वैश्विक कीमतें अधिकांश यूरोपीय देशों के लिए व्यापार की नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कम उत्पादन और उच्च मुद्रास्फीति में परिवर्तन दर्शाती हैं, आईएमएफ के अनुसार, अपेक्षाकृत बड़े विनिर्माण क्षेत्रों सहित जर्मनी एवं इटली की अर्थव्यवस्थाओं में अत्याधिक गिरावट तथा ऊर्जा आयात में रूस पर अधिक निर्भरता के कारण 2022 में यूरो क्षेत्र की जीडीपी वृद्धि को संशोधित कर 2.8 प्रतिशत (जनवरी की तुलना में 1.1 प्रतिशत कम) कर दिया गया है

यूएस फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयों के अनुरूप, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी मौद्रिक नीति को कड़ा करना जारी रखा, लगातार तीसरी वृद्धि करते हुए मार्च में अपनी नीतिगत दर में 25 बीपीएस की वृद्धि की।

जापान के लिए, वास्तविक जीडीपी जनवरी-मार्च 2022 में पिछली तिमाही से 1.0% की वार्षिक दर से कम हो गई क्योंकि कोविड-19 प्रतिबंधों ने सेवा क्षेत्र को प्रभावित किया और यूक्रेन युद्ध और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों को प्रभावित किया।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्था ईएमई के बीच मार्च में के महीने में कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के बावजूद दूसरी तिमाही में चीन की जीडीपी में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ईएमई में ब्राजील ने अपनी नीतिगत दर में और 100 आधार अंक की वृद्धि की, इस कड़ी कार्रवाई से एक वर्ष में कुल संचयी वृद्धि 975 आधार अंक हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने लगातार तीसरी बार अपनी दर में 25 बीपीएस की वृद्धि की। नवंबर 2021 से कुल वृद्धि 75 बीपीएस हो गई। चिली, हंगरी और मैक्सिको ने भी मार्च 2022 में क्रमशः 150 बीपीएस, 100 बीपीएस और 50 बीपीएस की बेंचमार्क दरों में वृद्धि की।

भारत

मई 2022 में जारी अनंतिम अनुमान के अनुसार 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि 8.7 प्रतिशत होगी, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान (एसईई) के 8.9 प्रतिशत से 27 आधार अंक कम है साथ ही, 2019-20 के स्तर से 1.8 प्रतिशत अधिक है। आपूर्ति की दिशा में वास्तविक सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) सेवाओं सहित प्रमुख घटकों के साथ 2021-22 में 8.1 प्रतिशत बढ़ गया जो 2019-20 के स्तर से अधिक है।

मुद्रास्फीति संकेतक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जनवरी 2022 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर दर्ज किया गया है। भारत की प्रमुख मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 के 7.8% से थोड़ी सी घट कर मई में 7.04 प्रतिशत हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2022 में 40 तथा जून में 50 आधार अंकों की आश्चर्यजनक वृद्धि की घोषणा की। भारत की औसत वार्षिक सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2021 की 6.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2022 में 5.5 प्रतिशत हो गई

प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 में (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर औद्योगिक उत्पादन 7.1 प्रतिशत से बढ़ा जबकि कोविड पूर्व अप्रैल 2019 में यह 3.2 प्रतिशत था. खनन उत्पादन ने सालाना 7.8 प्रतिशत (अप्रैल 2019 में 7.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, विनिर्माण उत्पादन में 6.3 प्रतिशत (अप्रैल 2019 में 2.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि बिजली उत्पादन में क्रमशः 11.8 प्रतिशत (अप्रैल 2019 में 2.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, खनन और विनिर्माण उत्पादन के नेतृत्व में 2020-21 के दौरान 8.4 प्रतिशत कमी की तुलना में आईआईपी में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई. अप्रैल 2022 में विनिर्माण और सेवा दोनों पीएमआई बेहतर हुए, जो आर्थिक सुधार दर्शाते हैं.

भारत का समग्र निर्यात (माल एवं सेवाएँ) 2021-22 के दौरान 669.6 बिलियन अमरीकी डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जो 2020-21 की तुलना में 34.5 प्रतिशत अधिक है. भारत के सेवा निर्यात ने 2021-22 में \$250 बिलियन का लक्ष्य हासिल किया, जो 2020-21 की तुलना में 21.3 प्रतिशत की वृद्धि है.

बैंकिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल बैंक ऋण मार्च 2022 में वार्षिक आधार पर 9.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि मार्च 2021 में यह 4.6 प्रतिशत था. बैंकों ने कम ब्याज ऋण प्रदान करके उद्योगों को पर्याप्त सहायता प्रदान की है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी रेपो रेट को लंबे समय तक अपरिवर्तित रखा. जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि मार्च 2022 में घटकर 9.9 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 10.5 प्रतिशत थी, उद्योग और सेवा क्षेत्र के ऋण परिनियोजन में उल्लेखनीय सुधार हुआ. एससीबी द्वारा उद्योग और सेवा क्षेत्र को प्रदान किया गया ऋण क्रमशः 7.1 और 8.9 प्रतिशत तक बढ़ गया. महामारी के दौरान लगाए गए सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाले सेवा क्षेत्र की गतिविधि में अब तेजी आई है और कैलेंडर वर्ष 22 में और भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है. व्यक्तिगत ऋण खंड, जिसने 12.4 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि देखी है, तदपि, वह मार्च 2020 में महामारी से पहले के 15 प्रतिशत के विकास स्तर तक नहीं पहुंच पाया है.

बैंक का व्यवसायिक कार्य निष्पादन

31 मार्च, 2022 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹5,32,404 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2021 को ₹ 5,06,886 करोड़ था. उच्च लागत जमाराशियां 31 मार्च, 2021 के ₹68 करोड़ से बढ़कर अब 31 मार्च, 2022 को ₹75 करोड़ हो गई है.

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक का परिचालन लाभ ₹5,742 करोड़ रहा, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु यह ₹4,579 करोड़ था. बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹888 करोड़ की शुद्ध हानि के मुकाबले 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹1,045 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया.

संसाधन

उच्च लागत जमा में ₹ 7 करोड़ की वृद्धि सहित, 31 मार्च, 2022 तक कुल जमाराशि ₹ 3,42,680 करोड़ थी. बचत बैंक जमा राशि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ₹ 1,45,667 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 7.07% की वृद्धि सहित ₹ 1,55,965 करोड़ हो गई है. इसी तरह, चालू जमा राशि 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के ₹ 16,259 करोड़ से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 3.21% की वृद्धि सहित बढ़कर ₹ 16,781 करोड़ हो गई. कुल जमाओं में कासा जमाओं का हिस्सा 31 मार्च, 2022 तक बढ़कर 50.56% हो गया, जबकि 31 मार्च, 2021 को यह 49.24% था. कोर सावधि जमा 31 मार्च, 2021 के ₹ 1,66,883 करोड़ में 1.17% की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च, 2022 ₹ 1,68,836 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई है.

बैंक में इंड एस के कार्यान्वयन की रणनीति और प्रगति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी संख्या 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 में कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुशंसित विधायी संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन हैं और बैंकों में इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक टाल दिया गया है. तथापि, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित है, बैंक सितंबर 2021 से प्रत्येक छमाही में भारतीय रिज़र्व बैंक को इंड एस के प्रारूप में वित्तीय विवरण प्रेषित करता है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 अगस्त, 21 को अपने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि 21 सितंबर को समाप्त छमाही से शुरू होने वाले प्रारूप की परिवर्तित तारीख 1 अप्रैल, 2021 है.

बैंक ने एक इंड एस सलाहकार की सेवाएं लीं और एक कोर इंड एस टीम का गठन किया तथा इंड एस कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की. सलाहकार द्वारा हर बार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने से पहले इंड एस वित्तीय विवरण प्रारूप की जांच की जाती है और जानकारी के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सामने रखी जाती है.

नई पहल

- » प्रशिक्षण केंद्र "ब्रांड सेंट्रल" बनाने हेतु तैयार किए गए हैं.
- » पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ जवाबदेही नीति का पुनरावलोकन किया गया
- » सीपीएसी-पूर्व-वितरण ऋण समीक्षा तंत्र का कार्यान्वयन
- » निष्ठावान ग्राहकों से मिलने के लिए विशेष अभियान 'सेंट्रल कनेक्ट'.
- » भयमुक्त ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित ऋण शक्तियां और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन
- » को - लेंडिंग : ऋण वृद्धि में तेजी के लिए नया व्यापार कार्यक्षेत्र स्थापित किया गया.
- » कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को जानकारी साझा करने और मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए विशिष्ट मेल आईडी अर्थात greenchannel@Centralbank.co.in प्रारम्भ की गई.

- » बैंक की वेबसाइट को नया रूप नया रंग दिया गया
- » पुनर्निर्मित नेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग सुविधा शुरू की गई.
- » पंजीकरण और दावों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए सीजीटीएमएसई सेल का गठन
- » एमआईएस और एडीएफ प्रक्रियाधीन
- » नई बैंकिंग जरूरतों के लिए मिस्ड-कॉल सुविधा का प्रारम्भ

को-लेंडिंग

ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के तहत एमएसएमई इकाइयों के पूल बाय आउट और व्यापार प्राप्य छूट को, को-लेंडिंग के माध्यम से खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) के तहत अग्रिमों के विकास में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक ने महाप्रबंधक के अधीन विकासोन्मुख (को-लेंडिंग) व्यवसाय नाम का नया विभाग बनाया है.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत खुदरा, एमएसएमई और कृषि को उधार देने के लिए देश के सात प्रमुख एनबीएफसी/एचएफसी के साथ सह-ऋण (को-लेंडिंग) साझेदारी की है. वर्ष के दौरान को-लेंडिंग के फलस्वरूप अग्रिमों में वृद्धि निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2021-22 के दौरान स्वीकृत		31.03.2022 तक बकाया'	
	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	31.03.2022 के अनुसार बकाया राशि
खुदरा	13351	1588.98	12319	1304.28
एमएसएमई	1013	198.63	948	195.00
कृषि	5	1.68	5	0.93
कुल	14369	1789.29	13272	1500.21

वर्ष के दौरान पूल बायआउट के कारण अग्रिमों में वृद्धि निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2021-22 के दौरान स्वीकृत		31.03.2022 तक बकाया	
	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	31.03.2022 के अनुसार बकाया राशि
खुदरा	162188	1500.00	162184	1315.95

दिनांक 31.03.2022 को टीआईडीएस के तहत निष्पादन विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यवसाय ₹ 1972.10 करोड़ हुआ जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में ₹42.48 करोड़ का कारोबार हुआ है. कुल कारोबार ₹1972.10 करोड़ में से, कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत कारोबार ₹887.45 करोड़ है और पीएसयू श्रेणी के तहत यह ₹1084.65 करोड़ है. 31.03.2022 को कुल बकाया ₹484.34 करोड़ का है.

ऋण वैशिष्ट्य

- » बैंक का कुल सकल अग्रिम 31.03.2022 को 7.23% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 189712 करोड़ हो गया, जो 31.03.2021 को ₹176913 करोड़ था.
- » वित्तीय वर्ष के दौरान, कोविड से संबंधित चुनौतियों के बावजूद ₹35873 करोड़ का नया कॉर्पोरेट ऋण स्वीकृत किया गया.
- » ऋण नीति और मास्टर परिपत्रों को संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, ऋण जोखिमों के प्रबंधन, सिस्टम बनाने और अधिक प्रभावी और त्वरित निर्णय लेने को नियंत्रित करने के लिए अद्यतन किया गया.

- » बैंक को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ब्याज दरों का युक्तिकरण किया गया था.
- » सभी उधार खाते बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क नियामक सीमाओं के तहत लाए गए.
- » पीसीए दिशानिर्देशों के तहत बैंक के असुरक्षित एक्सपोजर को बेंचमार्क के भीतर रखा गया है.
- » कॉर्पोरेट ऋण में सीजीईसीएल को सभी पात्र कॉर्पोरेट खातों के लिए स्वीकृत किया गया था.
- » नियामक ढांचा - सभी पात्र कॉर्पोरेट खातों में ओटीआर लागू किया गया था.
- » हमारे कॉर्पोरेट ग्राहकों को हमारे बैंक के साथ उनके संबंधों से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय कार्यालय में सिंगल पॉइंट एक्सेस प्रदान करने हेतु ग्रीन चैनल की शुरुआत की गई .
- » एएए रेटेड उधारकर्ताओं के एक्सपोजर में वृद्धि के साथ पोर्टफोलियो का पुनः संरक्षण.
- » उधारकर्ता की बाहरी ऋण रेटिंग के डाउनग्रेडेशन के मामले में शुरू

किए जाने वाले कदमों/कार्यों के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया.

- » एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए सेंट इक्विपमेंट फाइनेंसिंग योजना शुरू की.
- » 2 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक की अवधि वाले ईबीएलआर लिक्विड उत्पादों का विस्तार.
- » सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों और अन्य सीसी/ओडी खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग प्रदान की गई है.
- » कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए सेन्ट ऋण गारंटी योजना.
- » सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए सेंट ऋण गारंटी योजना.
- » इथेनॉल आसवन को बढ़ाने के लिए परियोजना समर्थकों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिशानिर्देश सह पद्धति एवं प्रक्रिया.
- » नये ऋणों के सृजन को सुलभ बनाने हेतु एनबीजी दिशानिर्देशों तथा अधिग्रहण मानदंडों में संशोधन.

ऋण निगरानी और नीति विभाग

हमारे ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार के लिए, महाप्रबंधक की अध्यक्षता में ऋण निगरानी और नीति के लिए एक अलग विभाग कार्य कर रहा है. विभाग द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों और बड़ी शाखाओं में ऋण निगरानी समिति का गठन किया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि समिति की बैठकें समय-समय पर निम्नलिखित बिंदुओं सहित ऋण निगरानी से संबंधित सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की जाती हैं: -

- » माह के दौरान विभिन्न स्तरों पर प्रत्यायोजित ऋण शक्तियों के प्रयोग का मूल्यांकन
- » एसएमए खातों का मूल कारण विश्लेषण
- » ऋण समीक्षा तंत्र के अधीन खातों के कवरेज और बंद होने की स्थिति
- » उधार खातों में स्टॉक ऑडिट के संचालन की स्थिति
- » खातों के समीक्षा नवीनीकरण की स्थिति
- » प्रतिभूतियों के आवधिक निरीक्षण करने के स्थिति
- » प्रतिभूतियों की पूर्णतः की स्थिति
- » शीघ्र समाधान के लिए वित्तीय चूक से पहले ही खाते की रुग्णता / गंभीरताओं की पहचान करने के लिए समर्पित पोर्टल से उत्पन्न उधार खातों के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) का सत्यापन करना. इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं.
- » भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की जांच के लिए पूर्व चेतावनी संकेतों के पालन पर उधार खातों की रेड-फ्लैगिंग
- » निरंतर चल रहे बड़े मूल्य के उधार खातों के संचालन और लेनदेन की

निगरानी के लिए बैंकिंग प्रणाली से ₹ 250 करोड़ से अधिक जोखिम वाले खातों के लिए विशेष निगरानी एजेंसियों (एसएम) को लगाया जा रहा है.

- » अनुमानित / प्रक्षेपित निष्पादन की तुलना में वास्तविक व्यवसायिक निष्पादन की निगरानी हेतु बैंक में सूचीबद्ध कम्पनियों (₹ 1 करोड़ एवं अधिक) और अन्य (₹ 5 करोड़ एवं अधिक का कार्यशील पूंजी ऋण) के ऋण खातों की तिमाही समीक्षा हेतु एक तंत्र कार्यान्वित किया गया है.
- » रेटिंग की गतिशील समीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से ऋण खातों की जोखिम रेटिंग पर प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) का प्रभाव मूल्यांकन शुरू किया गया है.
- » विभाग ऋण सूचना कंपनियों एवं एनईएसएल (सूचना उपयोगिता) को ऋण खाता विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर रहा है.
- » विभाग अग्रिमों से संबंधित विभिन्न नियामक विवरण / एमआईएस समय पर जमा करना सुनिश्चित कर रहा है
- » विभाग सरसाई (सीईआरएसएआई) के साथ सुरक्षा हित के पंजीकरण की निगरानी कर रहा है.
- » विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऋण संबंधी नीतियों को भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार आदि द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुरूप अद्यतन किया जाए.
- » सीआरआईएलसी को डिफॉल्ट रिपोर्ट और उधार खातों की मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- » ₹5 करोड़ से अधिक एवं ₹25 करोड़ तक के एसएमए 1 और 2 खातों की टेम्प्लेट समीक्षा, ताकि चूक वाले खातों में उचित और समय पर कार्रवाई शुरू करने हेतु शाखाओं का मार्गदर्शन किया जा सके.
- » सभी 90 क्षेत्रीय कार्यालयों में ऋण प्रक्रिया और अनुमोदन केंद्र (सीपीएसी) की स्थापना की गई है. जिसका उद्देश्य ऋण निर्णय लेने में शाखाओं को सशक्त बनाने एवं शाखाओं को सुविधा प्रदान करने और मूल्यांकन और स्वीकृति से शुरू होने वाली सभी पूर्व-संवितरण गतिविधियों के एकल बिंदु सत्यापन की सुविधा प्रदान करने तथा सुरक्षा निर्माण, अन्य नियमों और शर्तों का अनुपालन सहित दस्तावेजीकरण इत्यादि है. सीपीएसी एक आधार के रूप में कार्य करेगा और सभी शाखाएं अपने क्षेत्र में कार्यरत सीपीएसी से जुड़ी हुई हैं.
- » समर्पित स्टाफ सदस्यों के साथ केन्द्रीय कार्यालय वार रूम के गठन से ₹ 1.00 करोड़ तक के सभी एसएमए खातों की अनुवर्ती कार्रवाई और स्लीपेज को कम करने में भी सहायता मिली है.

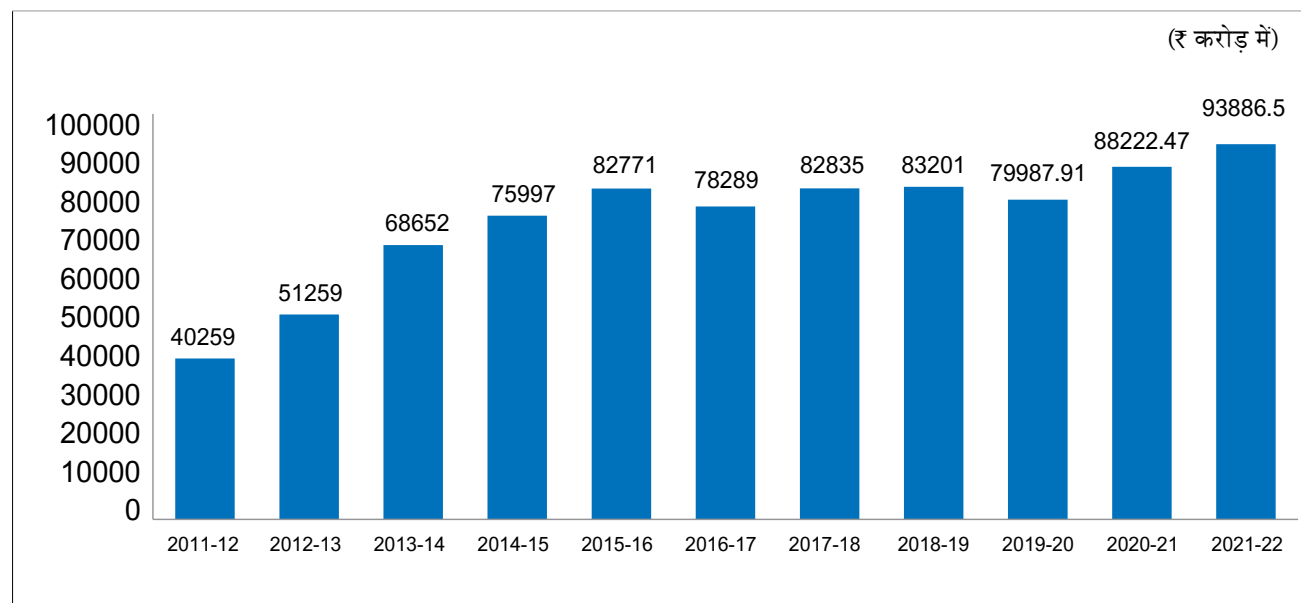
प्राथमिकता क्षेत्र

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% या तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार दिया जाना है. इसलिये इस क्षेत्र के तहत ऋण देना बैंक की प्राथमिकता है. 31.03.2022 (लेखापरीक्षित) की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न खंडों के तहत बैंक का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

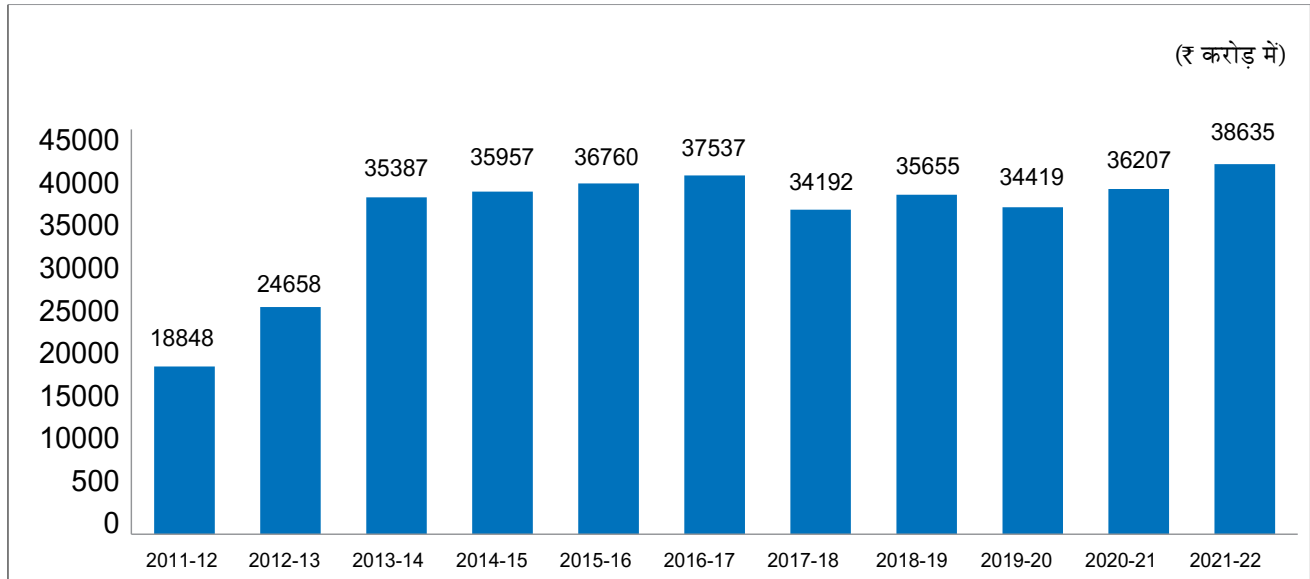
क्र.	विवरण	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-22	वृद्धि (%)
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	83201	79987.91	88222.47	93886.50	6.42%
	एएनबीसी की प्रतिशत उपलब्धि	47.22%	45.07%	51.96%	44.08%	
2	कुल कृषि अग्रिम	35655	34419.4	36206.99	38635.40	6.71%
	एएनबीसी की प्रतिशत उपलब्धि	20.24%	19.54%	21.32	19.79%	
3	एमएसएमई	31036	29250.15	32356.43	34138.55	5.51%
4	शैक्षणिक ऋण	2522	2341.42	2724.77	2485.20	-8.79%
5	आवास ऋण (25 लाख रुपये तक)	13956	13939.37	16744.07	18503.23	10.51%
6	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	20	17.51	24.77	13.14	-46.95%
7	ऊर्जा नवीकरण	0	0	2.35	2.25	-4.26%
8	सामाजिक अवसंरचना	8	7.22	153.15	104.40	-31.83%
9	निर्यात ऋण	5	12.84	9.93	4.33	-56.39%

प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण परिनियोजन 2021-22 के दौरान बढ़कर ₹ 93886.50 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5664.03 करोड़ की वृद्धि दर्ज करता है तथापि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में एएनबीसी पर अत्यधिक उधार का लाभ उठाने के लिए, बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री लेनदेन किया। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ₹ 15528.00 करोड़ मूल्य के पीएसएलसी बेचे (सामान्य पीएस के तहत 10500 करोड़, छोटे और सीमांत किसानों के तहत 5028 करोड़) दिनांक 31.03.2022 तक प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ₹ 2671.54 करोड़ का बकाया आरआईडीएफ है, जिसमें ₹ 2092.97 करोड़ कृषि क्षेत्र के तहत है।



कृषि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल कृषि ऋण 31 मार्च, 2021 को ₹ 36206.99 करोड़ के स्तर से ₹ 2428.41 करोड़ बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक ₹ 38635.40 करोड़ हो गया। समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) में कृषि ऋण निर्धारित 18% लक्ष्य के प्रति 19.79% प्राप्त किया गया है।



बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामिण विकास के क्षेत्र में प्रस्तुत किये गये मुख्य उत्पादों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	विवरण
1	सेंट किसान क्रेडिट कार्ड	फसलों की खेती / फसल कटाई के बाद के खर्चों / उत्पादों के विपणन / उपभोग की आवश्यकता / कृषि से संबद्ध गतिविधियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी / कृषि के लिए निवेश ऋण आवश्यकता के लिए और संबद्ध गतिविधियों के लिये एकल खिड़की ऋण प्रदान करना.
2	सेंट एग्री गोल्ड लोन	सोने के गहने और हमारे बैंक द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के को गिरवी रखकर कृषि और संबद्ध गतिविधियों में त्वरित वित्त फसल उत्पादन और निवेश ऋण.
3	सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज	एसएचजी को उधार - परिक्रामी नकद उधार / सावधि ऋण.
4	डीएवाई-एनआरएलएम	मिशन मोड के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण के लिए एमओआरडी द्वारा शुरू की गई योजना.
5	सेंट एएमआई (कृषि विपणन संरचना) योजना	कृषि के विपणन योग्य अधिशेष का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी, ग्रेडिंग, मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, वैज्ञानिक भंडारण सुविधा के निर्माण के साथ विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण और संबद्ध क्षेत्र हेतु वित्त प्रदान करना .
6	सेंट पाली हाउस, ग्रीन हाउस शेड- नेट हाउस	उच्च गुणवत्ता वाली व्यवसायिक बागवानी फसलों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता
7	सेंट डेयरी	दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी इकाइयों की स्थापना.
8	सेंट एग्री क्लिनिक / एग्री बिजनेस	योजना के अनुसार आवश्यक योग्यता और रुझान वाले अभ्यर्थियों को कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय केन्द्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना.
9	सेंट फार्म मशीनरी	ट्रैक्टर ट्रैलरों और अन्य कृषि के उपकरण के लिये वित्त प्रदान करना
10	सेंट किसान साथी	कर्जदार किसानों को साहूकारों, दलालों आदि को देय उनकी बकाया राशि को कम करने में मदद करना.
11	सेंट अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति के तहत कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता.
12	सेंट पोल्ट्री	कुक्कुट फार्म इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए वित्त.
13	सेंट फिशरी	पारंपरिक और वाणिज्यिक मछली पकड़ने की गतिविधि के लिए वित्त
14	सेंट एग्री इंफ्रा	फसलोत्तर प्रबंधन के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा प्रदान करना
15	सेंट सोलर-पीएमकुसुम योजना	विकेन्द्रीकृत भूमि/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड से जुड़े सौर अथवा अन्य नवीकृत ऊर्जा आधारित एसओओ किलो वाट से 2 मेगावाट की क्षमता वाले शक्ति केन्द्र की स्थापना हेतु कृषकों / 500 / कृषक सहकारी संस्थाओं को वित्त प्रदान करना
16	सेंट विश्वास	कम ब्याज दर पर (i) व्यक्तिगत एससी / ओबीसी लाभार्थियों को ₹ 2.00 लाख तक (ii) एससी/ ओबीसी लाभार्थियों के एसएचजी को ₹ 4.00 लाख तक वित्त प्रदान करना

क्र.	योजना का नाम	विवरण
17	सेंट एनिमल हसबैंडरी इंफ्रा	(i) डेयरी प्रसंस्करण एवं मूल्य संबंधित अवसंरचना (ii) मांस प्रसंस्करण मूल्य संबंधित अवसंरचना और (iii) पशु चारा प्लांट के लिए मध्यम अवधि के वित्त प्रदान करना.
18	सेंट एफपीओ	किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक सहकारी (एफपीसी) ₹ 5.00 करोड़ तक का वित्त प्रदान करना.
19	सेंट एफआईडीएफ	मछली पकड़ने और मछली पालन के बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्रदान करना और फसल के बाद के नुकसान को कम करना
20	सेंट पीएमएफएमई योजना	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्रदान करना
21	सेंट कोल्ड स्टोरेज	कोल्ड स्टोरेज / वेयरहाउस इकाइयों की अधिकतम ₹ 50.00 करोड़ तक की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए कृषि उत्पादों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	योजना का नाम	विवरण
1	सेंट कोल्ड स्टोरेज	कोल्ड स्टोरेज / वेयरहाउस इकाइयों की अधिकतम ₹ 50.00 करोड़ तक की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करना.
2	एसआरएमएस	कृषि / सेवा / औद्योगिक / परिवहन और स्वच्छता आधारित उपकरणों की गतिविधि के लिए अभिचिह्नित हाथ से मैला ढोने वालों / सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को ऋण / सीमा प्रदान करना.

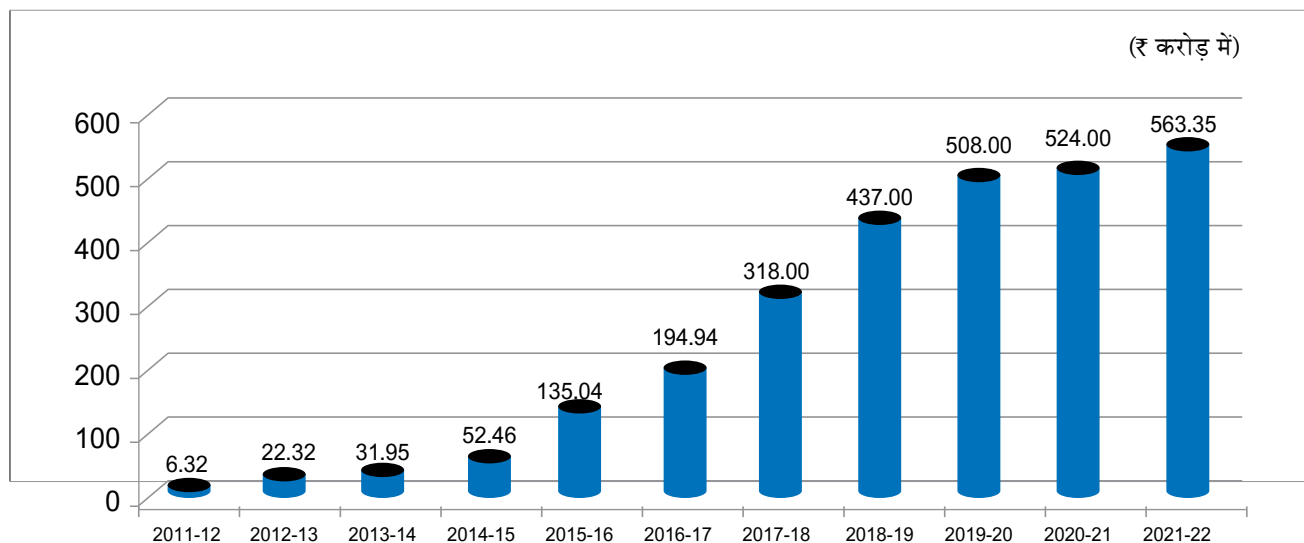
कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को तेज करने के लिए चलाये गये विशेष

- » सभी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं ने नए कृषि ऋणों को प्रचारित एवं स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक महीना न्यूनतम एक मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया.
- » सभी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं ने एसएचजी बैंक सम्बद्धता के लिए विशेष ऋण कैम्प आयोजित किए.
- » बैंक ने 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) के तहत पात्र उधारकर्ता किसानों को फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित किया और गैर-उधारकर्ता किसानों को फसल बीमा कवरेज के लिए प्रचार किया.
- » वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने कृषि के तहत निवेश ऋण पर जोर दिया है. बैंक ने छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया है.
- » सभी ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी शाखाओं ने किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए, किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत ऋण प्रवाह में सुधार के साथ-साथ इसके कवरेज के लिए ग्राम स्तरीय साप्ताहिक शिविर आयोजित किए.

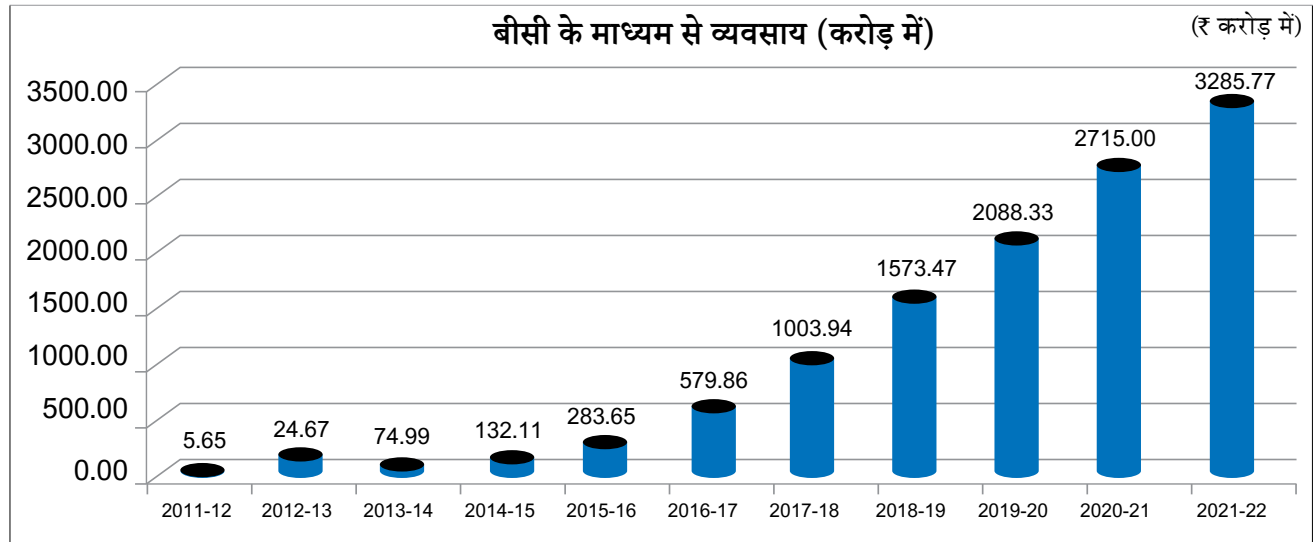
वित्तीय समावेशन (एफआई)

बैंक ने 10299 बीसी एजेंटों को नियुक्त कर, 24311 गांवों को कवर किया है और हमने 884 शहरी वित्तीय समावेशन केन्द्र भी खोले हैं.

लेन-देनों की संख्या (लाख में)

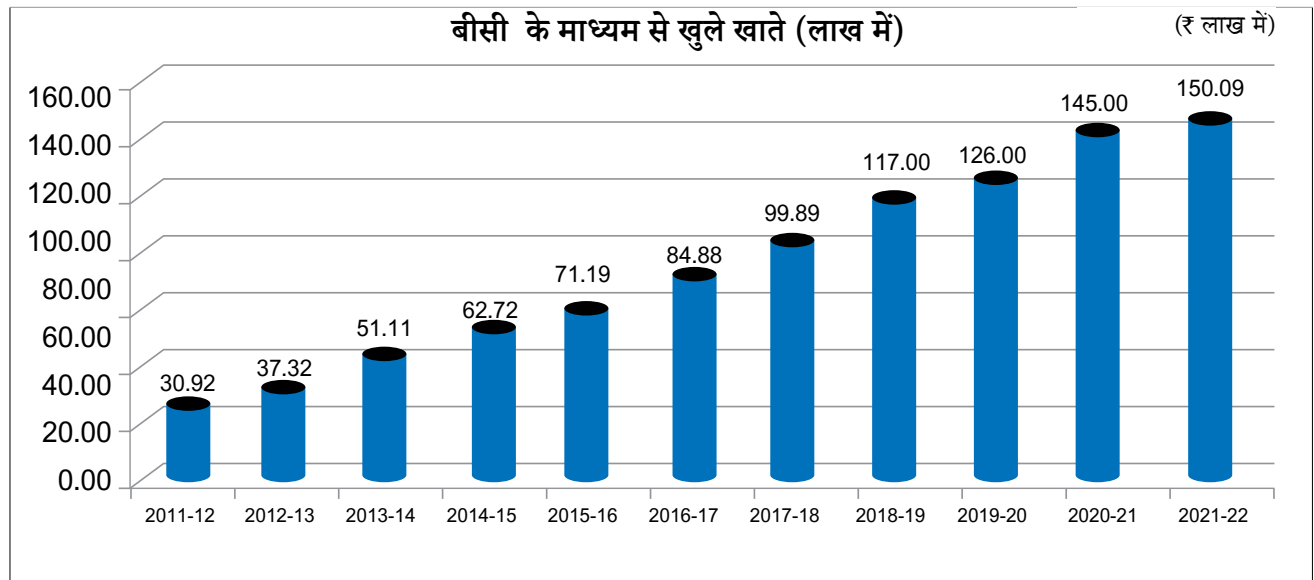


वित्तीय वर्ष 2020-21 में बीसी के माध्यम से खुले वित्तीय समावेशन खातों में ₹ 524.00 लाख के लेन-देन बढ़कर, वित्तीय वर्ष 2021-22 में (वर्ष-दर-वर्ष 7.51% की वृद्धि) ₹ 563.35 लाख हो गए.



बीसी के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2021 का व्यवसाय 2715.00 करोड़ से बढ़कर, दिनांक 31 मार्च, 2022 को 3285.77 करोड़ (वर्ष-दर-वर्ष 21.02% की वृद्धि) हो गया.

बीसी के माध्यम से खुले खाते :



बीसी के माध्यम से खुले खाते दिनांक 31 मार्च, 2021 के 145.00 लाख बढ़कर, दिनांक 31 मार्च, 2022 को 150.09 लाख (वर्ष-दर-वर्ष 3.51% की वृद्धि) हो गए.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एफआई-पीएमजेडीवाय के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

बीसी शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय 21.02 % से बढ़कर, 2715.00 करोड़ से 3285.77 करोड़ हो गया. कुल एफआई व्यवसाय 13.85% से बढ़कर, 4955.00 करोड़ से 5641.06 करोड़ हो गया. पीएमजेडीवाय खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत 83.97% से बढ़कर 86.24% हो गया एवं सभी परिचालित कासा खाते 88.30% से बढ़कर 90.34% हो गए. शून्य शेष वाले पीएमजेडीवाय खातों की संख्या 39.76% से घटकर, 18,44,633 से 11,11,187 हो गई.

दिनांक 31.03.2021 को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दर्ज नामांकन की तुलना में, दिनांक 31.03.2022 को कुल नामांकन में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

सामाजिक सुरक्षा योजना	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वृद्धि%
पीएमजेबीवाई	17,49,860	19,23,653	09.93%
पीएमएसबीवाई	51,53,219	55,74,581	08.18%
एपीवाई	12,32,446	15,81,162	28.29%

पीएमजेबीवाई के तहत 12946 मृत्यु दावों में से, 12690 दावों का निपटारा किया गया है और पीएमएसबीवाई के तहत 3403 मृत्यु दावों में से 2963 दावों का निपटारा किया गया है और अन्य दावों को अस्वीकृत किया गया है / बीमा कंपनियों के विचाराधीन हैं।

अग्रिम बैंक के अंतर्गत कार्य-निष्पादन.

हमारे पास सात राज्यों में स्थित 51 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है; इनमें मध्य प्रदेश (18), बिहार (10), महाराष्ट्र (7), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (4), राजस्थान (3) एवं छत्तीसगढ़ (4) शामिल हैं। कुल व्यवसाय का 50% से अधिक एवं हमारी कुल शाखाओं का लगभग 25% भाग इन राज्यों के अग्रणी जिलों में है। अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालय, पर्याप्त रूप से व्यवस्थित एवं समुचित स्टाफ और बुनियादी संरचना जैसे स्वतंत्र / अच्छे परिसर, वाहन, कंप्यूटर / लैपटॉप और प्रिंटर, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, ई-मेल आईडी, मोबाइल से सुसज्जित हैं।

बैंक के विभिन्न उत्पादों से जनता/लोगों को अवगत कराने के लिए, हमने एलडीएम को प्रदत्त वाहनों में ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित किसान ऋण कार्ड, सेन्ट्रल आर्टीजन ऋण कार्ड, स्वाभिमान / आधार इत्यादि से सम्बंधित कुछ उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। सभी विकासात्मक गतिविधियां जैसे वित्तीय साक्षरता / वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, आर-सेटी में नियोजित ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, एसएचजी / किसान-क्लब / जेएलजी का पूरा कार्यान्वयन, सर्वांग सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए ऋण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

हमने 7 राज्यों में 48 एफएलसीसी खोले हैं; मध्य प्रदेश (18), बिहार (10), महाराष्ट्र (7), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), राजस्थान (3) और छत्तीसगढ़ (2) और केरल राज्य में ब्लॉक स्तर पर 4 तथा बिहार राज्य के दरभंगा जिले में ब्लॉक स्तर पर 5 एफएलसीसी है। हमने 6 राज्यों में 85 सीएफएल खोले हैं अर्थात् बिहार (28), मध्य प्रदेश (27), उत्तर प्रदेश (12), छत्तीसगढ़ (9), पश्चिम बंगाल (5), राजस्थान (4) व्यापक प्रचार-प्रसार और वैयक्तिक परामर्श दोनों किये जा रहे हैं।

बैंक ने शुरू किए विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, जनता के बीच जागरूकता लाने और उन्हें लाभ प्राप्त करने के अवसर देने के लिए, उन्हें पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं एलसीडी से युक्त वाहन उपलब्ध कराए हैं। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर का उत्थान किया जा सके। इसके अलावा, जब हम परामर्श देते हैं तब साक्षरता सामग्री, किट, किताबें आदि प्रदान करते हैं तथा गांवों का दौरा करते हैं।

ग्रामीण स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी)

देश के 9 राज्यों में 46 आर-सेटी हैं अर्थात् मध्य प्रदेश(18), बिहार(9), महाराष्ट्र(6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), उड़ीसा(1) और असम (1) में हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, इन आर-सेटी ने 578 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 12678 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया। इसमें से 8874 (अर्थात् 70%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन भुगतान और स्व-वित्त के माध्यम से उनका कार्य पूरा किया। इन 7888 सुस्थापित उम्मीदवारों ने यानि 62% ने ऋण सम्बद्धता हासिल की।

अन्य पहलें :

हमारे बैंक ने आर-सेटी और एफएलसीसी के संचालन और कामकाज को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करने के लिए "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआई-एसयूएपीएस) के नाम से एक सोसाइटी / ट्रस्ट की स्थापना की है। हमने शीर्ष स्तर पर आर-सेटी और एफएलसीसी के मामलों एवं कार्यों पर समग्र रूप से नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है, जिसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एण्ड सीईओ) को संरक्षक के रूप में, कार्यपालक निदेशक को अध्यक्ष के रूप में और महाप्रबंधकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

एमएसएमई विभाग

एमएसएमई व्यवसाय के सक्रिय उत्पाद :

1	सेन्ट बिजनेस
2	सेन्ट मॉर्गेज
3	सेन्ट कॉन्ट्रेक्टर
4	सेन्ट मुद्रा
5	जनरल एमएसएमई (आईबीए फार्मेंट)
6	सेन्ट ट्रेड
7	स्टैंड-अप इंडिया
8	सेन्ट डब्ल्यूएचआर
9	एनयूएलएम
10	सेन्ट बुनकर मुद्रा
11	पीएम स्वनिधि
12	सेन्ट कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट फायनेंस
13	कमीशन एजेंट एवं आढ़तियों के लिए, सेन्ट ट्रेड स्कीम
14	सेन्ट बिजनेस गोल्ड लोन योजना
15	सेन्ट शॉप
16	एसआरटीओ (परिवहन परिचालक)
17	सेन्ट कल्याणी
18	सेन्ट रेंटल

19	सेन्ट सिरेमिक
20	सेन्ट होजरी/टेक्सटाइल योजना
21	पीएमईजीपी
22	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना – एम.पी.
23	सेन्ट व्हीकल बिजनेस
24	सेन्ट प्रगति
25	सेन्ट हेल्थकेयर
26	सेन्ट जीवक
27	कोविड प्रभावित क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना
28	सेन्ट्रल लघु उद्यमी ऋण कार्ड
29	सेन्ट कस्टम हायरिंग सेन्टर (एम.पी.)
30	अनुसूचित जातियों के लिए, ऋण इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम
31	सेन्ट संजीवनी
32	सेन्ट शॉप कोटा
33	इंदिरा गांधी शहरी ऋण कार्ड योजना - राजस्थान
34	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (केवल मध्य प्रदेश)
35	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (केवल मध्य प्रदेश)
36	मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (केवल मध्य प्रदेश)
37	सेन्ट ट्रेड्स

निम्नलिखित एमएसएमई उत्पादों को बंद कर दिया गया है.

- » सेन्ट सहयोग
- » सेन्ट प्रोत्साहन
- » सेन्ट प्रोसपैरिटी (अल्पसंख्यक समुदाय हेतु)
- » सेन्ट मत्स्य कन्या (महिला मछुआरों हेतु)
- » सेन्ट आर्टिसन क्रेडिट कार्ड
- » सेन्ट कास्टिंग एंड फोर्जिंग
- » सेन्ट प्रोफेशनल
- » सेन्ट गति धारा (पश्चिम बंगाल राज्य हेतु)
- » केरल राज्य में वापस लौटे अनिवासियों के वित्त हेतु सेन्ट रिटर्ड एनआरआई बिजनेस लोन स्कीम
- » सेन्ट जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट
- » सेन्ट डॉक्टर
- » सेन्ट डेंटिस्ट
- » सेन्ट सरल बिजनेस
- » सेन्ट व्यापारी

एमएसएमई कार्य-निष्पादन :

विवरण	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	(₹ करोड़ में)	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	पीएसएलसी रहित वर्ष-	पीएसएलसी सहित वर्ष-
	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी के बिना रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	दर-वर्ष वृद्धि का %	दर-वर्ष वृद्धि का %
सूक्ष्म उद्यम	10597	13733	14109	14109	16980	16980	20.35%	20.35%
एमएसई	26717	29853	29963	29963	31379	31379	4.73%	4.73%
एमएसएमई (पीएस)	30233	33369	32845	32845	34433	34433	4.83%	4.83%
कुल एमएसएमई	30233	33369	32845	32845	34433	34433	4.83%	4.83%

विवरण	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	(₹ करोड़ में)	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	पीएसएलसी रहित वर्ष-	पीएसएलसी सहित वर्ष-
	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित*	पीएसएलसी के बिना रहित	पीएसएलसी सहित**	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित**	दर-वर्ष वृद्धि का %	दर-वर्ष वृद्धि का %
कुल व्यवसाय का एमएसएमई अग्रिम का %	17.55%	19.37%	18.27%	18.56%	19.46%	19.46%	4.83%	4.83%
भारतीय रिजर्व बैंक अधिदेश (प्रधान मंत्री कार्य बल)	31.03.2020	(लेखापरीक्षित)	31.03.2021	(लेखापरीक्षित)	31.03.2022	(लेखापरीक्षित)	लक्ष्य मार्च-22	
सूक्ष्म उद्यम के खातों की संख्या.	878407		925742		867652		1018316	
सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत खातों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	8.04%		5.38%		-6.27%		10%	

भारतीय रिजर्व बैंक अधिदेश (प्रधान मंत्री कार्य बल)	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	(₹ करोड़ में)	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	पीएसएलसी रहित वर्ष-	पीएसएलसी सहित वर्ष-
	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी सहित	दर-वर्ष वृद्धि का %	दर-वर्ष वृद्धि का %
एमएसई पोर्टफोलियो (राशि)	26717	29853	29963	29963	31379	31379	NA	
एमएसई के तहत वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि का %	-5.51%	-12.62%	12.14%	0.36%	4.72%	4.72%	20%	
एमएसई ऋण का सूक्ष्म ऋण का %	37.48%	40.20%	52.80%	47.26%	54.11%	54.11%	60%	

सूक्ष्म उद्यम के तहत कार्य-निष्पादन :

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.21 को वकाया सूक्ष्म उद्यम	दिनांक 31.03.21 को वकाया सूक्ष्म उद्यम	दिनांक 31.03.22 को वकाया सूक्ष्म उद्यम	दिनांक 31.03.22 वकाया सूक्ष्म उद्यम	मार्च-21 को	मार्च-22 को	दिनांक 31.03.21 की स्थिति	दिनांक 31.03.21 की स्थिति	दिनांक 31.03.22 की स्थिति	दिनांक 31.03.22 की स्थिति	लक्ष्य मार्च-22
पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	एएनबीसी (करोड़ में)	एएनबीसी (करोड़ में)	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	पीएसएलसी रहित	(एएनबीसी का 7.50%)
14109	14109	16980	16980	157598	167598	8.95%	8.95%	10.13%	10.13%	12570.00

संकेतक	विवरण
कार्य-निष्पादन वैशेष्य	» पीएसएलसी रहित, एमएसई का सूक्ष्म ऋण का प्रतिशत 54.11 % है » बैंक ने सूक्ष्म ऋण के तहत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 20.34 % हासिल की है। » पीएमएमवाय के तहत हमारे बैंक की उपलब्धि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य का 109.59 % है। जबकि मार्च 2022 को ₹ 4400 करोड़ का लक्ष्य था और हमारे बैंक ने नई मंजूरी के तहत ₹4822.33 करोड़ की उपलब्धि हासिल की।
हमारी पहल	» रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया गया। » ईसीएलजीएस विस्तार योजनाओं को लागू किया गया। » हेल्थ केयर क्षेत्र के लिए, सेन्ट संजीवनी योजना शुरू की गई। » सेन्ट हेल्थकेयर स्कीम, सेन्ट जीवक, सेन्ट प्रगति, को-लेंडिंग, सेन्ट व्हीकल बिजनेस, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, राजस्थान के लिए इंदिरा गांधी शहरी ऋण कार्ड योजना, सेन्ट शॉप कोटा लॉन्च की गई। » को-लेंडिंग के तहत वित्तपोषण के लिए एनबीएफसी के साथ गठजोड़।
भावी योजनाएं	» इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, हमारा प्रमुख ध्यान मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, केवीआईसी / पीएमईजीपी योजनाओं के तहत ऋण और सेन्ट बुनकर मुद्रा योजना के तहत वित्त प्रदान करने पर है। » आवश्यकतानुसार उत्पादों के माध्यम से समूह आधारित वित्तपोषण करना। » भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी पात्र खातों के पुनर्गठन के लिए तथा एसएमए-2 खातों के उन्नयन हेतु सघन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। » सूक्ष्म ऋण के लिए डिजिटल कार्यप्रणाली को अपनाकर और प्रौद्योगिकी सक्षम उत्पादों को लागू कर संपूर्ण समाधान पाने के लिए फिनटेक गतिविधियों को मजबूत किया जाएगा

खुदरा ऋण

पिछले कुछ समय से भारत में खुदरा ऋण क्षेत्र की संकल्पना विकसित हुई है, इससे सबसे ज्यादा आकर्षक ऋण के विकल्प खुल गए हैं, इससे खुदरा ऋण की पारंपरिक बैंकिंग संकल्पना से निकलकर, फिनटेक स्पेस के माध्यम से प्रत्येक नवोन्मेषी ऋण की अवधारणा विकसित हुई है। बढ़ती आय और दुनिया का सबसे अच्छा होने की इच्छाशक्ति ने भारत में वर्ष-दर-वर्ष खुदरा ऋण के वरदान का मार्ग प्रशस्त किया है, हालांकि इसने उधारदाताओं के बीच गला-काट प्रतिस्पर्धा की भावना को मजबूत किया है क्योंकि हर ऋणदाता उपलब्ध खुदरा ऋण परिवेश में सबसे बड़ा हिस्सा चाहता है। हालांकि किसी भी बैंक की खुदरा उधारी में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक बैंक खुदरा उधार के क्षेत्र में किस विशिष्टता को अपनाता है। इसके अलावा, प्रत्येक बैंक की सफलता खुदरा उत्पाद, टर्न-अराउंड समय, ग्राहक सेवा संतुष्टि और खुदरा उत्पादों की प्रति-विक्रय कला एवं विशिष्ट बिक्री कला पर भी निर्भर करेगी।

लक्ष्यांकित ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, विद्यमान खुदरा उत्पादों को युक्तियुक्त बनाने के लिए और न केवल ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए; बल्कि इसे अगले स्तर यानी ग्राहकों की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए बैंक लगातार समुचित समय सीमा में पूरा करने हेतु अनुसंधान एवं नए विकास की प्रक्रिया में सतत लगे हैं।

इसके अलावा, बैंक ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के उपाय के रूप में और आम आदमी के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं; इनमें पहला लघु बचत बैंक उत्पाद “होम सेविंग सेफ डिपॉजिट अकाउंट्स” शुरू करके सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता की परम्परा को बनाए रखा है। ब्याज दरों में रियायत और अंतिम कुछ किस्तों की छूट जैसे आकर्षक विशेषताओं के साथ सेन्ट गृह लक्ष्मी (होम लोन) और रियायती ब्याज दर के साथ सेन्ट वाहिनी वाहन ऋण और रियायती ब्याज दर पर हरित पहल के रूप में ई-वाहनों को ऋण प्रदान करने के लिए सेन्ट गो-ग्रीन व्हीकल लोन को लॉन्च किया है। खुदरा ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

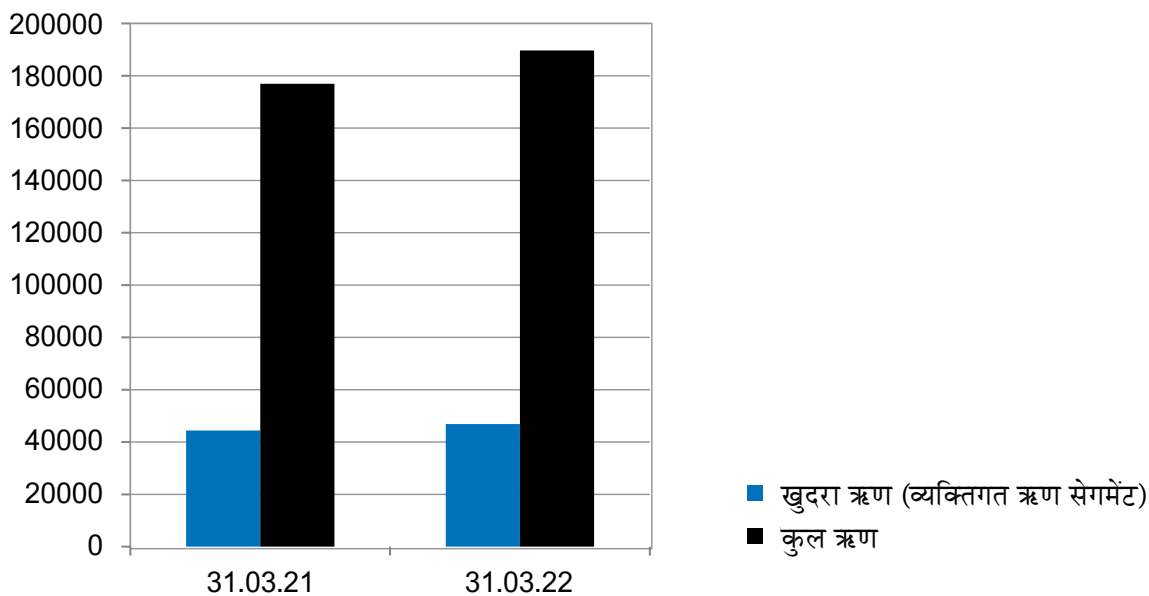
- » केन्द्रीकृत प्रसंस्करण और अनुमोदन केन्द्रों (सीपीएसी) के माध्यम से ऋण गुणवत्ता पर उचित जांच के साथ, बगैर किसी भय के ऋण सम्बंधी निर्णयों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व-संवितरण समीक्षा तंत्र की शुरुआत की है।
- » 360 डिग्री मूल्यांकन के साथ, लेंडसेफ प्लेटफॉर्म को अपनाते हुए, ऋण प्रसंस्करण और प्रक्रिया का मानकीकरण और स्वचालन।
- » प्रतिवर्तन समय (“टर्न अराउंड टाइम”) को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत शाखा प्रबंधकों की उधार शक्ति में वृद्धि।

- » विशेष अवसरों पर विशेष अभियान शुरू करना अर्थात् रिटेल मॉनसून जैकपॉट, आकर्षक ऑफ़र, जैसे प्रोसेसिंग शुल्क की पूर्ण छूट के साथ रिटेल फेस्टिव बोनान्ज़ा अभियान.
- » रिटेल और एमएसएमई ऋणों के लिए, एक समग्र डीएसए नीति को लागू करते हुए, एसएमएस और मिस्ट कॉल कार्यक्षमता के माध्यम से लीड जनरेशन हेतु स्रोत स्वरूप चैनल जोड़ना.
- » डीएसए/विपणन कार्यपालकों (व्हीकल) को और अधिक पैनल में शामिल करते हुए, विद्यमान सोर्सिंग चैनलों को मजबूत किया है और विपणन अधिकारियों (व्हीकल) को देय कमीशन की समीक्षा की है.
- » रेरा अनुमोदित परियोजनाओं के साथ बिल्डरों / कॉलोनाइजर्स के साथ

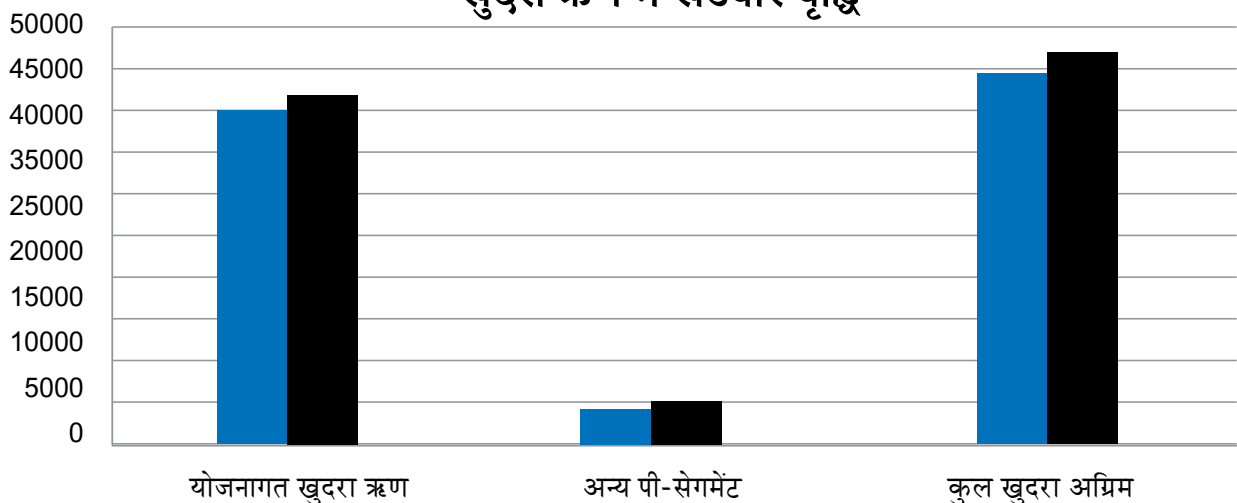
गठजोड़ बढ़ाया गया.

- » खुदरा ऋण योजनाओं को अधिक सुविधाजनक, प्रतिस्पर्धी और ग्राहक के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न खुदरा ऋण योजनाओं की समीक्षा की.
- » भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 05.11.2020 को परिचालित को-लेंडिंग व्यवस्थाओं पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ, जिसमें एचएफसी को को-ऑरिजिनेशन के लिए पात्र बनाया गया और मॉडल को को-लेंडिंग मॉडल के रूप में फिर से नामित किया गया, बैंक ने 02 एनबीएफसी अर्थात् आईबीएचएफएल (इंडियाबुल्स होम फाइनेंस लिमिटेड) और आईआईएफएल (इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड) के साथ को-लेंडिंग हेतु करार किया तथा को-लेंडिंग शुरू की.

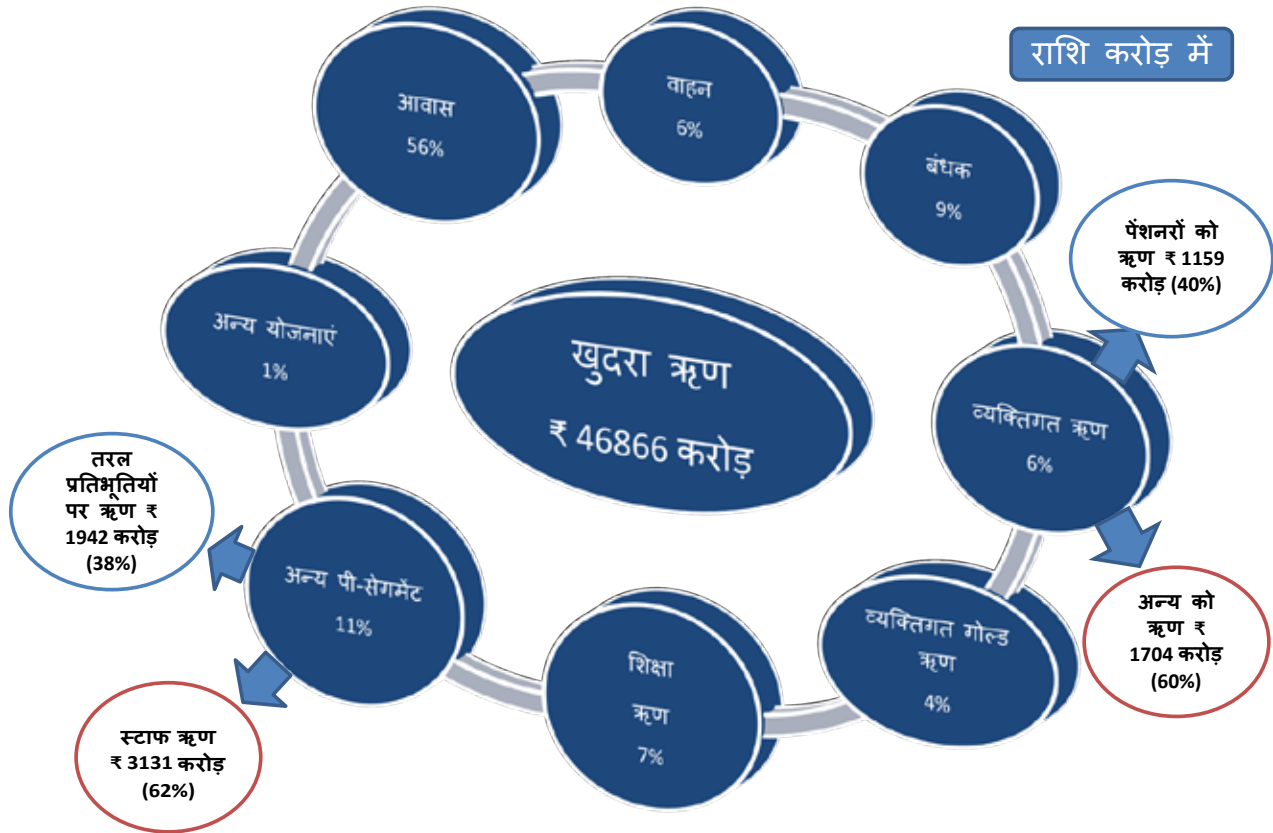
कुल ऋण में खुदरा ऋण का अंश



खुदरा ऋण में खंडवार वृद्धि



खुदरा ऋण संमिश्र वित्त वर्ष 2021-22



1

खुदरा ऋण हेतु भावी कार्यनीति :

यह अपेक्षित है कि वित्त वर्ष 2021-22 के समान ही खुदरा अग्रिमों में वृद्धि होगी। विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 में धीमी खुदरा वृद्धि के संबंध में अन्तर का विश्लेषण किया एवं इस वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि की सुगमता हेतु इसका निराकरण किया गया। तदनुसार, न केवल हमारे फील्ड के पदाधिकारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं कि हमारे बैंक के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि, अन्य बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो की वृद्धि के अनुरूप हो।

- » संशोधित आवास ऋण उत्पाद: - आवास ऋण उत्पाद पर पुनः विचार किया गया है एवं योजना को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु समकक्ष बैंकों के अनुरूप संशोधन किए गए हैं।
- » अन्य खुदरा उत्पादों को आकर्षक विशेषताओं एवं ब्याज दर (आरओआई) के साथ नया रूप दिया गया है।
- » व्यवसाय अर्जन हेतु डीएसए चैनल को एक अतिरिक्त मंच के रूप में प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक आगामी परियोजनाओं में आवास ऋण हेतु प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ गठजोड़ करेगा।

- » बैंक, चार पहिया वाहन खंड में ऋण देने हेतु प्रमुख चार पहिया कार निर्माण कंपनियों के साथ सहमति ज्ञापन भी करेगा। बैंक ने इस दिशा में मैसर्स मारुति सुजुकी लिमिटेड के साथ पहले ही सहमति ज्ञापन किया है तथा अग्रणी कार निर्माण कंपनियों के साथ सहमति ज्ञापन करने के उन्नत चरण में है।
- » फिनटेक कंपनियों के साथ टाई-अप :- बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिटेल एसेट में ऋण देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुये, फिनटेक कंपनियों के साथ सम्पूर्ण एकीकरण आरंभ करेगा। इस क्रम में, बैंक चार पहिया वाहनों के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं को ऋण देने हेतु चार पहिया खंड में अग्रणी फिनटेक कंपनी में से एक के साथ सहमति ज्ञापन में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया में है।
- » बैंक, विभिन्न राज्य सरकार / केंद्र सरकार के विभागों / संस्थानों / आदि के साथ, इन संस्थानों के कर्मचारियों को ऋण देने हेतु आवश्यकतानुरूप खुदरा परिसंपत्ति उत्पाद के लिए गठजोड़ हेतु भी प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रहा है।
- » बैंक, रिटेल एसेट उत्पादों की क्रॉस-सेल एवं अपसेल के लिए ग्राहकों/ कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ अपने विद्यमान संबंधों का लाभ उठाएगा।
- » बैंक ने अपने विद्यमान ग्राहकों को खुदरा परिसंपत्ति उत्पादों के क्रॉस सेल एवं अपसेल हेतु डेटा माइनिंग का कार्य किया है।

- » बैंक डिजिटल पोर्टलों में हमारे बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।
- » प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ टाई-अप : बैंक संपूर्ण भारत में प्रमुख प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ टाई-अप करने की प्रक्रिया में है।
- » डेटा एनालिटिक्स: बैंक पहले से ही विद्यमान ग्राहक आधार के डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से लीड उत्पन्न कर रहा है तथा डेटा एनालिटिक्स में और अधिक अवसर खोजेगा।
- » केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों के साथ टाई-अप : बैंक, एक पैकेज के अंतर्गत आवश्यकतानुरूप उत्पादों एवं सेवाओं का एक समूह प्रस्तुत करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ खुदरा ऋण टाई-अप पर प्रभावशाली ढंग से ध्यान दे रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग:

बैंक का विदेशी मुद्रा कारोबार देश भर में फैली 62 अधिकृत डीलर ('बी' श्रेणी) शाखाओं के माध्यम से किया जाता है। परिचालन दक्षता के लिए, बैंक के पास बेहतर फंड प्रबंधन एवं परिचालन सुविधा प्राप्त करने हेतु मुंबई में एक केंद्रीकृत डीलिंग रूम है।

दिनांक 31.03.2021 को ₹4446 करोड़ की तुलना में 31.03.2022 तक बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो ₹.4389 करोड़ है, जो विगत वर्ष से 1.28% कम रहा। मर्चेण्ट ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर वित्त वर्ष 2020-21 में ₹27377 करोड़ के विरुद्ध, वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 34715 करोड़ था, जो विगत वर्ष से 26.80 % की वृद्धि दर्शाता है।

एनआरई जमायें 31.03.2021 के ₹ 5416 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को ₹ 5448 करोड़ हो गया, जो विगत वर्ष से 0.59% की वृद्धि दर्शाता है। एफसीएनआर जमायें 31.03.2021 को 230.54 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 31.03.2022 को 226.24 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो विगत वर्ष से 1.86% कम है।

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश:

बैंक का निवेश पोर्टफोलियो 31 मार्च 2021 को ₹153820 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को घटकर ₹146759 करोड़ (गैर-एसएलआर, गैर-हस्तांतरणीय भारत सरकार के पुनर्पूजीकरण बांड ₹19580 करोड़ सहित) हो गया है, जिसके कारण इसमें विगत वर्ष की तुलना में 4.59% की कमी दर्ज की गई है। दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 31 मार्च 2021 के 6.18% की तुलना में 31 मार्च 2022 को 6.84% पर बंद हुआ।

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 4% पर रखते हुए नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा है। बैंक दर एवं सीमांत स्थायी सुविधा भी 4.25% पर अपरिवर्तित रही है।

पिछले वर्ष के ट्रेडिंग लाभ ₹1380.63 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ट्रेजरी ने ₹ 491.00 करोड़ का ट्रेडिंग लाभ दर्ज किया। निवेश पर प्रतिफल (ट्रेडिंग लाभ के अलावा) वर्ष 2020-21 के 6.63 % से घटकर वर्ष 2021-22 के दौरान 6.27% हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिभूतियों के स्थानांतरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को एफएस से एचटीएम में ₹ 5702 करोड़ एवं एचटीएम से एफएस में ₹ 6156 करोड़ की राशि हस्तांतरित की है।

31 मार्च 2022 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो की संरचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)			
क्र.	संमिश्र	31.03.2022	31.03.2021
1	एसएलआर	105841.66	110414.28
2	गैर एसएलआर	40917.60	43405.78
कुल		146759.26	153820.06

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं संगठनात्मक ढांचा

बैंक में अब जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम और स्तंभ II जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों / प्रथाओं की निगरानी करती है। समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है तथा जोखिम मॉडल का आकलन करती है ताकि बाजार के विकास के साथ तालमेल बिठाया जा सके एवं नए जोखिमों की पहचान और नियंत्रण भी किया जा सके। समिति नियमित रूप से कॉर्पोरेट स्तर पर संबन्धित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम मापदण्डों के अनुपालन की निगरानी करती है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

परिचालन स्तर पर, शीर्ष प्रबंधन टीम के सदस्यों को शामिल करते हुए, बाजार जोखिम हेतु परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), ऋण जोखिम हेतु ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) एवं परिचालन हेतु परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां बैंक के विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर का आकलन एवं निगरानी करने हेतु वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं।

बैंक ने सभी क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में मुख्य प्रबंधक /वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक श्रेणी के अधिकारियों को 'जोखिम प्रबंधक' के तौर पर अभिचिह्नित किया है। यह जोखिम प्रबंधक आंचलिक स्तर पर केंद्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के 'विस्तारित भाग' के रूप में कार्य करते हैं। बैंक ने केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिह्नित किए हैं जो कि बैंक में जोखिम के नियंत्रण और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को देखने हेतु 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करते हैं। बैंक के पास एक बेहतर प्रलेखित एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

मध्यस्थ कार्यालय, बाजार की स्थिति और वित्त पोषण के स्वरूप की समीक्षा करता है एवं अवसर, अवधि, प्रतिपक्षकार सीमाओं तथा विभिन्न संवेदनशील मापदंडों के अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करता है और नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

अल्पाविधि में, बैंक के लाभ एवं दीर्घविधि में इक्विटी मूल्य के जोखिम को मापने और प्रबंधित करने हेतु वीएआर एवं अवधि अंतराल विश्लेषण जैसे टूल का उपयोग निरंतर आधार पर किया जाता है। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर निरंतर आधार पर पूंजी प्रभार का अनुमान लगाने हेतु एक मॉडल विकसित किया गया है एवं बाजार जोखिम हेतु बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार इसे लागू किया गया है।

पोर्टफोलियो में बाजार जोखिम की निगरानी हेतु बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। ट्रेजरी परिचालन के लिए प्रतिपक्ष पार्टियों को सीमाएँ समकक्षों को नवीनतम, जोखिम सहबद्धता की स्थिति के अनुसार निर्धारित/समेक्षित की गई है। बाजार जोखिम में हुये विकास की रिपोर्ट की जाती है और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता वाली परिसंपत्ति और देयता समिति द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक ने विभिन्न मॉडलों के अंतर्गत उधारकर्ताओं की रेटिंग हेतु रेटिंग मॉडल स्थापित किया है जैसे बड़े कॉर्पोरेट मॉडल, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडल, एनबीएफसी, एसएमई, कृषि इत्यादि। बैंक ने रिटेल ऋण के ग्रेडिंग के लिए रेटिंग मॉडल (स्कोर कार्ड) विकसित किए हैं तथा इनका उपयोग किया जा रहा है। ऋण जोखिम प्रबंधन की गतिविधियों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है। बैंक ने एसएसएस समाधान का उपयोग करते हुए पूंजी गणना के उन्नत तरीकों का कार्यान्वयन पूरा कर लिया है।

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन

बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित होता है। इस नीति में बैंक की जोखिम प्रोफाइल और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप व्यापक परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन एवं मापन ढांचा तैयार किया गया है।

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) सुनिश्चित करती है कि उचित परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क मौजूद है एवं इसकी नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग विधियों सहित परिचालन जोखिम पद्धतियों एवं उपकरणों के विकास तथा कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुमोदन भी करती है। धोखाधड़ी का विश्लेषण, नियर मिस इवेंट, गैर-अनुपालन घटनाएं, उल्लंघन, परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु उपयुक्त नियंत्रण/शमन का संकेत देने वाले प्रणालीगत सुधार भी समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

नई उत्पाद अनुमोदन नीति फ्रेमवर्क लाई गई है जो कि नए उत्पादों / प्रक्रियाओं अथवा गतिविधियों से संबंधित जोखिमों को कम करने में बैंक का मार्गदर्शन करती है।

बैंक के व्यवसाय निरंतरता उद्देश्यों के अनुरूप बैंक के पास व्यवसाय निरंतरता योजना है, जो नियमित संचालन के व्यवधान के दौरान पूर्वनिर्धारित क्षमता पर स्वीकार्य समय सीमा के भीतर उत्पादों और सेवाओं की डिलीवरी जारी रखने हेतु बैंक के लिए रूपरेखा तैयार करती है, जोकि व्यवधान को दूर करने तथा उत्पादों एवं सेवाओं की डिलीवरी पुनः आरंभ करने, पुनर्प्राप्त करने और पुनर्स्थापित करने हेतु परिचालन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है।

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान (आईआरएमएस) के अंतर्गत आईएमएम मॉड्यूल (इंसीडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल) में लॉस इवेंट डेटा एवं नियर मिस इवेंट्स के संग्रह के लिए व्यवस्था बनाई है। परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन में विकास की रिपोर्ट एवं निगरानी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

पूंजी नियोजन

बैंक के पास सुदृढ़ आईसीएएपी (आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया) नीति है। बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बेसल III मानदंडों की न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक पूंजी अनुपात रखने का प्रयोजन रखता है। पूंजी के प्रति अनुमान की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है।

आस्ति एवं देयता प्रबंधन पद्धतियाँ

एलएम मुख्य रूप से लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से बैंक की तरलता एवं ब्याज दर जोखिम को मापने और इसका प्रबंध करने से संबंधित है। एलसीओ (आस्ति एवं देयता समिति) की नियमित रूप से बैठक होती है एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तरलता और अन्य बाजार से संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 19 बार बैठकें की गईं।

विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, एलएम जमाराशियों के साथ-साथ आधार दर, एमसीएलआर, आरबीएलआर और ईबीएलआर नियतन पर ब्याज निर्धारण के कार्य से भी संबंधित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, जमा ब्याज दरों में छह (6) बार संशोधन किये गये, आधार दर की चार (04) बार समीक्षा की गई, आरबीएलआर एवं ईबीएलआर की छह (6) बार समीक्षा की गई तथा एमसीएलआर की बारह (12) बार समीक्षा की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) की गणना करता रहा है एवं अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित थ्रेशोल्ड सीमा (अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 100%) से ऊपर रहा है। बैंक के पास वित्त वर्ष 2021-22 हेतु 360.81% पर औसत एलसीआर के साथ पर्याप्त तरलता थी। बैंक 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर (निवल स्थिर निधीयन अनुपात) की गणना भी कर रहा है एवं यह अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित थ्रेशोल्ड सीमा (अर्थात 2021-22 के लिए 100%) से ऊपर बना हुआ है। वर्तमान में 31 मार्च को एनएसएफआर 168.67% है।

बैंक की तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन में हुये विकास की रिपोर्ट एवं निगरानी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली आस्ति एवं देयता समिति द्वारा की जाती है।

बेसल III के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2015 में नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने बेसल III अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम हेतु मानकीकरण अवधि पद्धति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है।

सभी आवश्यक नीतियां जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम निराकरण, संपादक प्रबंधन नीति, आस्ति एवं देयता प्रबंधन नीति, मॉडल जोखिम नीति, ऑडल सत्यापन नीति, ऋण समीक्षा नीति, अंतर्समूह लेनदेन एवं एक्सपोजर नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, बीसीपी नीति, आईसीएएपी इत्यादि बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

सैम (एसएएम) एवं वसूली विभाग

बैंक के पास एक सुपरिभाषित वसूली नीति है जिसमें एनपीए प्रबंधन के विस्तृत दिशानिर्देश दिये गये हैं। इसमें एनपीए प्रबंधन के सभी क्षेत्र निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन एजेंसियों की नियुक्ति, स्विस चैलेंज पद्धति से एआरसी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ता आदि शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में हुये नवीनतम परिवर्तन/विकास और एनपीए समाधान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों को शामिल करने के लिए समय-समय पर नीति की समीक्षा की जाती है। बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली अभियान चलाये हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एनपीए खातों में, ₹ 3266 करोड़ की नकद वसूली और ₹ 1337 करोड़ के उन्नयन किये गये हैं।

- » सकल एनपीए का स्तर ₹ 29277 करोड़ से घटकर ₹ 28156 करोड़ हो गया है, अर्थात् ₹ 1121 करोड़ से कम हुआ है।
- » शुद्ध एनपीए का स्तर ₹ 9036 करोड़ से घटकर ₹ 6675 करोड़ हो गया है, अर्थात् ₹ 2361 करोड़ से कम हुआ है।
- » कुल अग्रिमों की तुलना में, सकल एनपीए 16.55% से घटकर 14.84% (171 बीपीएस) हो गया है।
- » शुद्ध अग्रिमों की तुलना में शुद्ध एनपीए, 5.77% से घटकर 3.97% (180 बीपीएस) हो गया है।
- » बढ़ाकृत खातों में ₹ 351 करोड़ की नकद वसूली की गई है।

एनपीए समाधान के लिये, निम्नलिखित एक मुश्त समझौता (ओटीएस) योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं :

- » विवेकाधीन रहित/ भेदभाव रहित (एनडीएनडी) 2021-22 विशेष एकमुश्त समझौता योजना जिसमें 31.03.2021 के पीडब्ल्यूओ/टीडब्ल्यूओ खातों जिसमें ग्राहक का एक्सपोजर (बकाया सीआईएफ वार) रुपये 10.00 करोड़ है।
- » सभी एनपीए खाते प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) दृष्टिकोण के अंतर्गत ओटीसी योजना।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, इन योजनाओं के अन्तर्गत, ₹ 2419 करोड़ के बकाया खाता बही के ओटीएस प्रस्तावों का निपटान ₹ 1578 में करोड़ में किया गया है।

1. वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 13 करोड़ की नकद वसूली के साथ, 100% नकद आधार पर स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत एआरसी को एक एनपीए खाते की बिक्री की है, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए में ₹ 42 करोड़ की कमी आई है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 07.06.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 1500 करोड़ या उससे अधिक के बैंकिंग एक्सपोजर वाले खातों के लिए आईसीए पर हस्ताक्षरित किया गया।

खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि	किया गया कुल प्रावधान
20	₹ 7609.46 करोड़	₹ 5583.90 करोड़

3. भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 07.06.2019 के अनुपालन हेतु खातों में संकल्प योजनाएं अनुमोदित और कार्यान्वित की गई हैं।

खातों की संख्या	दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि	किया गया कुल प्रावधान
7	₹ 2457.99 करोड़	₹ 936.87 करोड़

4. वर्ष 2021-22 के दौरान, एनपीए खातों में वसूली एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। एनपीए की गतिविधियों पर दैनिक आधार पर सतत अनुवर्तन किया गया है। कानूनी कार्रवाइयों और सरफेसी के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली की समय-समय पर और मासिक रूप से फील्ड पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की गई है।
5. ₹ 10 लाख और ऊपर के बकाया वाले एनपीए उधारकर्ताओं से वसूली के लिए शाखा स्टाफ के साथ क्षेत्रीय कार्यालय की वसूली टीम द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाता है।

बैंकाइशोरेंस :

बैंक एश्योरेंस कक्ष जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण कार्य करता है और कमीशन प्राप्त करता है। हमारे बैंक ने, तीन साल की लंबी अवधि के लिए आईआरडीआई से कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस प्राप्त किया है जो कि 31.03.2025 तक वैध है।

बैंक ने नये आईआरडीआई विनियामक 2015, जिसे ओपेन आरकीटेक्चर कहते हैं, के अन्तर्गत, निम्नलिखित बहु-बीमा कंपनियों के साथ सभी तीन संवर्गों जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य हेतु करार किया है।

क्र.	बीमा कंपनी का नाम	श्रेणी
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	जीवन बीमा
2	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीवन बीमा
3	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	गैर-जीवन बीमा
4	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	गैर-जीवन बीमा

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- » बैंक ने जीवन बीमा व्यवसाय में ₹ 63.75 करोड़ के कमीशन सहित 97299 पॉलिसियां संग्रहित की है।
- » गैर-जीवन बीमा व्यवसाय के अधीन बैंक ने ₹ 10.61 करोड़ के कमीशन सहित 239907 पॉलिसियां संग्रहित की है।
- » बैंक इश्युरंश व्यवसाय से कुल आय ₹ 74.36 करोड़ हुई।
- » बैंक के पास बैंक इश्युरंस व्यवसाय संग्रहित करने के लिए 1974 विशिष्ट व्यक्ति हैं।

डिपॉजिटरी सेवाएं

बैंक सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक व्यवस्था सहित डिपॉजिटरी सहभागी है। सभी परिचालन केन्द्रीयकृत हैं तथा यह सेवाएं फोर्ट मुंबई में अवस्थित हमारी नोडल शाखा, कैपिटल मार्केट सर्विस शाखा के माध्यम से दी जा रही है। बड़े केन्द्रों की शाखाएं खाता खोलने, क्रय विक्रय, शेयरों की गिरवी एवं भौतिक प्रतिभूतियों के डीमैट्रीलाइजेशन की सुविधा देती हैं। बैंक के पास 28899 डीमैट खाता धारक हैं।

मुंबई में कैपिटल मार्केट सर्विस शाखा विशेष रूप से कैपिटल मार्केट सुविधाएं जैसे आसबा, डीमैट, क्लियरिंग बैंक, लाभांश भुगतान एवं दलालों को क्रेडिट/गारंटी सुविधा इत्यादि के लिए खोली गई थी। साथ ही, यह डीमैट एवं आसबा के लिए नियंत्रक शाखा भी है।

ऑन लाइन डीमैट खाता खोलने की सुविधा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) सॉफ्टवेयर ओएलएओ के साथ प्रारंभ की गई थी। साथ ही, हमारे डीमैट ग्राहकों के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशिएल सर्विसेस लिमिटेड के साथ टाई-अप करके 3 इन 1 ई-ट्रेडिंग सुविधा का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी की संरचना

बैंक ने एक अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना की स्थापना की है। बैंक का डाटा सेंटर आईएसओ प्रमाणित है और ग्राहक सेवाओं की परिचालन दक्षता और तत्परता सुनिश्चित करने के लिए, वर्तमान आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर काफी सक्षम है। बैंक ने कई महत्वपूर्ण आईटी परियोजनाओं जैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन, ट्रेजरी सॉल्यूशन, लोन लाइफसाइकिल मैनेजमेंट सॉल्यूशन आदि को लागू किया है जो कि बैंक के बिजनेस एनेबलर्स के रूप में कार्य करते हैं।

बैंक ने एक पूर्ण आपदा वसूली केंद्र और एक निकट-स्थल सेटअप भी स्थापित किया है जो कि शून्य जानकारी डॉटा नुकसान के साथ व्यापार की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार डीआर डिल संचालित की जा रही है, जो कि नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इसके अलावा, एक उन्नत नेटवर्किंग सेटअप एवं निरंतर निगरानी की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं आदि जैसी विषम स्थितियों के दौरान भी बैंक शाखाओं के अलगाव और नेटवर्क आउटेज

को न्यूनतम स्तर तक नियंत्रित करने में सफल हो सकता है।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए, बैंक ने अतिरिक्त बीसीपी स्थलों की स्थापना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यवसाय / ग्राहक बैठकें और अन्य आंतरिक विचार - विमर्श करने, कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी सक्षम उपायों की शुरुआत की है, जिससे कि व्यवसाय की निरंतरता के साथ-साथ कर्मचारियों और विक्रेता सहयोगियों की सुरक्षा का भलीभांति ध्यान रखा जा सके।

स्विफ्ट सिस्टम को नया रूप दिया गया है और कई अतिरिक्त सुविधाओं वाले नवीनतम संस्करण में अपग्रेड किया गया है। हाल ही के दिनों में, बैंक ने बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा नियंत्रणों के साथ, खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए संशोधित इंटरनेट बैंकिंग साइट की शुरुआत की है। विनियामक निर्देशों के अनुसार आरटीजीएस/ एनईएफटी सेटअप को भी अपग्रेड किया गया है एवं 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

बैंक ने ग्राहक/कर्मचारी सेवा या नियामक आवश्यकताओं के रूप में, अन्य परियोजनायें, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लॉकड अमाउंट द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (एसबीए), एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस), धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, (एफआरएमएस), केंद्रीकृत ई-टीडीएस प्रबंधन समाधान, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, (डीएमएस) आदि को भी लागू किया है।

हमारा बैंक, सरकार की सभी वित्तीय समावेशन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। आधार डेटा कैप्चर करते समय, वैधानिक दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है। बैंक, दो आरआरबी प्रायोजित कर रहा है, जिनकी लगभग 1200 शाखाएं हैं और दोनों आरआरबी, कोर बैंकिंग के अंतर्गत हैं। प्रायोजक बैंक की लगभग सभी तकनीकी पहलों को आरआरबी में भी लागू किया गया है।

बैंक ने, केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कॉरपोरेट्स द्वारा किए गए भुगतान के लिए एंड-टू-एंड फंड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए डिजी फंड मैनेजमेंट सॉल्यूशन लागू किया है। बैंक वर्तमान में मौजूदा डेटा बेयरहाउस सॉल्यूशन को सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास समाधान के साथ अपग्रेड करने के अंतिम चरण में है, जो डाटा वृद्धि और बैंक की एमआईएस/विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

अपनी व्यावसायिक कार्ययोजना के भाग के रूप में, बैंक एक प्रमुख पहल कर रहा है, जैसे "डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन", जिसके माध्यम से यह यूनिवर्सल ऐप और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टैब बैंकिंग, बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट पॉइंट्स आदि के माध्यम से पारंपरिक बिजनेस मॉडल को निर्बाध डिजिटल मॉडल में बदलने का इरादा रखता है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक की ऑन-बोर्डिंग जरूरी को अंतिम रूप दिया है।

आईटी गर्वनेन्स

उचित आईटी गर्वनेन्स को सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड की आईटी

कार्ययोजना और जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा, बैंक के लिए उपयुक्त आईटी पहल को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक की सहायता के लिए विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों को शामिल करते हुए एक आईटी संचालन समिति का गठन किया गया है। आईटी संगठनात्मक संरचना, बैंक द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के आकार, पैमाने और प्रकृति और व्यावसायिक कार्यों के लिए सूचना प्रणाली द्वारा प्रदान की गई अंतर्निहित सहायता के अनुरूप है। आईटी संगठनात्मक संरचना के लिए विचार किए जाने वाले व्यापक क्षेत्रों या कार्यों में 'प्रौद्योगिकी और विकास', 'आईटी परिचालन', आईटी आश्वासन और "वितरण एवं संसाधन प्रबंधन" शामिल हैं। आईटी विभाग का नेतृत्व, महाप्रबंधक के रैंक के एक शीर्ष कार्यपालक द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता उप महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के द्वारा की जाती है। आईटी विभाग के प्रत्येक कार्यात्मक कार्यक्षेत्र का नेतृत्व उपयुक्त रूप से अनुभवी और प्रशिक्षित वरिष्ठ अधिकारी करते हैं।

सूचना सुरक्षा

बैंक ने अपनी सूचना प्रणाली और ग्राहक डाटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आईएसओ 27001 और आईएसओ 22301 जैसे प्रमाणन मानकों का निरंतर अनुपालन। कर्मचारियों/ग्राहकों में साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर कदम उठाये गये हैं।

लेखापरीक्षा और निरीक्षण

बैंक की शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (भारतीय रिज़र्व बैंक) आंतरिक लेखा परीक्षकों के माध्यम से की जाती है और समग्र जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है। तदनुसार, कुल 4553 शाखाओं में से, 4322 शाखाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन किया गया और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उनका मूल्यांकन किया गया। दिनांक 31.03.2022 तक कुल मिलाकर 2779 शाखाएं मध्यम जोखिम रेटिंग के तहत, 1742 शाखाएं कम जोखिम रेटिंग वाली, 32 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग वाली थीं। बैंक की कोई भी शाखा अति उच्च जोखिम/अत्यधिक उच्च जोखिम की श्रेणी में नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 60 क्षेत्रीय कार्यालय, 10 आंचलिक कार्यालय एवं केन्द्रीय कार्यालय के 14 विभाग, 02 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 02 अनुषंगी कंपनियां प्रबंधन लेखापरीक्षा के अधीन थीं।

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्मों/बैंक अधिकारियों द्वारा 924 सामान्य शाखाएं/23 एसएसबी/89 सीपीएसी/5 केन्द्रीय कार्यालय के विभाग, कुल 1041 शाखाएं/कार्यालयों को समवर्ती लेखापरीक्षा के तहत कवर किया गया है। सभी 7 कॉर्पोरेट वित्त शाखाएं श्रेणी I चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन हैं। 05 एसएएम शाखाएं और 01 को-लेंडिंग बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड के अपने अधिकारी द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन हैं। बैंक के कुल कारोबार का लगभग 61.94% और दिनांक 31.03.2022 तक कुल अग्रिम का 66.41% समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत आता है। समवर्ती लेखापरीक्षा का कार्य 963 चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों को प्रदान किया गया था, जिनमें से 526 फर्म भारतीय रिज़र्व बैंक श्रेणी I, 285 श्रेणी II, श्रेणी तृतीय की 93 और भारतीय रिज़र्व बैंक श्रेणी चतुर्थ की 59 फर्म हैं।

बैंक के लेखा में वैध आय सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, आंतरिक लेखा परीक्षकों और अन्य अधिकारियों की फर्मों के माध्यम से हर साल 1 मार्च से 10 मार्च तक वार्षिक राजस्व की जांच की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में, दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान 254 पात्र खातों में समय-समय पर कानूनी लेखा परीक्षा और स्वामित्व विलेखों का पुनः सत्यापन किया गया।

बैंक आवधिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा के माध्यम से शाखाओं में सख्त अनुपालन संस्कृति सुनिश्चित करता है। लेखापरीक्षित वाली शाखाओं द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा अनुपालन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंक यादृच्छिक आधार पर अनुपालन लेखापरीक्षा भी करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 870 शाखाओं का अंकेक्षण किया गया।

समवर्ती लेखा परीक्षकों के माध्यम से एडी शाखाओं के स्विफ्ट संदेशों का मिलान किया जाता है। बैंक नियमित ऑडिट में कवरेज के अलावा केवाईसी अनुपालन ऑडिट भी करता है।

योजना, विकास एवं परिचालन विभाग

शाखा नेटवर्क

जनसंख्या समूह	शाखाओं की संख्या
ग्रामीण	1604
अर्द्ध शहरी	1330
शहरी	783
मेट्रो	811
कुल शाखाएं	4528

आकारवार	शाखाओं की संख्या
अत्यधिक बड़ी शाखाएं	22
बहुत बड़ी शाखाएं	551
बड़ी शाखाएं	1637
मध्यम शाखाएं	2296
लघु शाखाएं	0
विशेष शाखाएं	22
कुल शाखाएं	4528

बैंक की संरचनात्मक / संगठनात्मक स्थिति :

दिनांक 31 मार्च 2022 तक की स्थिति इस प्रकार है :

क्र.	विवरण	कार्यालयों की संख्या
1	केन्द्रीय कार्यालय	1
2	आंचलिक कार्यालय	12
3	क्षेत्रीय कार्यालय	90
4	अनुषंगी कम्पनियाँ	2
5	एसोसिएट्स	1
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2
7	आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यालय	13

शाखा विस्तार :

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान खोली गई/विलय/बंद की गई शाखाओं का तिमाही-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं	श्रेणी	दिनांक 31.03.21 तक की स्थिति	तिमाही-I (अप्रैल 21 से जून 21 तक)		तिमाही-II (जुलाई '21 से सितंबर '21)		तिमाही-III (अक्टूबर '21 से दिसंबर '21)		क्वार्टर-IV (जनवरी '22 से मार्च '22 तक)		दिनांक 31.03.22 तक की स्थिति
			खोली गई शाखाएं	विलय/ बंद की गई शाखाएं	खोली गई शाखाएं	विलय/ बंद की गई शाखाएं	खोली गई शाखाएं	विलय/ बंद की गई शाखाएं	खोली गई शाखाएं	विलय/ बंद की गई शाखाएं	
1	ग्रामीण	1603	1	0	0	0	0	0	0	0	1604
2	अर्ध शहरी	1332	0	1	0	0	0	1	0	0	1330
3	शहरी	810	0	8	0	0	0	19	0	0	783
4	मेट्रो	863	0	6	0	0	0	46	0	0	811
	कुल	4608	1	15	0	0	0	66	0	0	4528

अन्य प्रगति:

- » बैंक का आधुनिकीकृत कॉल सेंटर ग्राहकों के लिए आवक और जावक दोनों कॉल सुविधायें प्रदान कर रहा है।
- » ईज.4.0 दिशानिर्देशों के तहत 19 बेंच मार्क सेवाओं के मुकाबले कॉल सेंटर के संचालन को आईवीआर के माध्यम से कुल 16 सेवाएं प्रदान करने के लिए अपग्रेड किया गया है।
- » उन्नत कॉल सेंटर अब ईज 4.0 दिशानिर्देशों के तहत चिह्नित 12 लीड जनरेशन सेवाओं में से 11 को संभाल रहा है।
- » कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- » वरिष्ठ नागरिकों, दृष्टिबाधित और विकलांग ग्राहकों के लिए 1800221911 डायल करके कॉल सेंटर के माध्यम से डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है।
- » ग्राहक 24X7 कॉल सेंटर के माध्यम से अपने खाते/डेबिट कार्ड को डेबिट फ्रीज के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- » कृषि, खुदरा और एमएसएमई ग्राहकों को 5 भाषाओं में पूर्व सक्रिय जावक आईवीआर कॉल करने की सुविधा उपलब्ध है।
- » आईवीआर के माध्यम से स्वयं के साथ-साथ बैंक में अन्य खातों और ऋण खातों में धनराशि स्थानांतरित करने की सेवा उपलब्ध है।
- » पेंशनरों को कॉल सेंटर के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए स्मरण कराया जाता है।
- » बैंक ने कहीं भी, किसी भी समय शिकायत दर्ज करने के लिए अपने वेब पोर्टल के माध्यम से संशोधित शिकायत प्रबंधन समाधान शुरू किया है।
- » ग्राहकों की सुविधा के लिए चेक बुक और एटीएम कार्ड की होम डिलीवरी लागू की गई।
- » भारतीय रिजर्व बैंक के सलाह के अनुसार, पोजेटिव पे सिस्टम की शुरुआत 01/01/2021 से की गई थी, जिसके माध्यम से ग्राहक क्लोनिंग/परिवर्तन द्वारा धोखाधड़ी से बचने के लिए जारी किए गए अपने चेक के कुछ आधारभूत विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यह 50000/- रुपये से अधिक के चेक के लिए वैकल्पिक है और 5,00,000 /- रुपये से अधिक के लिए अनिवार्य है।

- » नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ब्रांच चैनल के माध्यम से पोजेटिव पे सुविधा उपलब्ध है।
- » पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के तहत 100 केंद्रों पर डीएसबीएस शुरू हुआ, जिसके तहत इन केंद्रों पर स्थित ग्राहक मामूली शुल्क पर निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- » पिकअप सेवाएं : ग्राहक डीएसबी प्रणाली के माध्यम से दस्तावेज लेने के लिए अनुरोध करेंगे। एक बार अनुरोध शुरू होने के बाद, एक एजेंट ग्राहक के दरवाजे से दस्तावेज को उठाएगा और उसे बैंक को वितरित करेगा। इसमें परक्राम्य लिखत (चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर आदि), नई चेक बुक मांग पर्ची, 15जी (फॉर्म डाउनलोड करें), 15एच (फॉर्म डाउनलोड करें), आईटी/जीएसटीचालान एवं स्थायी निर्देश अनुरोध सम्मिलित हैं।
- » वितरण सेवा: ग्राहक डीएसबी प्रणाली के माध्यम से दस्तावेज की सुपुर्दगी के लिए अनुरोध करेंगे। एक बार अनुरोध शुरू होने के बाद, एक एजेंट बैंक से दस्तावेज को उठाएगा और ग्राहकों के दरवाजे तक पहुंचाएगा। इसमें खाता विवरण, गैर-व्यक्तिगत चेक बुक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, सावधि जमा रसीद, पावती आदि, टीडीएस/फॉर्म 16 प्रमाणपत्र जारी करना सम्मिलित हैं।
- » नकद निकासी: ग्राहक डीएसबी ऐप / वेब पोर्टल का उपयोग करके या टोल फ्री नंबर 18001213721 और 18001037188 पर कॉल करके नकद निकासी सेवा बुक कर सकते हैं। रियल टाइम नकद निकासी सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को अपने बैंक खाता या तो आधार या डेबिट कार्ड से लिंक करना होगा। माइक्रो एटीएम आधारित सुरक्षित तकनीक के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए डीएसबी एजेंट ग्राहक के पते पर जाएगा। प्रति लेनदेन की सीमा न्यूनतम ₹ 1,000/- और अधिकतम ₹ 10,000/- है।
- » डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट : वर्तमान महामारी की स्थिति में, ग्राहकों, विशेष रूप से पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए शाखा में जाना मुश्किल है। अतः डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। पेंशनभोगी किसी भी चैनल अर्थात् डीएसबी ऐप / वेब पोर्टल (<https://dsb.imfast.co.in>) / टोल फ्री नंबरों के माध्यम से सेवा बुक कर सकते हैं। डीएसबी एजेंट ग्राहक के दरवाजे पर जाएगा और जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग करके ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र एकत्र करेगा।

- » नामांकन सेवाएं: डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बचत बैंक खाता (व्यक्तिगत और किसी एक अथवा उत्तरजीवी देय), सावधि जमा और चालू खाता (व्यक्तिगत) के लिए नामांकन में किसी भी प्रकार की परिवर्तन/बदला जा सकता है.
- » निधि अंतरण : ग्राहक प्रति दिन अधिकतम 25,000 /- रुपये या 3 बार फंड ट्रांसफर (बैंक के भीतर या बाहर) डीएसबीएस की सुविधा ले सकता है.
- » ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी शाखा में पीपीएफ/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना/सुकन्या समृद्धि खाते जैसी छोटी बचत योजनाओं के तहत खाता खोल सकते हैं.
- » ग्राहक सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन कर सकता है.
- » नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा प्रदान की जाती है.
- » पीपीएफ और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलने की सुविधा ग्राहक को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाती है.
- » लघु बचत योजनाओं के मामले में जमा खातों की तरह सीबीएस के माध्यम से अपनी होम शाखा को परिवर्तित किया जा सकता है.
- » ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नामांकन के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है.

राजभाषा

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजभाषा विभाग की विशेष उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

राजभाषा पुरस्कार : वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न नराकासों (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) से हमारे विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त पुरस्कार

क्र.सं.	नराकास का नाम	प्राप्त पुरस्कार	क्र.सं.	नराकास का नाम	प्राप्त पुरस्कार
1	बैंक नराकास, अहमदाबाद	प्रथम	25	बैंक नराकास, मुंबई	तृतीय
2	बैंक नराकास, पटना	प्रथम	26	बैंक नराकास, पुणे	तृतीय
3	नराकास, अमृतसर	प्रथम	27	बैंक नराकास, इंदौर	तृतीय
4	नराकास, धनबाद	प्रथम	28	नराकास, अमरावती	तृतीय
5	बैंक नराकास, बरेली	प्रथम	29	नराकास, कानपुर	तृतीय
6	नराकास, फैजाबाद	प्रथम	30	नराकास, करनाल	तृतीय
7	नराकास, देवरिया	प्रथम	31	नराकास, कोच्चि	तृतीय
8	नराकास, अकोला	प्रथम	32	नराकास, लुधियाना	तृतीय
9	नराकास, तिरुवनंतपुरम	प्रथम	33	नराकास, नागरकोइल	तृतीय
10	नराकास, हल्दिया	प्रथम	34	नराकास, शिवपुरी	तृतीय
11	बैंक नराकास जोधपुर	प्रथम	35	नराकास, हरिद्वार	तृतीय
12	नराकास बेलगाम	प्रथम	36	बैंक नराकास, कोलकाता	तृतीय
13	बैंक नराकास ग्वालियर	प्रथम	37	बैंक नराकास, जालंधर	सांत्वना
14	नराकास कोयंबटूर	प्रथम	38	बैंक नराकास, रांची	सांत्वना
15	बैंक नराकास जयपुर	प्रथम	39	नराकास, भिलाई	सांत्वना
16	नराकास मुजफ्फरपुर	प्रथम	40	बैंक नराकास, बरेली	सांत्वना
17	बैंक नराकास, पुणे	द्वितीय	41	बैंक नराकास, जोधपुर	सांत्वना
18	बैंक नराकास दिल्ली	द्वितीय	42	बैंक नराकास, भुवनेश्वर	सांत्वना
19	नराकास, कृष्णा नगर	द्वितीय	43	नराकास, कोयंबटूर	सांत्वना
20	नराकास, हरदोई	द्वितीय	44	नराकास खम्मम	सांत्वना
21	नराकास, बोंगाईगांव	द्वितीय	45	नराकास, दुर्गापुर	विशेष पुरस्कार
22	बैंक नराकास, नोएडा	द्वितीय	46	नराकास, उदयपुर	सम्मान पत्र
23	बैंक नराकास, मेरठ	द्वितीय	47	नराकास शिलांग	सम्मान पत्र
24	बैंक नराकास, दिल्ली	द्वितीय	48	बैंक नराकास हैदराबाद	शील्ड

राजभाषा सम्मेलन - बैंक ने (कुल 9) अखिल भारतीय ई - राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया.

केन्द्रीय कार्यालय	29.06.2021	भोपाल	20.09.2021	इन सम्मेलनों में वित्तीय सेवाएं विभाग एवं भारत सरकार, राजभाषा विभाग के अधिकारी, नराकास सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधि, सुप्रसिद्ध लेखक एवं अपने बैंक के सर्वोच्च कार्यपालकगण उपस्थित हुए.
पुणे	05.02.2022	चेन्नई	07.02.2022	
मुंबई	23.02.2022	अहमदाबाद	25.02.2022	
पटना	15.03.2022	दिल्ली *	31.03.2022	
केन्द्रीय कार्यालय	31.03.2022	(* केन्द्रीय कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से		

राजभाषा सेमिनार : क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 30.10.2021 को नेतृत्व कौशल और व्यक्तित्व विकास पर ई - सेमिनार / वेबिनार का आयोजन किया गया. दिनांक 01.02.2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर द्वारा बैंक नराकास, ग्वालियर के तत्वावधान में 'आजादी का अमृत महोत्सव' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया. दिनांक 01.02.2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, गया द्वारा श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग की उपस्थिति में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया. क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' पर एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

अखिल भारतीय हिंदी प्रतियोगिताएं:

- » अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता
- » अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी आलेख प्रतियोगिता
- » अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता
- » अखिल भारतीय हिंदी सेंटमेल प्रतियोगिता
- » वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिंदी नोटिंग प्रतियोगिता
- » अखिल भारतीय हिंदी गीत-गायन प्रतियोगिता
- » सभी स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी सामान्य ज्ञान की " केन्द्रीय चैंपियन प्रतियोगिता "

भाषा शिक्षण - 10 भारतीय भाषाओं (बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उड़िया) को आसानी से सीखने के लिए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/सीएलडी की मदद से सेंट सरल ई-पुस्तकें तैयार की गईं.

पुस्तकें - केन्द्रीय कार्यालय एवं सभी (10) अंचलों द्वारा विभिन्न बैंकिंग विषयों जैसे- हमारे खुदरा उत्पाद, कृषि उत्पाद, जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद, बैंकिंग धोखाधड़ी निवारण, प्रबंधकीय दक्षता, सरकारी व्यवसाय, ग्राहक सेवा, डिजिटल हिंदी, हमारे डिजिटल बैंकिंग उत्पाद एवं एमएसएमई के संबंध में वित्तीय विवरण पर हिंदी भाषा में कुल 11 पुस्तकें (प्रत्येक द्वारा एक) तैयार की गयी हैं.

'सेन्ट्रलाइट' - तिमाही द्विभाषी गृह पत्रिका 'सेन्ट्रलाइट' एवं तिमाही हिंदी गृह पत्रिका 'सेन्ट्रल मंथन' का नियमित प्रकाशन हो रहा है.

राजभाषा प्रदर्शनियां - विभिन्न राजभाषा प्रदर्शनियों के रूप में, हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी, हिंदी कार्य प्रदर्शनी, हिंदी व्हाट्सएप संदेश प्रदर्शनी, हिंदी अनुवाद प्रदर्शनी और हिंदी पत्रिका प्रदर्शनी आदि का आयोजन हमारे आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया था.

ई-पत्रिकाओं का प्रकाशन - हमारे आंचलिक कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से ई- पत्रिकाएं प्रकाशित किया जा रहा है.

बैंक नराकास दिल्ली द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आंचलिक कार्यालय दिल्ली की ई- पत्रिका 9 सेन्ट्रल वाणी" को द्वितीय पुरस्कार दिया गया.

बैंक नराकास मेरठ द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ की ई- पत्रिका 9 सेंट मंगल" को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

हिंदी पोस्टर - पूरे भारत वर्ष में हमारे विभिन्न कार्यालयों द्वारा 64 हिन्दी पोस्टर (संदेश, उद्धरण, दिशानिर्देश आदि) जारी किए गए.

नराकास - हमारा बैंक 11 नराकासों (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां) - अकोला, भोपाल (बैंक), देवरिया, गोलाघाट, ग्वालियर (बैंक), लखीमपुर (उत्तर), मदुरै, पणजी, रायपुर (बैंक), ठाणे और उदालगुडी का संयोजक है.

विभिन्न आयोजन:

- » तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के स्टाफ ने गायक लता मंगेशकरजी के गीतों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है. यह उन्हें एक संगीतमय श्रद्धांजलि थी और हिंदी को बढ़ावा देने का एक प्रयास था.
- » नराकास मेरठ के तत्वावधान में क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ने दिनांक 26.04.2022 को हिंदी गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया.
- » क्षेत्रीय कार्यालय बरेली द्वारा बैंक नराकास बरेली के तत्वावधान में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.
- » दिनांक 14.04.2022 को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 131वीं जयन्ती के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय पुणे ने संविधान, सामान्य और बैंकिंग ज्ञान से संबंधित एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया.
- » सभी कार्यालयों द्वारा विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया.

विपणन विभाग :

- » वर्ष 2019 में केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर नया मार्केटिंग वर्टिकल स्थापित किया गया है. मार्केटिंग वर्टिकल में निम्न शामिल हैं:

- 1) विपणन विभाग.
- 2) कॉर्पोरेट संप्रेषण विभाग
- 3) जनसंपर्क विभाग
- 4) सोशल मीडिया विभाग

5) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

1. विपणन विभाग :

- » विपणन अधिकारी तथा शाखा प्रबंधक/ शाखा के उप-प्रभारी के उपयोग के लिए साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा लीड्स की निगरानी करने तथा उसको पंच करने लिए मार्केटिंग पोर्टल विकसित किया गया है.
- » मार्केटिंग टीम मुख्य रूप से रिटेल, एमएसएमई और कासा पर ध्यान केंद्रित करती है.
- » विभाग ने कुल ₹5445 करोड़ की राशि के 14828 लीड मोबिलाइज किया, जिसमें से 9718 लीड को ₹2494 करोड़ के व्यवसाय में परिवर्तित किया गया.
- » मिस कॉल की सुविधा जुलाई 921 में शुरू की गई थी. जिसके माध्यम से शाखाओं को अग्रेषित कुल 601 लीड के तहत ₹ 117.24 करोड़ है, जिसमें से 256 लीड को 60.08 करोड़ रुपये के व्यवसाय में परिवर्तित किया गया.
- » क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से विपणन अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना .
- » फील्ड में काम करने वाले स्टाफ सदस्यों की सुविधा हेतु मार्केटिंग पोर्टल को और अधिक सुलभ बनाया गया.
- » पैन इंडिया आधार पर लीड रूपांतरण के संदर्भ में तिमाही अनुसार शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वालों (विपणन अधिकारियों) को प्रशंसा पत्र जारी किए गए.
- » सभी क्षेत्रों और विपणन अधिकारियों को दैनिक प्रदर्शन की निगरानी के लिए दैनिक आधार पर पिछले दिन के मिस्ड कॉल के डेटा के साथ चार स्लाइड अर्थात मार्केटिंग पीपीटी, मिस कॉल का विवरण, टॉप और बॉटम 10 क्षेत्र, प्रदान किया गया.
- » पिछले वर्ष के लक्ष्य ₹ 3410 करोड़ के मुकाबले 4400 करोड़ रुपये का कुल लक्ष्य निर्धारित किया गया.

डिजिटल मार्केटिंग एवं इसका व्यवसाय संचालन पर प्रभाव :

- » **ग्राहक संपर्क** - डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ब्रांड और दर्शकों के बीच आसान और त्वरित संप्रेषण को सक्षम किया है. यह वैश्विक दर्शकों से जुड़ने में भी मदद करता है.
- » **सामग्री वितरण** - प्रति दिन संगठन सोशल मीडिया, ई-मेल, एप्लिकेशन, न्यूज लेटर आदि के माध्यम से दर्शकों के साथ व्यापक सामग्री साझा करता है. इस प्रकार संगठन आसानी से अपने संदेश अत्याधिक दर्शकों तक पहुंचा सकता है.
- » **ग्राहक जानकारी** - प्रौद्योगिकी की मदद से संगठन ग्राहकों के डेटा को ट्रैक कर सकता है. डेटा का विश्लेषण हमें ग्राहकों की पसंद और वरीयताओं को जानने में मदद कर सकता है. जिसके आधार पर हम महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं.
- » **नवोन्मेष प्रोत्साहन** - डिजिटल मार्केटिंग एक अभिनव तरीके से ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है. जब बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है तो एक अभिनव दृष्टिकोण रखने से ब्रांडों को पहचान बनाने में मदद मिलती है.

हमारे बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक मजबूत पैर जमा लिया है,

जो आज डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूप है और सभी प्रमुख सोशल हैंडल जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकडइन और यूट्यूब में मौजूद है.

बैंक मिलेनियल्स और जनरेशन-जेड ग्राहकों की पसंदीदा पसंद बनने के अपने प्रयास में ब्रांड धारणा विकसित करने के लिए अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों को गति देने की इच्छा रखता है.

बैंक काफी समय से डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती दुनिया में अपनी उपस्थिति महसूस करवाने के लिए कुछ डिजिटल मार्केटिंग अभियान चला रहा है. इसे औपचारिक आकार देने के लिए, बैंक ने अब एक कदम आगे बढ़कर डिजिटल मार्केटिंग योजनाओं को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है.

आने वाले वर्षों में हमारा बैंक डिजिटल मार्केटिंग के प्रभावी उपयोग के साथ बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में मार्केट लीडर बनने के लिए आश्वस्त है.

2. कॉर्पोरेट संप्रेषण विभाग

कॉर्पोरेट संप्रेषण विभाग ब्रांडिंग, उत्पाद विपणन और कॉर्पोरेट संप्रेषण की दिशा में बैंक की पहल हेतु उत्तरदायी है. विभाग ने देश भर में ब्रांडिंग की अपनी प्रक्रिया को दृढ़ किया है और किसी भी ब्रांडिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित की है.

कोविड 19 महामारी के दौरान, बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम नाम से एक नया जमा उत्पाद प्रारम्भ किया था. जब, महामारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई, बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहकों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ फिर से आगे बढ़ने में मदद की. बैंक ने उन लोगों को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया था जिन्हें कोविड -19 वैक्सीन का कम से कम एक जैब दिया गया था.

ट्रैफिक बैरिकेड्स, नो पार्किंग बोर्ड, पुलिस बूथ, बॉल पेंटिंग, बस, ट्रेन, लोकल केबल चैनल, एफएम रेडियो जैसी पारंपरिक ब्रांडिंग के अलावा विभाग ने विभिन्न ऐप और वेबसाइटों पर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने की व्यवस्था की थी.

बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं जैसे गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण और डिजिटल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख गतिविधियां / प्रायोजित कार्यक्रम आयोजित किये.

बैंक के उत्पाद और सेवाओं की ब्रांडिंग हेतु विभिन्न मीडिया चैनल जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक / डिजिटल / सोशल, आउटडोर मीडिया, एटीएम आदि का प्रयोग किया गया. विभाग का जोर प्रासंगिक बने रहने एवं बैंक को सबसे जीवंत और भरोसेमंद ब्रांडों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए एक परिवर्तित उत्प्रेरक की तरह कार्य करने हेतु अपनी सभी ब्रांडिंग को लगातार सशोधित एवं संवर्धित करना है.

वर्ष के दौरान हमारे बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के व्यापक प्रचार व दृश्यता हेतु देशभर में कृत प्रमुख प्रचार गतिविधियां निम्नानुसार हैं :

- » 2020 टोक्यो पैरालिंपिक खेलों का प्रायोजन.

- » बैंक के 111वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीएनबीसी टीवी 18 और ईटी नाउ चैनलों पर बैंक का विज्ञापन.
- » वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की साधारण वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण और आपूर्ति.
- » शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का अभिनंदन
- » महिला केंद्रित योजनाओं जैसे सेंट गृह लक्ष्मी गृह ऋण और सेंट वाहिनी वाहन ऋण योजना का प्रचार.
- » लाल किला, चांदनी चौक, नई दिल्ली में होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन
- » माई एफएम, रेड एफएम और रेडियो सिटी पर रेडियो जिंगल
- » नई दिल्ली में 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का प्रायोजन
- » आईआरसीटीसी वेबसाइट के यात्री विवरण पृष्ठ के शीर्ष पर बैंक का विज्ञापन.
- » एफआईबीसी (फिक्की) 2021 का प्रायोजन.
- » ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रायोजन.

3. जनसंपर्क विभाग-

- » विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रेस विज्ञप्तियों को जारी किया गया.
- » त्रैमासिक वित्तीय परिणाम और विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों की घोषणा के समय प्रेस मीट और एनालिस्ट मीट का आयोजन.
- » हमारे शीर्ष प्रबंधन और मुंबई आने वाले विभिन्न सरकारी / भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारियों / निदेशकों के लिए प्रोटोकॉल कर्तव्यों का समन्वय किया गया.
- » हमारे बोर्ड सचिवालय और सुरक्षा / परिवहन विभाग के साथ बोर्ड सह प्रबंध समिति की बैठकों के लिए समन्वयन.
- » एमबीडी विभाग के साथ हमारे बैंक की वार्षिक आम सभा की बैठक के लिए समन्वयन.

4. सोशल मीडिया -

सोशल मीडिया आज डिजिटल मार्केटिंग का सबसे प्रमुख रूप बन गया है. हमारे बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत डिजिटल मीडिया की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और इन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु की गई थी. इसने हमारे बैंक को मौजूदा और संभावित ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद की है. हमने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंकडइन और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. सोशल मीडिया की मदद से, हम ओआरएम (ऑनलाइन रेपुटेशनल मैनेजमेंट) नामक टूल के साथ मौजूदा और संभावित ग्राहकों के प्रश्नों और शिकायतों को हल करने और हल करने की निरंतर प्रक्रियारत हैं.

सोशल मीडिया गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- » विभाग द्वारा दैनिक आधार पर और समकक्ष विभागों से प्राप्त विचारों पर भी क्रेएटिव बनाए गए हैं और पोस्ट किए जा रहे हैं.
- » विभाग ने डीएफएस, एनपीसीआई, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी संस्थानों के विभिन्न अभियान चलाए.

- » ग्राहकों को हमारे उत्पादों/योजनाओं की विशेषताओं से अवगत कराने के लिए विभिन्न ब्रांड वार्तालाप अभियान चलाए गए.
- » हमारे एडीसी (वैकल्पिक वितरण चैनल) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अभियानों का समन्वय किया गया.
- » ब्रांड जागरूकता पैदा करने और संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं की जानकारी प्रसारित की गई.
- » आज़ादी के अमृत महोत्सव की विभिन्न गतिविधियों को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकेएम हैशटैग के साथ बनाया और साझा किया गया था.
- » भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान में भाग लिया.
- » ग्राहक सेवा उत्कृष्टता के लिए और शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए मई 2021 के महीने में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी.
- » हमारे सोशल हैंडल में टिप्पणियों/प्रश्नों/शिकायतों को हमारे ऑनलाइन प्रतिष्ठा प्रबंधन (ओआरएम) टूल की मदद से नियंत्रित किया जा रहा है और सोशल मीडिया में उचित उत्तर पोस्ट किए जा रहे हैं.
- » औसतन हमें प्रतिदिन 150 से 200 शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनका समाधान उसी दिन कर दिया जाता है.
- » वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राहकों से 302 सराहनाएं मिली, जिनकी चिंताओं को दूर किया गया था.
- » अलग-अलग विभागों से संबंधित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए मामले तत्काल देखे जा रहे हैं.

31 मार्च 2022 तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स / लाइक :

ट्विटर - 49469 फालोअर
फेसबुक - 133207 लाइक
इंस्टाग्राम - 3445 फालोअर
लिंकडइन - 4700 फालोअर
यूट्यूब - 8510 फालोअर

5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

- » सीएसआर व्यवसाय द्वारा कार्यबल एवं उनके परिवारों के साथ-साथ समुदायिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार सहित और समग्र रूप से समाज के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता है.
- » शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं और समाज के समग्र सामाजिक कल्याण हेतु समाज के गरीब, पिछड़े लोगों के उत्थान हेतु काम करने वाले संगठन / ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर के तहत दान करना हमारी निरंतर प्रतिबद्धता है.
- » वित्त वर्ष 2021-22 हेतु सीएसआर बजट शून्य था क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक को घाटा हुआ था.

सतर्कता

प्रणालीगत सुधार :

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार किए गए:

- » एनपीए खातों से जुड़े खातों के लिए पॉप अप संदेश
- » विभागीय जांच करने के लिए अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति
- » बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट प्वाइंट का आकस्मिक औचक निरीक्षण.
- » ऋण प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल सेंटर - सीपीएसी मॉडल और लेंडसेफ, कामकाज में सुधार की गुंजाइश.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021:

सीबीसी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा 26.10.2021 से 01.11.2021 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021" को सही भावना और इस वर्ष की थीम "स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता" के अनुरूप मनाया गया. दिनांक 26.10.2021 को केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई. हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सभी 10 आंचलिक कार्यालयों, 90 क्षेत्रीय कार्यालयों और बैंक की सभी 4594 शाखाओं और 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी इसी तरह के समारोह आयोजित किए गए थे.

सीबीसी वेबसाइट पर ग्राहकों एवं स्टाफ को ई-शपथ लेने हेतु अखंडता प्रतिज्ञा के लिए हाइपरलिंक प्रदान किया गया.

जैसा कि आयोग द्वारा वांछित था, उन आंतरिक (हाउसकीपिंग) गतिविधियों पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया, जिन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में अभियान में लिया गया था.

विभिन्न मंचों के माध्यम से संगठन की नीतियों / प्रक्रियाओं और निवारक उपायों पर कर्मचारियों, उनके रिश्तेदारों और अन्य हितधारकों के लिए 156 कार्यशालाएं / संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

सीबीसी के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने कर्मचारियों के लिए 26 वाद-विवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए. सतर्कता जागरूकता सप्ताह अवधि के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 1386 ने भाग लिया. बैंक ने पूरे भारत में ग्राहक शिकायत निवारण पर 1169 कार्यक्रम/शिविरों का आयोजन किया था. पूरे तीन केंद्रों पर एफएम चैनलों पर पीआईडीपीआई पर रेडियो जिगल्स को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान प्रसारित किया गया और बैंक के खुदरा उत्पादों के विज्ञापन के साथ प्रसारित किया गया.

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हमारे बैंक के विभिन्न स्थानों पर 1 वृक्षारोपण कार्यक्रम, 12 वॉकथॉन, 3 क्रिकेट मैच, 3 कार रैलियां, एक प्रदर्शनी और एक मानव श्रृंखला गतिविधियों का आयोजन किया गया.

भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर आंतरिक प्रतिभागियों के साथ एक वीडियो फिल्म का मंचन किया गया और पीआईडीपीआई के तहत शिकायतों पर व्यापक प्रचार किया गया. इसके अलावा सभी केंद्रों पर स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए एक वीडियो प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें 328 बच्चों ने पूरे उत्साहपूर्वक भाग लिया.

कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान "ऋण और परिचालन - लेखापरीक्षा के सतर्कता पहलू" विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया था, जिसमें 100 से अधिक आंतरिक लेखा परीक्षकों ने भाग लिया है. इसी तरह, बैंक के अन्य क्षेत्रों में भी सतर्कता पहलुओं पर 5 व्याख्यान आयोजित किए गए.

बैंक ने पूरे देश में पांच अतिथि व्याख्यान आयोजित किए थे जिसमें पुलिस, सीबीआई आदि के वरिष्ठ अधिकारियों को स्टाफ सदस्यों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था.

मानव संसाधन विकास विभाग

योजना का नाम	विवरण																														
कार्मिक शक्ति	मार्च-2022 के अंत में, बैंक के कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष के 32335 की तुलना में 30289 थी. कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है: <table><tr><th>श्रेणी</th><th>मार्च-18</th><th>मार्च-19</th><th>मार्च 20</th><th>मार्च 21</th><th>मार्च 22</th></tr><tr><td>अधिकारी</td><td>17166</td><td>16868</td><td>16563</td><td>16565</td><td>16248</td></tr><tr><td>लिपिक</td><td>12300</td><td>11766</td><td>10356</td><td>9761</td><td>8415</td></tr><tr><td>अधिनस्थ</td><td>7377</td><td>7041</td><td>6562</td><td>6009</td><td>5626</td></tr><tr><td>योग</td><td>36843</td><td>35675</td><td>33481</td><td>32335</td><td>30289</td></tr></table>	श्रेणी	मार्च-18	मार्च-19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22	अधिकारी	17166	16868	16563	16565	16248	लिपिक	12300	11766	10356	9761	8415	अधिनस्थ	7377	7041	6562	6009	5626	योग	36843	35675	33481	32335	30289
श्रेणी	मार्च-18	मार्च-19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22																										
अधिकारी	17166	16868	16563	16565	16248																										
लिपिक	12300	11766	10356	9761	8415																										
अधिनस्थ	7377	7041	6562	6009	5626																										
योग	36843	35675	33481	32335	30289																										
भर्ती और पदोन्नति	वर्ष 2021-22 के दौरान नई भर्ती:- » विशेषज्ञ अधिकारी- 12 » अनुकंपा के आधार पर 13 अधीनस्थों और 42 लिपिकों की नियुक्ति. सभी वेतनमान और संवर्ग के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई है. वर्ष 2021-22 के दौरान अंतर-वेतनमान और अंतर-संवर्ग पदोन्नति प्रक्रियाओं का संचालन किया गया और कर्मचारियों / अधिकारियों को उच्च संवर्ग / वेतनमान में पदोन्नत किया गया. 673 लिपिकों को स्केल- I अधिकारियों में पदोन्नत किया गया और 1028 अधिकारियों को उच्च स्तर ग्रेड / वेतनमान पर पदोन्नत किया गया. अखिल भारतीय आधार पर 1063 अधिकारियों के अनुरोध स्थानांतरण आवेदनों पर विचार किया गया. विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 620 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, 1440 लिपिक कर्मचारियों और 671 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए मांगपत्र रखा है.																														
कर्मचारी लाभ	बैंक में कर्मचारी कल्याण योजनाएं:- ➤ सेवा में देहांत होने वाले कर्मचारियों के परिवार को राहत ➤ हॉलिडे होम और ट्रांजिट होम ➤ परिसर में कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान - डॉक्टरों को वेतन और दवाओं की लागत ➤ स्टाफ के लिए कैटीन सब्सिडी की सुविधा																														

योजना का नाम	विवरण
	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोनस का भुगतान:- वर्ष 2020-21 के लिए सभी पात्र कर्मचारियों को 'वेतन' के 8.33% की दर से अधिकतम 7000/- रुपये के बोनस का भुगतान किया जा चुका है। कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा कवरेज:- कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना है जिसे 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए नवीकृत कर दिया गया है। साथ ही इस योजना के तहत वैकल्पिक सुपर टॉप-अप सुविधा को लगातार दूसरी बार कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है। कॉर्पोरेट बफर :- बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 (01.10.2021 से 30.09.2022 तक प्रभावी) के लिए सेवारत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा के तहत "कॉर्पोरेट बफर" योजना लागू की है, जो कि बड़ी बीमारियों के मामले में, मूल बीमा राशि और सुपर टॉप अप से अधिक राशि के लिए किए गए खर्च के लिए है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी : सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। ग्यारहवीं बीपीएस/संयुक्त नोट के संदर्भ में प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु, पीएलआई मैट्रिक्स के संदर्भ में, 11वें बीपीएस/8वें संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुरूप प्रारंभ की गई पीएलआई योजना के आधार पर बैंक के सभी कर्मचारियों को 5 दिन का प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन वेतन का भुगतान किया गया है। संयुक्त चर्चा और व्यवसाय विकास:- » बहुसंख्यक यूनियनों के साथ व्यवसाय विकास बैठक 08 जून 2021 और 24 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। » दिसंबर 2021 को एआईसीबीओएफ (मेजॉरिटी ऑफिसर्स यूनियन) के साथ संयुक्त चर्चा हुई। » अक्टूबर 2021 और 31 दिसंबर 2021 को एआईसीबीईएफ (मेजॉरिटी अवार्ड स्टाफ यूनियन) के साथ संयुक्त चर्चा हुई। कोविड-19 महामारी के तहत कर्मचारियों को सुविधाएं एवं कृत अन्य उपाय : प्रबंधन ने कोविड -19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्टाफ सदस्यों को नीचे उल्लिखित सुविधाओं का विस्तार किया था: - » ब्याज मुक्त ऋण के रूप में एक माह का सकल वेतन, अधिकतम ₹1 लाख की राशि। » सरकार के दिशानिर्देश के अनुरूप कई मामलों में, कोविड-19 निवारक उपाय के रूप में, गर्भवती महिला स्टाफ सदस्यों / कैसर से पीड़ित स्टाफ सदस्यों को घर से काम करने की सुविधा और उन स्टाफ सदस्यों को वेतन की हानि के बिना विशेष अवकाश जो नेत्रहीन हैं और विकलांग कर्मचारी हैं प्रदान की गई। » कोरोना वायरस (कोविड -19) के कारण मृत्यु को प्राप्त स्टाफ सदस्यों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में 20.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता। समर्पित "सेंट कोविड हेल्प" ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ :- कोविड -19 महामारी के अभूतपूर्व समय के दौरान जब स्टाफ के सदस्य और उनके आश्रित उचित चिकित्सा और उपचार आदि प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, डीआईटी द्वारा एक इन-हाउस उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया था ताकि स्टाफ सदस्यों को भारत में कहीं से भी स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए कोविड -19 संबंधित आवश्यकताओं का अनुरोध शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके और प्रशासनिक कार्यालयों के संबंधित हेल्पलाइन स्वयंसेवी कर्मचारी सदस्य यथासंभव आवश्यक सहायता प्रदान करके उन हेल्प डेस्क अनुरोधों का जवाब देंगे। स्टाफ सदस्य भी उपरोक्त आवश्यकताओं से संबंधित स्वयंसेवी सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम थे।

योजना का नाम	विवरण
	कोविड-19 टीकाकरण:- सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कोविड-19 के टीकाकरण लागत की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा प्रदान की गई है. क्षेत्र और आंग्र के लिए पुरस्कार और मान्यता योजना: - एफजीएम / एसआरएम / आरएम के लिए पुरस्कार और मान्यता योजना को हमारे स्टाफ सदस्यों के अधिकतम टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था.
कर्मचारी विकास	कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस): - एपीएआर से कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) में उन्नयन प्रमुख मानव संसाधन पहलों में से एक रहा है. वर्ष 2021-22 के लिए पीएमएस मॉड्यूल शुरू किया गया था. अध्ययन और विकास: - वर्ष 2021-22 के प्रशिक्षण कैलेंडर को बैंक की व्यवसाय योजना के अनुरूप बनाया गया था. प्रशिक्षण का मुख्य फोकस बैंक में अनुपालन संस्कृति का निर्माण, बैंक का सीडी अनुपात बढ़ाना, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, लाभ बढ़ाना और डिजिटल पैठ बढ़ाना था. इसके लिए वित्त वर्ष 2022 में तीन अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों और 15 सीएलडी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए: » बैंक में अनुपालन संस्कृति: » बैंकिंग में अनुपालन संस्कृति » आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए शाखाओं की प्रभावी लेखापरीक्षा » लेखापरीक्षा और अनुपालन » बैंक का सीडी अनुपात बढ़ाना: » ऋण को समझना: कॉर्पोरेट ऋण और एमएसएमई » कृषि इंफ्रा ऋण और कृषि में ऋण मॉनिटरिंग » पीएस ऋण बढ़ाना » कृषि पोर्टफोलियो तैयार करना » खुदरा ऋण और लाभप्रदता » सीपीएसी वास्तुकला » सेंट प्रगति योजना आस्ति की गुणवत्ता में सुधार: » सरफेसी अधिनियम, वाहन प्रवर्तन पर एसओपी » वसूली टूल्स » एनपीए वसूली के लिए रणनीतियां » पुनर्गठन पैकेज 2.2 और संकल्प पैकेज 2.0 » एसएमएम्ही और एआरबी के लिए वसूली टूल्स » एसेट क्वालिटी मंटेनेंस, स्लिपेज को रोकना और वसूली » वसूली - मेरा हर दिन एजेंडा - सब स्टाफ के लिए लाभ बढ़ाना: » लाभ केंद्र के रूप में प्रत्येक शाखा » लाभप्रदता के लिए कासा और सरकारी व्यवसाय को बढ़ाना डिजिटल पेनेट्रेशन: » डिजिटल उन्मुख बनना » डिजिटल प्रौद्योगिकी - प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

योजना का नाम	विवरण																
	इसके अलावा, एसपीबीटीसी ने कॉरपोरेट व्यवसाय को संप्रेषित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों तथा विशेषज्ञ अधिकारियों, विशेषज्ञ शाखाओं, एसपीबीटीसी द्वारा दिए गए पूरक सिद्धांत और केस स्टडीज के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं. निम्नलिखित कार्यक्षेत्र/विशेषज्ञ अधिकारी/विशेषीकृत शाखाएं शामिल थीं: » ऋण निगरानी » परिचालन – परिचालन और परिचालन जोखिम पर » मानव संसाधन » एआरडी और एफआई » जीएडी » आरएलसीसी/जेडएलसीसी – निर्यात/आयात ऋण पर विशेष ध्यान देने के साथ » एसएमवी/एआरबी शाखाएं » सतर्कता अधिकारी » आईटी अधिकारी » जोखिम अधिकारी » आंतरिक लेखा परीक्षक सभी इकाइयों द्वारा एसबीए और सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया इसके अलावा, ऋण और अनुपालन पर कुछ स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए. महामारी के प्रकोप के साथ अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में आयोजित किए गए थे. कक्षा प्रशिक्षण के लिए भौतिक कक्षा के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले बहुत कम कार्यक्रम, जैसे नए भर्ती विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, सभी वेतनमानों में पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण, कोषागार अधिकारी, पीओएसएच, आदि आयोजित किए गए. ई-लर्निंग: वर्ष 2022 में एलएमएस में लॉन्च किए गए मॉड्यूल की संख्या में वर्ष की शुरुआत में 104.5 घंटे से बढ़कर वर्ष के अंत में 85 विषयों में विस्तृत कुल 208 घंटे हो गए. सभी संबंधित पाठ्यक्रमों को जोड़ा गया, ताकि बैंकिंग के सभी विषयों को पूरा किया जा सके. स्वीकार्यता दर: - 69.79% अधिकारियों और 50.83% लिपिकों ने वित्त वर्ष 2021-22 में न्यूनतम एक मॉड्यूल पूरा किया था, और सभी में 15617 कर्मचारियों ने न्यूनतम एक ई-लर्निंग मॉड्यूल पूरा किया था. इन सभी कर्मचारियों द्वारा 61236 मॉड्यूल पूरे किए गए. अनिवार्य 6 घंटे ई-लर्निंग को पूरा करने वाले अधिकारियों की संख्या में वर्ष के दौरान काफी सुधार हुआ, साथ ही कुल मॉड्यूल का उपयोग करते हुए पूर्ण किया गया. वीडियो आधारित शिक्षा:- वीडियो आधारित पाठ भी शुरू किए गए हैं जिसके माध्यम से प्रशिक्षण कक्षाएं (पीपीटी और फ्लैकल्टी) रिकॉर्ड की जाती हैं और यहीं पाठ सेंट स्वाध्याय ऐप पर भी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं. वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की स्थिति (31.03.2022 तक):																
	<table><tr><th></th><th>कुल संख्या</th><th>मार्च-2022 तक प्रशिक्षित</th><th>मार्च-2022 तक कवर किया गया ₹</th></tr><tr><td>अधिकारी</td><td>16248</td><td>15658</td><td>96.36</td></tr><tr><td>पंचाट कर्मचारी</td><td>14041</td><td>10619</td><td>75.62</td></tr><tr><td>कुल योग</td><td>30289</td><td>26277</td><td></td></tr></table>		कुल संख्या	मार्च-2022 तक प्रशिक्षित	मार्च-2022 तक कवर किया गया ₹	अधिकारी	16248	15658	96.36	पंचाट कर्मचारी	14041	10619	75.62	कुल योग	30289	26277	
	कुल संख्या	मार्च-2022 तक प्रशिक्षित	मार्च-2022 तक कवर किया गया ₹														
अधिकारी	16248	15658	96.36														
पंचाट कर्मचारी	14041	10619	75.62														
कुल योग	30289	26277															

योजना का नाम	विवरण
	वर्ष 2021-22 के दौरान की गई विशेष प्रशिक्षण पहल इस प्रकार हैं:- » भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कलकत्ता के सहयोग से भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा संचालित "बैंकिंग और वित्त में 10 वें अग्रिम प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी) " के लिए 10 अधिकारियों को नामित किया गया. » आईआईएम बैंगलोर द्वारा संचालित नेतृत्व विकास कार्यक्रम हेतु 3 कार्यपालकों को नामित किया गया. » बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा संचालित निदेशक विकास कार्यक्रम के लिए 7 निदेशकों को नामित किया गया. » बाह्य प्रशिक्षण एजेंसियां यथा एनआईबीएम, कैब, फेडआई, आईआईबीएफ, कॉर्डेक्स , एसएचआरएम , एफआईएमएमडीए आदि द्वारा संचालित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्तरों के 391 अधिकारियों को नामित किया गया. » अधिकारियों के लिए यूनिफॉर्म मिड-कैरियर प्रशिक्षण संरचना बैंक द्वारा अपनाई गई थी. क्षमता निर्माण :- हमारे बैंक में कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ट्रेजरी, जोखिम, लेखा और ऋण विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 374 कर्मचारियों के लिए प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, मानव संसाधन पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण के तहत एसएचआरएम से एचआर प्रमाणन (सीपी/एससीपी) के लिए 21 अधिकारियों को भी नामांकित किया गया है. कर्मचारी सहबद्धता :- बैंक ने कर्मचारियों की सोच का जायजा लेने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण किया था ताकि कर्मचारियों में समावेशन और समृद्धता की भावना को बढ़ाने में मदद करने के तरीकों का आकलन किया जा सके. प्राप्त जानकारी से बैंक को अपनी ताकत का लाभ उठाने और उन चिन्हित क्षेत्रों पर काम करने में मदद मिलेगी जिनमें सुधार की आवश्यकता है. सर्वेक्षण की रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल थे: - कर्मचारी संतुष्टि ➡ कर्मचारी सहबद्धता ➡ संगठन संस्कृति ➡ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम स्थान कैरियर प्लानिंग (उत्तराधिकार योजना):- इस प्रतिस्पर्धी माहौल में प्रमुख पदों के लिए उत्तराधिकारियों की पहचान करना और उनका विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि कार्यात्मक विभागों के निर्बाध परिवर्तन और कामकाज के साथ-साथ कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति को सुनिश्चित किया जा सके और इस उद्देश्य के साथ बैंक ने प्रोजेक्ट 'सेंट नर्चर' शुरू किया था. परियोजना के तहत, स्केल IV और उससे ऊपर के 1175 पात्र अधिकारियों के लिए उत्तराधिकार योजना अभ्यास पूरा किया गया. इन अधिकारियों के लिए उनके कार्मिक विकास उपायों की योजना और प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में व्यक्तिगत विकास योजनाएं (आईडीपी) बनाई गई हैं. आईडीपी लक्ष्यों के तहत प्रगति को सेंट स्वाध्याय पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है. पथ प्रदर्शक (मेंटरशिप) :- मेंटरशिप प्रक्रिया को एक नई पहल के रूप में पेश किया गया था और मेंटरशिप प्रोग्राम को कर्मचारी के निरंतर विकास और विकास का समर्थन करने, ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा और हमारे स्टाफ (मेंटिस और मेंटर्स) में भी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया था. मेंटरशिप यात्रा के माध्यम से, अनुभवी अधिकारी अन्य कर्मचारियों को उनके लक्ष्यों और कौशल को समय-सीमित, अनौपचारिक, आमने-सामने बातचीत और अन्य सीखने की गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित करने में मदद करेंगे. इंटर्नशिप :- हमारे बैंक में इंटर्नशिप नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और बाद में बैंक के विभिन्न विभागों में 150 इंटर्नशिप अवसरों की पहचान की गई है. इंटर्नशिप कार्यक्रम उम्मीदवार की वरीयता और शैक्षिक विशेषज्ञता के अनुसार किसी विशेष विभाग में बैंकिंग उद्योग और व्यावहारिक ज्ञान का अवलोकन प्रदान करता है. उम्मीदवार इंटर्नशिप कार्यक्रम से गुजरने के लिए वजीफे के लिए भी पात्र हैं.

योजना का नाम	विवरण
नीतियां	समीक्षाकृत नीतियां:- अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए मानदंड (मुख्यधारा / विशेषज्ञ) और अधिकारियों के लिए कैरियर पथ- सह-पदोन्नति नीति (मुख्यधारा / विशेषज्ञ) वेतनमान। से III में अधिकारियों (मुख्यधारा / विशेषज्ञ) के स्थानांतरण के लिए स्टाफ के अनुकूल मानदंड और अधिकारियों के लिए कैरियर पथ-सह-पदोन्नति नीति की समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। एचआरडी लेखापरीक्षा नीति :- एचआरडी ऑडिट बैंक के लघु एवं दीर्घकालिक व्यावसायिक लक्ष्यों तथा योजनाओं के संदर्भ में वर्तमान मानव संसाधन विकास रणनीतियों, संरचना, प्रणालियों, शैलियों और कौशल का एक व्यापक मूल्यांकन है। यह वर्तमान एचआरडी गतिविधियों एवं उपलब्ध सूचनाओं का आकलन करने के बाद बैंक की भावी एचआरडी आवश्यकताओं को ज्ञात करने का प्रयास करता है। एचआरडी लेखापरीक्षा नीति की समीक्षा की गई एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया भर्ती नीति : कुछ संशोधनों / परिवर्धन के साथ और सही समय पर सही क्षमताओं, कौशल और विशेषज्ञता रखने वाले सही कर्मियों की भर्ती के लिए भर्ती नीति की समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। आचार संहिता, व्यवसाय संचालन और हितों के टकराव पर नीति: हाल के दिनों में बैंकिंग उद्योग ने धोखाधड़ी, लालच, अंदरूनी दुर्व्यवहार, खराब नैतिक मूल्यों और आंतरिक नियंत्रण, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि आदि की विभिन्न घटनाओं को देखा है। हालांकि, हमारे बैंक ने अधिकारियों के कर्मचारियों के आचरण, यौन संबंधी उत्पीड़न दिशानिर्देश, ड्रेस कोड दिशानिर्देश, व्हिसलब्लोअर नीति इत्यादि, पर परिभाषित नीतियां / विनियम है फिर भी नैतिक संहिताओं और व्यवसाय आचरण दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई जो किसी भी प्रकार की नैतिक दुविधा की स्थिति में कर्मचारी की सहायता कर सके। तदनुसार आचार संहिता, व्यवसाय आचरण और हितों के टकराव पर एक नीति की समीक्षा की गई और उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर नीति: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013” के संदर्भ में यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देशों को लागू किया गया है। अधिनियम के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों में पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों को समिति में नामित करके आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है। तदनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर नीति की समीक्षा की गई और उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। इंटरनशिप पर नीति:- नीति का उद्देश्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों (भविष्य के पेशेवरों) को एक संरचित तरीके से इंटरनशिप प्रदान करना है, जिसमें उन्हें इंटरनशिप के स्थान पर उपलब्ध एक वरिष्ठ अधिकारी की सलाह के तहत बैंकिंग कार्यों / परियोजनाओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इंटरनशिप कार्यक्रम का उद्देश्य उम्मीदवार की वरीयता और शैक्षिक विशेषज्ञता के अनुसार विशेष विभाग में बैंकिंग उद्योग और व्यावहारिक ज्ञान का अवलोकन प्रदान करना होगा। यह बैंक के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होगा क्योंकि इंटरन को आवंटित परियोजनाएं कार्रवाई योग्य/अपनाने योग्य होंगी जिन्हें बैंक में अपनाने के लिए जांच की जा सकती है और यह विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों के बीच हमारे बैंक के लिए ब्रांड छवि को भी बढ़ाता है। तदनुसार बोर्ड द्वारा इंटरनशिप संबंधी नीति की समीक्षा की गई और उसे अनुमोदित किया गया। मेंटरशिप पर नीति :- बैंक ने मेंटरशिप कार्यक्रम की एक औपचारिक संरचना तैयार की है जो कर्मचारी के निरंतर विकास और विकास, ज्ञान के हस्तांतरण, और हमारे स्टाफ (मेंटिस) और सलाहकारों में क्षमता के निर्माण का समर्थन करेगा। मेंटरिंग से बैंक के संचालन के क्षेत्रों की समझ, विस्तारित नेटवर्किंग के अवसर, स्वयं की प्रथाओं की बेहतर समझ और व्यक्तिगत कौशल और संतुष्टि का विकास होगा। तदनुसार मेंटरशिप पर एक नीति की समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

योजना का नाम	विवरण
	2022-23 के लिए प्रशिक्षण नीति: बड़े हुए प्रशिक्षण घंटों के साथ-साथ सीखने के अतिरिक्त तरीकों के माध्यम से सभी कर्मचारियों के कौशल वृद्धि और पुनर्कौशल्यता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रशिक्षण नीति 2022-23 की समीक्षा की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। कर्मचारी उत्तरदायित्व नीति:- हमारे कर्मचारियों द्वारा तेजी से और गुणात्मक निर्णय लेने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्टाफ जवाबदेही नीति की समीक्षा की गई, जो अर्थव्यवस्था में हमारे बैंक की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगी। क्षमता निर्माण पर नीति :- क्षमता निर्माण, वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के परिदृश्य में, पूरे संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कर्मचारियों के ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने से संबंधित है। बैंकिंग के वर्तमान परिदृश्य में लगातार बढ़ती चुनौतियों और वैश्विक बाजार के उद्भव को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को पारंपरिक बैंकिंग में अनुभव / ज्ञान के साथ-साथ अपने ज्ञान / समझ को बढ़ाने और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए, यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण विभागों में कुछ कार्य की भूमिकाओं के लिए अनिवार्य सहित प्रमाणीकरण विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से कर्मचारियों के कार्य का ज्ञान और कौशल सेट को बढ़ाने पर जोर दिया जाए और इस उद्देश्य के साथ क्षमता निर्माण पर नीति की समीक्षा और अनुमोदन किया गया। संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश नीति:- संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश के संबंध में विवेकपूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन उपाय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आलोक में, अनिवार्य अवकाश नीति की समीक्षा के लिए रखा गया था जिसके तहत संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्रों में तैनात सभी कर्मचारियों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए, प्रत्येक वर्ष एक ही बार में कुछ दिनों (कम से कम 10 कार्य दिवसों) के लिए छुट्टी पर भेजा जाना अनिवार्य है, जिससे आकस्मिक तत्व बना रहे। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या कर्मचारी के कार्य के दौरान हुई मृत्यु पर एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए नीति:- अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को अधिक स्पष्टता के साथ और समयबद्ध तरीके से निपटने के लिए विकास / अवलोकन के अनुरूप "किसी कर्मचारी की कार्य के दौरान हुई मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान" नीति की समीक्षा की गई है एवं सरकार की नीतियों और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समकक्ष बैंकों के अनुरूप बनाया गया। नई नीतियां:- बैंक में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और हमारे बैंक की सहायक कंपनियों/ सहयोगी संस्थाओं में हमारे कर्मचारियों द्वारा धारित प्रमुख प्रबंधकीय पद पर नीति:- प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) एक कंपनी / संगठन के कर्मचारियों को संदर्भित करता है, जो महत्वपूर्ण भूमिकाओं और कार्यात्मकताओं के साथ निहित होते हैं। वे कंपनी और उसके हितधारकों के बीच संपर्क के पहले बिंदु हैं और रणनीतियों के निर्माण और इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे बैंक में 'प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और हमारे बैंक की सहायक कंपनियों / सहयोगी संस्थाओं में हमारे कर्मचारियों द्वारा धारित प्रमुख प्रबंधकीय पदों की पहचान करने के लिए एक नीति तैयार की गई है। प्रशिक्षुता नीति- बैंक में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति:- देश के युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुता को एक प्रमुख कौशल विकास साधन के रूप में अपनाया गया है। भारत सरकार के निर्देशों और प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 में और संशोधनों के अनुपालन में, हमारे बैंक में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति पर एक नीति तैयार की गई थी। अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों / एसडब्ल्यूओ / लिपिकों की नियुक्ति पर नीति:- सेवानिवृत्त कर्मचारी ज्ञान की अपेक्षा अत्यधिक अनुभवी होते हैं और इसका लाभ लेने हेतु एवं विभिन्न कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, सेवानिवृत्त अधिकारियों / लिपिकों की नियुक्ति पर एक नीति तैयार की गई थी। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर बैंक / अन्य पीएसबी के सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों की इस विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए उन्हें अनुबंध के आधार पर या कार्यविशेष के आधार पर विभिन्न क्षमताओं और भूमिकाओं जैसे परामर्शदाता, सलाहकार आदि में एक उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध करके उनका उपयोग करते हैं।

योजना का नाम	विवरण															
औद्योगिक संबंध	वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे. संकट प्रबंधन योजना, केन्द्रीय कार्यालय में संकट प्रबंधन समिति का गठन और आंचलिक कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति :- संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) भारत सरकार का एक व्यापक दस्तावेज है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाली बड़ी संकट स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक मानकों को चित्रित करता है. बैंकों में तीन दिनों से अधिक की अवधि की उद्योग-व्यापी हड़ताल से निपटने के लिए एक संकट प्रबंधन योजना को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों के एक कार्य समूह द्वारा तैयार किया गया है. केन्द्रीय कार्यालय में 4 महाप्रबंधकों की एक संकट प्रबंधन निगरानी समिति का गठन किया गया है. इसके अलावा, हड़ताल के प्रभाव का आकलन करने के लिए, संकट प्रबंधन ढांचे को अपनाने, परिचालन कर्मियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने, एक मजबूत सार्वजनिक सूचना प्रणाली स्थापित करने, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने, वैकल्पिक वितरण चैनल के कामकाज को सुनिश्चित करने और केन्द्रीय कार्यालय को हड़ताल पर निगरानी / रिपोर्टिंग करने हेतु आंचलिक कार्यालयों में सहायक महाप्रबंधक (परिचालन) और क्षेत्रीय कार्यालयों में मुख्य प्रबंधक (परिचालन) को संकट प्रबंधन टीम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है, जो केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर गठित संकट प्रबंधन निगरानी समिति के निर्देशों पर कार्य करेंगे. इस तरह के संकट की स्थिति में नामित नोडल अधिकारी को संकट प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित अंचलों / क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हड़ताल का बैंकिंग सेवाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़े. आंचलिक /क्षेत्रीय स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.															
कर्मचारी प्रशासन	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष - पूर्व सैनिकों / युद्ध विधवाओं आदि के कल्याण के लिए अपनी चिंता व्यक्त करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में, सेंट्रलाइट्स ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एफएफडीएफ) को रुपये 11.30 लाख का दान दिया है. 20.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता – कोविड – 19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, एक मानवीय भाव के रूप में स्टाफ सदस्यों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में प्रति कर्मचारी रुपये 20.00 लाख के मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है. उक्त योजना के तहत 127 कर्मचारी मामलों में उनके कानूनी वारिसों को रुपये 254.00 लाख प्रदान किये गये हैं. अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह राशि का भुगतान- <table><tr><th colspan="2">अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि का भुगतान</th></tr><tr><th>निपटाए गए मामलों की संख्या</th><th>राशि</th></tr><tr><td>28</td><td>₹ 19318459.00</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति</th></tr><tr><th>लिपिक</th><th>अधीनस्थ कर्मचारी</th><th>कुल</th></tr><tr><td>42</td><td>13</td><td>55</td></tr></table> कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पॉश)- बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है. यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देशों को “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” के संदर्भ में लागू किया गया है. अधिनियम के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है.	अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि का भुगतान		निपटाए गए मामलों की संख्या	राशि	28	₹ 19318459.00	अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति			लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	कुल	42	13	55
अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि का भुगतान																
निपटाए गए मामलों की संख्या	राशि															
28	₹ 19318459.00															
अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति																
लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	कुल														
42	13	55														

योजना का नाम	विवरण
अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ	आरक्षण नीति का कार्यान्वयन:- » बैंक समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण नीति का सावधानीपूर्वक पालन करता है। बैंक के पास अपने कार्यबल के सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है। बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 01 फरवरी 2019 से सीधी भर्ती में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए लागू आरक्षण लागू किया है। » अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भारत सरकार की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करता है और उपायों की योजना बनाता है। » अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं। » अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के नियंत्रण में केंद्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। » आरक्षण रोस्टर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए जाते हैं और उन्हें भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। » बैंक वेलफेयर एसोसिएशन / फेडरेशन के साथ आवधिक बैठक आयोजित करता है। » डीएफएस, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान के लिए आंतरिक समिति का गठन किया गया है। » एनसीएससी और एनसीएसटी के माध्यम से डीएफएस से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति कर्मचारियों और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। » श्री किशोर खरात की अध्यक्षता में डीएफएस द्वारा गठित आरक्षण समिति ने बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का आकलन करने हेतु 15.11.2021 को केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में हमारे बैंक का दौरा किया। » डॉ. अंजू बाला, माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पटना, देहरादून, कर्नाटक, शिमला और लखनऊ में हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया था और अनुसूचित जाति कर्मचारियों और बैंक प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ अनुसूचित जाति कर्मचारियों के क्षेत्रीय स्तर आरक्षण नीति, राज्य वित्त पोषित कल्याण योजनाओं की भर्ती और पदोन्नति और कार्यान्वयन में सुरक्षा उपाय के मुद्दों पर चर्चा और निगरानी करने के लिए मुलाकात की थी।

31.03.2022 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व:-

क्र. संवर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1 अधिकारी	16248	2963	1422	4557
2 लिपिक	8415	1563	786	2074
3 अधीनस्थ स्टाफ	5626	1903	519	1494
कुल योग	30289	6429	2727	8125

डिजिटल भुगतान और लेनदेन बैंकिंग -

- » वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यूपीआई लेनदेन का दैनिक औसत 39.04 लाख है।
- » वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आईएमपीएस लेनदेन का दैनिक औसत 3.34 लाख है।
- » वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन का दैनिक औसत 3.73 लाख है।
- » वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीओएस / ई-कॉमर्स लेनदेन का दैनिक औसत 1.39 लाख है।

- » वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मोबाइल बैंकिंग लेनदेन का दैनिक औसत 0.36 लाख है
- » 31 मार्च, 2022 तक, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के लिए कुल पंजीकृत उपयोगकर्ता क्रमशः 86.61 लाख, 40.45 लाख और 16.76 लाख हैं।
- » 31 मार्च, 2022 तक बैंक के पास कुल 4240 पीओएस / एम-पीओएस टर्मिनल स्थापित हैं।

एटीएम / डेबिट कार्ड संचालन:

- » 31 मार्च 2022 तक एटीएम की कुल संख्या 2976 है.
- » बैंक के 59.48% एटीएम ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.
- » वर्ष के दौरान औसत एटीएम अपटाइम लगभग 92.06% है. औसत एटीएम अपटाइम प्रथम तिमाही में 89.11% से बढ़कर चौथी तिमाही में 94.48% हो गया.
- » 31.03.2022 को जारी किए गए डेबिट कार्डों की संख्या 3.01 करोड़ है.

क्रेडिट कार्ड परिचालन-

- » बैंक हमारे ग्राहकों को एसबीआई कार्ड के साथ को-ब्रांडेड ऋण कार्ड जारी कर रहा है.
- » 31 मार्च 2022 तक 195483 को-ब्रांडेड कार्ड जारी किए गए

भावी योजना

कार्यान्वयन के अंतर्गत पहल जो डिजिटल क्रियान्वयन को बढ़ाएगी.

- » होम स्क्रीन पर उपयोगी लिंक के साथ नए रूप और अनुभव के साथ मोबाइल बैंकिंग में सुधार.
- » मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से हमारे ग्राहकों के लिए हमारे एटीएम पर ओटीपी आधारित नकद निकासी की सुविधा.
- » ग्राहक पहचान संख्या (सीआईएफ) के साथ खाता संख्या के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग ऐप पंजीकरण.
- » मोबाइल बैंकिंग में आसान लॉगिन, ग्राहक को एक बार पंजीकरण के बाद उपयोगकर्ता नाम के बिना एमपिन के माध्यम से लॉगिन करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा.
- » यूपीआई का उपयोग करके किसी भी आईसीसीडब्ल्यू सक्षम एटीएम से इंटरऑपरेबल कार्ड विहीन नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू).
- » यूपीआई का नया स्वरूप एवं अनुभव.
- » आधार नंबर एवं ओटीपी सहित यूपीआई ऐप पंजीकरण. डेबिट कार्ड नहीं रखने वाले ग्राहक यूपीआई ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.
- » यूपीआई ऐप के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) भुगतान में मोबाइल फोन में सहेजे गए / संग्रहीत संपर्क नंबर के आधार पर भुगतान करने की सुविधा होगी.
- » यूपीआई लाइट- ऑन-डिवाइस वॉलेट“ ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से

छोटे मूल्य के लेनदेन करने के लिए यूपीआई लाइट के साथ, ग्राहक के पास किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने और बिना किसी इंटरनेट के भुगतान करने का विकल्प होगा.

- » यूपीआई ग्लोबल - विदेशी व्यापारियों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान.
- » यूपीआई / मोबाइल बैंकिंग सक्रियण और पहले कुछ लेनदेन के लिए रिवॉर्ड पॉइंट
- » ई- रुपी वाउचर को भुनाने के लिए ई-रुपया एक्वायरर सुविधा .
- » वर्तमान नेट बैंकिंग मोड के अलावा डेबिट कार्ड और पेमेंट गेटवे मोड के माध्यम से कर भुगतान (सीबीडीटी).
- » भुगतान गेटवे मोड (भारतकोश) के माध्यम से कर के अतिरिक्त सरकारी भुगतान
- » मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन डीमैट खाता.
- » कार्ड जानकारी की सुरक्षा के लिए कार्ड टोकनाइजेशन .
- » 1500 पुरानी मशीनों को बदलने के साथ 2550 नई एटीएम मशीनों की स्थापना.

संयुक्त उद्यम

सेंट बैंक होम फाइनेंस लि.

- » 31 मार्च 2022 तक निवल स्वामित्व वाली निधि ₹ 157.35 करोड़ थी. वर्ष के दौरान कंपनी का कुल अग्रिम 31 मार्च, 2022 को ₹1159.68 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2021 को ₹1129.93 करोड़ था.
- » खुदरा जमा एवं संस्थागत जमा 31 मार्च, 2022 को ₹ 519.75 करोड़ है, जो 31 मार्च, 2021 को ₹412.25 करोड़ थी
- » कंपनी का शुद्ध लाभ पूरे वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 20.11 करोड़ रहा, जो पूरे वर्ष 2020-21 हेतु ₹14.67 करोड़ था.
- » प्रति शेयर आय ₹ 8.04 (₹ 10 प्रति शेयर) जो (पिछले वर्ष ₹ 5.87) है.
- » 31 मार्च 2022 को सकल एनपीए ₹ 59.00 करोड़ है, जबकि 31 मार्च 2021 को यह ₹ 62.01 करोड़ था
- » 31 मार्च 2022 को शुद्ध अग्रिम का 2.56% शुद्ध एनपीए था.
- » आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.68% (पिछले वर्ष 1.16%)
- » दिनांक 31 मार्च 2022 को सीएआर 23.50% रही.

तुलन पत्र

31 मार्च, 2022 का

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2022 के अनुरूप र लाख में	31 मार्च 2021 के अनुरूप र लाख में
ए इक्विटी और देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूंजी	2	2,500.00	2,500.00
(बी) रिजर्व और अधिशेष	3	13,707.64	11,696.72
		16207.64	14,196.72
2 गैर-चालू देनदारियां			
(ए) दीर्घावधि उधार	4	57,880.22	55,399.87
(बी) आस्थगित कर देनदारियां	3	607.40	641.48
(सी) दीर्घकालिक प्रावधान	5	3,656.34	3,045.07
		62,143.96	59,086.42
3 वर्तमान देनदारियां			
अल्पावधि उधार	6	31,100.86	30,686.98
(बी) व्यापार देनदारियां	7	-	-
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि		107.04	3
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			
(सी) दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता	8	11,052.33	14,647.48
(डी) अन्य चालू देनदारियां	9	404.41	14,647.48
(ई) अल्पकालिक प्रावधान	10	199.24	60.37
		42,863.88	45,394.83
कुल		1,21,215.48	1,18,677.97
बी आस्तियां			
1 गैर-चालू आस्तियां			
(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	11	30.60	42.29
(बी) गैर-चालू निवेश	12	3,173.77	4,224.19
(सी) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	13	97,251.31	1,02,723.32
(डी) अन्य गैर-चालू संपत्तियां	14	330.80	189.97
		1,00,786.48	1,07,179.77
2 चालू आस्तियां			
(ए) नकद और नकद समकक्ष	15	1325.75	689.19
(बी) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	16	18,717.16	10,464.98
(सी) अन्य चालू आस्तियां	17	386.09	344.03
		20,429.00	11,498.20
कुल		1,21,215.48	1,18,677.97

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

लाभ - हानि विवरण

मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ए आय			
1 परिचालन से राजस्व	18	12,282.02	12,734.94
2 अन्य आय	19	17.99	44.02
3 कुल आय (1+2)		12,300.01	12,778.96
बी व्यय			
4 (ए) कर्मचारी लाभ व्यय	20	943.58	809.45
5 (बी) वित्त लागत	21	6892.50	8,622.67
6 (सी) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	11	13.50	19.74
7 (डी) अन्य खर्च	22	870.67	804.06
8 (ई) मानक संपत्ति के लिए प्रावधान	23	491.78	(153.45)
9 (एफ) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		302.27	711.19
10 (जी) बट्टे खाते में डालना		0.00	0.00
11 कुल खर्च (4+5+6+7+8+9+10)		9514.30	10,813.66
सी कर पूर्व लाभ और असाधारण मदें (3-11)		2785.71	1,965.30
डी असाधारण मदें			
जोड़ें:- असाधारण मदें	24	0	0
कम:- पूर्व अवधि समायोजन		(6.15)	1.45
इ कर पूर्व लाभ / (नुकसान) (सी-डी)		2,791.86	1963.85
एफ कर व्यय:			
(ए) चालू वर्ष कर व्यय		770.97	539.43
(बी) पिछले वर्षों के कर के लिए प्रावधान		44.05	363.47
(सी) उपर्युक्त के अलावा वर्तमान वर्ष की आस्थगित कर देयताएं/(संपत्तियां)		(181.71)	(84.61)
(डी) वर्तमान वर्ष के विशेष प्रारक्षित निधि पर आस्थगित कर देयताएं		147.63	(321.41)
कर व्यय		780.94	496.88
जी सतत परिचालन से लाभ (ई- एफ)		2,010.92	1,466.97

सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वस्तुतः डिबेंचर / सिक्क्योरिटी ट्रस्टी, निष्पादक ट्रस्टी एवं प्रबंध धर्मार्थ न्यासों का प्रबंधन आदि सहित न्यासी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कंपनी डिबेंचर ट्रस्टीशिप गतिविधियां करने हेतु सेबी के साथ पंजीकृत है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात ₹1.06 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए ₹0.91 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था। खंडवार आय निम्नानुसार है :

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
एक्जीक्यूटिव ट्रस्टीशिप से शुल्क	35.22	33.07
डिबेंचर और सुरक्षा ट्रस्टीशिप से शुल्क	81.42	83.53
अन्य आय (ब्याज, लाभांश, आदि)	178.16	222.91
दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा से शुल्क	0.10	-
कुल	294.90	339.51

» वित्तीय वर्ष 2021-22 को ईपीएस ₹212.62 है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹181.34 था।

तुलन पत्र

31 मार्च 2022 को

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2022 के अनुरूप	31 मार्च 2021 के अनुरूप
I. इक्विटी और देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूंजी	1	500.00	500.00
(बी) आरक्षित और अधिशेष	2	3,038.18	3,081.87
2 गैर चालू देयताएं			
(ए) अन्य दीर्घावधि देनदारियों	3	72.50	60.35
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	4	3.96	3.17
3 चालू देयताएं			
(ए) अन्य चालू देनदारियां	5	603.72	589.99
(बी) अल्पावधि प्रावधान	6	1.08	1.22
कुल		4,219.44	4,236.60
बी आस्तियां			
1 गैर चालू आस्तियां			
(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	7		
(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण			
(ii) अमूर्त संपत्तियां		2.39	1.46
(iii) पूंजी कार्य - प्रगति पर		0.40	1.04
(बी) गैर-चालू निवेश	8	597.63	1 0.03.37
(बी) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	9	1.45	1.68
(डी) अन्य गैर-चालू आस्तियां	10	1,883.34	199.39
2 चालू आस्तियां			
(ए) चालू निवेश	11	-	150.00
(बी) व्यापार प्राप्तियां	12	8.81	8.87
(बी) नकद और नकद समकक्ष	13	1,610.19	3,555.61
(डी) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	115.23	317.15
कुल		4,219.44	4,236.60

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

तुलन पत्र

31 मार्च 2022 को

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2022 के अनुरूप	31 मार्च 2021 के अनुरूप
आय:			
परिचालन से राजस्व	15	116.74	116.60
अन्य आय	16	178.16	222.91
कुल आय		294.90	339.51
व्यय :			
कर्मचारी लाभ व्यय	17	80.65	117.65
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	18	1.58	1.27
अन्य व्यय	19	69.68	76.00
II कुल व्यय		151.91	194.92
III. कर पूर्व लाभ/(हानि)	(I- II)	142.99	1,44.59
IV कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर		36.57	३
(2) आस्थगित कर		0.24	54.47
(3) पूर्व वर्ष कर व्यय		(0.12)	(0.55)
		36.69	53.92
V. अवधि के लिए लाभ (हानि)	(III-IV)	106.30	90.67
VI. प्रति शेयर आय			
1000/- के सममूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर			
(ए) मूल (रुपये में)		212.62	181.34
(ए) डाइल्यूटेड(रुपये में)		212.62	181.34

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड:

जाम्बिया में बैंक के संयुक्त उद्यम को जाम्बिया सरकार और संयुक्त रूप से तीन भारतीय बैंकों सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धित है। इन तीन भारतीय बैंकों में से प्रत्येक के पास 20% इक्विटी है, जबकि औद्योगिक विकास निगम (आईडीसी) (जाम्बिया गणराज्य की सरकार के पूरी तरह से स्वामित्व वाली निवेश कंपनी), के पास जाम्बिया गणराज्य की सरकार की ओर से शेष 40% इक्विटी है। बैंक ने वर्ष 1984 से कार्यारम्भ किया है।

बैंक का वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष है। दिसंबर 2021 के अंत तक, हमारे बैंक के पास प्रत्येक मूल्य क्वाचा 1 के कुल 8,32,00,000 शेयर हैं।

बैंक की जमाराशियों में 18.43% की वृद्धि हुई है (कुल जमा 7663.70 मिलियन क्वाचा और अग्रिमों में 11.75% की वृद्धि हुई है) (पिछले वर्ष की तुलना में कुल अग्रिम 2933.39 मिलियन क्वाचा)

बैंक सभी मानकों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वर्तमान में जाम्बिया में छठा सबसे बड़ा बैंक है।

» कैलेंडर वर्ष 2021 के क्वाचा खें 278.57 मिलियन (₹ 124.14 करोड़) का शुद्ध लाभ कमाया है।

» हमें वर्ष 2021 के लिए इंडो जाम्बिया बैंक से ₹ 5.53 करोड़ का शुद्ध लाभांश प्राप्त हुआ है।

31.03.2022 तक अलेखापरीक्षित:

(₹ करोड़ में)

मुख्यालय एवं राज्य सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम	जिलों की संख्या एवं शाखाएं	कुल जमा	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर (बिहार)	18/1032	17033.65	10420.22	2495.19	(-) 87.68
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)	5/ 142	3857.75	2767.67	170.11	45.08



कॉरपोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य

बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य अपने व्यवसाय के संचालन में नैतिक प्रथाओं का पालन करना और प्रकटीकरण और पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए शेयरधारकों के विश्वास को बढ़ाना है। बैंक ने सर्वोत्तम प्रथाओं और सुशासन के मानकों को अपनाया है जिनकी निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों ने बेहतर प्रसिद्धांत और शेयरधारकों के विश्वास में वृद्धि के कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है।

बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। हालाँकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किंतु बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत एक निगमित निकाय है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। अतः बैंक सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों का उस सीमा तक अनुपालन करता है, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण

और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, निर्देश आदि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

2) निदेशक मंडल

ए) निदेशक मंडल की संरचना

बैंक का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुरूप किया गया है। बैंक के व्यवहार और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित है। जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है।

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2021-22 के दौरान, बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी:

क्रम सं.	नाम	ग्रहित पद	अवधि(से-तक)	31.03.2022 को धारित बैंक के इक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों का निदेशकत्व	क्या 10.08.2021 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया था
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री तपन रे	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष (22.05.2021 को निदेशक नहीं रहे)	23.05.2018 से 22.05.2021 तक	शून्य	वित्त, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, कानून, पूंजी बाजार, प्रबंधन, विदेशी व्यापार, सार्वजनिक नीति और प्रशासन	आरएमसी, एलबीएफसी, एसआरसी, मानव संसाधन, पीई, एनएंडआरसी,	आरएमसी, एलबीएफसी, एसआरसी, मानव संसाधन, पीई	1. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड 2. गिफ्ट सेज लिमिटेड 3. गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड 4. जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड 5. जीबीएफएल लिमिटेड 6. गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड - सूचीबद्ध कंपनी (गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक) 7. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड - सूचीबद्ध कंपनी (गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक)	नहीं

क्रम सं.	नाम	ग्रहित पद	अवधि(से-तक)	31.03.2022 को धारित बैंक के इक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों का निदेशकत्व	क्या 10.08.2021 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया था
						सदस्य	अध्यक्ष		
2.	श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्णकालिक निदेशक)	01.03.2021 से	लागू नहीं	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, बीआईजी, सीएस, मानव संसाधन, एमआरसी, सीआर सी, आरसीएनसीबी, सीआर आईडब्ल्यूडी	एमसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी, सीएससी, बीआईजी, सीएस, मानव संसाधन, एमआरसी, सीआर सी, आरसीएनसीबी, सीआर आईडब्ल्यूडी	शून्य	हां
3.	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	23.01.2019 से	12,000	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएस, मानव संसाधन, एमआरसी, सीआरसी	शून्य	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	हां
4.	श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	10.03.2021 से	शून्य	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएस, मानव संसाधन, एमआरसी, सीआरसी	शून्य	सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	हां
5.	श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	10.03.2021 से	शून्य	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएस, मानव संसाधन, एमआरसी, सीआरसी	शून्य	शून्य	हां
6.	डॉ भूषण कुमार सिन्हा	भारत सरकार नामित निदेशक (गैर - कार्यकारी निदेशक)	14.05.2018 से 11.04.2022 तक	शून्य	वित्त और अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलबीएफसी, आईटीएस वीसी, एमआरसी, मानव संसाधन, पीई	शून्य	1. आईएफसीआई ली. - सूची बद्ध कंपनी (गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक) 2. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी लि. (गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक)	नहीं
7.	श्री पी.जे. थॉमस	भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	28.09.2020 से	शून्य	बैंकिंग व वित्त	एमसीबी, एसीबी, वीसी	शून्य	शून्य	नहीं

क्रम सं.	नाम	ग्रहित पद	अवधि(से-तक)	31.03.2022 को धारित बैंक के इक्विटी शेयरों की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों का निदेशकत्व	क्या 10.08.2021 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया था
						सदस्य	अध्यक्ष		
8.	श्रीमती मिनी आईप	शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	01.07.2018 से 30.06.2021 तक	शून्य	वित्त	एसीबी, आरएमसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, एमआरसी, पीई, आरसीएनसीबी, एनएंडआरसी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एसीबी, आईटीएस, एनएंडआरसी	शून्य	नहीं
9.	श्री दिनेश पांगती	शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	01.07.2021 से	100	वित्त	एसीबी, आरएमसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, एमआरसी, पीई, आरसीएनसीबी, एनएंडआरसी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एसीबी	शून्य	हां
10.	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	21.12.2021 से	शून्य	वित्त	एसीबी, आरएमसी, सीएससी, एलवीएफसी, आईटीएस, एसआरसी, एमआरसी, पीई, आरसीएनसीबी, एनएंडआरसी, सीआरआईडब्ल्यूडी	आईटीएस, एसआरसी, एनएंडआरसी, पीई	शून्य	नहीं

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं।

एसीबी	-	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
सीएससी	-	ऋण अनुमोदन समिति
सीआरसी	-	पूंजी संग्रहण समिति
सीआरआईडब्ल्यूडी	-	इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा के लिए समिति
सीएससी	-	ग्राहक सेवा समिति
एचआर	-	मानव संसाधन समिति
आईटीएस	-	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एलवीएफसी	-	बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एमआरसी	-	वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति
एनएंडआरसी	-	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
पीई	-	प्रसिद्धांत मूल्यांकन समिति
आरसीएनसीबी	-	असहयोगी ऋणी घोषित करने के लिए समीक्षा समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एसआरसी	-	हितधारक संबंध समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (31.03.2022 तक)

1. श्री एम वी राव, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जन्म दिनांक 03.07.1965)

श्री एम वी राव ने 1 मार्च, 2021 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री राव तीन साल से अधिक समय तक केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे, जहां उन्होंने बैंक की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री एम वी राव श्री वेंकटेश्वर कृषि महाविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश से कृषि में स्नातकोत्तर हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। विविध अनुभव वाले एक अनुभवी बैंकर, श्री एम वी राव ने 1988 में इलाहाबाद बैंक में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इलाहाबाद बैंक के महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने थोक और खुदरा बैंकिंग जैसे बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों का नेतृत्व किया। उन्होंने परिसंपत्ति केंद्रित बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इलाहाबाद बैंक में एक परिवर्तनकारी परियोजना शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

2. श्री आलोक श्रीवास्तव (जन्मतिथि 22.11.1962)

श्री आलोक श्रीवास्तव अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और एमबीए (वित्त) हैं। उन्होंने वर्ष 1985 में पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें बैंकिंग में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव है, उन्होंने बैंकिंग के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों, शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों आदि में विभिन्न पदों पर काम किया है।

3. श्री विवेक वाही (जन्मतिथि 15.09.1965)

श्री विवेक वाही ने 10 मार्च, 2021 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उनके पास बैंक के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों जैसे ब्रांच बैंकिंग, ओवरसीज डीलिंग रूम, हेडिंग लार्ज कॉरपोरेट्स क्रेडिट शाखा प्रभारी, जोनल मैनेजर, ट्रेजरी हेड, फील्ड महाप्रबंधक आदि में काम करने का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। उन्हें बिजनेस मिक्स पैरामीटर्स पर सबसे बड़े जोन, बैंक के मुंबई साउथ जोन के जोनल मैनेजर के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने बैंक के उत्तरी क्षेत्र जिसमें अंतर्गत 6 राज्य आते हैं, के फील्ड महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनआईटी, कुरुक्षेत्र से बी.टेक पूरा करने के बाद, वह 1990 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंकिंग उद्योग (बैंक ऑफ इंडिया) में शामिल हुए।

4. श्री राजीव पुरी (जन्म 14.06.1963)

श्री राजीव पुरी वाणिज्य में स्नातकोत्तर और एमबीए (वित्त) हैं। उन्होंने आईआईबी से ग्रामीण बैंकिंग में डिप्लोमा भी किया है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। वह आईआईएम-बी (बीबीबी-एलडीबी 9 माह का प्रशिक्षण) के पूर्व छात्र भी हैं। 10 मार्च 2021 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में शामिल होने से पहले, श्री राजीव पुरी पंजाब नेशनल बैंक के

मुख्य महाप्रबंधक थे। वे विविध अनुभव वाले एक अनुभवी बैंकर हैं और उन्होंने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख, एवं आंचलिक प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने एमएसएमई और मिड कॉरपोरेट, कृषि, खुदरा ऋण एवं वित्तीय समावेशन प्रभाग जैसे बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों का नेतृत्व किया।

5. डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, भारत सरकार नामित निदेशक (जन्मतिथि 20.07.1964)

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा को 14.05.2018 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. सिन्हा वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएच.डी., नेशनल ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम) तथा ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एनयू), केनबरा, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए हैं। डॉ. सिन्हा भारतीय आर्थिक सेवा के 1993 बैच के हैं और वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। संयुक्त सचिव के रूप में अपने वर्तमान कार्यभार से पहले, वे डीएफएस में आर्थिक सलाहकार थे। मई 2018 में डीएफएस में शामिल होने से पहले, डॉ. सिन्हा ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) में आर्थिक सलाहकार के रूप में तीन साल कार्य किया था। डॉ. सिन्हा आईएफसीआई लिमिटेड और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं। उनका कार्यकाल 11.04.2022 को समाप्त हुआ।

6. श्री पी जे थॉमस (जन्मतिथि 02.01.1959)

श्री पी जे थॉमस को भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2020 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया था। वह बी.एससी (ऑनर्स) के साथ विज्ञान में स्नातक हैं और बैंकिंग और वित्त में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं।

उन्होंने एक अधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में जाने से पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ एक बैंक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, बैंगलोर सहित विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। आरबीआई में 36 वर्षों से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें केंद्रीय कार्यालय में बैंकिंग विनियमन और क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग पर्यवेक्षण का लंबा अनुभव है। उन्होंने कुआलालंपुर, मनीला, फ्रैंकफर्ट और बेसल में अन्य अंतराष्ट्रीय निकायों के अलावा न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के फेडरल रिजर्व में विनियमन और पर्यवेक्षण के विदेश प्रशिक्षण में भाग लिया था। वह पहले एक निजी क्षेत्र के बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में थे।

7. श्री दिनेश पांगती (जन्मतिथि 27.02.1962)

श्री दिनेश पांगती को 01.07.2021 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शेरधारक निदेशक के रूप में चुना गया था। उन्हें वित्त के क्षेत्र में अनुभव है। उन्होंने एलआईसीएचएएल एएमसी लिमिटेड और एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला है। उन्हें विभिन्न पदों पर जीवन बीमा व्यवसाय में 3 दशकों से अधिक का अनुभव भी था।

8. श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी (जन्मतिथि 26.02.1959)

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी को भारत सरकार द्वारा 21 दिसंबर 2021 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था। वे सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, लागत, उद्योग, आधुनिक वित्त और व्यवसाय प्रबंधन में वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं। वर्तमान में, वे सरस्वती स्कूल, जूनागढ़ (गुजरात) के अध्यक्ष हैं। वह गिरनार यात्राधाम विकास मंडल, जूनागढ़ में निदेशक और नैतिक समिति, जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज, जूनागढ़ के सदस्य भी हैं। इससे पहले, उन्होंने निदेशक, गुजरात पर्यटन निगम और अध्यक्ष, स्थायी समिति, नगर निगम, जूनागढ़ के रूप में कार्य किया। वे इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा “भारत ज्योति अवार्ड”, नेशनल डेवलपमेंट फोरम द्वारा “ग्लोबल इंडियन ऑफ़ द ईयर अवार्ड” और कई संघों / संस्थानों से कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हैं।

9. श्री हार्दिक मुकेश शेट (जन्मतिथि 19.05.1980) - 11.04.2022 से प्रभावी

सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2022 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया था। वह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक हैं। वह एमबीए (वित्त) और यूएस सीपीए हैं। मंत्रालय में शामिल होने से पहले, उनके पास लगभग 19 वर्षों का बैंकिंग अनुभव था, जिसमें उन्होंने जोखिम प्रबंधन, क्रेडिट प्रबंधन, कॉर्पोरेट क्रेडिट, दूसरों के बीच प्रशासन और शाखा संचालन सहित विभिन्न कार्यों में कुछ बहुराष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) के साथ काम किया है। उन्हें अपने अधीन बड़े आकार की टीम और विभिन्न शाखाओं को संभालने का अनुभव है। वह अपने साथ बैंकिंग उद्योग के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण लेकर आये हैं।

बी) बोर्ड की बैठकों का संचालन

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तिथियों पर 13 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

21.05.2021	28.07.2021	26.10.2021	30.03.2022
07.06.2021	14.08.2021	02.12.2021	
17.06.2021	08.10.2021	27.01.2022	
15.07.2021	21.10.2021	05.02.2022	

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री तपन रे	1	1	01.04.2021-22.05.2022
श्री एम वी राव	13	13	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	13	13	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	13	13	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	13	13	01.04.2021-31.03.2022
डॉ. बी के सिन्हा	11	13	01.04.2021-31.03.2022
श्री पी जे थॉमस	13	13	01.04.2021-31.03.2022
श्रीमती मिनी आईप	3	3	01.04.2021-31.06.2021
श्री दिनेश पांगती	10	10	01.07.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	3	3	21.12.2021-31.03.2022

सी) बोर्ड की समितियों का विवरण

आज की तारीख तक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और स्वयं बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित नियमों/विनियमों और निर्देशों के तहत बोर्ड की कुल 16 समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों का विवरण इस प्रकार है:-

- बोर्ड की प्रबंधन समिति
- ऋण स्वीकृति समिति
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

- ग्राहक सेवा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- हितधारक संबंध समिति
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति
- सतर्कता समिति
- प्रसिद्धांत मूल्यांकन समिति
- मानव संसाधन समिति
- वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति
- पूँजी संग्रहण समिति

xv) असहयोगी ऋणी घोषित करने के लिए समीक्षा समिति

xvi) इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा समिति

भारत सरकार ने दिनांक 25 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में एक विशेष प्रावधान (खंड 14ए) सम्मिलित करते हुए संशोधन किया, जो है:

“जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य या कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सिफारिशों या निर्धारण, या प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसी भी समिति का अनुमोदन अथवा समीक्षा की आवश्यकता होती है और यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या गतिविधि करता है.”

उपर्युक्त के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल को किसी भी कार्य या गतिविधि को करने के लिए, या प्रतिभूति धारकों की

शिकायतों के समाधान के लिए, या किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा करने के संबंध में बोर्ड की एक समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, जिसे कानून द्वारा करना आवश्यक है, बशर्ते बोर्ड संतुष्ट हो कि ऐसी समिति की बैठक के लिए ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण कोरम पूरा नहीं किया जा सकता है.

i) बोर्ड की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत किया गया है. समिति भौतिक महत्व के विभिन्न व्यावसायिक मामलों पर विचार करती है जैसे उच्च मूल्य ऋण प्रस्ताव, समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव, पूंजी और राजस्व व्यय, परिसर, निवेश आदि की मंजूरी आदि. 31.03.2022 तक, इसमें 5 सदस्य शामिल थे, जिसमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 कार्यकारी निदेशक और रिजर्व बैंक के नामित निदेशक शामिल थे.

वर्ष के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 16 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गईं:

17.04.2021	31.05.2021	09.08.2021	25.10.2021	15.12.2021
30.04.2021	17.06.2021	20.09.2021	10.11.2021	31.01.2022
21.05.2021	19.07.2021	28.09.2021	01.12.2021	15.03.2022
30.03.2022				

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	उपस्थिति दर्ज	उनके कार्यकाल में हुई बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	16	16	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	16	16	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	15	16	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	16	16	01.04.2021-31.03.2022
श्री पी जे थॉमस	16	16	01.04.2021-31.03.2022

ii) ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन 31.01.2012 से किया गया है. समिति ने 100 करोड़ रुपये से 400.00 करोड़ तक व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए और समूह की कंपनियों/ उधारकर्ताओं के लिए रुपये 200 करोड़ रुपये से 800 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्ताव तथा 10 करोड़ और ₹ 50 करोड़ से अधिक के घाटे (सेक्रिफाईज) वाले प्रस्तावों को समझौता / बट्टे खाते में डालना आदि के लिए बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया. समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और जोखिम प्रबंधन, ऋण, लेखा / वित्त और ऋण निगरानी और नीति के प्रभारी महाप्रबंधक शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की 22 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गईं:

30.04.2021	30.06.2021	30.09.2021	30.12.2021	29.03.2022
12.05.2021	19.07.2021	28.10.2021	15.01.2022	31.03.2022
31.05.2021	17.08.2021	16.11.2021	31.01.2022	
10.06.2021	26.08.2021	07.12.2021	25.02.2022	
24.06.2021	27.09.2021	22.12.2021	19.03.2022	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति दर्ज	उनके कार्यकाल में हुई बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	22	22	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	21	22	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	20	22	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	22	22	01.04.2021-31.03.2022

iii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित, बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है। लेखा परीक्षा समिति के कार्य संदर्भ निम्नानुसार हैं :

अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अनुवर्ती कार्य पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उनकी समीक्षा करना;

बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित स्वतंत्र लेखा परीक्षा के दायरे की समीक्षा करना और तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले लॉन फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों पर सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में और बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करना;

खातों, लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों की नियमित रूप से समीक्षा करना;

प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर प्रमुख लेखा प्रविष्टियों की समीक्षा करना और लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण समायोजन की समीक्षा करना;

मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता;

किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना;

आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र की आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;

वित्तीय विवरणों से संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों की विधिक आवश्यकताओं का लागू सीमा तक अनुपालन;

ऐसे अन्य मामले जो समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा किसी भी वैधानिक, संविदात्मक या नियामक आवश्यकताओं में भाग लेने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में केंद्रीय लेखा परीक्षा और निरीक्षण के प्रभारी कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक और दो गैर-आधिकारिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, उनमें से कम से कम एक चार्टर्ड एकाउंटेंट होना चाहिए। कर्मचारियों से निदेशकों को एसीबी में शामिल नहीं किया जाएगा। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, एसीबी में एक पद रिक्त रहता है क्योंकि समिति में नामांकित होने के लिए कोई पात्र सदस्य नहीं है।

31.03.2022 को लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थी:

1	श्री दिनेश पांगती	अध्यक्ष
2	श्री आलोक श्रीवास्तव	सदस्य
3	डॉ भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य
4	श्री पी.जे. थॉमस	सदस्य
5	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित तिथियों पर बार 9 बैठकें हुई:

28.05.2021	30.06.2021	09.09.2021	02.12.2021	21.03.2022
07.06.2021	28.07.2021	26.10.2021	27.01.2022	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखापरीक्षा समिति की अवधि (से - तक)
श्रीमती मिनी आईप	3	3	01.04.2021-30.06.2021
श्री दिनेश पांगती	6	6	01.07.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	9	9	01.04.2021-31.03.2022
डॉ भूषण कुमार सिन्हा	4	9	01.04.2021-31.03.2022
श्री पी जे थॉमस	9	9	01.04.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	2	2	27.01.2022-31.03.2022
श्री विवेक वाही (आमंत्रित)	9	9	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी (आमंत्रित)	9	9	01.04.2021-31.03.2022

बैंक के अलेखापरीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित परिणामों की बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया.

iv) जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन बोर्ड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर 1999 और बोर्ड की बैठक दिनांक 20.04.2002 की कार्यसूची संख्या बीएम/01/2002-03/3.2 के तहत तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित डॉ गांगुली समूह की रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर किया गया था.

जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य:-

- » समिति बैंक के समक्ष आने वाले जोखिमों के संबंध में दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों दृष्टिकोण अपनाएगी.
- » दीर्घकालिक हित और निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, यह बैंक के जोखिम सिद्धांतों को स्पष्ट और सक्रिय रूप से अद्यतन करेगी
- » परिचालन को सुसंगत करने की दृष्टि से, यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करेगा और जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए यथेष्ट संस्थाओं को निर्देश/दिशानिर्देश जारी करेगी.
- » समिति विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रयासों और नीति दिशानिर्देशों के अभिसरण के लिए शीर्ष समिति होगी. यह बैंक के जोखिम प्रबंधन सिद्धांत को स्पष्ट करने और दिशा-निर्देश प्रदान करने के तहत बैंक के जोखिम प्रोफाइल को स्पष्ट करने पर बोर्ड के दिशा-निर्देश प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी. यह बैंक के लिए जोखिम उठाने की क्षमता को इंगित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए बैंक के जोखिम के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनायेगी.
- » यह समिति ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि वे जोखिम सिद्धांतों तथा जोखिम प्राथमिकताओं के अनुरूप है. यह संगठनात्मक व्यापक

जागरूकता और जोखिम प्रबंधन नीतियों की सराहना का सृजन और निर्माण भी करेगा. बैंकों के परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शक सिद्धांत की समय समय पर समीक्षा की जाएगी. साथ ही समिति नीति के अनुपालन के निगरानी के लिए समय-समय पर सूचना की समीक्षा करेगी.

- » पूरे बैंक में एएलएम के मुद्दों के बारे में जागरूकता और मूल्यसंवर्धन पैदा करना. बैंक की वांछित जोखिम वरीयताओं एवं बैलेंस शीट प्रोफाइल को बनाए रखने हेतु बैलेंस शीट संरचना, वित्त पोषण संरचना मूल्य निर्धारण एवं कॉर्पोरेट योजना के क्षेत्रों में उचित दिशानिर्देशों का उपयोग करना.
- » जोखिम प्रबंधन और आधारित पर्यवेक्षण के कार्यों को समाप्त करने के लिए स्थापित किए गए निर्देशात्मक तंत्र की समय-समय पर समीक्षा करना.
- » समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम शामिल हैं,

वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गईं:

30.06.2021 21.09.2021 15.12.2021 25.02.2022

31.03.2022 को जोखित प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार थी:

1.	श्री एम वी राव	अध्यक्ष
2.	श्री आलोक श्रीवास्तव	सदस्य
3.	श्री विवेक वाही	सदस्य
4.	श्री राजीव पुरी	सदस्य
5.	डॉ भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य
6.	श्री दिनेश पांगती	सदस्य
7.	श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	सदस्य

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	3	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2021-31.03.2022
डॉ भूषण कुमार सिन्हा	2	4	01.04.2021-31.03.2022
श्रीमती मिनी आईप	1	1	01.04.2021-30.06.2021
श्री दिनेश पांगती	2	3	01.07.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	1	1	27.01.2022-31.03.2022

v) बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई 2004.15 डीबीएस. एफजीवी नंबर 1004/23.04.01ए/2003-04 दिनांक 14 जनवरी 2004 के तहत बड़े मूल्य की धोखाधड़ी जिसमें 1 करोड़ एवं उससे अधिक रुपये की राशि शामिल है, की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन किया गया था, जबकि लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करना जारी रख सकती है।

समिति का प्रमुख कार्य ₹1 करोड़ एवं अधिक की सभी धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा करना है ताकि -

- (1) प्रणालीगत कमियां यदि कोई हो जो धोखाधड़ी को कायम रखने में मदद करती है की पहचान हो और उसे दूर करने के उपाय तैयार किए जा सकें।
- (2) बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होने पर, यदि कोई है, तत्संबंधी कारणों का पता

लगाया जा सके।

- (3) सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति, और वसूली की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके तथा
- (4) सुनिश्चित हो कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो बिना समय के नुकसान के स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई पूरी की जाती है।
- (5) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा, जैसे की आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करता, की जा सके।
- (6) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए अन्य उपायों को लागू किया जाये जिन्हें प्रासंगिक माना जा सकता है।

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

21.05.2021 21.09.2021 02.12.2021 15.02.2022

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री तपन रे	1	1	01.04.2021-22.05.2021
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2021-31.03.2022
डॉ भूषण कुमार सिन्हा	3	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	1	1	27.01.2022-31.03.2022

vi) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के संबंध में ग्राहक सेवाओं में व्यापक आधार पर सुधार का समर्थन करने के उद्देश्य से डॉ. एस.एस. तारापुर की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित लोक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति के साथ पठित 14 अगस्त 2004 के पत्र की सलाह के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया था।

समिति की भूमिका:

- i) बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना

- ii) बैंकों में लोक सेवाओं पर कार्यविधि और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना
- iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी स्तरों पर ग्राहकों की सभी श्रेणियों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए अभिनव उपाय शुरू करना।

वर्ष के दौरान, समिति की 4 बार निम्नलिखित तिथियों में आयोजित हुई:

30.06.2021 28.09.2021 15.12.2021 25.02.2022

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	3	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्रीमती मिनी आईप	1	1	01.04.2021-30.06.2021
श्री दिनेश पांगती	3	3	01.07.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	1	1	27.01.2022-31.03.2022

vii) बोर्ड की आईटी रणनीति समिति

आईटी गवर्नेंस के हिस्से के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्देश दिया कि बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईटी रणनीति/योजना दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है और सदस्यों के रूप में न्यूनतम दो निदेशकों के साथ एक विशेष बोर्ड रणनीति समिति का निर्माण भी सुनिश्चित करना चाहिए, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए. आईटी रणनीति समिति के सभी सदस्यों को तकनीकी रूप से सक्षम होने की आवश्यकता होगी, जबकि कम से कम एक सदस्य को मार्गदर्शक प्रौद्योगिकी पहल के प्रबंधन में पर्याप्त विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी. निदेशक मंडल के द्वारा बाद में समिति का दायरा व्यापक किया गया था.

भूमिकाएं और उद्देश्य

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है.
- अनुसमर्थन करना कि व्यावसायिक कार्यनीति वास्तव में आईटी कार्यनीतिक के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और तत्संबंधी दिशा सही है.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी, व्यवसाय को समुचित महत्व प्रदान करें.
- सुनिश्चित करना कि निवेश जोखिमों और लाभों के मध्य संतुलन प्रदान करता है और यह बजट स्वीकार्य हैं.

vii) रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा निर्देश प्रदान करना.

viii) बैंक के विकास को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना

ix) आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों की प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना.

x) आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के प्रसिद्धांत का आकलन करना उच्च स्तरीय नीति मार्गसिद्धांत जारी करना (उदाहरण के लिए जोखिम, वित्त पोषण या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित).

xi) यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक वास्तुकला को डिजाइन किया जाना है, ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक मूल्य प्राप्त किया जा सके.

xii) बैंक स्तर पर आईटी के कुल वित्त पोषण की निगरानी करना, और यह सुनिश्चित करना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं.

xiii) आईटी प्रसिद्धांत मापन और व्यवसाय में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात् वादा किया गया मूल्य प्रदान करना).

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

12.05.2021 28.09.2021 15.12.2021 21.03.2022

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2021-31.03.2022
डॉ भूषण कुमार सिन्हा	2	4	01.04.2021-31.03.2022
श्रीमती मिनी आईप	1	1	01.04.2021-30.06.2021
श्री दिनेश पांगती	3	3	01.07.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	1	1	27.01.2022-31.03.2022
प्रो. एन. बालकृष्णन (आमंत्रित)	4	4	01.04.2021-31.03.2022

viii) हितधारक संबंध समिति

शेयर बाजार के साथ किए गए सूचीकरण करार के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक के पास शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की गैर-प्राप्ति, घोषित लाभांश की प्राप्ति आदि से संबंधित शिकायतों सहित अन्य शिकायतों के निवारण के लिए बैंक द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का अब तक जवाब/निवारण किया गया है। प्रासंगिक सूचना प्राप्त होने पर, निवेशकों की शिकायतों को आम तौर पर सात दिनों के भीतर दूर किया जाता है। समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी, गैर-कार्यकारी निदेशक, हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) के अध्यक्ष हैं। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को हर एक वर्ष के बाद बदल दिया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तिथियों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

21.05.2021	28.09.2021	02.12.2021	15.02.2022

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दिखाया गया है:

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	समिति की अवधि (से - तक)
श्री तपन रे	1	1	01.04.2021-22.05.2021
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्रीमती मिनी आईप	0	1	01.04.2021-30.06.2021
श्री दिनेश पांगती	2	3	01.07.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	1	1	27.01.2022-31.03.2022

वर्ष 2021-22 (01.04.2021 से 31.03.2022) के लिए निवेशक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	शून्य
2	शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होने / शेयरों की प्राप्ति न होने के लिए पत्र	शून्य
3	लाभांश वारंटों की गैर प्राप्ति	शून्य
4	वार्षिक रिपोर्ट / ईजीएम सूचना की प्राप्ति न होना	शून्य
5	धनवापसी आदेश की गैर प्राप्ति	शून्य
6	अस्वीकृत डीआरएफ की अप्राप्ति	शून्य
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	3
8	प्राप्त कुल शिकायतें	3
9	उपस्थित / समाधान की गई कुल शिकायतें	3
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	शून्य

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशकों की कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है।

ix) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गवर्नेंस सुधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) संचार संख्या. एफ. सं.16/19/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निदेश डीबीआर.एफ्ट सं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुपालन में बोर्ड समिति प्रणाली को मजबूत करने के लिए बैंक ने 30.09.2019 को नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति का विलय करके एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया, जिसमें बोर्ड में से न्यूनतम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल थे जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए, जिससे बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत

निदेशक के रूप में चुने जाने और पूर्णकालिक निदेशकों को प्रसिद्धांत से जुड़े प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू की जा सके। दिनांक 31.03.2022 को, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी, सदस्य के रूप में श्री दिनेश पांगती और समिति में सदस्य का एक पद रिक्त था। वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई। निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में बैंक के निदेशक के चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार श्री दिनेश पांगती की "उपयुक्त और उचित" स्थिति के निर्धारण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14 ए के अनुसार दिनांक 17.06.2021 को अपनी बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की शक्तियों का प्रयोग किया।

x) सतर्कता समिति

सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय प्रश्नों की तिमाही आधार पर समीक्षा करने के लिए बैंक के पास सतर्कता समिति है। समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समिति के सदस्यों के रूप में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तिथियों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

17.06.2021	28.09.2021	01.12.2021	25.02.2022

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री भूषण कुमार सिन्हा	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री पी.जे. थॉमस	4	4	01.04.2021-31.03.2022

xi) बोर्ड की मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन के विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संचार एफ.सं.9/18/2009-आईआर दिनांक मार्च 2012 के माध्यम से बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन 30.10.2013 को किया गया था।

समिति का कार्यक्षेत्र

समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे:

1. पंचवर्षीय जनशक्ति योजना और इसकी वार्षिक समीक्षा
2. उत्तरोत्तर पदग्रहण योजना के लिए, महत्वपूर्ण और नेतृत्व पदों की त्रैमासिक समीक्षा,
3. अभिचिन्हित महत्वपूर्ण पदों के लिए, अधिकारियों को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से अभिचिन्हित संभावित उत्तराधिकारियों को तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के माध्यम से संभावित अभिचिन्हित उत्तराधिकारियों की तिमाही मॉनिटरिंग कार्यवाही.
4. अन्य कोई मानव संसाधन मुद्दे, जिन्हें अध्यक्ष / एमडी और सीईओ / ईडी द्वारा महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाता है, जो एचआर नीतियां, व्यक्तिगत मुद्दे या पंचाट कर्मचारियों के द्विपक्षीय मुद्दों से संबंधित नहीं हैं, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, पंचाट कर्मचारियों की बहुसंख्यक यूनियन के साथ, अधिकारियों से सम्बंधित द्विपक्षीय नीतिगत मुद्दे इत्यादि का निपटान करने हेतु, समिति को संदर्भित किया जाना आवश्यक होगा.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तिथियों में 5 बार बैठकें आयोजित की हुईं:

21.05.2021	14.08.2021	21.10.2021	10.11.2021	25.02.2022

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री तपन रे	1	1	01.04.2021-22.05.2021
श्री एम वी राव	5	5	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	5	5	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	4	5	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	5	5	01.04.2021-31.03.2022
डॉ भूषण कुमार सिन्हा	4	5	01.04.2020-31.03.2022
प्रो. सी पी श्रीमाली (आमंत्रित)	5	5	01.04.2021-31.03.2022
श्री एस सेनगुप्ता (आमंत्रित)	5	5	01.04.2021-31.03.2022

xii) वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति

बैंक की दबावग्रस्त आस्तियों और एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की उप-समिति के रूप में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति का गठन किया गया था।

भूमिकाएं और उद्देश्य

- 1) वसूली में प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करना, वसूली के सभी संभावित विकल्पों की जांच करना और उसे लागू करना।
- 2) विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) की स्थिति का विश्लेषण करना और स्लीपेज को रोकने के लिए रणनीति तैयार करना।

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तिथियों को 4 बैठकें आयोजित हुईं:

30.06.2021	21.09.2021	15.12.2021	15.02.2022

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	4	4	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	4	4	01.04.2021-31.03.2022
डॉ भूषण कुमार सिन्हा	1	4	01.04.2021-31.03.2022
श्रीमती मिनी आईप	1	1	01.04.2021-30.06.2021
श्री दिनेश पांगती	1	3	01.07.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	1	1	27.01.2022-31.03.2022

xiii) पूंजी संग्रहण समिति

बैंक के पास बोर्ड की पूंजी संग्रहण समिति है जो बैंक के लिए टियर 1 और टियर 2 दोनों पूंजी तय करने और संग्रहण के लिए है और इसके संबंध में सभी सक्रिय कदम उठाती है।

समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 3 बार बैठक हुईं:

12.04.2021	20.04.2021	29.05.2021

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से- तक)
श्री एम वी राव	3	3	01.04.2021-31.03.2022
श्री आलोक श्रीवास्तव	3	3	01.04.2021-31.03.2022
श्री विवेक वाही	3	3	01.04.2021-31.03.2022
श्री राजीव पुरी	3	3	01.04.2021-31.03.2022

xiv) गैर-सहकारी उधारकर्ता की घोषणा के लिए समीक्षा समिति

दिनांक 22 दिसंबर 2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/362 डीबीआर सं.सीआईडी बीसी 54/ 20.16.064 / 2014-15 के अनुसार असहयोगी उधारकर्ता की घोषणा के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं दो स्वतंत्र निदेशक सदस्य शामिल हैं।

समिति की भूमिका एक कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करना है जिसमें गैर-सहकारी उधारकर्ता के रूप में या आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किसी खाते के वर्गीकरण के लिए सदस्यों के रूप में क्रेडिट निगरानी और वसूली शामिल है। वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

xv) इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए समिति के आदेश की समीक्षा करने के लिए समिति

1 जुलाई 2015 की भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना आरबीआई/2015-16/100 के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य के रूप में दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करने में समितियों की भूमिका रहती है और इसमें इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए सदस्य के रूप में महाप्रबंधक-ऋण, ऋण निगरानी एवं वसूली शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, दिनांक 09.03.2022 समिति की एक बार बैठक हुई:

सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिखाया गया है:

निदेशक का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)
श्री एम वी राव	1	1	01.04.2021-31.03.2022
श्री दिनेश पांगती	1	1	01.07.2021-31.03.2022
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	1	1	27.01.2022-31.03.2022

xvi) बोर्ड की प्रदर्शन मूल्यांकन समिति

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक और आंतरिक नियंत्रण कार्यों के प्रभारी महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था। समिति में गैर-सरकारी निदेशक समिति के अध्यक्ष के रूप में और भारत सरकार के नामित निदेशक एवं शेयरधारक निदेशक समिति के सदस्यों के रूप में शामिल थे। वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

संप्रेषण के मामले में एफ.सं. 6/20/2019-बीओ.आई दिनांक 30 अगस्त, 2019 के संदर्भ में निदेशक मंडल एक वर्ष की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर गैर-आधिकारिक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

गैर-आधिकारिक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंड निम्नलिखित हैं: -

i) पेशेवर और नैतिक आचरण

- विधि, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना
- बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना
- आवश्यक और उचित देखभाल, कौशल, परिश्रम और स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों के टकराव से बचाव
- स्वयं या रिश्तेदार, भागीदारों या सहयोगियों को अनुचित प्रतिफल या लाभ से बचना
- वाणिज्यिक रहस्य और बाजार सम्बंधी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी सहित सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना

ii) बैंक में योगदान

- बोर्ड और समिति की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास
- जहां आवश्यक हो, उचित स्पष्टीकरण या व्याख्या की मांग करना
- बैठकों और टिप्पणियों में बैंक और बाहरी वातावरण के बारे में अपेक्षित ज्ञान और जागरूकता के अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन
- बेहतर निर्णय लेने और बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए रचनात्मक विचारों, मार्गदर्शन और ज्ञान के संदर्भ में योगदान
- बैंक द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर प्रतिक्रिया की समय सीमा

3. निदेशकों को पारिश्रमिक

गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक/ गैर कार्यकारी निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में शामिल होने पर प्रति बैठक ₹40,000/ एवं मंडल की विभिन्न उप समितियों की बैठकों में शामिल होने पर ₹20,000/ का भुगतान किया गया। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक तथा निदेशकों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निदेशक मंडल एवं समितियों के बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए क्रमशः ₹10,000/ एवं ₹5,000/ की अतिरिक्त बैठक फीस का भुगतान किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठक में शामिल होने पर बैठक की फीस के रूप में ₹12,10,000/ (रुपये बारह लाख दस हजार) और बोर्ड की उपसमितियों की बैठक में भाग लेने पर ₹14,15,000 (रुपये चौदह लाख पंद्रह हजार) का भुगतान किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान बैठक फीस का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक	वित्त वर्ष 2021-22 हेतु प्रदत्त बैठक फीस (राशि ₹ में)
श्रीमती मिनी आईप* (निदेशक की सलाह पर बैठक फीस का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया गया)	2,80,000
श्री तपन रे*	1,25,000
श्री दिनेश पांगती (निदेशक की सलाह पर बैठक फीस ₹ 705000 का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया गया)	8,10,000
श्री पी जे थॉमस	11,00,000
श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी	3,10,000

* वर्ष के दौरान कार्यकाल पूरा होने पर निदेशक का पद छोड़ दिया

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के दौरान श्री सी पी श्रीमाली और श्री एस सेनगुप्ता को बोर्ड की मानव संसाधन समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु ₹1,00,000/- रुपये बैठक फीस का भुगतान किया गया एवं श्री एन बालकृष्णन को बोर्ड की आईटी रणनीति समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक फीस के रूप में ₹80,000/ का भुगतान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते और भत्तों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

क्र.	नाम	रुपये लाख में
1.	श्री एम वी राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	31.67
2.	श्री आलोक श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक	28.92
3.	श्री विवेक वाही, कार्यपालक निदेशक	27.26
4.	श्री राजीव पुरी, कार्यपालक निदेशक	28.18
	कुल	116.03

4. अनुपालन अधिकारी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार श्री आनंद कुमार दास, उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव, बैंक द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों और गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध, के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

5. सचिवीय लेखा परीक्षा

बैंक ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट हेतु सुश्री शालिनी पांडे, कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न की गई है।

6. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सार्वजनिक निर्गम, राईट इश्यू, अधिमन्य निर्गम आदि से प्राप्त आय

इक्विटी शेयरों के अधिमन्य आवंटन के लिए दिनांक 31.03.2021 को भारत सरकार से ₹4800 करोड़ की पूंजीगत निधि प्राप्त हुई थी। राशि को शेयर आवेदन राशि खाते में आवंटन हेतु लम्बित रखा गया था एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीईटी 1 पूंजी के हिस्से के रूप में माना गया था। दिनांक 29.05.2021 को ₹10 के 280,53,76,972 परिणामी इक्विटी शेयर ₹7.11 प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम सहित ₹17.11 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आवंटित किए गए थे। यद्यपि दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि हुई थी, सीईटी 1 पूंजी में वृद्धि दिनांक 31.03.2021 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में हुई थी इसलिए दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में किसी भी नए पूंजी प्रवाह पर विचार नहीं किया गया था।

7. संचार माध्यम

तिमाही वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित लेकिन सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन) और लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्य रूप से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी समाचार पत्रों, जैसे, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तरुण भारत, जनसत्ता, लोकसत्ता आदि में प्रकाशित किए गए थे। परिणाम के साथ-साथ

विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण, वित्तीय प्रदर्शन पर प्रेस विज्ञप्ति और आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां भी बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर अपलोड की गईं।

8. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर "निवेशक संबंध" लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र अनुबंध में दिया गया है।

बैंक ने अपने निदेशकों और नामित कर्मचारियों के लिए बैंक की सुरक्षा में इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए एक आचार संहिता भी तैयार की है, इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर "निवेशक संबंध" लिंक के तहत भी उपलब्ध है।

9. अन्य प्रकटन

बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा, बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है, जिससे बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। वर्ष के दौरान बैंक तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों का कोई परस्पर आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक में यह एक स्थापित प्रथा है कि जब निदेशक या उनके रिश्तेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है तो बोर्ड और बोर्ड की अन्य उप-समितियों के विचार-विमर्श में निदेशक भाग नहीं लेते हैं। वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है जिससे बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई थी।

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तुओं में कारोबार नहीं किया है और इसलिए "कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों" पर जानकारी शून्य है।

बैंक जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) समाधान के तहत विसिल ब्लोअर की शिकायतों हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का "सेंट ई विसिल ब्लोअर" नाम का एक वेब आधारित पोर्टल है जिसमें कर्मचारी एवं निदेशक, अपनी पहचान बताए बिना अनाचार की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो कि महाप्रबंधक-केंद्रीय लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण को

पता होगी। निदेशक व कर्मचारी लेखा समिति के अध्यक्ष से भी सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी को रोकने और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। किसी भी कार्मिक को लेखा समिति से संपर्क करने के लिये मना नहीं किया गया है।

बैंक ने सेबी (सूचीकरण, बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की निर्धारित अपेक्षाओं को लिस्टिंग एग्रीमेंट के साथ इस प्रकार अनुपालन किया है कि इन विनियमों और समझौतों की आवश्यकताएं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और उपक्रम का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, प्रावधान, विनियम या निर्देश के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव - शून्य।

जहां बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनिवार्य रूप से आवश्यक बोर्ड की किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था - शून्य

हम सेबी लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के उप-पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

किसी भी निदेशक का बैंक के किसी अन्य मौजूदा निदेशक के साथ कोई संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का

विवरण - पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने और मजबूत करने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ धन जुटाया जाता है। जुटाई गई धनराशि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

“सहायक” कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति बैंक की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है। <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/PolicyonSubsidiary.pdf>.

संबंधित पार्टि लेनदेन से निपटने की नीति बैंक की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है। <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/RPT.pdf>.

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, में सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क ₹30.82 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) था।

<https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Familiasation.pdf> के अंतर्गत “निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों” के विवरण बैंक की वेबसाइट पर टैब के तहत अपलोड किया गया है।

प्रेक्टिस कर रहे एक कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

बैंक के सभी ऋण लिखतों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या किसी भी योजना या बैंक के प्रस्ताव के लिए जिसमें फंड जुटाना शामिल है, चाहे भारत में हो या विदेश में। प्रासंगिक वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के दौरान किसी भी संशोधन के साथ बैंक द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची :-

स्तर निर्धारक संस्था	आईपीडीआई	बेसल III अनुपालन टियर II बांड
क्रिसिल	क्रिसिल ए / स्थिर (पुष्टि की गई)	क्रिसिल ए+ / स्थिर (पुष्टि की गई)
आईसीआरए	उपलब्ध नहीं	आईसीआरए ए+ / स्थिर (आईसीआरए ए+ (हाइब) / नकारात्मक से अपग्रेड किया गया)
ब्रिक वर्क	बीडब्ल्यूआर ए / स्थिर (पुष्टि की गई)	बीडब्ल्यूआर ए+ / स्थिर (पुष्टि की गई)
भारत रेटिंग	उपलब्ध नहीं	इंड ए ए - / स्थिर (इंडिया एए- / नेगेटिव से अपग्रेडेड रेटिंग)
एक्यूट रेटिंग	उपलब्ध नहीं	एक्यूट एए- / स्थिर (पुष्टि की गई)

बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन उस सीमा तक किया है, कि क्लॉज की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों या निर्देशों का उल्लंघन न हो।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वर्ष 2021-22 के लिए स्थिति

वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	14
मामलों की कुल संख्या	16
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	10
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	6

10. विवेकसम्मत आवश्यकताएं (सेबी सूचीकरण विनियमन की अनुसूची II का भाग ई)

क्र. सं.	गैर-अनिवार्य	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	गैर कार्यकारी अध्यक्ष को संस्था के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय को चलाने के लिए एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी.	जी हां, कार्यान्वयन किया गया.
2.	गत छः माह में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार से साथ वित्तीय कार्यनिष्पादन ली अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को प्रेषित करना है.	बैंक ने 30.09.2021 को समाप्त छमाही और 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे हैं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किए हैं. इसके अलावा, वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी अपलोड किए गए थे साथ ही 30.09.2021 को समाप्त छमाही और 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणाम भी शेयरधारकों को ईमेल किए गए थे.
3.	कंपनी गैर-अनिवार्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था अपना सकती है	बैंक के पास गैर-सापेक्ष वित्तीय विवरण हैं
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखा परीक्षक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के प्रति उत्तरदायी है.

11. सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 15 वीं वार्षिक सामान्य बैठक:

दिन एवं तिथि : बुधवार, 10 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे बैंक के प्रधान कार्यालय, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का संभावित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल के माध्यम से

- वार्षिक साधारण बैठक वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बंधित है
- बही बंदी की तिथि: 07 अगस्त, 2022 से 10 अगस्त, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित)
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किसी लाभांश की अनुशांसा नहीं की गई थी.

12. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित आम सभा की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान	निष्पादित व्यवसाय किया गया
1.	चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	10 अगस्त, 2021, प्रातः 11: 00	वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का माना स्थान)	31 मार्च 2021 की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन पत्र, 31 मार्च 2021 की स्थिति में एकल एवं समेकित लाभ हानि खाता बैलेंस शीट व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यावधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया. 31.03.2021 को शेयर प्रीमियम खाते से संचित हानियों का विनियोग - विशेष संकल्प

क्र. बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान	निष्पादित व्यवसाय किया गया
2. असाधारण सामान्य बैठक	18 मई, 2021, प्रातः 11: 00	वीडियो कॉन्फ्रेंस (बीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का संभावित स्थान)	10 रुपये के अंकित मूल्य के 280,53,76,972 इक्विटी शेयरों का ₹ 17.11 मूल्य पर निर्गम. ₹ 4800 करोड़ भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर जारी करना - विशेष संकल्प
3. तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	7 अगस्त, 2020, प्रातः 11: 00	वीडियो कॉन्फ्रेंस (बीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 (बैठक का संभावित स्थान)	1. 31 मार्च 2020 की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन पत्र, 31 मार्च 2020 की स्थिति में एकल एवं समेकित लाभ हानि खाता तुलन पत्र व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यावधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया 2. एफपीओ / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी संग्रहण की मंजूरी - विशेष संकल्प
4. असाधारण सामान्य बैठक	26 नवंबर, 2019, प्रातः 11: 00	9 वीं मंजिल, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021	10 रुपये के अंकित मूल्य के 1583845063 इक्विटी शेयरों का ₹ 21.17 मूल्य पर निर्गम. ₹ 3353 करोड़ भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर जारी करना - विशेष संकल्प
5. बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	28 जून, 2019 अप.12:00 बजे	9 वीं मंजिल, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021	1. 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित तुलन पत्र, 31 मार्च 2019 की स्थिति में एकल एवं समेकित लाभ हानि खाता तुलन पत्र व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यावधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया 2. एफपीओ / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी संग्रहण की मंजूरी - विशेष संकल्प

पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है।

13. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण:

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत हैं:

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभाय टावर्स, 25वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) “एक्सचेंज प्लाजा”, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, (पूर्व), मुंबई - 400 051	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	INE483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को 2021-22 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है।

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिसरी नोट्स (टियर- II कैपिटल) की प्रकृति में गैर-परिवर्तनीय बांड जारी किए हैं। संबंधित बकाया विवरण इस प्रकार हैं:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया टियर- II बांड - 31.03.2022 को पूंजी की स्थिति

श्रृंखला विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएसआईएन
बेसल III अनुपालित श्रृंखला I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
बेसल III अनुपालित श्रृंखला II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
बेसल III अनुपालित श्रृंखला III	29.03.2019	500.00	INE483A09286
बेसल III अनुपालित श्रृंखला IV	30.09.2019	500.00	INE483A08023
बेसल III अनुपालित श्रृंखला V	20.03.2020	500.00	INE483A08031
कुल		3000.00	

ये सभी बांड बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। बैंक ने एक्सचेंज को 2021-22 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

बाजार मूल्य डेटा:

मासिक उच्च एवं निम्न दर और एनएसई पर कारोबार किए गए शेयरों की संख्या (एनएसई निफ्टी के साथ बैंक के शेयर मूल्य की तुलना के साथ) निम्नानुसार हैं:

महा	एनएसई			एनएसई निफ्टी	
	अधिकतम मूल्य (₹)	निम्न कीमत (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2021	18.85	15.80	192444025	15044.35	14151.40
मई 2021	19.65	16.05	232215360	15606.35	14416.25
जून 2021	29.65	18.55	756594078	15915.65	15450.90
जुलाई 2021	29.10	23.40	278386982	15962.25	15513.45
अगस्त 2021	24.60	19.00	140595794	17153.50	15834.65
सितंबर 2021	25.15	20.30	183490586	17947.65	17055.05
अक्टूबर 2021	24.10	21.25	170326286	18604.45	17452.90
नवंबर 2021	23.70	19.80	122448957	18210.15	16782.40
दिसंबर 2021	23.90	19.90	103639942	17639.50	16410.20
जनवरी 2022	22.75	20.00	96948134	18350.95	16836.80
फरवरी 2022	22.70	17.55	80074262	17794.60	16203.25
मार्च 2022	19.55	17.50	57189954	17559.80	15671.45

मासिक उच्च और निम्न दर एवं बीएसई पर कारोबार किए गए शेयरों की संख्या (सेंसेक्स के साथ बैंक के शेयर मूल्य की तुलना के साथ) निम्नानुसार हैं:

महा	बीएसई			सेंसेक्स	
	अधिकतम मूल्य (₹)	निम्न कीमत (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2021	18.90	15.80	24167212	50375.77	47204.50
मई 2021	19.70	16.05	30847822	52013.22	48028.07
जून 2021	29.65	18.50	106551481	53126.73	51450.58
जुलाई 2021	29.10	23.40	37860728	53290.81	51802.73
अगस्त 2021	24.65	19.00	26026060	57625.26	52804.08
सितंबर 2021	25.15	20.30	38219150	60412.32	57263.90
अक्टूबर 2021	24.05	21.30	21357921	62245.43	58551.14
नवंबर 2021	23.65	19.85	17925614	61036.56	56382.93
दिसंबर 2021	23.85	19.90	17412107	59203.37	55132.68
जनवरी 2022	22.75	20.00	16342863	61475.15	56409.63
फरवरी 2022	22.70	17.50	13686076	59618.51	54383.20
मार्च 2022	19.50	17.50	12586875	58890.92	52260.82

14. शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन वापसी आदेश, लाभांश भुगतान और अन्य सभी निवेशक संबंधी गतिविधियों को हमारे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और पृष्ठताछ/शिकायतों के लिए, शेयरधारकों/निवेशकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार से संपर्क करें:

इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

लिक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

सी-101, 247 पार्क,

एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम),

मुंबई - 400 083

दूरभाष: 022-4918 6270

फैक्स: 022-4918 6060

ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

के-215, दूसरी मंजिल,

अंसा इंडस्ट्रियल एस्टेट,

साकी विहार रोड, साकी नाका,

अंधेरी (ई), मुंबई - 400 072

दूरभाष: 022 - 28476020 / 6021 / 46049717 (डी)

ईमेल आईडी: helpdeskmm@mcsregistrars.com

सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

एशियन बिल्डिंग, तल मंजिल,

17, आर. खेमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,

मुंबई - 400 001

दूरभाष: 022-4080 7000

फैक्स: 022-66311776

ई-मेल आईडी: itsl@idbitrustee.com

बैंक के साथ पत्राचार के लिए पता:

उप महाप्रबंधक/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,

9 वीं मंजिल, चंद्रमुखी,

नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

संपर्क नंबर 022- 6638 7575/7818

फैक्स नंबर: 022- 2283 5198

ईमेल आईडी: dgmcompsec@centralbank.co.in;

Investor@centralbank.co.in

15. शेयरधारिता का संवितरण

i) 31.03.2022 को शेयरधारिता का वितरण (डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी और फोलियो नंबर के आधार पर)

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	289526	77.0227	37314453	0.4298
501-1000	36407	9.6854	31293310	0.3605
1001-2000	20114	5.3509	31829864	0.3667
2001-3000	8860	2.357	23489180	0.2706
3001-4000	4242	1.1285	15431305	0.1778
4001-5000	4923	1.3097	23807132	0.2742
5001-10000	8171	2.1737	59252048	0.6826
10001 और ऊपर	3654	0.9721	8458522140	97.4379
कुल	375897	100.0000	8680939432	100.0000

ii) "सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है,

"सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	227021558	2.6152

iii) "सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है,

"सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	%
शून्य	शून्य	शून्य

iv) 31.03.2022 को शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर	होल्डिंग का %
	डीमैट	भौतिक	डीमैट	भौतिक		
केंद्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	8080391687	0	1	0	8080391687	93.0820
जनता	314300746	29885	367707	91	314330631	3.6209
जीवन बीमा निगम (बीमा कंपनियों)	227021558	0	1	0	227021558	2.6152
अन्य निकाय कॉर्पोरेट	23572436	90	706	1	23572526	0.2715
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	9142463	0	31	0	9142463	0.1053
हिंदू अविभाजित परिवार	9076431	0	5335	0	9076431	0.1046
जीआईसी और इसकी सहायक कंपनियां	6531875	0	4	0	6531875	0.0752
विदेश वाले प्रवासी भारत	3215377	121600	1094	1	3336977	0.0384
समाशोधन सदस्य	2863704	0	147	0	2863704	0.033
म्यूचुअल फंड्स	2629442	0	8	0	2629442	0.0303
अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	1295504	0	712	0	1295504	0.0149
बॉडी कॉरपोरेट - लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप	519611	0	35	0	519611	0.006
न्यास	114566	0	15	0	114566	0.0013
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	59464	0	3	0	59464	0.0007
राष्ट्रीयकृत बैंक	32876	0	2	0	32876	0.0004
गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	19417	0	2	0	19417	0.0002
सरकारी कंपनियां	700	0	1	0	700	0
कुल :	8680787857	151575	375804	93	8680939432	100

v) लॉक-इन शेयरों का विवरण दिखाने वाला विवरण

क्र. शेयरधारक का नाम	लॉक-इन शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में लॉक-इन शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग)
1. भारत के राष्ट्रपति	5076470357	62.8246
2. जनता	0	0
कुल	5076470357	62.8246

vi) डिपॉजिटरी रसीदों (डीआर) का विवरण दिखाने वाला विवरण

क्र. बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, आदि)	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के अंतर्गत आने वाले शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में बकाया डीआर अंतर्निहित शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

vii) डिपॉजिटरी रसीदों (डी आर) की धारिता को दर्शाने वाला विवरण जहां अंतर्निहित शेयर शेयरों की कुल संख्या के 1% से अधिक हैं.

क्र. डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर, आदि)	बकाया डीआर के अंतर्गत आने वाले शेयरों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में बकाया डीआर अंतर्निहित शेयर (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का कुल योग)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

viii) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन

बैंक के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में किया जा रहा है. बैंक ने शेयरों के डिमैटरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ पहले ही करार कर लिया था.

31.03.2022 को शेयरधारकों द्वारा धारित डीमैट और भौतिक रूप में शेयरों का विवरण (डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी और फोलियो नंबर के आधार पर) निम्नानुसार हैं:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	धारिता का %
भौतिक	93	151575	0.0017
एनएसडीएल	131402	397559999	4.5797
सीडीएसएल	244402	8283227858	95.4186
कुल	375897	8680939432	100.0000

ix) भौतिक धारिताओं का डिमैटरियलाइजेशन - एक विशेष अनुरोध

हम शेयरधारकों से अपनी भौतिक धारिताओं को डीमैट करने का अनुरोध करते हैं. डिमैटरियलाइजेशन के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे डीमैट खाते रखते हैं. डिमैटरियलाइजेशन के लाभ इस प्रकार हैं:

- झंझट मुक्त अंतरण
- शेयर प्रमाण नष्ट होने का कोई खतरा नहीं
- लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और त्वरित जमा
- नामांकन सुविधा
- असबा/आईपीओ आदि के माध्यम से सीधे आवेदन.

जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर्स, भौतिक रूप से /डीमैट स्वरूप में रखे हैं और उन्होंने अब तक बैंक के आरटीए/उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, भारत सरकार के "ग्रीन इनिशिएटिव" में सहायता देने हेतु, उनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा लें.

x) अदावाकृत उचंत खाते में शेयर:

सूचीकरण करारों के खंड 5ए के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक " दावा न किए गए उचंत खाते " में बकाया शेयर निम्नानुसार हैं:

क्र. विवरण	शेयरधारकों की कुल संख्या	कुल बकाया शेयर
(i) शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाते में बकाया शेयर	233	32,853
(ii) वर्ष के दौरान अदावाकृत उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य	शून्य
(iii) उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान अदावाकृत उचंत खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	शून्य	शून्य
(iv) शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	233	32,853

नोट - इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों के असली मालिक शेयरों का दावा नहीं करते.

कॉरपोरेट गवर्नेंस की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, शेयर बाजार के साथ सूचीबद्धता करार के साथ पठित, के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन में जारी प्रमाण पत्र संलग्न है

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध तंत्र ने बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है..

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 जून, 2022

ए/-
एम वी राव,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाण पत्र

प्रति, निदेशक मंडल
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की तिमाही तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
- I. इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण अथवा कोई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा कोई विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.
 - II. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार हैं.
- बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने तिमाही तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.
- सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण, स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों

एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई हैं, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

- I. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में तिमाही तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन.
- II. लेखांकन नीतियों में तिमाही तथा दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं
- III. धोखाधड़ियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

(मुकुल एन. दंडिगे)
महाप्रबंधक -
एफएंडए एवं सीएफओ
स्थान : मुंबई
दिनांक : 09 मई, 2022

(एम वी राव)
प्रबंध निदेशक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट 2021-22

अनुभाग ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. विवरण

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
3. निगमन का वर्ष	1911
4. पंजीकृत कार्यालय का पता	चंदरमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, मुंबई — 400 021
5. कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	चंदरमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, मुंबई — 400 021
6. ईमेल आईडी	investors@centralbank.co.in
7. टेलीफोन	+91 22 6638 7777
8. वेबसाइट	www.centralbankofindia.co.in
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2021-22
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	इक्विटी शेयर, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है
11. प्रदत्त पूंजी	₹ 8680.94 करोड़
12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	स्मृति रंजन दाश महा प्रबंधक फोन नंबर: +91 22 6638 7880 ईमेल आईडी — gmhrd@centralbank.co.in
13. रिपोर्टिंग सीमा	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण एकल आधार पर हैं और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से संबंधित हैं

II. उत्पाद/सेवाएँ

14. व्यवसायिक गतिविधियों का विवरण

क्र.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यवसायिक गतिविधि का विवरण	कुल कारोबार का %
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	केंद्रीय व्यवसायिक बैंक द्वारा बैंकिंग गतिविधियाँ	100

15. संस्था द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद / सेवाएँ

क्र.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार में योगदान %
1.	वित्तीय सेवाएँ — वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंकों और डिस्काउंट हाउसों की मौद्रिक मध्यस्थता (सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सहित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में सहबद्ध है)	64191	100%

III. परिचालन-

16. अवस्थानों की संख्या जहाँ संस्था के कारखाने और / या परिचालन स्थल / कार्यालय स्थित है

अवस्थान	कारखानों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं*	17803*	17803
अंतरराष्ट्रीय		निरंक	निरंक

*संस्था बैंक है और इसलिए कोई निर्माण गतिविधि नहीं करता है .

*शाखाएं, एटीएम, बीसी आउटलेट शामिल हैं (4528+2976+10299).

17. संस्था द्वारा प्रदत्त सेवा के अधीन बाज़ार

ए. अवस्थानों की संख्या

अवस्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)	अखिल भारतीय
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	निरंक

बी. इकाई के कुल व्यवसाय के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

लागू नहीं

सी. ग्राहकों के प्रकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी-

हमारा बैंक उन ग्राहकों के साथ संव्यवहार कर रहा है जो जमाकर्ता, उधारकर्ता, सेवा प्रदाता, सरकारी सेवा प्रदाता, आदि जैसी किसी भी व्यवस्था में बैंक से जुड़े हैं।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष 2021-22 के समापन पर विवरण -

ए. कर्मचारी (दिव्यांग जन सहित):-

क्र.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या. (सी)	% (सी/ए)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	30289	22915	75.65	7374	24.35
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई)	00	00	00	00	00
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई)	30289	22915	75.65	7374	24.35

बी. कुल दिव्यांग जन कर्मचारी:-

क्र.	विवरण	कुल(ए)	पुरुष		महिला	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या. (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	812	656	80.78	156	19.22
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई)	00	00	00	00	00
3.	कुल दिव्यांग जन कर्मचारी (डी + ई)	812	656	80.78	156	19.22

19. महिलाओं की भागेदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व –

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मण्डल	8	निरंक	निरंक
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	11	1	9.09%

20. स्थायी कर्मचारियों हेतु कुल आवर्ती दर –

	वित्तीय वर्ष 2020			वित्तीय वर्ष 2021			वित्तीय वर्ष 2022		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	1.4%	1.9%	1.6%	1.4%	2.1%	1.7%	2.4%	2.5%	2.5%

V. धारक, अनुषंगी और सहबद्ध कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (ए) 31 मार्च 2022 तक

क्र.	नाम (ए)	सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित संस्था, बैंक की व्यवसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है ₹ (हाँ/नहीं)
1.	सेंट बैंक होम फ़ाइनेंस लिमिटेड	अनुषंगी	64.40	नहीं
2.	सेंट बैंक फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड	अनुषंगी	100.00	नहीं
3.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	सहबद्ध	35.00	नहीं
4.	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहबद्ध	35.00	नहीं
5.	इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	सहबद्ध	20.00	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है : नहीं

(ii) व्यवसाय (रुपयों में): 22903.34 करोड़

(iii) निवल संपत्ति (रुपयों में): 23801.85 करोड़

(iv) वित्तीय वर्ष 2012 के लिए सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि – निरंक

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. उत्तरदायी व्यवसाय संचालन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के तहत किसी भी सिद्धांतों (सिद्धान्त 1 से 9) पर शिकायतें / व्यथा

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	व्यथा निवारण तंत्र मौजूद है (हाँ/नहीं)	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	(यदि हाँ, तो व्यथा निवारण नीति के लिए वेब लिंक प्रदान करें)	वर्ष में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष में दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://www.centralbankof-india.co.in/en	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ https://www.centralbankof-india.co.in/en/investor-re-lations	-	-	-	-	-	-
शेयरधारक	हाँ https://www.centralbankof-india.co.in/en/investor-re-lations	3	3	लागू नहीं	2	2	लागू नहीं
कर्मचारी	हाँ https://www.centralbankof-india.co.in/en	139	93	लागू नहीं	99	71	लागू नहीं
आर्थिक हित भागीदार	हाँ https://www.centralbankof-india.co.in/en	-	-	-	-	-	-
ग्राहकों सहित अन्य (बैंक पोर्टल+एटीएम+सीपी-जीआरए एमएस+आइएन-जीआरएएमएस+एमएसए-मई+रीटेल)	हाँ https://www.central-bankofindia.co.in/pdf/CUSTOMER-GRIEV-ANCEREDRESSAL-POLICY31.01.2021pdf	183566	923	30.04.2022 तक सभी का निवारण कर दिया गया है	213958	4381	सभी शिकायतों का निवारण गया है

24. संस्था के आर्थिक उत्तरदायी व्यवसाय संचालन के विषयों का अवलोकन:

क्र. स.	चिह्नित आर्थिक विषय	दर्शाएँ जोखिम या अवसर (जो/अ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम हो तो, अनुकूल बनाने या जोखिम कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएं)
1.	वित्तीय सेवाएं देने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ गठजोड़	अवसर	फिनटेक उन उपभोक्ताओं की अगली पीढ़ी को सक्षम और सशक्त बना रहा है जो उच्च तकनीक-प्रेमी हैं और जिनके पास अधिक वित्तीय साक्षरता है, लेकिन उनके पास समय की कमी है। ये ग्राहक चलते-फिरते सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एल्गोरिदम पर आधारित क्रेडिट निर्णयों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, ई-डॉक्यूमेंटेशन के लिए एपीआई, और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे सक्षमकर्ताओं के साथ कोई भी बैंक वांछित सेवाएं प्रदान कर सकता है और अपनी संपत्ति/देयताएं के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकता है।	यद्यपि गतिविधि में निहित जोखिम हैं, हालांकि उचित जोखिम शमन के साथ जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।	यहां तक कि बिना ब्रिक एवं मोटर संरचना के भी पूरे ईको सिस्टम में वित्तीय सेवाएं अधिक सहजता से प्रदान करने एवं अपनी आस्तियां / देयता पोर्टफोलियों के विस्तार में किसी भी बैंक के लिये सहायक होगा।
2.	सतत विकास लक्ष्य – "ग्रीन फिक्ड डिपॉजिट"	अवसर	ग्रीन डिपॉजिट्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को सीधे समर्थन देने वाली परियोजनाओं में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भागीदारी को बढ़ाता है और हमारे जमाकर्ताओं को ऐसे वित्तीय उत्पादों को चुनने के लिए सशक्त करेगा जो पर्यावरण और बड़े पैमाने पर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।	ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश विशेष दरों पर की जाती है जो अन्य फिक्स्ड डिपॉजिट दरों से ऊपर हैं।	सकारात्मक: जलवायु परिवर्तन से अपने पर्यावरण की रक्षा करना समय की मांग है। अतः देश भर में ग्रीन डिपॉजिट को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
3.	ग्रीन फाइनेंसिंग	अवसर	सरकार अक्सर सभी के लिए एक अधिक सतत भविष्य प्राप्त करने हेतु एक ढांचे की तरह एसडीजी को नियोजित करती है और कंपनियां उन एसडीजी के साथ जुड़ने के लिए कॉरपोरेट लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं। व्यापारियों और बिक्री प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन (इसेंटिव) प्रदान करके व्यापारियों को और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचने के लिए प्रोत्साहित करना। इलेक्ट्रिक वाहन ऋण पर जीवाश्म ईंधन वाहन ऋण की तुलना में कम ब्याज चार्ज करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाना।	जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती हरित आवास, हरित वाहन वित्तपोषण आदि जैसे हरित वित्त के विविध पूल तक पहुंच।	सकारात्मक: एक समृद्ध ग्रीन पोर्टफोलियों बनाने की अपार संभावनाएं।

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के नौ सिद्धांतों पी1-पी9 को संदर्भित किया है, जो निम्नानुसार हैं:

पी1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से स्वयं ईमानदारी के साथ संचालन और शासन करना चाहिए.
पी 2	व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार प्रदान करना चाहिए कि वो सतत और सुरक्षित हों.
पी 3	व्यवसायों को उनके अपने आर्थिक हितधारी सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान और उनका कल्याण करना चाहिए.
पी 4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए.
पी 5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना और उनको बढ़ावा देना चाहिए.
पी 6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और सुधार के प्रयास करने चाहिए.
पी 7	जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे व्यवसायों को ध्यान देना चाहिए कि यह जिम्मेदार और पारदर्शी हो
पी 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए.
पी 9	व्यवसायों को अपने ग्राहकों के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए.

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचना, नीतियां और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना है

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी इकाई की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के अपने मूल तत्वों और प्रत्येक सिद्धांत को कवर करती है. (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
ख. क्या नीति, मंडल द्वारा अनुमोदित हो चुकी है? (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
ग. यदि उपलब्ध हो तो, नीतियों के लिए वेब लिंक	https://www.centralbankofindia.co.in/ कुछ नीतियां बैंक की आंतरिक नीतियों का समामेलन कर सकती है जिसमें सभी आंतरिक हितधारकों को पहुंच है और बैंक की वेबसाइट पर नीतियों को दर्शाया गया है.								
2. क्या इकाई ने नीतियों को प्रक्रिया में बदला है (हां/नहीं)	हां. बैंक ने लागू नीतियों को प्रक्रिया में बदला है और उन्हें बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और प्रथाओं में अनुकूलित किया है.								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके आर्थिक हित भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हां/नहीं)	हां. बैंक की आचार संहिता व्यापक स्तर पर उपर्युक्त सिद्धांतों को अपनाती है और बैंक अपने हितधारकों से अपने सभी लेन-देन में इसका पालन करने की अपेक्षा करता है.								
4. आपकी इकाई द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणन / लेबल / मानकों (जैसे वन प्रबंधक परिषद, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट, एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) को अपनाए गया और प्रत्येक सिद्धांत को माना गया	लागू नहीं								
5. निर्धारित समय-सीमा के साथ इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और प्रयोजन, यदि कोई हो	उपरोक्त नीतियों के तहत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है. हालांकि, इन सिद्धांतों का अनुपालन हमारी प्रतिबद्धता और लक्ष्य है.								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के साथ-साथ उन कारणों को पूरा नहीं करने की स्थिति में इकाई का निष्पादन.	लागू नहीं.								

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का विवरण (इस प्रकटीकरण के प्रस्तुति के संदर्भ में सूचीबद्ध ईकाई लचीली है)	बैंक का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। ईएसजी मानकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता इसके मूल सिद्धांतों में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है, जो इसके संचालन के सभी पहलुओं में निहित हैं। दयालुता, निष्पक्षता, प्रभावोत्पादकता और दक्षता बैंक के मूल आदर्श हैं। बैंक के अनुसार, अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन मानक एक महत्वपूर्ण साधन हैं। मानव अधिकारों के लिए सम्मान बैंक के मौलिक और मूल मूल्यों में से एक है। बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन न केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा है, बल्कि एक व्यावसायिक जोखिम भी है। अपनी उधार नीतियों में, बैंक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर विवेक सम्मत प्रयासों को बढ़ा रहा है।								
8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण	श्री राजीव पुरी कार्यपालक निदेशक								
9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थायीत्व संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है?	हां, सभी समितियां अपनी कार्यसूची विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार स्थायित्व संबंधी मुद्दों को देखती हैं। (हां नहीं). यदि हां, तो विवरण दें.								
10. बैंक द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण	समीक्षा के लिए विषय								
	संस्था द्वारा कृत गए सिद्धांतों की समीक्षा और आवृत्ति								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	एक प्रथा के रूप में, बैंक की बीआर नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर विभाग प्रमुखों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।								
वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सिद्धांतों की प्रासंगिकता, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	बैंक लागू होने वाले मौजूदा नियमों का अनुपालन कर रहा है।								
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है?	नहीं (हां/नहीं) यदि हां तो एजेंसी का नाम बताएं								

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर “नहीं” है अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारण बताए जाने चाहिए: **लागू नहीं**

अनुभाग सी: सिद्धांत के अनुसार निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से इकाई का संचालन और शासन करना चाहिए.

आवश्यक संकेतक			
1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:			
खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	3	प्रशिक्षण के तहत शामिल सभी सिद्धांत.	87.50%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	8	विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ नेतृत्व विकास से संबंधित प्रशिक्षण/सम्मेलन	57.20%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	4005	विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ व्यवहार संबंधी पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण	86.75%

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक इकाईयों से साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माने/अर्थदंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (इकाई या निदेशकों/केएसपीएस द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में
(टिप्पणी: सेबी विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और ईकाई की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार ईकाई, सामाग्रियों के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

मुद्रा				
एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों के नाम	राशि (रूपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	अधिमानित (हाँ/नहीं)
दंड /जुर्माना	दंड / जुर्माना/ समझौता / प्रशमन शुल्क, यदि किसी का बैंक द्वारा भुगतान किया गया है तो वह बैंक की महत्व / आर्थिक			
समझौता	नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है। इस संबंध में शेर बाज़ार के प्रकटन को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।			
प्रशमन शुल्क				

गैर - मौद्रिक				
एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों के नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील की गईर (हाँ/नहीं)	
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में उद्धाटित मामलों में से, उन मामलों में अपील / पुनर्विचार अनुरोध का विवरण जहाँ मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गयी है।

मामले का विवरण	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के नाम
शून्य	शून्य

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्तत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ. एक मुखबिर नीति है और यह बैंक के आंतरिक पोर्टल पर उपलब्ध है.

यह नीति कदाचार, धोखाधरी, लापरवाही, गबन, पद का दुरुपयोग, आदि संबंधी किसी भी कार्य की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित और गोपनीय मंच प्रदान करती है. इसके अलावा बैंक के पास आचार संहिता, व्यवसाय संहिता एवं हित संघर्ष संबंधी नीति है.

हमारी मुखबिर नीति बैंक के आचार संहिता का विस्तार है जिसका उद्देश्य अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देना, विश्वास पैदा करना एवं प्रतिशोध के बिना वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी और/या कदाचार और/या बैंक की आचार संहिता उल्लंघन जैसे अनैतिक व्यवहार के मामले में अपनी चिंताओं को प्रकट करने हेतु सीटी बजाने के अपने निर्णय के बारे में कर्मचारियों को सशक्त महसूस कराना है.

मुखबिर नीति संबंधी विवरण निम्न लिंक के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Whistle_blower_policy_0.pdf बैंक व्यवसाय के संचालन में और अपने सभी हितधारकों के साथ उच्चतम नैतिक मामलों सहित लागू सभी क़ानूनों एवं विनियमों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है. हमारे पास आचार संहिता, व्यवसाय संहिता एवं हित संघर्ष संबंधी समग्र नीति है.

आचार संहिता, व्यवसाय संहिता एवं हित संघर्ष संबंधी नीति को निम्न लिंक के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है. https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX_I_CODE_OF_ETHICS_BUSINESS_CONDUCT_CONFLICT_OF_INTEREST.pdf

5. निदेशकों / के एम पी / कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी थी :

	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपीएस	शून्य	शून्य
कर्मचारी	32*	20*

* अभियोजन अनुमति के लिए प्राप्त कुल सीबीआई मामले (बैंक से स्वीकृत या अस्वीकृत)

6. हित संघर्ष संबंधी शिकायतों का विवरण :

	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2020-21	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हित संघर्ष संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	शून्य
के एम पी के हित संघर्ष संबंधी प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हित संघर्ष संबंधी मामले के संबंध में जुर्माना / दंड / नियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें :

शून्य

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर आर्थिक हित भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत सम्मिलित किए गए आर्थिक हित भागीदारों की आयु (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
शून्य	शून्य	शून्य

2. क्या बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधन के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएँ हैं? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो उसका विवरण दें.

बैंक उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में व्यवसाय करने और अपने सभी हितधारकों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारे पास आचार संहिता, व्यावसायिक आचरण और हित संघर्ष पर भी एक व्यापक नीति है.

इस नीति को निम्न लिंक के माध्यम से ऑनलाइन देखा जा सकता है.

https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX_I_CODE_OF_ETHICS_BUSINESS_CONDUCT_CONFLICT_OF_INTEREST.pdf

सिद्धांत 2 - व्यवसाय द्वारा ऐसे उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो स्थायी एवं सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक

1. संस्था द्वारा क्रमशः शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर कुल निवेश की तुलना में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत . लागू नहीं
- बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, उपरोक्त की प्रासंगिकता काफी हद तक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कैपेक्स तक ही सीमित है. वित्त वर्ष 22 में, कैपेक्स ने आई टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर खर्च किया, जिससे बैंक की बढ़ी हुई डिजिटल पहल की सुविधा कुल राजस्व का 1.68% थी. डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अधिक से अधिक अपनाने से न केवल संचालन की क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि कागज की खपत में भी काफी कमी आती है.

	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	सामाजिक प्रभाव और पर्यावरण में सुधार का पिछला विवरण
शोध एवं विकास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी संसाधनों हेतु प्रक्रियाएँ हैं? हाँ

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत आवक को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?

सभी खरीद पंजीकृत / लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से की जाती है.

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) हानिकारक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट हेतु उसके उपयोग के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान हेतु अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं का विवरण दें – लागू नहीं

4. क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू होता है? (हाँ / नहीं). यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई पी आर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसका समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें. - लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (बिनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एल सी ए) किया है?

नहीं

यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद / सेवा का नाम	कुल कारोबार का योगदान %	किस सीमा तक के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक किया गया था (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो वेब-लिंक प्रदान करें

लागू नहीं

2. यदि आपके उत्पादों / सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो संक्षेप में उसका वर्णन करें और उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण दें. - लागू नहीं
3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत. - लागू नहीं
4. उत्पादों के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाई गई: - लागू नहीं
5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः दावा किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में) - लागू नहीं

सिद्धांत 3 - व्यवसायों को सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए, इसमें उनके आर्थिक हित धारक भी शामिल हैं

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्न द्वारा संरक्षित कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिन में देखभाल की सुविधा	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ई)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	22915	22915	100	22915	100	0	0	22915	100	00	00
महिला	7374	7374	100	7374	100	7374	100	0	0	00	00
कुल	30289	30289	100	30289	100	7374	100	22915	100	00	00

बी. श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण: लागू नहीं

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण.

फायदे	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष				वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष			
	कुल कर्मचारियों में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या % में	कुल कामगारों में सम्मिलित कामगारों की संख्या % में	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं /लागू नहीं)		कुल कर्मचारियों में सम्मिलित कर्मचारियों की संख्या % में	कुल कामगारों में सम्मिलित कामगारों की संख्या % में	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं /लागू नहीं)	
भविष्य निधि	11461 (37.83%)	लागू नहीं	हाँ		13223 (40.89%)	लागू नहीं	हाँ	
उपदान	30289 (100%)	लागू नहीं	लागू नहीं		32335 (100%)	लागू नहीं	लागू नहीं	
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
अन्य - कृपया	11342 (37.44%)	लागू नहीं	लागू नहीं		13079 (40.44%)	लागू नहीं	लागू नहीं	
उल्लिखित करें	18832 (62.17%)		हाँ		19117 (59.11%)		हाँ	

3. कार्यस्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय में दिव्यांग कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की पहुँच है?

यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में इकाई द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है?

हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/ कार्यालयों में दिव्यांगजन के सहज आवागमन के लिए रैंप/लिफ्ट हैं। हमारी अधिकांश शाखाएं/ कार्यालय या तो भूतल पर स्थित हैं या उनमें दिव्यांगजन के लिए लिफ्ट और बुनियादी ढांचा है।

4. क्या दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति के लिए एक वेब लिंक प्रदान करें।

हां, दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारे बैंक ने एक “समान अवसर नीति” तैयार की है जो दिव्यांगजन पर विशेष ध्यान देती है और इसका उद्देश्य दिव्यांगजन के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सृजन करना भी है। उनके लिए किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्त काम करने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की समान अवसर नीति उम्र, रंग, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास या इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य प्रासंगिक भेदभाव के बिना बैंक के सभी दिव्यांग कर्मचारियों पर लागू होती है।

पॉलिसी को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया देखा जा सकता है

https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/CBoI_Equal_Opportunity_Policy.pdf

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

स्थायी कर्मचारी			स्थायी कामगार	
लिंग	काम वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	99.55%	लागू नहीं	
महिला	100%	99.80%		
कुल	100%	99.64%		

6. क्या निम्नलिखित के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्रियाविधि का संक्षेप में विवरण दें।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो क्रियाविधि का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कामगार	लागू नहीं
स्थायी कामगार के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ (बैंक के पास अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुपरिभाषित और संरचित शिकायत निवारण तंत्र है)
स्थायी कर्मचारी के अलावा	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त संघ या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की सदस्यता :

श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कार्मिक (ए)	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों / कार्मिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (बी)	%(बी/ ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कार्मिक (सी)	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/ कार्मिकों की संख्या जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं (डी)	%(डी / सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	30289	27446	90.61%	32335	28279	87.45%
- पुरुष	22915	20613	89.95%	24522	21308	86.69%
- महिला	7374	6833	92.66%	7813	6971	89.22%

8. कर्मचारियों व कर्मिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22					वित्तीय वर्ष 2020-21				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर आगे ले जाए		कौशल उन्नयन पर	
		सं.(बी)	% (बी/ए)	सं.(सी)	% (सी/ए)		सं.(ई)	% (ई/डी)	सं.(एफ)	% (एफ/डी)
पुरुष	22915	4561	20%	84065	366%	24568	1060	4%	24301	98%
महिला	7374	2278	31%	18905	256%	7767	420	5%	10318	132%
कुल	30289	6839	22.6%			32335	1480	4.5%		

9. कर्मचारियों एवं कर्मिकों के कार्य निष्पादन और करियर के विकास कि समीक्षा का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22* वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2020-21* पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल (ए)*	संख्या (बी)	% (बी/ ए)	कुल (ए)*	संख्या (बी)	% (बी/ ए)
पुरुष	12322	4775	38.75	12653	10700	84.56
महिला	3926	1590	40.49	3912	3354	85.74
कुल	16248	6365	39.17	16565	14054	84.84

* उपरोक्त आंकड़े केवल अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में हैं जैसे कि पीएमएस बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू होता है

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

ए. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं). यदि हाँ, तो इस तरह की व्यवस्था की कवरेज? व्यवसाय की प्रकृति के कारण कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम नहीं है.

कोविड-19 के महामारी के कारण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे कर्मचारियों एवं आगंतुकों दोनों के लिए सर्वोपरि हो गए, कार्यालय परिसर में और फील्ड कर्मचारियों के लिए, टीकाकरण खर्च की प्रतिपूर्ति, कोविड-19 को समर्पित एक ऑनलाइन सहायता पोर्टल आदि जैसी सुविधाएं स्थापित की गईं.

बी. कार्य से संबंधित जोखिमों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं इस्तेमाल की जाती हैं?

व्यवसाय की प्रकृति देखते हुए, यह सीधे लागू नहीं होता है. हालांकि, कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में हमारे बैंक ने कार्यालय परिसर में संभावित संक्रमण के जोखिमों की पहचान की है. इन जोखिमों को कम करने के लिए, बैंक ने कार्यालयों में आवश्यक सावधानी बरती, जिसमें सभी कार्यालय परिसरों की नियमित सफाई, बायोमेट्रिक स्कैनर को हटाना, थर्मल स्कैनर की स्थापना, दैनिक संचार अपडेट, सामान्य क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध, और सामान्य कैन्टीन सुविधाओं को बंद करना और अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रमों को न करना शामिल था.

बैंक ने समय-समय पर जारी किए गए सभी सरकारी निर्देशों और परामर्शों का भी सख्ती से पालन किया. दिव्यांग कर्मचारियों, गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई. प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारियों को भी उनकी सुरक्षा और कारोबार में निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए रोटेशनल आधार पर काम करने की सलाह दी गई.

सी. क्या आपके पास कामगारों के लिए कार्य संबंधी जोखिमों की रिपोर्ट करने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से बचाने की प्रक्रिया है? (हाँ/नहीं)

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह सीधे लागू नहीं होता है. हालांकि, कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में, कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा से समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास आवश्यक प्रोटोकॉल और प्रणालियाँ हैं. सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को टीका लगवाने का आग्रह करने के प्रयास में सभी प्रशासनिक कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों और आश्रितों के लिए टीकाकरण शिविरों का आयोजन किए थे. कर्मचारियों और उनके आश्रितों को टीके की लागत की प्रतिपूर्ति भी प्रदान की है गई.

डी. क्या संस्था के कर्मचारियों/ कर्मिकों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच है? (हाँ / नहीं)

बैंक के सभी कर्मचारी आईबीए द्वारा परिकल्पित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं. बीमा राशि के ऊपर और अधिक व्यय भी उपलब्धता और इसकी शर्तों के अधीन कॉर्पोरेट बफर के तहत कवर किए जाते हैं.

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में :

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
		वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसीज रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख- व्यक्ति कार्य के घंटे)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य – संबंधित चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम कार्य – संबंधित या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें.

बैंक के सभी कर्मचारियों को आईबीए द्वारा परिकल्पित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है. यदि सीमा समाप्त हो जाती है, तो 10वें द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत परिभाषित कॉर्पोरेट बफर की भी सुविधा है.

ड्यूटी के दौरान लगी चोटों के मामले में, चिकित्सा बीमा योजना के तहत कवर नहीं किए गए अन्य सभी खर्च बैंक द्वारा वहन किए जाते हैं. ऐसे कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान विशेष अवकाश भी प्रदान किया जाता है.

कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, बैंक ने अपनी सभी शाखाओं / कार्यालयों में आवश्यक सावधानी बरती, जिसमें सेनिटाइजेशन की सुविधा, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनर की स्थापना, बायोमेट्रिक स्कैनर को हटाना आदि शामिल थे. बैंक के कर्मचारियों को समय-समय पर विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रियाएं और दिशा-निर्देश/ परामर्श जारी किये गये थे. बैंक ने कोविड-19 से संबंधित सरकार/स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया.

13. कर्मचारियों और कर्मिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणी
कार्य स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्षभर का आकलन:

किसी भी क्षेत्र/आंका द्वारा किसी भी अधिकारी के दौरे की ऐसी कोई घटना सूचित नहीं किया गया.

% आपके कारखानों और कार्यालयों में से, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था अथवा सांविधिक प्राधिकरणों अथवा तीसरे पक्षों के द्वारा)

स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपाय	शून्य
कार्य करने की स्थिति	शून्य

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य, सुरक्षा के उपाय एवं कार्य करने की स्थिति के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

फायर ड्रिल, निकासी सुरक्षा, शाखा सुरक्षा आदि से संबंधित सुरक्षा का कार्य प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है. इससे संबंधित विवरण सुरक्षा विभाग, केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.

कोविड-19 के महामारी के कारण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे कर्मचारियों एवं आगंतुकों दोनों के लिए सर्वोपरि हो गए, कार्यालय परिसर में और फील्ड कर्मचारियों के लिए, टीकाकरण खर्च की प्रतिपूर्ति, कोविड-19 को समर्पित एक ऑनलाइन सहायता पोर्टल आदि जैसी सुविधाएं स्थापित की गईं.

नेतृत्व संकेतक

- क्या संस्था (ए) कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में किसी भी जीवन बीमा या किसी क्षतिपूर्ति पैकेज का विस्तार करती है? (हाँ/नहीं) – हाँ, मृत्यु की सूचना पर बैंक तत्काल मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 30000/-राशि प्रदान करता है. इसके अलावा, बैंक अनुकंपा नियुक्ति नीति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार मृतक कर्मचारी के जीवन साथी/आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दे सकता है. सेवान्त लाभ जैसे भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, अवकाश नकदीकरण आदि प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाते हैं. बैंक ऐसे विकल्पों का प्रयोग करने में परिवार की सहायता करता है.

(कामगार)(हाँ/नहीं). – लागू नहीं

- संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक हित भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, किए गए उपायों का वर्णन करें।

लागू नहीं

- ऐसे कर्मचारियों/कर्मिकों की संख्या प्रदान करना, जिन्हें कार्य से संबंधित दुर्घटना / अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है (जैसा कि उपरोक्त आवश्यक संकेतकों को क्यू 11 में सुचित किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है।

खराब स्वास्थ्य/चोट से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे होने वाले किसी भी खर्च का निपटान समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया जाता है।

प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या		ऐसे कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या जो उचित रोजगार में पुनर्वास किया गया हो या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया हो	
वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य
कामगारों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- क्या संस्था निरंतर रोजगार परक योग्यता और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के समापन के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता कार्यक्रम उपलब्ध करवाती है? - नहीं
- आर्थिक हित भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण:

आर्थिक हित भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के वैल्यू के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया	
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपाय	लागू नहीं
कार्य-दशा	लागू नहीं

- स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपायों का मूल्यांकन और आर्थिक हित भागीदारों की कार्य-दशा से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण दें। लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए एवं उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।
ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, हालांकि, जो लोग हमारे बैंकिंग उत्पाद या सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें कर्मचारी और शेयरधारक शामिल हैं, उन्हें हितधारक माना जाता है।

- आपकी संस्था हेतु महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार के माध्यम (ई-मेल, एसएमएस, समाचारपत्र, पत्र, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, सूचनापट्ट वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/ छमाही/ त्रैमासिक/अन्य) — कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, वार्षिक आम बैठक, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, वार्षिक/तिमाही वित्तीय और निवेशक बैठकों/सम्मेलन	बार-बार और आवश्यकता आधारित	-
शेयरधारक	नहीं	ईमेल, एसएमएस, अखबार विज्ञापन, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, वार्षिक सामान्य बैठकें, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, वार्षिक / त्रैमासिक वित्तीय और निवेशक बैठकें/ सम्मेलनों	बार-बार और आवश्यकता आधारित	बैंक के विकास के लिए अपडेटेड रहना

ग्राहक	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	बार-बार और आवश्यकता आधारित	बेहतर सेवाएँ और मार्केटिंग
चैनल भागीदार और प्रमुख भागीदार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	पत्र, ईमेल के माध्यम से नियमित आधार पर जुड़ते हैं. बैठकें मासिक/द्वि-मासिक/त्रैमासिक आधार पर या जब भी आवश्यक हो, आयोजित की जाती हैं	- बैंक का प्रदर्शन - जोखिम और अनुपालन के मुद्दे और इसको कम करने के लिए किए गए उपाय.
भारत सरकार	नहीं	पत्र, ईमेल, बैठकें	पत्र, ईमेल के माध्यम से नियमित रूप से जुड़ते हैं. जरूरत पड़ने पर बैठकें होती हैं.	- बैंक का प्रदर्शन - नियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन.
समुदाय और गैर सरकारी संगठन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

- आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श की प्रक्रिया का विवरण प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है.
विभिन्न बैठकों के माध्यम से विभिन्न आर्थिक और अन्य विषयों पर हितधारकों और बैंक के बीच परामर्श होता है.
- क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है (हां /नहीं). यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त सूचनाओं को संस्था की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया था.
जहां भी संभव हो, श्रेयधारकों की सूचना और सुझावों को नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है.
- कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे जुड़ने के उदाहरणों और उनके लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें.
लागू नहीं

सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए .

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारी और कामगार जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति(यों)पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:						
संवर्ग	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	30289	3637	12%	32335	59	0.20%
स्थायी के अतिरिक्त	0	0	0	0	0	0
कुल कर्मचारी	30289	3637	12%	32335	59	0.20%
मज़दूर						
स्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी के अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

संवर्ग	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्त वर्ष			वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्त वर्ष		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारी और कामगार (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	30289	30289	100%	32335	32335	100%
पुरुष	22915	22915	100%	24522	24522	100%
महिला	7374	7374	100%	7813	7813	100%
स्थायी के अतिरिक्त	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में :

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/ वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/ वेतन/ संबंधित श्रेणी की मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	241735.38	निरंक	निरंक
(गैर-आधिकारिक और शेयरधारक निदेशकों की बैठक शुल्क को छोड़कर)	10	212061.9	1	212697.7
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	22905	76053.94	7373	71054.64

4. क्या आपके पास कोई संपर्क बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसके कारण किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या विषयों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? नहीं

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें.

बैंक अपने सभी हितधारकों और कर्मचारियों के साथ व्यापार करने और व्यवहार करने में उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है. हम अपने कार्यबल के लिए उनकी जाति, लिंग, कार्य, पदनाम आदि का भेद किए बिना एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं. मानवाधिकारों के मंच पर प्राप्त अभ्यावेदन को क्षेत्रीय और आंचलिक स्तर पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाता है.

(*) बैंक ने प्राप्त सभी अभ्यावेदन की तिमाही आधार पर समीक्षा और मूल्यांकन के लिए एक बोर्ड का गठन किया है. बैंक की आचार संहिता, व्यावसाय संहिता और हित संघर्ष पर भी नीति है और उक्त नीति के प्रावधान में किसी भी विचलन के लिए "शून्य सहिष्णुता" है.

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत में समाधान हेतु लम्बित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत में समाधान हेतु लम्बित	टिप्पणी
योन उत्पीड़न	12	6		2	2	वित्त वर्ष 2021-22 में निपटाई गए शिकायतें
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0	0	0
बाल श्रमिक	0	0	0	0	0	0

	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत में समाधान हेतु लम्बित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्षांत में समाधान हेतु लम्बित	टिप्पणी
भत्ते	0	0	0	0	0	0
अन्य						
मानवाधिकार						
संबंधी विषय	0	0	0	0	0	0

- भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र.
यौन उत्पीड़न निवारक (पॉश) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों में समिति का गठन किया गया है.
- क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? हाँ
- वर्ष हेतु मूल्यांकन :

आपके कारखानों एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था अथवा वैधानिक प्राधिकरण या तृतीय पक्ष द्वारा)	
बाल श्रमिक	निरंक
जबरन / अनिच्छुक श्रमिक	निरंक
यौन उत्पीड़न	निरंक
कार्यस्थल पर भेदभाव	निरंक
भत्ते	निरंक
अन्य - कृपया स्पष्ट करें	निरंक

नेतृत्व संकेतक

- मानवाधिकार समस्याओं / शिकायतों के समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रारंभ की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण.
मानवाधिकार समस्याओं / शिकायतों के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.
- किए गए किसी भी मानवाधिकार के बारे में उचित सावधानी बरतने के दायरे और कवरेज का विवरण.
बैंक सभी स्टाफ सदस्यों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने सहित समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है. लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, विकलांगता, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव से संबंधित मुद्दे बैंक की नीतियों और प्रावधानों के अनुसार घटना की प्रकृति के आधार पर स्वतंत्र और तटस्थ जांच के अधीन हैं, और बैंक की नियामक शर्तों और लागू नियमों के अनुसार इनका हल निकाला जा रहा है.
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, क्या संस्था का परिसर/कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?
हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में दिव्यांग लोगों की आसान आवाजाही के लिए रैंप/लिफ्ट हैं. हमारी अधिकांश शाखाएँ/कार्यालय या तो भूतल पर स्थित हैं या इनमें विकलांग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट और आधारभूत सुविधा है.
- आर्थिक हित भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

आपके कारखानों एवं कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था अथवा वैधानिक प्राधिकरण या तीसरे पक्ष द्वारा)	
बाल श्रमिक	निरंक
जबरन / अनिच्छुक श्रमिक	निरंक
यौन उत्पीड़न	निरंक
कार्यस्थल पर भेदभाव	निरंक
भत्ते	निरंक
अन्य - कृपया स्पष्ट करें	निरंक

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें. - लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसके संरक्षण एवं पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत का विवरण (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा घनत्व निम्नलिखित प्रारूप में :

मापदंड	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल बिजली खपत (ए)	597.03 लाख किलोवाट	598.06 लाख किलोवाट
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	शून्य	शून्य
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	597.03 लाख किलोवाट	598.06 लाख किलोवाट
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा घनत्व (कुल बिजली की खपत / टर्नओवर रुपये में)	लागू नहीं	लागू नहीं

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां / नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं. यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें. नहीं

3. पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

बैंक द्वारा पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग उद्देश्यों तक ही सीमित है. कार्यालय परिसर में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं. निगम यह सुनिश्चित करता है कि कार्यालयों और शाखाओं से घरेलू अपशिष्ट (सीवेज) को जल निकायों में न जाने दिया जाए.

4. क्या इकाई ने शून्य तरल विकास के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके व्याप्ति और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें.
नहीं

5. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: लागू नहीं

6. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (उत्सर्जन स्कोप 1 और स्कोप 2) और इसकी सघनता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: लागू नहीं

7. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण दें. लागू नहीं

8. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल अपशिष्ट उत्पन्न		
प्लास्टिक कचरा (ए)		
ई-अपशिष्ट (बी)(र लाख में)**	*	*
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	806.55	759.25
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	लागू नहीं	लागू नहीं
बैटरी अपशिष्ट (ई)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट. कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो. (जी)		
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच). कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो. (संरचना के आधार पर ब्रेक-अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों में)		
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	806.55	759.25

* अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से कचरे का निपटान किया जाता है।

** वजन के हिसाब से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें।

दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के माध्यम से कचरे का निपटान किया जाता है। उपयोग किए गए उपकरण नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। हमारे उत्पादों में खतरनाक और जहरीले रसायनों का कोई उपयोग नहीं होता है।

10. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / के आस-पास संचालन / कार्यालय है जहाँ पर्यावरणीय स्वीकृति / मंजूरी आवश्यक हो, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें: **लागू नहीं**

11. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण: **लागू नहीं**

12. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें: **हां**

नेतृत्व संकेतक

1. नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) विघटन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन खपत (बी)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	शून्य	शून्य
अक्षय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	शून्य	शून्य
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (डी)	597.03 लाख किलोवाट	598.06 लाख किलोवाट
कुल ईंधन खपत (ई)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	597.03 लाख किलोवाट	598.06 लाख किलोवाट

2. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: **लागू नहीं**

मापदंड	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष
नियत स्थान और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) अन्य स्रोत का जल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		

मापदंड	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(V) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल डिस्चार्ज किया गया पानी (किलोलीटर में)		
3. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में): लागू नहीं		
1. कृपया निम्न प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी सघनता का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं		
2. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं		
3. यदि इकाई ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही ऐसी पहल के परिणाम प्रदान करें: लागू नहीं		
4. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें. हां, हमारे बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीसीपी/डीआर नीति है और इसे कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधितों को परिचालित किया जाता है. प्रत्येक विभाग ने अपने महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों की पहचान की है और किसी भी घटना / आपदा के मामले में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाई है. डीआर व्यवस्थाओं की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा डीआर अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं. प्रत्येक शाखा ने दो नजदीकी शाखाओं की पहचान की है और उनसे लिंक किया है और आरओ द्वारा मैप किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित शाखा की सभी व्यावसायिक गतिविधियों को परिपत्र संख्या 2986 दिनांक 04.02.2022 के तहत तत्काल शुरू किया जा सके. महत्वपूर्ण प्रणालियों के मजबूत कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर डीआर अभ्यास किए जा रहे हैं. डीआर अभ्यास के परिणाम को रिकॉर्ड किया जाता है और उचित उपचार/ रिकवरी के उपाय करने के लिए संबंधित कार्यक्षेत्रों को साझा किया जा रहा है.		
5. इकाई के आर्थिक हित से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें. इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं? पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं.		
6. आर्थिक हित भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था. लागू नहीं		

सिद्धांत 7 - व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए

आवश्यक संकेतक		
1. ए. व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबंधिता की संख्या- 9		
बी. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जो इकाई का सदस्य / से संबद्ध है.		
क्र. स.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	इंडियन बैंक एसोसिएशन	राष्ट्रीय
2	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान	राष्ट्रीय
3	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	राष्ट्रीय
4	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	राष्ट्रीय

आवश्यक संकेतक

5	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	राष्ट्रीय
6	इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स	राष्ट्रीय
7	फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
8	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन	राष्ट्रीय
9	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

प्राधिकरण का नाम	मामले का सार	कृत सुधारात्मक कार्रवाई
निरंक		
नेतृत्व संकेतक		

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण -

क्र.	सार्वजनिक नीति की वकालत	इस तरह की पैरवी के लिए अपनाया गया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है ₹ (हाँ/ हाँ)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक / अन्य कृपया स्पष्ट निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1.	केवाईसी-एमएल नीति	बैंक की आंतरिक नीति	हाँ	वार्षिक	https://www.centralbankofindia.co.in/en
2.	सरकारी व्यापार नीति		हाँ	वार्षिक	
3.	चेक संग्रहण नीति		हाँ	वार्षिक	
4.	बैंक जमा पर नीति		हाँ	वार्षिक	
5.	सुरक्षित जमा लाकर पर नीति		हाँ	वार्षिक	
6.	रिकार्ड रखाव नीति		हाँ	वार्षिक	
7.	मृतक जमाकर्ताओं के दावे के निपटान और सुरक्षित जमा लाकरों सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं की वापसी और गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में दावों के निपटान के लिए नीति		हाँ	वार्षिक	
8.	वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांग/ अक्षम खाताधारकों के लिए नीति		हाँ	वार्षिक	
9.	मुआवजा नीति		हाँ	वार्षिक	
10.	ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र पर नीति		हाँ	वार्षिक	
11.	ग्राहक अधिकार नीति		हाँ	वार्षिक	

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण . लागू नहीं
- निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन(आर एंड आर)कार्यक्रम चलाये जा रहे है . लागू नहीं

- समुदाय की शिकायतों पावती और उनका निवारण करने वाले तंत्र का वर्णन करें .
- आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सूचना सामग्री का प्रतिशत (मात्रा के आधार पर कुल सूचनाओं में धारित सूचना) ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

नेतृत्व संकेतक

- सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1): किसी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की सूचना नहीं दी गई है.
- सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: **लागू नहीं**
- (ए) क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत / कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? हां
(ख) आप किन सीमांत / कमजोर समूहों से प्राप्त करते हैं? **सूक्ष्म और लघु उद्यम**
(ग) कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का यह कितना प्रतिशत है? **ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है**
- पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण: **उपलब्ध नहीं है**
- बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है. **उपलब्ध नहीं है**
- सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण: **उपलब्ध नहीं**

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और जिम्मेदार तरीके से उनका सम्मान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें.

शिकायत निवारण तंत्र

बैंक की जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया गया है. शिकायत निवारण तंत्र के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचाना और परिभाषित किया गया है. शिकायत निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र और सभी स्तरों पर मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाई गई हैं.

शिकायत निवारण नीति:

नीति का उद्देश्य उचित सेवा प्रदान करने और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों और समस्याओं के मामलों को कम करना और ग्राहकों की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना है. समीक्षा तंत्र को उत्पाद और सेवा देने में कमियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए.

वेबसाइट पर ग्राहक सहायता विवरण :-

बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कॉल सेंटर विवरण, इंटरनेट बैंकिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और भीम ऐप, एनईएफटी देखभाल टीम, पेंशन के लिए नोडल अधिकारी, बैंकिंग लोकपाल, ग्राहक सेवा और क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय में शिकायत निवारण नोडल अधिकारी को अद्यतन किया है. इसके लिए वेबलिक निम्नानुसार https://www.centralbankofindia.co.in/en/customer_care.

इसके अतिरिक्त, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहक लॉगिन <https://centralbankofindia.co.in/ogrs/customerlogin> के माध्यम से भी शिकायत जा सकती हैं.

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर जिसके बारे में जानकारी अपेक्षित है:

कुल आवर्त के प्रतिशत के रूप में	
कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और सही उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2021-22 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर	साल के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	साल के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
डाटा गोपनीयता	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा	-	-	-	-	-	-
महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना						
प्रतिबंधक व्यापार प्रथाएं	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार	-	-	-	-	-	-
आचरण	-	-	-	-	-	-
अन्य	183566	923	सबका निपटान कर दिया गया है	213958	4381	सबका निपटान कर दिया गया है

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापसी के उदाहरणों का विवरण – लागू नहीं
5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डाटा से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा या नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध है तो पालिसी का वेब-लिंक प्रदान करें .
- हां, चूंकि यह एक आंतरिक दस्तावेज है और वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है .
6. संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें विज्ञापन और आवश्यक सेवाएं देने, साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता; ग्राहक की डाटा गोपनीयता, उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावर्ती, उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरण द्वारा दंड / कृत कार्रवाई

साइबर सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों में शामिल हैं:

- डिजिटल लेनदेन के लिए 2एफ ए
- ग्राहकों को एसएमएस
- सतर्क निगरानी

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें).

ए) वेबसाइट <https://www.centralbankofindia.co.in/en>,

बी) "सेंट मोबाइल" नाम से प्ले स्टोर (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.CentralBank>) और ऐप स्टोर (<https://apps.apple.com/in/app/centmobile/id1053790727>), पर मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन उपलब्ध है

सी) "सेंट मोबाइल" नाम से प्ले स्टोर(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.cbiepassbook>) और ऐप स्टोर (<https://apps.apple.com/in/app/cent-m-passbook/id950604171>) पर मोबाइल पासबुक एप्लिकेशन उपलब्ध है

डी) "भीम सेंट यूपीआइ" नाम से प्ले स्टोर (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.centralbankupi>) और ऐप स्टोर (<https://apps.apple.com/in/app/bhim-cent-upi/id1282995874>) पर मोबाइल यूपीआइ एप्लिकेशन उपलब्ध है

ई) हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से यूट्यूब Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ), ट्विटर (https://twitter.com/centralbank_in), फेसबुक (<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>), लिंकडइन (<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>) और इंस्टाग्राम (<https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial/>)

एफ) हमारे बैंक का टोल-फ्री नंबर 1800 22 1911

2. उपभोक्ताओं को उत्पाद और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम .
हम उपभोक्ताओं को बैंक उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठा रहे हैं:

ए) ग्राहकों को फेसबुक, लिंकडइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षा युक्तियों के बारे में सूचित किया जाता है.

बी) जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य प्लेटफॉर्म, जैसे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग किया जाता है.

सी) ग्राहकों को बैंक से एसएमएस के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता संदेश प्राप्त हो रहे हैं.

डी) बैंक ग्राहकों को लेनदेन संबंधी एसएमएस / ओटीपी एसएमएस प्राप्त होने पर एसएमएस के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता युक्तियाँ प्राप्त होती हैं

ई) ग्राहक जागरूकता के लिए एटीएम पर्चियों पर सुरक्षा जागरूकता संदेश प्रदर्शित किए जाते हैं.

एफ) विभिन्न सुरक्षा जागरूकता सूचनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाता है.

3. उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के व्यवधान/अत्यावश्यक सेवाएं बंद करने के जोखिम संबंधी सूचना देने के लिए तंत्र उपलब्ध है तकनीकी कारणों से किसी भी व्यवधान के बारे में ग्राहकों को एसएमएस या मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है.
4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पाद के ऊपर उत्पाद की अनिवार्य सूचना प्रदर्शित करती है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें.
नहीं

क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, इकाई या संपूर्ण इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया था? (हां नहीं)

हाँ

5. डाटा उल्लंघनों से संबंधित निम्न जानकारी प्रदान करें:

ए. प्रभाव के साथ-साथ डाटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या - अभी तक कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई

बी. ग्राहक की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डाटा उल्लंघनों का प्रतिशत - लागू नहीं

लाभांश वितरण नीति

I. परिभाषाएँ:

- (ए) **लाभांश:** लाभांश में अंतरिम लाभांश सम्मिलित होता है। साधारण बोलचाल में, लाभांश का अर्थ, बैंक का लाभ है, जो व्यवसाय में नहीं रखा जाता है और शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है।
- (बी) **सीआरएआर:** यह बैंक की पूंजी और उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात है।
- (सी) **लाभांश भुगतान अनुपात:** 'लाभांश भुगतान अनुपात' की गणना एक वर्ष में देय लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर) के 'वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ' के लिए प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- (डी) **बोर्ड:** बोर्ड का मतलब बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) के तहत गठित बैंक के निदेशक मंडल से है।

II. नीति:

1. इस नीति को 'सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लाभांश वितरण नीति' कहा जाएगा।
2. लाभांश के वितरण के संबंध में बैंक के सामान्य सिद्धांत: बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जोर अपने व्यवसाय के संचालन में नैतिक प्रथाओं का पालन करके और प्रकटीकरण और पारदर्शिता के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है। बैंक ने सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है, और बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा गवर्नेंस के मानकों की निगरानी की जाती है। बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों ने कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है - बेहतर प्रदर्शन और शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि। प्रत्येक वर्ष के लिए सामान्य बैठक में शेयर धारकों लाभांश की संस्तुति बोर्ड द्वारा अपने विवेक से नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, उसकी भविष्य की योजनाओं, आंतरिक और बाहरी कारकों, सांविधिक प्रतिबंधों आदि को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। बोर्ड अपने विवेक से अंतरिम लाभांश की घोषणा भी कर सकता है।

III. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड:

- बैंक केवल तभी लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा जब वह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;
- i. बैंक के पास निम्न होना चाहिए:
 - पिछले दो पूर्ण वर्षों और लेखा वर्ष जिसके लिए लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है, के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर
 - शुद्ध एनपीए 7% से कम।

यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखा वर्ष, जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, उनका सीआरएआर कम से कम 9% है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्ते उसका शुद्ध एनपीए 5% से कम हो।

- ii. बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (जो सभी पूंजीगत खर्चों को बट्टे खाते में डाले जाने तक लाभांश के भुगतान पर रोक लगाता है) और धारा 17 (जो वैधानिक आरक्षित निधि में लाभ के निर्दिष्ट अंश के हस्तांतरण को निर्धारित करता है) के प्रावधानों का पालन करेगा।
- iii. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित विनियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जिसमें परिसंपत्तियों की हानि और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक प्रारक्षित निधि में लाभ का हस्तांतरण आदि सम्मिलित हैं।
- iv. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के शुद्ध लाभ में से देय होना चाहिए।
- v. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो।

IV. देय लाभांश की मात्रा:

- ए. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक अपनी इक्विटी का न्यूनतम 20% (अर्थात् चुकता पूंजी) या अपने कर-पश्चात लाभ का 20%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम लाभांश के रूप में भुगतान करेगा। यदि बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लेता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा, इन निर्देशों के प्रावधानों से किसी भी छूट के लिए भारत सरकार से विशिष्ट पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- बी. हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बैंक ऊपर खंड II बिंदु संख्या 3 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो निम्नलिखित के अधीन लाभांश घोषित और भुगतान कर सकता है:
 - i. लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होगा और अनुबंध में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा।
 - ii. यदि प्रासंगिक अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ / आय सम्मिलित है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।
 - iii. जिस वित्तीय वर्ष के लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखापरीक्षकों

द्वारा की गयी लाभ पर प्रतिकूल टिप्पणी से मुक्त होना चाहिए. यदि किसी प्रतिकूल टिप्पणी के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए.

- iv. बेसल-III अनुपालन बांडों पर ब्याज का भुगतान न करने या सीसीबी सहित बेसल-III सीआरएआर अनुपात की उपलब्धि न होने की स्थिति में, आरबीआई इस उद्देश्य के लिए जारी अपने मास्टर परिपत्र में लाभांश पर प्रतिबंध लगाता है.

V. आंतरिक और बाहरी कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाहरी कारकों पर भी निर्भर करेगा जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और नियामक प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के उपचार सहित कर विनियम आदि, जैसा कि लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकता है.

उपरोक्त बाहरी कारकों के अलावा, बोर्ड विभिन्न आंतरिक कारकों को भी ध्यान में रखेगा, जैसे व्यवसाय विकास योजनाएं, अन्तरिम लाभांश भुगतान, एनपीए की पहचान में विचलन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक वित्तीय जांच के निष्कर्ष, प्रावधानों में कमी आदि, खातों के विवरण हेतु लेखा परीक्षकों की योग्यता, भावी पूंजी आवश्यकताएं, पूंजीगत संपत्ति का प्रतिस्थापन, आदि. लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा.

VII. शेयरों के विविन्न वर्गों के अनुसार प्रावधान:

वर्तमान में बैंक के पास सिर्फ एक वर्ग का शेयर है यथा इक्विटी शेयर. भविष्य में किसी अन्य वर्ग के शेयर जारी करने के लिए बैंक को यथा समय उचित मानदंड निर्धारित करने होंगे. तथापि यदि बैंक अधिमानी शेयर जारी करता है तो बैंक को लागू दिशा-निर्देशों को अनुपालन करना होगा.

VII. लाभांश के भुगतान का तरीका:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार, लाभांश के भुगतान के लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेगा. जहां भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करना संभव नहीं है, पात्र शेयरधारकों को 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे.

VIII प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग:

ए. इस नीति को बैंक की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा.

बी. बैंक आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट प्रोफार्मा और समयसीमा के अनुसार लेखा वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण आरबीआई को रिपोर्ट करेगा.

सी. बैंक केवल सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्दिष्ट अनुसार प्रति शेयर के आधार पर लाभांश की घोषणा और उल्लेख करेगा.

अनुलग्नक

लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा के लिए मानदंड का मैट्रिक्स (आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2004-05/451; डीबीओडी. सं.बीपी.बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04 मई 2005) के अनुसार

वर्ग	सी आर ए आर	शुद्ध एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक 3% से 5% कम किन्तु 3% से कम	5% से 7% कम	
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
ए	विगत 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	विगत 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	विगत 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 09% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	वर्तमान वर्ष के लिए 09% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

मे. एस जयकिशन

सनदी लेखाकार

12 हो ची मिन्ह सरनी, सूट सं. 2 (डी, ई एंड एफ)

कोलकाता - 700071

मे. ए एस के ए एंड कंपनी

(पुराना नाम- अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अंबाईकर)

सनदी लेखाकार

501, मिराज आर्केड, गणेश मंदिर के सामने, ऑफ फड़के रोड,

डोम्बीवली (पूर्व) - 421201

मे. छाजेड एंड दोशी

सनदी लेखाकार

101, हबटाउन सोलारिस, एन एस फड़के मार्ग, अंधेरी (पूर्व)

मुम्बई - 400063

मे. किशोर एंड किशोर

सनदी लेखाकार

सी-7, सेक्टर ई (न्यू)

अलीगंज, लखनऊ- 226024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सदस्यगण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया,

मुम्बई

लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("बैंक") की संलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र, लाभ हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षेप सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं जिसमें इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 12 अंचलों, 1 विशेष एकीकृत ट्रेजरी शाखा तथा 20 शाखाओं की विवरणियां तथा संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1869 शाखाओं की वित्तीय विवरणियां समाहित हैं।

हमारे द्वारा लेखा परीक्षित तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणों में 2639 शाखाएँ जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं, की विवरणियों को भी शामिल किया गया है। अलेखापरीक्षित इन शाखाओं में अग्रिमों का 16.76 प्रतिशत, जमाओं का 34.97 प्रतिशत, ब्याज आय का 9.27 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 33.12 प्रतिशत विद्यमान है।

- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरणियां बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) तथा बैंक को अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

ए. तुलनपत्र एवं उस पर प्रस्तुत टिप्पणियों के साथ पठित यह पूर्ण एवं उचित तुलनपत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं। इसे समुचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च

2022 हेतु यह बैंक की स्थिति को वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण से प्रदर्शित कर सके।

बी. लाभ एवं हानि खाता, उस पर प्रस्तुत टिप्पणियों के साथ, उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित करता है, तथा

सी. नकदी प्रवाह विवरण, उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है।

अभिमत का आधार

- हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है। नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और जिन्हें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों तथा बैंकिंग विनियमनकारी अधिनियम, 1949 के धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है, और हमारे द्वारा अपने अन्य सभी नैतिक उत्तरदायित्वों तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

मामले का जोर

- हम निम्न पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

ए. परिवार पेंशन को संशोधित किए जाने पर उत्पन्न ₹ 821.95 करोड़ की अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में वित्तीय विवरणियों की अनुसूची संख्या 18 का नोट सं. 15(v) हैं। बैंक द्वारा ₹ 544.52 करोड़ की राशि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित की गई है और शेष राशि अपरिशोधित राशि को भारिबै के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105डीओआरएसीसी.

आरईसी/21.04.018/2021-22 दि. 4 अक्टूबर, 2021 के अनुसार अग्रेषित कर दिया है।

- बी. एकल वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 1 (डी) ₹ 18724.22 करोड़ की संचित हानि शेयरधारकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष से समंजित करने से संबंधित है।
- सी. एकल वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 20 (डी) आस्थगित कर से संबंधित हैं, जहां समय के अंतर से उत्पन्न संभावित कर लाभों के संबंध में बैंक प्रबंधन द्वारा समीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2022 की स्थिति पर ₹ 6862.05 करोड़ की शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति (31 मार्च 2021 को ₹ 7545.68 करोड़) चिह्नित की गई है।
- डी. एकल वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 11 कोविड-19 महामारी से उपजी अनिश्चितताओं तथा इनकी बैंक की वित्तीय निष्पादकता पर होने वाले प्रभाव, जो भविष्य में होने

वाले परिवर्तनों पर निर्भर है और जो अनिश्चित हैं के संबंध में प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन वर्णित करता है।

इस संबंध में हमारा अभिमत संशोधन नहीं है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये मामले, सम्पूर्ण एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते हैं और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। नीचे वर्णित मामलों को हमारे द्वारा बैंक का मूल लेखापरीक्षा मामला माना गया है, जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाएंगे।

मूल लेखापरीक्षा मामले

1. गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है। (एकल वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 9 सहपठित अनुसूची 17 के नोट 2, का संदर्भ लें)

अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है। गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है।

एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है। एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है। पुनर्गठित खातों में प्रावधान आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिए प्रबंधन के कड़े प्रयास, प्रावधान (एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधन का निर्णय, एनपीए की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और इन सभी का बैंक की वित्तीय विवरणियों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा बैंक की वित्तीय विवरणियों की मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से :

- » हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भारिबैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है।
- » हमने एनपीए की पहचान और तदनुसार आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझा है तथा उसका मूल्यांकन किया है।
- » हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम/एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है। मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधन दोनों द्वारा उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य में अवक्षय को समय से पहचाना गया है।
- » उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिक्तीकरण की समय पर पहचान की है।
- » समय-समय पर की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार अस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल हैं।
- » हम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सम्बंधित शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी परिवर्तन ज्ञापनों पर विश्वास जताते हैं।



मूल लेखापरीक्षा मामले

2. निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल हैं जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं। निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है।

निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और सम्बंधित आय प्राप्त न होने एवं उन पर प्रावधान का पहचान न जाना भारिबैंक के प्रासंगिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)

उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भारिबैंक द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/सूचनाएं जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल हैं।

भारिबैंक के आदेशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश हैं जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित हैं तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित हैं जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल हैं। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है।

इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग

बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है और लेनदेनों की बृहद मात्रा को नियंत्रित करती है।

प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।

बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए उच्च प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी (डीआईटी) विभाग है।

तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के एकल वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में भारिबैंक के परिपत्रों/आदेशों के संदर्भ के साथ अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण/मूल्यहास से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से:

- » अनर्जक निवेशों की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यहास से सम्बंधित भारिबैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हमने बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन किया है और उसे समझा है।
- » भारिबैंक के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन द्वारा भारिबैंक के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है।
- » हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनुसूच निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है।
- » हमने, स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यहास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है।
- » हमने देखा है कि वित्तीय विवरणों का प्रकटन प्रवर्तमान लेखा मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में बैंक के निवेश मूल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।

हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया। लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से सम्बंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है। विशेष रूप से :

- » हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक की आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है।
- » हमने बैंक के मूल आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविता एवं स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त की गई रिपोर्टों की जांच की है जो वित्तीय विवरणों रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है।

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

मूल लेखापरीक्षा मामले

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

» हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से इतर सूचनाएं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है।

4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे :

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 11 और अनुसूची 18 का नोट संख्या 20.i)

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थित है, जहां भी आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर आकस्मिक होता है। प्रबंधन के फैसले में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावों और मुकदमों से अंततः देयता नहीं होगी।

हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर संदिग्ध/अनिश्चित हैं।

इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं।

हमने व्यापक रूप से प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की लेकिन चूंकि प्रभाव की सीमा भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। इसलिए हम मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर निर्भर थे, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं।

हमने दावों और कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई और उपलब्ध रिकॉर्ड और घटनाक्रम से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर दावों/मुकदमों के अंतिम दायित्व में बदलने की संभावना, हाल के आदेशों की जांच और/या उनसे प्राप्त संचार की समीक्षा करने के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है।

एकल वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

6. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में अनुलग्नकों सहित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबंधन से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है, किंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल छ्प्रकटीकरण) के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और नहीं करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा यह उत्तरदायित्व है कि उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध

होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्राप्त यह सूचना अयथार्थ प्रतीत होती है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध कुछ नहीं करना है।

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उन आरोपित मामले को गवर्नेंस को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करनी होगी।



एकल वित्तीय विवरणियों हेतु गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामले तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी:

- बैंक की प्रबंधन एवं निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के तहत लागू लेखांकन मानकों तथा प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक की एकल वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और बैंक का एकल नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है। इस उत्तरदायित्व में सच्चा और निष्पक्ष प्रदर्शन करने वाली तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए बैंक की आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा उन्हें लागू करना, निर्णय लेना तथा यह अनुमान लगाना कि वे उचित और विवेकपूर्ण हैं और लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव का प्रभावी परिचालन करना भी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने कार्यशील संस्था के रूप में निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए बैंक के संबंधित निदेशक मंडल उत्तरदायी है तब तक बैंक का संबंधित निदेशक मंडल न तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा जब तक ऐसा करने सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो। बैंक का संबंधित निदेशक मंडल बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा उद्देश्य, यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है। यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि एकल वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा। अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन एकल वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक

संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- » एकल वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, चाहे वो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड सम्मिलित हो सकता है।
- » लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो।
- » प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- » लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, हमें अपना ध्यान अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर आकर्षित करना होगा अथवा, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- » प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं क्या एकल वित्तीय विवरणियां अंतरनिहित लेनदेनों एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

एकल विवरणी में एक विषयी अयथार्थ की महत्ता है जो वैयक्तिक अथवा समग्र रूप से इसे संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणियों के एक तर्कसंगत अनुभवी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र कि योजना बनाने और हमारे कार्य परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिन्हित अयथार्थ विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मातात्मक भौतिकता और गुणात्मक घटकों का विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में मूल बैंक के गवर्नेस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम गवर्नेस द्वारा आरोपित लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि जिन पर का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में बताया है जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा, जहां लागू हो पर उचित रूप से प्रभाव डालते हैं।

गवर्नेस के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं।

हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनमानस के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. हमने 1869 शाखाओं के वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जो बैंक के वित्तीय विवरणियों में शामिल हैं और इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियों /सूचनाओं, से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु कुल संपत्ति रु. 230319.41 करोड़, कुल आय रु. 6490.24 करोड़ होने की जानकारी मिलती है, जैसाकि वित्तीय विवरणों में माना गया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु इन शाखाओं द्वारा अग्रिमों का 43.90 प्रतिशत, जमाओं का 61.16 प्रतिशत, गैर-निष्पादक आस्तियों का 22.92 प्रतिशत तथा आय का 25.19 प्रतिशत कवर किया जाता है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक, यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह केवल केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
10. लेखापरीक्षा करने के दौरान हमारे द्वारा 2639 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित विवरणियों जिन्हें संबंधित शाखा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है और जिनकी 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणियों/सूचनाओं से कुल रु. 58318.30 करोड़ की परिसंपत्तियां और कुल आय रु. 2836.01 करोड़ परिलक्षित होता है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु, इन अलेखापरीक्षित शाखाओं द्वारा अग्रिमों का 16.76 प्रतिशत, जमाओं का 34.97 प्रतिशत और गैर-निष्पादक अस्तियों का 8.76 प्रतिशत और 11.01 आय कवर की गई है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

11. एकल तुलन पत्र एवं एकल लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।
12. उपर्युक्त पैरा 7 से 10 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा आवश्यकताओं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षित सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे जानकारी एवं विश्वास हेतु हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, और उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - बी. बैंक के व्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आए हैं वे बैंक की शक्तियों के अनुसार हैं; तथा
 - सी. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
13. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए हेतु रिपोर्टिंग दायित्व" पर संबंधित पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दि. 17 मार्च 2020 जो इसके पश्चात भारिबै द्वारा जारी संप्रेषण दिनांक 19 मई 2020 के साथ पठित है, के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्टानुसार मामलों पर हम पुनः रिपोर्ट करते हैं :
 - ए. हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणियां आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों का इस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारिबै द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
 - बी. वित्तीय व्यवहारों अथवा मामलों पर कोई निष्कर्ष अथवा टिप्पणियां नहीं हैं, जिनका बैंक के काम-काज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - सी. चूँकि, बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अतएव कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।
 - डी. खातों के रख-रखाव और उससे संबद्ध अन्य मामलों से संबंधित कोई स्थितियां, आपत्तियां या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।
 - ई. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित) के आलोक में, बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में प्रस्तुत की गई है। 31 मार्च 2022 हेतु वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी रिपोर्ट एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

14. हम आगे रिपोर्ट करते हैं :

1. हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है.

बी. इस रिपोर्ट द्वारा सरोकार रखने वाले तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता, और नकदी प्रवाह विवरणियां, खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं, जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है.

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक

के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे उनके साथ द्वारा समुचित सरोकार रखा गया है; तथा

डी. हमारी राय में, एकल तुलनपत्र, एकल लाभ और हानि खाता और एकल नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं; इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं.

कृते **एस जयकिशन**

सनदी लेखाकार

एफ आर नंबर 309005ई

(सी ए रीतेश अग्रवाल)

भागीदार

एम नंबर 062410

यूडीआईएन: 22062410 एआईपीडब्ल्यूएओ 9548

कृते **ए एस के ए एंड कंपनी**

सनदी लेखाकार

एफ आर नंबर 122063 डब्लू

(सी ए विजय शेलार)

भागीदार

एम नंबर 101504

यूडीआईएन: 22101504एआईपीवीयूसी 2673

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09 मई 2022

कृते **छाजेड एंड दोशी**

सनदी लेखाकार

एफ आर नंबर 101794 डब्लू

(सी ए किरण के दफ्तरी)

भागीदार

एम नंबर 010279

यूडीआईएन: 22010279 एआईपीवीयूएच9802

कृते **किशोर एंड किशोर**

सनदी लेखाकार

एफ आर नंबर 000291एन

(सीए पी आर करंथ)

भागीदार

एम नंबर 018808

यूडीआईएन: 22018808एआईपीवीवीएफ 2318

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक “ए”

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुभाग ‘अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ के पैराग्राफ 12 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) (“आरबीआई संप्रेषण”) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट”)।

- हमने 31 मार्च, 2022 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (“बैंक”) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और उस आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना है जो बैंक की नीतियों के दृढ़ अनुपालन सहित व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख एवं आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे पूंजी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल

हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, विद्यमान भौतिक दुर्बलता संबंधी जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत सूचना के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, अन्य मामलों संबंधी नीचे पैराग्राफ में संदर्भित हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को साधारणतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) यह की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

- वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

अभिमत

6. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों संबंधी पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जो दिनांक 31 मार्च, 2022 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, पर बैंक का पर्याप्त नियंत्रण है.

अन्य मामले

7. हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक, यह 70 (सत्तर) शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता

कृते एस जयकिशन

सनदी लेखाकार

एफ आर नंबर 309005ई

(सी ए रीतेश अग्रवाल)

भागीदार

एम नंबर 062410

यूडीआईएन: 22062410 एआईपीडब्ल्यूएफओ 9548

कृते ए एस के ए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ आर नंबर 122063 डब्लू

(सी ए विजय शेलार)

भागीदार

एम नंबर 101504

यूडीआईएन: 22101504एआईपीवीयूसी 2673

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09 मई 2022

से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों /सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

8. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे परीक्षण के दौरान और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ मामलों पर ध्यान दिया गया. बैंक को मौजूदा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में बदलाव और कुछ ओआरसीएम डिजाइन करने सहित प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है. इस संबंध में हमारे सुझाव बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए हैं.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कृते छाजेड एंड दोशी

सनदी लेखाकार

एफ आर नंबर 101794 डब्लू

(सी ए किरण के दफ्तरी)

भागीदार

एम नंबर 010279

यूडीआईएन: 22010279 एआईपीवीयूएच9802

कृते किशोर एंड किशोर

सनदी लेखाकार

एफ आर नंबर 000291एन

(सीए पी आर करंथ)

भागीदार

एम नंबर 018808

यूडीआईएन: 22018808एआईपीवीवीएफ 2318

रिपोर्ट

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

तुलन पत्र

31 मार्च, 2022 का

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	8,68,09,394	5,87,55,625
शेयर आवेदन राशि आबंटन लम्बित	1a	-	4,80,00,000
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	18,84,57,659	15,82,95,276
जमा राशियां	3	3,42,69,19,375	3,29,97,29,496
उधार राशियां	4	7,47,43,610	5,46,86,391
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	8,87,25,895	7,26,83,150
कुल		3,86,56,55,933	3,69,21,49,938
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	6	38,03,36,974	32,18,78,420
बैंकों में जमा राशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	15,06,06,268	6,76,34,665
निवेश	8	1,40,78,69,475	1,48,58,24,347
अग्रिम	9	1,68,17,35,000	1,56,57,86,472
अचल आस्तियां	10	4,95,50,429	5,13,24,206
अन्य आस्तियां	11	19,55,57,787	19,97,01,828
कुल		3,86,56,55,933	3,69,21,49,938
आकस्मिक देयताएं	12	1,75,95,31,053	92,13,90,013
संग्रहण हेतु बिल	-	11,37,50,285	11,89,87,673
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम सेठ
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते एस.जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सी.ए.रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सी.ए.किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सी.ए.विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीवी8382

(सी.ए.पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861



लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च-2022 को (₹)	31-मार्च-2022 को (₹)
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	22,80,16,476	22,73,02,329
अन्य आय	14	2,96,84,840	3,11,56,742
कुल		25,77,01,316	25,84,59,071
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	13,31,48,828	14,48,51,898
परिचालन व्यय	16	7,25,80,987	6,78,22,330
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		4,15,23,220	5,46,60,689
कुल		24,72,53,035	26,73,34,917
III. पूर्व अवधि मद से पहले के वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		1,04,48,281	(88,75,846)
घटाएं : पूर्व अवधि मद		-	-
पूर्व अवधि मद के बाद वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)		1,04,48,281	(88,75,846)
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार लाभ/(हानि) का आगे लाया गया शेष		(18,72,42,173)	(17,52,93,938)
शेयर प्रीमियम खाते से हस्तांतरित राशि		18,72,42,173	-
कुल		1,04,48,281	(18,41,69,784)
IV. विनियोजन			
को अंतरित :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि		26,12,100	-
निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि		65,80,920	-
निवेश प्रारक्षित निधि		12,55,261	30,72,389
धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधि		-	-
कर्मचारी कल्याण कोष		-	-
बीमा के बदले राजस्व प्रारक्षित निधि		-	-
प्रस्तावित लाभांश - बरीयता पूंजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	-
लाभांश कर		-	-
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		-	(18,72,42,173)
कुल		1,04,48,281	(18,41,69,784)
ईपीएस (मूल और डाइल्यूटेड) ? में (नाममात्र मूल्य ? 10/- प्रति शेयर)		1.27	(1.53)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों के लिए नोट्स	18		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां लाभ और हानि खाते का एक अभिन्न अंग हैं।

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम सेठ
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते एस.जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सी.ए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सी.ए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सी.ए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीबी8382

(सी.ए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861

तुलन पत्र की अनुसूचियां

31 मार्च 2022 के अनुरूप

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		10,00,00,000		10,00,00,000
प्रत्येक रु. 10/- के 1000,00,00,000 शेयर				
प्रत्येक रु. 10/- (गत वर्ष 1000,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	8,68,09,394		5,87,55,625	
इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर (गत वर्ष के 5875562460 इक्विटी शेयर) सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 8080391687 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5275014715 इक्विटी शेयर)				
कुल		8,68,09,394		5,87,55,625
1.ए. शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन		-		4,80,00,000
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,06,35,979		2,06,35,979	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	26,12,100		-	
		2,32,48,079		2,06,35,979
II. प्रारक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,62,97,813		1,32,25,424	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	12,55,261		30,72,389	
		1,75,53,074		1,62,97,813
III. पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	3,79,22,814		2,96,25,988	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		88,19,556	
घटाएं: राजस्व प्रारक्षित निधियों में अंतरण	5,41,238		5,09,495	
वर्ष के दौरान कटौतियां	2,32,128		13,235	
		3,71,49,448		3,79,22,814
IV. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	24,19,62,271		24,10,70,269	
घटाये: वर्ष के दौरान लाभ हानि खाते के शेष में अंतरण	18,72,42,173		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,99,46,230		8,92,002	
		7,46,66,328		24,19,62,271
V. आयकर अधिनियम की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां		10,00,000		10,00,000



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
VI. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i. निवेश परिवर्तनीय प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	-		-	
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	65,80,920		-	
घटायें : वर्ष के दौरान कटौतियां	-			
		65,80,920		-
ii. राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,77,18,572		2,69,33,380	
जोड़े: पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों से अंतरण	5,41,238		5,09,495	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	-		2,75,697	
घटायें : वर्ष के दौरान कटौतियां	-			
		2,82,59,810		2,77,18,572
VII. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		-		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	(18,72,42,173)			
जोड़े: शेयर प्रीमियम खाते से अंतरित शेष	18,72,42,173			
शुद्ध शेष		-		(18,72,42,173)
कुल		18,84,57,659		15,82,95,276
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	1,03,37,153		65,67,481	
ii) अन्य से	16,51,49,281		16,25,93,515	
		17,54,86,434		16,91,60,996
II. बचत बैंक जमाराशियां		1,55,96,51,980		1,45,66,70,191
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	62,23,208		43,92,999	
ii) अन्य से	1,68,55,57,753		1,66,95,05,310	
		1,69,17,80,961		1,67,38,98,309
कुल		3,42,69,19,375		3,29,97,29,496
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		3,42,69,19,375		3,29,97,29,496
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां				
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	1,76,40,000		1,76,40,000	
ii) अन्य बैंक	839		20,042	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	2,57,11,771		6,35,349	
iv) अनारक्षित पुर्नमोचनीय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	-		50,00,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	-		-	
vi) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत	13,91,000		13,91,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉन्ड्स (टीयर II)	3,00,00,000		3,00,00,000	

राजनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
		7,47,43,610		5,46,86,391
II. भारत के बाहर उधार राशियां		-		-
कुल		7,47,43,610		5,46,86,391
उपर्युक्त I और II में सुरक्षित उधार सम्मिलित है		निरंक		निरंक
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		1,11,47,968		78,43,261
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		1,90,081		1,02,978
III. उपचित ब्याज		77,44,537		74,69,906
IV. आस्थगित कर देयता		-		-
V. अन्य (प्रावधान सहित)		6,96,43,309		5,72,67,005
कुल		8,87,25,895		7,26,83,150
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी		1,45,54,487		1,47,51,586
(विदेशी मुद्रा रुपये सहित)				
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	13,67,22,487		14,71,26,834	
अन्य खातों में	22,90,60,000		16,00,00,000	
		36,57,82,487		30,71,26,834
कुल		38,03,36,974		32,18,78,420
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	2,57,604		5,07,341	
बी) अन्य जमा खातों में	17,291		13,815	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		20,00,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	6,40,128		-	
		9,15,023		25,21,156
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	10,62,153		6,51,13,509	
बी) अन्य जमा खातों में	14,86,29,092		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		14,96,91,245		6,51,13,509
कुल		15,06,06,268		6,76,34,665
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,05,50,89,160		1,10,35,84,201	



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	88,33,691		79,19,176	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	33,77,84,388		35,39,72,427	
v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थाओं में	25,79,832		25,79,832	
vi) अन्य (वाणिज्यिक पेपर्स म्युच्युअल फंड यूनिट्स आदि	31,07,519		1,72,93,826	
	1,40,73,94,590		1,48,53,49,462	
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेश में अनुषंगियां और/अथवा एसोसिएट्स		4,74,885		4,74,885
कुल		1,40,78,69,475		1,48,58,24,347
* भारत में निवेश				
निवेशों का कुल मूल्य	1,46,71,17,739		1,53,77,25,730	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	5,97,23,149		5,23,76,268	
शुद्ध निवेश		1,40,73,94,590		1,48,53,49,462
** भारत के बाहर निवेश				
कुल मूल्य	4,74,885		4,74,885	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		4,74,885		4,74,885
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	2,40,31,721		89,00,535	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	70,22,91,110		70,35,42,501	
iii) मीयादी ऋण	95,54,12,169		85,33,43,436	
कुल		1,68,17,35,000		1,56,57,86,472
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,55,92,58,701		1,52,34,13,189	
बही ऋण के 31 मार्च 2021 के ₹ 1584789 (000 को छोड़कर) के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 1671871 (000 को छोड़कर) अग्रिमों को शामिल करते हुये				
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	1,32,94,746		3,66,01,365	
iii) अरक्षित	10,91,81,553		57,71,918	
कुल		1,68,17,35,000		1,56,57,86,472
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	86,05,76,958		80,84,25,818	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	4,14,01,906		5,09,87,479	
iii) बैंक	53,224		4,926	
iv) अन्य	77,97,02,912		70,63,68,249	
कुल		1,68,17,35,000		1,56,57,86,472
(II) भारत के बाहर अग्रिम	-		-	

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च-2022 को		31-मार्च-2021 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	4,91,01,269		4,02,25,174	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	25,445		88,89,449	
कुल	4,91,26,714		4,91,14,623	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	3,14,796		13,354	
कुल	4,88,11,918		4,91,01,269	
आज तक का मूल्यहास	91,65,015		85,28,592	
कुल		3,96,46,903		4,05,72,677
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	3,53,05,979		3,41,66,836	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	23,46,422		31,41,004	
कुल	3,76,52,401		3,73,07,840	
वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	11,02,236		20,01,861	
कुल	3,65,50,165		3,53,05,979	
इस दिनांक को मूल्यहास	2,66,46,639		2,45,54,450	
कुल		99,03,526		1,07,51,529
कुल (I & II)		4,95,50,429		5,13,24,206
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	2,17,76,858		2,25,48,629	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	3,96,32,629		4,23,72,140	
III. स्टेशनरी एवं स्टैम्प	2,25,424		2,05,552	
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त गैर बैंकिंग आस्तियां				
V. आस्थगित कर आस्तियां	6,86,20,500		7,54,56,800	
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		-	
VII. अन्य	6,53,02,376		5,91,18,707	
कुल		19,55,57,787		19,97,01,828
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		14,20,497		13,83,689
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		2,40,55,801		1,77,15,073
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		26,89,347		35,59,282
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा		1,59,08,50,230		73,37,62,848
संविदाओं के कारण देयता				
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	8,83,87,515		10,69,33,332	
बी) भारत के बाहर	58,26,051		63,28,682	
		9,42,13,566		11,32,62,014
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		2,43,01,093		2,64,31,675
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		2,20,00,519		2,52,75,432
कुल		1,75,95,31,053		92,13,90,013



दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (₹)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (₹)
अनुसूची 13 : अर्जित व्याज और लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर व्याज/ बट्टा	11,50,06,591	11,63,83,361
II. निवेशों पर आय	9,26,35,596	10,00,89,617
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर व्याज	1,23,81,061	67,60,466
IV. अन्य को	79,93,228	40,68,885
कुल	22,80,16,476	22,73,02,329
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,42,47,404	1,04,17,203
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	49,10,035	1,38,05,508
III. निवेशों के पुनर्मुल्यांकन पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	(27,68,771)	(5,15,400)
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि) (शुद्ध)	91,365	(2,09,976)
V. विनिमय व्यवहारों पर लाभ (शुद्ध)	19,92,437	8,66,918
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभांश	80,103	64,778
VII. विविध आय	1,11,32,267	67,27,711
कुल	2,96,84,840	3,11,56,742
अनुसूची 15 : प्रदत्त व्याज		
I. जमाराशियों पर व्याज	12,84,76,515	13,99,40,735
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर व्याज	7,17,858	32,564
III. अन्य	39,54,455	48,78,599
कुल	13,31,48,828	14,48,51,898
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	4,47,19,052	4,14,13,063
II. किराया, कर एवं बिजली	48,17,519	49,40,807
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	2,65,002	2,65,400
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	1,31,795	47,864
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	29,66,139	29,23,187
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	5,164	5,379
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	3,07,403	2,84,431
VIII. विधिक प्रभार	1,77,675	1,52,867
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	9,47,807	9,69,949
X. मरम्मत एवं रखरखाव	16,21,188	11,66,162
XI. बीमा	42,80,618	43,80,795
XII. अन्य व्यय	1,23,41,625	1,12,72,426
कुल	7,25,80,987	6,78,22,330

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

ए. पृष्ठभूमि

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्ताक्षरण) अधिनियम 1970 के तहत पंजीकृत एक निकाय कार्पोरेट है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। इसका प्रमुख व्यवसाय व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े निगमों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। बैंक का व्यापार भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है।

बी. तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण, परिसर के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर ऐतिहासिक लागत आधार के लिए चालू अवधारणा और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) के सभी भौतिक पहलुओं के आधार पर चल रहे अवधारणा के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधान, नियामक मानदंड, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) और घोषणाएं और भारत में बैंकिंग उद्योग के भीतर प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं।

सी. प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जबी किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो। वास्तविक परिणाम एवं अनुमानों के मध्य अंतर की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिस वर्ष के परिणाम ज्ञात / समक्ष होते हैं।

डी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. राजस्व मान्यता

1.1 सामान्य

- ए) आय व्यय का आम तौर पर उपचय आधार पर लेखा किया जाता है, अलावा इसके कि आय को नियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर हिसाब में लिया जाए।
- बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूर्वअवधि प्रकटीकरण किसी भी मद के संबंध में किया जाता है जो कुल आय/कुल व्यय के एक प्रतिशत से

अधिक है।

- सी) अतिदेय जमा पर देय ब्याज का प्रावधान रिजर्व बैंक के अनुसार किया जाता है

1.2 निवेशों से आय

- ए) निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ (लागू करों का शुद्ध और "सांविधिक आरक्षित खाते में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशि") को "पूंजी आरक्षित खाता" में विनियोजित किया जाता है।
- बी) अंकित मूल्य पर छूट पर प्राप्त "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को निम्नानुसार लिया जाता है:
 - (i) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, इसे केवल बिक्री / मोचन के समय ही मान्यता दी जाती है
 - (ii) शून्य -कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि से अधिक के लिए हिसाब में लिया जाता है।

- सी) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- डी) अपसाइड ऑन सिन्क्योरिटी रसीदों को 'अन्य आय' के रूप में प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है।

1.3. वित्तीय संपत्तियों की बिक्री

बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

- ए) एनपीए की बिक्री का हिसाब आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। जब बैंक अपनी वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण कंपनी(एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचता है, तो उसे बहियों से हटा दिया जाता है।
- बी) (यदि एससी/एआरसी को की गई बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर होती है, तो बिक्री के वर्ष में लाभ और हानि खाते में उस कमी को प्रभारित किया जाता है।
- सी) यदि बिक्री नकद आधार पर निवल बही मूल्य से अधिक कीमत पर होती है, तो अधिशेष को लाभ और हानि खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

1.4. शुल्क आधारित आय

साख पत्रों पर कमीशन, बैंक गारंटी और आस्थगित भुगतान गारंटी अवधि के दौरान उपचय आधार पर समानुपातिक रूप

से मान्य होते हैं। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी वसूली पर दर्शाया जाता है।

2. अग्रिम:

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश/शों के आधार पर, ऋण और अग्रिमों को निष्पादक एवं गैर-निष्पादक में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) सावधि ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है।

बी) एक ओवरड्राफ्ट या नकद क्रेडिट को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि खाता "अनियमित" रहता है, अर्थात्, यदि बकाया राशि 90 दिनों की अवधि के लिए लगातार स्वीकृत सीमा / आहरण शक्ति से अधिक है, या यदि 90 दिनों के लिए लगातार कोई क्रेडिट नहीं है, या यदि क्रेडिट पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सी) खरीदे गए/छूट वाले बिलों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।

डी) कृषि अग्रिमों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, (i) छोटी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो; और (ii) लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या एक फसल मौसम के लिए ब्याज अतिदेय है।

2.2 गैर-निष्पादित आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) अवमानक: एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए गैर-निष्पादित बनी हुई है।

बी) संदिग्ध : एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिये अवमानक श्रेणी में बनी हुई है।

सी) हानि: एक ऋण परिसंपत्ति जहां हानि की पहचान की गई है लेकिन राशि पूरी तरह से बटटे खाते में नहीं डाली गई है।

2.3 एनपीए के लिए प्रावधान नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जो नीचे दिए गए अनुसार न्यूनतम प्रावधान के अधीन है।

अवमानक आस्तियां

- कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
- एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो शुरू से ही असुरक्षित हैं (अर्थात् जहां सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य शुरू से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

- अवसंरचना अग्रिमों के संबंध में असुरक्षित एक्सपोजर जहां कुछ सुरक्षा उपाय जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं- 20%

संदिग्ध आस्तियां :

- रक्षित भाग
 - एक वर्ष तक 25%
 - एक से तीन वर्ष 40%
 - तीन साल से अधिक -100%
- अरक्षित भाग
 - 100%
- हानि आस्तियां : 100%

2.4 अग्रिमों को प्रावधानों (एनपीए के मामले में) अप्राप्त ब्याज, विविध प्रकार के उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि और सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से प्राप्त दावे आदि को मिला कर दिखाया जाता है।

2.5 पुनर्चित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि पुनर्चना से पहले और बाद में ऋणों/अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच अंतर संबंधित प्रावधान के अलावा ऋणों/अग्रिमों प्रदान किया जाए। उनयुक्त मूल्य में कमी और ब्याज में कमी, यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है।

2.6 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 9 "अन्य देयताएं और प्रावधान-अन्य" शीर्षक के तहत परिलक्षित होते हैं और निवल एनपीए पर पहुंचने के लिए विचार नहीं किया जाता है।

2.7 एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, एक निष्पादन आस्त के रूप में खाते को पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह नियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

2.8 पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के समक्ष वसूल की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.9 पहचानी गई कमजोरी और/या मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशिष्ट परिसंपत्तियों में नियामक मानदंडों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।

2.10 गैर-निष्पादित खाते में आंशिक वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

- मूल अतिदेय/अनियमितताएं।
- अप्राप्त ब्याज
- बट्टे खाते में डालना
- अप्रभारित ब्याज

वाद दायर/सरफेसी/रिकॉल किये गये बाजार खातों के मामले में, वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है:

- बही खाता बकाया राशि
- अप्राप्त ब्याज

iii. बड़े खाते

iv. अप्रभारित ब्याज

हालांकि, जहां किसी भी उधारकर्ता खाते को किसी पूर्व तारीख से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक किसी भी वसूली को पहले ऋण और अग्रिम पर ब्याज में जमा किया जाता है (अर्थात् दवाबग्रस्त आस्तियां (एस4ए) की सतत संरचना के लिए योजना, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन, दीर्घकालिक परियोजना ऋण की लचीली संरचना (5/25), उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना के बाहर)

3. अन्य देश में बैंक के एक्सपोजर के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, प्रत्येक देशीय एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, नगण्य, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का देशीय एक्सपोजर (नेट) कुल फंडेड एसेट्स के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देशीय एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है।

4. निवेश:

निवेश की गणना निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

4.1 वर्गीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेशों को "परिपक्वता पर धारित" (एचटीएम), "ट्रेडिंग के लिए धारित(एचटीएम)" और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची 8 में तुलन पत्र में प्रकटीकरण के लिए, निवेश को भारत में और भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के तहत, भारत में निवेश को आगे वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमादित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) डिबेंचर्स और बांड्स

ई) सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थान; तथा

एफ) अन्य (वाणिज्यिक पत्र और म्युचुअल फंड की इकाइयां आदि)

भारत के बाहर के निवेशों को आगे 3 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) सहायक और संयुक्त उद्यम

सी) अन्य निवेश

4.2 वर्गीकरण का आधार:

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है

ए) परिपक्वता तक धारित : बैंक जो निवेश परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है उसे "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बी) ट्रेडिंग के लिए धारित: निवेश जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए रखे जाते हैं, उन्हें "ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सी) बिक्री के लिए उपलब्ध: निवेश, जो उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

डी) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण: एक निवेश को खरीद के समय एचटीएम, एचएफटी या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में श्रेणियों के बीच स्थानांतरण नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

ई) सहायक कंपनियों में निवेश, संयुक्त उद्यमों और प्रायोजित संस्थानों को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अलावा उन निवेशों के, जिन्हें विशेष रूप से इसके बाद के निपटान की दृष्टि से अधिग्रहित किया जाता है। ऐसे निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

4.3 मूल्यांकन:

सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की जाती है।

ए) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन राशि, फ्रंट-एंड शुल्क आदि, निवेश की लागत से कम हो जाते हैं।

बी) ब्रोकरेज, फीस, कमीशन या प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए करों जैसे खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।

सी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त गत अवधि ब्याज /प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है और लागत/ बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है।

ए) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों



को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत / बुक वैल्यू की परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधन किया जाता है। प्रीमियम के इस तरह के परिशोधन को निवेश पर आय के रूप में माना जाता है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश (भारत और विदेश में) ऐतिहासिक लागत पर मूल्यवान हैं। प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से, अस्थायी प्रकृति के अलावा, कमी के लिए प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्य वहन लागत (अर्थात बही मूल्य) पर लगाया जाता है।

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को अलग-अलग बाजार मूल्य या नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य और प्रत्येक समूह के शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के लिए (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बांड और डिबेंचर, (v) सहायक और संयुक्त उद्यम और (vi) (अन्य) के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध अभिमूल्यन की उपेक्षा की जाती है।

सी) निवेशों के अंतर श्रेणी हस्तांतरण की स्थिति में मूल्यांकन नीति:

- एचएफटी/एफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण हस्तांतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य से कम पर किया जाता है। इस तरह के हस्तांतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है।
- एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण अधिग्रहण मूल्य/बुक वैल्यू पर किया जाता है। हस्तांतरण पर, इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

डी) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एएससी), परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय परिसंपत्ति) की बिक्री पर प्रतिभूति रसीद जारी करने के मामले में मूल्यांकन

- एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश, (i) वित्तीय परिसंपत्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) (यानी बही मूल्य से

प्रावधान घटाकर); और (ii) एसआर का मोचन में से जो कम हो, के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

- एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआरएस का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर संबंधित योजना में लिखतों को सौंपे गए वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हैं, एससी/एआरसी से प्राप्त निवल परिसंपत्ति मूल्य को ऐसे के मूल्यांकन के लिए गिना जाता है।

ई) ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्य वहन लागत पर किया जाता है।

4.4 निवेश (एनपीआई):

“वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (दिशा), 2021” और “आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड” के आधार पर प्रदर्शन और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत निवेश निम्नानुसार हैं:

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। वही वरीयता शेयरों पर लागू होता है जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, किसी कंपनी के शेयरों में निवेश की स्थिति में उनका मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी माना जाता है और नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण, उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में माना जाएगा।
- बैंक किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में भी वर्गीकृत करता है, जहां एक ही उधारकर्ता/संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके विपरीत।
- डिबेंचर/बांड में निवेश, जिसे अग्रिम माना जाता है, निवेश के लिए लागू एनपीआई मानदंडों के अधीन भी हैं।

4.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन

बैंक आरबीआई तथा बाजार सहभागियों के साथ तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पुनर्खरीद तथा रिवर्स पुनर्खरीद लेन-देन करता है। पुनर्खरीद लेन-देन में प्रतिभूतियों को बेच कर उधार, इस समझौते के साथ लिया जाता है कि उन प्रतिभूतियों को पुनः खरीद जायेगा। दूसरी ओर रिवर्स पुनर्खरीद लेन-देन में प्रतिभूतियों को खरीद कर उधार दिया जाता है।

- रेपो /रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों को ओवरनाइट ट्राई-पार्टी रेपो (ट्रेप्) डीलिंग और सेटलमेंट के रूप में हिसाब में लिया जाता है।



बी) हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री खरीद लेनदेन जैसे मामलों में हस्तांतरित किया जाता है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजाही रेपो / रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों का उपयोग करके परिलक्षित होती है।

सी) उपरोक्त प्रविष्टियां परिपक्वता की तारीख को उलट दी जाती हैं। रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है और रिवर्स रेपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों के साथ शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धन) के तहत वर्गीकृत किया गया है।

डी) एलएएफ के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों पर खर्च/अर्जित ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक को व्यय/राजस्व के रूप में लेखा किया जाता है।

5. डेरिवेटिव्स:

बैंक तुलन पत्र/बैलेंस शीट से इतर आस्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप जैसे डेरिवेटिव अनुबंधों में प्रवेश करता है।

5.1 हेजिंग के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकित किया गया है।

ए) ऐसे मामलों में जहां अंतर्निहित परिसंपत्तियां/देयताएं बाजार के लिए चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि खाते में लाभ/हानि को मान्यता दी जाती है।

बी) बचाव के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्न अनुबंधों को उपचित आधार पर दर्ज किया जाता है। हेज संविदाओं को बाजार में तब तक चिन्हित नहीं किया जाता जब तक कि अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को भी बाजार दर पर अंकित नहीं किया जाता है।

सी) स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या परिसंपत्तियों / देनदारियों की शेष अवधि से कम पर दर्शाया जाता है।

5.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है:

ए) एमसीएक्स - एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बाजार हेतु चिन्हित किया जाता है।

बी) मार्क टू मार्केट लाभ/हानि को मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होता है।

सी) ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर मार्क टू मार्केट किए जाते हैं। किसी भी तरह की मार्क टू मार्केट हानि दर्ज की

जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है।

डी) स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन:

6.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके दर्ज किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडरैड) क्लोजिंग (स्पॉट/फॉरवर्ड) दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना दी जाती है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक वस्तुएं, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है, लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित आकस्मिक देनदारियों को फेडरैड क्लोजिंग स्पॉट दरों का उपयोग करके सूचित किया जाता है।

6.3 बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा अनुबंधों का पुनर्मूल्यांकन निर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के लिए फेडरैड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

6.4 मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर उन्हें शुरू में दर्ज किया गया था, उन्हें उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

7. अचल संपत्ति और मूल्यहास:

7.1 अचल संपत्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन को घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है।

लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत, कर और संपत्ति के उपयोग से पहले पेशेवर शुल्क शामिल हैं।

7.2 उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय (व्ययों) का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है।

7.3 अचल संपत्तियों का मूल्यहास 'अवलिखित मूल्य पद्धति' के तहत निम्नलिखित दरों पर किया जाता है (कंप्यूटरों को छोड़कर जोकि सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास किए गए):

परिसर - अनुमानित जीवन काल के आधार पर निर्भर परिवर्तनीय दरों पर



- ए) फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष - 10%
बी) वाहन, प्लांट एवं मशिनरी - 20%
सी) वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि - 15%
डी) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर - 33.33%
(एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को अधिग्रहण के वर्ष के दौरान राजस्व में प्रभारित किया जाता है)

7.4 अन्य अचल संपत्तियों का मूल्यहास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है।

7.5 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है। पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

7.6 जहां भूमि और परिसर की लागत को अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यहास समग्र लागत पर किया जाएगा।

7.7 संपत्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकन राशि पर प्रदान किया जाता है और लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास / परिशोधन की राशि 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' से स्थानांतरित की जाती है और "राजस्व और अन्य रिजर्व" में जमा की जाती है।

7.8 संपत्ति में वृद्धि पर मूल्यहास, 30 सितंबर तक पूरे वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और उसके बाद किए गए परिवर्धन पर अर्द्ध वार्षिक मूल्यहास प्रदान किया जाता है। छमाही के लिए 30 सितंबर से पहले बेची गई संपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है और 30 सितंबर के बाद बेची गई संपत्ति पर अर्द्ध वार्षिक के लिए मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल संपत्ति पर विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है इसके बाद हर तीन साल में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन रिजर्व खाते में जमा किया जाता है।

पुनर्मूल्यांकित संपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यहास लगाया जाता है लाभ और हानि खाते में और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व को विनियोजित किया गया।

7.11 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल पर पुनर्मूल्यांकन की गई संपत्ति का मूल्यहास किया जाता है।

8 संपत्ति की हानि:

अचल संपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण यह आवश्यक होता

है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली योग्यता को आस्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले भावी शुद्ध रियायती नकदी प्रवाहों के लिए किसी आस्ति की अग्रणीत राशि की तुलना द्वारा मापा जाता है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को हानिकृत माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक हो जाती है।

9. कर्मचारी लाभ:

9.1 कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों उपचित किया गया है।

9.2 लघु अवधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान दर्शाया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

9.3 परिभाषित लाभ योजनाएं:

बैंक ग्रेजुटी और पेंशन योजनाएं संचालित करता है जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं।

ए) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेजुटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को साविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन सेवासमाप्ति पर या सेवा काल के दौरान मृत्यु पर, या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि के लिए एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है बशर्ते कर्मचारी द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की गयी हो। बैंक एक स्वतंत्र बाह्यबीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर न्यासियों द्वारा प्रशासित निधि में आवधिक अंशदान करता है।

बी) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। निहित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर या कर्मचारियों के सेवा के दौरान मृत्यु होने पर या कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति पर नियमों के अनुसार मासिक भुगतान से यह लाभ मिलता है। नियमानुसार विभिन्न चरणों में निहित होता है। पेंशन देयता की गणना प्रतिवर्ष किये गये एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और बैंक समय समय पर निधि में ऐसे अतिरिक्त योगदान करता है जो पेंशन विनियमों के तहत लाभों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिये आवश्यक हो।

सी) परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक तुलन पत्र शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत दर्शाया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

डी) जब योजना के लाभों में परिवर्तन किया जाता है, या जब किसी योजना में कटौती की जाती है या समझौता होता है, अथवा कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित परिवर्तित लाभ का हिस्सा, या कटौती या समझौते पर लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में तुरंत दर्शाया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के तहत दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए देयता जैसे कि ग्रेजुटी में योगदान, पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण में योगदान, बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाता है।

ई) बीमांकिक लाभ/हानि को उस वर्ष में पहचाना जाता है जब वे उत्पन्न होते हैं।

9.4 परिभाषित योगदान योजना:

भविष्य निधि एक परिभाषित योगदान है क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है।

बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित है।

यह योगदान लाभ और हानि खाते में प्रभावित किया जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त हुए हैं, एक परिभाषित योगदान योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते में प्रभावित किया जाता है।

10. आय पर करों के लिए लेखांकन:

आय कर व्यय बैंक द्वारा प्रदत्त चालू कर तथा आस्थगित कर का योग है। वर्ष के लिए कर के प्रावधान में आयकर अधिनियम, 1961 और लेखा मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देयता शामिल है।

कर योग्य आय और उसी अवधि में उत्पन्न होने वाली लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के अनुसार आस्थगित कर की गणना की जाती है और वह एक या अधिक तत्पश्चात अवधि में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होने की उचित निश्चितता हो जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जाएगी।

आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और कर हानियों को आगे ले जाने पर तभी मान्यता दी जाती है, जब इस बात के पुख्ता सबूत हों कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के विरुद्ध वसूल किया जा सकता है।

स्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में की जाती है ताकि इसकी वसूली का पुनर्मूल्यांकन

किया जा सके।

विवादित कर देनदारियों का हिसाब निर्धारण / अपीलीय कार्यवाही की अंतिमता के वर्ष में किया जाता है और ऐसे समय तक उन्हें आकस्मिक दायित्व के रूप में दिखाया जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।

11. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां

11.1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां" के अनुरूप, बैंक केवल उन प्रावधानों को मान्यता देता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप इसकी वर्तमान बाध्यता होती है, और इसके परिणामस्वरूप एक दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

11.2 निम्न के लिए कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं है:

- ए) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं; या
- बी) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन दर्शाया नहीं है क्योंकि:

- i) यह संभव नहीं है कि उन दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या
- ii) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और दायित्व के केवल उस हिस्से के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

11.3 बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवॉर्ड प्वाइंट का प्रावधान अनुमानों के आधार पर किया जा रहा है।

11.4 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

12 विशेष प्रारक्षित निधि :

राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के तहत बनाए गए विशेष प्रारक्षित निधि शामिल हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने प्रारक्षित निधि के निर्माण को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और पुष्टि की है कि विशेष प्रारक्षित निधि से निधि आहरण का उनका कोई इरादा नहीं है।

13 खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17-9 “सेगमेंट रिपोर्टिंग” के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

14 प्रति शेयर आय:

ए) बैंक आईसीएआई द्वारा जारी “प्रति शेयर आय” के अनुसार प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है, प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष

के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

बी) जब वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य अनुबंधों का प्रयोग किया जाता है या वर्ष के दौरान उन्हें परिवर्तित किया जाता है तब संभावित डाइल्यूशन के कारण प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय दर्शाई जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों और डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम सेठ
निदेशक

श्री पी. जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानि
निदेशक

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सी.ए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सी.ए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सी.ए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीवी8382

(सी.ए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861

रजिस्ट्री

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

अनुसूची-18: खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

1. विनियामक पूंजी :

ए) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 8,680.94 करोड़ है, जो कि पिछले वर्ष के ₹ 5,875.56 करोड़ से बढ़ गया है। ये ₹ 10 के नए 280,53,76,972 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आधिमानी आधार पर ₹ 17.11 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, जिसमें दि: 29.05.2021 को ₹ 7.11 प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है, जारी और आबंटित किए गए हैं। इस आवंटन के साथ, बैंक में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की हिस्सेदारी 89.78% से बढ़कर 93.08% हो गई है।

बी) विनियामक पूंजी की संरचना

		(राशि ₹ करोड़ में)	
क्र.	विवरण	31-मार्च-2022 को	31-मार्च-2021 को
1.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (निवल कटौती के साथ यदि कोई हो)	17,049.44	19,096.57
2.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00	0.00
3.	टियर 1 पूंजी (i+ii)	17,049.44	19,096.57
4.	टियर 2 पूंजी	3,510.43	2,966.47
5.	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2)	20,559.87	22,063.04
6.	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	1,48,506.29	1,48,916.58
7.	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	11.48%	12.82%
8.	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	11.48%	12.82% (नोट 3)
9.	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	2.36%	1.99%
10.	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	13.84%	14.81%
11.	लीवरेज अनुपात	4.25%	5.00%
12.	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	93.08%	89.78%
13.	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	शून्य* (नोट 2)	5055
14.	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें:	शून्य	शून्य
	ए) शून्य	शून्य	शून्य
	बी) शून्य	शून्य	शून्य
15.	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें: (लिखत के प्रकार के अनुसार सूची दें) वाणिज्यिक बैंक यह भी निर्दिष्ट करेंगे कि लिखत बेसल II या बेसल III के अनुरूप हैं या नहीं	शून्य	शून्य

नोट: 1. वित्तीय वर्ष 31/03/2021 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा गैर ब्याज आधारित पुनर्पूँजीकरण बाँड को पूंजी के रूप में डालने एवं उसके निवल वर्तमान मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जोखिम भारित आस्ति अनुपात एवं लीवरेज अनुपात से पूंजी की उक्त गणना की गई है। उक्त समायोजन पर विचार किए बिना 31-03-2022 को सीईटी 1 अनुपात 13.39%, टियर 1 अनुपात 13.39%, टियर 2 अनुपात 2.36%, सीआरएआर 15.75% और लीवरेज अनुपात 4.98% है।

नोट: 2. इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन के लिए 31.03.2021 को भारत सरकार से ₹ 4,800 करोड़ की पूंजी निधि प्राप्त हुई थी। राशि को शेयर आवेदन धन खाते में आवंटन लंबित रखा गया था और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीईटी 1 पूंजी के हिस्से के रूप में माना गया था। ₹ 10 के परिणामी 280,53,76,972 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 29.05.2021 को ₹ 7.11 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित ₹ 17.11 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर आबंटित किए गए थे। हालांकि 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि हुई थी, सीईटी 1 पूंजी में वृद्धि 31.03.2021 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में हुई थी। इसलिए, 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कोई नया पूंजी प्रवाह नहीं दिखाया गया था।

नोट: 3. 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए पूंजी अनुपात (गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के एनपीवी के अन्य प्रभाव को ध्यान में रखते हुए) सीआरएआर - 12.78% और सीईटी 1 और टियर 1 अनुपात - 10.79% हैं।

जोखिम भारित औसत अनुपात और उत्तोलन अनुपात के लिए पूंजी की उक्त गणना को गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के वर्तमान मूल्य को प्रभावी करने के बाद माना गया है।

सी) प्रारक्षित निधि से आहरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने प्रारक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया है।

डी) संचित हानियों का समायोजन

6 सितंबर, 2021 को बैंक ने शेयरधारकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि के विरुद्ध 31 मार्च, 2021 को ₹ 18724.2174 करोड़ के संचित नुकसान को समायोजित किया है।

2 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

ए) संपत्ति और देनदारियों की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न इस प्रकार है: -

अवधि	पहला दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 साल से अधिक 5 साल तक	(राशि ₹ करोड़ में)		
										कुल	अधिक	
जमा	1516.87	2940.12	2888.41	4588.65	8893.78	8636.28	12890.58	24895.30	154125.01	62862.65	58454.28	342691.94
अग्रिम	1310.10	408.20	544.90	2570.13	3543.48	3195.04	5233.16	10404.10	90440.66	16139.71	34384.02	168173.50
निवेश	42936.96	1022.77	1533.68	331.59	4485.87	1054.03	2607.41	6143.02	14123.63	22811.90	43736.08	140786.95
उधार #	3.28	-	64.77	-	64.77	67.81	245.33	534.28	3349.06	5.96	-	4335.26
विदेशी मुद्रा आस्तियां	611.07	847.09	202.83	6886.57	-	7844.80	23491.25	47715.46	79.51	0.61	-	87679.20
विदेशी मुद्रा देयताएं	320.27	1155.33	42.28	6953.63	-	8148.52	22304.46	47682.45	1023.44	39.91	-	87670.29

नोट: - # टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा.

उपरोक्त आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और प्रबंधन द्वारा बनाई गई कुछ मान्यताओं के आधार पर संकलित किया गया है.

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरण:

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक इस उद्देश्य से पेश किया गया है कि एक बैंक बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखता है जिसे 30 कैलेंडर दिनों और अपनी सीमाओं में गंभीर तरलता तनाव परिदृश्य तहत अपनी तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है.

एलसीआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति का स्टॉक (एचक्यूएलएएस)

अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) अधिक लचीला बैंकिंग क्षेत्र विकसित करने के लिए बेसल समिति के प्रमुख सुधारों में से एक है. एलसीआर से वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटकों को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है, इस प्रकार विखराव को वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैलने के जोखिम को कम किया जा सकता है. बैंक का चलनिधि जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एलएएम) नीति द्वारा शासित होता है.

नोट: आरबीआई परिपत्र संख्या के अनुसार. आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 दिशानिर्देश; एलसीआर की गणना बैंक के एचक्यूएलए के स्टॉक को 30-दिन की तनाव अवधि में उसके कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह से विभाजित करके की जाती है. एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण लाइन आईएम है :



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) - मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	31.03.2022		31.12.2021		30.09.2021		30.06.2021	
	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भाररहित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां								
1 कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचव्यूएलए)		130947		134460		133402		128085
नकदी बहिर्वाह								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से और जमा, जिनमें से:								
(i) स्थिर जमाएं	165111	8256	163910	8196	162803	8140	164395	8220
(ii) कम स्थिर जमाएं	134825	13483	137803	13780	139520	13952	141041	14104
3 असुरक्षित थोक निधियां जिसमें:								
(i) परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) गैर-परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	29883	12715	29853	12680	31100	13118	30852	13189
iii) अरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0
4 रक्षित थोक निधियन								
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से								
(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	8133	8133	6281	6281	9749	9749	17522	17522
(ii) ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii) ऋण और चलनिधि सुविधाएं	12925	1377	13188	2117	14074	2252	15175	2320
6 अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	2470	2470	2446	2446	2851	2851	2913	2913
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	77308	3591	92266	4346	91701	4326	131981	6350
8 कुल नकद बहिर्वाह		50024		49846		54388		64617
नकदी प्रवाह								
9 रक्षित उधार (जैसे रिवर्स रेपो)	17879	0	23506	0	29605	0	26828	0
10 पूर्णतः कार्यानिष्पादन एक्सपोजर से अंतर्वाह	1367	1367	5467	5467	3809	3809	1777	1777
11 अन्य नकदी प्रवाह	15308	13983	11951	11028	14691	13717	22466	21698
12 कुल नकद अंतर्वाह	34454	15350	40925	16495	47798	17525	51071	23475
	कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य	
13 कुल एचव्यूएलए		130947		134460		133402		128085
14 कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह		34673		33351		36863		41142
15 चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		377.66%		403.17%		361.89%		311.32%

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण

एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण लाईन आईटम	व्याख्यात्मक नोट
ए. एलसीआर परिणाम के मुख्य संचालक और एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन	एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक हैं: - उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) एलसीआर के प्रमुख संचालकों में से एक है; एचक्यूएलए के बड़े हिस्से में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), एफएलएलसीआर और अतिरिक्त एसएलआर निवेश के तहत तरलता प्राप्त करने की सुविधा शामिल है। - नकद बहिर्वाह एलसीआर का एक अन्य प्रमुख संचालक है। नकदी बहिर्वाह के मुख्य घटक कम स्थिर खुदरा जमा, अन्य कानूनी इकाई से वित्त पोषण और शुद्ध व्युत्पन्न नकदी बहिर्वाह हैं। - एलसीआर का एक अन्य प्रमुख संचालक नकद अंतर्वाह है। नकदी प्रवाह के मुख्य घटक प्रतिपक्ष और शुद्ध व्युत्पन्न नकदी प्रवाह द्वारा अंतर्वाह हैं।
बी. अंतर-अवधि परिवर्तन के साथ-साथ समय के साथ परिवर्तन	लागू नहीं
सी. एचक्यूएलए की संरचना	एचक्यूएलए में निम्नलिखित शामिल हैं: - स्तर 1 की संपत्ति में अधिशेष एसएलआर निवेश में (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, क्रॉम्स के विरुद्ध भार ग्रस्त संपदा एवं आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल आदि के लिए गिरवी रखी गई अन्य प्रतिभूतियों के लिए निवल) शामिल है और आरबीआई के परिपत्र संख्या के अनुसार आरबीआई/2018-19/164 डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.34/21.04.098/2018-19 दिनांक 04/04/2019 के अनुसार एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल का 2% और एनडीटीएल (एफएलएलसीआर) का 15.00%. - स्तर 2 ए की संपत्ति में राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष (डिस्कॉम) बांड, राज्य बिजली वितरण कंपनियों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी बांड, वित्त कंपनियों और एए- और उससे ऊपर की रेटिंग वाले निजी कॉरपोरेट्स के बॉन्ड को को छोड़कर, जिसमें वित्त कंपनियां शामिल नहीं हैं। - स्तर 2बी आस्तियों में वित्त कंपनियों को छोड़कर बीबीबी- से ए+ की रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स के बॉन्ड शामिल हैं। - स्तर 2बी आस्तियों में वित्त कंपनियों को छोड़कर निफ्टी/सेंसेक्स के शेयर भी शामिल हैं।
डी. निधियन स्रोतों की एकाग्रता	बैंक प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद / लिखत और प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा ('महत्वपूर्ण' को बैंक की देनदारियों के 1% से अधिक की कुल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है) से अपने वित्त पोषण की निगरानी करके धन की एकाग्रता को संबोधित करता है।
इ. व्युत्पन्न एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल	बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित शामिल हैं: - ओटीसी डेरिवेटिव्स ए) फॉरवर्ड - बी) करेंसी स्वैप - सी) ब्याज दर स्वैप - एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ए) करेंसी फ्यूचर्स - बी) ब्याज दर फ्यूचर्स संभावित संपार्श्विक कॉल तब सक्रिय होते हैं जब लेनदेन एक्सचेंज होता है अथवा उसका निपटान केंद्रीय काउंटरपार्टी के माध्यम से होता है और ये गारंटीकृत होने के साथ-साथ प्रतिपक्षी पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेन्ट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) हस्ताक्षरित किया होता है। करेंसी फ्यूचर्स और इंटररेस्ट रेट फ्यूचर्स के तहत व्यापार के एक्सपोजर के लिए बैंक कोलेटरल (जी-सेक) के रूप में मार्जिन बनाए रखता है और इसे एक्सपोजर की मात्रा और बाजार में अस्थिरता के आधार पर बनाए रखा जा रहा है। सभी इंटरबैंक यूएसडी/आईएनआर स्वैप और फॉरवर्ड का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जा रहा है जो एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) है। इंटरबैंक यूएसडी/आईएनआर स्वैप और फॉरवर्ड के गारंटीकृत निपटान के लिए बैंक सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक (जी-सेक) के रूप में मार्जिन बनाए रखता है।

रणनीति

संरचना

रिपोर्ट

वित्तीय

एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण लाईन आईटम

व्याख्यात्मक नोट

	मार्जिन की राशि एक्सपोजर की मात्रा और संबंधित बाजारों में अस्थिरता पर निर्भर करती है। अतिरिक्त मार्जिन एक्सचेंज/सीसीपी के साथ बनाए रखा जाता है जब भी इसके लिए कॉल किया जाता है। वर्तमान में, किसी भी प्रतिपक्ष के साथ हमारा क्रेडिट सपोर्ट अनेक्स नहीं है। अतः कोई भी सम्भाव्य संपाश्विक कॉल उत्पन्न नहीं होगी।
एफ. एलसीआर में मुद्रा बेमेल	सम्भाव्य मुद्रा बेमेल को रोकने के लिए, एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा नजर रखी जाती है। कोई मुद्रा को "महत्वपूर्ण" तब कहलाती है जब उस मुद्रा में भारत कुल देयताएं बैंक की कुल देनदारियों का 5 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाती है, बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा "महत्वपूर्ण" में एक्सपोजर नहीं है।
जी. तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण की मात्रा और समूह की इकाइयों के बीच बातचीत	बैंक में चलनिधि प्रबंधन एएलएम और ट्रेजरी टीम द्वारा केंद्रीकृत और निगरानी की जाती है। ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम और अन्य कार्यात्मक इकाइयों के बीच बातचीत निर्बाध है।
एच. एलसीआर गणना में अन्य अंतर्वाह और बहिर्वाह जो एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में दर्ज नहीं हैं, लेकिन जिन्हें संस्थान अपनी तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक मानता है।	कोई भी नहीं
आई अन्य सूचना	कोई भी नहीं

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर 311.32% था, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए यह 417.10% था और वर्तमान निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से काफी ऊपर था।

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए 1,28,085 करोड़ था, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 1,29,693 करोड़ था।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए औसत एलसीआर 360.81% था, जबकि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 386.91% था।

सी) शुद्ध स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर):

"बेसल III: चलनिधि जोखिम माप, मानकों और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा" दिसंबर 2010 में जारी किया गया था जिसमें तरलता पर वैश्विक नियामक मानकों का विवरण प्रस्तुत किया गया था। निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर) बेसल III सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक है। एनएसएफआर भविष्य के वित्त पोषण तनाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर वित्त पोषण के स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज में वित्त पोषण जोखिम में कमी सुनिश्चित करना है।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलनपत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखें। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है। एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता है, सभी ऑन- और ऑफ-बैलेंस शीट मदों में फंडिंग जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और फंडिंग स्थिरता को बढ़ावा देता है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण" (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय अवधि पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष है। किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर निधिकरण ("आवश्यक स्थिर निधि") की राशि में उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसकी तुलन-पत्र से बाहर के एक्सपोजर भी शामिल हैं।

एनएसएफआर अनुपात की गणना 'उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एएसएफ) / आवश्यक स्थिर वित्त पोषण (आरएसएफ)' के रूप में की जाती है। यह अनुपात 100% से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए।

बैंक ने भारत बैंक के परिपत्र आरबीआई/2017-18/178/ डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.106/21.04.098 /2017-18 दिनांक 17 मई 2018 और इसकी वेबसाइट में वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण दिनांक 30 अगस्त 2021 पर मास्टर निदेश के अनुसार एवं लिंक- <https://centralbankofindia.co.in> पर आवश्यक एनएसएफआर का खुलासा किया है जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए आसानी से उपलब्ध है

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही हेतु एनएसएफआर 168.673 है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा 1003 से अधिक है.

	मार्च-22		दिसंबर-21	
	शेष परिपक्वता तक अनिर्धारित मूल्य		Unweighted value by residual maturity	
	कोई <6 महीने परिपक्वता नहीं	कोई <6 महीने से 6 महीने से <1 वर्ष	कोई 6 महीने से <1 वर्ष	कोई 6 महीने से ≥ 1 वर्ष
(करोड़ रुपये में)	राशि करोड़ में	राशि करोड़ में	राशि करोड़ में	राशि करोड़ में
एएसएफ आइटम				
1 पूंजी: (243)	-	-	3,000.00	26,592.62
2 विनियामक पूंजी	-	-	2,200.00	25,653.52
3 अन्य पूंजीगत साधन	-	-	800.00	939.10
4 खुदरा जमाएं तथा लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों से जमा: (546)	270607.03			252969.53
5 स्थिर जमा	-	188464.00	-	179040.80
6 कम स्थिर जमा	-	82143.03	-	73928.73
7 थोक वित्त पोषण: (849)	10081.53	9028.04	1420.66	9317.18
8 परिचालन जमा	-	-	-	0.00
9 अन्य थोक वित्त पोषण	10081.53	9028.04	1420.66	9317.18
10 अन्य देनदारियां: (1412)	-	11,635.86	36,963.19	38,319.55
11 एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां	-	-	-	-
12 अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	-	11635.86	36963.19	38319.55
13 कुल एएसएफ (1447410)				337903.33
आरएसएफ आइटम				
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यू एलए)			7075.67	8473.75
15 परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशियां	-	-	-	-
16 ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन: (17+18+19+21+23)	-	1851.03	1918.66	126795.13
17 स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	-	-	-	-



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

	मार्च-22				दिसंबर-21			
	शेष परिपक्वता तक अनिर्धारित मूल्य		राशि करोड़ में		Unweighted value by residual maturity		राशि करोड़ में	
	कोई <6 महीने परिपक्वता नहीं	6 महीने से <1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	कोई 6 महीने से <1 वर्ष परिपक्वता नहीं	6 महीने से ≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	
(करोड़ रुपये में)								
18	नैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संग्रहित वित्तीय संस्थानों को ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित निष्पादित ऋण	- 1,851.03	1,918.66	1236.99	-	1,833.73	1098.82	
19	नैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा एवं लघु व्यवसाय वाले ग्राहकों को ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों तथा सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण जिनमें :	-	-	85220.77	-	-	45137.29	
20	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या समान जोखिम भार के साथ	-	-	106,678.64	-	-	57,811.29	
21	निष्पादित आवासीय बंधक, जिनमें:	-	-	27,280.38	-	-	13007.50	
22	ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या समान जोखिम भार सहित	-	-	13075.72	-	-	12679.92	
23	वे प्रतिभूतियां जो खराब नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अयोग्य	-	-	20,116.49	-	-	19,507.57	
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	0.00	31182.94	81390.86	-	-	124949.90	
25	स्वर्ण सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	0.00	-	-	0.00	
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान	-	-	6744.62	-	-	10523.00	
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	-	-	87.28	-	-	143.11	
28	दर्ज की गई भिन्न मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	-	-	28.45	-	-	48.32	
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	-	31182.94	74530.51	-	-	114235.47	
30	ऑफ-बैलेंस शीट मदें	-	191081.61	5983.68	-	-	5206.93	
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	-	-	193983.68	-	-	197546.62	
32	शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (%)	-	-	168.67%	-	-	171.05%	

3. निवेश

ए. निवेश पोर्टफोलियो की संरचना दि: 31/03/2022 के अनुसार

	भारत में निवेश					भारत के बाहर निवेश			कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर डिबेंचर एवं बॉण्ड	अनुबंधित एवं संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	अन्य	कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित									
सकल	72813.03	-	7.54	27551.75	257.98	126.28	100756.59	-	47.49 100804.08
घटाएं : गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध	72813.03	-	7.54	27551.75	257.98	126.28	100756.59	-	47.49 100804.08
बिक्री के लिए उपलब्ध									
सकल	33042.53	-	2979.99	7044.88	-	2901.69	45969.10	-	- 45969.10
घटाएं : मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रावधान	332.60	-	2104.16	818.19	-	2717.22	5972.17	-	- 5972.17
शुद्ध	32709.94	-	875.83	6226.69	-	184.47	39996.93	-	- 39996.93
व्यापार के लिए धारित									
सकल	(13.91)	-	-	-	-	-	(13.91)	-	- (13.91)
घटाएं : मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रावधान	0.14	-	-	-	-	-	0.14	-	- 0.14
शुद्ध	(14.05)	-	-	-	-	-	(14.05)	-	- (14.05)
कुल निवेश									
सकल	105841.66	-	2987.53	34596.63	257.98	3027.97	146711.77	-	47.49 146759.26
घटाएं : गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	332.74	-	2104.16	818.19	-	2717.22	5972.31	-	- 5972.31
शुद्ध	105508.92	-	883.37	33778.44	257.98	310.75	140739.46	-	47.49 140786.95

31.03.2022 को

(राशि ₹ करोड़ में)		अंकित मूल्य
नोट: उपरोक्त राशि में 31 मार्च, 2022 तक भारग्रस्त प्रतिभूतियां शामिल हैं		14,744.00
सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक/मार्जिन - टीआरडीपीएस		5,816.00
सीसीआईएल के साथ मार्जिन और डिफॉल्ट फंड, एनएसई क्लियरिंग के साथ सिक्क्योरिटीज, एमसीएक्स क्लियरिंग, आरबीआई आरटीजीएस		3,530.00
रेपो के लिए आरबीआई के पास प्रतिभूतियां		24,090.00
कुल		24,090.00



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

बी. निवेश का मूल्य

	भारत में न निवेश				भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश	
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर डिबेंचर एवं बॉण्ड	अनुबंधित एवं संयुक्त उद्यम	अन्य कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानिय प्राधिकरणों सहित)	अनुबंधित एवं संयुक्त उद्यम	अन्य कुल निवेश		
परिपक्वता तक धारित										
सकल	64046.11	-	7.54	28999.69	257.98	58.00	93369.33	-	47.49	93416.82
घटाएं : गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध	64046.11	-	7.54	28999.69	257.98	58.00	93369.33	-	47.49	93416.82
विक्री के लिए उपलब्ध										
सकल	46269.23	-	3031.28	7383.99	-	3618.43	60302.93	-	-	60302.93
घटाएं : मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रावधान	55.86	-	2248.27	986.44	-	1947.05	5237.63	-	-	5237.63
शुद्ध	46213.37	-	783.01	6397.55	-	1671.38	55065.30	-	-	55065.30
व्यापार के लिए धारित										
सकल	98.94	-	1.37	-	-	-	100.32	-	-	100.32
घटाएं : मूल्यहास एवं एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध	98.94	-	1.37	-	-	-	100.32	-	-	100.32
कुल निवेश										
सकल	110414.28	-	3040.19	36383.68	257.98	3676.44	153772.57	-	47.49	153820.06
घटाएं : गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध	110358.42	-	791.92	35397.24	257.98	1729.38	148534.95	-	47.49	148582.43

(राशि ₹ करोड़ में)

नोट: उपरोक्त राशि में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतप्रस्त प्रतिभूतियां शामिल हैं

सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक/मार्जिन - टीआरडीपीएस	अंकित मूल्य
सीसीआईएल के साथ मार्जिन और डिफॉल्ट फंड, एनएसई क्लियरिंग के साथ सिक्क्योरिटीज, एमसीएक्स क्लियरिंग, आरबीआई आरटीजीएस	8,550.00
रेपो के लिए आरबीआई के पास प्रतिभूतियां	2,306.00
	5,830.00
कुल	16,686.00

बी. निवेश का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य	1,46,759.26	1,53,820.06
एक) भारत में	1,46,711.77	1,53,772.57
बी) भारत के बाहर	47.49	47.49
ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	5,972.31	5,237.63
एक) भारत में	5,972.31	5,237.63
वर्तमान मूल्यन पर मूल्यहास हेतु अतिरिक्त प्रावधान (स्थानांतरण के समय धारित)	0.00	0.00
कुल	5,972.31	5,237.63
बी) भारत के बाहर	0.00	0.00
iii) निवेश का शुद्ध मूल्य	1,40,786.95	1,48,582.44
एक) भारत में	1,40,739.46	1,48,534.95
बी) भारत के बाहर	47.49	47.49

सी. मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व हेतु प्रावधानों का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i) निवेश पर मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन		
ए) प्रारंभिक शेष	5237.63	4840.33
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	884.53	1314.43
सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/बट्टे खाते में डालना	149.85	917.13
डी) अंतिम शेष	5972.31	5237.63
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन		
प्रारंभिक शेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	658.09	-
घटाएं : ड्रा डाउन(ऋण राशि)	-	-
अंतिम शेष राशि	658.09	-
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि	1.43	-

डी. एचटीएम श्रेणी में / से बिक्री और स्थानांतरण

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और हमारी निवेश नीति के अनुसार, एचटीएम श्रेणी के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ पहले पीएंडएल खाते में लिया जाना चाहिए और उसके बाद पूंजी रिजर्व खाते में विनियोजित किया जाना चाहिए.

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर लाभ ₹ 257.27 करोड़ हुआ .

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	श्रेणी	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	एचटीएम	471.86	257.26
प्रतिभूतियों के मोचन पर लाभ	एचटीएम	0.40	0.0055
कुल		472.26	257.26

ई. मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों की बिक्री और हस्तांतरण का मूल्य (एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों के एकमुश्त हस्तांतरण को छोड़कर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्राप्त अनुमति के अनुसार, बैंकों द्वारा लेखा वर्ष की शुरुआत में यह अनुमति

प्राप्त), पूर्व-घोषित ओपन मार्केट ऑपरेशन नीलामियों के तहत आरबीआई को बिक्री और भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बुक वैल्यू के 5% से अधिक नहीं थी।

एफ. 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के लिए बेसल II/बेसल III दिशानिर्देशों के तहत प्रकटीकरण

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
अनर्जक निवेश की राशि	2,653.80	
अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि	2,577.00	
निवेश पर मूल्यहास के प्रावधानों का संचलन	कुल	पी एल
प्रारंभिक शेष	5453.20	3427.10
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	830.30	279.30
बट्टे खाते में डालना	-	-
अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लेना	311.20	311.20
अंतिम शेष	5,972.30	3,395.20

जी. सुरक्षा रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण

सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
(i) बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	2481.82	2633.26
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	1.88	1.88
कुल	2483.70	2635.14

एच. सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश का विवरण

विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	पिछले 5 साल से अधिक लेकिन 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	8 साल से अधिक पहले जारी किए गए एसआर
i) बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बुक वैल्यू अंतर्निहितके रूप में	148.56	869.92	1463.34
(i) के विरुद्ध धारित प्रावधान	-148.56	-761.29	-1463.34
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बुक वैल्यू अंतर्निहित के रूप में	0.00	0.12	1.76
(ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	-0.07	-1.76
कुल बुक वैल्यू (i) + (ii)	148.56	870.04	1465.10

आई. 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा धारित सुरक्षा रसीदों को दी गई वसूली रेटिंग

बैंक के पास 30/03/2022 को ₹ 2483.70 करोड़ का निवेश सुरक्षा प्राप्तियों के रूप में है। इसका रेटिंग वार वितरण निम्नानुसार है:

सुरक्षा प्राप्ति की रेटिंग	बुक वैल्यू 31.03.2022
आर 1	31,37,83,143.95
आर 2	2,36,89,97,705.11
आर 3	18,33,70,000.00
आर 4	34,23,34,250.00
आर 5	20,07,33,03,000.00
रेटिंग वापस ली गई	1,55,52,00,624.20
कुल योग	24,83,69,88,723.26

जे. गैर एसाएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना : 31 मार्च 2022

(राशि ₹ करोड़ में)

	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
			31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
क्रा जारी कर्तो सं												
	१	केन्द्र सरकार रीकैप बांड	19580	19580	-	0	0	0	0	19580	19580	19580
	२	राज्य सरकार विशेष बांड	1935	2011	-	0	0	0	0	1935	2011	0
	ए)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5251	5534	400	300	0	0	0	22	22	1676
	बी)	वित्तीय संस्थाएं	1971	2072	-	0	0	0	0	0	0	0
	सी)	बैंक	283	261	55	5	0	0	0	69	69	69
	डी)	निजी कॉर्पोरेट	5577	6925	3540	2970	872	870	57	27	27	801
	ई)	सहायक/संयुक्त उद्यम	305	305	305	305	0	0	305	305	305	305
	एफ)	अन्य	6015	6717	2375	2324	585	5757	5407	5434	3578	3633
		कुलड	40917	43406	6675	5904	1457	6627	27375	27448	26009	26157
	जी)	मुल्याहारा के लिए प्रावधान	5639	5182								
		क्वल योग	35278	38224	6675	5904	1457	6627	27375	27448	26009	26157

नोट: (1) * कॉलम 3 के तहत कुल, बैलेंस शीट की अनुसूची 8 में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत शामिल कुल निवेश के साथ मेल खाना चाहिए:

(ए) शीयर

(बी) डिबेंचर और बांड

(सी) सहायक / संयुक्त उद्यम

(डी) अन्य

(2) कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर विशिष्ट हैं

वे.क. गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
ए)	प्रारंभिक शेष	1936.51	2153.39
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	1004.00	401.08
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	286.72	617.96
डी)	अंतिम शेष	2653.79	1936.51
ई)	कल प्रावधान	2577.01	1887.01

रपानिती	सूचना	रिपोर्ट	विनीय

एल. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो समझौते के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2022 तक बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
ए) सरकारी प्रतिभूतियां	1764.00	1844.00	1765.29	1764.00
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूति	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूति				
ए) सरकारी प्रतिभूतियां	11985.00	36127.00	24189.97	22906.00
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
सी) कोई अन्य प्रतिभूति	0.00	0.00	0.00	0.00



4. आस्तियों की गुणवत्ता :

ए) अग्रिमों का वर्गीकरण एवं किये गये प्रावधान
के. गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

	मानक			गैर-निष्पादित				कुल				
	कुल मानक अग्रिम		उप -मानक	संदिग्ध		हानि						
	31.03.2022	31.03.2021		31.03.2022	31.03.2021		31.03.2022		31.03.2021			
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए	147636	139655	5274.61	5294.14	20466.84	24545.42	3535.51	2749.52	29276.96	32589.08	176912.96	172244.08
प्रारंभिक शेष									4717.93	6448.53	4717.93	6448.53
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन									5838.67	9760.65	5838.67	9760.65
घटाए : वर्ष के दौरान कमी									28156.22	29276.96	189712.22	176912.96
अंतिम शेष	161556	147636	3098.3	5274.61	22185.95	20466.84	2871.97	3535.51				
निम्न के कारण सकल एनपीए में कटौती:												
i) उन्नयन									1337.14	804.82	1337.14	804.82
ii) वसूली (उन्नत खातों से प्राप्त वसूली को छोड़कर)									3266.03	2963.39	3266.03	2963.39
iii) तकनीकी/ विवेकसम्मत बट्टे खाते									0	4809.62	4809.62	4809.62
iv) ऊपर (iii) अन्य बट्टे खाते									1235.5	1182.82	1235.5	1182.82
प्रावधान (वर्तनीधी प्रावधानों को छोड़कर)	1029.83	760.34	842.55	1159.34	15098.85	16131.26	3207.79	2581.48	19149.48	19872.08	20179.31	20632.42
उधारितप्रावधानों की प्रारंभिक शेष राशि									3723.97	5656.01	3723.97	5656.01
जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान									2407.59	6378.6	2407.59	6378.6
घटाए : अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन / बट्टे खाते ऋण									20465.86	19149.48	22006.94	20179.31
धरित प्रावधानों का अंतिम शेष	1541.08	1029.83	674.87	842.55	17258.39	15098.85	2532.6	3207.79				
शुद्ध एनपीए												
प्रारंभिक शेष			4373.68	4082.94	4662.77	7451.52	0	0	9036.45	11534.46		
जोड़े : वर्ष के दौरान गए परिवर्धन									2932.09	1883.82		
घटाए : वर्ष के दौरान कमी									5293.37	4381.83		
अंतिम शेष			2403.54	4373.68	4271.63	4662.77	0	0	6675.17	9036.45		
अस्थायी प्रावधान											100.56	100.56
प्रारंभिक शेष											0	0
जोड़े : वर्ष के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधान											100.56	0
घटाए : वर्ष के दौरान कम की गई राशि											0	100.56
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष												
तकनीकी बट्टे खाते तथा उनमें की गई वसूली												
तकनीकी/ विवेकसम्मत बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष											22478.36	18204.84
जोड़े : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकसम्मत बट्टे खाते											0	4809.62
घटाए : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी /विवेकसम्मत बट्टे खातों में की गई वसूली											485.95*	536.1
अंतिम शेष											21992.41	22478.36

ड नियमित बट्टे खाते में रुपांतरण इसमें ? 149.43 करोड़ (पिछले वर्ष ? 128.70 करोड़), इसीजीसी दावा आवेदन राशि ? 19.13 करोड़ शामिल है.

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2022	31.03.2021
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	14.84	16.55
शुद्ध एनपीए से निवल अग्रिम	3.97	5.77
प्रावधान कवरेज अनुपात	86.69	82.54

बी. क्षेत्रावर अग्रिम तथा सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	31.03.2022			31.03.2021		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	39,153.93	6,052.84	15.46	36,206.99	5,349.43	14.77
बी)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	13,564.33	2,334.56	17.21	11,748.97	2,551.80	21.72
सी)	सेवायें	20,576.70	3,071.52	14.93	20,797.66	3,138.39	15.09
डी)	व्यक्तिगत ऋण	22,210.89	1,226.73	5.52	19,468.85	1,369.77	7.04
	योग (i)	95,505.85	12,685.65	13.28	88,222.47	12,409.39	14.07
ii)	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी)	उद्योग	53,765.74	8,062.99	15.00	19,304.03	8,379.49	43.41
सी)	सेवायें	10,425.82	6,411.57	61.50	39,309.32	7,315.77	18.61
डी)	व्यक्तिगत ऋण	30,014.79	996.01	3.32	30,077.15	1,172.31	3.90
	योग (ii)	94,206.35	15,470.57	16.42	88,690.50	16,867.57	19.02
	योग (i+ii)	1,89,712.20	28,156.22	14.84	1,76,912.97	29,276.96	16.55

अग्रिमों की कुल बकाया राशि (एफबी + एनएफबी) को बही-ऋण द्वारा सुरक्षित किया गया 31.03.2022 तक ₹15847.89 करोड़ (31.03.2021 को ₹16718.70 करोड़ के मुकाबले)

सी) क्षेत्रवार अग्रिम- एनपीए का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण 31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021
सकल एनपीए * 1 अप्रैल को (प्रारंभिक शेष)	29276.96	32589.08
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)	4717.93	6448.53
योग (ए)	33994.89	39037.61
घटाया गया :-		
(i) उन्नयन	1337.14	804.82
(ii) वसूली (उन्नत खातों से की गई वसूली को छोड़कर) ड एनपीए की बिक्री	3266.03	2963.39
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना	0.00	4809.62
(iv) ऊपर (iii) के तहत उनके अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना	1235.50	1182.82
योग (बी)	5838.67	9760.65
31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	28156.22	29276.96

डी. तकनीकी बट्टे खाते / विवेकपूर्ण बट्टे खाते और वसूलियां

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण 31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों की शेष राशि	22478.36	18204.84
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	0	4809.62
योग (ए)	22478.36	23014.46
घटाये : वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली (बी)ड	485.95*	536.1
31 मार्च (ए-बी) की स्थिति के अनुसार अंतिम शेष	21992.41	22478.36

* इसमें ₹ 149.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 128.70 करोड़) के नियमित बट्टे खाते में डालने के लिए रूपांतरण शामिल है, इसीजीसी दावा विनियोग राशि ₹ 19.13 करोड़ है.

e) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
कुल अस्ति	शून्य	शून्य
कुल एनपीए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

एफ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण:

आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार, बैंक ने अपने 7 उधारकर्ताओं के लिए ₹4348.68 करोड़ के कुल एक्सपोजर के लिए समाधान योजनाएं लागू की हैं. 31.03.2022 को ऐसे हल किए गए खातों में कुल बकाया राशि ₹2457.99 करोड़ थी.

जी) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण (एसएमए)

1. इस दौरान हस्तांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋण (एसएमए) का विवरण:

(राशि ₹ करोड़ में)

सभी राशि ₹ करोड़ में	ए आर सी			अनुमत हस्तांतरण के लिए			अन्य स्थानान्तरण के लिए		
	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋण का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋण की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋण का शुद्ध बही मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. वर्ष के दौरान अर्जित ऋण (एसएमए) का विवरण :

(राशि ₹ करोड़ में)

(सभी राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से			एआरसी से		
	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एच) ऋण के हस्तांतरण (एनपीए) एक्सपोजर का प्रकटीकरण :

1. इस दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) का विवरण::

(राशि ₹ करोड़ में)

सभी राशि ₹ करोड़ में	ए आर सी			अनुमत हस्तांतरण के लिए			अन्य स्थानान्तरण के लिए		
	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
खातों की संख्या	शून्य	1	9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋण का कुल मूलधन बकाया	शून्य	41.91	725.95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋण की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	34 माह	36 माह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋण का शुद्ध बही मूल्य	शून्य	0.00	153.90	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	13.21	270.11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	327.93	8.97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- शेष अवधि की गणना स्थानांतरित किए गए 9 खातों के साधारण औसत को लेकर की जाती है

2. वर्ष के दौरान अर्जित ऋण (एनपीए) का विवरण :

(राशि ₹ करोड़ में)

(सभी राशि ₹ करोड़ में)	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से			एआरसी से		
	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

i) हस्तांतरित या अर्जित मानक आस्तियों का विवरण :

i. हस्तांतरित मानक आस्तियों का विवरण :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
1. वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
3. भारित औसत परिपक्वता	शून्य	शून्य	शून्य
4. भारित औसत धारण अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
5. लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारणा	शून्य	शून्य	शून्य
6. मूर्त प्रतिभूति कवरेज का कवरेज	शून्य	शून्य	शून्य
7. रेटेड ऋणों का रेटिंग वार वितरण	शून्य	शून्य	शून्य

जे) असाइनमेंट/नवीकरण और ऋण भागीदारी के माध्यम से अर्जित मानक आस्तियों का विवरण

i. पूल बायआउट

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
1. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	89604	162184	336364
2. कुल बकाया	817.86	1315.95	2404.40
3. भारित औसत परिपक्वता (महीनों में)	19.35	19.46	130.06
4. भारित औसत धारण अवधि	3.20	3.86	17.50
5. लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारणा	10%	10%	10%
6. मूर्त प्रतिभूति कवरेज का कवरेज	100%	100%	100%
7. रेटेड ऋणों का रेटिंग वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ii. को-लेंडिंग

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
1. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	6369	13272	शून्य
2. कुल बकाया	585.93	1500.21	शून्य
3. भारित औसत परिपक्वता (महीनों में)	204.00	204.00	शून्य
4. भारित औसत धारण अवधि	0.00	0.00	शून्य
5. लाभकारी आर्थिक हितों की अवधारणा	20%	20%	शून्य
6. मूर्त प्रतिभूति कवरेज का कवरेज	100%	100%	शून्य
7. रेटेड ऋणों का रेटिंग वार वितरण	NA	NA	शून्य

के) धोखाधड़ी खाते

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2015-16/376/डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2016-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार धोखाधड़ी और प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए कुल 1243 धोखाधड़ी के मामलों में ₹ 773.33 करोड़ (पिछले वर्ष 1026 मामलों में 4518.31 करोड़ रुपये), की राशि सम्मिलित थी. 31 मामलों में 758.34 करोड़ धोखाधड़ी के रूप में घोषित अग्रिमों को दर्शाता है. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में 31 मार्च, 2022 तक बकाया राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है. उसी का विवरण इस प्रकार है

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2022	31.03.2021
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	1243	1026
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)	773.33	4518.31
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	773.33	4518.31
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	0	0

एल) 31.03.2022 को समाधान ढांचे 1.0 और 2.0 के तहत पुनर्निर्चित खातों के संबंध में प्रकटीकरण

उधारकर्ता का प्रकार	(राशि ₹ करोड़ में)				
	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर-पिछली छमाही के अंत में स्थिति (ए) **	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में स्लिप हुआ	(ए) का छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) को छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि***	इस छमाही के अंत में समाधान योजना-स्थिति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर
व्यक्तिगत ऋण #	1948.63	18.93	NIL	42.29	1887.41
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	3480.23	851.82	NIL	576.06	2052.35
जिनमें से एम एस एम ई	466.24	7.47	NIL	61.05	397.72
अन्य	3055.60	135.54	-	193.37	2726.69
कुल	8484.46	1006.29	NIL	811.72	6666.45

*जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है डडइसमें वे खाते शामिल हैं जहां अनुरोध 30 सितंबर, 2021 तक प्राप्त हुआ और बाद में लागू किया गया. प्रकटीकरण में ग्राहक-वार एक्सपोजर लिया गया है.

***इस अवधि के दौरान एक्सपोजर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है.

#व्यक्तिगत ऋण, खुदरा अग्रिमों का प्रतिनिधित्व करता है.

Disclosure of restructured accounts :

31 मार्च, 2022 को पुरसंचित खातों का प्रकटीकरण																					
बैंक का नाम: सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया																					
क्र. पुनर्गठन का प्रकार →																					
स.																					
सीडीआर व्यवस्था के तहत																					
एसएमई ऋण पुनर्गठन व्यवस्था के तहत																					
अन्य																					
कुल																					



एम) भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी 2019, डीओआर नं. बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और आरबीआई/2020-21/ 17 डीओआर नंबर बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार "एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत या तो छूट प्राप्त या माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत), एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण 31 मार्च, 2022 को इस प्रकार है

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि करोड़ में
29838	2808.24

* बैंक ने मानक पुनर्चित खातों पर 0.5% और 10.00% जो भी अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखा है.

एन) एनसीएलटी प्रावधानों के संबंध में प्रकटीकरण:-

खातों के लिए आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर संख्या बीपी 15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर संख्या बीपी.1906/21.04.048/2017-18 के अनुसार क्रमशः 23 जून 2017 और 28 अगस्त 2017 दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत, बैंक के पास 31 मार्च, 2022 तक कुल ₹ 6406.10 करोड़ (₹ 127.90 करोड़ के एफआईटीएल सहित) @ (निवेश सहित कुल बकाया का 100%) का प्रावधान है.

ओ) दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/ 2018-19/203 डीबीआर, सं.बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 को दबावग्रस्त संपत्ति के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर संकल्प योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें आरबीआई के इस परिपत्र के पैरा 17 के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकताएं भी शामिल हैं. 31 मार्च, 2022 को ऐसे मामलों में बकाया ₹1757.84 करोड़ है और उपरोक्त आरबीआई परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹435.37 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है और 31 मार्च 2022 तक कुल ₹1092.32 करोड़ का प्रावधान रखा है.

पी) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) :

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2022	31.03.2021
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	14.84	16.55
शुद्ध एनपीए से निवल अग्रिम	3.97	5.77
प्रावधान कवरेज अनुपात	86.69	82.54

पीसीआर (तकनीकी बट्टे खाते में डालने सहित) 86.69% (पिछले वर्ष 82.54%) रहा.

पीसीआर (तकनीकी राइट ऑफ को छोड़कर) 76.29% (पिछले वर्ष 69.13%) पर रहा.

क्यू) आईएलएफएस संस्थाओं के संबंध में प्रकटीकरण

आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/175 बीआर.बीपी.बीसी.सं.37/21.04.048/2018-19 दिनांक 24.04.2019 के अनुसार 31.03.2022 को स्थिति इस प्रकार है

(राशि ₹ करोड़ में)

बकाया राशि	(1) में से, एक्सपोजर की कुल राशि जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए है और एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं है.	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान	वास्तविक प्रावधान	विवरण
1	2	3	4	5
193.31	0	193.31	193.31	ILFS FIN CP
16.49	0	16.49	16.49	ILFS EQ
2.47	2.47	1.36	1.36	New TIRUPUR
212.27	2.47	211.16	211.16	कुल

आर) नर्सिंग/पुनर्वास/पुनर्गठन कार्यक्रम के तहत और संदिग्ध/हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों सहित रुग्ण हो गई इकाइयों को अग्रिम, मूल्यांकनकर्ताओं के आधार पर पहले या दूसरे प्रभार वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य की सीमा तक सुरक्षित/ वसूली योग्य माना गया है. बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों/संपत्तियों का आकलन और बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़े उपलब्ध है.

एस) प्रतिचक्र्रीय प्रावधान बफर

(राशि ₹ करोड़ में)		
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
ए प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि	47.34	47.34
बी लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्र्रीय प्रावधानों की मात्रा	-	-
सी लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि.	47.34	-
डी प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में अंतिम शेषराशि	शून्य	47.34

टी) अस्थायी प्रावधान बफर

(राशि ₹ करोड़ में)		
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
ए प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष राशि	100.56	100.56
बी लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्र्रीय प्रावधानों की मात्रा	-	-
सी लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि.	100.56	-
डी प्रतिचक्र्रीय प्रावधान खाते में अंतिम शेषराशि	शून्य	100.56

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने ₹ 100.56 करोड़ की शेष अस्थायी प्रावधान राशि और ₹ 47.34 करोड़ की प्रतिचक्र्रीय प्रावधान राशि को खराब और संदिग्ध प्रावधान खातों में स्थानांतरित कर दिया है.

यू) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)		
सामग्री	31.03.2022	31.03.2021
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1541.08	1029.83

*पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है.

वी) बड़े एक्सपोजर ढांचे पर प्रकटीकरण:

जिन खातों में बैंक ने टियर-1 पूंजी पर आधारित किसी व्यक्ति और समूह खाते के संबंध में बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को पार कर लिया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है: -

प्रतिपक्षकारों के लिए बड़े एक्सपोजर (एकल और साथ ही जुड़े प्रतिपक्षकारों के समूह) बैंक के पात्र पूंजी आधार. (31.03.2022 तक टियर I पूंजी ₹17,049.44 करोड़)

(राशि ₹ करोड़ में)				
क्र सं	उधारकर्ता/ग्राहक नाम *	क्या कनेक्टेड काउंटर पार्टियों के सिंगल (एस) या ग्रुप (जी) हैं	एक्सपोजर राशि	टियर I पूंजी के % के रूप में एक्सपोजर ₹17,049.44 करोड़
			शून्य	

डब्ल्यू) अमूर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित ऋणों और अग्रिमों का विवरण अर्थात्. अधिकार लाइसेंस प्राधिकरण आदि जो अनुसूची -9 में असुरक्षित के रूप में दिखाया गया है:

	31.03.2022	31.03.2021
अमूर्त सुरक्षा जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार के खिलाफ अग्रिम को असुरक्षित माना जाता है	शून्य	शून्य
अमूर्त प्रतिभूति का मूल्य	शून्य	शून्य
बैंकों द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)	शून्य	शून्य
अमूर्त प्रतिभूति का मूल्य	शून्य	शून्य
असुरक्षित अग्रिम	शून्य	शून्य

5. एक्सपोजर

ए) रियल स्टेट में एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)		
श्रेणी	31.03.2022	31.03.2021
ए) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(i) आवासीय मार्गेंज	29376.53	30440.75
(i) आवासीय संपत्ति पर बंधक के द्वारा पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है. (व्यक्तिगत आवास प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने में पात्र है उन्हें अलग से बताया जाएगा) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	(13484.79)	(17974.42)
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मार्गेंज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अग्रग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि)	1696.14	3197.55
(iii) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएँ भी शामिल होगी. मार्गेंज आधारित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश		
- आवासीय	0.00	0.00
- वाणिज्यिक स्थावर संपदा	184.50	112.83
(बी) अप्रत्यक्ष निवेश		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश	2048.40	2644.62
(ii) कोई अन्य अप्रत्यक्ष एक्सपोजर – कृपया उल्लेख करें #	0.00	0.00
कुल रियल स्टेट में एक्सपोजर	19820.78	18421.33

बी. पूंजी बाजार एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)		
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है.	408.71	444.81
ii) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम	1.58	1.63
iii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है.	0.00	0.00
(iv) शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम यानी जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा निधि अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है. डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों यानी जहाँ शेयर / परिवर्तनीय बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं करती है.	28.73	0.00



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
(v) स्टॉक ब्रोकर्स को रक्षित और अरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटीया.	292.35	218.02
vi) कॉरपोरेट को शेयर/ बॉण्डों /डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों के प्रत्यक्ष के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण.	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामोदारी प्रतिबद्धताएं	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	0.00	0.00
x) जोखिम पूंजी निधी सम्बंधित सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	471.22	490.17
पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	1,202.59	1,154.63

सी. जोखिम श्रेणी-वार देशीय एक्सपोजर

जोखिम श्रेणी	31 मार्च (2022) को एक्सपोजर (शुद्ध)	31 मार्च (2022) को धारित प्रावधान	31 मार्च (2021) को एक्सपोजर (शुद्ध)	31 मार्च (2021) को धारित प्रावधान
नगण्य	15300.57	शून्य	550.74	शून्य
निम्न	351.35	शून्य	725.76	शून्य
औसतन निम्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
औसत	3.76	शून्य	178.83	शून्य
औसतन उच्च	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उच्च	22.38	शून्य	3.40	शून्य
अत्यधिक	56.08	शून्य	1.61	शून्य
कुल	15734.15	शून्य	1460.34	शून्य

चूंकि विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में वर्ष के लिए बैंक का निवल निधिबद्ध एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% से कम है, इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है.

डी. अरक्षित अग्रिम

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बैंक के कुल अरक्षित अग्रिम	14416.76	10970
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है.	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

ई. फैक्ट्रिंग एक्सपोजर:

चूंकि विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में वर्ष के लिए बैंक का निवल निधिबद्ध एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% से कम है, इसलिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है.

एफ. इंटर-ग्रुप एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1099.69	761.28
शीर्ष -20 इंटर-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	1099.69	761.28
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए इंटर-ग्रुप-एक्सपोजर का प्रतिशत	0.40%	0.29%
इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई का विवरण यदि कोई हो	शून्य	शून्य

जी. अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर:

उपलब्ध वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं की घोषणा के आधार पर, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी. बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक जनवरी 15 नवंबर, 2014 और बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिमों को ध्यान में रखा है और तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए हैं. बैंक ने अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को भी ध्यान में रखा है और तदनुसार बैंक ने जोखिम कम करने के उपाय किए हैं. इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक ₹4.18 करोड़ का प्रावधान है.

श्रेणी	31.03.2022	31.03.2021
अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर	8118.03	9340.99
अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए धारित प्रावधान	4.18	3.53

एच. एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर सीमाएं:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के भीतर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था.

6. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए के संकेन्द्रण से संबंधित प्रकटीकरण:

ए. जमा का संकेद्रीकरण:

	(राशि ₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	12342.17	9631.66
बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	3.60%	2.92%

बी. अग्रिमों का संकेद्रीकरण**

	(राशि ₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
शीर्ष 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम (क्रेडिट एक्सपोजर)	32719.97	26799.69
कुल अग्रिम (क्रेडिट एक्सपोजर)	254575.14	239395.06
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	12.85%	11.19%

**आरबीआई मानदंडों के अनुसार प्रदर्शित क्रेडिट एक्सपोजर

सी) एक्सपोजर का संकेद्रीकरण**

	(राशि ₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	34890.24	29346.87
कुल एक्सपोजर	273978.20	261162.02
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत	12.73%	11.24%

**प्रदर्शित क्रेडिट एवं निवेश एक्सपोजर

डी) एनपीए का संकेद्रीकरण

	(राशि ₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2022	31.03.2021
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	13962.04	14689.57
कुल सकल एनपीए में शीर्ष बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत	27.84	28.38

7. डेरिवेटिव्स

ए) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

		(राशि ₹ करोड़ में)	
क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	3530.00	1305.00
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि	2.90	0.00
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेद्रीकरण	महत्वपूर्ण नहीं है	महत्वपूर्ण नहीं है
v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	2.90	-3.78

बी. वायदा दर करार/मुद्रा दर स्वैप

		(राशि ₹ करोड़ में)	
क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	0.00	351.48
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि	0.00	3.78
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेद्रीकरण	महत्वपूर्ण नहीं है	महत्वपूर्ण नहीं है
v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	0.00	3.78

सी) विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स

		(राशि ₹ करोड़ में)	
क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	वर्ष के दौरान विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च 2022 को बकाया विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स का दैनिक बाजार मूल्य (लिखत वार)	शून्य	शून्य

डी) विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स

		(राशि ₹ करोड़ में)	
क्र.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	वर्ष के दौरान विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स का काल्पनिक मूलधन		
	ए) मुद्रा वायदा	133.93	8992.53
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00
ii)	31 मार्च 2022 तक बकाया विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स का काल्पनिक मूलधन		
	ए) मुद्रा वायदा	0.00	65.80
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00
iii)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल राशि (प्रलेख वार)		
	ए) मुद्रा वायदा	0.00	0.00
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00
iv)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का दैनिक बाजार मूल्य (लिखत वार)		
	ए) मुद्रा वायदा	0.00	2.15
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00

e) गुणात्मक प्रकटीकरण

जोखिम

बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स के साथ-साथ ब्याज दर फ्यूचर्स और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स में भी डील करता है। बैंक द्वारा निपटाए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप हैं। बैंक द्वारा निपटाए गए मुद्रा डेरिवेटिव यूएसडी, आईएनआर और क्रॉस करेंसी स्वेप हैं। बैंक के ग्राहकों को उनके एक्सपोजर को हेज करने के लिए उत्पादों की पेशकश की जाती है और बैंक ऐसे एक्सपोजर को कवर करने के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों में भी प्रवेश करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव का उपयोग व्यापार के साथ-साथ बैलेंस शीट मदों की हेजिंग दोनों के लिए किया जाता है।

- व्युत्पन्न लेनदेन में बाजार जोखिम होता है अर्थात्, ब्याज दरों/विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव और क्रेडिट जोखिम के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाली संभावित हानि यानी बैंक को संभावित नुकसान यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स के लिए नीति" बाजार जोखिम मानदंड (नुकसान सीमा, कट-लॉस ट्रिगर, खुली स्थिति सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि के साथ-साथ ग्राहक पात्रता मानदंड (क्रेडिट रेटिंग, कार्यकाल की अवधि) निर्धारित करती है। संबंध, सीमाएं और ग्राहक उपयुक्तता और नीति की उपयुक्तता (सीएस) आदि व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करने के लिए। क्रेडिट जोखिम को केवल नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिपक्षकारों के साथ व्युत्पन्न लेनदेन में प्रवेश करके नियंत्रित किया जाता है। प्रतिपक्षकारों की दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्षकार के साथ आईएसडीए समझौता करता है।
- बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की देखरेख करती है। बैंक का जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान करता है, मापता है, निगरानी करता है, इन जोखिमों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने में एल्को की सहायता करता है और नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीति निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट करता है।
- ब्याज दर स्वेप मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और देनदारियों की बचाव व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है।
- अधिकांश स्वेप अच्छी रेटिंग वाले काउंटरपार्टी बैंकों के साथ किए गए थे।
- व्युत्पन्न लेनदेन में स्वेप शामिल होते हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाता है। स्वेप को व्यापार या बचाव व्यवसाय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- व्युत्पन्न सौदे केवल उन्हीं अंतरबैंक प्रतिभागियों के साथ किए जाते हैं जिनके लिए प्रतिपक्ष जोखिम सीमा स्वीकृत की जाती है। इसी तरह, केवल उन्हीं कॉरपोरेट्स के साथ डेरिवेटिव सौदे किए जाते हैं जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत है। व्युत्पन्न लेनदेन के लिए संपाश्विक आवश्यकताएं मामला-दर-मामला आधार पर क्रेडिट प्रतिबंधों की शर्तों के एक भाग के रूप में निर्धारित की जाती हैं। ऐसी संपाश्विक आवश्यकताओं को सामान्य क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम कम करने के उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है।
- बचाव की स्थिति:
 - ब्याज दर स्वेप (आईआरएस) पर ब्याज व्यय/आय के कारण प्रोद्धवन को आय/व्यय के रूप में लेखा और मान्यता दी जाती है।
 - यदि स्वेप को परिपक्वता से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) हानि/लाभ और ऐसी तिथि तक प्रोद्धवन को आईआरएस पर भुगतान/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में शामिल किया जाता है।
- व्यापार स्थिति:
 - मुद्रा बायदा और ब्याज दर बायदा एमसीएक्स-एसएक्स (एमएसईएल) और एनएसई के विनिमय दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक आधार पर बाजार में चिह्नित किए जाते हैं।
 - एमटीएम लाभ/हानि को दैनिक आधार पर मार्जिन खाते में क्रेडिट/डेबिट द्वारा लेखा किया जाता है और इसे अंतिम निपटान में बैंक के लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है।
 - ट्रेडिंग स्वेप को लगातार अंतराल पर बाजार में चिह्नित किया जाता है। किसी भी एमटीएम नुकसान को बुक किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
 - स्वेप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उपरोक्त शीर्ष के तहत तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

i. दिनांक 31.03.2022 को संविदा व्यापारी और अंतर बैंक के अग्रेषित बकाया

	(राशि ₹ करोड़ में)
31.03.2022 तक बकाया	46821.84
बकाया व्यवस्था स्थिति	21920.47
व्यापार स्थिति पोजीशन	24901.37



i. गुणात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूल धन राशि)				
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए	21920	1200	6596	0
	बी) व्यापार के लिए दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति	24901	2330	64539	1305
ii)	दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति				
	ए) आस्ति (+)	664	17	558	9
	बी) देयता (-) ऋण एक्सपोजर	562	14	484	13
iii)	ऋण एक्सपोजर	936	353	1423	130
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी 01)	-	0.01	-	0.01
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्स	-	0.00	-	0.00
	बी) व्यापार पर डेरिवेटिव्स	-	0.01	-	0.01
v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100* पीवी 01 मनाया गया				
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	अधिकतम-0.04 न्यूनतम-0.01	-	अधिकतम-0.04 न्यूनतम-0.01
	बी) व्यापार पर	-	अधिकतम-0.04 न्यूनतम-0.01	-	अधिकतम-0.04 न्यूनतम-0.01

ii. उधार न्यूनता विनिमय

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 (पिछले वर्ष-शून्य) में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में कोई स्थिति नहीं ली है.

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जाएगी)	शून्य	शून्य
2	एसपीई की पुस्तकों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य
	ए) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	पहला नुकसान	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य
	बी) तुलनपत्र पर एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	पहला नुकसान	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	शून्य
	ए) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	i) स्वयं की प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	पहला नुकसान	शून्य	शून्य
	नुकसान	शून्य	शून्य
	ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर	शून्य	शून्य

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. विवरण सं.	31.03.2022	31.03.2021
पहला नुकसान	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
ए) तुलनपत्र पर एक्सपोजर	शून्य	शून्य
ग) स्वयं की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
पहला नुकसान	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
पहला नुकसान	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
5 प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6 नकदी सपोर्ट, पोस्ट-स्क्रियोरिटाइजेशन एसेट सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य).	शून्य	शून्य
7 प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन. कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि. प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें	शून्य	शून्य
(ए) भुगतान की गई राशि	शून्य	शून्य
(बी) चुकौती प्राप्त	शून्य	शून्य
मैं बकाया राशि	शून्य	शून्य
8 अतीत में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर. कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें	शून्य	शून्य
9 समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें.	शून्य	शून्य
10 निवेशकों की शिकायतें	शून्य	शून्य
(ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;		
(बी) बकाया शिकायतें		

*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी को यहां रिपोर्ट किया जा सकता है

9. ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित

(मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	31.03.2022	31.03.2021
घरेलू	शून्य	शून्य
विदेशी	शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. विवरण सं.	31.03.2022	31.03.2021
i) डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	837.35	536.14
ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	258.53	304.16
iii) घटाएं: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	10.15	2.95
iv) डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	1085.73	837.35

11. भारत सहित विश्व स्तर पर कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप के कारण आर्थिक गतिविधियों में मंदी आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है. कोविड-19 महामारी बैंक के वित्तीय परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं. अनिश्चितता को देखते हुए, कोविड-19 महामारी के कारण, बैंक भविष्य में किसी भी भौतिक परिवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है, जो कि विकास के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है.

12. शिकायतों का प्रकटीकरण:

ए) ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालयों से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी :

(राशि ₹करोड़ में)

क्र. विवरण सं.	31.03.2022	31.03.2021
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1 वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	162	425
2 वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	28413	23812
3 वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	28191	24075
जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	0	0
4 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	384	162
लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें		
5 लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	5911	5383
5.1 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	5543	4017
5.2 5 में से, ओम्बड्समैन के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	367	1021
5.3 5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	01	02
6 निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों के अलावा)	0	0

नोट: अनुरक्षण योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (पहले बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।

बी) एटीएम लेनदेन से संबंधित ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतें:

(राशि ₹करोड़ में)

क्र. विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1 वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	4219	9865
2 वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	155153	190146
3 वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	158833	195792
जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	27819	21442
4 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	539	4219

सी) सेन्ट्रल कार्ड लेनदेन से संबंधित बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतें:

(राशि ₹करोड़ में)

क्र. विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1 वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	0
2 वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	0	2354
3 जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	0	2354
4 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

डी) बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के मुख्य पांच आधार:

शिकायतों के आधार (अर्थात संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि / कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक की शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
31.03.2022					
एटीएम लेनदेन	4219	155153	(-) 18.40	539	0
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	3	1650	(-) 33.60	8	0
शाखा आदि में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं.	3	2062	(-) 3.87	22	0
खाता खोलने/खाता-सामान्य बैंकिंग के संचालन में कठिनाई	2	1529	(-) 13.57	7	0
ऋण और अग्रिम	2	666	(+) 20.87	6	0
अन्य	152	22506	(+) 33.47	341	0
कुल	4381	183566		923	0
31.03.2021					
एटीएम लेनदेन	9865	190146	(-) 34.16	4219	0
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	25	2485	(+) 113.85	3	0
शाखा आदि में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं.	17	2145	(+) 64.49	3	0
खाता खोलने/खाता-सामान्य बैंकिंग के संचालन में कठिनाई	17	1769	(+) 94.61	2	0
ऋण और अग्रिम	8	551	(+) 89.34	2	0
अन्य	358	16862	(+) 46.09	152	0
कुल	10290	213958		4381	

ई) निवेशकों की शिकायतें:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित	0	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	3	2
3	वर्ष के दौरान निवारण	3	2
4	वर्ष के अंत में लंबित	0	0

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

i. भारिबैंक द्वारा लगाया गया जुर्माना

- ए) उप-धारा (4) के खंड (i) के साथ पठित धारा 47(ए) की उप-धारा (1) के खंड (सी) के संदर्भ में ₹0.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹करोड़) का जुर्माना लगाया है. ग्राहकों के खातों में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि को क्रेडिट करने में विफल (शैडो रिवर्सल) के विवादास्पद के साथ गैर-अनुपालन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 और धारा 51 की धारा (1).
- बी) अधिनियम की धारा 41 (ए) की धारा (1) के खंड (सी) के संदर्भ में ₹1.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹शून्य करोड़) का जुर्माना लगाया है , धारा (4) के खंड (i) के साथ पढ़ें, निदेशक की समानता के बावजूद, ऋण की गारंटी के लिए उधारकर्ता कंपनी के साथ प्रतिबद्धता में प्रवेश करने वाले अधिनियम की धारा 20 (1) के विपरीत संस्करण के लिए अधिनियम की धारा 51 की धारा 46 और उप-धारा (1).
- सी) कुछ आवास ऋण खातों पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 03.09.2013 का अनुपालन न करने के कारण हमारे बैंक पर ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.50 करोड़) का जुर्माना लगाया है .
- डी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47(1) (ए) के संदर्भ में मुद्रा तिजोरी संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक नियमों के गैर अनुपालन पर ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.31 करोड़) का जुर्माना लगाया है. *
- *जैसा कि प्रबंधन द्वारा अनुपालन किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है.
- ई) वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा लगाया गया दंड - भारत

पूर्व संस्करण एफआईयू-इंडिया ने एफआईयू-इंडिया आदेश दिनांक 23-12-2020 के अनुसार अलर्ट नंबर 5, आम चुनाव (लोकसभा) -2019 के तहत रिपोर्ट -1 और रिपोर्ट -2 प्रस्तुत करने में देरी के लिए 0.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. उक्त दंड का भुगतान बैंक द्वारा 15 जनवरी 2021 को किया गया था. चूंकि इस वर्ष कोई दंड नहीं है, इसलिए इसे शून्य माना जा सकता है.

14. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
		31.03.2022	31.03.2021
श्री एम वी राव (01.03.2021 से प्रभावी)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.32	0.02
श्री पल्लव महापात्र (28.02.2021 तक)	प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.00	0.94
श्री बी एस शेखावत (08.10.2020 तक)	कार्यकारी निदेशक	0.00	1.30
श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक	0.29	0.27
श्री विवेक वाही (10.03.2021 से प्रभावी)	कार्यकारी निदेशक	0.27	0.01
श्री राजीव पुरी (10.03.2021 से प्रभावी)	कार्यकारी निदेशक	0.28	0.01
कुल		1.16	2.55

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एस - 18 - "संबंधित पार्टि प्रकटीकरण" के पैरा 9 के अनुरूप , सहायक और सहयोगी उद्यमों के साथ लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित राज्य नियंत्रित उद्यम. के साथ लेनदेन से संबंधित कोई भी प्रकटीकरण करने से छूट देता है.

इसके अलावा, एस-18 के पैरा 5 के संदर्भ में केएमपी और केएमपी के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है.

15. अन्य प्रकटीकरण

i. व्यवसायिक अनुपात

क्र. मदें सं.		31.03.2022	31.03.2021
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	6.65 %	6.67%
(ii)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय **	0.87%	0.91%
(iii)	जमा की लागत	3.86 %	4.35%
(iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन **	3.21 %	2.78%
(v)	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ ***	1.67%	1.34%
(vi)	आस्ति पर प्रतिफल ***	0.30%	(0.26)%
(vii)	व्यवसाय (जमा और अग्रिम) प्रति कर्मचारी **** (₹ करोड़ में)	17.15 करोड़	15.60 करोड़
(viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	0.03	-0.03

* वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के लिए फॉर्म X और शहरी सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म IX में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई कुल संपत्ति (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के औसत के रूप में गणना की जाने वाली कार्यशील निधि.

** शुद्ध ब्याज आय/औसत आय परिसंपत्तियां. शुद्ध ब्याज आय ब्याज आय - ब्याज व्यय

*** आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों के संदर्भ में होगा (अर्थात संचित हानियों को छोड़कर कुल संपत्ति, यदि कोई हो)

**** प्रति कर्मचारी व्यवसाय की गणना के प्रयोजन के लिए (जमा और अग्रिम), अंतर-बैंक जमा को छोड़कर

ii. बैंकएश्योरेंस व्यवसाय:

उनके द्वारा किए गए बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्क/ब्रोकरेज का विवरण चालू वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए प्रकट किया जाएगा.

बैंकएश्योरेस व्यवसाय के संबंध में प्राप्त शुल्क/ब्रोकरेज निम्नानुसार है:

विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
जीवन	97299	63.75	78385	50.78
गैर-जीवन	239907	10.61	273976	11.59
कुल	337206	74.36	352361	62.37

iii. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों के संबंध में प्रकटीकरण

सेक्टर	कृषि		सामान्य		सूक्ष्म		लघु एवं मध्यम कृषक		कुल मात्रा	कुल लाभ/
माह	मात्रा (₹ करोड़)	लाभ/ (हानि)	मात्रा (₹ करोड़)	लाभ/ (हानि)	मात्रा (₹ करोड़)	लाभ/ (हानि)	मात्रा (₹ करोड़)	लाभ/ (हानि)	(₹ करोड़)	(हानि)
21 जून 21	-	-	(8000.00)	79.96	--	-	(2000.00)	54.78	(10000.00)	134.74
01 सितम्बर 21	-	-	(2500.00)	22.10	-	-	(2500.00)	52.26	(5000.00)	74.36
21 मार्च 22	-	-	-	-	-	-	(528.00)	0.53	(528.00)	0.53
	-	-	(10500.00)	102.06	-	-	(5028.00)	107.57	(15528.00)	209.63

नोट: (-ve) ऋण पीएसएलसी जी बिक्री का संकेत तथा (+v) पीएसएलसी की खरीद का संकेत देता है। उपरोक्त श्रेणियों के पीएसएलसी के लिए कमिशन दर 0.10% से 2.85% तक है।

iv. डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

		(राशि ₹ करोड़ में)	
लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए प्रावधान	31.03.2022	31.03.2021	
i) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	448.98	429.35	
ii) डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	-	-	

v. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय परिशोधन पर प्रकटीकरण :-

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या: आरबीआई/2021-22/105 डोरासीसी.आरईसी.57/21.04.01/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के माध्यम से बैंकों को कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के साथ शुरू होने वाले 5 (पांच) वर्षों से अधिक की अवधि में, हर साल खर्च की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 वां हिस्सा को परिशोधित करने की अनुमति दी है। बैंक द्वारा प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता ₹.82,195.00 लाख आ गई है। बैंक ने आरबीआई के उक्त परिपत्र के अनुसार परिशोधन का विकल्प चुना है और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में ₹82,195.00 लाख में से ₹54,452.00 लाख की राशि का शुल्क लिया है। ₹ 27,743.00 लाख को अगले वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ पर परिशोधित पेंशन देयता का परिणामी प्रभाव ₹18,048.00 लाख (करोड़ों का निवल) है।

vi. बहियों समतुलन / मिलान:

a) बैंक अंतर कार्यालय समायोजन (आईबीआर) खाते में शामिल खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया शेष/प्रविष्टियों का मिलान करने की प्रक्रिया में है।

31 मार्च, 2022 को आईबीआर खाते का शुद्ध शेष ₹19.01 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) है और 31 मार्च, 2021 को ₹10.30 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) है।

बी) निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है:

- अंतर शाखा कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- उचत खाते
- समाशोधन और अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते

- एटीएम विभाग से संबंधित शेष राशि
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते और अन्य बैलेंस
- कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डेटा/सिस्टम अद्यतन
- जीएसटी
- अचल संपत्ति
- अन्य परिसंपत्तियां
- अन्य देनदारियां

प्रबंधन का मत है कि इनका खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा।

16. आयकर :

- ए) विवादित मुद्दों पर प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया जाता है।
- बी) अन्य परिसंपत्तियां (अनुसूची 11 (ii) में मूल बैंक की विवादित आयकर देयता के लिए ₹2405.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1771.51 करोड़) शामिल हैं। इसमें बैंक और आयकर विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर आयकर अपीलें शामिल हैं। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और बैंक के अपने मामले में अनुकूल निर्णयों के आधार पर बैंक द्वारा कराधान की विवादित राशि का प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है। 31 मार्च 2022 तक विवादित सेवा कर मामला ₹7.64 करोड़ का है।
- सी) भारत सरकार ने 20 सितंबर, 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के तहत आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में धारा 115बीए को सम्मिलित किया है जो घरेलू कंपनियों को कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। कुछ शर्तों के अधीन 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी। बैंक ने अधिनियम की प्रयोज्यता का आकलन किया है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा कर दर (अर्थात 34.944%) को जारी रखने का विकल्प चुना है।

17. परिसर:

- ए) बैंक द्वारा पट्टे पर लिए गए परिसरों में ₹1.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.45 करोड़) की सम्पत्ति शामिल है, जिसके पंजीकरण की औपचारिकाएँ अभी भी प्रक्रियाधीन हैं।
- बी) दिनांक 31.03.2021 को बैंक के परिसर को बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकन की मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर इनके बाजार मूल्य को पुनर्मूल्यांकित किया गया है और इसे निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया है तथा इसके मूल्य में रु.881.96 करोड़ की वृद्धि हुई है और इसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया है।
- सी) ऐसी आस्तियां, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यहास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है। पुनर्मूल्यांकित राशि ₹54.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹58.85 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यहास की राशि को "पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि" में जमा किया गया है।
- डी) बैंक द्वारा लीज पर प्राप्त भूमि में ₹8.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.02 करोड़) शामिल हैं, जिनका लिखित मूल्य शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) है, जिसकी लीज अवधि समाप्त हो गई है और बैंक का कार्यालय/भवन अभी भी चालू है। इन जमीनों और लीज नवीनीकरण के लिए अधिकारियों के साथ विचार कर रहे हैं।
18. भारतीय रिज़र्व बैंक के डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसंबर, 1988 दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंटर-बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट (आईबीपीसी) ₹शून्य काउधार दिया गया है। तदनुसार, इन्हें बैंक के अग्रिमों से समायोजित किया गया है। इन उधारों के एवज में ₹शून्य की ब्याज आय को मान्यता दी गई है।
19. पुराने नोस्ट्रो/मिरर क्रेडिट प्रविष्टियों से जुड़े अवरूद्ध खातों की राशि को क्रिस्टलीकरण की तिथि को विनिमय दर का उपयोग कर परम्परागत लागत पर हटाया गया।
- बैंक 8 विभिन्न मुद्राओं के लिए 15 नोस्ट्रो खातों का रखरखाव करना है। ये नोस्ट्रो खाते एक 'ए' श्रेणी की शाखा (एकीकृत ट्रेजरी शाखा) और बासठ 'बी' श्रेणी की शाखाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं।
- इन नोस्ट्रो खातों का मिलान एकीकृत कोषालय शाखा द्वारा किया जाता है। मिलान एक सतत प्रक्रिया है और दैनिक आधार पर की जाती है। नोस्ट्रो खातों में समायोजन और बकाया प्रविष्टियों पर प्रगति रिपोर्ट तिमाही अंतराल पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाती है।

20. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

- ए) लेखा मानक - 5 "अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें, और लेखा नीतियों में परिवर्तन"-
- वर्ष के दौरान, आय/व्यय मदों के अलावा कोई अन्य मामले नहीं थे।
 - पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

बी) लेखांकन मानक – 9

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति क्र. डी-1 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है। तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

सी) लेखांकन मानक -15 "कर्मचारी लाभ":

i) सुपरिभाषित लाभ योजनाएँ, कर्मचारी पेंशन योजना और उपदान योजना

बैंक द्वारा नियुक्त किए स्वतंत्र एक्ज्युअरी द्वारा उपचित मूल्यांकन के अनुसार सुपरिभाषित लाभ योजनाओं और उपदान योजना की स्थिति निम्नलिखित सारिणी में दी गई है।

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेजुइटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)
सुपरिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2021 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व का प्रारंभ शेष	15557.68	15421.82	1726.67	1623.23
चालू सेवा लागत	82.63	78.11	100.62	82.83
व्याज लागत	1012.96	1000.65	103.25	101.61
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	821.95	0.00	0.00	0.00
उपचित हानियां (लाभ)	301.95	598.99	100.23	244.23
भुगतान किया गया लाभ	(1539.75)	(1541.90)	(300.56)	(325.23)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2022 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व का अंतिम शेष	16237.43	15557.68	1730.20	1726.67
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2021 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभिक शेष	15198.05	14939.64	1534.62	1720.32
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1074.53	1037.01	98.93	106.55
नियोक्ता द्वारा अंशदान	976.98	487.00	252.11	0.00
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(1539.75)	(1541.90)	(300.56)	(325.24)
योजना आस्तियों पर वास्तविक(लाभ)/हानि	98.07	276.30	45.41	32.99
31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	15807.88	15198.05	1630.51	1534.62
तुलन पत्र में अभिचिह्नित राशि				
31 मार्च 2022 को निधिबद्ध दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,237.43	15,557.68	1,730.20	1,726.67
31 मार्च, 2022 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	-15,807.88	-15,198.05	-1,630.51	-1,534.62
गैर परिलक्षित सेवा लागत	-277.43	0.00	0.00	0.00



(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेजुइटी योजना	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)
कमी/(आधिक्य)	152.12	359.63	99.69	192.05
शुद्ध देयता/(आस्ति)	152.12	359.63	99.69	192.05
लाभ एवं हानि खाते में अभिचिह्नित शुद्ध लागत				
चालू सेवा लागत	82.63	78.11	100.62	82.84
पिछली सेवा लागत-मान्यता प्राप्त	544.52	0.00	0.00	0.00
व्याज लागत	1,012.96	1,000.65	103.25	101.61
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-1,074.53	-1,037.01	-98.93	-106.55
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित शुद्ध उपचित हानियां/(लाभ)	203.88	322.69	54.82	211.24
अनुसूची 16 'कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान' में शामिल सुपरिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत	769.47	364.45	159.76	289.14
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल एवं वास्तविक प्रतिफल का मिलान				
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1,074.53	1,037.01	98.93	106.55
योजना आस्तियों पर उपचित लाभ/(हानि)	98.07	276.30	45.41	32.99
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1,172.60	1,313.31	144.34	139.54
तुलन पत्र में अभिचिह्नित शुद्ध देयता/(आस्ति) का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान				
1 अप्रैल 2021 को शुद्ध देयता/(आस्ति) का प्रारंभिक शेष	359.63	482.18	192.05	(97.09)
लाभ एवं हानि खाते में अभिचिह्नित खर्चे	769.47	364.45	159.76	289.14
कर्मचारियों का अंशदान	(976.98)	(487.00)	252.11	0.00
तुलन पत्र में अभिचिह्नित शुद्ध देयता/(आस्ति)	152.12	359.63	99.69	192.05

दिनांक 31 मार्च, 2022 को पेंशन निधियों एवं उपदान निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं -

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	उपदान निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	0.62	2.39
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	21.50	39.46
ऋण प्रतिभूतियां, मनी मार्केट प्रतिभूतियां एवं बैंक जमाराशियां	22.91	39.23
म्यूचुअल निधियां	2.29	1.92
बीमित प्रबंधित निधियां	52.68	15.62
अन्य	0.00	1.38
कुल	100.00	100.00

विवरण	पेंशन योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)
प्रमुख बीमांकिक अनुमान		
बढ़ाकृत दर	7.25	6.85
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर	7.25	6.85
वेतन बढ़ोत्तरी दर	5.00	5.00
पेंशन बढ़ोत्तरी दर	4.00	4.00
संघर्षण दर	2.50	2.50
मृत्यु दर	आईएलएम(2012-14)	

विवरण	उपदान योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)
प्रमुख बीमांकिक अनुमान		
बढ़ाकृत दर	6.90	6.55
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर	6.90	6.55
वेतन बढ़ोत्तरी दर	5.00	5.00
संघर्षण दर	2.50	2.50
मृत्यु दर	आईएलएम(2012-14)	

योजना में आधिक्य/कमी

उपदान योजना	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
वर्ष के अंत में देयता	1,741.56	1,648.13	1,623.23	1,726.66	1,730.20
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,124.94	1,878.26	1,720.32	1,534.62	1,630.51
अंतर	-383.38	-230.13	-97.09	192.04	99.69
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	-383.38	-230.13	-97.09	192.04	99.69

अनुभव समायोजन	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
योजना देयताएं (हानि)/लाभ	(511.99)	(29.08)	(6.34)	249.60	145.94
योजना आस्ति हानि)/लाभ	14.57	(42.56)	(3.38)	32.99	45.41

योजना में आधिक्य/कमी

पेंशन योजना	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
वर्ष के अंत में देयता	13,821.17	14,245.10	15,421.82	15,557.67	16,237.43
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13,515.58	14,645.14	14,939.64	15,198.04	15,807.88
अंतर	305.59	-400.04	482.18	359.63	429.55
तुलन पत्र में गैर परिलक्षित राशि (पिछले सेवा लागत के संदर्भ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	277.43
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	305.59	-400.04	482.18	359.63	152.12
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि (पिछली सेवा लागत)	0.00	0.00	0.00	0.00	544.52



अनुभव समायोजन	समाप्त वर्ष				
तुलन पत्र में अभिचिह्नित राशि	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	1,029.93	422.24	12.65	2,279.00	847.41
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	263.51	(72.66)	346.19	276.30	98.07

अगले वर्ष के लिए पेंशन एवं उपदान निधि में अपेक्षित अंशदान क्रमशः ₹30.08 करोड़ तथा ₹76.50 करोड़ है।

ii. सुपरिभाषित अंशदान योजना :

बैंक के पास ऐसे सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू सुपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है, जिन्होंने बैंक में दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण किया है। यह योजना एनपीएस द्वारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथारिटी के तत्वावधान के अंतर्गत आती है। नेशनल सिविलीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एनपीएस हेतु सेन्ट्रल रिकार्ड कीर्पिंग एजेंसी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने ₹146.97 करोड़ (विगत वर्ष ₹103.67 करोड़)का अंशदान दिया है।

iii. दीर्घवधि कर्मचारी लाभ (अविविध दायित्व)

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 43.24 करोड़ (गत वर्ष ₹131.20 करोड़) के अवकाश नकदीकरण खर्चों का उपचित आधार पर मूल्यांकन किया है।

डी) लेखांकन मानक 17 -

खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/संपूर्ण बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय निर्धारण किया है। द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं: -

- ट्रेजरी
- कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- रिटेल बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और रिटर्न की प्रकृति के आधार पर बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली, प्राथमिक खंडों पर डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

i. ट्रेजरी -

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।

ii. कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग

कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खातों, ट्रस्ट / पार्टनरशिप फर्म कंपनियों और वैधानिक निकायों की उधार गतिविधियाँ शामिल हैं जो रिटेल बैंकिंग और स्ट्रेड एसट मैनेजमेंट ब्रांच के तहत शामिल नहीं हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

iii. खुदरा बैंकिंग

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को उधार गतिविधियाँ शामिल हैं। खुदरा बैंकिंग खंड में ₹5 करोड़ (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, जो अभिविन्यास उत्पाद ग्रैनुलैरिटी मानदंड और व्यक्तिगत एक्सपोजर के अधीन हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय -

उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड (एकल)											
व्यवसाय खंड	ट्रेजरी		कारपोरेट/ होलसेल बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल		
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	
विवरण											
आय	11,628.52	12,549.65	5,296.04	5,201.19	8,845.57	8,095.06	-	-	25,770.13	25,845.90	
परिणाम	2,536.03	4,004.01	291.52	(3,424.09)	(849.42)	(1,696.81)	-	-	1,978.13	(1,116.89)	
अनाबंटित व्यय									261.17	206.72	
परिचालन लाभ									1,716.96	(1,323.61)	
आय कर									672.13	(436.03)	
असाधारण लाभ /हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
शुद्ध लाभ									1,044.83	(887.58)	
अन्य सूचना											
खंड आस्तियां	197,643.37	192,414.73	65,074.66	60,023.68	1,08,689.45	100,504.58	-	-	3,71,407.48	352,942.99	
अनाबंटित आस्तियां									15,158.11	16,272.00	
कुल आस्तियां									3,86,565.59	369,214.99	
खंड देयताएं	191,840.34	197,847.45	62,615.86	54,166.02	1,04,582.69	90,696.43	-	-	3,59,038.89	3,42,709.90	
अनाबंटित देयताएं											
कुल देयताएं									3,59,038.89	342,709.90	

*जहां कहीं प्रत्यक्ष आवंटन संभव नहीं है वहाँ खंड राजस्व और व्यय की खंड सम्पत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है. वर्तमान वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, आंकड़ों को समूहीकृत किया गया है.



1) लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टि प्रकटीकरण – सम्बद्ध पार्टि सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

I. प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

नाम	पदनाम
i) श्री एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii) श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक
iii) श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक
iv) श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक

II. अनुषंगियाँ

नाम
i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
ii) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड

III. सहयोगी –

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)
ii) इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया

पारिश्रमिक विवरण के संबंध में संबंधित पार्टि प्रकटीकरण के संबंध में नोट संख्या 13 में उल्लेख किया गया है।

एफ) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है :

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध हानि. (₹ करोड़ में)	1044.83	(887.58)
भारित औसत इक्विटी शेयर (संख्या)	823,51,53,502	579,37,98,207
प्रति शेयर मूल आय (₹)*	1.27	(1.53)
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय(₹) *	1.27	(1.53)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)*	10	10

जी) लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीईटी 1 की परिगणना में आस्थागित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2022 को ₹6,862.05 करोड़ आस्थागित कर आस्तियों के रूप में अभिचिन्हित किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2022 को आस्थागित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)				
विवरण	आस्थागित कर आस्तियाँ		आस्थागित कर देयताएं	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
व्यवसाय हानि	1655.92	2278.67		
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	346.52	331.41		
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	5728.37	5810.18		
आयकर वापसी पर ब्याज	0	0.00	26.94	0.00
अर्जित ब्याज लेकिन निवेश पर देय नहीं	0	0.00	760.96	787.93
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0	0.00	34.94	34.94
अचल संपत्तियों पर ह्रास	0	0.00	45.90	51.71
योग	7730.80	8420.26	868.75	874.58
शुद्ध आस्थागित कर देयताएं	6862.05	7545.68		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2021-22 के लिए आस्थागित कर आस्तियों में शुद्ध बढ़ोतरी ₹683.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 71.12 करोड़) अभिचिन्हित की गई है।

एच) लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियाँ हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है। प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2022 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है। जिसे मान्य करने की आवश्यकता है।

आई) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर- लेखांकन मानक 29

ए)	31.03.2022	(राशि ₹ करोड़ में) 31.03.2021
लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषण		
निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास (शुद्ध)	646.74	356.57
एनपीए हेतु प्रावधान	2461.55	5175.89
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	-222.47	263.15
कर हेतु किए गए प्रावधान	672.13	-436.03
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान		76.49
अन्य प्रावधान	-1.57	30.00
कुल	4152.32	5466.07

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

बी. बैंकों द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र का विवरण और 31.03.2022 को बकाया राशि

	31.03.2022	(राशि ₹ करोड़ में) 31.03.2021
विवरण		
वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र	0	0
वर्ष के दौरान परिपक्व/निरस्त किया गया चुकौती आश्वासन पत्र	0	0
वर्ष के अंत में बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	0	0

सी. वह वेंडर्स जिनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है, उनका चयन एमएसएमई क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया जाता है। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

जे) सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/ 2010-11/ 494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं। इन नीतियों की प्रबंधन द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 30.03.2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी।

के) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 13 जून 2017 के पत्र के माध्यम से उच्च निवल अनर्जक आस्तियां(एनपीए) और परिसंपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न को देखते हुए बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई(पीसीए) के तहत रखा है। बैंक पीसीए ढांचे के मानदंडों का सावधानीपूर्वक पालन कर रहा है। बैंक ने एक कार्य योजना तैयार की है और एनपीए को कम करने और लाभप्रदता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

एल) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम सेठ
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते एस.जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सी.ए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सी.ए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सी.ए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीवी8382

(सी.ए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861



नकदी प्रवाह विवरण

मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	1,716.96	(1,323.61)
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	296.61	292.32
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	368.87	398.67
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	3,057.49	5,205.48
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(222.47)	263.15
	अन्य मदों (शुद्ध)के लिए प्रावधान	276.30	86.34
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि (शुद्ध)	(9.13)	21.00
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(8.01)	(6.48)
	उप योग	5,476.62	4,936.87
II	समायोजन के लिए:		
	जमाओं में वृद्धि (कमी)	12,718.99	16,209.78
	उधार में वृद्धि / (कमी)	2,005.72	(318.57)
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	1,826.75	(8,264.10)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(14,652.34)	(10,683.25)
	निवेश में (वृद्धि) / कमी	7,426.61	(6,464.03)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(819.48)	954.48
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	285.45	1,641.94
	उप योग	8,791.70	(6,923.76)
	परिचालनात्मक गतिविधियों में शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	14,268.32	(1,986.89)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री / निपटान	24.37	2.71
	अचल आस्तियों की खरीद	(157.67)	(203.11)
	सहयोगी /अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	8.01	6.48
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	-125.29	(193.92)

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	-	255.00
	शेयर आवेदन राशि	-	4,800.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	-	5,055.00
डी	निवल नकद में वृद्धि और नकद समकक्ष (ए + बी + सी) या (एफ - ई)	14,143.03	2,874.19
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबैंक में जमा शेष	32,187.84	30,059.82
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष	6,763.46	6,017.29
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष (ई)	38,951.30	36,077.11
एफ	वर्ष के समाप्ति में नकद और नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबैंक में जमा शेष	38,033.70	32,187.84
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष	15,060.63	6,763.46
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष (एफ)	53,094.33	38,951.30

टिप्पणियाँ:

- उक्त नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित किए अनुसार "अप्रत्यक्ष माध्यम" के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समाहित /पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक एम सेठ
निदेशक

श्री पी.जे.थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी
निदेशक

कृते एस.जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सी.ए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सी.ए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सी.ए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीबी8382

(सी.ए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861

मेसर्स **एस जयकिशन**
सनदी लेखाकार
12 हो ची मिन्ह, सूट 2डी, 2 (डी ई और एफ)
दूसरी मंजिल, कोलकाता - 700071

मेसर्स **ए एस के ए एंड कंपनी**
(पुराना नाम- अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अंबेडकर)
सनदी लेखाकार
501, मिराज आर्केड, गणेश मंदिर के सामने, ऑफ फड़के रोड,
डोम्बीवली (पूर्व) - मुंबई 421201

मेसर्स **छाजेड़ एंड दोशी**
सनदी लेखाकार
101, हबटाउन सोलारिस, एन एस फड़के मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुम्बई - 400063

मेसर्स **किशोर एंड किशोर**
सनदी लेखाकार
सी-7, सेक्टर ई (न्यू)
अलीगंज, लखनऊ- 226024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति, सदस्यगण

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
मुम्बई

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("मूल बैंक") की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षेप सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) जिसमें

- (ए) हमारे द्वारा मूल बैंक की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी
- (बी) 2 सहायक कंपनियों (1) सेंट बैंक होम फ़ाईनेन्स लिमिटेड और (2) सेंट बैंक फ़ाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित खाते एवं
- (सी) 3 सहयोगियों (1) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर (2) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूच बिहार एवं (3) इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड के अलेखापरीक्षित खाते की वित्तीय विवरणियां समाहित हैं।

उपरोक्त संस्थाओं को मूल बैंक के साथ आगे समूह के रूप में संदर्भित किया जाएगा

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी,

पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा आवश्यक जानकारी, इस तरह देते हैं जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, और

- ए) 31 मार्च 2022 को समूह के समेकित तुलन पत्र, उस पर किए गए नोट के साथ पढ़ा गया एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलनपत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, जिसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2022 को बैंक की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित किया जा सके
- बी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में शेष लाभ की सही स्थिति दर्शाता है।
- सी) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही और निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती और

अभिमत का आधार

2. हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है। नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र हैं, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

मामले का जोर

3. हम ध्यान आकर्षित करते हैं:

- ए) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 का नोट नं 5.14 ₹ 821.95 करोड़ की पारिवारिक पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में है। मूल बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 544.52 करोड़ की राशि का शुल्क लिया है और शेष असंशोधित व्यय को भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 ओआरएसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के अनुसार आगे बढ़ाया गया है।
- बी) अनुसूची 18 का नोट नं 3.1.2 शेरधारकों और भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शेर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि के खिलाफ मूल बैंक के संचित नुकसान की राशि ₹ 18724.22 करोड़ के सेट-ऑफ के संबंध में है।
- सी) आस्थगित कर के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 का नोट संख्या 4.6, जिसमें समय के अंतर से उत्पन्न संभावित कर लाभों के संबंध में मूल बैंक के प्रबंधन

द्वारा की गई कर समीक्षा के आधार पर, शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति 31 मार्च 2022 को ₹ 6862.05 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 7545.68 करोड़) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- डी) समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 5.15, जो कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितताओं का वर्णन करती है और समूह के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रबंधन के प्रभाव का मूल्यांकन करती है जो भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अनिश्चित है।

इस सम्बंध में हमारे अभिमत संशोधित नहीं है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये मामले, सम्पूर्ण समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते हैं और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं। नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित होंगे।

मूल लेखापरीक्षा मामले

1. गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है। (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के नोट 2 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें)

अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है। गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है।

एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है। एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है। पुनर्गठित खातों में प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिए प्रबंधन के कड़े प्रयास, प्रावधान (एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधन का निर्णय, एनपीए की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन और इन सभी का समूह की वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से :

- » हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भारिबैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पद्धति का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है;
- » हमने एनपीए को चिन्हित करने एवं तत्सम्बन्धी आय की कटौती और प्रावधान करने की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया है।
- » हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम/एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है।
- » मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधन दोनों ने,
- » उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिक्तीकरण की समय पर पहचान की है;
- » इस समय-समय की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल हैं।
- » हम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सम्बंधित शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओसी पर विश्वास जताते हैं।



मूल लेखापरीक्षा मामले

2. निवेश

समूह के निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल हैं जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं। निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है।

निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और सम्बंधित आय प्राप्त न होने की पहचान एवं उन पर प्रावधान, भारिबैंक के प्रासंगिक परिपत्रों/दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किया जाता है। (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें)

उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भारिबैंक द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/ सूचनाएं जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल हैं।

भारिबैंक के आदेशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश हैं जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित हैं तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित हैं जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यिकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल हैं। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है।

इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग -

समूह की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है और लेनदेनों की बृहद मात्रा को नियंत्रित करती है।

प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।

बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए उच्च प्रबंधन के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी (डीआईटी) विभाग है।

तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है और इस पर हमारे लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले में विचार किया गया है।

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में भारिबैंक के परिपत्रों/ आदेशों के संदर्भ के साथ अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण/मूल्यहास से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है। विशेष रूप से:

- » अनर्जक निवेशों की पहचान मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यहास से संबंधित भारिबैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हमने बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन किया है और उसे समझा है।
- » भारिबैंक के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन द्वारा भारिबैंक के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है।
- » हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनु रूप निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है।
- » हमने, स्वतंत्र रूप से पुनः परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यहास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है।
- » हमने देखा है कि यह वित्तीय विवरणों का प्रकटन प्रवर्तमान लेखा मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में बैंक के निवेश मूल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।

हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया। लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है। विशेष रूप से :

- » हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक की आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है।
- » हमने बैंक के मूल आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविता की जांच की है जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/ संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है।

मूल लेखापरीक्षा मामले

लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया

» हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से अन्य सूचनाएं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है।

4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे:

ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 11 और अनुसूची 18 की नोट संख्या 20 4.8.1)

प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थित है, जहां भी आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर आकस्मिक होता है। प्रबंधन के फैसले में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावों और मुकदमों से अंततः देयता नहीं होगी।

हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित/अनिश्चित हैं।

इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं।

हमने व्यापक रूप से प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की लेकिन चूंकि प्रभाव की सीमा भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हम मुख्य रूप से उन अनुमानों और अनुमानों पर निर्भर थे, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं।

हमने दावों और कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, हाल के आदेशों की जांच और / या विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई और उपलब्ध अभिलेखों और घटनाक्रमों से लेकर आज तक अंतिम समाधान पर दावों/मुकदमों के अंतिम दायित्व में बदलने की संभावना की समीक्षा करने के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

5. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अनुलग्नकों सहित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबंधन से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है किंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में,

हमारा यह उत्तरदायित्व है कि उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमें प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें यह तथ्य दर्शाना होता है। हमें इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है।

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उन आरोपित मामले को गवर्नेंस को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियमकों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करनी होगी।



गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामलों और समेकित वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबन्धतंत्र की जिम्मेवारी

6. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और समूह का समेकित नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है। इस उत्तरदायित्व में सच्चा और निष्पक्ष प्रदर्शन करने वाली तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए समूह की आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा उन्हें लागू करना, निर्णय लेना तथा यह अनुमान लगाना कि वे उचित और विवेकपूर्ण हैं और लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव का प्रभावी परिचालन करना भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने कार्यशील संस्था के तौर निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए समूह के संबंधित निदेशक मंडल उत्तरदायी है तब तक समूह का संबंधित निदेशक मंडल न तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा जब तक ऐसा करने सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो। समूह का संबंधित निदेशक मंडल समूह के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य, यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अर्थार्थ से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है। यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अर्थार्थ का सदैव पता लगेगा। अर्थार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय

प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं कि

- » समेकित वित्तीय विवरणियों के विषयी अर्थार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, चाहे वो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड सम्मिलित हो सकता है।
- » लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो, लेकिन समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है।
- » प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- » लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य पर आधार पर प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपना ध्यान अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर आकर्षित करना होगा अथवा, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- » प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेनों एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- » समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए, जिस समूह के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं और जिनकी वित्तीय जानकारी का हमने लेखा-जोखा किया है, उसके भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के

निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए अंकेक्षणों के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय वस्तुओं में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने पूंजी कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में मूल बैंक के गवर्नेस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को, जिन पर गवर्नेस का आरोप है, भी बचन देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों को सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा, पर उचित रूप से माना जा सकता है,

गवर्नेस के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनमानस लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

अन्य मामले

8. इन समेकित वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(ए) हमने मूल बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 1869 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 तक ₹ 2,30,319.41 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹ 6,490.26 करोड़ का कुल राजस्व उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर दी गई है, और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में

शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर आधारित है।

(बी) हमारे पूंजी के संचालन में, हमने संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित मूल बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 2639 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिनके वित्तीय विवरण/सूचना 31 मार्च 2022 तक कुल संपत्ति ₹ 58318.30 करोड़ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 2836.01 करोड़ दर्शाते हैं।

(सी) हमने 2 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया, जिनके 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण ₹ 1254.35 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, कुल राजस्व ₹ 125.91 करोड़, परिलक्षित करता है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह केवल केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(डी) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 18.45 करोड़ के शुद्ध लाभ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, 3 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की गई है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :-

9. समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।

10. ऊपर पैरा 6 से 8 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा आवश्यक है, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं

जो हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उन्हें संतोषजनक पाया है:

- बी) हमारे संज्ञान में आए लेन-देन, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं; तथा
- सी) समूह के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं.

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए) हमारी राय में, समूह द्वारा विधिक रूप से अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, हमारे द्वारा उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है.

- बी) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित कैश फ्लो विवरणियां, खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है.

- सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत समूह के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित कर दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है; तथा

- डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं; इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं.

कृते **एस जयकिशन**
सनदी लेखाकार
एफ आर नंबर 309005 ई

(सी ए रीतेश अग्रवाल)
भागीदार
एम नंबर 062410
यूडीआईएन: 22062410 एआईपीडब्ल्यूएमबी 7737

कृते **ए एस के ए एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफ आर नंबर 122063 डब्लू

(सी ए विजय शेलार)
भागीदार
एम नंबर 101504
यूडीआईएन: 22101504एआईपीडब्ल्यूबीवी 8382

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09 मई 2022

कृते **छाजेड एंड दोशी**
सनदी लेखाकार
एफ आर नंबर 101794 डब्ल्यू

(सी ए किरण के दफ्तरी)
भागीदार
एम नंबर 010279
यूडीआईएन: 22010279 एआईपीडब्ल्यूसीई 5031

कृते **किशोर एंड किशोर**
सनदी लेखाकार
एफ आर नंबर 000291 एन

(सीए पी आर करंथ)
भागीदार
एम नंबर 018808
यूडीआईएन: 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी 2861

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2022 को

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च -2022 का समाप्त वर्ष (₹)	31-मार्च -2021 को समाप्त वर्ष (₹)
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	8,68,09,394	5,87,55,625
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	18,86,84,669	15,82,12,803
अल्प संख्या ब्याज	2ए	5,76,992	5,05,403
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		-	4,80,00,000
जमा राशियां	3	3,43,16,45,666	3,30,32,83,137
उधार राशियां	4	7,66,33,015	5,75,96,647
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	9,00,02,944	7,33,91,206
योग		3,87,43,52,680	3,69,97,44,821
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	38,03,36,980	32,18,81,038
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	15,06,32,393	6,76,56,661
निवेश	8	1,40,77,45,413	1,48,51,80,075
ऋण एवं अग्रिम	9	1,69,04,15,429	1,57,38,90,795
अचल आस्तियां	10	4,95,53,768	5,13,28,977
अन्य आस्तियां	11	19,55,79,801	19,97,18,379
समेकन पर ख्याति		88,896	88,896
योग		3,87,43,52,680	3,69,97,44,821
आकस्मिक देयताएं	12	1,75,96,41,890	92,13,92,979
संग्रहण हेतु बिल		11,37,50,285	11,89,87,674

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक शेट
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

कृते एस.जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सीए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सीए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सीए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीवी8382

(सीए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861



समेकित लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31-मार्च - 2022 को (₹)	31-मार्च - 2021 को (₹)
I. आय			
अर्जित व्याज	13		22,82,95,277
अन्य आय	14		3,11,07,685
योग			25,94,02,962
II. व्यय			
प्रदत्त व्याज	15	13,36,08,786	14,54,29,610
परिचालन व्यय	16	7,27,70,729	6,79,86,091
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		4,16,83,773	5,47,72,117
योग		24,80,63,288	26,81,87,818
एसोसिएट्स की आय/(हानि) में हिस्सेदारी	17	1,84,501	(11,64,019)
अल्पांश व्याज से पूर्व वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		1,08,29,505	(99,48,875)
घटायें : अल्पांश व्याज		71,589	52,225
समूह क फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)		1,07,57,916	(1,00,01,100)
जोड़ें : - समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष के लिए समेकित लाभ/(हानि)		(18,74,09,075)	(17,42,86,952)
घटायें :- शेयर प्रीमियम खाते से शेष अंतरण		18,72,42,173	-
समेकित लाभ/(हानि) लाया गया		1,67,054	(17,42,86,952)
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित में अंतरण		26,12,100	-
अन्य आरक्षित में अंतरण		78,36,181	31,21,023
ए. निवेश आरक्षित		12,55,261	30,72,389
बी. राजस्व आरक्षित		-	12,521
सी. स्टाफ कल्याण कोष		-	-
डी. बीमा कोष		-	-
ई. प्रस्तावित लाभांश — समता शेयर पूंजी		-	-
एफ. लाभांश पर कर		-	-
जी. विशेष आरक्षित धरा 36(1) (viii) के अंतर्गत		-	36,113
एच. रा.आ.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष प्रारक्षित पर आस्थगित कर देयता का विनियोग		-	-
i. निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित		65,80,920	-
सरकारी / प्रस्तावित लाभांश में अंतरण		-	-
तुलन पत्र में लाया गया शेष		1,42,581	(18,74,09,075)
योग		1,07,57,916	(18,42,88,052)
प्रति शेयर आय (₹ में) — मूल (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		1.31	(1.73)
प्रति शेयर आय (₹ में) - डाल्यूटेड (सामान्य मूल्य ₹ 10/-प्रति शेयर)		1.31	(1.73)

उपर्युक्त संदर्भित समेकित लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक शेट
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

कृते एस.जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सीए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सीए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सीए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीबी8382

(सीए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861

समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2022 को

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च - 22 को		31-मार्च - 21 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		10,00,00,000		10,00,00,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 1000,00,00,000 शेयर				
निगमित पूंजी :	8,68,09,394		5,87,55,625	
(इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर)				
अभिदत्त पूंजी	8,68,09,394		5,87,55,625	
(प्रत्येक ₹ 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर)				
प्रदत्त पूंजी	8,68,09,394		5,87,55,625	
(प्रत्येक ₹ 10/- के 8680939432 इक्विटी शेयर)				
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 8680939432 (गत वर्ष 5875562460 इक्विटी शेयर) (सहित केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹10/- के 8080391687 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5275014715 इक्विटी शेयर)		8,68,09,394		5,87,55,625
कुल		8,68,09,394		5,87,55,625
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	2,07,59,131		2,07,59,131	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	26,12,100		-	
		2,33,71,231		2,07,59,131
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,62,97,811		1,32,25,422	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	12,55,261		30,72,389	
		1,75,53,072		1,62,97,811
III. पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	3,79,22,814		2,96,25,988	
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	-		88,19,556	
घटायें : राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधि में अंतरण	2,32,128		5,09,495	
वर्ष के दौरान कटौतियां	5,41,238		13,235	
		3,71,49,448		3,79,22,814
छ. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	24,19,62,271		24,10,70,269	
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन/ समायोजन	1,99,46,230		8,92,002	
वर्ष के दौरान कटौतियां	18,72,42,173		-	
		7,46,66,328		24,19,62,271



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च - 22 को		31-मार्च - 21 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
V. अन्य प्रारक्षित निधियां				
ए) विशेष प्रारक्षित निधियां धारा 36 (1)(viii)	13,61,546		13,61,546	
		13,61,546		13,61,546
VI. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) विनियोग उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	-		-	
जोड़ें :- वर्ष के दौरान समायोजन	65,80,920		-	
घटाये :- वर्ष के दौरान कटौती	-			
		65,80,920		-
ii) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,73,18,305		2,65,48,101	
जोड़ें : पूंजीगत प्रारक्षित निधियों में अंतरण	5,41,238		5,09,495	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-		2,88,218	
(*) जोड़ें : आरंभिक शेष समायोजन	-		(27,509)	
जोड़ें/घटाये: वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	
		2,78,59,543		2,73,18,305
VII. लाभ-हानि खाते में शेष				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	(18,74,09,075)		(17,42,86,952)	
जोड़ें :- शेयर प्रीमियम खाते से शेष अंतरण	18,72,42,173		-	
जोड़ें :- लाभ विनियोजन के पश्चात वर्ष का लाभ	3,09,483		(1,31,22,123)	
		1,42,581		(18,74,09,075)
कुल		18,86,84,669		15,82,12,803
(*) यह समायोजन मुख्यतः क्षेत्र.ग्रा.बैं. के पिछले लेखापरीक्षित परिणामों में परिवर्तन होने के कारण किया गया. पिछले वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियां, ऐसे क्षेत्र.ग्रा.बैं. के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार किया गया था.				
अनुसूचित 2 ए : अल्पांश ब्याज				
उस तारीख को अल्पांश ब्याज जबसे प्राथमिक/अनुषंगी संबंध स्थापित हुए	24,500		24,500	
अनुवर्ती वृद्धि / कमी	5,52,492		4,80,903	
तुलन पत्र की तारीख को अल्पांश ब्याज		5,76,992		5,05,403
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमा राशियां				
i) बैंक से	1,03,37,153		65,67,481	
ii) अन्य से	16,50,66,866		16,25,14,897	
		17,54,04,019		16,90,82,378
II. बचत बैंक जमा		1,55,96,51,980		1,45,66,70,191

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च - 22 को		31-मार्च - 21 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	77,57,952		54,32,722	
ii) अन्य से	1,68,88,31,715		1,67,20,97,846	
		1,69,65,89,667		1,67,75,30,568
योग (I, II और III)		3,43,16,45,666		3,30,32,83,137
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		3,43,16,45,666		3,30,32,83,137
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	1,76,40,000		1,76,40,000	
ii) अन्य बैंक	7,23,139		26,30,298	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	2,68,78,876		6,35,349	
iv) अनारक्षित पुर्नमोचनीय बॉण्ड्स (गौण ऋण)	-		53,00,000	
v) अपर टियर (ii) बॉण्ड्स	-		-	
vi) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत	13,91,000		13,91,000	
vi) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल (III) बॉण्ड्स (टीयर (II))	3,00,00,000		3,00,00,000	
		7,66,33,015		5,75,96,647
II. भारत के बाहर उधारराशियां		-		-
कुल		7,66,33,015		5,75,96,647
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		निरंक		
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	1,11,47,968		78,43,261	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	1,90,081		1,02,978	
III. उपचित ब्याज	77,45,822		74,43,934	
IV. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-		-	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	7,09,19,073	9,00,02,944	5,80,01,033	7,33,91,206
कुल		9,00,02,944		7,33,91,206
अनुसूची 6: भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी		1,45,54,493		1,47,54,204
(विदेशी मुद्रा सहित)				
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	13,67,22,487		14,71,26,834	
अन्य खातों में	22,90,60,000		16,00,00,000	
		36,57,82,487		30,71,26,834
कुल (I और II)		38,03,36,980		32,18,81,038



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च - 22 को		31-मार्च - 21 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
क) चालू खातों में	2,64,777		5,10,385	
ख) अन्य जमा खातों में	36,243		32,767	
		3,01,020		5,43,152
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
क) बैंकों के पास	-		20,00,000	
ख) अन्य संस्थाओं के पास	6,40,128		-	
		6,40,128		20,00,000
कुल..... I		9,41,148		25,43,152
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	10,62,153		6,51,13,509	
बी) अन्य जमा खातों में	14,86,29,092		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल. II		14,96,91,245		6,51,13,509
कुल. (I + II)		15,06,32,393		6,76,56,661
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश :				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,05,53,81,537		1,10,38,56,620	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	88,33,691		79,19,176	
iv) डिबेंचर्स एवं बांड्स	33,78,44,148		35,39,72,427	
v) एसोसिएट्स	6,39,854		4,82,119	
vi) अन्य				
ए) यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स इत्यादि.	31,07,519		1,73,08,826	
कुल I		1,40,58,06,749		1,48,35,39,168
II. भारत के बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) एसोसिएट्स	19,38,664		16,40,907	
iii) अन्य निवेश	-		-	
कुल II		19,38,664		16,40,907
कुल (I और II)		1,40,77,45,413		1,48,51,80,075
III. भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	1,46,55,29,898		1,53,59,15,436	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	5,97,23,149		5,23,76,268	
शुद्ध निवेश		1,40,58,06,749		1,48,35,39,168

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च - 22 को		31-मार्च - 21 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
IV भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	19,38,664		16,40,907	
घटायें : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		19,38,664		16,40,907
कुल		1,40,77,45,413		1,48,51,80,075
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	2,40,31,721		89,00,535	
ii) नकद उधार, ओवर ड्रॉप एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	70,15,80,440		70,45,31,176	
iii) मीयादी ऋण	96,48,03,268	1,69,04,15,429	86,04,59,084	1,57,38,90,795
कुल (i,ii तथा iii)		1,69,04,15,429		1,57,38,90,795
बी. अग्रिमों का विवरण :				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,57,07,97,055		1,53,15,17,512	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	1,32,94,746		3,66,01,365	
iii) आरक्षित	10,63,23,628	1,69,04,15,429	57,71,918	1,57,38,90,795
कुल (i,ii तथा iii)		1,69,04,15,429		1,57,38,90,795
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	86,38,51,917		81,23,20,163	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	4,14,01,906		5,09,87,479	
iii) बैंक	53,224		4,926	
iv) अन्य	78,51,08,382	1,69,04,15,429	71,05,78,227	1,57,38,90,795
कुल (i,ii, iii और iv)		1,69,04,15,429		1,57,38,90,795
(II) भारत के बाहर अग्रिम	-		-	
*जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत किया गया है.				
अनुसूची 10 ; अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत और पुनर्मूलयांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	4,91,01,269		4,02,25,174	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	25,445		88,89,449	
कुल	4,91,26,714		4,91,14,623	
वर्ष के दौरान कमी/ समायोजन	3,14,796		13,354	
कुल	4,88,11,918		4,91,01,269	
इस दिनांक को मूल्यहास	91,65,015		85,28,592	
कुल. I		3,96,46,903		4,05,72,677



(000 को छोड़कर)

विवरण	31-मार्च -22 को		31-मार्च -21 को	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	3,53,41,109		3,42,01,799	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	23,47,271		31,41,536	
कुल	3,76,88,380		3,73,43,335	
वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	11,05,370		20,01,934	
कुल	3,65,83,010		3,53,41,401	
इस दिनांक को मूल्यहास	2,66,76,145		2,45,85,101	
कुल. II		99,06,865		1,07,56,300
कुल. (I + II)		4,95,53,768		5,13,28,977
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध).	-		-	
II. उपचित ब्याज	2,17,85,964		2,25,54,880	
III. कर का अग्रिम भुगतान/ स्रोत पर काटा गया कर	3,96,36,119		4,23,83,268	
IV. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	2,25,424		2,05,553	
V. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
VI. आस्थगित कर आसितयां	6,85,59,904		7,53,92,820	
VII. अन्य	6,53,72,390		5,91,81,858	
		19,55,79,801		19,97,18,379
कुल		19,55,79,801		19,97,18,379
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		14,20,497		13,83,689
बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		2,40,57,728		1,77,15,073
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		26,89,347		35,59,281
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		1,59,08,50,230		73,37,62,848
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	8,83,87,515		10,69,33,332	
बी) भारत के बाहर	58,26,051		63,28,682	
		9,42,13,566		11,32,62,014
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		2,43,01,093		2,64,31,675
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है.		2,21,09,429		2,52,78,399
कुल		1,75,96,41,890		92,13,92,979

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

समेकित लाभ एवं हानि खाते का भाग की अनुसूचियाँ

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	11,59,98,697	11,73,26,965
II. निवेशों पर आय	9,26,60,400	10,01,38,785
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर बैंक निधियों के शेष राशि पर ब्याज	1,23,81,061	67,60,466
IV. अन्य	79,93,237	40,69,061
कुल	22,90,33,395	22,82,95,277
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,42,47,404	1,11,59,510
II. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ	91,365	
घटायें : भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	361	2,09,964
III. विनिमय लेन-देनों से लाभ	19,92,437	8,66,918
घटायें : विनिमय लेन-देनों से हानि	-	
IV. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	49,10,035	1,38,05,508
घटायें : निवेशों की बिक्री से हानि	326	5,15,400
V. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
घटायें : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	27,68,771	-
VI. ए) लीज वित्त आय	-	-
बी) लीज प्रबंध शुल्क	-	-
सी) अतिदेय व्यय	-	-
डी) लीज किराया प्राप्ति पर ब्याज	-	-
VII. विविध		
ए. भारत/विदेशों में स्थित अनुषंगियों एवं एशोसिएट्स से लाभांश के रूप में अर्जित आय	65,103	-
बी. अन्य	1,11,38,011	60,01,113
कुल	2,96,74,897	3,11,07,685



(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
अनुसूची 15 : प्रदत्त व्याज		
I. जमाराशिओं पर व्याज	12,87,87,024	13,99,17,399
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर व्याज	8,54,849	6,20,931
III. अन्य	39,66,913	48,91,280
कुल	13,36,08,786	14,54,29,610
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	4,48,21,474	4,15,02,341
II. किराया, कर एवं बिजली	48,32,319	49,54,177
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	2,66,105	2,66,222
IV. विज्ञापन एवं प्रचार – प्रसार	1,33,946	48,055
V. ए) लीज सम्पत्ति के अलावा बैंक सम्पत्ति पर मूल्यहास	29,67,646	29,25,288
बी) लीज सम्पत्ति पर मूल्यहास	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	6,632	9,952
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	3,08,704	3,87,069
VIII. विधि प्रभार	1,90,637	1,63,217
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	9,49,677	9,71,751
X. मरम्मत एवं रखरखाव	16,20,903	11,67,395
XI. बीमा	42,80,664	-
XII. गुडविल का परिशोधन, यदि कोई हो	-	43,80,824
XIII. अन्य व्यय	1,23,92,022	1,12,09,800
कुल	7,27,70,729	6,79,86,091
अनुसूची 17 एसोसिएट्स में आय/ हानि में हिस्सा		
एसोसिएट्स से लाभ की गणना (बैंक का हिस्सा)		
उत्तर बिहार	(270991)	(1330031)
उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	157735	7281
घरेलू उप-योग	(113256)	(1322750)
इण्डो ज़म्बिया बैंक	297757	158731
विदेशी उप-योग	297757	158731
कुल	184501	(1164019)

राजनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

ए. तैयार करने का आधार :

इसके साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों के साथ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं एवं सभी तात्त्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निदेशन 2010, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं।

बी. प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधन के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। प्रबंधन को यह विश्वास होता है कि समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं। आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकता है। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के मध्य अंतर की गणना उस वर्ष में की जाती, जिस वर्ष के परिणाम ज्ञात/कार्यन्त होते हैं।

सी. समेकन प्रक्रिया

समेकित वित्तीय विवरणों को समूह (2 अनुषंगियों एवं 3 एसोशिएट के साथ 02 क्षेत्रीयग्रामीण बैंकों सहित) निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है।

ए) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां।

बी) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण अंतःसमूह शेषों/लेन-देनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

सी) अनुषंगियों में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक के मतदान का अधिकार प्राप्त है, इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के इक्विटी प्रणाली के शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया गया है तथा इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक एसोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां,

स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं। इन एसोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं।

डी) एसोशिएट्स अर्थात इंडो जाम्बिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेन्डर वर्ष है। ऐसे मामले जिनमें एसोशिएट्स का लेखांकन वर्ष, मूल बैंक से भिन्न है तो, लेखापरीक्षित अवधि के लिए लाभ/हानि का आनुपातिक हिस्सा एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित आनुपातिक लाभ / हानि का हिस्सा लिया जाता है।

ई) यह समेकित वित्तीय विवरणियां, समान परिस्थितियों में समान लेनदेन एवं अन्य अवसरों के लिए एकल लेखांकन नीतियों का उपयोग कर तैयार की जाती है तथा अन्य विवरणों को छोड़कर कम्पनी के अलग वित्तीय विवरणों के समान रीति से यथासम्भव प्रस्तुत किया जाता है।

2.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश ब्याज शेयरों में निम्न शामिल हैं :

ए. अनुषंगी में किए गए निवेश की तारीख को अल्प शेयरों के कारण इक्विटी की राशि, जिस दिन अनुषंगी में निवेश किया गया, एवं

बी. मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध के अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी के संचलन में अल्प शेयरों के हिस्से।

डी. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. राजस्व मान्यता

ए. मूल बैंक

1.1 सामान्य

ए) नियामक प्रावधानों के अनुसार जिन आय को नकद आधार पर लेखा में लिया जाता है को छोड़कर आय/व्यय को आम तौर पर उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

बी) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए, जो मद कुल आय / कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक हों, के सम्बन्ध में पूर्वावधि प्रकटीकरण बनाया जाता है।

सी) अतिदेय जमा पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है।

1.2 निवेश से आय :

a) निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश की बिक्री का लाभ (कुल लागू करों एवं "वैधानिक आरक्षित खाते" में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशि) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

बी) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में फेस वैल्यू के छूट पर निवेश करने से हुए आय (व्याज को छोड़कर), को निम्नानुसार माना जाता है:

- व्याज भारित प्रतिभूतियों पर, इसे निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि से अधिक का लेखा किया जाता है.
- जीरो-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे लगातार यील्ड के आधार पर प्रतिभूति के मुराद बैलेंस से अधिक का लेखा किया जाता है .

सी) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश अर्जन करने का अधिकार स्थापित हो जाए .

डी) “अन्य आय” के प्राप्ति होने पर प्रतिभूति रसीदों के उपरी भाग को माना जाता है

1.3. वित्तीय आस्तियों की बिक्री :

बिके हुए वित्तीय आस्तियों की पहचान निम्न है :

ए) विक्रय किये गए एन.पी.ए. का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है. जब बैंक अपने वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.) / आस्तियों के पुनर्निर्माण की कंपनी (ए.आर.सी.) को बेचती है, तो इसे अपने बही से हटा देती है.

बी) अगर प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.) / आस्तियों के पुनर्निर्माण की कंपनी (ए.आर.सी.) को विक्रय करने की कीमत नेट बुक वैल्यू (एन.पी.वी.) से कम हो तो, अंतर-राशि की भरपाई उस वर्ष के लाभ और हानि खाते से की जाती है .

सी) अगर विक्रय नकद आधार पर नेट बुक वैल्यू से अधिक पर किया गया हो तो अधिशेष को विक्रय के वर्ष के लाभ और हानि खाते में की जाती है.

1.4. शुल्क आधारित आय

साख पत्रों पर कमीशन, बैंक गारंटी और आस्थगित भुगतान गारंटी अवधि के दौरान प्रोद्घवन आधार पर समानुपातिक रूप से मान्य होते हैं. अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी वसूली पर मान्यता दी जाती है.

बी. अनुषंगियां

ए) सेंट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड के मामले में, अनुषंगियों, ऋण और अग्रिम पर आय की पहचान राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर की जाती है.

बी) सेंट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड के मामले में, अनुषंगियों, शुल्क से आय और अन्य शुल्क जैसे. लॉगिन शुल्क, अतिदेय पर दंडात्मक व्याज, पूर्व भुगतान शुल्क, आयकर रिफंड पर व्याज और अन्य आय आदि को रसीद के आधार पर मान्यता दी जाती है.

सी) सेंट बैंक फायनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, अनुषंगी के मामले में, एकजीक्यूटर ट्रस्टीशिप व्यवसाय के संबंध में आय ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन की घटना पर अर्जित की जाती है. डिबेंचर और सिक्क्योरिटी ट्रस्टीशिप सेवाओं से राजस्व को अवधि के आधार पर मान्यता दी जाती है और प्रोद्घवन के आधार पर हिसाब लगाया जाता है, सिवाय सूट दायर और / या बीआईएफआर कंपनियों के डिबेंचर ट्रस्टीशिप व्यवसाय से आय को छोड़कर, जो रसीद के आधार पर होता है.

2. अग्रिम:

ए. मूल बैंक

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों / निदेश-पत्रों के आधार पर, ऋणों और अग्रिमों को क्रियाशील और गैर-क्रियाशील वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, जो निम्न हैं :

ए) सावधि ऋण को गैर-क्रियाशील आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है, अगर मूलधन का व्याज और / अथवा क्रिस्त 90 से अधिक की समयावधि तक अतिदेय रहे .

बी) एक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अगर खाता अनियमित रहता है, अर्थात यदि बकाया राशि 90 दिनों की अवधि के लिए लगातार स्वीकृत सीमा / आहरण शक्ति से अधिक है, या अगर इसमें लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं है, या यदि किया गया जमा पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए व्याज को कवर लिए पर्याप्त नहीं हैं.

सी) खरीदे गए/छूट वाले बिलों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है.

डी) कृषि अग्रिमों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि, (i) छोटी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या व्याज की किश्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो; और (ii) लंबी अवधि की फसलों के लिए, जहां मूलधन या व्याज एक फसल के मौसम के लिए अतिदेय रहता है.

2.2 गैर-निष्पादित आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिपूर्ण आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) सब-स्टैण्डर्ड / उप-मानक: एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए गैर-निष्पादित रही है.

बी) संदेहास्पद: एक ऋण परिसंपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए सब-स्टैण्डर्ड श्रेणी में बनी हुई है.

सी) हानि: एक ऋण परिसंपत्ति जहां नुकसान की पहचान की गई है लेकिन राशि पूरी तरह से बड़े खाते में नहीं डाली गई है.

रजिस्ट्रार

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

- 2.3 एनपीए के लिए प्रावधान नियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जो निम्न निर्धारित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन हैं :

अवमानक आस्तियां :

- कुल बकाये पर 15% का सामान्य प्रावधान .
- प्रारंभिक तौर से असुरक्षित ऋणों के एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान है (अर्थात् प्रतिभूति का योग्य मूल्य स्वीकृत ऋण के 10% से अधिक न हो)
- अवसंरचना अग्रिमों के सम्बन्ध में असुरक्षित ऋण जहाँ निश्चित सुरक्षोपाय जैसे कि 20% एस्क्रो खाते मौजूद हों.

संदेहास्पद आस्तियां :

- सुरक्षित अंश	एक वर्ष तक - 25%
	एक से तीन वर्षों तक - 40%
	तीन वर्षों से अधिक - 100%

- असुरक्षित अंश 100%

हानिपूर्ण आस्तियां : 100%

- 2.4 अग्रिमों को कुल प्रावधानों (एन.पी.ए. के मामले में), अप्राप्त ब्याज, संड़ी खाते में उधारकर्ताओं से वसूल किये गए जमा राशि और सीजीटीएसआई / ईसीजीसी से प्राप्त क्लेम , आदी के साथ दर्शाया जाता है.

- 2.5 पुनर्चित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि पुनर्चना से पहले और बाद में ऋणों/अग्रिमों के उचित मूल्य के बीच का अंतर को संबंधित ऋणों/अग्रिमों के प्रावधान सहित को लेते हुए किया जाए. उचित मूल्य में कमी और उपरोक्त से उत्पन्न ब्याज बलिदान, यदि कोई हो, के प्रावधान को अग्रिमों से घटा दिया जाता है.

- 2.6 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, मौजूदा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. ये प्रावधान बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं और एनपीए स्तर पर पहुंचने पर इसे मान्य नहीं किया जाता है .

- 2.7 ऋण खातों के एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत होने के पर, एक खाता पुनः एनपीए खाते की श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत हो सकता है अगर यह नियामकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो.

- 2.8 पिछले वर्षों में बट्टे खातों में डाले गए ऋणों के खिलाफ वसूल की गयी राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाता है.

- 2.9 पहचान किये गए कमजोर तथा/ या प्रचलित आर्थिक स्थिति को देखते हुए नियामक मानदंडों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान किये जाते हैं.

- 2.10 गैर-निष्पादित खातों में आंशिक वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है :

- मूल बकाया / अनियमितताएं.

- गैर-पोषित ब्याज

- बट्टे खाते.

- वह ब्याज जो न लगा हो

वाद-दायर/ सरफेसी/ बाजार के खाते जिनमें रि-कॉल किया गया हो, के मामले में वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाती है :

- बही-खाते में बकाया राशि

- गैर-पोषित ब्याज

- बट्टे खाते.

- वह ब्याज जो न लगा हो

हालांकि, जहाँ किसी भी उधारकर्ता खाते को पहले की तारीख से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, खाते को स्टैंडर्ड के रूप में वर्गीकृत किये जाने तक किसी भी वसूली को पहले ऋण और अग्रिम [अर्थात्, दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की सतत संरचना के लिये योजना, योजनावद्ध ऋण पुनर्गठन, दीर्घ कालिक परियोजना के ऋण (5/25) की लचिली संरचना, उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (बाहरी योजनावद्ध ऋण पुनर्संरचना योजना में जमा किया जाता है.)]

बी . अनुषंगियां

- ए) सेंट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड के मामले में, सहायक ऋण और अग्रिम पर प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किये जाते हैं .

- बी) सेंट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड, अनुषंगियों के मामले में, ब्याज आय को गैर- निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले को छोड़कर प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहाँ ब्याज की गणना प्रभावी होने पर की जाती है . ऋणों में, चुकौती समान मासिक किस्तों जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल होता है, से की जाती है . ब्याज को माह के प्रारम्भ में बकाये राशि पर गणना में लगाया जाता है . जब पूर्ण स्वीकृत ऋण ऋण राशि संवितरित हो चुकी होती है तभी मासिक किस्त की शुरुआत होती है . मासिक किस्त के शुरुआत होने के लम्बित होने पर, मासिक किस्त के पहले के मासिक ब्याज को भी गणना में लिया जाता है . एनपीए के मामले में वसूली पहले अतिदेय ईएमआई के ब्याज हिस्से के लिए और उसके बाद अतिदेय ईएमआई के मूल भाग के लिए विनियोजित की जाती है.

3. देश के ऋण-प्रकटीकरण के लिये प्रावधान :

परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की स्थिति के अनुसार विशिष्ट प्रावधानों को मिलाकर, प्रावधानों को किसी खास देश (मूल देश को छोड़कर) के लिये भी बनाया जाता है . देशों को सात जोखिम वर्गों में बांटा जाता है जैसे नाम से, तुच्छ, निम्न, मध्यम, उच्च, अति-उच्च, प्रतिबंधित तथा साखरहित और भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशानुसार प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है . यदि प्रत्येक देश के सम्बंध में बैंक में उस देश का एक्सपोजर (कुल), कुल वित्तपोषित आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश के एक्सपोजर पर कोई प्रावधान



नहीं रखा जायेगा . ये प्रावधान बैंक के बैलेंस-शीट के अनुच्छेद 5 के हेड "अन्य देनदारियां प्रावधान- अन्य" में परिलक्षित होते हैं .

4. निवेश :

ए. मूल बैंक

निवेशों का लेखा तत्कालिक निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन, जो निम्न है, के अनुसार किया जाता है .

4.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को "परिपक्वता तक धारित(एचटीएम)", "व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)" तथा "विक्रय के लिए उपलब्ध (एफएस)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को तुलन पत्र में अनुसूची 8 के निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- ए) सरकारी प्रतिभूतियां
- बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- सी) शेयर्स
- डी) डेबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- ई) अनुषंगी एवं साझा उपक्रम और प्रायोजित संस्थानों में निवेश
- एफ) अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स आदि)

भारत के बाहर के निवेशों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है :

- ए) सरकारी प्रतिभूतियां
- बी) अनुषंगी एवं साझा उपक्रम
- सी) अन्य निवेश

4.2 वर्गीकरण का आधार :

निवेश का वर्गीकरण खरीद के समय निम्नलिखित वर्गों में किया जाता है :

- ए) परिपक्वता तक धारित : इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
- बी) व्यापार के लिए धारित : खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखे गए निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
- सी) विक्रय के लिए उपलब्ध: वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं. उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एफएस)" में वर्गीकृत किया जाता है.
- डी) श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण : निवेश की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/स्थानांतरण, अंतरण की तारीख को न्यूनतम अधिग्रहण लागत / बही

मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर लेखांकित की जाती है. इस अंतरण पर मूल्यहास, यदि है, का पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

- ई) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय उन निवेशों के, जिन्हें विशेष रूप से इसके बाद के निपटान की दृष्टि से अर्जित किया जाता है. इन निवेशों को एफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

4.3 मूल्यनिर्धारण :

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन का निर्धारण सेटलमेंट दिवस के दिन किया जाता है तथा कीमत का निर्धारण भारयुक्त औसतन कीमत प्रणाली के द्वारा किया जाता है .

- ए) ब्रोकरेज, प्रोत्साहन राशि, फंड एंड शुल्क आदी जो प्रतिभूति के क्रय में प्राप्त हुए हैं, को निवेश की कीमत से घटाये जाते हैं.
- बी) ब्रोकरेज, शुल्क, कमिशन या कर जो प्रतिभूति के अधिग्रहण के समय खर्च हुए हैं, को लाभ और हानि खाते से राजस्व खर्च के रूप में प्रभावित किये जायेंगे .
- सी) ऋण यंत्रों के अवरुद्ध अवधि के चुकाये गये / प्राप्त ब्याज को व्यय ब्याज / आय के रूप में माना जाता है तथा इसे कीमत / विक्रय के विचार से बाहर रखा जाता है.

ए) परिपक्वता तक धारित वर्ग के निवेशों का मूल्यांकन: इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. इस प्रकार के प्रीमियम के पुनर्भुगतान की गणना निवेश पर आय के रूप में की जाती है.

अनुषंगी, साझा उपक्रम एवं सहयोगी में निवेश (भारत तथा विदेश में) का मूल्यांकन ऐतिहासिक कीमत पर की जाती है. प्रत्येक वैयक्तिक निवेश के लिए, जो अपने स्वरूप में अस्थाई से अलग है, के धारित लागत में हास को घटाकर किया जाता है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्यांकन रख-रखाव लागत (अर्थात बुक वैल्यू) पर किया जाता है.

- बी) विक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन: विक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को अलग-अलग बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है अथवा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित मूल्य निर्धारित किया गया है तथा प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक समूह में (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूति (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (iii) शेयर (iv) बॉण्ड एवं डेबेंचर (v) अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम एवं (vi) अन्य) मूल्यहास यदि कोई हो, से समायोजित किया गया है एवं निवल मूल्य वृद्धि को अनदेखा किया गया है.



सी) निवेशों के वर्ग स्थानांतरण के अवसर पर मूल्यांकन नीति :

- प्रतिभूतियों का एच.एफ.टी./ए.एफ.एस. वर्ग से एचटीएम वर्ग में स्थानांतरण उस दिन के निम्न अधिग्रहण कीमत/बुक वैल्यू/बाजार मूल्य पर किया जाता है। इस स्थानांतरण पर कोई भी ह्रास, अगर हो, तो उसे प्रदान किया जाता है।
- प्रतिभूतियों का एचटीएम वर्ग से एएफएस वर्ग में स्थानांतरण अधिग्रहण की कीमत/बुक वैल्यू पर किया जाता है। इस स्थानांतरण में, इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामतः ह्रास, अगर हो, तो उस लाभ और हानि खाते में समायोजित किया जाता है।

डी) एन पी ए (वित्तीय परिसम्पत्ति) प्रतिभूति रसीद के बदले में प्रतिभूतिकरण कम्पनी (एस.सी) / आस्ति के पुनर्संरचना कम्पनी (ए.आर.सी) को विक्रय के मामले में मूल्यांकन :

- एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त प्रतिभूति रसीदों में निवेश (i) नेट बुक वैल्यू (एनबीवी) (अर्थात बुक वैल्यू कम वित्तीय परिसंपत्ति के प्रावधान) से कम पर और (ii) एसआर का मोचन मूल्य पर किया जाता है।
- एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर का मूल्यांकन गैर-एसएलआर यंत्रों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर, इस प्रकार के निवेश के मूल्यांकन हेतु संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई संपत्ति, शुद्ध संपत्ति मूल्य, एससी/एआरएस से प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक सीमित हैं

ई) ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।

4.4 निवेश (एनपीआई) :

निवेशों को "वाणिज्यिक बैंक (निर्देश) के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा संचालन, 2021" और "आय के पहचान के विवेकपूर्ण नियमों, परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण तथा अग्रिमों के लिये प्रावधानों" के आधार पर निष्पादनशील तथा गैर-निष्पादित वर्ग में बांटा जाता है:

ए) अगर ब्याज/किस्त (परिपक्वता क्रिया को मिलाकर) बकाया हो और 90 दिनों से अधिक से नहीं चुकाये गये हैं। इसे प्रिफरेंस शेयर जहाँ तय लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, में भी लागू किया जाता है।

बी) इक्विटी शेयर के मामले में, किसी कंपनी के शेयरों में

निवेश की स्थिति में नवीनतम बैलेंस शीट की अनुपलब्धता होने पर ₹ 1 प्रति कंपनी का मूल्य होगा। उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई के रूप में माना जाएगा।

सी) बैंक एक निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में भी वर्गीकृत करता है, यदि एक ही उधारकर्ता/संस्था द्वारा प्राप्त किसी भी ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति और इसके विपरीत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

डी) डिबेंचर/बांड में निवेश, जिन्हें अग्रिम माना जाता है, वे भी निवेश के लिए लागू पीआई मानदंडों के अधीन आते हैं।

4.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेन-देन के लिए लेखांकन-

बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ और बाजार के अन्य प्रतिभागीयों के साथ खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन करता है। पुनर्खरीद लेनदेन, प्रतिभूतियों को पुनः खरीदने के करार के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर कर्ज लेने को जाहिर करता है। दूसरी ओर, रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन, प्रतिभूतियों को खरीदकर फंड को कर्ज स्वरूप देने को जाहिर करता है।

ए) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची तथा खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपादित उधार तथा उधार लेनदेन में लेखांकन किया जाता है।

बी) हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य प्रत्यक्ष बिक्री/खरीद लेनदेन के मामले में स्थानांतरित किया जाता है और प्रतिप्रविष्टि तथा रेपो/रिवर्स रेपो का उपयोग करके प्रतिभूतियों का ऐसा संचालन परिलक्षित होता है।

सी) उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख को रिवर्स की जाती हैं। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 4(उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है तथा रेपो रिवर्स की शेष राशि को अनुसूची 7 (मांग और अल्प नोटिस पर बैंकों और राशि के साथ शेष राशि) के तहत वर्गीकृत किया गया है।

डी) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत बिक्री/क्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के लिए लेखांकन।

(बी) अनुषंगियाँ :

अनुषंगियों के मामलों में, निवेशों को चालू एवं गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश निम्न लागत अथवा बाजार मूल्य पर किए जाते हैं एवं गैर चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। यदि मूल्य में ह्रास स्थायी प्रकृति की है तो ह्रास के लिए प्रावधान, यदि है तो गैर चालू निवेश के मूल्य पर ही किया जाता है।

5. डेरिवेटिव्स :

बैंक तुलन पत्र/ऑफ बैलेंस शीट से इतर आस्तियों और देनदारियों को रोकने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप जैसे डेरिवेटिव अनुबंध में प्रवेश करता



है.

5.1 वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

- ए) ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.
- बी) जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.
- सी) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

5.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है :

- ए) एमसीएक्स – एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बाजार हेतु चिन्हित किया जाता है.
- बी) मार्क टू मार्केट लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर क्रेडिट/ डेबिट द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होना चाहिए.
- सी) बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते हैं. किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है.
- डी) स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है.

6. विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन:

- 6.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके दर्ज किया जाता है.
- 6.2 विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफ.ई.डी.ए.आई.) क्लोजिंग (स्पॉट/ फॉरवर्ड) दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना दी जाती है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक वस्तुएं, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है, लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं.

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित आकस्मिक देनदारियों को एफ.ई.डी.ए.आई. क्लोजिंग स्पॉट दरों का उपयोग करके सूचित किया जाता है.

- 6.3 बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा अनुबंधों का पुनर्मूल्यांकन निर्दिष्ट परिपक्वता अवधि के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.
- 6.4 मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर उन्हें शुरू में दर्ज किया गया था, उन्हें उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

7. अचल आस्तियां और मूल्यहास

ए. मूल बैंक

- 7.1 अचल संपत्तियों को संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर लागत पर ले जाया जाता है. लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे कार्यस्थल की तैयारी, स्थापना लागत, कर और उपयोग से पूर्व संपत्ति पर व्यय किया गया प्रोफेशनल शुल्क शामिल हैं.
- 7.2 उपयोग में लाई गई परिसम्पत्ति में किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है.
- 7.3 अचल आस्तियों का मूल्यहास "मूल्यहासित मूल्य प्रणाली" के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है. (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति से किया गया है.)
अनुमानित जीवन काल के आधार पर परिवर्तनीय दरों पर परिसर
- ए) फर्नीचर, लिफ्ट, सेफ वाल्ट 10%
- बी) वाहन, प्लांट तथा मशीनरी 20%
- सी) वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाईपराईटर आदि 15%
- डी) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर 33.33%
- (अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

- 7.4 आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर अन्य अचल आस्तियां सीधी रेखा विधि.
- 7.5 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
- 7.6 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यहास समग्र लागत पर किया गया है.
- 7.7 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यहास/परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यहास / परिशोधन को "पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां" में जमा किया गया है।

7.8 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है।

30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

इसके बाद हर तीन साल में पुनर्मूल्यांकन की गई आस्तियों का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्तियों के शुद्ध अंकित मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से क्रम किए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

पुनर्मूल्यांकन की गई आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यहास लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन भंडार से अन्य राजस्व भंडार में विनियोजित किया जाता है।

7.11 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की गई आस्तियों का मूल्यहास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

बी. अनुबंधियां

ए) अचल संपत्तियों में अधिग्रहण की लागत उपचित मूल्यहास को कम करके बताई गई है। लागत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खर्चों के आकस्मिक सभी खर्च शामिल है।

बी) सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले को छोड़ कर अचल आस्तियों पर मूल्यहास कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II में निर्धारित दरों के आधार पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है, अमूर्त आस्तियों पर प्रबंधन एवं परिशोधन के अनुसार निर्धारित 5 वर्ष की आस्तियों की उपयोगिता काल परिशोधित है।

8 आस्तियों की हानि:

अचल संपत्तियों की क्षति के लिए समीक्षा तब की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह आवश्यक हो जाता है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। धारित और उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूलीयोग्यता को आस्ति द्वारा सृजित होने वाले भावी शुद्ध रियायती नकदी प्रवाहों के साथ आस्ति की अग्रणीत राशि की तुलना द्वारा मापा जाता है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को अनर्जक हुआ माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक हो जाती है।

9. कर्मचारी लाभ:

ए. मूल बैंक

9.1 कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है।

9.2 अल्प अवधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

9.3 परिभाषित लाभ योजनाएं:

बैंक ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाएं संचालित करता है जो परिभाषित लाभ योजनाएं हैं।

ए) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, या रोजगार के दौरान मृत्यु पर, या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान के रूप में है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि के लिए, सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन। पांच साल की सेवा पूरी होने पर उपलब्ध है। बैंक एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर न्यासी द्वारा प्रशासित निधि में आवधिक अंशदान करता है।

बी) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या रोजगार के दौरान मृत्यु पर, या रोजगार की समाप्ति पर नियमों के अनुसार मासिक भुगतान के रूप में है। निहित नियमानुसार यह विभिन्न चरणों में होता है। पेंशन देयता की गणना सालाना किए गए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और बैंक ऐसा करता है। पेंशन विनियमों के तहत लाभों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए निधि में समय-समय पर अतिरिक्त अंशदान की आवश्यकता हो सकती है।

सी) परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता है।

डी) जब योजना के लाभों में परिवर्तन किया जाता है, या जब किसी योजना में कटौती की जाती है या समझौता होता है, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित परिवर्तित लाभ का हिस्सा, या कटौती या समझौते पर लाभ या हानि को तुरंत लाभ अथवा हानि खाते में दर्शाया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के तहत लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व जैसे कि ग्रेच्युटी, पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण में योगदान को बीमांकिक मूल्यांकन



तकनीक का उपयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाता है।

- ई) बीमांकिक लाभ/हानि को उस वर्ष में पहचाना जाता है जब वे उत्पन्न होते हैं।

9.4 परिभाषित योगदान योजना:

भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान है जिसके तहत बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर एक निर्धारित योगदान का भुगतान करता है।

बैंक का दायित्व इस निर्धारित योगदान तक सीमित है।

यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना एक निर्धारित योगदान योजना है, जो उन कर्मचारियों पर लागू है जिनकी बैंक में नियुक्ति दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद हुई है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है। यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।

बी. अनुषंगियां

- ए) सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, ऋणों एवं अग्रिमों पर आय का निर्धारण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

- बी) सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, फीस एवं अन्य प्रभारों जैसे लॉगिन फीस, अतिदेय पर दंडस्वरूप ब्याज, पूर्वभुगतान प्रभार आयकर रिफंड पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है।

- सी) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अनुषंगी के मामले में, निर्वाहक ट्रस्टी व्यवसाय के संबंध में आय, ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन होने पर प्राप्त की जाती है। डिबेंचर एवं प्रतिभूति ट्रस्टीशिप सेवाओं से प्राप्त राजस्व, आवधिक आधार पर निर्धारित किया जाता है उसकी गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा दायर किए गए वाद और/अथवा बीआईएफआर कम्पनियों के डिबेंचर ट्रस्टीशिप व्यवसाय से होने वाली आय की गणना प्राप्य आधार पर की जाती है।

10. आय पर करों के लिए लेखांकन:

आय कर व्यय बैंक द्वारा प्रदत्त चालू कर तथा आस्थगित कर व्यय की सकल राशि है। सकल वर्ष के लिए कर के प्रावधान में क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 और लेखांकन मानक 22- "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देयता शामिल है। आस्थगित कर को एक अवधि में उत्पन्न होने वाली कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के अनुसार माना जायेगा जो एक या अधिक बाद की अवधि में प्रत्यावर्तित होने में सक्षम है।

आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो।

आगे लाए गए अनवशोषित मूल्यहास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों का भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा।

धारित राशि की वसूली के पुनर्आकलन के कारण आस्थगित कर आस्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

11. विविध अनावंटित आय तथा प्राप्त राशि

सेन्ट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अनुषंगी, के मामले में वे लाभार्थी जिनके विवरण निश्चित नहीं हैं, के लिये प्राप्त राशि को नॉमिनल खाते "संड्री पार्टि अनक्लेम्ड डिबिटेंड / इंटरेस्ट" तथा "अन-एलोकेटेड / अन-क्लेम्ड प्रोसीड्स ऑन रेडेम्पशन ऑफ सेक्यूरिटीज" में जमा किया जाता है।

जब कभी भी भुगतानकर्ता से लाभार्थी के विवरण प्राप्त हो जाते हैं, तब उस राशि को इन खातों से निकालकर उन लाभार्थियों के खाते में जमा कर दिया जाता है।

12. प्रावधान, आकस्मिकताएं एवं अनुषंगी आस्तियां :

12.1 भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ए.एस.29, "प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्ति" के अनुरूप, बैंक केवल उन प्रावधानों को मान्यता देता है, जो पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसके वर्तमान दायित्व होते हैं, और इसके परिणामस्वरूप संभावित दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

12.2 निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है

- ए) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी, जो कि पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में न होगी, या

- बी) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि:

- यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या
- दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और दायित्व के केवल उस हिस्से के लिए प्रावधान किया

जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

12.3 बीमांकिक अनुमानों पर बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रावधान किया जा रहा है।

12.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

13 विशेष आरक्षित नीति

राजस्व और अन्य रिजर्व में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व शामिल हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने रिजर्व के निर्माण को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और पुष्टि की है कि इसका विशेष रिजर्व को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है।

14 खंड रिपोर्टिंग :

बैंक व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में आरबीआई

दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में मान्यता देता है।

15 प्रति शेयर आय :

ए) बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है। बेसिक प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरधारक को पात्र अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ/हानि को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बकाया शेष शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है

डी) प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय संभावित डाइल्यूशन को दर्शाता है यदि वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए अनुबंधों का प्रयोग किया जाता है अथवा प्रतिभूतियों को परिवर्तित किया जाता है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटिंग आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया संभावित डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक शेट
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

कृते एस. जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सीए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सीए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सीए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीबी8382

(सीए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861



अनुसूची 18 : समेकित वित्तीय लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी में शामिल अनुषंगियां एवं एसोशिएट्स

- 1.1 समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ (जिन्हें सम्मिलित रूप से "दि ग्रुप" के संदर्भित किया गया है) एवं 4 एसोशिएट, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड शामिल है, के लाभ/हानि शेयर का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/एसोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2022 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2021 को स्वामित्व हित
सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (एसोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

- 1.2. अनुषंगियां तथा एसोशिएट में जिन वित्तीय विवरणियों का समेकन के लिए उपयोग किया गया है, उनको उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयार की गई है अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2022 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि कैलेंडर वर्ष है। तदुपरांत लाभ की राशि दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर ली गई है। इंडो जाम्बिया बैंक की वित्तीय विवरणी स्थानीय नियमों के अंतर्गत अपनाए गए लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार की गई है। प्रबंधन के अभिमत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है।
- 1.3. एसोशिएट्स में मूल बैंक के लाभ/हानि का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखाव लागत सहित जोड़ा/घटाया गया है।
- 1.4. अनुषंगी, अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट्रल बैंक होम फायनेंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि प्राप्त जमाएं/देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिससे असंगतता उत्पन्न होती है। इसे पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है।
- 1.5. अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अनुषंगियों एवं एसोशिएट की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है, एसोशिएट के वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा अलेखापरीक्षित तथा प्रमाणित हैं।
2. समेकित वित्तीय विवरणी बनाने में, जहाँ कहीं अनुषंगियों तथा एसोशिएट द्वारा एक ही प्रकार के लेन देन के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गयी हैं, का समायोजन नहीं किया गया है और प्रबंधन के विचार में यह महत्वपूर्ण नहीं है।

3. मूल बैंक

3.1. पूंजी :

3.1.1. 29.05.2021 को ₹ 7.11 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित ₹ 17.11 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमाम्य आधार पर ₹ 10/- प्रत्येक के 280,53,76,972 नए इक्विटी शेयरों के निर्गमन एवं आवंटन द्वारा बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी विगत वर्ष के ₹ 5875.56 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 को ₹ 8680.94 करोड़ हो गयी। इस आवंटन के साथ, बैंक में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की हिस्सेदारी 89.78% से बढ़कर 93.08% हो गयी।

3.1.2. संचित हानि का व्यतिरेक

6 सितंबर, 2021 को बैंक ने शेयरधारकों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि के विरुद्ध 31 मार्च, 2021 को ₹ 18724.2174 करोड़ की संचित हानि को समायोजित किया है।

3.2. बहियों का समतुलन/मिलान

3.2.1. मूल बैंक, अंतर कार्यालय समायोजन (आईबीआर) खाते में शामिल खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया शेष/प्रविष्टियों का मिलान करने की प्रक्रिया में है।

31 मार्च 2022 को आईबीआर खाते का निवल शेष 19.01 करोड़ (निवल क्रेडिट) है, जो 31 मार्च 2021 को 10.30 करोड़ (निवल क्रेडिट) था।

3.2.2. निम्नलिखित मदों का समतुलन नियमित रूप से किया जा रहा है:

- » अंतर शाखा कार्यालय शेष
- » अंतर बैंक खाते
- » उचित खाते
- » समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते

- » नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- » नोस्ट्रो खाते
- » एटीएम से संबंधित शेष
- » सेंट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए दर्पण खाते एवं अन्य शेष
- » कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डाटा/सिस्टम अद्यतन
- » जीएसटी
- » अचल आस्ति
- » अन्य आस्तियां
- » अन्य देयताएं

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

3.3. आय कर :

- 3.3.1. वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है।
- 3.3.2. अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 2405.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1771.51 करोड़) शामिल हैं, जो मूल बैंक के विवादित आय कर देयता के संदर्भ में हैं। ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया। 31 मार्च 2022 तक विवादित सेवा कर मामला ₹ 7.64 करोड़ का है।
- 3.3.3. भारत सरकार ने कराधान कानून अध्यादेश (संशोधन) 2019 दिनांक 20 सितंबर, 2019 के तहत आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में धारा 115 बीबीए सम्मिलित किया है जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक ने अधिनियम की प्रयोज्यता का आकलन किया है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा कर दर (अर्थात् 34.944%) को जारी रखने का विकल्प चुना है।

3.4. परिसर :

- 3.4.1. बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्ट और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के आधार पर 31.03.2021 को बाजार मूल्य को दर्शाने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था और ₹ 881.96 करोड़ की वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया।
- 3.4.2. बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 31.03.2021 को बाजार मूल्य को दर्शाने के लिए बैंक के परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया गया था तथा उसके मूल्य में ₹ 881.96 करोड़ की वृद्धि करके पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया है।
- 3.4.3. ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यहास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है। पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 54.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 58.85 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यहास की राशि को "पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि" से अंतरित कर "राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि" में जमा किया गया है।
- 3.4.4. लिखित मूल्य निरंक (पिछले वर्ष ₹ निरंक) सहित जिसकी लीज अवधि समाप्त हो गयी है और बैंक के अभी भी इन भूमि पर अपने कार्यालय / भवन हैं तथा लीज नवीनीकरण हेतु प्राधिकारियों के संपर्क में है सहित, मूल बैंक द्वारा लीज पर प्राप्त भूमि में ₹ 8.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.02 करोड़) शामिल हैं।

3.5. अग्रिम/प्रावधान :

- 3.5.1. पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, मूल बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों / आस्तियों के मूल्यांकन को द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा।
- 3.5.2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल बैंक ने शेष अस्थायी प्रावधान राशि ₹ 100.56 करोड़ एवं प्रतिचक्र्रीय प्रावधान की राशि ₹ 47.34 करोड़ अशोध्य एवं संदिग्ध प्रावधान खातों में स्थानांतरित कर दी है।

3.6. भारिबैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

- 3.6.1. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 51 की धारा (1) एवं धारा 46 की उप-धारा (4) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 47(ए) की उप-धारा (1) के खण्ड (सी) के अनुसार ग्राहकों के खातों में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि की क्रेडिट विफलता (आभासी प्रत्यावर्तन) की विवादास्पद स्थिति सहित गैर-अनुपालन हेतु ₹ 0.36 करोड़ (विविक्त वर्ष निरंक) से दण्डित किया है।

- 3.6.2 भारिबैंक ने निदेशक की समानता के बावजूद, ऋण की गारंटी हेतु उधारकर्ता कंपनी के साथ प्रतिबद्धता में प्रवेश के लिए अधिनियम की धारा 20 (1) के विपरीत संस्करण (कंट्रा वर्जन) हेतु अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (1) एवं धारा 46 की धारा (4) के खण्ड (i) के साथ पठित अधिनियम की धारा 41(ए) की धारा (1) के खंड (सी) के अनुसार ₹1.00 करोड़ (विगत वर्ष ₹ निरंक करोड़ से दण्डित किया है।
- 3.6.3 कुछ आवास ऋण खातों पर भारिबैंक के परिपत्र दिनांक 30.09.2013 के मानदंडों का अनुपालन न करने पर हमारे बैंक को ₹ निरंक करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.50 करोड़) से दण्डित किया है।
- 3.6.4 करेंसी चेस्ट परिचालन पर भारिबैंक के मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए (1) (ए) सह पठित धारा 46(4) (i) के अंतर्गत बैंक को ₹ निरंक करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.31 करोड़) से दण्डित किया है।
- * जैसा कि प्रबंधन द्वारा अनुपालन किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :

4.1. लेखांकन मानक 9 - राजस्व पहचान

आय की कुछ मदों को महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 9 के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है, हालांकि, उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

4.2. लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

4.2.1. सुपरिभाषित लाभ योजना :

कर्मचारी पेंशन योजना तथा उपदान (ग्रेच्युटी) प्लान

निम्नलिखित तालिकाएं मूल बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित पेंशन योजनाओं और उपदान योजना की स्थिति निर्धारित करती हैं।

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	15557.68	15421.82	1726.67	1623.23
वर्तमान सेवा लागत	82.63	78.11	100.62	82.83
व्याज लागत	1012.96	1000.65	103.25	101.61
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	821.95	0.00	0.00	0.00
वास्तविक हानियां (लाभ)	301.95	598.99	100.23	244.23
प्रदत्त लाभ	(1539.75)	(1541.90)	(300.56)	(325.23)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च, 2022 को परिभाषित लाभ दायित्व को बंद करना	16237.43	15557.68	1730.20	1726.67
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल, 2021 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियों को खोलना	15198.05	14939.64	1534.62	1720.32
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1074.53	1037.01	98.93	106.55
नियोक्ता द्वारा अंशदान	976.98	487.00	252.11	0.00
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(1539.75)	(1541.90)	(300.56)	(325.24)
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	98.07	276.30	45.41	32.99
31 मार्च, 2022 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियों को बंद करना	15807.88	15198.05	1630.51	1534.62

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)	वि.व.(21-22)	वि.व.(20-21)
तुलन पत्र में मान्य राशि				
31 मार्च, 2022 को वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	16,237.43	15,557.68	1,730.20	1,726.67
31 मार्च, 2022 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियाँ	(15,807.88)	(15,198.05)	(1630.51)	(1,534.62)
अमान्य गत सेवा लागत	(277.43)	0.00	0.00	0.00
कमी/ (अतिरिक्त)	152.12	359.63	99.69	192.05
शुद्ध देयताएं / (आस्ति)	152.12	359.63	99.69	192.05
लाभ एवं हानि खाते में मान्य मूल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	82.63	78.11	100.62	82.84
गत सेवा लागत – मान्य	544.52	0.00	0.00	0.00
व्याज लागत	1,012.96	1,000.65	103.25	101.61
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(1,074.53)	(1,037.01)	(98.93)	(106.55)
वर्ष के दौरान स्वीकृत शुद्ध वास्तविक हानियाँ/(लाभ)	203.88	322.69	54.82	211.24
अनुसूची 16 “कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान” में परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत शामिल है	769.47	364.45	159.76	289.14
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल तथा वास्तविक प्रतिफल का समयोजन				
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1,074.53	1,037.01	98.93	106.55
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	98.07	276.30	45.41	32.99
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1,172.60	1,313.31	144.34	139.54
तुलन पत्र में स्वीकृत शुद्ध देयता / (आस्ति) खोलने तथा बंद का समयोजन				
1 अप्रैल, 2021 को शुद्ध देयता/ (आस्ति) खोलना	359.63	482.18	192.05	(97.09)
लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृत व्यय	769.47	364.45	159.76	289.14
नियोक्ता अंशदान	(976.98)	(487.00)	252.11	0.00
तुलन पत्र में स्वीकृत शुद्ध देयताएं/(आस्तियाँ)	152.12	359.63	99.69	192.05

दिनांक 31 मार्च, 2022 को पेंशन फंड तथा उपदान फंड के योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार है -

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन फंड	उपदान फंड
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.62	2.39
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	21.50	39.46
ऋण प्रतिभूतियाँ, मनी मार्केट प्रतिभूतियाँ तथा बैंक जमा	22.91	39.23
म्युचुअल फंड	2.29	1.92
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	52.68	15.62
अन्य	0.00	1.38
कुल	100.00	100.00



मूल बीमांकिक अनुमान

	पेंशन योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(21-22)	वि.व(20-21)
छूट दर	7.25	6.85
योजना आस्तियों पर प्रतिफल का अपेक्षित दर	7.25	6.85
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00
पेंशन वृद्धि दर	4.00	4.00
संघर्षण दर	2.50	2.50
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)	

मूल बीमांकिक अनुमान

	पेंशन योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	वि.व(21-22)	वि.व(20-21)
छूट दर	6.90	6.55
योजना आस्तियों पर प्रतिफल का अपेक्षित दर	6.90	6.55
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00
संघर्षण दर	2.50	2.50
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)	

योजना में अधिशेष / कमी

(राशि ₹ करोड़ में)

उपदान योजना	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
वर्ष की समाप्ति पर देयताएं	1,741.56	1,648.13	1,623.23	1,726.66	1,730.20
वर्ष समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,124.94	1,878.26	1,720.32	1,534.62	1,630.51
अंतर	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69
तुलन पत्र में मान्य राशि	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69

अनुभव समायोजन

तुलन पत्र में मान्य राशि	वर्ष समाप्ति				
	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
योजना देयताएं(लाभ)/हानि पर	(511.99)	(29.08)	(6.34)	249.60	145.94
योजना आस्ति (हानि)/लाभ पर	14.57	(42.56)	(3.38)	32.99	45.41

योजना में अधिशेष / कमी (राशि ₹ करोड़ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

पेंशन योजना	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
वर्ष के समाप्ति पर देयताएं	13,821.17	14,245.10	15,421.82	15,557.67	16,237.43
वर्ष समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13,515.58	14,645.14	14,939.64	15,198.04	15,807.88
अंतर	305.59	(400.04)	482.18	359.63	429.55
तुलन पत्र में अमान्य राशि (गत सेवा लागत के संबंध में)	0.00	0.00	0.00	0.00	277.43
तुलन पत्र में मान्य राशि	305.59	(400.04)	482.18	359.63	152.12
तुलन पत्र में मान्य राशि (गत सेवा लागत के संबंध में)	0.00	0.00	0.00	0.00	544.52

(राशि ₹ करोड़ में)

अनुभव समायोजन	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
योजना देयताएं(लाभ)/हानि पर	1,029.93	422.24	12.65	2,279.00	847.41
योजना आस्ति(हानि)/लाभ पर	263.51	(72.66)	346.19	276.30	98.07

आगामी वर्ष हेतु पेंशन और उपदान फंड में अपेक्षित योगदान क्रमशः ₹ 130.08 करोड़ एवं ₹ 76.50 करोड़ है।

4.2.2. परिभाषित अंशदान योजना :

बैंक की एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने ₹ 146.97 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 103.67 करोड़) का अंशदान दिया है।

4.2.3. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (अविविध दायित्व) :

वर्ष के दौरान बैंक ने बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण व्यय हेतु ₹ 43.24 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 131.20 करोड़) के व्यय मान्य किए हैं।

सेंट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड, अनुषंगी, पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए उपदान प्रदान करती है। अपनी देयता को निधि देने हेतु, कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संचित उपदान देयता को कवर करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक पॉलिसी ली है और इस पॉलिसी पर भुगतान किए गए प्रीमियम को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया है तथा अवकाश नकदीकरण देयता के प्रावधान की गणना 31 मार्च, 2021 को कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के शेष पर की गयी है। वही 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्रदान किया गया है।

4.3. लेखांकन मानक 17 - समूह की खंड रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित खंड रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग खंडों के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग व्यवसाय को मान्य किया है। यहाँ कोई द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं हैं।

बैंक के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं:

- » ट्रेजरी
- » कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग
- » खुदरा बैंकिंग
- » अन्य बैंकिंग व्यवसाय

वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधन रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और रिटर्न की प्रकृति के आधार पर बैंक की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली, प्राथमिक खंडों पर डेटा की गणना निम्नानुसार की गई है:

- » ट्रेजरी - ट्रेजरी सेगमेंट में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा अनुबंधों और व्युत्पन्न अनुबंधों में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड के राजस्व में मुख्य रूप से निवेश पोर्टफोलियो पर व्यापार संचालन और ब्याज आय से शुल्क और लाभ या हानि शामिल है।
- » कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग - कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग खंड में कॉर्पोरेट खातों, ट्रस्ट / साझेदारी फर्म कंपनियों और वैधानिक निकायों की उधार गतिविधियाँ शामिल हैं जो खुदरा बैंकिंग और तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है।
- » खुदरा बैंकिंग - खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएं शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों को उधार देने की गतिविधियाँ शामिल हैं। रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद स्तरीय मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

» अन्य बैंकिंग व्यवसाय - उपरोक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए गए खंडों को इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी		कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		योग	
विवरण	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
राजस्व	11,628.52	12,549.65	5,296.04	5,201.19	8,944.92	8,187.93	1.35	1.53	25,870.83	25,940.30
परिणाम	2,536.03	4,004.01	291.52	(3,424.09)	(821.85)	(1,677.01)	0.28	0.03	2,005.98	(1,097.06)
अनाबंटित व्यय									261.17	211.95
परिचालन लाभ									1,744.81	(1,309.01)
आयकर									680.31	(430.52)
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	11.29	(121.62)
निवल लाभ									1,075.79	(1,000.11)
अन्य सूचना :										
खंडवार आस्तियां	1,97,643.37	1,92,414.73	65,074.66	60,023.68	1,09,543.82	1,01,263.04	8.88	6.31	3,72,270.73	3,53,707.76
अनाबंटित आस्तियां									15,164.54	16,266.72
कुल आस्तियां									3,87,435.27	3,69,974.48
खंडवार दायित्व	1,91,840.34	1,97,847.44	62,615.86	54,166.03	1,05,422.85	91,457.62	6.81	6.55	3,59,885.86	3,43,477.64
अनाबंटित दायित्व									-	-
कुल दायित्व									3,59,885.86	3,43,477.64

* जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, वहां खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है।

चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वहां आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण किया गया है।

समूह का केवल एक ही भौगोलिक खंड है अर्थात् डोमेस्टिक खंड है।

4.4. लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबन्धित पार्टि प्रकटीकरण - संबन्धित पार्टि (मूल बैंक की)

4.4.1. संबन्धित पार्टियों की सूची

4.4.1.1. दिनांक 31.03.2022 को प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

क्र. सं.	नाम	पदनाम
मूल बैंक		
i.	श्री मटम वेंकट राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii.	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक
iii.	श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक
iv.	श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक
अनुषंगियां		
सेन्ट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज़ लि.		
i.	श्री एस.वेंकटरमण	प्रबंध निदेशक
ii.	श्री एच वी कामदार	पूर्व-कंपनी सचिव
iii.	सुश्री आरती शर्मा	कंपनी सचिव
सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड		
i.	श्री कुशल पाल	प्रबंध निदेशक
ii.	श्री शीशराम टुन्डवाल	पूर्व-प्रबंध निदेशक
iii.	श्री आशीष श्रीवास्तव	कंपनी सचिव
iv.	श्री मनीष पायल	पूर्व-कंपनी सचिव
v.	श्री एस.सी. मेहता	मुख्य वित्त अधिकारी

4.4.1.2. संबन्धित पार्टियों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

नाम मूल बैंक	पदनाम	(राशि ₹ करोड़ में)	
		प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी 31.03.2022	31.03.2021
श्री एस. वेंकट रमण (01.03.2021 से प्रभावी)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.32	0.02
श्री पल्लव महापात्र (28.02.2021 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-	0.94
श्री बी. एस. शेखावत (08.10.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक	-	1.30
श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	0.29	0.27
श्री विवेक वाही (10.03.2021 से प्रभावी)	कार्यपालक निदेशक	0.27	0.01
श्री राजीव पुरी (10.03.2021 से प्रभावी)	कार्यपालक निदेशक	0.28	0.01
अनुषंगीय			
सीएफएसएल			
श्री एस. वेंकटरमण	प्रबंध निदेशक	0.23	0.001
श्री एच.वी., कामदार	पूर्व-कम्पनी सचिव	0.001	0.19
सु श्री आरती शर्मा	कम्पनी सचिव	0.07	-
सीबीएचएफएल			
श्री कुशल पाल	प्रबंध निदेशक	0.19	-
श्री शीशराम तंडवाल	पूर्व-प्रबंध निदेशक	0.06	0.20
श्री आशीष श्रीवास्तव	कम्पनी सचिव	0.05	-
श्री मनीष पायल	पूर्व-कम्पनी सचिव	0.06	0.14
श्री एस. सी. मेहता	मुख्य वित्त अधिकारी	0.07	-
श्री आशीष मिश्र	पूर्व-मुख्य वित्त अधिकारी	-	0.10

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18, के पैरा 9 "संबन्धित पार्टि प्रकटीकरण" के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बन्धित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है.

आगे, एएस-18 के पैरा 5 के संदर्भ में केएमपी और केएमपी के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों की रूप में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है.

4.5. लेखांकन मानक 20 - समूह की प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
	31.03.2022	31.03.2021
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	1076	(1000)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	823,51,53,502	579,37,98,207
प्रति शेयर मूल आय (₹)	1.31	(1.73)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	1.31	(1.73)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10	10.00

4.6. लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2022 को ₹6856.01 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिह्नित किए गए हैं.

दिनांक 31 मार्च, 2022 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:

विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)			
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर देनदारियां	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
मूल बैंक				
व्यापार हानि	1655.92	2278.67		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	346.52	331.41		
लोनो और अग्रिमों के लिए प्रावधान	5728.37	5810.18		
आयकर वापसी पर ब्याज	0.00	0.00	26.94	0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		आस्थगित कर देनदारियां	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
अर्जित ब्याज लेकिन निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00	760.96	787.93
आइटी अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	0.00	0.00	34.94	34.94
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.00	0.00	45.90	51.71
अनुषंगी:-				
सेंट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड				
अग्रिमों पर प्रावधान	9.58	7.57	0.00	0.00
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.01	0.02	0.00	0.00
अन्य	0.10	0.05	1.12	0.91
आइटी अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	0.00	0.00	14.64	13.16
सेंट बैंक होम फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एनईटी)	0.01	0.02	0.00	0.00
कुल	7740.51	8427.92	884.50	888.64
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	6856.00	7539.27	-	-

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2021-22 के लिए आस्थगित कर आस्तियों में शुद्ध कमी ₹ 683.27 करोड़ (पिछले वर्ष बढ़ोतरी ₹ 67.61 करोड़) मानी गई।

4.7. लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है। प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2022 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है। जिसे मानक आधार पर मान्य करने की आवश्यकता है।

4.8. लेखांकन मानक - 29 आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रावधानों पर (मूल बैंक का)

4.8.1. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रावधान और आकस्मिकताओं का ब्यौरा पी एंड एल खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है	31.03.2022	31.03.2021 *
निवेश (एनपीआई) पर प्रावधान/मूल्यह्रास	646.74	356.57
एनपीए के लिए प्रावधान	2461.55	5175.89
मानक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान	(222.47)	263.15
कर के लिए किया गया प्रावधान	672.13	(436.03)
पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	595.94	76.49
अन्य प्रावधान	(1.57)	30.00
कुल	4152.32	5466.07

चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वहां आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण किया गया है।

4.8.2. फ्लोटिंग प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
ए प्रारम्भिक जमा	100.56	100.56
बी योग : वर्ष के बनाए गए विशेष प्रावधान	-	-
सी घटाव : वर्ष के दौरान की गई निकासी	100.56	-
डी अस्थायी प्रावधान का अंतिम शेष	निरंक	100.56

4.8.3.प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर

		(राशि ₹ करोड़ में)	
विवरण		31.03.2022	31.03.2021
ए	प्रतिचक्रीय प्रावधान खाते में प्रारम्भिक जमा	47.34	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्रीय प्रावधानों की मात्रा	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	47.34	-
डी	प्रतिचक्रीय प्रावधान खाते में अंतिम राशि	-	47.34

5. अन्य प्रकटीकरण:-

5.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

वर्ष के दौरान सेंट्रल बैंक होम फायनेन्स, अनुषंगी ने कंपनी अधिनियम 2013 एवं इसके नियमों के अंतर्गत धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए ₹ 0.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.42 करोड़) खर्च किए.

5.2 प्रोवीजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर)

पीसीआर (टैक्नीकल राइट ऑफ सहित) 86.69% (गत वर्ष 82.54%) रहा - मूल बैंक.

पीसीआर (टैक्नीकल राइट ऑफ सहित) 76.29% (गत वर्ष 69.13%) रहा - मूल बैंक.

5.3 सेंट्रल बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी, शेयर्स, प्रतिभूतियों एवं अचल संपत्तियों की प्रकृति में अपने ग्राहक के पक्ष में न्यासी लाभार्थी संबंध में प्रत्ययी के रूप में निवेश करता है, जोकि निदेशक मंडल की दृष्टि में पर्याप्त सुरक्षित है एवं उचित अभिलेखित है एवं इस प्रत्ययी संबंध से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया जाता है.

5.4 एक समयावधि में विभिन्न कंपनियों / उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ब्याज एवं अन्य कॉर्पोरेट लाभ ₹ 1.79 करोड़ की राशि सेंट्रल बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी ने न्यास / लाभार्थियों को अंतरित/ आबंटित नहीं की हैं, जिनके निवेश पोर्टफोलियो न्यासधारिता सेवाओं के अंतर्गत उनके पक्ष में है. उक्त राशि दिनांक 31.03.2021 को ₹ 1.66 करोड़ थी एवं दिनांक 31 मार्च 2022 को यह बढ़कर ₹ 1.79 करोड़ हो गयी. इसी प्रकार, ₹ 0.18 करोड़ की बिक्री / शेयर्स के मोचन की आगम राशि / लाभांश की राशि सम्बंधित न्यास / लाभार्थी को अंतरित / आबंटित नहीं की गयी है. यह वर्ष 2005-06 से बकाया शेष है. इसने यह राशि अपने बैंक के चालू खाता में रखी है.

5.5 भारिबैं के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार, अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) निरंक है.

5.6 एमएसएमई क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में जिस विक्रेता की सेवाओं का उपयोग किया गया है उसका चयन किया जाता है. यह लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया जाता है.

5.7 सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन.

मूल बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधन द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछली समीक्षा दिनांक 30.03.2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

5.8 मूल एवं अनुषंगियों की एकल वित्तीय विवरणियों में प्रकट के गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी समेकित वित्तीय विवरणियों के सत्य एवं उचित अभिमत को प्रभावित नहीं करती है एवं आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में उन मदों जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, से संबंधी समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

5.9 एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण :

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 क्रमशः दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए खातों के संबंध में मूल बैंक ने दिनांक 31.03.2022 को ₹ 6406.10 करोड़ का कुल प्रावधान (₹ 127.90 करोड़ की एफआईटीएल सहित)@ (निवेश सहित 100 % का कुल बकाया) रखा है.

5.11 "माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत या तो छूट दी गई या पंजीकृत किए गए एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत पर आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01, जनवरी, 2019 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 एवं आरबीआई/2020-21/ डीओआर सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार 31.03.2022 को एमएसएमई पुनर्चित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्चित खातों की संख्या	राशि करोड़ में
29838	2,808.24

5.11 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 13 जून 2017 के पत्र के माध्यम से उच्च शुद्ध एनपीए और परिसंपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न को देखते हुए मूल बैंक को शीघ्र (पीसीए) सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा है. बैंक पीसीए ढांचे के मानदंडों का सावधानीपूर्वक पालन कर रहा है. बैंक ने एक कार्य योजना तैयार की है और एनपीए को कम करने और लाभप्रदता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं.

5.12 बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय परिशोधन पर प्रकटीकरण :-

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या: आरबीआई/2021-22/105 डीओआरएसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के माध्यम से बैंकों को कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले 5 (पांच) वर्ष से अधिक की अवधि में हर साल खर्च की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5वां हिस्सा होगा। बैंक द्वारा प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता ₹ 82,195.00 लाख आ गई है। बैंक ने आरबीआई के उक्त परिपत्र के अनुसार परिशोधन का विकल्प चुना है और 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में ₹ 82,195.00 लाख में से ₹54,452.00 लाख की राशि चार्ज किया है जिसे बाद के वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ पर परिशोधित पेंशन देयता का परिणामी प्रभाव ₹ 18,048.00 लाख (करोड़ों का निवल) है।

5.13 भारत सहित विश्व स्तर पर कोरोना वायरस (कोविड -19) महामारी के प्रकोप के कारण आर्थिक गतिविधियों में मंदी आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। कोविड -19 महामारी समूह के वित्तीय परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित है। इस अनिश्चितता को देखते हुए, कोविड -19 महामारी के कारण, समूह भविष्य की आर्थिक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है जो परिस्थिति के अनुसार भविष्य में समूह के संचालन और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकता है, तथा जो कि वित्तीय विवरणों की स्वीकृति की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है।

5.14 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक शेट
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

कृते **एस.जयकिशन**
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते **छाजेड एवं दोशी**
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते **ए.एस.के.ए एवं कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते **किशोर एवं किशोर**
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सीए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सीए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सीए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीवी8382

(सीए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861

दिनांक 31 मार्च, 2022 के वर्ष समाप्ति के लिए

समेकित नकदी प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	1,763.26	(1,425.41)
I	समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	296.76	292.53
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	368.87	399.68
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	3,101.21	5,212.63
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(217.55)	261.62
	अन्य मदों (शुद्ध)के लिए प्रावधान	235.53	85.35
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि (शुद्ध)	(9.10)	21.00
	उप योग	5,538.98	4,847.39
II	समायोजन के लिए:		
	जमाओं में वृद्धि (कमी)	12,836.26	16,127.17
	उधार में वृद्धि / (कमी)	1,903.64	(316.37)
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	1,878.72	(8,215.90)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(14,753.67)	(10,649.33)
	निवेश में (वृद्धि) / कमी	7,374.60	(6,392.02)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(779.68)	962.13
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	277.70	1,633.60
	उप योग	8,737.57	(6,850.72)
	परिचालनात्मक गतिविधियों में शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	14,276.55	(2,003.33)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री / निपटान	24.38	2.72
	अचल आस्तियों की खरीद	(157.76)	(205.17)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	(133.38)	(202.45)



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2022	31-03-2021
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	-	255.00
	शेयर आवेदन राशि	-	4,800.00
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	-	5,055.00
डी	निवल नकद में वृद्धि और नकद समकक्ष (ए + बी + सी) या (एफ - ई)	14,143.17	2,849.22
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबैंक में जमा शेष	32,188.10	30,059.99
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष	6,765.67	6,044.56
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष (ई)	38,953.77	36,104.55
एफ	वर्ष के समाप्ति में नकद और नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबैंक में जमा शेष	38,033.70	32,188.10
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष	15,063.24	6,765.67
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष (एफ)	53,096.94	38,953.77

टिप्पणियाँ:

- उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित किए अनुसार "अप्रत्यक्ष माध्यम" के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समाहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री हार्दिक शेट
निदेशक

श्री पी.जे. थॉमस
निदेशक

श्री दिनेश पांगती
निदेशक

श्री प्रदीप पी. खिमानी
निदेशक

कृते एस.जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 309005ई

कृते छाजेड़ एवं दोशी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 101794डब्ल्यू

कृते ए.एस.के.ए एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 122063डब्ल्यू

कृते किशोर एवं किशोर
सनदी लेखाकार
एफ.आर सं. 000291एन

(सीए रितेश अग्रवाल)
भागीदार
एम.नं. 062410
यूडीआईएन : 22062410एआईपीडब्ल्यूएमबी7737
स्थान : मुंबई
दिनांक : 9 मई, 2022

(सीए किरण के.दफ्तरी)
भागीदार
एम.नं. 010279
यूडीआईएन : 22010279एआईपीडब्ल्यूसीई5031

(सीए विजय शेलार)
भागीदार
एम.नं. 101504
यूडीआईएन : 22101504एआईपीडब्ल्यूबीवी8382

(सीए पी.आर.करंथ)
भागीदार
एम.नं. 018808
यूडीआईएन : 22018808एआईपीडब्ल्यूसीसी2861

दिनांक 31.03.2022 को पिलर 3 (बेसल III) प्रकटीकरण

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्य क्षेत्र

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण :

इस पत्रक में किए गए प्रकटीकरण एकल आधार पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से संबंधित हैं।

समेकित खातों (वार्षिकतः प्रकट) में बैंक की अनुषंगियां/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं :

ए. समेकन में शामिल समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ निगमन का देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या संस्था को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	कारण बताएं यदि समेकन के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है.
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	एस-21 के अनुसार, अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का समेकन	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का एस-21 के अनुसार समेकन	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का एस-23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एशोसिएट : नियामक समेकन के दायरे में नहीं
उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का एस-23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एशोसिएट : नियामक समेकन के दायरे में नहीं
इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : नियामक समेकन के दायरे में नहीं

बी. समेकन के क्षेत्र में लेखांकन एवं विनियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु विचार किए गए समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ निगमन का देश	संस्था की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का विनियामक संव्यवहार	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसी कोई संस्था नहीं					



(ii) परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ निगमन का देश (उपर्युक्त (i) ए.में दर्शाए अनुसार)	संस्था की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ करोड़ में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ करोड़ में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण तथा मॉर्गेज ऋण प्रदान करना है.	25.00	1212.15
सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान करना है.	5.00	42.19
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	569.44	20411.16
उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	90.79	4458.84

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है : निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट : निरंक

तालिका डीएफ - 2 : पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश :

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है, जो बैंक को उसके व्यवसाय प्राक्कलनों के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है; उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से नियंत्रित न हो, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है और अग्रिम दृष्टिकोण के तहत जोखिम भारिता की गणना के लिए एसएसएस समाधान स्थापित किया है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :

- मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @9% ₹ 10710.00 करोड़
- प्रतिभूति एक्सपोजर : निरंक

(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :

- मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:
 - ब्याज दर जोखिम ₹ 597.17 करोड़
 - विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) ₹ 4.05 करोड़
 - इक्विटी जोखिम ₹ 287.56 करोड़

(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :

• मूल संकेतक दृष्टिकोण ₹1471.71 करोड़

(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात :

• सामान्य इक्विटी टियर 1 11.48%

• टियर 1 11.48%

• कुल पूंजी अनुपात 13.84%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि. बैंक ने शीर्ष प्रबंधन की समितियों का भी अलग से गठन किया है, जिसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों की टीम शामिल है; जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋण प्रबंधन नीति समिति एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर के निर्धारण तथा निगरानी करने हेतु नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.

केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग, जिस के प्रभारी, मुख्य जोखिम अधिकारी हैं, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध करता है तथा समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन करता है. मुख्य जोखिम अधिकारी को उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधकों, मुख्य प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों एवं प्रबंधकों की टीम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

सभी आंचलिक कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों की नियुक्ति की गई है, जो केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करते हैं. क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जोखिम प्रबंधकों की पदस्थापना की गई है.

बैंक में विस्तृत नीतियां हैं; जैसे ऋण जोखिम नीति, मॉडल जोखिम नीति, क्रेडिट रेटिंग नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, एएलएम नीति तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति आदि.

इसके अलावा, ऋण नीति में ऋण स्रोतों के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन पर दिशानिर्देश, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया गया है.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग का नेतृत्व महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है, जो ऋण पोर्टफोलियो, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपायों को मॉनिटर करते हैं. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों के प्रबंधन के अलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाती है.

₹ 300 करोड़ से अधिक ऋण सीमा के सभी खातों की गहन समीक्षा भी विशिष्ट अंतराल पर की जाती है. जब भी कोई ट्रिगर/घटना होती है तो ₹ 25 करोड़ से अधिक की ऋण सीमा वाले खातों की भी सघन समीक्षा की जाती है. ऋण निगरानी नीति, ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्य प्रणाली निर्धारित करती है.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है, जो कि प्रस्तावित ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा उधार देने एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल प्रस्तावित ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा सभी प्रस्तावित ग्राहक की समग्र रेटिंग करने के लिए खाते के संचालन का भी विचार करना जरूरी है. जहां मूल संस्था से कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में समर्थन उपलब्ध है वहां उस पर भी विचार करना होगा. जोखिम वापसी व्यापार बंद का मूल्यांकन करने के लिए आरएआरओसी की गणना की जाती है और निर्णय लेने में उसका उपयोग किया जाता है.

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

अनर्जक :

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की संरचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने वाले कार्यकारी समूह ने दिनांक 20.07.2012 की अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार सामान्यतया पुनर्संरचित खाते को बिगड़ा हुआ माना जाता है, और यह अनुशंसा की है कि यही समान प्रक्रिया भारत में भी अपनायी जाए. भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखतों की पहचान, गैर-पहचान, वर्गीकरण और वित्तीय लिखतों के माप के ह्रास और बचाव लेखांकन भी शामिल है.

अनर्जक आस्तियां वह हैं; जहां ऋण या अग्रिम -

(i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;



- (ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,
- (iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,
- (iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
- ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
- बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो.
- (v) दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहती हो.
- (vi) डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही है यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती है.

अनियमित :

कोई खाता तब "अनियमित" दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय :

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है :

- ऋण जोखिम – परिभाषा, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकरण,
- देश एवं मुद्रा एक्सपोजर
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- तुलनपत्र इतर एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- देश जोखिम तथा परिचालन सम्बंधी अन्य मामले.

(₹ करोड़ में)

(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर :

निधि आधारित*:

गैर-निधि आधारित:

347259.49

*नकदी, बैंक शेष, निवेश आदि सहित

36484.48

बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण :

• विदेशी

15013.04

• घरेलू

368730.97

(सी)

उद्योग का नाम	₹ करोड़ में निधि	₹ करोड़ में गैर-निधि	₹ करोड़ में निवेश
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1+ए.2)	519.29	635.18	0.00
ए.1 कोयला	296.40	300.38	0.00
ए.2 अन्य	222.89	334.80	0.00
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी.1 से बी.5 तक)	3646.57	886.01	486.13
बी.1 चीनी	760.19	11.57	425.10
बी.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	342.17	8.52	0.01
बी.3 चाय	30.25	2.47	0.07
बी.4 कॉफी	1.24	0.00	0.00
बी.5 अन्य	2512.72	863.45	60.95
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	228.89	16.67	0.00
सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	52.65	0.03	0.00
सी.2 अन्य	176.24	16.64	0.00
डी. टेक्स्टाईल्स	4200.24	238.53	292.24
डी.1 सूती	1777.96	183.99	183.81
डी.2 जूट	142.40	21.80	0.03
डी.3 इनमें से, मानव-निर्मित	393.32	1.40	0.00
डी.4. अन्य	1886.56	31.34	108.40
डी में से (अर्थात्, कुल कपड़ा) कताई मिल को	384.65	6.95	0.00
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	177.55	6.79	0.00
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	253.04	47.37	0.00
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	665.15	87.51	44.99
एच. पेट्रोलियम (गैर-इस्क्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईंधन	2953.11	126.84	763.59
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (1.1 से 1.4 तक)	2399.09	778.74	11.54
1.1 उर्वरक	202.99	40.78	0.04
1.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकल्स	1066.76	667.54	9.47
1.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत को छोड़कर)	211.13	7.22	0.00
1.4 अन्य	918.21	63.20	2.03
जे. रबर, प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	1099.74	163.19	0.00
के. कांच एवं कांच के सामान	82.43	23.24	0.00
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	1431.17	108.89	0.00
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1+एम.2)	7291.71	1509.43	273.93
एम.1 लोहा एवं स्टील	4396.14	297.52	52.76
एम.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2895.57	1211.91	221.17
एन. सभी अभियांत्रिकी (एन.1+एन.2)	6998.54	2569.76	62.98
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	3243.19	144.10	20.08
एन.2 अन्य	3755.35	2425.66	42.90
ओ. वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	1490.24	100.32	17.49
पी. रत्न एवं आभूषण	3318.40	18.38	7.70
क्यू. निर्माण	4276.28	3639.11	291.96
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	28460.91	4616.17	7226.18
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.8 तक)	10238.35	1164.71	1168.92
आर. ए.1 रोड एवं ब्रिज	8497.40	700.99	1168.92



उद्योग का नाम	₹ करोड़ में निधि	₹ करोड़ में गैर-निधि	₹ करोड़ में निवेश
आर.ए.2 बंदरगाह	194.56	0.00	0.00
आर.ए.3 अंतर्देशीय जलमार्ग	0.00	0.00	0.00
आर.ए.4 एयरपोर्ट	875.51	275.01	0.00
आर.ए.5 रेलवे ट्रैक, टनेल, सेतु, ब्रिज	437.37	5.98	0.00
आर.ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	208.85	177.96	0.00
आर.ए.7 शिपयार्ड	24.60	0.00	0.00
आर.ए.8 लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर	0.06	4.77	0.00
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	13500.78	937.26	5613.42
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	7908.95	408.94	5613.42
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1446.01	0.00	1061.70
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	1782.91	5.91	3561.17
बी.1.3 निजी क्षेत्र	4680.03	403.03	990.55
बी.2 विद्युत (संप्रेषण)	9.35	37.50	0.00
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0.00	0.00	0.00
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	0.00	0.00	0.00
बी.2.3 निजी क्षेत्र	9.35	37.50	0.00
बी.3 विद्युत (वितरण)	5499.83	487.43	0.00
बी.3.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00	0.00
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	5499.83	487.43	0.00
बी.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00	0.00
आर.बी.4 तेल पाइप लाइन	0.00	0.00	0.00
आर.बी.5 तेल/गैस/तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	82.65	0.01	0.00
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	0.00	3.38	0.00
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	777.68	5.55	0.00
आर.सी.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1.08	0.00	0.00
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइपलाइन	0.25	1.27	0.00
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्र	7.11	4.28	0.00
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	7.16	0.00	0.00
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	762.08	0.00	0.00
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0.00	0.00	0.00
आर.सी.7 स्लरी पाइपलाइन	0.00	0.00	0.00
आर.डी. संचार (डी.1 से डी.3)	506.74	2401.00	37.88
आर.डी.1 दूरसंचार (फिक्सड नेटवर्क)	0.00	0.00	0.00
आर.डी.2 दूरसंचार टॉवर	0.00	0.00	0.00
आर.डी.3 दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	506.74	2401.00	37.88
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.12)	2167.66	107.65	0.00
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	465.98	3.31	0.00
आर.ई.2 हॉस्पिटल (कैपिटल स्टॉक)	457.23	78.77	0.00
आर.ई.3 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	618.32	18.49	0.00
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	188.77	0.57	0.00
आर.ई.5 उर्वरक (पूंजी निवेश)	0.00	0.00	0.00
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	251.63	5.75	0.00

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

उद्योग का नाम	₹ करोड़ में निधि	₹ करोड़ में गैर-निधि	₹ करोड़ में निवेश
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	0.00	0.00	0.00
आर.ई.8 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला	0.19	0.00	0.00
आर.ई. 9 कोल्ड सिरीज़	0.00	0.00	0.00
आर.ई. 10 खेलों की बुनियादी सुविधा	132.59	0.00	0.00
आर.ई.11 पर्यटन – रोप वे एवं केबल कार	50.00	0.00	0.00
आर.ई.12 वहन योग्य आवास	2.95	0.76	0.00
आर.एफ. अन्य, यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	1269.71	0.00	405.97
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	33379.66	3690.45	29.44
सभी उद्योग (ए से एस तक)	102872.01	19262.58	9508.17
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	131353.54	969.28	9894.90
कुल योग	234225.55	20231.86	19403.07

उद्योग एक्सपोजर, कुल एक्सपोजर का 5% से अधिक है

	निधि	गैर-निधि	निवेश
बुनियादी संरचना	28460.91	4616.17	7226.18
उर्जा	13500.78	937.26	5613.42

(डी) अर्जक आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :

	(राशि ₹ करोड़ में)
1 दिन	44247.06
02 दिन से 07 दिन तक:	1430.97
08 दिन से 14 दिन तक:	2078.58
15 दिन से 30 दिन तक:	2901.72
31 दिन से 2 महीने तक:	8029.36
2 महीने से अधिक, परंतु 3 महीने तक:	4249.07
3 महीने से अधिक, परंतु 6 महीने तक:	7840.57
6 महीने से अधिक, परंतु 12 महीने तक:	16547.12
1 वर्ष से अधिक, परंतु 3 वर्ष तक:	104564.29
3 वर्ष से अधिक, परंतु 5 वर्ष तक:	36548.06
5 वर्ष से अधिक	73771.69
कुल योग	302208.49

(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) – (₹ करोड़ में)	
• अवमानक	3098
• संदिग्ध 1	4164
• संदिग्ध 2	6794
• संदिग्ध 3	11228
• हानि	2872
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)	6675
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	14.84%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	3.97%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में परिवर्तन (₹ करोड़ में)	
• प्रारम्भिक शेष	27608

• वृद्धि	2273
• कमियां	1725
• अनर्जक आस्तियां (सकल)	28156
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (₹ करोड़ में)	
• प्रारम्भिक शेष	19149.48
• अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	3723.97
• बढ़ा खाता / अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	2407.59
• इति शेष	20465.87
(जे) अनर्जक निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	2653.80
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	2577.00
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास में परिवर्तन : (₹ करोड़ में)	
प्रारम्भिक शेष	5453.20
इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	830.30
बढ़ा खाता	निरंक
अतिरिक्त प्रावधान की वापसी	311.20
इति शेष	5972.30
(एम) 5 प्रमुख उद्योगों की एनपीए की राशि (₹ करोड़ में)	
	उद्योग का नाम सकल एनपीए
	संरचना 3888
	सभी इंजिनियरिंग 3355
	मूल धातु एवं धातु उत्पाद 1472
	टेक्स्टाइल्स 1120
	खाद्य प्रसंस्करण 1069
(एन) भौगोलिक क्षेत्रों की एनपीए की राशि (₹ करोड़ में)	
	विदेश में घरेलू
	0 28156

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- ए. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है।
- बी. बैंक ने आरबीआई द्वारा अभिचिन्हित सात बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों यथा, क्रिसिल रेटिंग लि., केयर रेटिंग, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रा.लि. एक्यूटी (समेरा) रेटिंग, ब्रिकवर्क एवं इन्फोमेरिक्स को अपने उधारकर्ताओं के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है।
- सी. ये एजेंसियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेंसियों द्वारा बैंक के उधारकर्ताओं को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं।
- डी. कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को जोखिम भारिता की गणना में लिया जाएगा।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :	₹ करोड़ में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर	
• 100% जोखिम भारिता से कम :	324454.22
• 100% जोखिम भारिता	43293.52
• 100% जोखिम भारिता से अधिक	15996.24
• घटाई गई राशि - सीआरएम	15741.55

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;
बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है। नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं।
- बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;
बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं। नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय संपार्श्विकों का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	₹ करोड़ में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर निम्नानुसार कवर किया गया है :	
• पात्र वित्तीय संपार्श्विक	
• निधि आधारित	14389.38
गैर-निधि आधारित	1352.17

तालिका डीएफ -6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निरंक

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :	₹ करोड़ में
बैंकिंग बही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि	निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादित अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिह्नित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की इच्छा	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर-अभिचिह्नित लाभ या हानियां	निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलनपत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभागों के बीच विभाजित और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार)	निरंक

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेडिंग बही :

(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारत समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारत समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ -7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों को विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित, बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता के निर्धारण हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां :

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू की है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है। एकीकृत कोषालय नीति एवं आस्ति-देयता प्रबंधन नीति, ऐसी अन्य नीतियां हैं, जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं।

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए, बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है।

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

विद्यमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, एएलएम नीति तैयार की गई है और यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। इस नीति में विनियामक प्रतिबंधों अथवा आर्थिक परिवेश में बदलते परिदृश्य के अनुरूप, परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। बैंक की आलको, तरलता जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम को एएलएम नीति में प्रदत्त निर्धारित मानदंडों के भीतर परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इसकी आवधिक रूप से समीक्षा करती है एवं अनुमोदित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम समिति आलको पर पूरी नजर रखती है।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध, प्रवाह दृष्टिकोण एवं स्टॉक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए किया जाता है। प्रवाह दृष्टिकोण में नकद प्रवाह असंतुलन की व्यापक ट्रेकिंग किया जाना शामिल है। स्टॉक दृष्टिकोण में तरलता जोखिम के सम्बंध में महत्वपूर्ण अनुपातों का उपयोग किया जाना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने तरलता मानकों पर बेसल III संरचना को अपनाया है एवं विद्यमान विनियामकों के अनुसार, तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और नेट स्टेबल फंडिंग राशन (एनएसएफआर) की निगरानी एवं रिपोर्टिंग को सक्षम बनाने के लिए, आवश्यक प्रणाली तथा प्रक्रियाओं को तैयार किया है। बैंक के पास विनियामक अनुदेशों द्वारा मार्गदर्शित, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तरलता दबाव संरचना है। बैंक के पास औपचारिक आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) भी है, जो कि आपातकालीन स्थितियों में तरलता की कमी को ठीक करने के लिए सुव्यवस्थित कार्यनीति है।

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम एक ऐसी जोखिम है, जहां बाजार में ब्याज दर परिवर्तन होने से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है। ब्याज दर में परिवर्तन होने से बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में परिवर्तन होने के माध्यम से बैंक की आय प्रभावित होती है। ब्याज दरों में परिवर्तन होने से बैंक की दर संवेदनशील आस्तियों के आर्थिक मूल्य, देयताओं एवं तुलनपत्र इतर स्थितियों के माध्यम से बैंक की इक्विटी का बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। ब्याज दर जोखिम, जब इन दो दृष्टिकोणों से देखी जाती है तब इन्हें क्रमशः 'आय दृष्टिकोण' एवं 'आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण' के रूप में जाना जाता है।

बैंक, आय दृष्टिकोण एवं तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण (परंपरागत अंतर विश्लेषण) दोनों का उपयोग करके आईआरआरबीबी का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। इन विधियों में परिपक्वता/पुनर्मूल्य तिथियों के आधार पर, तुलनपत्र इतर मदों सहित, दर संवेदनशील आस्तियों तथा दर संवेदनशील देयताओं का संतुलन शामिल है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार (₹ करोड़ में)
ब्याज दर का जोखिम	597.17
इक्विटी स्थिति जोखिम	287.57
विदेशी मुद्रा का जोखिम	4.05
योग	888.79

तालिका डीएफ-8

गुणात्मक प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है। परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते। बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम "पीएसबी आलइंस" (पूर्व कॉरडेक्स) का सदस्य भी है।

बैंक ने एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए एसएसएस पद्धति स्थापित की है।

बैंक ने बुनियादी संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2022 को परिचालन जोखिम के लिए ₹1471.71 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है।

तालिका डीएफ -9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :

1) जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तियों एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है।

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य

इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए, आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹ करोड़ में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि के आय पर प्रभाव	381.54
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	548.32

तालिका डीएफ-10

प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (ए) बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है।
- बैंक के पास सुपरिभाषित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है।
- बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दर स्वैप में व्यवहार करता है। बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण		₹ करोड़ में
विवरण		राशि
(बी) संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य		75.75
शुद्ध लाभ		0
शुद्ध चालू साख ऋण		75.75
धारित संपार्श्विक		0
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर		270.83
(सी)		₹ करोड़ में
मद	आनुमानिक राशि	वर्तमान ऋण एक्सपोजर
फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा	8097.48	221.28
क्रास करेंसी ब्याज दर स्वैप सहित, करेंसी फ्यूचर एवं क्रास करेंसी स्वैप	0.00	0.00
ब्याज दर संविदाएं	3530.00	52.02

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन

दिनांक 31 मार्च, 2022 को बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान	₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
1 प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	7125.70	
2 प्रतिधारित उपार्जन	0	
3 संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	15017.38	
4 प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0	
5 अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0	
6 विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी	22143.08	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7 विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8 गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
9 अमूर्त (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
10 आस्थगित कर आस्तियां (व्यवसाय हानि)	1402.85	
11 नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	
12 अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	
13 विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	
14 शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण अधिलाभ एवं हानि	0	
15 परिभाषित – लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	277.43	
16 स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	
17 सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	0.39	

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
20	मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10% की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	3412.97	
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि	0	
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	
24	जिसमें से: मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स	0	
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26सी	जिसमें से: बहुसंख्य मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0	
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0	
27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0	
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 हेतु कुल विनियामक समायोजन	5093.64	
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	17049.44	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत			
30	टियर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0	
31	जिसमें से, लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थाई उधार लिखत)	0	
33	अतिरिक्त टियर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	0	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखत, जो 5वीं लाइन में शामिल नहीं है) (समूह एटी1 में अनुमत राशि)	0	
35	जिसमें से : बाहर किए जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखते	0	
36	विनियामक समायोजन के पहले, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिविक्रय की स्थिति)	0	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0	
41बी	बहुलांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी	0	
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन	0	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन	0	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	0	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)	17049.44	



सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान			
46	टियर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	2200.00	
47	टियर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखतें	0	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टियर 2 लिखतें (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखतें, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं हैं) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	0	
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखतें	0	
50	प्रावधान (मूल्यांकन प्रारक्षित, मानक आस्तियों पर प्रावधान, अनर्जक आस्तियों की बिक्री आदि)	1310.43	
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टियर 2 पूंजी	3510.43	
52	स्वयं की टियर 2 लिखतों में निवेश	0	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0	
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले पूंजीगत बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र लघु स्थिति का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0	
56ए	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में निवेश	0	
56बी	बहुतांश मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं हैं, की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी	0	
57	टियर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक स्वीकार्य	0	
58a	टियर 2 पूंजी	3510.43	
58b	टियर 2 पूंजी (टी2) विनियामक पूंजी उद्देश्यों हेतु स्वीकार्य	3510.43	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	20559.87	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	148506.29	
60a	जिसमें से: ऋण जोखिम भारित कुल आस्तियां	119000.01	
60b	जिसमें से: बाजार जोखिम भारित कुल आस्तियां	11109.87	
60c	जिसमें से: परिचालन जोखिम भारित कुल आस्तियां	18396.40	
पूंजी अनुपात			
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	11.48%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	11.48%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	13.84%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)	8.00%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50%	
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00%	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.00%	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से अलग हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	8.00%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	9.50%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	11.50%	
कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)			
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं	
73	वित्तीय निकायों की सामान्य पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं	
74	मॉरगेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)	लागू नहीं	
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)	लागू नहीं	
टियर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि पर लागू सीमाएं			

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान	₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
76 मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
77 मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा	लागू नहीं	
78 आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
79 आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा.	लागू नहीं	
<i>चरणबद्ध व्यवस्था (फेस-आउट व्यवस्था) के अधीन पूंजी लिखत (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)</i>		
80 चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81 उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	
82 चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
83 सीमा के कारण एटी1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	
84 चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	0	
85 उच्चतम सीमा के कारण टी2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	0	

तालिका डीएफ-12:

पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

		(₹ करोड़ में)	संदर्भ
		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र 31.03.2022 को	
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	8680.93	
	जिसमें से: सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	7125.70	
	जिसमें से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	0	
	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	18845.77	
	आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	0	
	अल्पसंख्यक हित	0	
	कुल पूंजी	27526.70	
ii	जमाराशियां	342691.94	
	जिसमें से : बैंकों से जमा	1656.04	
	जिसमें से: ग्राहकों से जमा	341035.90	
	जिसमें से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii	उधारराशियां	7474.36	
	जिसमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	1764.00	
	जिसमें से: बैंकों से	0	
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	2571.26	
	जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर)	0	
	जिसमें से: गौण ऋण	0	
	जिसमें से:अपर टियर 2	0	
	जिसमें से: असुरक्षित मोचनीय एनसी बेसल III बाण्ड्स (टियर2)	3000.00	
	जिसमें से: नवोन्मेष सतत नामे लिखत	139.10	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	8872.59	
	कुल	386565.59	
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	38033.70	
	बैंकों में जमाशेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	15060.63	



(₹ करोड़ में)

वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र		संदर्भ
31.03.2022 को		
ii	निवेश :	140786.95
iii	ऋण एवं अग्रिम	168173.50
	जिसमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	0
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	168173.50
iv	अचल आस्तियां	4955.04
v	अन्य आस्तियां	19555.77
	जिसमें से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	0
	जिसमें से: आस्थगित कर देयताएं	6862.05
vi	समेकन पर गुडविल	0
vii	लाभ-हानि खाते में नामे शेष	0
	कुल आस्तियां	386565.59

तालिका डीएफ-13:

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टियर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

विवरण	इक्विटी
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई483ए01010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बेसल III नियम	सामान्य इक्विटी टियर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	सामान्य इक्विटी टियर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	₹8681
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
सतत या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	लागू नहीं
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश	
स्थायी या परिवर्तनीय लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्णतः विवेकाधिकार
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	लागू नहीं
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं

विवरण	इक्विटी
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की तत्काल वरिष्ठता के आधार पर लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य
लेनदार, बॉण्ड्स एवं पीएनसीपीएस	
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर-कम्प्लायंट विशेषाण बताएं	
श्रृंखला वर्णन	सिरीज़. II पीडीआई
जारीकर्ता	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई483ए09252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बेसल III नियम	अपात्र
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (₹ करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	28.09.2012
सतत या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश	
स्थायी या परिवर्तनीय लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशतः	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाण बताएं	पूर्णतः अमान्य, बेसल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं



बेसल III अनुपालन टियर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है :

बेसल III कम्प्लायंट टियर II बाण्ड्स					
	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV	श्रृंखला V
जारीकर्ता					
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 483ए 09260	आईएनई 483ए 09278	आईएनई 483 ए 09286	आईएनई 483 ए 08023	आईएनई 483 ए 08031
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार					
परिवर्ती बेसल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टियर 2 उधार	टियर 2 उधार	टियर 2 उधार	टियर 2 उधार	टियर 2 उधार
विनियामक पूँजी में मान्य की गई राशि (₹ करोड़ में, अधिकांश, नवीन रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार)	लिखत 200	लिखत 500	लिखत 500	लिखत 500	लिखत 500
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 लाख	₹10 लाख	₹10 लाख	₹10 लाख	₹10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013	07.03.2017	29.03.2019	30.09.2019	20.03.2020
सतत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023	07.05.2027	29.05.2029	30.11.2029	20.05.2030
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हां	हां	हां	हां
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	लागू नहीं	07.05.2022	29.05.2024	31.11.2024	20.05.2025
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कूपन/लाभांश					
स्थायी या परिवर्तनीय लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डिक्स	9.90%	8.62%	10.80%	9.80%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णतः विवेकाधिकार, अंशतः विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

रणनीति

सूचना

रिपोर्ट

वित्तीय

[illegible]

बेसल III कम्प्लायंट टियर II बाण्ड्स					
	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV	श्रृंखला V
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
यदि हां, तो गैर कम्प्लायंट विशेषताएं बताएं	-	-	-	-	-

तालिका डीएफ-14

विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	टियर 1	पीडीआई	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	टियर 2	बेसल III कम्प्लायंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

तालिका डीएफ-16 :

इक्विटीज़ - बैंकिंग बही हेतु प्रकटीकरण संबंधी दिनांक 31.03.2022 की स्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

- निम्नलिखित सहित इक्विटी जोखिम के मामले में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकताएं (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) :
 - जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है उस धारित राशि तथा पारस्परिक संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित जिन्हें व्याप्तियों के अंतर्गत लिया गया है, उनमें भिन्नता; एवं
 - बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन एवं लेखांकन को समाहित करते हुए महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा. इनमें मूल्यांकन के साथ साथ इनकी प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित प्रमुख मान्यताओं एवं प्रथाओं सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकी एवं मूल्यांकन प्रविधि शामिल है.
 - आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का इक्विटी में निवेश (संयुक्त उद्यम वह होता है जिसमें बैंक अपनी अनुषंगियों के साथ 25% से अधिक इक्विटी धारण करता है) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए. यह कार्यनीतिक संबंधों को बनाये रखने अथवा कार्यनीतिक व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए कार्यनीतिक लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं.
 - निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश की खरीद की तिथि पर ही "व्यापार हेतु रखा गया" (एचटीएफ), "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एफएस) और "परिपक्व होने तक रखा गया" (एचटीएम) श्रेणियों में (इसके पश्चात "श्रेणियों" कहा जायेगा) वर्गीकृत किया गया है. उन निवेशों को जिनको बैंक परिपक्वता तक रखना चाहती है, को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखे गये इक्विटी निवेश की पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत, वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं और बाजार में चिन्हित नहीं किया जाता है. अस्थायी के अलावा, कोई भी कमी, इक्विटी निवेश के मूल्य में प्रदान की जाती है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर कोई भी हानि, लाभ और हानि विवरणी में चिन्हित किया जाता है. एचटीएम श्रेणी में निवेश पर कोई भी लाभ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कर पश्चात एवं "आरक्षित पूंजी" में वैधानिक आरक्षण के बाद लाभ-हानि खाते में चिन्हित एवं समायोजित की जाती है.

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	वही मूल्य 31.03.2022	उचित मूल्य 31.03.2022
1 तुलनपत्र में निवेश का प्रदर्शित मूल्य और उन निवेशों का उचित मूल्य.	313.01	415.03
शेयर की कीमत और उसके उचित मूल्य में काफी अंतर हो तो सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना.	-	-
2 निवेशों का प्रकार एवं प्रकृति, ऐसी राशि सहित, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:	-	-
सार्वजनिक रूप से व्यापारित	-	-
निजीतौर पर धारित	313.01	415.03
भारत में संयुक्त उद्यम (सेन्ट बैंक होम फाइनेंस)	21.90	21.90
भारत के बाहर, असोसिएट (इंडो जाम्बिया बैंक लि. में संयुक्त उद्यम)	47.49	47.49
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	231.09	231.09
अनुषंगियां (सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.)	5.00	5.00
रणनीतिक निवेश – सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन	2.09	104.11
रणनीतिक निवेश – आईएफसीआई	3.37	3.37
रणनीतिक निवेश – अन्य वित्तीय संस्थान (आईएफसीआई, जीएसएफसी, जेकेएफसी, डब्ल्यूबीएफसी)	2.07	2.07
3 रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	-	-
4 कुल अप्रान्त लाभ (हानियां)	-	-
5 कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)	निरंक	निरंक
6 टियर I एवं/अथवा टियर II पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त की कोई राशि	-	-
7 नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा आवश्यक प्रावधानों के अधीन बैंक की क्रियाविधि के साथ साथ इक्विटी निवेशों के प्रकार एवं उनकी कुल राशि के संगत इक्विटी समूहन द्वारा विक्षत पूंजीगत आवश्यकताएं.	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31.03.2022 को लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

लीवरेज अनुपात

बेसल III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी गैर-जोखिम आधारित टियर 1 लीवरेज अनुपात द्वारा संपूरक होगी.

तालिका डीएफ 17 -

लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय का तुलनात्मक सारांश

	मद	(₹ करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार, कुल समेकित आस्तियां	387435.27
2	घटाएं : बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशों के लिए समायोजन, जिनका लेखांकन प्रयोजनार्थ समेकन किया जाता है, परंतु जो विनियामक समेकन के क्षेत्र के बाहर हैं	0
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में प्रत्ययी आस्तियों के समायोजन को दर्शाया गया है, किंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर हैं	0
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	2197.26
5	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेनों (अर्थात रेपो एवं इसी तरह की रक्षित उधारी) के लिए समायोजन	999.73
6	तुलनपत्र इतर मदों के लिए (अर्थात तुलनपत्र इतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तन) समायोजन	16212.16
7	अन्य समायोजन	(5190.96)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	401644.57

डीएफ-18 :

लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

		(₹ करोड़ में)
तुलनपत्र एक्सपोजर		
1	तुलनपत्र मर्दे (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर, परंतु संपार्श्विक शामिल है)	364429.33
2	(बेसल III टियर I पूंजी सुनिश्चित करने में आस्ति राशि को घटाया)	(5190.96)
3	कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर) (मद 1 से 2 तक की राशि)	359238.37
व्युत्पन्नी एक्सपोजर		
4	सभी व्युत्पन्नी लेनदेन (अर्थात् पात्र नकदी विचलन मार्जिन घटाकर)	137.93
5	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए वर्धित राशियां	2059.33
6	प्रदत्त व्युत्पन्नी संपार्श्विक के लिए ग्राँस-अप जहाँ परिचालनात्मक लेखागत संरचना के अनुसार तुलन-पत्र से घटाया गया है.	0
7	(व्युत्पन्नी लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(ग्राहक समाशोधित व्यावसायिक मद से छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी आनुमानिक प्रतितुलन तथा वर्धित कटौतियां)	0
11	कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (मद 4 से 10 तक की राशि)	2197.26
प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेन एक्सपोजर		
12	सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात किए बगैर), बिक्री लेखांकन लेनदेन के लिए समायोजन के पश्चात	23916.93
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का देय नकदी और प्राप्य नकदी की शुद्ध राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	79.86
15	एजेन्ट लेनदेन एक्सपोजर	0
16	कुल प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (12 से 15 लाइन की राशि)	23996.79
अन्य तुलनपत्र इतर एक्सपोजर		
17	सकल आनुमानिक राशि पर तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	55096.16
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(38884.00)
19	तुलनपत्र इतर मर्दे (17 और 18 लाइन की राशि)	16212.16
पूंजी एवं कुल एक्सपोजर		
20	टियर I पूंजी	17006.73
21	लीवरेज अनुपात	401644.57
22	बेसल III लीवरेज अनुपात (प्रतिशत)	4.23%

आर.सी. गोयल
उप महाप्रबंधक – जोप्रवि

अश्विनी कुमार शुक्ला
मुख्य जोखिम अधिकारी

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

एम. वी. राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 15th (Fifteenth) Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Wednesday, 10th August, 2022 at 11.00 A.M. at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business :

- 1) **To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.**

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Mumbai
Date: 27.06.2022

Smruti Ranjan Dash
General Manager

NOTES:

1. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- i. In view of the continuing Covid-19 pandemic, Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 20 dated May 5, 2020, Circular No. 14 dated April 8, 2020, Circular No. 17 dated April 13, 2020, Circular No. 22 dated June 15, 2020, Circular No. 33 dated September 28, 2020, Circular No. 39 dated December 31, 2020, Circular No. 2 dated January 13, 2021, Circular No. 19 dated December 2, 2021, Circular No. 21 dated December 14, 2021 and Circular No. 2 dated May 5, 2022 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In

compliance with these MCA Circulars and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meeting of the Members of the Bank is being held through VC/OAVM.

- ii. Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Annual General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

iii. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at smird@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 05th August, 2022.

- iv. **No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.**
- v. **Registration of email ID and Bank Account details:**

In case the shareholder's email ID is already registered with the Bank/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

- (i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in

under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit.

OR

- (ii) In the case of Shares held in Demat mode:

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

- vi. The Notice of the Annual General Meeting is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/ Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same, in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 13, 2022 (as amended if any). Members may note that the Notice of Annual General Meeting will also be available on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only.
- vii. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.,:
- For shares held in electronic form: to their Depository Participants (DPs)
 - For shares held in physical form: to the Bank/ Registrar and Transfer Agent in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021. The Bank has sent letters to physical shareholders for furnishing the required details. Members may also refer to letter to physical shareholders on Bank's website <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Letter-to-Physical-Shareholders.pdf>.
- viii. Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the listed companies to issue securities in dematerialized form only while processing service requests viz. Issue of duplicate securities certificate; claim from unclaimed suspense account; renewal/

exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR – 4, the format of which is available on the Bank's website at https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Form_ISR-4.pdf and on the website of the Bank's Registrar and Transfer Agents, Link Intime India Private Ltd. at <https://web.linkintime.co.in/client-downloads.html>. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant.

- ix. SEBI vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Bank or RTA, for assistance in this regard.
- x. As per the provisions of SEBI Circular, the facility for making nomination is available for the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting Form No. SH-13. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in Form ISR-3 as the case may be. The said forms can be downloaded from the Bank's website <https://www.centralbankofindia.co.in/en/node/217707>. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to Link Intime India Private Limited in case the shares are held in physical form.
- xi. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

2 Instructions for Shareholders/ Members to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM:

- 1) Shareholders/Members are entitled to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM provided by Link Intime India Pvt. Limited by following the below mentioned process. Facility for joining the Annual General Meeting through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the Annual General Meeting and will be available to the Members on first come first serve basis.

Shareholders/Members are requested to participate on first come first serve basis as participation through VC/OAVM is limited and will be closed on expiry of 15 (fifteen) minutes from the scheduled time of the Annual General Meeting. Shareholders/Members with >2% shareholding, Promoters, Institutional Investors, Directors, KMPs, Chairperson of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Auditors etc. may be allowed to the meeting without restrictions of first-come-first serve basis. Members can log in and join 15 (fifteen) minutes prior to the schedule time of the meeting and window for joining shall be kept open till the expiry of 15 (fifteen) minutes after the schedule time. Participation is restricted upto 2500 members only.

Shareholders/Members will be provided with InstaMeet facility for attending the AGM through VC/OAVM wherein Shareholders/Members shall register their details and attend the Annual General Meeting as under:

1. Open the internet browser and launch the URL for InstaMeet <<<https://instameet.linkintime.co.in>>> and register with your following details:
 - a. DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio No.: Enter your 16 digit DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio Number registered with the Bank
 - b. PAN: Enter your 10 digit Permanent Account Number (PAN)
 - c. Mobile No.
 - d. Email ID
2. Click "Go to Meeting"

Note:

Shareholders/Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/ Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to

instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers during Annual General Meeting:

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/ folio number, email id, mobile number at e-mail: smird@centralbank.co.in from 05th August, 2022 at 10.00 am to 08th August, 2022 at 5.00 pm.

The Speakers on first come basis will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Shareholders will receive "speaking serial number" once they mark attendance for the meeting. Other shareholder may ask questions to the panelist, via active chat-board during the meeting. Shareholders are requested to remember speaking serial number and start conversation with panellist by switching on video mode and audio of the device. Shareholders are requested to speak only when moderator of the meeting/ management will announce the name and serial number for speaking.

Shareholders/ Members, who would like to ask questions, may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail : smird@centralbank.co.in . The same will be replied by the Bank suitably.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Annual General Meeting.

Shareholders/ Members should allow to use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Instructions for Shareholders/Members to Vote during the Annual General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated by the scrutinizer during the meeting, shareholders/ members who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

1. On the Shareholders VC page, click on the link for e-Voting "Cast your vote".



2. Enter Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet and click on 'Submit'.
3. After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.
4. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/Against" as desired.

Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'.
5. After selecting the appropriate option i.e. Favour/ Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "Confirm", else to change your vote, click on "Back" and accordingly modify your vote.
6. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM by InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the Annual General Meeting will be eligible to attend/participate in the Annual General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

3. REMOTE E-VOTING

In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Link Intime India Pvt. Limited, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on "e-voting facility provided by Listed Companies", e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/websites of Depositories/ DPs to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider ("ESP") thereby not only facilitating seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period begins on Sunday, 07th August, 2022 at 10.00 AM and ends on Tuesday, 09th August, 2022 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Wednesday, 03rd August, 2022, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below:

» Login for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below :-

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	» If shareholder is already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. Shareholder will have to enter your User ID and Password. » After successful authentication, Shareholder will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and shareholder will be re-directed to e-Voting service provider i.e. Link Intime website for casting of the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. » If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp » Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. Shareholder will have to enter their User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, shareholder will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website i.e. https://instavote.linkintime.co.in for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	» Existing user or who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. » After successful login of Easi / Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. Link Intime. Click on Link Intime name to cast your vote. » If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration » Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the E-voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) & login through their depository participants	» Shareholder can also login using the login credentials of his/her demat account through their Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. » Once login, shareholder will be able to see e-Voting option. Once he/she click on e-Voting option, he/she will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-Voting feature. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Physical mode.	- Open the internet browser and launch the URL: https://instavote.linkintime.co.in - Click on "Sign Up" under 'SHARE HOLDER' tab and register with your following details: - User ID: Shareholders/ members holding shares in physical form shall provide Event No + Folio Number registered with the Company. PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Members who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable. DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP / Company - in DD/MM/YYYY format) Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company. - Shareholders/ members holding shares in physical form but have not recorded 'C' and 'D', shall provide their Folio number in 'D' above - Set the password of your choice (The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter). - Click "confirm" (Your password is now generated). - Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab. - Enter your User ID, Password and Image Verification (CAPTCHA) Code and click on 'Submit'. - After successful login, you will be able to see the notification for e-voting. Select 'View' icon. - E-voting page will appear. - Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link). - After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.

If Shareholders holding shares in Physical Form have forgotten password:

- » Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab and further Click 'forgot password?'
- » Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

In case shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE:

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL have forgotten the password:

Shareholders/ members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned depository/ depository participants website.

Cast your vote electronically

1. After successful redirecting, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View “Event No” of the Bank, you choose to vote.
2. On the voting page, you will see “Resolution Description” and against the same the option “Favour/ Against” for voting.

Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired.

Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.

3. If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
4. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.
5. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

Guidelines for Institutional shareholders:

- Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to e-Voting system of LIPL: <https://instavote.linkintime.co.in> and register themselves as 'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body'.

They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the 'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body' login for the Scrutinizer to verify the same.

General Guidelines for all shareholders:

- During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular “Event”.
- Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.
- Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode:

In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

- In case the shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.
- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Wednesday, 03rd August, 2022. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, 03rd August, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at AGM.
- IV. Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 03rd August, 2022, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
- V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and also on the website of Link Intime India Pvt. Limited.
- VI. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding two (2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two



(2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of Link Intime India Pvt. Limited within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Sunday, 7th August, 2022 to Wednesday, 10th August, 2022 (both days inclusive).

5. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

6. Outcome of Meeting:

The resolution shall be deemed to be passed at the Head Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

7. Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

8. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible

to vote in the meeting.

9. Shareholders may also access the Annual Report from the Bank's website for the Meeting.

10. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

11. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend declared are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank. The shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this report and FAQ of investor page on Bank's website https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/FAQ_Information_for_shareholders.pdf.

BUSINESS ANALYSIS

PARAMETERS	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15	MAR.16	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20	MAR.21	MAR.22
Total Business	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886	5,32,404
YoY Growth	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%	4.30%	5.03%
Total Deposits	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	3,29,973	3,42,692
YoY Growth	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%	5.17%	3.85%
Total Loans & Advances	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913	1,89,712
YoY Growth	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%	2.71%	7.23%
Investments	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820	1,46,759
YoY Growth	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%	(4.59%)
CD Ratio	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%	55.63
Return on Assets	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)	(0.26%)	0.30%

PROFITABILITY

PARAMETERS	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15	MAR.16	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20	MAR.21*	MAR.22
Gross Income	13,799	16,486	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	27,200	25,846	25,770
YoY Growth	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	8.57%	(4.98%)	(0.29%)
Gross Expenses	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267	20,028
YoY Growth	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.25%	(6.95%)	(5.83%)
Operating Profit	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344	4,579	5,742
YoY Growth	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%	5.41%	25.40%
Net Profit/Loss	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)	(888)	1,045
YoY Growth	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%	(20.79%)	217.68%
NIM (%)	1.86%	3.31%	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.80%	2.78%	3.21
Net Interest Income	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245	9,487
YoY Growth	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%	8.07%	15.06%
Non Interest Income	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637	3,116	2,968
YoY Growth	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73	(14.32%)	(4.75%)

* Figures of March21 have been recalculated/regrouped wherever necessary to conform the current year classification



Directors' Report 2021-22

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2022.

1. Performance Highlights

- » Total Business of the Bank stood at ₹ 532404 crore as at March 31, 2022 compared to ₹ 506886 crore as at March 31, 2021.
- » Total Deposits stood at ₹ 342692 crore as against ₹ 329973 crore in March 31, 2021.
- » Total Advances of the Bank stood at ₹ 189712 crore as against ₹ 176913 crore in March 31, 2021.
- » Total Income for the financial year ended March 31, 2022 was ₹ 25770 crore as compared to ₹ 25846* crore for the financial year ended March 31, 2021.
- » Non-Interest Income of the Bank stood at ₹ 2968 crore for the financial year ended March 31, 2022 compared to ₹ 3116* crore for the financial year ended March 31, 2021.
- » Operating Profit of the Bank increased to ₹ 5742 crore for the financial year ended March 31, 2022 as compared to ₹ 4579* crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2021 showing increase of 25.40%.
- » The Bank has earned Net Profit of ₹ 1045 crore for the financial year ended March 31, 2022 as compared to Net Loss of ₹ 888 crore during previous financial year ended March 31, 2021.
- » Business per employee increased to ₹ 17.15 crore during the financial year ended March 31, 2022 from ₹ 15.60 crore in the previous financial year ended March 31, 2021.
- » Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) stood at 13.84% @ with Tier I at 11.48% and Tier II at 2.36% for the financial year ended March 31, 2022.

(@As advised by RBI in its risk assessment report, Bank has computed Capital Ratio after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India. Without considering the impact of NPV, Tier 1, Tier 2 and CRAR are 13.39%, 2.36% and 15.75% respectively)

- » Net worth stood at ₹ 23801.85 crore as on March 31, 2022.
- » Cash Recovery (including sale of NPA) improved to ₹ 3266 crore in the financial year ended March 31, 2022 as compared to ₹ 2963 crore in the previous financial year ended March 31, 2021.
- » Gross NPA to Gross Advances improved to 14.84% as on March 31, 2022 from 16.55% as on March 31, 2021.
- » Net NPA to Net Advances reduced to 3.97% as on March 31, 2022 as against 5.77% as on March 31, 2021.
- » Provision Coverage Ratio improved to 86.69% as on March 31, 2022 from 82.54% as on March 31, 2021.

- » Net Interest Margin (NIM) improved to 3.21% in the financial year ended March 31, 2022 as compared to 2.78% in the Financial Year ended March 31, 2021.
- » Return on Assets (ROA) is 0.30% for the Financial Year ended March 31, 2022.
- » The credit deployment under priority sector stood at ₹ 93887 crore during FY 2021-22. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹ 15528 crore under PS Advances.
- » Agriculture Advance of the Bank stood at ₹ 38635 crore for the financial year ended March 31, 2022 as against ₹ 36207 crore for the previous financial year ended March 31, 2021.
- » MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2022 stood at ₹ 34138.55 crore without PSLC and Investment in SIDBI is ₹ 264.04 crore and Mudra Limited is ₹ 31.65 crore. PSLC for the FY 2021-22 is nil.
- » Retail Loans increased to ₹ 52226 crore in financial year ended March 31, 2022 from ₹ 49468 crore in financial year ended March 31, 2021.
- » Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹ 30163 crore for the financial year ended March 31, 2022, registering y-o-y growth of 7.84%. Housing Loan Portfolio constitutes 57.75% of the total Retail Portfolio as on March 31, 2022.
- » There are 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Odisha(1) and Assam(1). During the year 2021-22, the RSETIs conducted 672 training programmes and imparted training to 18589 candidates. Out of this, 5501 (i.e. 30%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. Credit linkage of settled candidates achieved is 2879 i.e. 16%.
- » Bank has 2 RRBs as on 31st March 2022 in 2 states covering 23 districts with a network of 1174 branches.
- » Under Financial Inclusion, Bank deployed 10299 BC Agents. Bank has opened 196 Urban Financial Inclusion centres. Bank has further opened 231.41 lakh Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches.
- » Total earning from Bancassurance business is ₹ 74.36 crore for the financial year ended March 31, 2022.
- » As on 31st March 2022, Bank has network of 4528 branches, spanning 65% branches in rural & semi-urban areas, 2976 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter across the country.

2. Income & Expenditure

Details of income and expenditure for the financial year 2021-22 are given hereunder:

(₹ in Crores)

	31.03.2022	31.03.2021	Variation	%
1 Interest Income	22802	22730	72	0.32
– Advances	11501	11638	(137)	-1.18
– Investments	9264	10009	(745)	-7.44
– Others	2037	1083	954	88.09
2 Non Interest Income*	2968	3116	(148)	-4.75
3 Total Income (1+2)*	25770	25846	(76)	-0.29
4 Interest Expended	13315	14485	(1170)	-8.08
– Deposits	12848	13994	(1146)	-8.19
– Others	467	491	(24)	-4.89
5 Operating Expenses	6713	6782	(69)	-1.02
– Establishment	3927	4141	(214)	-5.17
– Others	2786	2641	(145)	5.49
6 Total Expenses (4+5)	20028	21267	(1239)	-5.83
7 Spread (1-4)	9487	8245	1242	15.06
8 Operating Profit (3-6)*	5742	4579	1163	25.40
9 Provisions*	4152	5467	(1315)	-24.05
10 Provisions For Tax	672	(436)	1108	-254.16
11 Exceptional Item (expenses)	545	-	545	100
12 NET PROFIT/(LOSS) (8-9-11)	1045	(888)	1933	-217.68

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification

3. Provisions

Details of Total Provisions of ₹ 4152 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2021-22 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2022 (FY)	31.03.2021 (FY)	Variation
Provisions for Standard Assets	(222)	263	-184.41
Provisions for NPAs	2461	5176	-52.45
Provisions for Restructured Accounts	596	77	674.03
Provision on Investments	646	357	80.95
Provisions for Taxes	672	(436)	-254.16
Others	(1)	30	-103.33
Total	4152	5467	-24.05

4. Profitability Ratios

(In percentage)

	31.03.2022 (FY)	31.03.2021 (FY)
Cost of Deposits	3.86	4.35
Cost of Funds	3.92	4.43
Yield on Advances	6.57	6.63
Yield on Investments	6.27	6.63
Yield on Investment (including Trading Profit)	6.59	7.53
Net Interest Margin	3.21	2.78
Cost to Income Ratio	53.90	59.70

5. Business Ratios

	(In percentage)	
	31.03.2022 (FY)	31.03.2021 (FY)
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	6.65	6.67
Non-Interest Income to AWF	0.87	0.91
Operating Profit to AWF	1.67	1.34
Return on Average Assets	0.30	(0.26)
Business Per Employee (₹ in crore)	17.15	15.60
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	3.38	(2.74)

* Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2022 (FY)*	31.03.2021 (FY)
	Basel-III	Basel-III
Tier-I	11.48%	12.82%
Tier-II	2.36%	1.99%
Capital Adequacy Ratio	13.84%	14.81%

*As advised by RBI in its risk assessment report, Bank has computed Capital Ratio after adjustment for reckoning NPV of non-interest bearing recapitalization bond issued by Government of India. Without considering the impact of NPV, Tier 1, Tier 2 and CRAR are 13.39%, 2.36% and 15.75% respectively.

7. NET PROFIT/LOSS

The Bank has earned net profit amounting to ₹ 1045 crore during the financial year ended March 31, 2022. Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2021-22.

8. Changes in the Board during the year

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

1. Shri Tapan Ray, Part-time Non-official Director as well as Non-Executive Chairman ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 23rd May, 2021.
2. Smt. Mini Ipe, Shareholder Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 30th June, 2021.
3. Shri Dinesh Pangtey was appointed as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 01st July, 2021.
4. Shri Pradip Pranalal Khimani was appointed as non-official Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 21st December, 2021.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri Tapan Ray and Smt. Mini Ipe who ceased to be the Directors of the Bank during the Financial Year 2021-22.

9. Whistle Blower Policy

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Human Resources Department. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. Prompt Corrective Action

Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank has fulfilled all parameters under revised PCA framework for SCBs issued by RBI and Bank shall work with all valor to exit from PCA.

11 Business Responsibility and Sustainability Report

Business Responsibility and Sustainability Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been

annexed to this report and also hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in).

12. Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2022:

The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;

The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;

Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/ loss of the Bank for the financial year ended March 31, 2022;

Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India;

The accounts have been prepared on a going concern basis;

Internal Financial Controls are adequate and were operating effectively; and

Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems are adequate and operating effectively.

13. Corporate Governance

The Board of the Bank is committed to adopt best Corporate Governance practices in both letter and spirit. The Bank has a well-documented system and practice on Corporate Governance.

14. Acknowledgement

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its employees, customers and shareholders.

For and on behalf of the Board of Directors

[M V Rao]

Place : Mumbai

Date : June 27, 2022

Managing Director and
Chief Executive Officer

M/s **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
12 Ho Chi Minh Sarani, Suite No 2 (D, E & F)
2nd Floor, Kolkata 700071

M/s **A S K A & CO**
(Formerly known as, AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR)
Chartered Accountants
501, Mirage Arcade, Opp Ganesh Mandir, Off. Phadke Road
Dombivali East, Mumbai 421201

M/s **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
101, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri
(East) Mumbai 400063

M/s **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
C-7, Sector-E(New), Aliganj,
Lucknow-226024

Independent Auditor's Certificate

on Compliance with Corporate Governance Requirements under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To the Members of
Central Bank of India

1. This Certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 7th October 2021.
2. This report contains details of compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India ('the Bank'), for the year ended 31 March 2022, as stipulated provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, amended from time to time as referred to in Regulation 15 (2) of the 'Listing Regulations for the year April 1, 2021 to March 31, 2022.

Management's Responsibility for compliance with the conditions of Listing Regulations

3. The preparation of the Corporate Governance Report is the responsibility of the Management of the Bank along with the maintenance of all its relevant supporting records and documents.

Auditors' Responsibility

4. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
5. Pursuant to the requirements of the Listing Regulations, it is our responsibility to provide a reasonable assurance whether the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Listing Regulations for the year ended 31 March 2022.
6. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes [Revised 2016] ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. In our opinion, and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations.
9. We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on use

10. The certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the requirement of the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

(**CA RITESH AGRAWAL**)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN : 22062410AIRCQW4087

(**CA KIRAN K. DAFTARY**)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN : 22010279AIQZJN8912

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(**CA VIJAY SHELAR**)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN : 22101504AIQZQK2052

(**CA P. R. KARANTH**)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN : 22018808AIRAVO7815

Date : 09.05.2022
Place : Mumbai

Secretarial Audit Report

Form No.MR-3

For The Financial Year Ended 31st March 2022.

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular: CIR/CFD/ CMD1/27/2019 Dated: February 08, 2019]

To
The Members
Central Bank of India
Chandermukhi Building.,
9th Floor, Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Central Bank of India**, (hereinafter called the '**Bank**'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Minutes books, forms and returns filed by the Bank and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of Secretarial Audit. I hereby report that, in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder to the extent applicable to the Bank.
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder.
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder.
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Bank for the period under review).**

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

- a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended;
- b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended;

- c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended. **(Not Applicable during the year under review)**
 - d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not Applicable during the year under review)**
 - e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**
 - f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-convertible Securities) Regulations, 2021; **(Not applicable during the year under review)**
- Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended;

The Following other Laws as applicable to the Bank:

- (a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.
- (b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.
- (c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
- (d) Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India relating to Board Meetings and General Meetings – The Bank is complying with the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and other applicable rules, regulations, circulars, notification issued by RBI/GOI relating to Board Meeting and General Meetings, as amended from time to time.
- (ii) The Listing Agreements entered by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE).

I have also reviewed the systems and mechanisms established by the Bank for ensuring compliances under 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013' and during the period

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

under review the Bank has complied with the provisions of the said Act.

I further report that-

The Board of Directors of the Bank is duly appointed under Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1970 (as amended) and, Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended) and constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Director and Shareholder Directors. However, the appointment of woman director on the board of the bank as required under clause 17 (1) (a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, is not complied with during period under review. However, this may be noted that Central Bank of India is not a company incorporated under Companies Act but it is a body corporate constituted under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The Bank is a public sector bank and Government of India is the promoter thereof. Composition of the Board of Directors is guided under the abovesaid Banking Companies Act. All directors except one shareholder director, on the Board of the Bank are appointed/nominated by Government of India and one shareholder director fulfilling the Fit and Proper criteria as prescribed by RBI and Government of India, is elected by shareholders other than the Central Government in terms of the Banking Companies Act. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR).

The affairs of the Bank are managed / governed through the Board and its Committees as under.

- 1) Management Committee
- 2) Audit Committee
- 3) Stakeholders Relationship Committee
- 4) Nomination & Remuneration Committee
- 5) HR Committee
- 6) Risk Management Committee
- 7) Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds
- 8) Customer Service Committee
- 9) IT Strategy Committee
- 10) Committee for Monitoring of Recovery
- 11) Capital Raising Committee
- 12) Vigilance Committee
- 13) Review Committee for Declaring of Non-Co-op Borrowers
- 14) Committee of the Board to Review the Identification of

Wilful Defaulter

15) Credit Approval Committee

16) Performance Evaluation Committee

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

In the wake of outbreak of Covid 19 pandemic and subject to relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, Board meetings and General meetings and other committee meetings were conducted via video or audio-visual mode and notices of all the meetings were sent through e-mail and proper recordings are maintained for subsequent reference.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank and its Committees, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors and its Committees during the period under review.

I further report that there are adequate systems and process in the Bank commensurate with the size and operations of the bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the period the review, Bank had following major specific events or actions which might have bearing on the Bank's in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc:

1. The Bank in its Board meeting held on 30th March, 2022 amended four codes/policies namely: Related Party Transaction Policy, Policy on Determination and Disclosure of Materiality Events/ Information, Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and Dividend Distribution Policy.
2. The Capital Raising Committee in its meeting held on 20th April 2021 approved the proposal for raising capital funds upto ₹ 4800 crore by issuance and allotment of 280,53,76,972 equity shares of the face value of ₹ 10 each at the issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share determined as per SEBI ICDR Regulations, 2018 to President of India (Government of India) on preferential basis, subject to the approval of Shareholders, Government of India.
3. The Bank in its Extra Ordinary General Meeting held on 18th May, 2021 passed special resolution to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be

permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 4,800/-Crore (Rupees Four Thousand Eight Hundred Crore Only) (including premium, if any).

4. Accordingly, In the Capital Raising Committee Meeting which was held on 29th May, 2021, 280,53,76,972 equity shares of the face value of ₹ 10 each at the issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share determined as per SEBI ICDR Regulations, 2018 was allotted to President of India (Government of India).
5. Bank has redeemed following debt instruments in terms of information memorandum and approval granted by Reserve Bank of India:

Date of Redemption	Nature of instrument	Amount of redemption (in ₹)	Purpose
21.12.2021	Lower Tier II Bonds Series XIV (ISIN: INE483A09245)	500,00,00,000 (Principal Amount) 46,65,00,000 (Interest Amount)	As per clause of Information Memorandum

6. Pursuant to Regulation 57(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement), 2015, as amended the Bank made payment of principal and interest for the following non-convertible debt securities and intimated the stock exchange on principal or interest or both becoming due.

Sr No.	Particulars	Due Date	Interest Amount	Principal Amount
1.	Perpetual Bonds Series II (ISIN: INE483A09252) of ₹139.10 crore at a coupon rate of 9.40% to the eligible bondholders.	28.09.2021	₹ 13,07,54,000/-	NA
2.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series IV (ISIN: INE483A08023) of ₹ 500.00 crore at a coupon rate of 9.80 % to the eligible bondholders.	30.09.2021	₹ 49,00,00,000/-	NA
3.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series I (ISIN: INE483A09260) on exercise of call option.	08.11.2021	₹ 99,00,00,000/-	NA
4.	Lower Tier II Bonds Series XIV (ISIN: INE483A09245)	21.12.2021	₹ 46,65,00,000/-	₹ 500,00,00,000/-
5.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series II (ISIN: INE483A09278) of ₹ 500.00 crore at a coupon rate of 8.62 % to the eligible bondholders.	07.03.2022	₹ 42,98,19,178/-	NA
6.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series V (ISIN : INE483A08031) of ₹ 500.00 crore at a coupon rate of 9.20% to the eligible bondholders	21.03.2022	₹ 46,00,00,000/-	NA
7.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series III (ISIN: INE483A09286) of ₹ 500.00 crore at a coupon rate of 10.80% to the eligible bondholders.	29.03.2022	₹ 54,00,00,000/-	NA

For **Shalini Pandey & Associates**
 Company Secretaries
 UDIN: F010462D000339109

Date: 18/05/2022
 Place: Mumbai

Shalini Pandey
 FCS: 10462; CP: 20576

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

ANNEXURE I

Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2022

To
The Members
Central Bank of India
Chandermukhi Building.,
9th Floor, Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

My Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Central Bank of India (the Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. My Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit Report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to me by the Bank, along with the explanations where so required.
3. I have followed the audit practices and process were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. I believe that the process and practices I followed, provides reasonable basis for my opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. I have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Bank.
5. Wherever required, I have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Shalini Pandey & Associates**
Company Secretaries
UDIN: F010462D000339109

Date: 18/05/2022
Place: Mumbai

Shalini Pandey
FCS: 10462; CP: 20576

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To
The Members
Central Bank of India
Chandermukhi Building.,
9th Floor, Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Central Bank of India** having CIN (Not Applicable) and having its Registered office at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400021 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications including Directors Identification Number (DIN) as considered necessary and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India or any such statutory authority.

S . No.	Name of the Director	Category	DIN	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Tapan Ray	Non-Executive Director	00728682	23-05-2018	23-05-2021
2	M V Rao	MD & CEO	06930826	01-03-2021	-
3	Alok Srivastava	Executive Director	05123610	23-01-2019	-
4	Vivek Wahi	Executive Director	07490023	10-03-2021	-
5	Rajeev Puri	Executive Director	07330989	10-03-2021	-
6	Bhushan Kumar Sinha	Non-Executive Director	08135512	14-05-2018	-
7	P J Thomas	Non- Executive Independent Director	*	28-09-2020	-
8	Mini Ipe	Non- Executive Independent Director	07791184	01-07-2018	30-06-2021
9	Pradip Pranlal Khimani	Non- Executive Independent Director	*	21-12-2021	-
10	Dinesh Pangtey	Non- Executive Independent Director	07517137	01-07-2021	-

Note: *Shri P J Thomas, Nominee Director of Bank, nominated by Reserve Bank of India and Shri Pradip Pranlal Khimani, Independent Director, Nominated by Government of India are not holding any DIN (Director Identification Number), as there is no mandatory requirement of DIN for Director appointed in Public Sector Banks.

Ensuring the eligibility of for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **Shalini Pandey & Associates**
Company Secretaries
UDIN: F010462D000339109

Shalini Pandey
Proprietor
FCS: 10462; CP: 20576

Date: 18/05/2022
Place: Mumbai

ANNUAL SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT OF CENTRAL BANK OF INDIA

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

[Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 Dated 08.02.2019 as per Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement), 2015]

To

The Members

Central Bank of India

Chandermukhi Building.,

9th Floor, Nariman Point,

Mumbai - 400 021.

1. I have examined:

- (a) All the documents and records made available to us, and explanation provided by Central Bank of India ("the listed entity").
- (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the Stock Exchanges.
- (c) website of the listed entity,
- (d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification, for the year ended 31st March 2022 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of:
 - (a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and
 - (b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

2. The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, include:-

- a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended.
- c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended. **(Not applicable during the year under review)**
- d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not applicable during the year under review)**
- e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; **(Not applicable during the year under review)**
- f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, as amended; **(Not applicable during the year under review)**
- g) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended;
- h) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from time to time.
- i) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.
- j) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
- k) Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998

And based on my examination and verification of documents and records produced to me and according to the information and explanation given by the Bank, I hereby report that: during the review period for the year ended 31st March, 2022

- a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of the regulations mentioned below.

Sr. No	Compliance Requirement (Regulations/ Circulars/Guidelines including specific clause)	Deviations	Observations and Remarks of the Practicing Company Secretary
		Nil	

- b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder in so far as it appears from my examination of those records.
- c) The following are the details of actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder:

Sr No.	Action Taken by	Details of violations	Details of action taken E.g., fines, warning letter, debarment, etc.	Observations/ remarks of the Practicing Company Secretary, if any.
			Nil	

- d) The listed entity was not required to take any action with regard to compliance with the observations made in previous reports.

For **Shalini Pandey & Associates**
Company Secretaries
UDIN: F010462D000339109

Shalini Pandey
(Proprietor)

FCS: 10462; CP: 20576

Date: 18/05/2022

Place: Mumbai

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Management Discussion and Analysis

Economic Outlook

Global Economy

World Economy recovering from the catastrophic impact of COVID-19 has been disrupted by geopolitical tensions post the onset of Ukraine-Russia war. The war which is still not over has led to turmoil in financial market, energy and commodity prices, thereby denting the global economic recovery. Surge in crude oil prices and high commodity prices have now trickled down to domestic inflation in most advanced as well as emerging economies.

High inflation has forced the central banks to undertake aggressive rate hikes and other balance sheet reduction measures. Also, sudden hike in Covid-19 cases in China and the ensuing lockdown has further aggravated the supply chain challenges. In the wake of these developments, IMF in its World Economic Outlook report released in April 2022 revised its global growth projections downwards to 3.6 per cent for both FY22 and FY23 from 6.1 per cent in FY21. This forecast is based on the assumption that the war will remain confined to Ukraine and Russia and sanctions on Russia will not cover energy sector and impact of Covid-19 will wear down going forward. World Trade Organization has also scaled down projection of world trade growth for 2022 by 1.7 percentage points to 3.0 per cent.

In USA, as per advance estimate released on 28th April 2022, Real Gross Domestic Product (GDP) decreased at an annual rate of 1.4 per cent in the first quarter of 2022. The decrease in real GDP reflected decrease in private inventory investment, exports, government spending while personal consumption expenditures, non-residential and residential fixed investment increased. Inflation remained elevated at 8.3 per cent in April 2022. To contain inflation, US fed announced its first rate hike of 25 basis points in March 2022 followed by a 50 basis point hike in May 2022. US Treasury 10-year bond yield remained close to 3 per cent after the second rate hike, which reduced the spread between 2-year and 10-year yield signalling the possibility of inversion of yield curve (indicator of recession). Currency markets and stock market have in USA has witnessed high volatility with correction of approximately 15 per cent over the year in Dow Jones and NASDAQ since November 2021.

In Europe, according to a flash estimate published on 17 May 2022 by Eurostat, the statistical office of the European Union, seasonally adjusted GDP increased by 0.3% in the euro area and by 0.4% in the EU compared with the previous quarter. Going ahead, Europe is likely to experience severe disruption due to the on-going war. Persisting high inflation and supply

chain disruptions have worsened due to sanctions imposed. Being net energy importers, higher global prices represent a negative terms-of-trade shock for most European countries, translating to lower output and higher inflation. According to IMF, euro area GDP growth in 2022 has been revised down to 2.8 per cent (1.1 percentage points lower than in January), with the biggest downgrades in economies such as Germany and Italy with relatively large manufacturing sectors and greater dependence on energy imports from Russia.

In line with the actions of US federal Reserve, Bank of England also continued with monetary policy tightening, raising its policy rate by 25 bps in March – the third such hike in a row.

For Japan, real GDP shrank at an annual rate of 1.0% in January-March 2022 from the previous quarter as COVID-19 curbs hit the service sector, and the Ukraine war and surging commodity prices impacted consumers and businesses.

Among Emerging Market Economies (EMEs), China's Q2:2022 GDP rose by 4.8 per cent despite Covid-19 related lockdowns in the month of March. Among EMEs, Brazil raised its policy rate by another 100 bps, taking the total cumulative increase to 975 bps in one year of its tightening cycle. South Africa raised its rate for the third consecutive time by 25 bps- total increase to 75 bps since November 2021. Chile, Hungary, and Mexico also raised their benchmark rates by 150 bps, 100 bps, and 50 bps, respectively, in March 2022.

India

The provisional estimate released in May 2022 suggested the GDP growth for 2021-22 at 8.7 per cent which is 27 basis points low from 8.9 per cent calculation in Second advance estimates (SAE) by the National Statistical Office (NSO) and also 1.8 per cent higher than 2019-20. On the supply side, real gross value added (GVA) rose by 8.1 per cent in 2021-22, with its major components, including services, exceeding 2019-20 levels.

Inflation indicator Consumer Price Index (CPI) has been recorded above the upper limit of threshold limit set by RBI of 6% from January 2022 onwards. Headline inflation for India came around 7.04 per cent in May a slight decrease from 7.8 per cent in April 2022. RBI announced surprise rate hike of 40 basis points in May 2022 followed by 50 basis points in June. The average annual CPI inflation for India decreased to 5.5 per cent in March 2022 from 6.2 per cent in March 2021.

As per provisional data, Industrial output increased by 7.1 per cent (y-o-y) in April 2022 while pre covid in April 2019, it was reported at 3.2 per cent. Mining output registered a



y-o-y expansion of 7.8 per cent (5.1 per cent in April 2019). Manufacturing output recorded expansion of 6.3 per cent (2.5 per cent in April 2019), while electricity generation expanded by 11.8 per cent (6.0 per cent in April 2019), respectively. For financial year 2021-22, IIP expanded by 11.3 per cent as compared to 8.4 per cent contraction during 2020-21 led by mining and manufacturing output. Both manufacturing and services PMI strengthened in April 2022 suggesting resilience of economic recovery.

India's overall exports (Merchandise and Services) touched an all-time high of USD 669.6 Billion during 2021-22 growing by 34.5 per cent over 2020-21. India's Services exports achieved the target of \$250 Billion 2021-22, growth of 21.3 per cent over 2020-21.

Banking

As per the provisional data released by RBI, scheduled commercial banks gross bank credit grew at 9.6 per cent on yearly basis in March 2022 compared to 4.6 per cent in March 2021. Banks have provided ample support to the industries in terms of low interest credit while also RBI kept the repo rate unchanged for a long time. While y-o-y credit growth to agriculture and allied activities reduced to 9.9 per cent in March 2022 from 10.5 per cent a year before, Industry and services sector credit deployment improved significantly. Credit provided to industry and service sector by SCBs increased to 7.1 and 8.9 per cent respectively. Service sector that suffered the most due restrictions imposed during pandemic has now picked up in activity and is expected to perform even better in the CY22. Personal loan segment that witnessed the y-o-y credit growth of 12.4 per cent has still not reached the pre pandemic growth levels of 15 per cent in March 2020.

Performance of the Bank's Business

As on March 31, 2022, the Total Business of the Bank was ₹ 5,32,404 crore compared to ₹ 5,06,886 crore as on March 31, 2021. High Cost Deposits have been increased to ₹ 75 crore as on March 31, 2022, from ₹ 68 crore as on March 31, 2021.

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 5,742 crore for the financial year ended March 31, 2022 as compared to ₹ 4,579 crore for the financial year ended March 31, 2021. The Bank posted Net Profit of ₹ 1,045 crore in financial year ended March 31, 2022 as against Net loss of ₹ 888 crore in financial year ended March 31, 2021.

Resource Mobilisation

The Total Deposits as on March 31, 2022 stood at ₹ 3,42,692 crore, after increase of High Cost Deposits to the extent of ₹ 7 crore. Saving Bank Deposits increased to ₹ 1,55,965 crore with a growth of 7.07% in financial year ended March

31, 2022 from ₹ 1,45,667 crore in financial year ended March 31, 2021. Similarly, Current Deposits increased to ₹ 16,515 crore in financial year ended March 31, 2022 from ₹ 16,259 crore in financial year ended March 31, 2021, registering a growth of 1.57%. The share of CASA Deposits to Total Deposits has increased to 50.58 % as of March 31, 2022 as against 49.24% as of March 31, 2021. Core Term Deposits increased by 0.96 % and reached to the level of ₹ 1,68,481 crore as of March 31, 2022 from ₹ 1,66,883 crore as of March 31, 2021

Strategy And Progress of INDAS Implementation in the Bank

RBI vide its circular DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19, dated March 22, 2019, stated that the legislative amendments recommended by the RBI are under consideration of the Government of India and deferred the implementation of IndAS in Banks till further notice. However, as required by RBI, Bank submits the Proforma IndAS Financials to RBI every half year from September 2021. RBI, vide their email dated 8th August, 21, has informed that the date of transition for the Performa to be submitted starting from the half-year ended September 21, is April 1, 2021.

The Bank had engaged the services of an IndAS consultant and constituted a Core IndAS Team and commenced the process of IndAS implementation. Vetting of the Performa IndAS Financials is done by the consultant every time before submission to RBI and placed before the Audit Committee of the Board for information.

New Initiatives

- » Training centres equipped to deliver "BRAND CENTRAL"
- » Staff Accountability Policy revisited to ensure transparency
- » Implementation of CPAC-Pre-Disbursal Credit Review Mechanism
- » Special campaign 'CENTRAL CONNECT' to visit loyal customers.
- » Revised Lending Powers and essential Policy changes to encourage fear-free lending
- » Co-Lending: New Business Vertical established for Augmentation of credit growth.
- » Launched dedicated mail ID i.e greenchannel@centralbank.co.in to Corporate Borrowers for sharing of information and quick redressal of issues.
- » Bank website revamped with a complete new look.
- » Revamped Net Banking /Mobile Banking facility launched
- » CGTMSE Cell formed for centralised processing of CGTMSE registration and claims
- » MIS and ADF under process
- » Missed-Call facility for NEW banking needs introduced

Co-Lending

The Bank has created a new vertical of Emerging Business under a General Manager for increased focus on the growth of advances under Retail, Agriculture & MSME (RAM) through Co-Lending, Pool Buyout and Trade Receivables Discounting of MSME units under the TReDS platform.

Central Bank of India, during FY 2021-22, has entered into a co-lending partnership with Seven leading NBFC/HFCs of the country for increased lending to Retail, MSME & Agriculture under Priority Sector in compliance with RBI guidelines. The growth in advances during the year due to co-lending is as under:

(₹ in crore)

Segment	Sanctions during 2021-22		Outstanding as on 31.03.2022	
	No. of accounts	Amount sanctioned	No. of accounts	Amt. O/S as on 31.03.2022
RETAIL	13351	1588.98	12319	1304.28
MSME	1013	198.63	948	195.00
Agriculture	5	1.68	5	0.93
Total	14369	1789.29	13272	1500.21

The growth in advances during the year due to Pool Buyout is as under:

(₹ in crore)

Segment	Sanctions during 2021-22		Outstanding as on 31.03.2022	
	No. of accounts	Amount sanctioned	No. of accounts	Amt. O/S as on 31.03.2022
RETAIL	162188	1500.00	162184	1315.95

The performance highlights under TReDS as of 31.03.2022: Total Turnover achieved for FY 2021-22 is ₹ 1972.10 crore as against FY 2020-21 turnover of ₹ 42.48 crore. Out of the Total turnover of ₹ 1972.10 crore turnover under the corporate category is ₹ 887.45 crore & under the PSU category, it is ₹ 1084.65 crore. Total Outstanding of ₹ 484.34 crore as of 31.03.2022.

Credit Highlights

- » Total Gross Advances of the Bank increased to ₹ 189712 crore as of 31.03.2022 against ₹ 176913 crore as of 31.03.2021 with a growth of 7.23%.
- » During the financial year, Fresh Corporate Credit of ₹ 35863 crore was sanctioned despite COVID related challenges.
- » Loan Policy and Master Circulars were updated to improve asset quality and manage credit risks, making the systems and control more effective and speedier decision making.
- » Rationalization of Interest Rates was done to make the Bank competitive in the market.
- » All borrowal accounts are brought under Large Exposure Framework regulatory limits.
- » Unsecured Exposure of the Bank is kept within the benchmark under PCA guidelines.
- » CGECL in Corporate Credit was sanctioned to all eligible corporate accounts.
- » Regulatory Framework – OTR was invoked in all eligible corporate accounts.
- » Green Channel was introduced to provide single point access to our Corporate Customers at Central Office for all matters pertaining to their relationship with our Bank.
- » Re-alignment of the portfolio with an increase in exposure to AAA-rated Borrowers.
- » SOP for steps/actions to be initiated in case of down gradation of External Credit Rating of a borrower.
- » Cent Equipment Financing Scheme introduced for MSME Borrowers.
- » Extension of EBLR linked ROI Product for tenor more than 2 Years & up to 15 Years.
- » Internet Banking is provided to all Corporate customers and other CC/OD account holders.
- » Cent Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Tourism Service Sector.+
- » Cent Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions (MFI).

- » Guidelines cum SOP for extending financial assistance to Project Proponents for Enhancement of Ethanol distillation.
- » Revision in NBG guidelines and Takeover Norms for easing and garnering Fresh Loans.

Credit Monitoring & Policy Department

In order to improve the quality of our Credit portfolio, a separate vertical for Credit Monitoring & Policy headed by General Manager is functioning. Major activities being undertaken by the department are enumerated below:

Credit Monitoring Committee has been constituted at various controlling offices and large branches, and it is being ensured that meetings of the committee are held periodically to deliberate all matters pertaining to Credit Monitoring, including the following points:

- » Evaluation of exercise of delegated lending powers at various levels during the month
- » Root-cause analysis of SMA accounts
- » Status of coverage & closure under Loan Review Mechanism
- » Status of conduct of Stock-Audit in borrowed accounts
- » Status of review renewal of accounts
- » Status of conduct of Periodical inspection of Securities
- » Status of Perfection of Securities

Verification of Early Warning Signals (EWS) of borrowal accounts generated from the dedicated Portal to identify the sickness/criticalities of the account even before the financial default for early resolution. These include:

- » Red-Flagging of borrowal accounts on the observance of Early Warning Signals for further investigation as per RBI guidelines
- » Agencies for Specialized Monitoring (ASM) are being engaged for accounts with exposure above ₹ 250 crore from the banking system in order to monitor the operations and transactions of large value borrower accounts on an ongoing basis
- » A system for Quarterly review of loan accounts of listed companies (₹ 1 crore and above) and others (working capital exposure of ₹ 5 crore & above) has been implemented in the Bank for monitoring the actual business performance viz a viz the estimates/projections
- » Impact assessment of Early Warning Signals (EWS) on

Risk Rating of loan accounts has been started through the process of Dynamic Review of Rating.

- » The department ensures the submission of loan account details to the Credit Information Companies & NeSL (Information Utility) periodically
- » Department is ensuring timely submission of various regulatory returns / MIS pertaining to advances
- » The department is monitoring the registration of security interest with CERSAI
- » The department is ensuring that the credit-related policies are updated in line with the notifications made by RBI, the Government of India, etc.
- » Submission of default report and main report of borrowal accounts to CRILC
- » Template review of SMA 1&2 accounts of above ₹ 5 core and up to ₹ 25 crore to guide the branches for initiating proper and timely actions in defaulted accounts
- » Credit Processing and Approval Centre (CPAC) has been established in all 90 Regional Offices with the objective of empowering Branches in taking Credit decisions and, providing comfort to the branches and facilitating a single point verification of all Pre-Disbursal activities commencing from appraisal & sanction and documentation including security creation, compliance of other terms and conditions etc. CPAC will act as a fulcrum, and all the branches are connected to the CPAC within their Region.
- » Creation of War Room at Central Office with dedicated staff personnel has helped in the follow-up of all SMA accounts with exposure up to ₹ 1.00 crore and also curtailing slippages.

Priority Sector

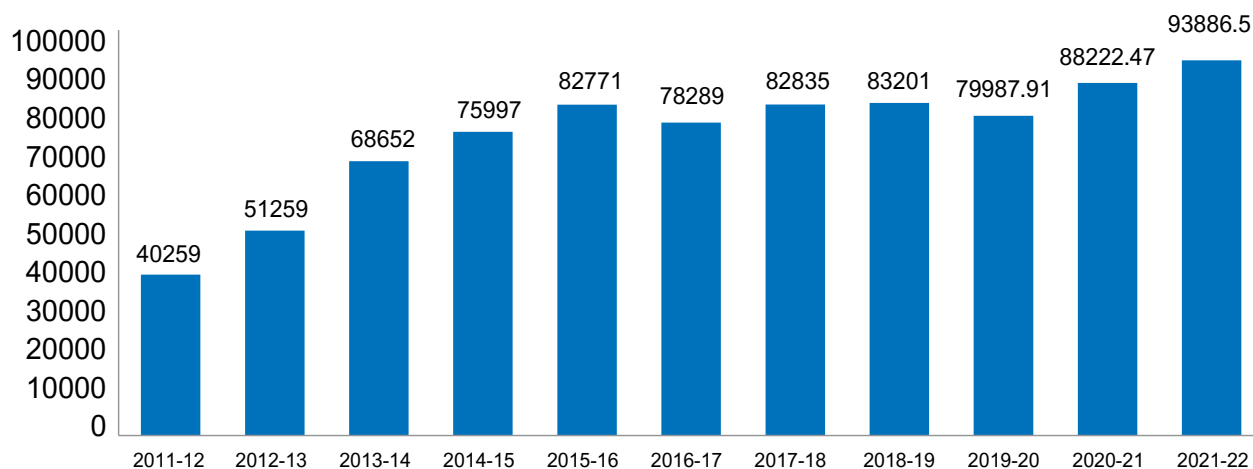
As per RBI directives, 40% of Adjusted Net Bank Credit or Equivalent Credit amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to Priority Sector. Lending under this sector is, therefore, the thrust area of the Bank. The performance of the Bank under various segments of the priority sector as of 31.03.2022 (audited) is as under:

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Mar-19	Mar-20	Mar-21	Mar-22	Growth (%)
1	Priority Sector Advance	83201	79987.91	88222.47	93886.50	6.42%
	Percentage achievement of ANBC	47.22%	45.07%	51.96%	44.08%	
2	Total Agriculture Advance	35655	34419.4	36206.99	38635.40	6.71%
	Percentage achievement of ANBC	20.24%	19.54%	21.32	19.79%	
3	MSME	31036	29250.15	32356.43	34138.55	5.51%
4	Education Loan	2522	2341.42	2724.77	2485.20	-8.79%
5	Housing Loan (up to ₹ 25 Lakh)	13956	13939.37	16744.07	18503.23	10.51%
6	Other Priority Sector	20	17.51	24.77	13.14	-46.95%
7	Renewal Energy	0	0	2.35	2.25	-4.26%
8	Social Infrastructure	8	7.22	153.15	104.40	-31.83%
9	Export Credit	5	12.84	9.93	4.33	-56.39%

The Credit deployment under the priority sector increased to ₹ 93886.50 crore during 2021-22, recording an increase of ₹ 5664.03 crore over the previous year. However, to take advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹ 15528.00 crores under Priority Sector (10500 crores under General PS, 5028 crores under Small and Marginal Farmers). There is outstanding RIDF to the tune of ₹ 2671.54 crores under Priority Sector, of which ₹ 2092.97 crores under Agriculture as of 31.03.2022.

(₹ in crore)

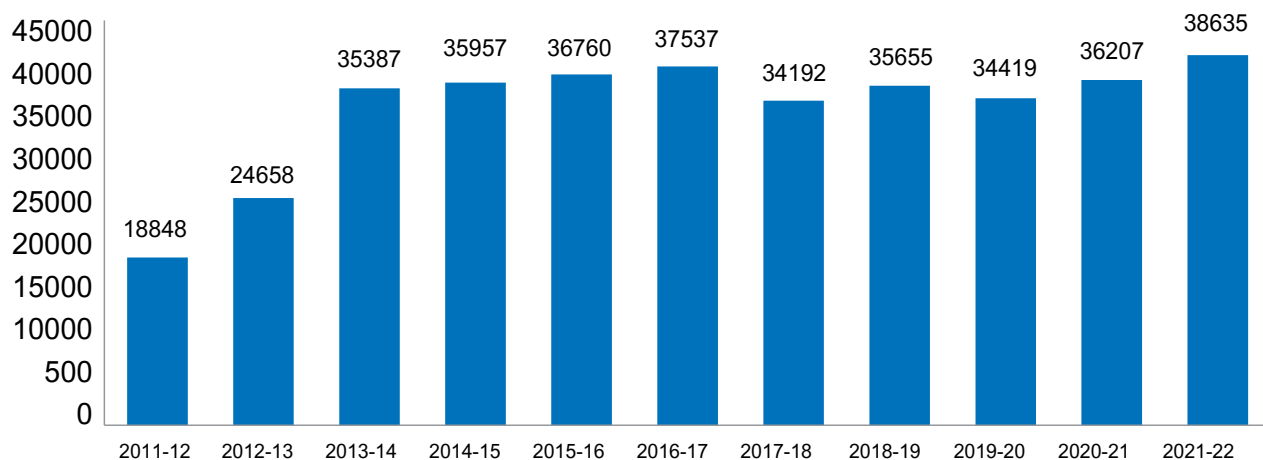


Agriculture

During the year under review, total Agriculture credit increased by ₹ 2428.41 crores from the level of ₹ 36206.99 crores as of March 31, 2021, to ₹ 38635.40 crores as of March 31 2022. The net per cent of agriculture credit to adjusted net bank credit (ANBC) is 19.79% against the stipulated target of 18% achieved.



(₹ in crore)



Following are the details of the main products offered by the Bank in the agriculture and rural development segment:

Sl. No.	Scheme Name	Description
1	Cent Kisan Credit Card	Single window Credit for Short Term Expenses cultivation of crops/Post-Harvest Expenses/Marketing of produce/consumption requirement/ Working capital for maintenance of farm assets & activities allied to agriculture/investment credit requirement for Agriculture & allied activities.
2	Cent Agri Gold Loan	Quick Finance crop production and investment credit in agriculture & allied activities against pledge of gold ornaments & gold coins issued by our bank.
3	Cent SHG Bank Linkage	Lending to SHGs —revolving Cash Credit/Term Loan.
4	DAY-NRLM	The scheme was launched by MoRD for financing Women SHGs under Mission Mode.
5	Cent AMI (Agriculture Marketing Infrastructure) Scheme	Finance for creation of marketing infrastructure with the latest technology, facilities for grading, standardization, quality certification, creation of scientific storage facility for effectively managing marketable surplus of Agri & allied sector.
6	Cent Poly House, Green House, Shade-Net House	Financial assistance for undertaking protecting farming of high quality commercial Horticulture crops.
7	Cent Dairy	Establishment of Dairy Units for milk production.
8	Cent Agri Clinic /Agri-Business	Financial assistance for setting up Agri. Clinics & Agri. Business Centres by candidates who have required qualifications & trends as per the scheme.
9	Cent Farm Machinery	Financing to tractors trailers & other Agri. Implements.
10	Cent Kisan Sathi	To help in-debted farmers to reduce their outstanding dues payable to money-lenders, brokers etc.
11	Cent Scheduled Tribe	Financial assistance to weaker sections under Scheduled Tribe.
12	Cent Poultry	Finance for Establishment & running of Poultry Farm units.
13	Cent Fishery	Finance for Traditional & commercial fishing activity
14	Cent Agri Infra	To provide a medium — long term debt finance facility for Investment in projects for post-harvest management
15	Cent Solar —PM KUSUM Scheme	To provide finance to Farmers/FPO/Co-operative of farmers for setting up Decentralized Ground/ Stilt Mounted Grid-connected Solar or other Renewable energy-based Power Plants of capacity SOOKW to 2 MW
16	Cent VISVAS	To provide finance at a lower rate of interest to (i) Individual SC/OBC beneficiaries up to ₹ 2.00 Lac (ii) SHGs of SC/OBC beneficiaries up to ₹ 4.00 Lacs

Sl. No.	Scheme Name	Description
17	Cent Animal Husbandry Infra	To provide medium-long term finance for (i) Dairy Processing and value addition infrastructure, (ii) Meat Processing value addition infrastructure, and (iii) Animal Feed Plant
18	Cent FPO	To provide finance to Farmer Producer Organizations(FPOs)/Farmer Producer Cooperatives (FPCs) up to ₹ 5.00 crore
19	Cent FIDF	To provide finance for the creation and modernization of capture and culture fisheries infrastructure and reduce post-harvest losses
20	Cent PMFME Scheme	To provide finance for setting up and modernization of Micro Food Processing Enterprises
21	Cent Cold Storage	To meet the Financial Need of Cold Storage/Warehouse Units up to Maximum ₹ 50.00 crore

Following are the details of New Agriculture Products Introduced during FY 2021-22:

Sl. No.	Scheme Name	Description
1	Cent Cold Storage	To meet the Financial Need of Cold Storage/Warehouse Units up to Maximum ₹ 50.00 crore
2	SRMS	To provide Loan/ Limit to identified manual scavengers/ sanitation workers and their dependents for Agriculture / Service /Industrial/Transport and Sanitary based equipment's activity

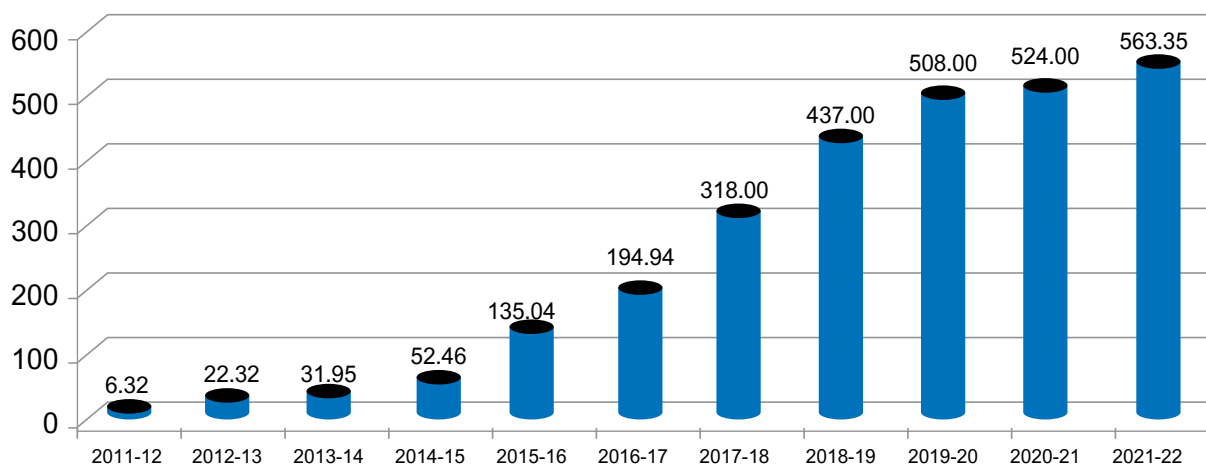
Special Credit Campaigns taken to accelerate the flow of credit to the Agriculture sector:

- » All Rural and Semi-urban branches have organized a minimum of one Mega Credit Camp each month to canvass and sanction new Agricultural loans.
- » All Rural and Semi-Urban branches have organized special Credit Camps for SHGs Bank Linkage.
- » Bank ensured crop Insurance coverage to eligible Loanee farmers under "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana" (PMFBY) and canvassed non-loanee farmers for coverage of crop insurance.
- » During the financial year, your Bank has given thrust on Investment credit under Agriculture. Bank has focused on extending credit to small & marginal farmers.
- » All Rural/Semi-Urban Branches organised village level weekly Camps to create awareness among farmers for improving credit flow as well as coverage under Social Security Schemes to the Farmers.

FINANCIAL INCLUSION (FI)

Bank has covered 24311 villages by deploying 10299 BC agents, and we have opened 884 Urban Financial Inclusion centres also.

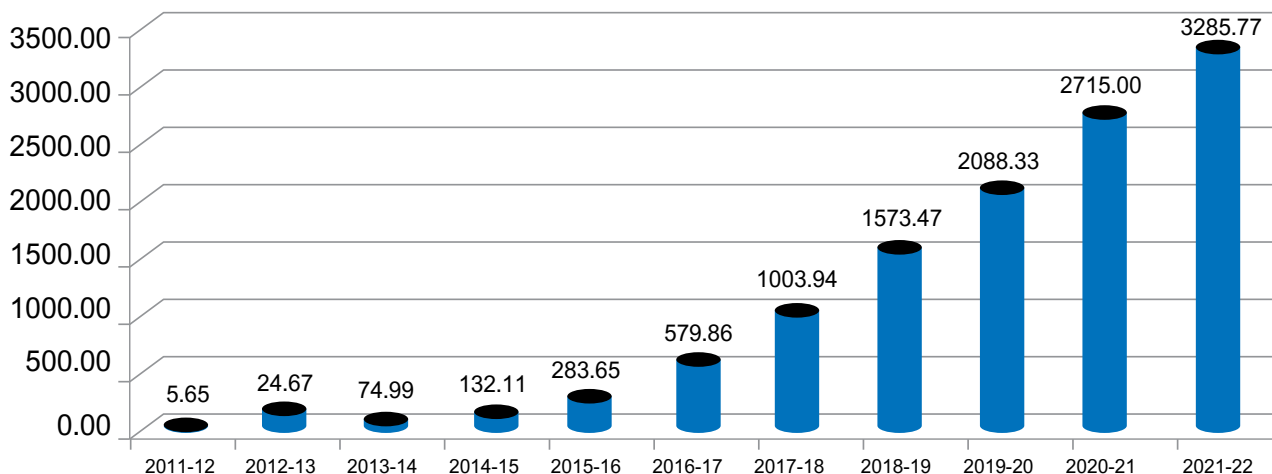
No. of transactions (in Lakh)



Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased from 524.00 lakhs in FY 2020-21 to 563.35 lakhs in FY 2021-22. (YoY growth of 7.51 %).

Business through BC (in crore)

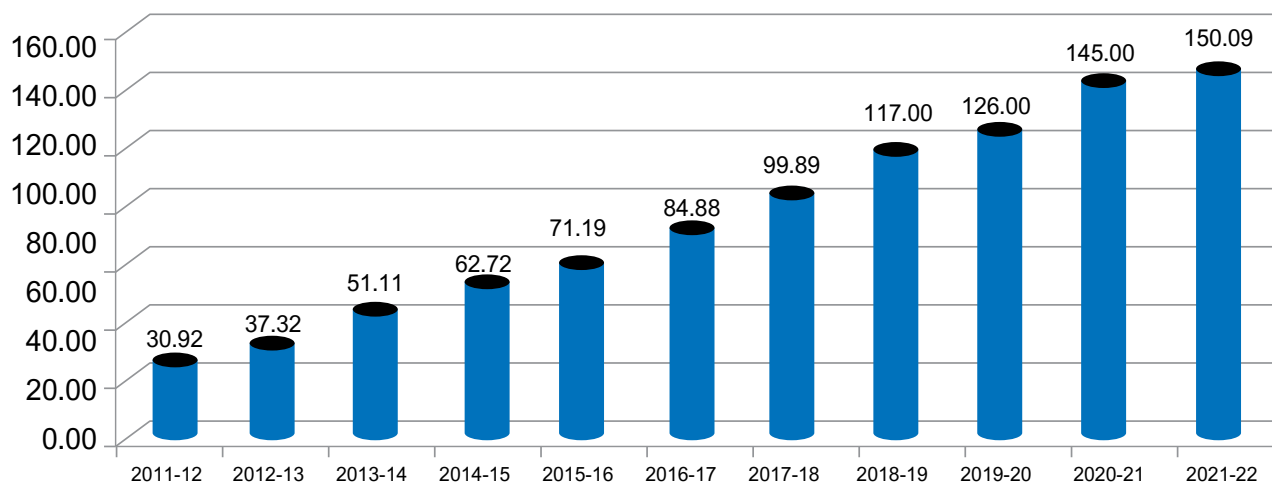
(₹ in crore)



Business through BCs increased from ₹ 2715.00 crore on 31 March 2021 to ₹ 3285.77 crore on 31 March 2022. (YoY growth of 21.02%).

Account Opening through BCs (in Lakh)

(₹ in lakhs)



No. of accounts opened through BCs increased from 145.00 lakhs on 31 March 2021 to 150.09 lakhs as of 31st March 2022. (YoY growth of 3.51%).

Major Achievements under FI-PMJDY during FY 2021-22

Business through BC Outlets increased by 21.02%, from ₹ 2715.00 crore to ₹ 3285.77 crore. Total FI Business increased by 13.85%, from ₹ 4955.00 crore to ₹ 5641.06 crore. The percentage of Aadhaar seeding increased to 86.24% from 83.97% in PMJDY accounts and increased to 90.34% from 88.30% in all operative CASA accounts. The number of Zero balance accounts in PMJDY accounts decreased by 39.76%, from 18,44,633 to 11,11,187.

Total enrollment under Social Security Schemes as of 31.03.2022 with a growth achieved over 31.03.2021 is as under:

Social Security Scheme	FY 2020-21	FY 2021-22	Growth%
PMJJBY	17,49,860	19,23,653	09.93%
PMSBY	51,53,219	55,74,581	08.18%
APY	12,32,446	15,81,162	28.29%

Out of 12946 death claims received under PMJJBY, 12690 claims are settled and out of 3403 death claims received under PMSBY, 2963. claims are settled, and other claims are rejected/under consideration with insurance companies.

Performance under Lead Bank

We have the Lead Bank responsibility in 51 districts spreading in seven States, viz. Madhya Pradesh (18), Bihar (10), Maharashtra (7), Uttar Pradesh (5), West Bengal (4), Chhattisgarh (4) and Rajasthan (3). More than 50% of the total business and about 25% of our total branches are located in these States and Lead Districts, respectively. For effective implementation of the Lead Bank Scheme, the Office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with the right kind of staffing supplement and infrastructure like independent/good premises, vehicles, computers/laptops & printers, telephone, internet connections, e-mail id, mobile.

To make the public/masses aware of various products of banks, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman / Aadhar etc., relevant to the rural masses on the vehicle provided to LDMs. All developmental activities like the complete implementation of Financial Literacy / Financial Inclusion Programmes, Training unemployed rural youth in RSETIs, Formation of SHG/Farmers Club/JLG, and Lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change.

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

We have opened 48 FLCCs in 7 States, viz. Madhya Pradesh (18), Bihar(10), Maharashtra (7), Uttar Pradesh (5), West Bengal (3), Rajasthan (3) and Chhattisgarh (2) and 4 FLCCs at block level in the state of Kerala and 5 FLCCs at block level in the Darbhanga District of Bihar. We have opened 85 CFLs in 6 states, viz. Bihar (28), Madhya Pradesh (27), Uttar Pradesh (12), Chhattisgarh (9), West Bengal (5), and Rajasthan (4). Both mass campaigning and individual counselling are being carried out.

Bank has provided them with vehicles fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing

benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc., while extending counselling to visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

There are 46 RSETIs in 9 States of the country, viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2021-22, the RSETIs conducted 578 training programmes and imparted training to 12678 candidates. Out of this, 8874 (i.e.70%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. Credit linkage of settled candidates achieved 7888, i.e.62%.

Other Initiatives

Our bank has established one Society/Trust in the name of "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs. We have also formed Governing Council at Apex Level with MD & CEO as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.

MSME Department

Active products of the MSME business

1	Cent Business
2	Cent Mortgage
3	Cent Contractor
4	Cent MUDRA
5	General MSME (IBA format)
6	Cent Trade
7	Stand Up India
8	Cent WHR
9	NULM
10	Cent Weaver Mudra
11	PM Svanidhi
12	Cent Construction Equipment Finance
13	Cent Trade Scheme To Commission Agent/Arthias
14	Cent Business Gold Loan Scheme
15	Cent Shop
16	SRTO (Transport Operator)
17	Cent Kalyani



18	Cent Rental
19	Cent Ceramic
20	Cent Hosiery / Textiles Scheme
21	PMEGP
22	Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana- M.P.
23	Cent Vehicle Business
24	Cent Pragati
25	Cent Healthcare
26	Cent Jeevak
27	Loan Guarantee Scheme For Covid Affected Sector
28	Central Laghu Udhya Credit Card
29	Cent Custom Hiring Centre (M.P)
30	Credit Enhancement Guarantee Scheme For Scheduled Castes
31	Cent Sanjeevani
32	Cent Shop Kota
33	Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojana - Rajasthan
34	Mukhya Mantri Swarozgar Yojana (M.P Only)
35	Mukhya Mantri Yuva Udhya Credit Card (M.P Only)
36	Mukhya Mantri Krishak Udhya Credit Card (M.P Only)
37	Cent TReDS

Discontinued products of the MSME business

- » Cent-Sahyog
- » Cent-Pratsahan
- » Cent-Prosperity (for minority community)
- » Cent-Matsya kanya (for fisher women)
- » Cent-Artisan Credit Card
- » Cent-Casting & Forging
- » Cent – Professional
- » Cent Gati Dhara (for State of West Bengal)
- » Cent Returned NRI Business Loan Scheme for financing returned Non- Resident Indians in Kerala State
- » Cent GST Input Tax Credit.
- » Cent Doctor
- » Cent Dentist
- » Cent Saral Business
- » Cent Vyapari
- » Cent Covid-19 Sahayata

MSME Performance

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	Y-o-Y%	Y-o-Y%
	(audited)	(audited)	(audited)	(audited)	without PSLC	with PSLC	growth without PSLC	growth with PSLC
	without PSLC	with PSLC	without PSLC	with PSLC				
MICRO Enterprises	10597	13733	14109	14109	16980	16980	20.35%	20.35%
MSE	26717	29853	29963	29963	31379	31379	4.73%	4.73%
MSME (PS)	30233	33369	32845	32845	34433	34433	4.83%	4.83%
TOTAL MSME	30233	33369	32845	32845	34433	34433	4.83%	4.83%

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	Y-o-Y%	Y-o-Y%
	(audited)	(audited)	(audited)	(audited)	without PSLC	with PSLC	growth without PSLC	growth with PSLC
	without PSLC	with PSLC	without PSLC	with PSLC				
% OF MSME ADVANCE TO TOTAL ADVANCE	17.55%	19.37%	18.27%	18.56%	19.46%	19.46%	4.83%	4.83%
RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	31.03.2020 (audited)		31.03.2021 (audited)		31.03.2022 (audited)		TARGET MAR-22	
No. of Accounts in Micro Ent.	878407		925742		867652		1018316	
% Y-O-Y Growth in Number of Accounts under Micro Enterprises	8.04%		5.38%		-6.27%		10%	

(₹ in crore)

RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	TARGET MAR-22
	(audited)	(audited)	(audited)	(audited)	(audited)	(audited)	
	without PSLC	with PSLC	without PSLC	with PSLC	Without PSLC	With PSLC	
MSE Portfolio (Amt.)	26717	29853	29963	29963	31379	31379	NA
% Y-O-Y Credit Growth under MSE	-5.51%	-12.62%	12.14%	0.36%	4.72%	4.72%	20%
% of Micro Credit to							
MSE Credit	37.48%	40.20%	52.80%	47.26%	54.11%	54.11%	60%

Performance under MICRO Enterprises

(₹ in crore)

MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.21	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.21	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.22	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.22	ANBC As on March-21 (in Crore)	ANBC As on March-22 (in Crore)	STATUS ON 31.03.21	STATUS ON 31.03.21	STATUS ON 31.03.22	STATUS ON 31.03.22	TARGET MAR-22
Without PSLC	With PSLC	Without PSLC	With PSLC	March-21 (in Crore)	March-22 (in Crore)	without PSLC	with PSLC	without PSLC	with PSLC	(7.50% OF ANBC)
14109	14109	16980	16980	157598	167598	8.95%	8.95%	10.13%	10.13%	12570.00

INDICATORS	DETAILS
PERFORMANCE HIGHLIGHTS	» % of Microcredit to MSE is 54.11% without PSLC » Bank achieved Y-o-Y growth under Micro is 20.34% » Under PMMY, our Bank's achievement is 109.59% of the target given by DFS, M.O.F, Govt. of India. As against the target of ₹ 4400 crore, our Bank could achieve ₹ 4822.33 crore under fresh sanction as of Mar-2022
INITIATIVES	» Resolution framework 2.0 was launched » ECLGS extension schemes were implemented » Cent Sanjeevani scheme for the health care sector was launched » Cent Healthcare scheme, Cent Jeevak, Cent Pragati, Co-Lending, Cent Vehicle Business, Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana, Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojana for Rajasthan, and Cent Shop Kota were launched » Tie-up with NBFCs for financing under Co-Lending
WAY FORWARD	» To Achieve this target, our thrust is on extending finance under MUDRA Scheme, Stand Up India Scheme, loans under KVIC/PMEGP Schemes, and Cent Weaver Mudra Scheme » Cluster-based finance through customized products » Aggressive follow up for upgrading the SMA-2 Accounts as well as for restructuring all Eligible accounts as per RBI guidelines is being done » Fintech activities will be strengthened by adopting digital documents and by introducing technology-enabled products providing end to end solutions for Microcredit

Retail Credit

The retail lending landscape in India has evolved in the recent past to become the most attractive lending option, transforming from the brick and motor concept of Retail lending to every innovative lending through the fintech space.

Coupled with the rising income and the desire to have the best of the world, has also led to a year-on-year retail lending boon in India. However, that has instigated a cutthroat competition among the lenders as every lender wishes to have the lion's share in the available Retail Lending Environment. The success in retail lending of any bank, however, depends on the differentiator each bank adopts in the retail lending journey. This apart, the success of each bank will also depend on retail product, Turn Around Time (TAT), customer servicing satisfaction and also cross-sell and upsell of retail products.

The bank is continuously in the process of R&D to fine-tune the existing Retail Products as per the needs of the targeted customers and to bring down the TAT not only to enhance customer satisfaction but to take it to the next level, i.e. customer delight.

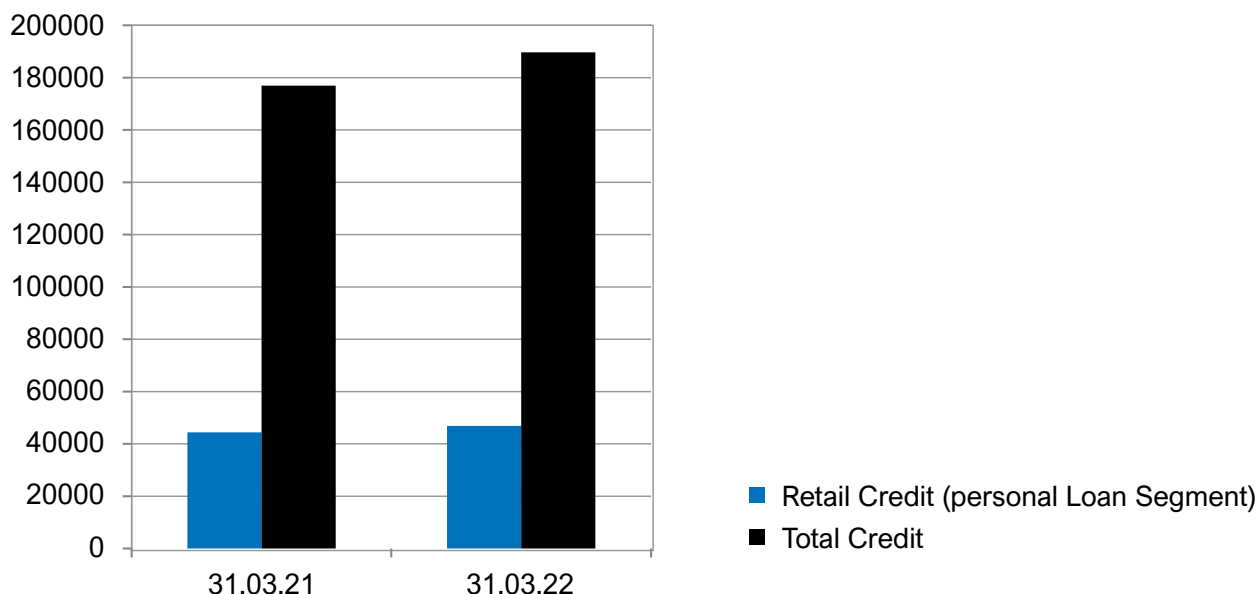
Besides this, the Bank has maintained the legacy of commitments towards the social responsibilities started long back by launching the first small saving Bank product, "Home Saving Safe Deposit Accounts", for the common man to various initiatives taken recently as a women empowerment measures which include, launching of special products like Cent Grih Lakshmi (Home Loan) with very attractive features like concession in Interest Rates & waiver of last few instalments and Cent Vahini Vehicle Loan with concessional interest rate and launching Cent Go-Green Vehicle loan as a green initiative to finance e-vehicle at concessional Rate of Interest.

To fuel retail credit growth, the department has taken various initiatives during FY 2021-22, which inter-alia include:

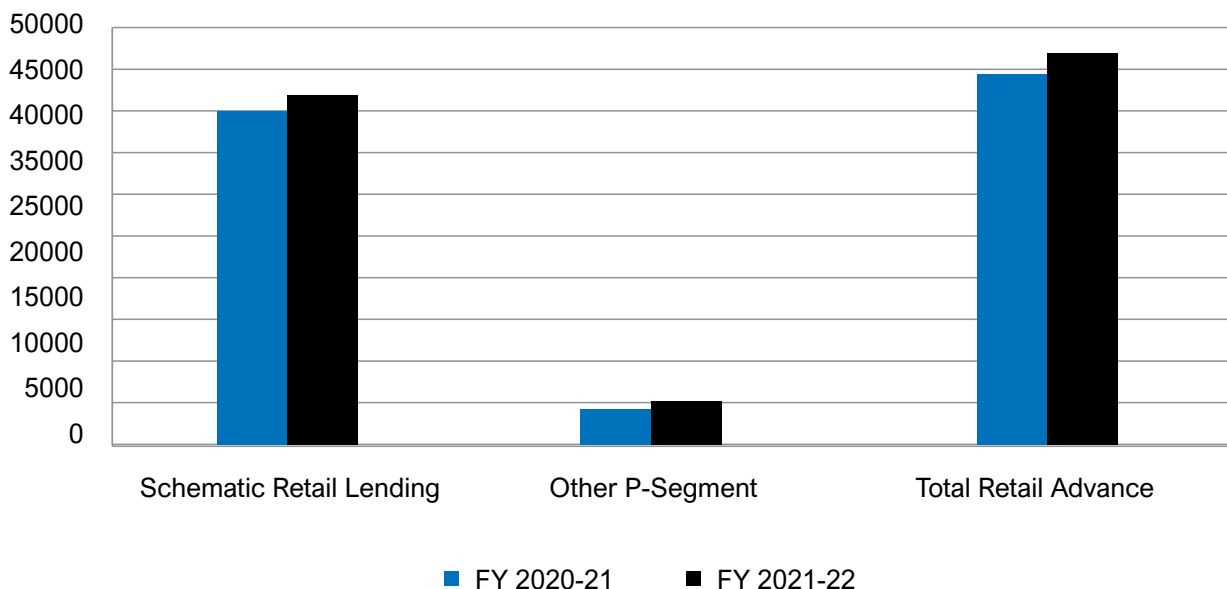
- » Introduced Pre-Disbursement Review mechanism through Centralized Processing & Approval Centres (CPAC) to encourage lending decisions without any fear with a proper check on credit quality.
- » Standardization & Automation of Credit Processing and sanction through the adoption of the Lendsafe platform with 360° appraisal.

- » Increased lending power of BMs under various schemes to reduce the Turn Around Time.
- » Launching special campaigns on special occasions, viz. Retail Monsoon Jackpot, Retail Festive Bonanza campaign with attractive offers such as full waiver of Processing Charges.
- » Addition & sourcing channels for leads generation through launching SMS & Missed Call functionality, implementing a composite DSA policy for Retail & MSME loans.
- » Strengthened existing sourcing channels through empanelment of more DSAs / Marketing Executives (Vehicle) and reviewed the commissions payable to marketing Executives (Vehicle).
- » Increased Tie-up with Builders / Colonizers with RERA approved Projects
- » Reviewed various Retail Lending Schemes to make them more convenient, competitive and customer friendly.
- » With the revised guidelines on Co-Lending Arrangements circulated on 05.11.2020 by RBI wherein HFCs were made eligible for Co-origination and the Model was rechristened as Co-Lending Model, Bank entered into a co-lending arrangement with 02 NBFC, namely IBHFL (Indiabulls Home Finance Ltd.) & IIFL (India Infoline Finance Ltd.) and started Co-lending.

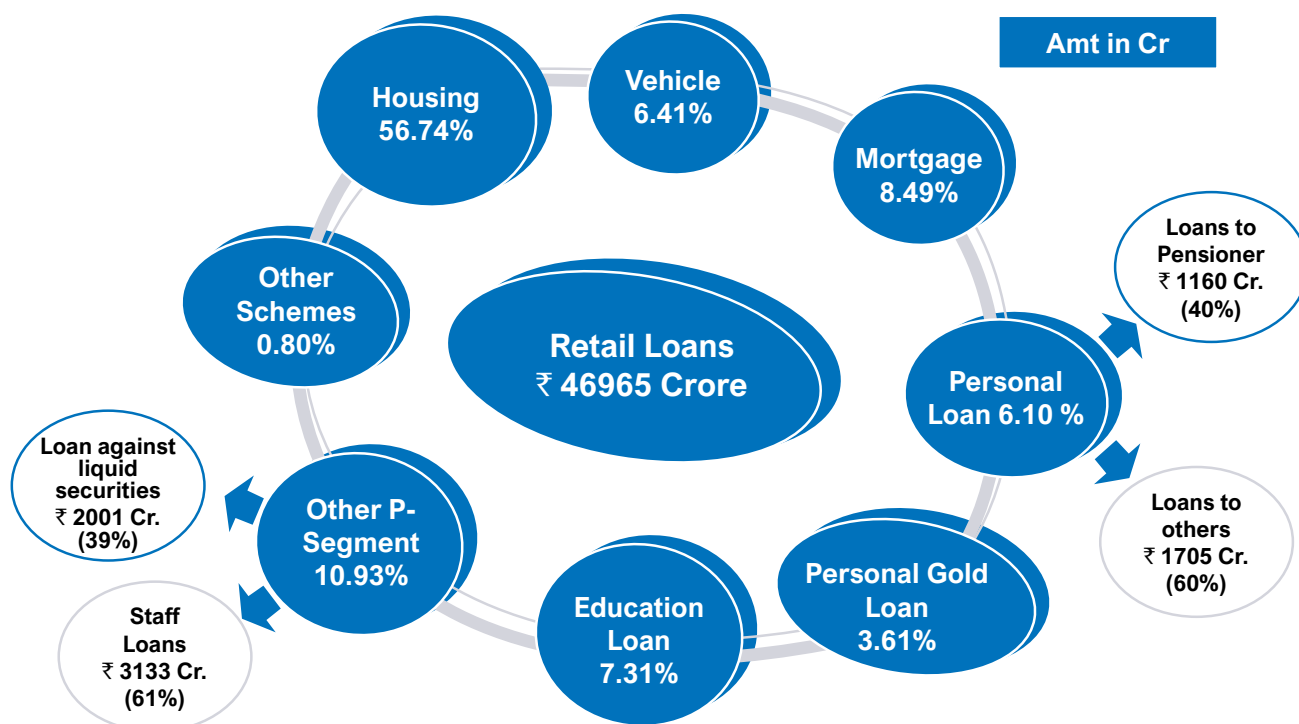
Share of Retail Credit in Total Credit



Segment wise growth in Retail Credit



Retail Loans composition FY 2021-22



Way Forward for Retail Credit

It is anticipated that Retail advances will grow in a similar trend as in FY 2021-22. Department analysed the gap leading to subdued retail growth in FY 2021-22 and addressed the same to facilitate the growth in this FY 2022-23. Accordingly, the following steps have been initiated not only to provide a level playing field to our field functionaries but also to ensure that the growth of the Retail Loan Portfolio of our bank is in with the growth of the Retail Loan Portfolio of other banks.

- ### Way Forward for Retail Credit
- It is anticipated that Retail advances will grow in a similar trend as in FY 2021-22. Department analysed the gap leading to subdued retail growth in FY 2021-22 and addressed the same to facilitate the growth in this FY 2022-23. Accordingly, the following steps have been initiated not only to provide a level playing field to our field functionaries but also to ensure that the growth of the Retail Loan Portfolio of our bank is in with the growth of the Retail Loan Portfolio of other banks.
- » Revised Housing Loan Product: - The housing loan product has been revisited, and amendments have been made in line with the peer banks to make the scheme more attractive.
 - » Other Retail Products have been revamped with attractive features and ROI.
 - » DSA Channel will be aggressively utilized as an additional platform for the canvassing of business. This apart, Bank will embark upon tie-up with reputed builders for the housing loan in the upcoming projects.
 - » The Bank will also enter into MOU with major four-wheeler car manufacturing for lending in the four-wheeler segment. Bank has already entered MOU with M/s Maruti Suzuki Ltd in this direction and is in an advanced stage of entering MOU with leading car manufacturing companies.
 - » Tie up with Fintech companies: The Bank will initiate an end to end integration with fintech companies, a step in the direction of lending in Retail Assets through the digital platform. In this line, Bank is in the process of entering an MOU with one of the leading fintech companies in the four-wheeler segment for lending to end-users of four-wheelers.
 - » The Bank is also aggressively marching for tie-up for customized Retail Asset products with various State Government / Central Government departments/ Institutions/etc. For lending to the employees of these Institutions.
 - » The Bank will leverage its existing relationship with customers/corporate clients for cross-selling and upselling of Retail Asset products.
 - » The Bank undertook a data-mining exercise for cross-selling and upsell of Retail Asset products to its existing clients
 - » The Bank is ensuring the availability of our bank in digital portals
 - » Tie-up with Reputed Builders: The Bank is in the process of having a Tie-up with major reputed builders pan India.
 - » Data Analytics: The bank is already generating leads through data analytics of the existing customer base and will explore more avenues in Data Analytics.

- » Tie-up with Central & State Govt. Departments: The Bank will be aggressively pushing for a retail loan tie-up with Central and State Government officials to offer customized products and a bouquet of services under a package.

International Division

Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 62 Authorized Dealer ('B' category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing room in Mumbai for the attainment of better funds management and operational convenience.

As of 31.03.2022, the Export Credit portfolio of the Bank is ₹ 4389 crore in comparison to ₹ 4446 crore as of 31.03.2021, a decrease of 1.28% over the previous year. Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 34715 crore in FY 2021-22 as against ₹ 27377 crore in FY 2020-21, an increase of 26.80% over the previous year.

NRE Deposits increased from ₹ 5416 crore as of 31.03.2021 to ₹ 5448 crore as of 31.03.2022, an increase of 0.59% over the previous year. FCNR Deposits decreased from USD 230.54 million as of 31.03.2021 to USD 226.24 million as of 31.03.2022, a decrease of 1.86% over the previous year.

Treasury, Funds and Investment

The investment portfolio of the Bank has decreased to ₹ 146759 crore (Including Non-SLR, Non-Transferable Govt. of India Recapitalization bond of ₹ 19580 crore) as of 31st March 2022 as against ₹ 153820 crore as on 31st March 2021, thereby recording a decrease of 4.59% over the previous year. The ten-year benchmark yield closed at 6.84% as of 31st March 2022 vis a vis 6.18% as on 31st March 2021.

During the year, RBI has kept the policy rates unchanged, keeping the repo rate at 4%. The Bank Rate and Marginal Standing Facility also remain unchanged at 4.25%.

Treasury recorded a trading profit of ₹ 491.00 crore in FY 2021-22 as compared to the previous year's trading profit of ₹ 1380.63 crore. The yield on investment (excluding trading profit) decreased from 6.63% during 2020-21 to 6.27% during 2021-22.

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on shifting of securities, the Bank has transferred Central and State Govt securities amounting to ₹ 5702 crore from AFS to HTM and ₹ 6156 crore from HTM to AFS during 2021-22.

The composition of the investment portfolio of the Bank as of 31st March 2022 is as under:

(₹ in crore)		
S. No	Composition	31.03.2022
		31.03.2021
1	SLR	105841.66
2	Non-SLR	40917.60
	TOTAL	146759.26
		153820.06

Risk Management

Risk Management System & Organizational Set-Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. The Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assesses the risk models so as to remain in sync with the market developments, and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance with various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

At the operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Management Committee (CRMC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORMC) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team. These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Bank has identified officers in the rank of Chief Manager/Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Regional/Zonal Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of the Central Office to act as 'Nodal Officers' to look into various aspects of control & management of risk in the Bank. Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy.

Market Risk Management

The Mid Office reviews the market position and funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counterparty limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.

The tools such as VaR and Duration gap analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's Profit in the short run and equity value in the long run. A model to estimate Capital charge on trading portfolio on an ongoing basis is developed and is implemented as per the Basel III guidelines for Market Risk.

The Bank has board approved Market Risk Management Policy to monitor the market risk in the portfolio. Counterparty limits for Treasury operations have been fixed/reviewed on an ongoing basis. The developments in market risk are being reported and monitored by the Asset & Liability Committee, headed by the MD & CEO.

Credit Risk Management

The Bank has in place the Rating Model for rating borrowers under different models, viz. Large Corporate Model,

Infrastructure Model, NBFC, SME, Agriculture etc. The Bank has also developed Rating Models (scorecards) for grading retail loans, and the same is in use. The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Management Committee headed by the MD & CEO. The Bank has completed implementation of advanced approaches of capital computation using SAS solution.

Operational Risk Management

The Operational Risk Management in the Bank is guided by Board approved Operational Risk Management Policy. The Policy has put in place comprehensive operational risk management and measurement framework commensurate to the Bank's risk profile and risk appetite.

The operational Risk Management Committee (ORMC) ensures that the appropriate Operational Risk Management Framework is in place and is monitored on a regular basis. ORMC also Reviews and approves the development and implementation of operational risk methodologies and tools, including risk identification, assessment and reporting methods. Analysis of frauds, near-miss events, non-compliance events, breaches, and systemic improvements indicating suitable controls/mitigations for managing operational risk are also presented to the Committee.

A New Product Approval Policy Framework is in place, which guides the Bank in mitigating the risks associated with new products/processes or activities.

The Bank is having Business Continuity Plan, which lays down the framework for the Bank to continue delivery of products and services, within acceptable time frames at predefined capacity during the disruption of regular operations, which also guides the operating procedure to respond to disruption and resume, recover and restore the delivery of products and services consistent with business continuity objectives of the Bank.

The Bank has put in place a system for the collection of Loss Event Data and near-miss events in the IMM module (Incident Management Module) under Integrated Risk Management Solution (IRMS) for Operational Risk. The developments in operational risk management are being reported and monitored by the Operational Risk Management Committee headed by the MD & CEO.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) policy in place. The Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management (ALM) Systems

ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the Bank with the objective of profit

Maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) meets regularly & during 2021-to 2022 met 19 times to review the position of the Bank with regard to liquidity and other market-related matters.

Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate, MCLR, RBLR and EBLR fixation. During the year 2021-22, a revision was made six (6) times in deposit interest rates, the Base rate was reviewed four (04) times, RBLR & EBLR was reviewed six (6) times, and MCLR was reviewed twelve (12) times.

In terms of RBI guidelines, Bank has been calculating LCR (Liquidity Coverage Ratio) & the ratio remained above the threshold limit (i.e. 100% for 2021-22) fixed by RBI. The Bank had adequate liquidity with an average LCR for FY 2021-22 at 360.81%. The Bank is also calculating NSFR (Net Stable Funding Ratio) effective from 1st October 2021 & the ratio remained above the threshold limit (i.e. 100% for FY 2021-22) fixed by RBI. Currently, NSFR as of 31st March is 168.67%.

The developments in managing the liquidity and Interest rate risk of the Bank are being reported and monitored by the Asset & Liability Committee, headed by the MD & CEO.

Implementation of Basel III guidelines

Reserve Bank of India issued an updated master circular on the implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2015. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel III norms and provided capital as per the Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.

All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation, Collateral Management Policy, Asset and Liability Management Policy, Model Risk Policy, Model Validation Policy, Credit Review Policy, Intragroup Transactions and Exposures Policy, Integrated Risk Management Policy, BCP Policy, ICAAP duly approved by the Board are in place.

SAM and Recovery Department

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, SARFAESI Act, Appointment of Enforcement Agencies, Sale of Assets to ARCs under Swiss Challenge Method, Wilful Defaulters, etc.

The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in the economy and trends in NPA Resolution/Management. The Bank has launched Recovery Campaigns during the financial year.

During the year 2021-22, Cash Recovery of ₹ 3266 crore and Up-gradation of ₹ 1337 crore are made in NPA accounts.

- » Gross NPA level has decreased from ₹ 29277 crore to ₹ 28156 crore, i.e. reduced by ₹ 1121 crore.
- » Net NPA level has decreased from ₹ 9036 crore to ₹ 6675 crore, i.e. reduced by ₹ 2361 crore.
- » Gross NPA vis-à-vis total advances have decreased from 16.55% to 14.84% (171 bps).
- » Net NPA vis-à-vis net advances have decreased from 5.77% to 3.97% (180 bps).
- » Cash Recovery of ₹ 351 crore is made in Written off accounts.

Following One Time Settlement (OTS) Schemes were implemented for NPA resolution:

- » Non-Discretionary/Non-Discriminatory (NDND) Special OTS Scheme 2021-22 for NPA accounts & PWO/TWO accounts as of 31.03.2021 having Customer Exposure (O/s CIF wise) up to ₹ 10.00 crore,
- » OTS Scheme under Net Present value (NPV) Approach for all NPA accounts either with security or without security.

OTS Proposals with ledger outstanding of ₹ 2419 crore were settled for ₹ 1578 crore under these Schemes during FY 2021-22.

During the year, the Bank sold 1 NPA A/c to ARC under the Swiss Challenge Method on a 100% Cash Basis with a Cash Recovery of ₹ 13 crore, thereby resulting in a reduction in NPA to the extent of ₹ 42 crore.

ICA was signed in accounts with banking exposure of ₹ 1500 crore and above in terms of RBI guidelines of circular dated 07.06.2019.

No of accounts	The amount outstanding as on 31.03.2022	Total Provision held
20	₹ 7609.46 crore	₹ 5583.90 crore

Resolution Plans approved and implemented in accounts in compliance with RBI circular dated 07.06.2019.

No of accounts	Amount outstanding as on 31.03.2022	Total Provision held
7	₹ 2457.99 crore	₹ 936.87 crore

Recovery in NPA accounts was a major thrust area for the year 2021-22. The movement of NPA is being monitored closely on a daily basis. The recovery in NPA accounts through legal actions and under SARFAESI are reviewed periodically, and video conferences are held with Field Functionaries on a monthly basis.

NPA Borrowers with an outstanding of ₹ 10 lakh & above are being contacted individually by RO Recovery Team along with branch staff for its recovery.

Bancassurance

Bancassurance Cell deals with the distribution of life, Non-life and Health Insurance products and receives a commission. Our bank is holding a corporate agency license from IRDAI for a long period of three years and is valid up to 31.03.2025.

Bank under new IRDAI regulations 2015 called "open architecture" has tied up with following multi-insurance companies, in all three segments "Life, Non-life and Health."

Sr. No.	Name of the Insurance Company	Category
1	Life Insurance Corporation of India	Life Insurance
2	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	Life Insurance
3	The New India Assurance Co. Ltd.	Non-Life Insurance
4	Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd.	Non-Life Insurance

The performance highlights for the year ended on 31.03.2022:

- » Bank has canvassed 97299 policies with a Commission of ₹ 63.75 crore in Life Insurance Business.
- » Under Non-Life business, Bank has canvassed 239907 policies with the Commission of ₹ 10.61 crore.
- » Total earnings from Bancassurance business is ₹ 74.36 crores.
- » Bank has 1974 Specified Persons to source Bancassurance Business.

Depository Services

The Bank is a Depository Participant with an arrangement with Central Depository Services Ltd (CDSL). All the operations are centralized, and the services are offered through our Nodal Branch, Capital Market Services Branch, located at Fort Mumbai. The branches in major centres facilitate the opening of the accounts, buying and selling, pledge of Shares and dematerialization of physical securities. The bank has 28899 Demat Account Holders.

Capital Market Services Branch was opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc., and is the controlling branch for Demat and ASBA.

Online Demat account opening facility was started with arrangement with Central Depository Services Ltd (CDSL) software OLAO and also under the process of implementation of 3 in 1 E-Trading facility in tie-up with Motilal Oswal Financial Services Limited for our Demat clients.

Information Technology

IT Infrastructure

Bank had established a State-of-the-Art IT Infrastructure. The Data Centre of the Bank is ISO Certified, and the IT Infrastructure is robust enough to ensure Operational efficiency and promptness of the Customer Service. The Bank has implemented many important IT Projects like Core Banking Solution, Trade Finance Solution, Treasury Solution, Loan Lifecycle Management Solution etc., which act as Business enablers of the Bank.

The Bank had also established a full-fledged Disaster Recovery Centre and a Near-Site Set up to ensure Business continuity with Zero Data loss. Moreover, DR Drills are being conducted as per the Bank's internal policy, which is in line with the Regulatory guidelines. Further, with the help of an advanced networking setup and constant monitoring, Bank could emerge successful in containing branch isolations and network outages to the minimum level, even during extreme situations like natural calamities etc.

In order to tide over the unprecedented situation arising out of the outbreak of the Covid-19 pandemic, Bank had initiated various Technology-enabled measures like the establishment of additional BCP locations, conducting business/customer meetings and other internal interactions through video conferencing, allowing employees to Work from Home etc. so that Business Continuity, as well as safety of Staff and vendor associates are well taken care of.

SWIFT System has been revamped and upgraded to the latest version having many additional features. In the recent past, Bank has launched a revamped Internet Banking services, both for Retail and Corporate customers, with enhanced features and security controls. RTGS/NEFT set-up has also been upgraded to ensure 24X7 availability, as per Regulatory instructions.

The Bank had also implemented other projects like Anti-Money Laundering, Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Integrated Risk Management System (IRMS), Implementation of Fraud Risk Management System (FRMS), Centralized e-TDS Management Solution, Document Management System (DMS) etc., as part of either Customer/Employee service or Regulatory requirements.

Our Bank has been actively participating in all Financial Inclusion Initiatives of the Government. Statutory guidelines have been fully adhered to while capturing Aadhaar data. The Bank is sponsoring two RRBs, having around 1200 branches, and both the RRBs are under Core Banking. Almost all Technological initiatives of Sponsor Bank are being implemented in the RRBs also.

Bank has implemented Digi Funds Management Solution for end-to-end Fund Management and Monitoring System for payments made by various Central/State Government Departments and Corporates. The Bank is currently in the final stages of upgrading the existing Data Warehouse Solution with a best-in-class solution, which can handle the data growth and MIS/Analytical requirements of the Bank.

As part of its Business Strategy, Bank is undertaking a major initiative, viz. "Digital Transformation", through which it intends to convert the traditional Business models into seamless Digital models via Comprehensive App and Mobile Banking, Internet Banking, Tab Banking, Business Correspondent Points etc. As a first step toward this direction, Bank has finalized the Customer onboarding Journey through Video KYC.

IT Governance

IT Strategy and Risk Management Committees of the Board have been formed to ensure that proper IT Governance is in place. Further, an IT Steering Committee, comprising Top Executives from various Business Verticals, was also constituted to assist the Bank in taking up appropriate IT initiatives suitable for the Bank. The IT organizational structure is commensurate with the size, scale and nature of Business activities carried out by the Bank and the underlying support provided by Information Systems for the Business functions. The broad areas or functions considered for IT organizational structure include 'Technology and Development', 'IT Operations', 'IT Assurance', and 'Supply and Resource Management'. IT Department is headed by a Top Executive in the Rank of General Manager supported by Dy. General Managers and Asstt. General Managers. Each functional vertical of the IT department is headed by a suitable experienced and trained Senior official.

Information Security

The Bank has taken all the necessary steps to protect its Information Systems and customer data from cyber threats. Continuous compliance with certification standards like ISO 27001 and ISO 22301. Initiatives are being taken on a regular basis to enhance the cyber awareness among employees/customers

Audit and Inspection

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit (RBIA) through Internal Auditors, and a Risk Rating is awarded to each branch as per the Composite Risk Matrix. Accordingly, out of the total of 4553 branches, 4322 Branches were subjected to RBIA & rated during FY 2021-22. Overall there were 2779 branches placed under Medium Risk Rating, 1742 branches with Low-Risk Rating, and 32 branches with High-Risk Rating as of 31.03.2022. No branch of the Bank is rated under the Very High/ Extremely High-Risk category.

During FY 2021-22, 60 Regional Offices, 10 Zonal Offices and, 14 Central Office Departments, 02 RRBs & 02 Subsidiaries were subjected to Management Audit.

As on 31.03.2022, 924 General Branches/ 23 SSBs/ 89 CPACs/ 5 CO Depts. totalling 1041 branches/offices were covered under Concurrent Audit by the firms of Chartered Accountants/Bank officials. All 7 Corporate Finance branches are under concurrent audit by category I Chartered Accountant Firms. 05 SAM branches and 01 Co lending Cell are under concurrent audit by the Bank's own official of Senior Management Grade. Around 61.94% of the total business of the Bank and 66.41% of aggregate advances as of 31.03.2022 are covered under Concurrent Audit. Concurrent audit assignment was awarded to 963 Chartered Accountant Firms, out of which 526 firms are RBI Category I, 285 are category II, 93 are category III, and 59 are RBI Category IV firms.

The Bank conducts annual revenue checking exercise from 1st March to 10th March every year through firms of Chartered Accountants, Internal Auditors and other officials to ensure the booking of legitimate income in the books of the Bank.

In compliance with RBI directives, a Periodic Legal Audit and re-verification of title deeds were carried out in 254 eligible accounts during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022.

The Bank ensures strict compliance culture at branches through periodic inspections and audits. Bank also conducts Compliance Audit on a random basis to ensure the correctness of audit compliance submitted by auditee branches. During FY 2021-22, 870 branches were subjected to a compliance audit.

Reconciliation of swift messages of AD branches is being done through Concurrent auditors. Bank also conducts KYC compliance audits in addition to coverage in regular audits.

Branch Expansion

The quarter wise details of Branches opened/merged/closed during FY 2021-22 is as under

Sr. No	Category	Position as of 31.03.21	Quarter-I (Apr'21 to Jun'21)		Quarter-II (Jul'21 to Sep'21)		Quarter-III (Oct'21 to Dec'21)		Quarter-IV (Jan'22 to Mar'22)		Position as of 31.03.22
			Branches opened	Branches Merged/ closed	Branches opened	Branches Merged/ closed	Branches opened	Branches Merged/ closed	Branches opened	Branches Merged/ closed	
1	Rural	1603	1	0	0	0	0	0	0	0	1604
2	Semi-Urban	1332	0	1	0	0	0	1	0	0	1330
3	Urban	810	0	8	0	0	0	19	0	0	783
4	Metro	863	0	6	0	0	0	46	0	0	811
	TOTAL	4608	1	15	0	0	0	66	0	0	4528

Planning, Development & Operations Department

Branch Network

Population Groups	No Of Branches
RURAL	1604
SEMI URBAN	1330
URBAN	783
METRO	811
Total Branches	4528

Population Groups	No Of Branches
Size	No Of Branches
ELBs	22
VLBs	551
LARGE	1637
MEDIUM	2296
SMALL	0
SPECIALISED	22
Total Branches	4528

Bank's Structural/Organisational Position

The Position as of 31st March 2022 Is as under:

Sr. No.	Particulars	Number Of Offices
1	Central Office	1
2	Zonal Offices	12
3	Regional Offices	90
4	Subsidiaries	2
5	Associates	1
6	RRBs	2
7	CIAs	13

Other Developments

- » Bank's modernised Call Centre is providing both Inbound & Outbound call Facility for Customers.
- » The Call Centre operations are upgraded to provide a total of 16 services through IVR to the callers as against 19 benchmarked services under EASE.4.O guidelines.
- » The upgraded call Centre is now handling 11 out of 12 lead generation services marked under EASE 4.O guidelines.
- » The Call centre is also providing services in 10 Regional Languages apart from Hindi & English
- » The Doorstep banking facility is available to Senior Citizens, Visually Impaired & Differently-Abled customers through Call Centre by dialling 1-800 221911.
- » The customers can request for Debit Freeze of their account/Debit Card through Call Centre on a 24*7 basis.
- » Proactive Outbound IVR blaster for calling delinquent Agriculture, Retail and MSME customers are deployed in 5 languages.
- » Services for transferring funds through IVR to own, as well as other accounts within the Bank and loan accounts, are available.
- » The Pensioners are reminded regarding the submission of annual life certificates through Call Centre.
- » The Bank has initiated putting up revamped Complaint Management Solutions through its Web Portal for lodging Complaints from anywhere, any time.
- » Home delivery of Cheque book & ATM Cards implemented for the convenience of Customers.
- » Positive Pay was introduced as advised by RBI from 01/01/2021, through which customers can furnish certain basic details of their cheques issued to avoid fraud by cloning/ alterations. The same is optional for cheques above ₹ 50000/- and mandatory for above ₹ 5,00,000/-.
- » Positive Pay Facility is available through Net Banking, Mobile Banking and Branch Channels.
- » DSBS at 100 centres started under PSB Alliance Pvt Ltd., under which customers located at the centres can avail the following services at a nominal charge.
- » Pickup Services: Customers will request the pick-up of documents through the DSB system. Once a request is initiated, an agent will pick up the document from the customer's doorstep and delivers it to the Bank. These include Negotiable instruments (cheque/draft/pay order etc.); New cheque book requisition slip; 15G (download form); 15H (download form); IT/GST Challan; and Standing instructions request.
- » Delivery Services: The customer will request the delivery of the document through the DSB system. Once a request is initiated, an agent will pick up the document from the Bank and deliver it to the customer's doorstep. These include Account statements; Non-personalised cheque book draft, pay the order; Term deposit receipt, acknowledgement etc; and TDS/form 16 certificate issuance.
- » Cash Withdrawal: Customers can book Cash Withdrawal Service using DSB App / Web Portal or by calling on the Toll-Free Number 18001213721 & 18001037188. The Bank Account of the Customer should be either linked to Aadhaar or Debit Card for availing real-time Cash Withdrawal facility. DSB Agent will visit the Customer's address to provide service through Micro ATM-based secure technology. Per transaction, the limit is a Minimum of ₹ 1,000/- and Maximum ₹ 10,000/-
- » Digital Life Certificate: In the current pandemic situation, it is difficult for customers, especially pensioners, to visit a branch for a Submission of Life Certificate. Submission of Digital Life Certificate facility through Door Step Banking is available. Pensioners may book the service through any channel, i.e. DSB App / Web Portal(<https://dsb.imfast.co.in>) / Toll-Free Numbers. DSB Agent will visit the doorstep of the customer and collect an online Life Certificate using Jeevan Pramaan App.
- » Nomination Services: Nomination facility under Doorstep banking services is available for any addition/change in the nomination for the account type- Savings Bank Account (Individual and E/S), Term Deposit and Current Account (Individual).
- » Fund Transfer: Customers can avail of Fund Transfer requests (within or outside the Bank) with a maximum of 3 fund transfer requests and a cumulative fund transfer limit of ₹ 25,000/- per day.
- » Customers can open accounts under Small Saving Schemes like PPF/Senior Citizen Saving Scheme/Sukanya Samridhi Accounts in any of the branches of their choice.
- » The Customer can make an online subscription for Sovereign Gold Bonds through Net Banking.
- » Online PPF account opening facility provided to customers through net banking.
- » PPF and Senior Citizen Saving Scheme account opening facility provided to the customer through Mobile Banking.
- » Home Branch change of Small Saving Scheme through CBS on the line of Deposit account.
- » Registration of Nomination through Mobile Banking has been facilitated for customers.

Rajbhasha

The special achievements of Rajbhasha Department in the Financial Year 2021-22 are as under:

RAJBHASHA Awards: Following RAJBHASHA Awards received by our various offices from different NARAKAS (Town Official Language Implementation committee) during the financial year 2021-22.

Sr.	Name of NARAKAS	AWARD Received	Sr.	Name of NARAKAS	AWARD Received
1	BankNARAKAS, Ahmedabad	First	25	Bank NARAKAS, Mumbai	Third
2	BankNARAKAS, Patna	First	26	Bank NARAKAS, Pune	Third
3	NARAKAS, Amritsar	First	27	Bank NARAKAS, Indore	Third
4	NARAKAS, Dhanbad	First	28	NARAKAS, Amravati	Third
5	Bank NARAKAS, Bareilly	First	29	NARAKAS, Kanpur	Third
6	NARAKAS, Faizabad	First	30	NARAKAS, Karnal	Third
7	NARAKAS, Deoria	First	31	NARAKAS, Kochi	Third
8	NARAKAS, Akola	First	32	NARAKAS, Ludhiana	Third
9	NARAKAS, Thiruvananthapuram	First	33	NARAKAS, Nagercoil	Third
10	NARAKAS, Haldia	First	34	NARAKAS, Shivpuri	Third
11	Bank NARAKAS Jodhpur	First	35	NARAKAS, Haridwar	Third
12	NARAKAS Belgaum	First	36	Bank NARAKAS, Kolkata	Third
13	Bank NARAKAS Gwalior	First	37	Bank NARAKAS, Jalandhar	Consolation
14	NARAKAS Coimbatore	First	38	Bank NARAKAS, Ranchi	Consolation
15	Bank NARAKAS Jaipur	First	39	NARAKAS, Bhilai	Consolation
16	NARAKAS Muzaffarpur	First	40	Bank NARAKAS, Bareilly	Consolation
17	Bank NARAKAS, Pune	Second	41	Bank NARAKAS, Jodhpur	Consolation
18	Bank NARAKAS, Delhi	Second	42	Bank NARAKAS, Bhubaneswar	Consolation
19	NARAKAS, Krishna Nagar	Second	43	NARAKAS, Coimbatore	Consolation
20	NARAKAS, Hardoi	Second	44	NARAKAS Khammam	Consolation
21	NARAKAS, Bongaigaon	Second	45	NARAKAS, Durgapur	Special Prize
22	Bank NARAKAS, Noida	Second	46	NARAKAS, Udaipur	citation
23	Bank NARAKAS, Meerut	Second	47	NARAKAS Shillong	citation
24	Bank NARAKAS, Delhi	Second	48	Bank NARAKAS Hyderabad	shield

Rajbhasha Sammelan: The Bank organized a total of 9 All India E-Rajbhasha Sammelans.

Central Office	29.06.2021	Bhopal	20.09.2021	Officials of the Department of Official Language and DFS, NARAKA Secretaries, representatives of NARAKAS member offices, Distinguished Writers and our Officials were present at these conferences
Pune	05.02.2022	Chennai	07.02.2022	
Mumbai	23.02.2022	Ahmedabad	25.02.2022	
Patna	15.03.2022	Delhi*	31.03.2022	
Central Office	31.03.2022	(* Jointly with Central Office)		

Rajbhasha Seminars: R O, Jaipur organized an e-seminar/webinar on 30.10.2021 on Leadership Skill & Personality Development. On 01.02.2022, R O, Gwalior organized a Rajbhasha seminar on 'Azadi Ka Amrit Mahotsav ' under the aegis of Bank NARAKAS, Gwalior. R O, Gaya organized a Rajbhasha seminar on 01.02.2022 where Shri Nirmal Kumar Dubey, Assistant Director, Department of Official Language, was also present. A Rajbhasha seminar on 'Azadi ka Amrit Mahotsav ' was organized by R O, Gwalior on 05.03.2022.

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

All India Hindi Competitions

- » All India Inter Bank Hindi Essay Competition
- » All India Inter Bank Hindi Article Competition
- » All India Hindi Essay Competition
- » All India Hindi Centmail Competition
- » Hindi noting competition for senior executives
- » All India Hindi Singing Competition
- » "Central Champion Competition " of Hindi General Knowledge for all staff members

Language Learning - For easy learning of 10 Indian languages (Bangla, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil, Telugu and Oriya), Cent Saral e-books were prepared by Central Office with the help of Zones / Regions / CLDs.

Books: Central Office and all the (10) Zones prepared 11 books (one each) on various Banking Topics such as Our Retail Products, Our Agriculture Products, Our Deposit Products, Our Loan Products, Banking Fraud Prevention, Managerial Efficiency, Government Business, Customer Service, Digital Hindi, our Digital Banking Products and Financial Statements in respect of MSME.

'Centralite' is the bilingual quarterly house magazine, and 'Central Manthan' is a Hindi house magazine being published regularly.

Rajbhasha Exhibitions: Various Rajbhasha exhibitions, such as the Hindi Book Exhibition, the Hindi Works Exhibition, the Hindi Whatsapp Message Exhibition, the Hindi Translation Exhibition and the Hindi Patrika Exhibition, among others, were organized by our ROs & ZOs.

Publication of E-Magazines: Our ROs & ZOs are publishing e-Magazines at regular intervals.

ZO Delhi's e-Magazine 'Central Vani' was awarded SECOND by Bank NARAKAS Delhi for the year 2020-21.

RO Meerut's e-Magazine 'Cent Mangal' was awarded SECOND by Bank NARAKAS Meerut for the year 2020-21.

Hindi Poster: 21 Hindi posters (messages, quotations, guidelines etc.) were released by our various offices across the country.

NARAKAS: Our Bank is the convener of 11 NARAKAS (Town Official Language Implementation Committees), namely Akola, Bhopal (Bank), Deoria, Golaghat, Gwalior (Bank), Lakhimpur (North), Madurai, and Panaji, Raipur (Bank), Thane and Udalgudi.

Various Events:

- » The singer staff of the Thiruvananthapuram region performed a program of the legendary singer late Shri Latha Mangeshkarji's songs which is also available on YouTube. This was a musical tribute to her and an effort to promote Hindi.
- » R O Meerut, under the aegis of Bank NARAKAS Meerut, organized a Hindi singing competition on 26.04.2022.
- » A speech competition was organized by RO Bareilly under the aegis of Bank NARAKAS Bareilly.
- » ZO Pune organized an online competition related to constitution, general & banking knowledge on 14.04.2022, on the occasion of the 131st birth anniversary of Dr. B. R Ambedkar.
- » World Hindi Day was organized by all the offices.

MARKETING DEPARTMENT

- » New Marketing Vertical has been set up at Central Office Level in the Year 2019. Marketing Vertical consists of:

- 1) Marketing Department.
- 2) Corporate Communication Department
- 3) Public Relation Department
- 4) Social Media Department
- 5) Corporate Social Responsibility

1. Marketing Department:

- » Marketing Portal has been developed for the use of Marketing Officers and Branch Manager/2nd man of branches as well as Admin offices to punch and monitoring of leads.
- » Marketing team focuses mainly on RETAIL, MSME and CASA.
- » The department mobilized 14828 amounting to ₹ 5445 crore, of which 9718 leads were converted into business amounting of ₹ 2494 crore as on March 2022.
- » Missed Call Facility was started in July 2021. Total no. of leads forwarded to branches is 601 amounting to ₹ 117.24 crore of which 256 leads were converted into business amounting to ₹ 60.08 crore.
- » Imparted Online training to the field functionaries especially for Marketing Officers.
- » Enhancement in the functionality of Marketing Portal was done to make it more user friendly for the field functionaries.
- » Letter of Appreciation were issued to TOP 10 performers (Marketing Officers) quarter wise, in terms of lead conversion on Pan India basis.



- » On daily basis four slide viz Marketing PPT, Details of Missed Call, Top & Bottom 10 Regions along with previous day's data of missed call provided to all Regions and Marketing Officers to monitor the daily performance.
- » Total target set of ₹ 4400 crore. as against the target of previous year of ₹ 3410 crore.

Digital Marketing and how it impacts the way businesses operate:

- » **Customer Connect** – Digital platforms has enabled easy and instant communication between the brand and the audience. It also helps to connect with the global audience.
- » **Content Distribution** – Every day organization can share huge content with the audience via social media, emails, applications, newsletters and so on. This way organization can easily spread their message to a large audience.
- » **Customer Information** – With the help of the technology, organization can track the data of the customers. The analysis of the data can help us to know customer likes and preferences. Based on which, we can make vital business decisions.
- » **Encourage Innovations** – Digital marketing offers a platform to reach customers in an innovative way. When there is a stiff competition in the market, having an innovative approach helps brands to stand out.

Our Bank has established a strong foothold in Social Media Platforms, the biggest form of Digital Marketing today with presence in all major social handles namely Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn and Youtube.

Moving forward, Bank aspires to give an impetus to its digital marketing efforts to develop a brand perception from what it is today in its endeavor to become the preferred choice of new age tech savvy millennials and Gen-Z customers.

Off late Bank has been executing few digital marketing campaigns to have its presence felt in the ever growing world of Digital banking. To give it a formal shape, Bank has now moved a step ahead and has empaneled Digital Marketing Agencies in FY 2021-22 to aggressively pursue the Digital Marketing plans.

In the coming years our Bank is confident of becoming a market leader in all segments of Banking with the effective use of Digital Marketing.

2. Corporate Communications Department-

The Corporate Communications Department is responsible for the Bank's initiatives towards Branding, Product Marketing and Corporate Communications. The Department has strengthened its process of branding across the country and has set up a suitable process for

initiating any branding activities.

During COVID 19 Pandemic, Bank had launched a new deposit product named Immune India Deposit Scheme. When, the whole world was affected due to pandemic, Bank helped General Public to rise again with good health. Bank had paid additional interest to those who has been administered at least one jab of COVID-19 vaccine.

Apart from the traditional branding like Traffic barricades, No Parking boards, Police booth, Wall painting, Bus, Train, Local cable channels, FM Radio the department had arranged to promote its various products and services through digital marketing on various apps and websites.

The Corporate Communications team carried out various major activities / sponsorship programmes to promote Bank's various products and services such as Home Loans, Vehicle Loan, Education Loan, Agriculture Loan, MSME Loan, and Digital Products.

Different media channels such as Print, Electronic/ Digital/Social, Outdoor Media, ATMs, etc. were used for branding of product and services of the Bank. The thrust of the department is to constantly redefine and reinvent all its branding to stay relevant and act as a change catalyst for the Bank to position itself as one of the most vibrant and trusted brands.

Some of the major publicity activities were carried out throughout the country for wide publicity and visibility of our Bank's product and services during the year;

- » Sponsorship of 2020 Tokyo Paralympics Games.
- » Bank's advertisement on CNBC TV 18 and ET Now channels on the occasion of 111th Foundation Day of the Bank.
- » Printing and Supply of Ordinary Annual Report of the Bank for FY 2020-21.
- » Felicitation of Teachers on Teacher's Day.
- » Publicity of Women Centric schemes like Cent Grih Lakshmi Home loan and Cent Vahini Vehicle loan scheme.
- » Advertisement through hoarding at Lal Quila, Chandni Chowk, New Delhi.
- » Radio Jingle on My FM, Red FM and Radio City.
- » Sponsorship of 40th India International Trade Fair 2021 at New Delhi.
- » Bank's advertisement on passenger detail page top banner on IRCTC website.
- » Sponsorship of FIBAC (FICCI) 2021.
- » Sponsorship of International Conference on

new technologies and sustainable materials in constructions of rural roads and bridges.

3. Public Relation Department-

- » Released press releases which are received from various departments.
- » Arranged press meet and analyst meet at the time of announcing quarterly financial result and different important occasions.
- » Coordinated for protocol duties for our top management and various Government / RBI Officials/ Directors visiting Mumbai.
- » Coordinated for Board cum Managing Committee meetings with our Board Secretariat and Security / Transport Department.
- » Coordinated for Annual General Body Meeting of our bank with MBD.

4. Social Media -

Social Media has become the most prominent form of Digital Marketing today. Our Bank's social media platforms were started with an idea to make our presence in the world of digital media and to promote our products and services on these platforms. It has helped our Bank to create an awareness among the existing and potential customers. We have successfully made our presence on platforms like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn and YouTube. With the help of social media, we are in constant process of helping and solving queries and complaints of existing and potential customers with a tool called ORM (Online Reputation Management).

Below are the key highlights of Social Media Activities:

- » Creatives are being made and posted on a daily basis by the department and also on the ideas received from peer departments.
- » The Department conducted various campaigns of DFS, NPCI, Finance Ministry, RBI and other Govt Institutions.
- » Various Brand conversation campaigns were executed to make the customer aware of the features of our products/schemes.
- » Various campaigns were coordinated to promote our ADC (Alternate Delivery Channels).
- » Information on various offers and schemes were disseminated through our social media platforms for creating brand awareness and to tap the potential customers.
- » Posts on various activities of Azadi Ka Amrit Mahotsav were created and shared on our social media platforms with AKAM hash tags.
- » Participated in the Digital India campaign of Govt of India.

- » For customer service excellence and for immediate redressal of complaints a complaint redressal cell was set up in the month of May 2021.
- » The comments/queries/complaints in our social handles are being moderated with the help of our Online Reputation Management (ORM) tool and appropriate replies are being posted in the Social Media.
- » On an average we receive usually 100 to 150 complaints on day-to-day basis which are resolved on the same day.
- » In the financial year 2021-22, we received 302 appreciations from our Customers whose concerns were addressed.
- » The complaints pertaining to individual departments are being taken up with them for an early resolution

Followers/Likes on Social Media Platforms as on 31st March 2022:

Twitter – 49469 Followers

Facebook – 133207 Likes

Instagram – 3445 Followers

LinkedIn – 4700 Followers

YouTube – 8510 Followers

5. Corporate Social Responsibility-

- » CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- » It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization / trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society.
- » CSR budget for the FY 2021-22 was NIL as the Bank had incurred loss during the FY 2020-21.

Vigilance

Systemic improvement

During the year, the following systemic improvements were undertaken:

- » Pop up message for accounts linked with NPA accounts
- » Engagement of Retired Officials on a contractual basis for conducting Departmental Enquiries
- » Random surprise inspection of Business Correspondent Point.
- » Credit Processing & Approval Centre - CPAC Model and Lendsafe, the scope for improvement in the working.

Vigilance Awareness Week 2021

As per the directives received from CVC, "Vigilance Awareness Week 2021" was observed by the Bank from 26.10.2021 to 01.11.2021 in the right spirit and in line with this year's theme "Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity". On 26.10.2021 pledge was administered to the staff working at various departments of the Central office. Similar functions were also arranged at all the 10 Zonal Offices, 90 Regional Offices and all 4594 Branches of the Bank and 2 Regional Rural Banks sponsored by our Bank.

Our Bank provided a hyperlink for the 'integrity Pledge' to CVC's website to enable customers and staff to take e-pledge.

As desired by the Commission, the area of focus was on Internal (Housekeeping) activities which were taken up in campaign mode as part of Vigilance Awareness Week.

Bank has conducted 156 workshops/sensitization programmes for the employees, relatives and other stakeholders on policies/procedures of the organization and preventive measures through various platforms.

As per directives of CVC, Bank has also conducted 26 debates for employees. A quiz competition at the Pan India level was conducted during the VAW period in which 1386 participated. Bank had organized 1169 programmes/camps

on customer grievance redressal all over India. Radio Jingles on FM Channels at three centres across were relayed throughout the Vigilance Awareness Week on PIDPI and aired along with advertisements of the Bank's Retail Products.

During the Vigilance Awareness week, 1 plantation programme, 12 walkathons, 3 cricket matches, 3 car rallies, one exhibition and one human chain activity were conducted at various places of our Bank.

A video film was staged with in-house participants on the ill effects of corruption and to give wide publicity on complaints under PIDPI. Apart from this, a video competition for the children of staff members was also conducted throughout all centres in which 328 children participated with full enthusiasm.

A lecture on the topic "Vigilance Aspects of Audit - Credit & Operation" was conducted online during the Vigilance Awareness Week at the Corporate Office level, wherein more than 100 Internal Auditors participated. Similarly, 5 lectures on Vigilance aspects have also been conducted in other centres of the Bank.

Bank had arranged five Guest lectures throughout the country wherein senior officials from Police, CBI etc. were invited to address the staff members.

Human Resources Development Department

Scheme Name	Description																														
Employee Strength	At the end of March-2022, the staff strength of the Bank stood at 30289 as against 32335 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below: <table><tr><th>Category</th><th>March-18</th><th>March-19</th><th>March-20</th><th>March-21</th><th>March-22</th></tr><tr><td>Officers</td><td>17166</td><td>16868</td><td>16563</td><td>16565</td><td>16248</td></tr><tr><td>Clerks</td><td>12300</td><td>11766</td><td>10356</td><td>9761</td><td>8415</td></tr><tr><td>Sub-staff</td><td>7377</td><td>7041</td><td>6562</td><td>6009</td><td>5626</td></tr><tr><td>Grand Total</td><td>36843</td><td>35675</td><td>33481</td><td>32335</td><td>30289</td></tr></table>	Category	March-18	March-19	March-20	March-21	March-22	Officers	17166	16868	16563	16565	16248	Clerks	12300	11766	10356	9761	8415	Sub-staff	7377	7041	6562	6009	5626	Grand Total	36843	35675	33481	32335	30289
Category	March-18	March-19	March-20	March-21	March-22																										
Officers	17166	16868	16563	16565	16248																										
Clerks	12300	11766	10356	9761	8415																										
Sub-staff	7377	7041	6562	6009	5626																										
Grand Total	36843	35675	33481	32335	30289																										
Recruitment and Promotion	NEW RECRUITMENT DURING THE YEAR 2021-22:- » Specialist Officers- 12 » Appointment of 13 Sub-staff & 42 Clerks on compassionate grounds. Promotion Process has been conducted for all scales and disciplines. During the year 2021-22 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and employees /officers were elevated to higher cadres/scales. 673 clerks were promoted to Scale-I officers and 1028 officers were elevated to higher grades/scales. Request transfer applications of 1063 Officers were considered on pan India basis. Department has placed an indent for recruitment of 620 Probationary Officers, 1440 Clerical Staffs and 671 Specialist Officers for FY 2022-23.																														
Employee Benefit	STAFF WELFARE SCHEMES IN THE BANK:- ➤ Relief to the family of employees who die in harness ➤ Holiday Homes and Transit Homes ➤ Provision of Medical facilities to staff on premises – Salary to Doctors and Cost of Medicines. ➤ Canteen Subsidy facility for staff																														

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Scheme Name	Description
	PAYMENT OF BONUS FOR THE FINANCIAL YEAR 2020-21:- Bonus for the year 2020-21 @ 8.33% of the 'Salary-Wage' to all eligible employees with the maximum of ₹ 7000/- has been paid. GROUP MEDICAL INSURANCE COVERAGE FOR EMPLOYEES:- Group Medical Insurance for employees has been renewed for the period 1st October 2021 up to 30th September 2022. Also the optional Super Top-up facility under the scheme has been extended to the employees consecutively, for the second time. CORPORATE BUFFER:- Bank has implemented "CORPORATE BUFFER" scheme under medical Insurance for serving employees for FY 2021-22 (effective from 01.10.2021 to 30.09.2022) for the expenses incurred in case of major ailments, for amount beyond basic sum insured and Super Top Up. GROUP HEALTH INSURANCE POLICY FOR RETIREES:- The Retirees' Group Health Insurance Policy has been renewed for the period 1st November, 2021 up-to 31st October, 2022. PAYMENT OF PERFORMANCE LINKED INCENTIVE IN TERMS OF XI BPS/ JOINT NOTE For the year ended 31.03.2021, Performance Linked Incentive Pay of 5 days has been paid to all the employees of the Bank on the basis of PLI Scheme introduced in the 11th BPS/ 8th Joint Note dated 11.11.2020 with respect to the PLI matrix. JOINT DISCUSSION & BUSINESS DEVELOPMENT:- » Business Development meeting with majority unions was held on 08th June 2021 and on 24th September 2021. » Joint Discussion with AICBOF (Majority Officers' Union) was held on 30th December 2021. » Joint Discussion with AICBEF (Majority Award Staff Union) was held on 28th October 2021 & on 31st December 2021. COVID 19- PANDEMIC FACILITIES TO STAFF AND OTHER MEASURES UNDERTAKEN:- Management had extended facilities mentioned below to staff members to face challenges of the COVID-19 Pandemic:- » One month Gross Salary, as interest free loan, subject to Maximum ₹ 1 lakh. » On several instances, as a COVID-19 precautionary measure, Work from Home facility to pregnant women staff members/ staff members suffering from cancer and Special leave without loss of pay to staff members who are visually impaired and staff members with disabilities in tune with Govt. guidelines. » Financial Assistance in the form of compensation to the tune of ₹ 20.00 lakhs to the legal heir of the staff member who expired due to Corona Virus (COVID-19). LAUNCH OF DEDICATED "CENT COVID HELP" ONLINE PORTAL AND MOBILE APP:- During the unprecedented times of COVID-19 pandemic when staff members and their dependents were struggling to get proper medical attention and treatment etc., an In-house user friendly portal and mobile app were developed by DIT to enable staff members to initiate request related to Covid-19 requirements for self or family members from anywhere in India and the concerned helpline volunteer staff members from administrative offices will respond to those help desk requests by extending necessary support as far as possible. Staff members were also able to extend volunteer services related to the above requirements.

Scheme Name	Description
	COVID -19 VACCINATION:- Reimbursement of vaccination cost of COVID-19 to all Employees and their dependents has been provided by the Bank. REWARDS & RECOGNITION SCHEME FOR RMS & ZMS:- Reward & Recognition Scheme for FGMs/ SRMs/ RMs was introduced in order to encourage them for promoting maximum vaccination of our staff members and in tune motivating employees about the safety of themselves & their families.
Employee Development	PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS): - Upgrading from APAR to Performance Management System (PMS) has been one of the major HR initiatives. The PMS Module for the year 2021-22 was rolled out. LEARNING AND DEVELOPMENT: - Training Calendar for the year 2021-22 was aligned to the Bank's Business Plan. The major focus of Training was on Building a Compliance Culture in the Bank, Increasing Bank's CD Ratio, Improving Asset Quality, Augmenting Profits and Increasing Digital penetration. To this end, the following programs were conducted by the 3 Officers' Training Colleges and 15 CLDs in the FY 2022: » Compliance Culture in the Bank: » Compliance Culture in Banking » Effective Audit of branches for Internal Auditors » Audit & Compliances » Increasing Bank's CD Ratio: » Understanding Credit : Corporate Credit & MSME » Agri. Infra Credit & Credit Monitoring in Agriculture » Augmenting PS Credit » Building Agri. Portfolio » Retail lending and Profitability » CPAC Architecture » Cent Pragati Scheme IMPROVING ASSET QUALITY: » SOP on SARFAESI Act, Vehicle enforcement » Recovery Tools » Strategies for NPA Recovery » Restructuring Package 2.0 and Resolution Package 2.0 » Recovery Tools for SAMV and ARB » Asset Quality Maintenance, Arresting Slippages and Recovery » Recovery – My Everyday Agenda – for Sub Staff AUGMENTING PROFITS: » Every branch as a Profit Centre » Augmenting CASA and Government business for profitability DIGITAL PENETRATION: » Becoming a Digital Pro » Digital technology – the Competitive Advantage

Scheme Name	Description																
	Apart from this, SPBTC had conducted Workshops for the various verticals at ROs and ZOs and Specialist Officers, Specialised branches, supplementing theory and case studies delivered by SPBTC, with Inputs from the respective verticals heads/officials from Central Office to communicate the corporate concerns. The following Verticals/Specialist Officers/ Specialised branches were covered: » Credit Monitoring » Operations – on Operations and Operational Risk » HR » ARD & FI » GAD » RLCC/ZLCC – with special focus on Export/Import Credit » SAMV/ARB branches » Vigilance Officers » IT Officers » Risk Officers » Internal Auditors Online training on ASBA and Information Security & Cyber Security was held by all units. Besides, a few locational programs were conducted on Credit and Compliances. Majority of the training programs were held in the Online mode, with the uptick of Pandemic. Very few programs which warranted a Physical class room intervention were taken up for Class room training, such as Orientation Program for Newly Recruited Specialist Officers, Pre promotion training in all Scales, Treasury Officers, POSH, etc. E-LEARNING: The year 2022 saw increase in the number of modules launched in LMS, from 104.5 hours at the beginning of the year to 208 hours spanning 85 topics at the close of the year. Courses in all Job Families were added, so as to cater to all segments of Banking. Adoption Rate: - 69.79% of Officers and 50.83% of Clerks had completed minimum one module in FY 2021-22, and in all 15617 employees completed minimum one e-learning module. 61236 modules were completed by all these employees. Number of Officers who completed mandatory 6 hours e-learning improved considerably over the year, as also the total modules accessed and completed. VIDEO BASED LEARNING:- Video based lessons have also been introduced through which training classes (PPTs and Faculty) are recorded and same are accessible to employees on Cent Swadhyay app. Status of Staff Trained during the Financial Year (as on 31.03.2022): <table><tr><th></th><th>Total Strength</th><th>Trained till March-2022</th><th>% Covered till March-2022</th></tr><tr><td>Officers</td><td>16248</td><td>15658</td><td>96.36</td></tr><tr><td>Award Staff</td><td>14041</td><td>10619</td><td>75.62</td></tr><tr><td>Total</td><td>30289</td><td>26277</td><td></td></tr></table>		Total Strength	Trained till March-2022	% Covered till March-2022	Officers	16248	15658	96.36	Award Staff	14041	10619	75.62	Total	30289	26277	
	Total Strength	Trained till March-2022	% Covered till March-2022														
Officers	16248	15658	96.36														
Award Staff	14041	10619	75.62														
Total	30289	26277															



Scheme Name	Description
	SPECIAL TRAINING INITIATIVES TAKEN DURING THE YEAR 2021-22 ARE AS UNDER:- » 10 Officers have been nominated for "10th Advance Management Programme (AMP) in Banking & Finance "conducted by Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) in collaboration with Indian Institute of Management (IIM), Calcutta. » 3 Executives were nominated for Leadership Development Programme being Conducted by IIM Bangalore » 7 Board of Directors were nominated for Directors Development Programme being conducted by Banks Board Bureau. » 391 Officers in various scales were nominated for specialized training programme conducted by external training agencies like NIBM, CAB, FEDAI, IIBF, CORDEX, SHRM, FIMMDA etc. » Uniform Mid-Career Training Structure for Officers was adopted by the Bank. CAPACITY BUILDING:- In order to enhance the capabilities of staff in our Bank, Certifications have been made mandatory for 374 employees manning Key roles in Treasury, Risk, Accounting and Credit Departments. Further, 21 Officers have also been enrolled for HR Certification (CP/SCP) from SHRM under Capacity Building for HR Professionals. EMPLOYEE ENGAGEMENT:- The Bank had conducted Employee Engagement Survey to take stock of what employees think and assess ways to help increase an employees' sense of inclusion and wellbeing to boost productivity. The information received will allow the Bank to leverage its strengths and work on identified areas that need improvement. The framework of the survey incorporated the following:- Employee Satisfaction ➔ Employee Engagement ➔ Organization Culture ➔ Great Place to Work CAREER PLANNING (SUCCESSION PLANNING):- It is very important in this competitive environment to identify and develop Successors for key positions, so as to ensure seamless transitions & consistent functioning of functional departments as well as Person-Position Fit and with this objective the Bank had launched Project 'Cent Nurture'. Under the Project, Succession Planning exercise for 1175 eligible officers in Scale IV and above was completed. Individual Development Plans (IDPs) have been created for these officers as an instrument for planning and managing their personnel development measures. The progress under IDP goals is tracked through the Cent Swadhyay Portal. MENTORSHIP:- Mentorship Process was introduced as a new initiative and Mentorship program was launched to support employee's continuous growth and development, to facilitate transfer of knowledge, and build the capabilities in our Staff (mentees and mentors) as well. Through mentorship journey, experienced officers will help other employee in developing their goals and skills through a series of time-limited, informal, one-on-one conversations and other learning activities. INTERNSHIP:- Policy on Internship in our Bank has been approved by the Board of Directors and subsequently 150 internship opportunities were identified in various departments of Bank. The Internship programme provides an overview of banking industry and practical knowledge in a particular department, as per the preference and educational specialization of the candidate. The candidates are also eligible for stipend for undergoing the Internship programme.

Scheme Name	Description
Policies	POLICIES REVIEWED:- NORMS FOR TRANSFER OF OFFICERS (MAINSTREAM / SPECIALIST) AND CAREER PATH-CUM-PROMOTION POLICY FOR OFFICERS (MAINSTREAM / SPECIALIST) Staff friendly Norms for Transfer of Officers (Mainstream/Specialist) in scale I to III and the Career Path-cum -Promotion Policy for officers, was reviewed and approved by the Board. HRD AUDIT POLICY:- HRD audit is a comprehensive evaluation of the current human resource development strategies, structure, systems, styles and skills in the context of the short and long-term business goals and plans of Bank. It attempts to find out the future HRD needs of the Bank after assessing the current HRD activities and inputs available. The HRD Audit policy was reviewed and approved by the Board. RECRUITMENT POLICY: The Recruitment Policy along with few amendments/additions and with the motto to recruit right Personnel possessing right capabilities, skills and expertise at the right time was reviewed and approved by the Board. POLICY ON CODE OF ETHICS, BUSINESS CONDUCT & CONFLICT OF INTEREST: In recent past the Banking Industry has witnessed various incidents of frauds, greed, insider abuse, poor ethical values and internal control, increase in non-performing assets etc. Although, our Bank has defined policies/regulations on Conduct of Officers Employees', Sexual Harassment guidelines, Dress Code guidelines, Whistleblower policy etc., a need was felt to prepare a set of ethical codes and business conduct guidelines which can help an employee in the event of any sort of ethical dilemma. Accordingly a Policy on Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest was reviewed and approved by the Board. POLICY ON PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE: The guidelines on Sexual Harassment has been implemented in terms of Act "The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013." As per the Act, Bank has constituted Internal Complaint Committees at all administrative offices by nominating Presiding Officer and other members to the committee. Accordingly a Policy on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace was reviewed and approved by the Board. POLICY ON INTERNSHIP:- The policy aims to provide Internship to students (future professionals) from recognized institutes in a structured manner wherein they will be trained on the Banking functions/ Projects under the mentorship of a Senior Official available at the place of Internship. The Internship programme shall aim to provide an overview of banking industry and practical knowledge in particular department, as per the preference and educational specialization of the candidate. It will be mutually beneficial to the Bank as the projects allotted to the interns will be actionable/ adoptable which may be examined for adoption in the Bank and it also enhances the brand image for our bank among various colleges & Institutions. Accordingly the Policy on Internship was reviewed and approved by the Board. POLICY ON MENTORSHIP:- Bank has created a formal structure of Mentorship program which would support the employee's continuous growth and development, the transfer of knowledge, and the building of capability in our Staff (mentees) and mentors as well. Mentoring will enhance understanding of areas of the Bank's operations, opportunities for extended networking, a better understanding of own practices, and development of personal skills and satisfaction. Accordingly a Policy on Mentorship was reviewed and approved by the Board.



Scheme Name	Description
	TRAINING POLICY FOR 2022-23: To focus on Up-skilling & Re-Skilling of all Employees through increased training hours as well as additional avenues of learning, the Training Policy 2022-23 was reviewed and approved by the Board. STAFF ACCOUNTABILITY POLICY:- Staff Accountability Policy was reviewed with an objective of creating an enabling environment for faster and qualitative decision making by our employees which will in tune help in increasing the market share of our Bank in the economy. POLICY ON CAPACITY BUILDING:- The Capacity Building, under present as well as future scenario, plays a pivotal role in the entire organization, as it increasingly deals with Enhancing the knowledge & experience of Employees. Considering the ever increasing challenges & emergence of global market in the present scenario of Banking, there is a need for employees to enhance their knowledge/ understanding along with experience/ knowledge in traditional banking and to also attain relevant skills to cope up with these challenges. To realize this objective, it is important that emphasis is given to increasing the Job knowledge & skill sets of employees through various interventions including mandating certification for certain job roles in important departments and with this objective the Policy on Capacity Building was reviewed & approved by the Board. MANDATORY LEAVE POLICY FOR EMPLOYEES POSTED IN SENSITIVE POSITIONS:- In the light of RBI guidelines on prudent operational risk management measure with regard to Mandatory leave for Employees Posted in Sensitive Positions or Areas of Operation, Mandatory Leave policy was placed for review whereby all employees posted in sensitive positions or areas of operations, are required to be compulsorily sent on leave for a few days (not less than 10 working days) in a single spell every year, without giving any prior intimation to these employees, thereby maintaining an element of surprise. POLICY FOR APPOINTMENT ON COMPASSIONATE GROUNDS OR PAYMENT OF LUMP SUM EX-GRATIA AMOUNT ON DEATH IN HARNESS OF AN EMPLOYEE:- To deal with cases of Compassionate Appointment with more clarity and in a timely manner a policy on "Appointment on Compassionate grounds or Payment of Lump sum Ex-gratia Amount on Death in Harness of an Employee" has been reviewed in line with the development/ observation and government policies and realigned as per peer banks to expedite the process. NEW POLICIES: - POLICY ON KEY MANAGERIAL PERSONNEL IN BANK & KEY MANAGERIAL POSITIONS HELD BY OUR STAFF IN THE SUBSIDIARIES/ ASSOCIATE CONCERNS OF OUR BANK:- Key Managerial Personnel (KMP) refers to the employees of a Company / Organization, who are vested with significant roles and functionalities. They are the first point of contact between the company and its stakeholders and are responsible for the formulation of strategies and its implementation. A policy has been formulated to identify 'Key Managerial Personnel (KMP) in our Bank and Key Managerial Positions held by our staff in the subsidiaries/associate concerns of our Bank. APPRENTICESHIP POLICY- ENGAGEMENT OF APPRENTICES IN THE BANK:- Apprenticeship has been adopted as a major skill development intervention to provide larger employment opportunities to the youth of country. In compliance with GOI directions & further amendments to the Apprenticeship Act, 1961, a policy on engagement of Apprentices in our bank was formulated.

Scheme Name	Description																		
	POLICY ON ENGAGEMENT OF RETIRED OFFICERS/SWOs/CLERKS ON CONTRACTUAL BASIS:- Retired employees are vast ocean of experience vis-à-vis knowledge and to take benefit of that and in order to meet different functional requirements, a policy on engagement of retired officials/clerks was formulated in conformity with the guidelines issued by Central Vigilance Commission, Government of India and RBI, to utilize this expertise of Retired Bank officers of the Bank/other PSBs from time to time by hiring them on contractual basis or assignment basis in various capacities and roles such as advisors, consultants etc. by empanelling them through a due selection process.																		
Industrial Relations	The Industrial Relations during the year remained cordial. CRISIS MANAGEMENT PLAN, FORMATION OF CRISIS MANAGEMENT COMMITTEE AT CENTRAL OFFICE & APPOINTMENT OF NODAL OFFICERS AT ZO/RO:- A Crisis Management Plan (CMP) is a comprehensive document of Government of India which delineates broad parameters for handling large crisis situations that may require a national response. A Crisis Management Plan for dealing with industry-wide strikes in banks of a duration of more than three days which has been prepared by a working group comprising representatives of the public and private sector banks. A Crisis Management Monitoring Committee of 4 GMs has been constituted at Central Office. Further, in order to assess the impact of strike, adoption of the Crisis Management framework, issuance of guidelines for operational functionaries a, putting in place a robust public information system, reporting to local administrations and police authorities, ensuring functioning of alternate delivery channel and monitoring/reporting on the strike to Central office, it has been decided to nominate the Assistant General Managers (Operations) at Zonal offices and Chief Managers (Operation) at Regional Offices as Nodal Officers for the Crisis Management Team who will act upon the instructions of Crisis Management Monitoring Committee formed at Central Office level. In the event of such a crisis the nominated Nodal Officer should take stock of the situation at their respective Zones/Regions for effective implementation of the Crisis Management Plan and ensure that strike shall have minimum impact on banking services. Also, Nodal Officers have been appointed at Zonal/ Regional levels.																		
Staff Administration	Armed Force Flag Day Fund- As a way of expressing our concern and as part of our duty towards the Nation, Centralites have donated ₹ 11.30 lakhs to Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF), for welfare of Ex-Servicemen/ War Widows etc. Financial Assistance of ₹ 20.00 Lakh – In view of outbreak of COVID-19 pandemic as a human gesture, financial assistance in the form of compensation to the tune of ₹ 20.00 Lakh per employee in case of unfortunate death of staff members has been approved. Under the said scheme ₹ 2540.00 lakhs has been settled in favour of legal heirs in 127 Staff cases. Compassionate Appointment and Payment of Ex-gratia- <table><tr><th colspan="3">Payment of Ex-Gratia in lieu of Compassionate Appointment</th></tr><tr><th colspan="2">No. of cases settled</th><th>Amount</th></tr><tr><td colspan="2">28</td><td>₹ 19318459.00</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">Compassionate Appointment on Compassionate Ground</th></tr><tr><th>Clerk</th><th>Sub Staff</th><th>Total</th></tr><tr><td>42</td><td>13</td><td>55</td></tr></table> Prevention of Sexual Harassment (POSH) of Women at Workplace- The Bank prohibits Sexual Harassment at work place. The guidelines on Sexual Harassment has been implemented in terms of Act “The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.” As per the Act, Bank has constituted Internal Complaint Committees at all administrative offices.	Payment of Ex-Gratia in lieu of Compassionate Appointment			No. of cases settled		Amount	28		₹ 19318459.00	Compassionate Appointment on Compassionate Ground			Clerk	Sub Staff	Total	42	13	55
Payment of Ex-Gratia in lieu of Compassionate Appointment																			
No. of cases settled		Amount																	
28		₹ 19318459.00																	
Compassionate Appointment on Compassionate Ground																			
Clerk	Sub Staff	Total																	
42	13	55																	

Scheme Name	Description				
SCT CELL	IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:- » The Bank meticulously follows the Reservation Policy for SCs/STs/OBCs/EWSs/PWDs prescribed by Government of India from time to time. The Bank has representation of SCs, STs, OBCs and differently abled persons among all the cadres of its workforce. The Bank has implemented reservation applicable to “Economically Weaker Sections” in Direct Recruitment w.e.f., 01st February 2019 in terms of GOI guidelines. » SC/ST Cell implement, monitor continuously and evaluate the reservation policy in Bank and plan measures for ensuring effective implementation of the policy and programmes of Government of India. » SC/ST cell has taken all steps to safeguard the interest of SC/ST employees. » SC/ST Cells has been setup at Central Office under the control of Chief Liaison Officer to redress the grievances of SC/ST/OBC Employees. » Reservation Rosters are maintained as per Government guidelines and the same are uploaded on Banks Website as per GOI guidelines. » Bank conducts Periodical Meeting with Welfare Association/Federation. » In-house Committee for Identification of Backlog Reserved Vacancies as per DFS, GOI guidelines has been constituted. » Internal Grievance Redressal Committee for SC employees and ST employees has been setup as per instructions received from DFS through NCSC & NCST. » Committee on Reservation constituted by DFS under the Chairmanship of Shri Kishor Kharat, visited our bank on 15.11.2021 at Central Office, Mumbai to make an assessment of Implementation of Reservation Policy in the Bank. » Dr. Anju Bala, Hon'ble member National Commission for Scheduled Castes had visited our Regional offices at Patna, Dehradun, Karnataka, Shimla and Lucknow and met with representatives of Scheduled Caste Employees and Bank management to discuss and monitor the Regional level issues of SC Employees, Implementation of Reservation Policy, Safeguards in Recruitment and Promotion and implementation of State funded Welfare Schemes.				
Representation of SC/ST/OBC as on 31.03.2022:-					
Sr. No.	CADRE	TOTAL	SC	ST	OBC
1	OFFICER	16248	2963	1422	4557
2	CLERICAL	8415	1563	786	2074
3	SUB - STAFF	5626	1903	519	1494
	GRAND TOTAL	30289	6429	2727	8125

Digital Payment & Transaction Banking

- » The daily Average of UPI transactions during FY 2021-22 is 39.04 lakhs.
- » The daily Average of IMPS transactions during FY 2021-22 is 3.34 lakhs.
- » The daily Average of Internet Banking transactions during FY 2021-22 is 3.73 lakhs.
- » The daily Average of POS/E-Com transactions during FY 2021-22 is 1.39 lakhs.

- » The daily Average of Mobile Banking transactions during FY 2021-22 is 0.36 lakhs.
- » As of March 31, 2022, cumulative registered users for Net Banking, Mobile Banking and UPI are 86.61 Lakhs, 40.45 Lakhs and 16.76 Lakhs, respectively.
- » The bank has a total of 4240 POS/m-POS Terminal Installed as of March 31, 2022.

Atm /Debit Card Operations

- » Total number of ATMs as of 31st March 2022 is 2976.

- » 59.48% of the Bank's ATMs are located in Rural & Semi-Urban Areas.
- » The average ATM Uptime during the year is around 92.06%. Average ATM uptime improved from 89.11% in Q1 to 94.48% in Q4.
- » The number of Debit cards issued as of 31.03.2022 is 3.01 crore.

Credit Card Operations

- » The bank is issuing Co-branded Credit Card with SBI Card to our customers.
- » 195483 Co-branded Cards were issued till March 31st 2022

The Way Forward

Initiatives under implementation which will increase the digital footprint of your Bank:

- » Revamped Mobile Banking with a new look and feel, having useful links on the Home screen.
- » OTP based Cash withdrawal facility on our ATM for our customers through Mobile Banking.
- » Mobile Banking app registration through Account Number along with Customer Identification Number (CIF).
- » Easy login in Mobile Banking, the customer will be provided with the option to login through MPIN without a username after one-time registration.
- » Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW) from any ICCW enabled ATM using UPI.
- » Revamped Look and Feel of UPI
- » UPI app registration with Aadhar Number plus OTP: customers who do not have Debit Card will be able to register on the UPI app.
- » Person to Person (P2P) Payment through UPI app shall have the feature of making payment on the basis of contact number saved/stored on a mobile phone.
- » UPI Lite- On-Device wallet' to make small value transactions through offline mode. With UPI lite, the customer will have the option to scan any QR code and make the payment without any internet.

- » UPI Global- Payment to foreign merchants through UPI.
- » Rewards points for UPI /Mobile Banking activation and the first few transactions
- » E-Rupee Acquirer facility for merchants to redeem E-Rupi vouchers.
- » Tax Payments (CBDT) through Debit Card and Payment Gateway mode, in addition, to the present Net Banking mode.
- » Non Tax Govt. Payments (Bharatkosh) through Payment Gateway mode.
- » Online DEMAT account through Mobile Banking.
- » Card Tokenisation for the safety of Card information.
- » Installation of 2550 New ATM machines, including replacement of 1,500 old machines.

Subsidiaries and Joint Ventures

Cent Bank Home Finance Limited:

- » Net Owned funds stood at ₹ 157.35 crore as of 31st March 2022. During the year, the total advances of the company stood at ₹ 1159.68 crore as of 31st March 2022 as against ₹ 1129.93 crore as of 31st March 2021.
- » The retail deposits and institutional deposits stood at ₹ 519.75 crore as of 31st March 2022 against ₹ 412.24 crore as of 31st March 2021.
- » The Net Profit of the Company stood at ₹ 20.11 crore for the full-year 2021-22 as against ₹ 14.67 crore for the full year 2020-21.
- » Earnings per Share are ₹ 8.04 (₹ 10 per share) [Previous Year ₹ 5.87].
- » Gross NPA stands at ₹ 59.00 crore as of 31st March 2022 as against ₹ 62.01 crore as of 31st March 2021.
- » Net NPA to Net Advances is at 2.56% as of 31st March 2022.
- » Return on Assets is 1.68% [Previous year 1.16%].
- » CAR works out at 23.50% as of 31st March 2022

Balance sheet

as at 31st March 2022

Particulars	Note No.	As at 31 March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31 March, 2021 (₹ in lakhs)
A EQUITY AND LIABILITIES			
1 shareholders' funds			
(a) Share capital	2	2,500.00	2,500.00
(b) Reserves and surplus	3	13,707.64	11,696.72
		16207.64	14,196.72
2 Non-current liabilities			
(a) Long-term borrowings	4	57,880.22	55,399.87
(b) Deferred tax liabilities	3a	607.40	641.48
(c) Long-term provisions	5	3,656.34	3,045.07
		62,143.96	59,086.42
3 Current liabilities			
(a) Short-term borrowings	6	31,100.86	30,686.98
(b) Trade payables	7	-	-
(i) total outstanding dues of MSME		-	-
(ii) total outstanding dues of creditors other than MSME		107.04	-
(c) Current maturities of long term borrowing	8	11,052.33	14647.48
(d) Other current liabilities	9	404.41	-
(e) Short-term provisions	10	199.24	60.37
		42,863.88	45,394.83
TOTAL		1,21,215.48	1,18,677.97
B ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, Plant & Equipment and Intangible assets			
(i) Property, Plant & Equipment	11	30.60	42.29
(b) Non-current investments	12	3,173.77	4,224.19
(c) Long-term loans and advances	13	97,251.31	1,02,723.32
(d) Other Non-current assets	14	330.80	189.97
		1,00,786.48	1,07,179.77
2 Current assets			
(a) Cash and cash equivalents	15	1325.75	689.19
(b) Short-term loans and advances	16	18,717.16	10,464.98
(c) Other current assets	17	386.09	344.03
		20,429.00	11,498.20
TOTAL		1,21,215.48	1,18,677.97

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

PROFIT AND LOSS

for the year ended 31st March 2022

Particulars	Note	For the year ended 31 st March 2022 (₹ in lakhs)	For the year ended 31 st March 2021 (₹ in lakhs)
A INCOME			
1 Revenue from operations	18	12,282.02	12,734.94
2 Other income	19	17.99	44.02
3 Total Income (1+2)		12,300.01	12,778.96
B EXPENSES			
4 (a) Employee benefits expense	20	943.58	809.45
5 (b) Finance costs	21	6892.50	8,622.67
6 (c) Depreciation and amortisation expense	11a	13.50	19.74
7 (d) Other expenses	22	870.67	804.06
8 (e) Provision for Standard Assets	23	491.78	(153.45)
9 (f) Provisions for Doubtful Debts		302.27	711.19
10 (g) Written off		0.00	0.00
11 Total expenses (4+5+6+7+8+9+10)		9514.30	10,813.66
C Profit before tax and extraordinary items (3-11)		2785.71	1,965.30
D Extraordinary items			
Add: Extraordinary Item	24	0	0
Less: Prior period adjustments		(6.15)	1.45
E Profit / (Loss) before tax (C-D)		2,791.86	1963.85
F Tax expense:			
(a) Current year tax expense		770.97	539.43
(b) Provision for tax of previous years		44.05	363.47
(c) Deferred tax Liabilities/ (Assets) of current year other than d above		(181.71)	(84.61)
(d) Deferred tax liability on special reserves of current Year		147.63	(321.41)
Tax expense		780.94	496.88
G Profit from continuing operations (E-F)		2,010.92	1,466.97

Centbank Financial Services Limited

Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services, including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc. The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

The company earned a Net Profit after Tax of ₹ 1.06 crore for the year ended 31st March 2022 against a Net Profit of ₹ 0.91 crore for the previous year ended 31st March 2021. Segment-wise earnings are as follows:

(Rupees in Lakhs)		
Particulars	FY 2021-22	FY 2020-21
Fees from Executor Trusteeship	35.22	33.07
Fees from Debenture & Security Trusteeship	81.42	83.53
Other income (Interest, Dividend, etc.)	178.16	222.91
Fee from Safe Custody of Documents	0.10	-
Total	294.90	339.51

» EPS is ₹ 212.62 for FY 2021-22 as against ₹ 181.34 for the FY 2020-21.

Balance sheet

as of 31 March, 2022

Particulars	Note No.	As at 31 March, 2022 (₹ in lakhs)	As at 31 March, 2021 (₹ in lakhs)
A EQUITY AND LIABILITIES			
1 shareholders' funds			
(a) Share capital	1	500.00	500.00
(b) Reserves and surplus	2	3,038.18	3,081.87
2 Non-Current Liabilities			
(a) Other long term liabilities	3	72.50	60.35
(c) Long-term provisions	4	3.96	3.17
3 Current liabilities			
(a) Other current liabilities	5	603.72	589.99
(b) Short-term Provisions	6	1.08	1.22
TOTAL		4,219.44	4,236.60
B ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property plant and Equipment and intangible assets	7		
(i) Property plant and Equipment		2.39	1.46
(ii) Intangible Assets		0.40	1.04
(iii) Capital work-in-progress		-	1.37
(b) Non-current Investments	8	597.63	0.03
(c) Deferred tax assets (net)	9	1.45	1.68
(d) Other non-current assets	10	1,883.34	199.39
2 Current Assets			
(a) Current Investments	11	-	150.00
(b) Trade Receivables	12	8.81	8.87
(c) Cash and cash equivalents	13	1,610.19	3,555.61
(d) Short-term loans and advances	14	115.23	317.15
TOTAL		4,219.44	4,236.60

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

PROFIT AND LOSS

for the year ended 31st March 2022

Particulars	Note	For the year ended 31 st March 2022 (₹ in lakhs)	For the year ended 31 st March 2021 (₹ in lakhs)
INCOME			
Revenue from operations	15	116.74	116.60
Other income	16	178.16	222.91
I. Total Income		294.90	339.51
EXPENSES:			
Employee Benefit Expenses	17	80.65	117.65
Depreciation and Amortisation Expenses	18	1.58	1.27
Other Expenses	19	69.68	76.00
II. Total Expense		151.91	194.92
III. Profit / (Loss) before tax	(I - II)	142.99	1,44.59
IV. Tax expense:			
(1) Current tax		36.57	—
(2) Deferred tax		0.24	54.47
(3) Prior year tax expense		(0.12)	(0.55)
		36.69	53.92
V. Profit(Loss) for the period	(III-IV)	106.30	90.67
VI. Earnings per share			
Equity shares of par value of ₹ 1000/- each			
(a) Basic (in ₹)		212.62	181.34
(a) Diluted (in ₹)		212.62	181.34

Indo-Zambia Bank Ltd.

The Indo-Zambia Bank Ltd. in Zambia is promoted jointly by the Government of the Republic of Zambia and the Government of India, represented by three Indian banks viz. Bank of Baroda, Bank of India and Central Bank of India. Each Indian bank holds 20% equity, and Industrial Development Corporation (IDC) (Investment Company wholly owned by the Government of the Republic of Zambia) holds the balance 40% of equity on behalf of the Government of the Republic of Zambia. The Bank commenced operations in the year 1984.

Bank's financial year is the calendar year. As of the end of December 2021, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwacha 1 each value.

- » Deposits of the Bank have increased by 18.43% (Total Deposits 7663.70 Million Kwacha and advances have increased by 11.75% (Total Advances 2933.39 Million Kwacha over the previous year.
- » The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth-largest bank in Zambia.
- » Bank has made a net profit of KW 278.57 Mio (INR 124.14 crore) for the calendar year 2021.
- » We have received a net dividend of INR 5.53 crore from Indo Zambia Bank for the year 2021.

REGIONAL RURAL BANKS

Unaudited as of 31.03.2022:

(Amount in ₹ crore)

Name of RRBs with its HO & state	No. of Dist. & Branches	Total Deposit	Total advances	Gross NPA	Net profit
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18/1032	17033.65	10420.22	2495.19	(-) 87.68
Uttarbanga Kshetriya GB., Cooch Behar (WB)	5/ 142	3857.75	2767.67	170.11	45.08

Corporate Governance

1) Bank's Philosophy of Corporate Governance

Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.

The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the

provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2) Board of Directors

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

During the year under review i.e. 2021-22, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2022	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2022		Directorship of other Companies as on 31.03.2022	Whether attended last AGM held on 10.08.2021
						Member	Chairman		
1.	Shri Tapan Ray	Non-Executive Independent Chairman (ceased to be the Director on 22.05.2021)	From 23.05.2018 to 22.05.2021	NIL	Finance, Economics, Technology, Law, Capital Markets, Management, Foreign Trade, Public Policy and Administration	RMC, LVFC, SRC, HR, PE, N&RC	RMC, LVFC, SRC, HR, PE	1. Gujarat International Finance Tec-City Company Ltd. 2. GIFT SEZ Limited 3. GIFT Power Company Limited 4. GSPC LNG Limited 5. GVFL Limited 6. Gujarat Alkalies and Chemicals Limited – Listed Company (Non-Executive – Independent Director) 7. Gujarat State Fertilizers and Chemical Limited – Listed Company (Non-Executive – Independent Director)	No

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2022	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2022		Directorship of other Companies as on 31.03.2022	Whether attended last AGM held on 10.08.2021
						Member	Chairman		
2.	Shri M V Rao	Managing Director and Chief Executive Officer (Whole Time Director)	From 01.03.2021	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, RMC, LVFC, CSC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	NIL	Yes
3.	Shri Alok Srivastava	Executive Director (Whole Time Director)	From 23.01.2019	12,000	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes
4.	Shri Vivek Wahi	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Centbank Financial Services Limited	Yes
5.	Shri Rajeev Puri	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Yes
6.	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Government of India Nominee Director (Non-Executive Director)	From 14.05.2018 To 11.04.2022	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, ITS, VC, MRC, HR, PE	NIL	1. IFCI Ltd. – Listed Company (Non –Executive – Nominee Director) 2. Micro Units Development & Refinance Agency Limited (Non –Executive – Nominee Director)	No

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2022	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2022		Directorship of other Companies as on 31.03.2022	Whether attended last AGM held on 10.08.2021
						Member	Chairman		
7.	Shri P. J. Thomas	RBI Nominee Director (Non-Executive Independent Director)	From 28.09.2020	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, VC	NIL	NIL	No
8.	Smt. Mini Ipe	Shareholder Director (Non-Executive Independent Director)	From 01.07.2018 To 30.06.2021	NIL	Finance	ACB, RMC, CSC, ITS, SRC, MRC, PE, RCNCB, N&RC, CRIWD	ACB, ITS, N&RC	NIL	No
9.	Shri Dinesh Pangtey	Shareholder Director (Non-Executive Independent Director)	From 01.07.2021	100	Finance	ACB, RMC, CSC, ITS, SRC, MRC, PE, RCNCB, N&RC, CRIWD	ACB	NIL	Yes
10.	Shri Pradip Pranal Khimani	Part Time Non-official Director (Non-Executive Independent Director)	From 21.12.2021	NIL	Finance	ACB, RMC, CSC, LVFC, ITS, SRC, MRC, PE, RCNCB, N&RC, CRIWD	ITS, SRC, N&RC, PE	NIL	No

The Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

ACB	-	Audit Committee of the Board
CAC	-	Credit Approval Committee
CRC	-	Capital Raising Committee
CRIWD	-	Committee to review the Identification of Wilful Defaulter
CSC	-	Customer Service Committee
HR	-	Human Resources Committee
ITS	-	Information Technology Strategy Committee
LVFC	-	Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
MCB	-	Management Committee of the Board
MRC	-	Committee of the Board for Monitoring of Recovery
N&RC	-	Nomination and Remuneration Committee
PE	-	Performance Evaluation Committee
RCNCB	-	Review Committee for Declaring Non Co-operative Borrower
RMC	-	Risk Management Committee
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
VIG	-	Vigilance Committee

Brief Profile of the Directors (as on 31.03.2022)

1. Shri M V Rao, Managing Director and Chief Executive Officer (D.O.B. 03.07.1965)

Mr. M V Rao has taken over charge as Managing Director & CEO of Central Bank of India with effect from 1st March, 2021. Prior to joining the current assignment, Shri Rao was Executive Director, Canara Bank for more than three years where he played a pivotal role in the Bank's progress. Shri M V Rao is a Post Graduate in Agriculture from Sri Venkateshwara Agriculture College, Tirupati, Andhra Pradesh. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. A seasoned banker with varied experience, Shri M. V. Rao joined Allahabad Bank as Agricultural Field Officer in 1988 and worked in various capacities in different geographical areas of the country. As General Manager of Allahabad Bank, he headed Bank's important verticals like Wholesale & Retail Banking. He was also instrumental in launching a transformative project in Allahabad Bank to bring focus on Asset-centric banking.

2. Shri Alok Srivastava, Executive Director (D.O.B. 22.11.1962)

Shri Alok Srivastava holds Masters degree in Economics and MBA (Finance). He started his career as Management Trainee in Punjab National Bank in the year 1985. He has more than 34 years of experience in banking, having worked in almost all key segments of banking, in various capacities at Branches, Administrative Offices, etc.

3. Shri Vivek Wahi, Executive Director (D.O.B. 15.09.1965)

Shri Vivek Wahi has taken over charge as Executive Director of Central Bank of India with effect from 10th March, 2021. He possesses rich Banking experience having worked in all important verticals of the bank like Branch Banking, Overseas Dealing Room, Heading Large Corporates Credit Branch, Zonal Manager, Treasury Head, Field GM etc. He was posted as Zonal Manager of Bank's, Mumbai South Zone, the Largest Zone on Business Mix parameters. He has also headed Bank of India's Treasury at Mumbai for more than 2 years. He has also worked as Field GM of Northern Territory of the Bank comprising 6 states having headquarter at New Delhi. He joined Banking Industry (Bank of India) as Probationary Officer in 1990, after completing his B.Tech from NIT, Kurukshetra.

4. Shri Rajeev Puri, Executive Director (D.O.B. 14.06.1963)

Shri Rajeev Puri is a Masters in Commerce and MBA (Finance). He also holds a Diploma in Rural Banking from IIB. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He is also an Alumni for IIM-B (BBB-LDB

training 9 months). Prior to joining Central Bank of India as Executive Director w.e.f. 10th March 2021, Shri Rajeev Puri was Chief General Manager, Punjab National Bank. He is a seasoned banker with varied experience and has worked in various capacities in different geographical areas of the country. He has received many awards during his stint as Branch Head, Circle Head & Zonal Manager of Punjab National Bank. As Chief General Manager of Punjab National Bank, he headed Bank's important verticals like MSME & Mid Corporate, Agriculture, Retail Lending and Financial Inclusion Division.

5. Dr. Bhushan Kumar Sinha, Government of India Nominee Director (D.O.B. 20.07.1964)

Dr. Bhushan Kumar Sinha was appointed as Government of India Nominee Director in Central Bank of India with effect from 14.05.2018. Dr. Sinha is Ph.D. in Financial Economics from the Department of Financial Studies, University of Delhi, MBA from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University (ANU), Canberra, Australia. Dr. Sinha belongs to the 1993 batch of the Indian Economic Service and is presently working as Joint Secretary in Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. Prior to his present assignment as Joint Secretary, he was Economic Adviser in DFS. Before joining DFS in May 2018, Dr. Sinha had a three years stint as Economic Adviser in the Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM). Dr. Sinha is also the Director on the Board of IFCI Ltd and Micro Units Development & Refinance Agency Limited. His Tenure ended on 11.04.2022.

6. Shri P J Thomas, RBI Nominee Director (D.O.B. 02.01.1959)

Shri P J Thomas was nominated as Director on the Board of Central Bank of India on September 28, 2020 by Government of India. He is a graduate in Science with B.Sc (Hons) and a Master in Business Administration in Banking and Finance. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

He started his career as a bank officer with a public sector bank, before moving to Reserve Bank of India (RBI) as an officer and served in different capacities including as Regional Director, RBI, Bangalore. During his tenure of more than 36 years in RBI, he had long exposure to banking Regulation at Central Office and Banking Supervision at Regional Offices. He had attended overseas training in Regulation and Supervision at the Federal Reserve of New York and Florida besides at other international bodies at Kuala Lumpur, Manila, Frankfurt and Basel. He was earlier on the Boards of a private sector bank and also a public sector bank.

7. Shri Dinesh Pangtey, Shareholder Director (D.O.B 27.02.1962)

Shri Dinesh Pangtey was elected as Shareholder Director in Central Bank of India with effect from 01.07.2021. He has experience in the field of Finance. He has held the post of Chief Executive Officer of LICHFL AMC Limited and LIC Mutual Fund Asset Management Limited. He also had more than 3 decades of experience in Life insurance business in different positions.

8. Shri Pradip Pranlal Khimani, Part Time Non-Official Director (D.O.B. 26.02.1959)

Shri Pradip Pranlal Khimani was nominated as Part Time Non-Official Director of Central Bank of India on 21st December 2021 by Government of India. He is Masters in Commerce in Statistics, Costing, Industry, Modern Finance and Business Management from Saurashtra University. Presently, He is the Chairman, Saraswati School, Junagadh (Gujarat). He is also the Director in Girnar Yatraddham Vikas Mandal, Junagadh and the Member of Ethical Committee, GMERS Medical College, Junagadh. Earlier, he served as the Director, Gujarat Tourism Corporation and the Chairman, Standing

Committee, Municipal Corporation, Junagadh. He is the awardee of "Bharat Jyoti Award" by India International Friendship Society, "Global Indian of the Year Award" By National Development Forum and several other awards from several associations/institutions.

9. Shri Hardik Mukesh Sheth, Government of India Nominee Director (D.O.B. 19.05.1980)- w.e.f 11.04.2022

Shri Hardik Mukesh Sheth was nominated as Government Nominee Director of Central Bank of India on 11th April 2022 by Government of India. He is a Director with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He is a MBA (Finance) and a US CPA. Prior to joining the ministry, he has almost 19 years of Banking experience wherein he has worked with few multinational as well as public sector bank (State Bank of India) across various functions, including Risk Management, Credit Management, Corporate Credit, Branch Operations, Administration amongst others. He has an experience of handling large team sizes and various branches under himself. He brings with him a holistic view of the banking industry.

B) CONDUCT OF BOARD MEETINGS

During the year, 13 Board Meetings were held on the following dates:

21.05.2021	28.07.2021	26.10.2021	30.03.2022
07.06.2021	14.08.2021	02.12.2021	
17.06.2021	08.10.2021	27.01.2022	
15.07.2021	21.10.2021	05.02.2022	

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	1	1	01.04.2021-22.05.2021
Shri M. V. Rao	13	13	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	13	13	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	13	13	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	13	13	01.04.2021-31.03.2022
Dr. B.K. Sinha	11	13	01.04.2021-31.03.2022
Shri P J Thomas	13	13	01.04.2021-31.03.2022
Smt. Mini Ipe	3	3	01.04.2021-30.06.2021
Shri Dinesh Pangtey	10	10	01.07.2021-31.03.2022
Shri Pradeep Pranlal Khimani	3	3	21.12.2021-31.03.2022

C) DETAILS OF COMMITTEES OF THE BOARD

As on date, there are total 16 Committees of the Board constituted under the prescribed rules/regulations and directives issued by Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and by the Board itself. Details of these Committees are as under:-

i) Management Committee of the Board

- ii) Credit Approval Committee
- iii) Audit Committee of the Board
- iv) Risk Management Committee
- v) Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
- vi) Customer Service Committee
- vii) Information Technology Strategy Committee

- viii) Stakeholders Relationship Committee
- ix) Nomination and Remuneration Committee
- x) Vigilance Committee
- xi) Performance Evaluation Committee
- xii) Human Resource Committee
- xiii) Committee of the Board for Monitoring of Recovery
- xiv) Capital Raising Committee
- xv) Review committee for declaring Non Co-operative Borrower
- xvi) Committee to review the Identification of willful defaulters

The Govt. of India vide notification dated 25th January, 2021, amended the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by inserting a special provision (Clause 14A) which states:

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing."

In terms of the above the Board of Directors of a Nationalised Bank are empowered to exercise the powers of a Committee of the Board to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

i) Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposal, compromise/write off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments etc. As on 31.03.2022, it comprised of 5 members, consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer, 3 Executive Directors and Reserve Bank of India Nominee Director.

The Management Committee of the Board met 16 times during the year on the following dates:

17.04.2021	31.05.2021	09.08.2021	25.10.2021	15.12.2021
30.04.2021	17.06.2021	20.09.2021	10.11.2021	31.01.2022
21.05.2021	19.07.2021	28.09.2021	01.12.2021	15.03.2022
				30.03.2022

Attendance record of the members was shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	16	16	01.04.2021–31.03.2022
Shri Alok Srivastava	16	16	01.04.2021–31.03.2022
Shri Vivek Wahi	15	16	01.04.2021–31.03.2022
Shri Rajeev Puri	16	16	01.04.2021–31.03.2022
Shri P J Thomas	16	16	01.04.2021–31.03.2022

ii) Credit Approval Committee:

Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercised the powers of the Board with regards to credit proposals from above ₹ 100 crore upto ₹ 400.00 crore for individual borrower and for group companies/borrowers, credit proposals from above ₹ 200 Crore upto ₹ 800 crore, compromise/ write off proposals involving sacrifice above ₹ 10 crore and upto ₹ 50 crore etc. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Accounts/ Finance and Credit Monitoring & Policy.

The Credit Approval Committee met 22 times during the year on the following dates:

30.04.2021	30.06.2021	30.09.2021	30.12.2021	29.03.2022
12.05.2021	19.07.2021	28.10.2021	15.01.2022	31.03.2022
31.05.2021	17.08.2021	16.11.2021	31.01.2022	
10.06.2021	26.08.2021	07.12.2021	25.02.2022	
24.06.2021	27.09.2021	22.12.2021	19.03.2022	

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	22	22	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	21	22	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	20	22	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	22	22	01.04.2021-31.03.2022

iii) Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/ external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/ Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;

Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;

Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;

Following up in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacting with the External Auditors before finalization of the quarterly/ half yearly/ annual financial accounts and reports;

Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;

Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;

Qualifications in the Draft Audit Report;

To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;

Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;

Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;

Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board comprise of Executive Director in charge of Central Audit and Inspection, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. As on 31.03.2022, one position remains vacant in the ACB as there is no eligible member to be nominated in the Committee.

Composition of the Audit committee as on 31.03.2022 was as under:

1	Shri Dinesh Pangtey	Chairman
2	Shri Alok Srivastava	Member
3	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Member
4	Shri P. J. Thomas	Member
5	Shri Pradip Pranlal Khimani	Member

During the year, the Audit Committee met 9 times on the following dates:

28.05.2021	30.06.2021	09.09.2021	02.12.2021	21.03.2022
07.06.2021	28.07.2021	26.10.2021	27.01.2022	

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Smt. Mini Ipe	3	3	01.04.2021-30.06.2021
Shri Dinesh Pangtey	6	6	01.07.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	9	9	01.04.2021-31.03.2022
Dr. Bhushan Kumar Sinha	4	9	01.04.2021-31.03.2022
Shri P. J. Thomas	9	9	01.04.2021-31.03.2022
Shri Pradip Pranlal Khimani	2	2	27.01.2022-31.03.2022
Shri Vivek Wahi (Invitee)	9	9	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri (Invitee)	9	9	01.04.2021-31.03.2022

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

iv) Risk Management Committee

Risk Management Committee was constituted by the Board vide Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda No. BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and based on the suggestions of Dr. Ganguly Group report set up by the Reserve Bank of India.

The objective of Risk Management Committee:-

- » The Committee will take both long term and short term view of the risks faced by the Bank
- » Keeping the long term interest and implications in mind, it will articulate and proactively update the risk philosophy of the Bank.
- » From a more operational perspective, it will review the risk profile of the Bank and issue instructions/guidelines to the appropriate entities to better manage the risk.
- » The Committee would be apex committee for convergence of various risk management efforts and policy guidelines. It would facilitate providing board direction on articulating the risk management philosophy of the Bank and also the risk profile of the Bank and providing guidelines. It would take an integrated view of risk the Bank is willing to take and provide broad directions for indicating the risk appetite for the Bank.
- » It would also review the credit risk management policies to ensure that they are compatible with the

risk philosophies and risk preferences. It would also create and build organisational wide awareness and appreciation of risk management policies. It would be reviewing periodically the policies and guiding principles for managing the Bank's operational risk. Also the Committee would review periodically information to monitor the compliance with the policies,

- » Creating awareness and appreciation of ALM issues throughout the Bank. Using appropriate guidelines in the areas of Balance Sheet structure, funding structure pricing and corporate planning so as to maintain the Bank's desired risk preferences and Balance Sheet profile.
- » Reviewing periodically the instructional mechanism that is put in place for ending the functions of risk management and based supervision.
- » The Committee will devise the policy and strategy for integrated risk management containing various exposure of the Bank including credit risk,

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

30.06.2021 21.09.2021 15.12.2021 25.02.2022

Composition of the Risk Management Committee as on 31.03.2022 was as under:

1.	Shri M. V. Rao	Chairman
2.	Shri Alok Srivastava	Member
3.	Shri Vivek Wahi	Member
4.	Shri Rajeev Puri	Member
5.	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Member
6.	Shri Dinesh Pangtey	Member
7.	Shri Pradip Pranlal Khimani	Member

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	3	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Dr. Bhushan Kumar Sinha	2	4	01.04.2021-31.03.2022
Smt. Mini Ipe	1	1	01.04.2021-30.06.2021
Shri Dinesh Pangtey	2	3	01.07.2021-31.03.2022
Shri Pradip Pranolal Khimani	1	1	27.01.2022-31.03.2022

v) The Special Committee of the Board For Monitoring of Large Value Frauds

The Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds was constituted vide Reserve Bank of India circular RBI 2004.15 DBS.FGV No. 1004/23.04.01A/2003-04 dated January 14, 2004 for monitoring and follow up of cases of frauds involving amount of ₹ 1 crore and above exclusively, while Audit Committee may continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the committee is to monitor and review all the frauds of ₹ 1 crore and above so as to-

- (1) Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetuation of the fraud and put in place measures to plug the same,
- (2) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to Top Management of the Bank and RBI.

- (3) Monitor progress of CBI/Police Investigation, and recovery position and
- (4) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds und staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- (5) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of fraud such as strengthening of internal control
- (6) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

21.05.2021 21.09.2021 02.12.2021 15.02.2022

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	1	1	01.04.2021-22.05.2021
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Dr. Bhushan Kumar Sinha	3	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Pradip Pranolal Khimani	1	1	27.01.2022-31.03.2022

vi) Customer Service Committee of the Board

Customer Service Committee of the Board was constituted as per the advice of the RBI letter dated August 14, 2004 read with Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services set up by Reserve Bank of India under the Chairmanship of

Dr. S. S. Tarapore with a view to support broad based improvement in customer services in relation to various banking services.

Role of the Committee:

- i) To bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank

- ii) Ensure the compliance with the recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services in Banks
- iii) Initiate innovative measures for enhancing the quality of customer service und improving the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all levels.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

30.06.2021 28.09.2021 15.12.2021 25.02.2022

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	3	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Smt. Mini Ipe	1	1	01.04.2021-30.06.2021
Shri Dinesh Pangtey	3	3	01.07.2021-31.03.2022
Shri Pradip Pranlal Khimani	1	1	27.01.2022-31.03.2022

vii) IT Strategy Committee of the Board

As part of IT Governance, RBI directed that the Banks need to formulate a Board approved IT Strategy/plan document and also ensure creation of an exclusive Board Strategy Committee with a minimum of two Directors as members, one whom should be an independent Director. All members of the IT Strategy Committee would need to be technically competent while at least one member would need to have substantial expertise in managing guiding technology initiatives. The scope of the Committee was later on broad based by the Board of Directors.

Roles & objectives

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring Investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable.

- Monitoring the method that management use to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth
- Becoming aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies Issuing high-level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks .
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

12.05.2021	28.09.2021	15.12.2021	21.03.2022

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Dr. Bhushan Kumar Sinha	2	4	01.04.2021-31.03.2022
Smt. Mini Ipe	1	1	01.04.2021-30.06.2021
Shri Dinesh Pangtey	3	3	01.07.2021-31.03.2022
Shri Pradip Pranlal Khimani	1	1	27.01.2022-31.03.2022
Prof. N. Balakrishnan (Invitee)	4	4	01.04.2021-31.03.2022

viii) Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreements entered into with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and two Independent Directors. Shri Pradip Pranlal Khimani, Non-Executive Director is the Chairman of Stakeholders' Relationship Committee (SRC). The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year.

The Committee met 4 times during the year 2021-22 on the following dates:

21.05.2021	28.09.2021	02.12.2021	15.02.2022

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri Tapan Ray	1	1	01.04.2021-22.05.2021
Shri M V Rao	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Smt. Mini Ipe	0	1	01.04.2021-30.06.2021
Shri Dinesh Pangtey	2	3	01.07.2021-31.03.2022
Shri Pradip Pranlal Khimani	1	1	27.01.2022-31.03.2022

The details of Investor Grievances for the year 2021-22 (from 01.04.2021 to 31.03.2022) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	Nil
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	Nil
3	Non Receipt of Dividend Warrants	Nil
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	Nil
5	Non Receipt of Refund Order	Nil
6	Non Receipt of Rejected DRF's	Nil
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	3
8	Total Grievances received	3
9	Total Grievances attended/resolved	3
10	Total complaints pending at the end of the year	Nil

We confirm that no investors' complaints remained un-attended/pending for more than 30 days.

ix) Nomination and Remuneration Committee

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS) communication no. F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 on PSB Governance Reforms on strengthening the Board committee system read with Reserve Bank of India letter No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No.9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019, Bank on 30.09.2019 constituted a Nomination and Remuneration Committee by merging Nomination Committee and Remuneration Committee, consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board

of Directors, out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) Act, 1970 and to consider performance linked incentive to whole time directors. As on 31.03.2022, As on 31.03.2022, Nomination and Remuneration Committee was comprised of Shri Pradip Pranlal Khimani as chairman, Shri Dinesh Pangtey, as member and one position of member was vacant in the committee. During the year, no meeting of Nomination and Remuneration Committee was held. Board of

Directors' exercised the powers of the Nomination and Remuneration Committee in its meeting dated 17.06.2021 as per Clause 14A of Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 for determination of "Fit and Proper" status of Shri Dinesh Pangtey, prospective candidate for the election of director of the Bank represented by shareholders other than Central Government.

x) Vigilance Committee

The Bank is having Vigilance Committee to review vigilance disciplinary cases and departmental queries to be met on a quarterly basis. The Committee consists of Managing Director & Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India as members of the committee.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

17.06.2021	28.09.2021	01.12.2021	25.02.2022

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Dr. Bhushan Kumar Sinha	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri P J Thomas	4	4	01.04.2021-31.03.2022

xi) Human Resource Committee of the Board

HR Committee of the Board was constituted on 30.10.2013 vide Communication F.No.9/18/2009-IR dated March 2012 of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India to consider various HR related issues.

Scope of the Committee

Scope of the Committee will include the following areas:

1. Five year Manpower Planning & its Annual Review
2. Quarterly Review of the key critical and leadership positions for Succession Planning,
3. Quarterly monitoring exercise of grooming identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified key critical positions
4. Any other HR issue which is considered critical and crucial, not being HR Policies, individual issues or bilateral issues relating to Award Staff involving Settlements under Industrial Disputes Act, 1947 with Majority Union with Award Staff, Policy issues relating to Officers which are bilateral etc.) thereby required to be referred to the Committee.

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

21.05.2021	14.08.2021	21.10.2021	10.11.2021	25.02.2022

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	1	1	01.04.2021-22.05.2021
Shri M V Rao	5	5	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	5	5	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	4	5	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	5	5	01.04.2021-31.03.2022
Dr. Bhushan Kumar Sinha	4	5	01.04.2020-31.03.2022
Prof. C. P. Shrimali (Invitee)	5	5	01.04.2021-31.03.2022
Shri S. Sengupta (Invitee)	5	5	01.04.2021-31.03.2022

xii) COMMITTEE OF THE BOARD FOR MONITORING OF RECOVERY

Committee of the board for monitoring of recovery was constituted as a sub-committee of the Board to monitor stressed assets of the Bank and recovery in NPA accounts.

Roles & objectives

- 1) To monitor the progress in Recovery on regular basis examine all possible options of Recovery and implement the same.
- 2) To analyze the position of Special Mention Accounts and to chalk out strategy to arrest slippage.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

30.06.2021	21.09.2021	15.12.2021	15.02.2022

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	4	4	01.04.2021-31.03.2022
Dr. Bhushan Kumar Sinha	1	4	01.04.2021-31.03.2022
Smt. Mini Ipe	1	1	01.04.2021-30.06.2021
Shri Dinesh Pangtey	1	3	01.07.2021-31.03.2022
Shri Pradip Pranlal Khimani	1	1	27.01.2022-31.03.2022

xiii) CAPITAL RAISING COMMITTEE

Bank is having Capital Raising Committee of the Board to decide and raise both Tier 1 and Tier 2 capital for the Bank and takes all operative steps in connection therewith.

The Committee met 3 times during the year on the following dates:

12.04.2021	20.04.2021	29.05.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	3	3	01.04.2021-31.03.2022
Shri Alok Srivastava	3	3	01.04.2021-31.03.2022
Shri Vivek Wahi	3	3	01.04.2021-31.03.2022
Shri Rajeev Puri	3	3	01.04.2021-31.03.2022

xiv) REVIEW COMMITTEE FOR DECLARING OF NON CO-OPERATIVE BORROWER

In terms of the RBI Circular no RBI/2014-15/362 DBR NO.CID BC 54/ 20.16.064/2014-15 dated December 22, 2014. Review Committee for Declaring of Non Co-operative Borrower was constituted. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and two independent Directors Members.

The Role of the Committee is to review the order of the Internal Committee headed by an Executive Director and consisting of General Managers-Credit Monitoring and Recovery as Members for classification of an account as Non-Cooperative Borrower or not as per RBI Guidelines. During the year, no meeting of the Committee was held.

xv) COMMITTEE TO REVIEW THE ORDER OF COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILFUL DEFAULTERS

In terms of the RBI Notification RBI/2015-16/100 dated July 1, 2015, Review Committee for Identification of Wilful Defaulters was constituted. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and two Independent Directors as Members. The Role of the Committees to review the order of the Internal Committee headed by an Executive Director and consisting of General Managers-Credit, Credit Monitoring and Recovery as Members for identification of wilful Defaulters.

The Committee met one time during the year on 09.03.2022.

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M V Rao	1	1	01.04.2021-31.03.2022
Shri Dinesh Pangtey	1	1	01.07.2021-31.03.2022
Shri Pradip Pranlal Khimani	1	1	27.01.2022-31.03.2022

xvi) PERFORMANCE EVALUATION COMMITTEE OF THE BOARD

Performance Evaluation Committee was constituted to undertake performance evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director & General Managers in-charge of Internal control functions. The committee comprised of Non official Director as Chairman of the committee, and Government of India Nominee Director and Shareholder Director as members of the committee. During the year, no meeting of the Committee was held.

In terms of communication F. No. 6/20/2019-BO.I dated 30th August, 2019 the Board of Directors to conduct performance evaluation of non-official directors upon completion of every period of one year.

Following are the criteria of performance evaluation of non-official directors:-

- i) Professional and ethical conduct
 - a. Acting in accordance with provisions of law, rules and regulations
 - b. Acting in the best interest of the Bank
 - c. Exercise of due and reasonable care, skill, diligence and independent judgement
 - d. Avoidance of direct or indirect conflicts of interest
 - e. Avoidance of undue gain or advantage either to self or relative, partners or associates
 - f. Maintaining confidentiality of information, including commercial secrets and unpublished market sensitive information
- ii) Contributions to the Bank
 - a. Striving to attend all Board and committee meetings
 - b. Seeking appropriate clarification or amplification of information where necessary
 - c. Display of requisite knowledge and expected level of awareness of the bank and external environment in meetings and comments
 - d. Contribution in terms of constructive ideas, guidance and knowledge for better decision making and management of bank's affairs

- e. Timeline of feedback on decision being taken by the Bank

3. REMUNERATION OF DIRECTORS

The Non Official (Independent) Directors / Non-Executive Directors were paid sitting fees of ₹ 40,000 for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 20,000 for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board. Sitting fees is not being paid to the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India/ Reserve Bank of India. For Chairing the meetings of Board of Directors and Committees thereof, an additional sitting fee of ₹ 10,000 and ₹ 5,000 respectively were paid.

During the year under review, the Bank has paid ₹ 12,10,000/- (Rupees Twelve Lakh Ten Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 14,15,000/- (Rupees Fourteen Lakh Fifteen Thousand only) towards attending meetings of the Sub-Committee of the Board.

Details of sitting fee paid during the Year 2021-22 are as under:

Directors	Sitting Fees paid for FY 2021-22 (Amount in ₹)
Smt. Mini Ipe* (Sitting fees was paid to LIC of India on advise of the Director)	2,80,000
Shri Tapan Ray*	1,25,000
Shri Dinesh Pangtey (Sitting fees of ₹ 7,05,000/- was paid to LIC of India on advise of the Director)	8,10,000
Shri P. J. Thomas	11,00,000
Shri Pradip Pranlal Khimani	3,10,000

* ceased director during the year on completion of tenure

Besides this during the financial year, sitting fees of ₹ 1,00,000/- each were paid to Shri C. P. Shrimali and Shri S. Sengupta for attending the meetings of Human Resource Committee of the Board and sitting fees of ₹ 80,000/- to Prof. N. Balakrishnan for attending meetings of IT Strategy Committee of the Board.

During the financial year 2021-22, the following amounts have been paid to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr.	Name	Rupees in Lakh
1.	Shri M V Rao, Managing Director & CEO	31.67
2.	Shri Alok Srivastava, Executive Director	28.92
3.	Shri Vivek Wahi, Executive Director	27.26
4.	Shri Rajeev Puri, Executive Director	28.18
Total		116.03

4. Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Deputy General Manager/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges.

5. Secretarial Audit

Bank has appointed Ms. Shalini Pandey, Company Secretary for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2022. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

6. Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc during the financial year 2021-22

Capital funds of ₹ 4800 crore was received from Government of India on 31.03.2021 towards preferential allotment of equity shares. The amount was kept in share application money account pending allotment and considered as part of CET1 capital for financial year ended 31.03.2021 with the approval of Reserve Bank of India. The resultant 280,53,76,972 equity shares of ₹ 10 each was allotted to President of India (Government of India) at an issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share on 29.05.2021. Though the paid up equity share capital of the Bank was increased in financial year ended 31.03.2022, the increase in CET 1 capital was factored in previous financial year ended 31.03.2021. Therefore, no fresh capital infusion was considered in the financial year ended 31.03.2022.

7. Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi and Marathi newspapers, such as, Business Standard,

Financial Express, Tarun Bharat, Jansatta, Loksatta etc. The results alongwith presentation to analysts, press release on financial performance and official news releases were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

8. Code of Conduct

The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. Text of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.

The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prohibition of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

9. Other Disclosures

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the last 3 years.

The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2021-22 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web based portal in the name of "Central e-Whistleblower" to facilitate reporting of

malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Central Audit and Inspection. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees. No personnel has been denied access to the audit committee.

The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Outstanding global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.

Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required in the FY 2021-22 – Nil

We confirm the compliance of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.

None of the directors is having any relationship with any other existing directors of the bank.

In opinion of the Board of Directors, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and are independent of the management.

Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – The funds are raised with

the primary objective of augmenting and strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank at <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/PolicyonSubsidiary.pdf>.

Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank at <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/RPT.pdf>.

During the Financial Year 2021-22 total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part, was ₹ 30.82 crore (excluding GST).

Details of familiarization programs imparted to independent directors is uploaded on Bank's website under tab of Details of "Familiarization Programmes imparted to Directors" under the link <https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Familiasation.pdf>.

Certificate from a company secretary in practice has been obtained that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

List of all credit ratings obtained by the Bank along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2021-22, for all debt instruments of Bank or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad :-

Rating Agency	IPDI	BASEL III COMPLIANT Tier II Bonds
CRISIL	CRISIL A/Stable (Reaffirmed)	CRISIL A+/Stable (Reaffirmed)
ICRA	N.A.	ICRA A+/ Stable (Upgraded from ICRA A+ (hyb) / Negative)
BRICKWORK	BWR A /Stable (Reaffirmed)	BWR A+/Stable (Reaffirmed)
INDIA RATINGS	N.A.	IND AA-/Stable (Rating upgraded from IND AA-/ Negative)
ACUITE RATINGS	N.A.	ACUITE AA- /Stable (Reaffirmed)

The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

Position for the year 2021-22

No. of complaints pending at the beginning of the year	2
No. of complaints received during the year	14
Total No. of cases	16
No. of complaints disposed of during the year	10
No. of cases pending at the end of the year	6

10. Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense and also allowed reimbursement of expenses in performance of his/her duties.	Yes, implemented
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent financial results for the half year ended 30.09.2021 and the financial year ended 31.03.2022 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in Also Financial results for the half year ended 30.09.2021 and financial year ended 31.03.2022 was also emailed to shareholders.
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is accountable to the Audit Committee of the Board.

11. General Shareholder Information

15th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Wednesday, 10th August, 2022 at 11:00 AM at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2021-22.
2. Date of Book Closure: 7th August, 2022 to 10th August, 2022. (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2021-22.

12. Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
1.	Fourteenth Annual General Meeting	10 th August, 2021 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2021, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2021, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Appropriation of accumulated losses as on 31.03.2021 from share premium account – Special Resolution

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
2.	Extra-ordinary General Meeting	18 th May, 2021 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	Issue of 280,53,76,972 Equity Shares of face value of ₹ 10 at an issue price of ₹ 17.11 aggregating ₹ 4800 crore on Preferential Basis to President of India (Government of India) – Special Resolution
3.	Thirteenth Annual General Meeting	7 th August, 2020 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2020, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2020, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Approved raising of Capital through FPO/ Rights Issue/QIP etc. – Special Resolution
4.	Extra-ordinary General Meeting	26 th November, 2019 11:00 AM	9 th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	Issue of 158,38,45,063 Equity Shares of face value of ₹ 10 at an issue price of ₹ 21.17 aggregating ₹ 3353 crore on Preferential Basis to President of India (Government of India) – Special Resolution
5.	Twelfth Annual General Meeting	28 th June, 2019 12:00 Noon	9 th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2019, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Approved raising of Capital through FPO/ Rights Issue/QIP etc. – Special Resolution

No special resolution was passed in last year through postal ballot and no special resolution is proposed to be conducted through postal ballot.

13. Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2021-22 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2022

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crore)	ISIN
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Complaint Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Basel III Complaint Sr III	29.03.2019	500.00	INE483A09286
Basel III Complaint Sr IV	30.09.2019	500.00	INE483A08023
Basel III Complaint Sr V	20.03.2020	500.00	INE483A08031
Total		3000.00	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2021-22 to the Exchange.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2021	18.85	15.80	192444025	15044.35	14151.40
May 2021	19.65	16.05	232215360	15606.35	14416.25
June 2021	29.65	18.55	756594078	15915.65	15450.90
July 2021	29.10	23.40	278386982	15962.25	15513.45
August 2021	24.60	19.00	140595794	17153.50	15834.65
September 2021	25.15	20.30	183490586	17947.65	17055.05
October 2021	24.10	21.25	170326286	18604.45	17452.90
November 2021	23.70	19.80	122448957	18210.15	16782.40
December 2021	23.90	19.90	103639942	17639.50	16410.20
January 2022	22.75	20.00	96948134	18350.95	16836.80
February 2022	22.70	17.55	80074262	17794.60	16203.25
March 2022	19.55	17.50	57189954	17559.80	15671.45

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	SENSEX	
				High	Low
April 2021	18.90	15.80	24167212	50375.77	47204.50
May 2021	19.70	16.05	30847822	52013.22	48028.07
June 2021	29.65	18.50	106551481	53126.73	51450.58
July 2021	29.10	23.40	37860728	53290.81	51802.73
August 2021	24.65	19.00	26026060	57625.26	52804.08
September 2021	25.15	20.30	38219150	60412.32	57263.90
October 2021	24.05	21.30	21357921	62245.43	58551.14
November 2021	23.65	19.85	17925614	61036.56	56382.93
December 2021	23.85	19.90	17412107	59203.37	55132.68
January 2022	22.75	20.00	16342863	61475.15	56409.63
February 2022	22.70	17.50	13686076	59618.51	54383.20
March 2022	19.50	17.50	12586875	58890.92	52260.82

14. Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083
Tel: 022-4918 6270
Fax: 022-4918 6060
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar and Transfer Agent for listed non-convertible debt securities:

MCS Share Transfer Agent Ltd
K-215, 2nd Floor, Ansa Industrial Estate,

Saki Vihar Road, Saki Naka,
Andheri (E), Mumbai – 400 072
Ph: 022 – 28476020 / 6021 / 46049717 (D)
Email Id: helpdesk@mcsregistrars.com

Debenture Trustee for listed non-convertible debt securities:

IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building, Ground Floor, 17,
R. Khemani Marg, Ballard Estate,
Mumbai – 400 001
Tel : 022-4080 7000
Fax : 022-66311776
E-mail ID : itsl@idbitrustee.com

Address for correspondence with the Bank:

Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India,
9th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Contact No. 022- 6638 7575/7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: dgmcompsec@centralbank.co.in;
investors@centralbank.co.in

15. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2022 (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	289526	77.0227	37314453	0.4298
501-1000	36407	9.6854	31293310	0.3605
1001-2000	20114	5.3509	31829864	0.3667
2001-3000	8860	2.357	23489180	0.2706
3001-4000	4242	1.1285	15431305	0.1778
4001-5000	4923	1.3097	23807132	0.2742
5001-10000	8171	2.1737	59252048	0.6826
10001 and above	3654	0.9721	8458522140	97.4379
Total	375897	100.0000	8680939432	100.0000

ii) Share Holding of persons belonging to the category “Public” and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY “PUBLIC” AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES

Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	227021558	2.6152

ii) Share Holding of persons belonging to the category “Public” and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY “PUBLIC” AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES

Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Nil	Nil	Nil

iv) Shareholding pattern as on 31.03.2022

Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government (President Of India)	8080391687	0	1	0	8080391687	93.0820
Public	314300746	29885	367707	91	314330631	3.6209
Life Insurance Corporation (Insurance Companies)	227021558	0	1	0	227021558	2.6152
Other Bodies Corporate	23572436	90	706	1	23572526	0.2715
Foreign Portfolio Investors (Corporate)	9142463	0	31	0	9142463	0.1053
Hindu Undivided Family	9076431	0	5335	0	9076431	0.1046
G I C & Its Subsidiaries	6531875	0	4	0	6531875	0.0752
Non Resident Indians	3215377	121600	1094	1	3336977	0.0384
Clearing Members	2863704	0	147	0	2863704	0.033
Mutual Funds	2629442	0	8	0	2629442	0.0303
Non Resident (Non Repatriable)	1295504	0	712	0	1295504	0.0149
Body Corporate - Ltd Liability Partnership	519611	0	35	0	519611	0.006
Trusts	114566	0	15	0	114566	0.0013
NBFCs registered with RBI	59464	0	3	0	59464	0.0007
Nationalised Banks	32876	0	2	0	32876	0.0004
Non Nationalised Banks	19417	0	2	0	19417	0.0002
Government Companies	700	0	1	0	700	0
TOTAL :	8680787857	151575	375804	93	8680939432	100

v) Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1.	President Of India	5076470357	62.8246
2.	Public	0	0
	Total	5076470357	62.8246

vi) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

vii) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders (Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2022 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	93	151575	0.0017
NSDL	131402	397559999	4.5797
CDSL	244402	8283227858	95.4186
Total	375897	8680939432	100.0000

ix) Dematerialization of physical holdings – a special request

We request the shareholders to demat their physical holding. For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts. Benefits of dematerialization are as follows:

- Hassle free transfer
- No threat of loss of share certificate
- Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits
- Nomination facility
- Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support the green initiatives.

x) Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2022 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	233	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	233	32,853

Note – Voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2021-22.

Place : Mumbai
Date : June 27, 2022

Sd/-
[M V Rao]
Managing Director and Chief Executive Officer

CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed Financial Statements of Central Bank of India for the Quarter and Year ended March 31, 2022 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These Statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - II. These Statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the Quarter and Year ended March 31, 2022, which is fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of

such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

- d. We have indicated to the Auditors and the Audit committee:
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the Quarter and Year ended March 31, 2022.
 - II. There is no significant changes in accounting policies during the Quarter and Year ended March 31, 2022 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and,
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(MUKUL N. DANDIGE)
GENERAL MANAGER –
F&A & CFO

(M V RAO)
MANAGING DIRECTOR
& CEO

Place : Mumbai
Date : May 09, 2022

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT 2021-22

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Entity	Central Bank of India
3. Year of Incorporation	1911
4. Registered office address	Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
5. Corporate office address	Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
6. E-mail id	investors@centralbank.co.in
7. Telephone	+91 22 6638 7777
8. Website	www.centralbankofindia.co.in
9. Financial year for which reporting is being done	2021-22
10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	Equity Shares are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
11. Paid-up capital	₹ 8680.94 crore
12. Name and contact details of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Smruti Ranjan Dash General Manager Phone No. +91 22 6638 7880 E-mail id – gmhrd@centralbank.co.in
13. Reporting boundary	Disclosures made in this report are on a standalone basis and pertains to Central Bank of India

II. Products/Services

14. Details of business activities

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover
1.	Financial and Insurance Service	Banking Activities by Central, Commercial Bank	100

15. Products/services sold by the entity

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of total turnover contributed
1.	Financial Services – Monetary Intermediation of commercial banks, saving banks, postal saving banks and discount houses (Central Bank of India is engaged in providing a wide range of Banking and financial services including retail banking, corporate banking and treasury operations)	64191	100

III. Operations -

16. Number of locations where plants and/or operations/Offices of the entity are situated

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	Not Applicable*	17803**	17803
International		Nil	Nil

*The entity is Bank and hence does not undertake any manufacturing activity.

**includes branches, ATMs, BC outlets (4528+2976+10299).

17. Markets served by the entity

a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States and UTs)	Pan-India
International (No. of countries)	Nil

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Not applicable

c. A brief on types of customers -

Our Bank is dealing with customers who are associated with Bank in any arrangement like Depositor, Borrower, Service provider, Government Service Provider, etc.

IV. Employees

18. Details as the end of Financial Year 2021-22 -

a. Employees (including differently abled):-

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	30289	22915	75.65	7374	24.35
2.	Other than Permanent (E)	00	00	00	00	00
3.	Total employees (D + E)	30289	22915	75.65	7374	24.35

b. Differently abled Employees:-

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	812	656	80.78	156	19.22
2.	Other than Permanent (E)	00	00	00	00	00
3.	Total differently abled employees (D + E)	812	656	80.78	156	19.22

19. Participation/inclusion/representation of women –

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B/A)
Board of Directors	8	Nil	Nil
Key Management Personnel	11	1	9.09%

20. Turnover rate for permanent employees –

	FY 2020			FY 2021			FY 2022		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	1.4%	1.9%	1.6%	1.4%	2.1%	1.7%	2.4%	2.5%	2.5%

V. Holding, subsidiary and associate companies (including joint ventures)

21. (a) As at March 31, 2022

S. No.	Name (A)	Subsidiary/ Associates	% of shares held	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the Bank? (Yes/No)
1.	Cent Bank Home Finance Limited	Subsidiary	64.40	No
2.	Centbank Financial Services Limited	Subsidiary	100.00	No
3.	Uttar Bihar Gramin Bank	Associates	35.00	No
4.	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank	Associates	35.00	No
5.	Indo Zambia Bank Limited	Associates	20.00	No

VI. CSR Details

22. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013 : No

(ii) Turnover (in ₹) : 22903.34 crore

(iii) Net worth (in ₹) : 23801.85 crore

(iv) Total amount spent on CSR for FY22 - Nil

VII. Transparency and Disclosures Compliances

23. Complaints/grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC)

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanisms in Place (Yes/ No)	Financial Year 2021-22			Financial Year 2020-21		
	(If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/en	-	-	-	-	-	-
Investors (other than shareholders)	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/en/investor-re-lations	-	-	-	-	-	-
Shareholders	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/en/investor-re-lations	3	3	NA	2	2	NA
Employees	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/en	139	93	NA	99	71	NA
Value Chain Partners	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/en	-	-	-	-	-	-
Others including customers (Bank Portal +ATM+CPGRAMS+ INGRAMS+MSME+ RETAIL)	Yes https://www.centralbankof-india.co.in/pdf/CUSTOMER-GRIEVANCEREDRESSAL-POLICY31.01.2012.pdf	183566	923	As on 30.04.2022, all resolved	213958	4381	All complaints resolved



24. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:-

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	Tie-up with Fintech companies for delivering financial services.	Opportunity	Fintech is enabling and empowering the next generation of consumers who are highly tech-savvy and have greater financial literacy but had a paucity of time. These customers can avail the services on the go. With the enablers like the use of Artificial intelligence for credit decisions based on algorithms, APIs for e-documentation, and system integrations any bank can excel and deliver the desired services and can enhance its asset/liabilities portfolios.	Though the activity has inherent risks, however with appropriate risk mitigates in place, the risk can be reduced substantially.	The adoption of newer technology will help any bank to provide financial services across the ecosystem even without having a brick and mortar structure more swiftly and enhance its asset/liability portfolio.
2.	Sustainable Development Goals - "Green Fixed Deposits"	Opportunity	Green Deposits will help enhance Central Bank of India's participation in projects directly supporting United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) and empower our depositors to opt for financial products that have a positive impact on the environment, and the society at large.	Green deposit is offered at special rates which are above other fixed deposit rates.	Positive: Safeguarding our environment from climate change is the need of the hour. Hence there is immense scope to increase green deposits in the country.
3.	Green Financing	Opportunity	The government often employs SDGs as a framework to achieve a more sustainable future for all and companies are increasingly setting the corporate target to align with those SDGs. Encourage dealers to sell more electric vehicles by providing incentives to dealers and sales executives. Charging lower interest rates on electrical vehicle loans than fossil fuel vehicle loans to attract more customers.	Access to a diversified pool of green finance like water management, waste management, affordable green housing, green vehicle financing, etc.	Positive: Immense scope to build a larger green Portfolio.

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBC) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders
P5	Businesses should respect and promote human rights
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
P7	Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
c. Web Link of the Policies, if available	https://www.centralbankofindia.co.in/ Some policies may also include a combination of internal policies of the Bank which are accessible to all internal stakeholders and policies placed on the Bank's website.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/No)	Yes. The Bank has translated the policies as applicable and adapted the same into procedures and practices in all spheres of activities that the Bank undertakes.								
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Yes. The Bank's Code of Conduct largely adopts the above-mentioned principles and the Bank expects its stakeholders to adhere to the same in all their dealings.								
4. Name of the national and international codes/ certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Not Applicable.								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	No any specific target is being set under the aforesaid policies. However, compliance with these principle/s is our commitment and goal.								
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	Not Applicable.								

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9																																								
Governance, leadership and oversight																																																	
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (<i>listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure</i>)	The Bank aims to enhance financial inclusion in the country. The Bank's commitment to ESG standards is best reflected in its core principles, which are ingrained in all aspects of its operations. Kindness, fairness, efficacy, and efficiency are the foundation ideals of the Bank. Sound governance standards, according to the Bank, are a key instrument for creating long-term value for all of its stakeholders and promoting sustainability. One of the Bank's fundamental and core values is respect for human rights. Climate change is not only an environmental issue, but also a business risk, according to the Bank. In its lending policies, the Bank is boosting its due diligence on social and environmental impact.																																																
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	Shri Rajeep Puri, Executive Director																																																
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes, All committees look after the sustainability related issues as per their agenda specific requirement.																																																
10. Details of Review of NGRBCs by the Bank	<table> <tr> <th>Subject for Review</th><th colspan="9">Review of principles undertaken by and frequency</th></tr> <tr> <th></th><th>P1</th><th>P2</th><th>P3</th><th>P4</th><th>P5</th><th>P6</th><th>P7</th><th>P8</th><th>P9</th></tr> <tr> <td>Performance against above policies and follow up action</td><td colspan="9">As a practice, BR policies of the Bank are reviewed periodically or on a need basis by department heads and competent authority. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes to policies and procedures are implemented.</td></tr> <tr> <td>Compliance With statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances</td><td colspan="9">The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.</td></tr> </table>									Subject for Review	Review of principles undertaken by and frequency										P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Performance against above policies and follow up action	As a practice, BR policies of the Bank are reviewed periodically or on a need basis by department heads and competent authority. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes to policies and procedures are implemented.									Compliance With statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.								
Subject for Review	Review of principles undertaken by and frequency																																																
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9																																								
Performance against above policies and follow up action	As a practice, BR policies of the Bank are reviewed periodically or on a need basis by department heads and competent authority. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes to policies and procedures are implemented.																																																
Compliance With statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.																																																
11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	No																																																

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated: **Not Applicable**

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators			
1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:			
Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/principles covered under the training and the impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	3	All principles covered under the training.	87.50%
Key Managerial Personnel	8	Trainings/Conferences related to various functional areas as well as Leadership Development	57.20%
Employees other than BoD and KMPs	4005	Trainings related to various functional areas as well as Behavioral aspects	86.75%

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Preferred (Yes/No)
Penalty/Fine	Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee, if any paid by the Bank is not material as per the Materiality policy of the Bank. Stock exchange disclosures in this regard are being hosted on the Bank’s website.				
Settlement					
Compounding fee					
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/enforcement agencies/judicial institutions		Brief of the Case	Has as appeal been preferred? (Yes/No)
Imprisonment	Nil	Nil		Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil		Nil	Nil

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

Case Details	Name of the regulatory/enforcement agencies/ judicial institutions
Nil	Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. There is a whistle blower policy and the same is available on Bank's internal portal.

The Policy provides a secure and confidential platform to report any act of malpractices, frauds, negligence, misappropriation, abuse of authority etc. Besides this Bank has Policy on code of ethics, business conduct and conflict of Interest.

Our Whistleblower Policy is an extension of Banks Code of Conduct formulated with an aim to promote good Corporate Governance, instill faith and make the employees feel empowered about their decision to blow the whistle in order to voice their concerns in case of unethical behaviour and/or actual or suspected fraud and/or misconduct and/or violation of Bank's Code of Conduct, without fair of reprisal.

The details regarding whistleblower policy can be accessed online via link https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/Whistle_blower_policy_0.pdf.

The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations. We also have a comprehensive policy on Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest.

The Code of Ethics, Business Conduct and Conflict of Interest Policy can be accessed online via link https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX_I_CODE_OF_ETHICS_BUSINESS_CONDUCT_CONFLICT_OF_INTEREST.pdf

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	Financial Year 2021-22	Financial Year 2020-21
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	32*	20*

*** Total CBI cases received for prosecution permission (either sanctioned or declined from Bank level)**

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	Financial Year 2021-22		Financial Year 2020-21	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	-	Nil	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	-	Nil	-

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Nil

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total number of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
Nil	Nil	Nil

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If Yes, provide details of the same.

The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations. We also have a comprehensive policy on Code of Ethics, Business Conduct & Conflict of Interest.

The policy can be accessed online via link

https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/ANNEX_I_CODE_OF_ETHICS_BUSINESS_CONDUCT_CONFLICT_OF_INTEREST.pdf

PRINCIPLE 2 Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

Not Applicable

Given the nature of business of the Bank, the relevance of the above is largely restricted to information technology (IT) capex. In FY22, Capex incurred towards IT hardware and software, which facilitated the enhanced digital initiatives of the Bank was 1.68% of total revenue. Greater adoption of digital platforms not only brings in increased efficiencies of operations but also ensures substantially reduced consumption of paper.

	Current Financial Year	Previous Financial Year	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	NA	NA	NA
Capex	NA	NA	NA

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? **Yes**
b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

All Purchases are made from registered /licensed vendors.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste. – **Not Applicable**

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.- **Not Applicable**

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)?

No

If yes, provide details in the following format?

NIC Code	Name of Product/Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.

Not Applicable

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same. – **Not Applicable**
3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry). - **Not Applicable**
4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format: **Not Applicable**
5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category - **Not Applicable**

PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

Category	% of employees covered by										
	Total (A)	Health insurance		Accident insurance		Maternity benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		Number (B)	% (B / A)	Number (C)	% (C / A)	Number (D)	% (D / A)	Number (E)	% (E / A)	Number (F)	% (F / A)
Permanent employees											
Male	22915	22915	100	22915	100	0	0	22915	100	00	00
Female	7374	7374	100	7374	100	7374	100	0	0	00	00
Total	30289	30289	100	30289	100	7374	100	22915	100	00	00

- b. Details of measures for the well-being of workers: **Not Applicable**

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2021-22 Current Financial Year			FY 2020-21 Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	11461 (37.83%)	N.A.	Y	13223 (40.89%)	N.A.	Y
Gratuity	30289 (100%)	N.A.	N.A.	32335 (100%)	N.A.	N.A.
ESI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
NPS	11342 (37.44%)	N.A.	N.A.	13079 (40.44%)	N.A.	N.A.
Others	18832 (62.17%)		Y	19117 (59.11%)		Y

3. Accessibility of workplaces

Are the premises/offices of the entity accessible to differently-abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Various branches/offices of our Bank, have ramps/lifts for easy movement of differently-abled people. Most of our branches/ offices are located either on the ground floor or have elevators and infrastructure for differently-abled individuals.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web link to the policy.

Yes, in keeping with the provisions of the Rights of Person with Disabilities Act 2016, our Bank has formulated an "Equal Opportunity Policy" which bestows special attention to the differently-abled persons and aims at creating employment opportunities for people with disabilities and also creating for them a conducive working environment free from any kind of discrimination.

The Equal Opportunity Policy of Central Bank of India is applicable to all the differently-abled employees of the Bank without any discrimination, on the grounds of age, colour, marital status, physical ability, nationality, race, religion, sex, sexual orientation, or any other relevant for the purpose.

The policy can be accessed online through the following link

https://centralbankofindia.co.in/sites/default/files/CBoI_Equal_Opportunity_Policy.pdf

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	99.55%	Not Applicable	
Female	100%	99.80%		
Total	100%	99.64%		

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	N.A
Other than Permanent Workers	N.A
Permanent Employees	Yes (Bank has a well-defined and structured Grievance Redressal Mechanism in place for all its Employees)
Other than Permanent Employees	N.A

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	FY 2021-22 Current Financial Year			FY 2020-21 Previous Financial Year		
	Total Employees/workers in respective category (A)	No. of Employees/workers in respective category who are part of association(s) or union. (B)	% (B / A)	Total Employees/workers in respective category (C)	No. of Employees/workers in respective category who are part of association(s) or union. (D)	% (D / C)
Total Permanent Employees	30289	27446	90.61	32335	28279	87.45
- Male	22915	20613	89.95	24522	21308	86.69
- Female	7374	6833	92.66	7813	6971	89.22

8. Details of training given to employees and workers :

Category	Financial Year 2021-22					Financial Year 2020-21				
	Total (A)	On Health and safety measures		On skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On skill upgradation	
		No. (B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)		No. (E)	%(E/D)	No. (F)	%(F/D)
Male	22915	4561	20	84065	366	24568	1060	4	24301	98
Female	7374	2278	31	18905	256	7767	420	5	10318	132
Total	30289	6839	22.6			32335	1480	4.5		

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	FY 2021-22* Current Financial Year			FY 2020-21* Previous Financial Year		
	Total (A)*	No. (B)	% (B / A)	Total (C)*	No. (D)	% (D / C)
Male	12322	4775	38.75	12653	10700	84.56
Female	3926	1590	40.49	3912	3354	85.74
Total	16248	6365	39.17	16565	14054	84.84

* Above data is in respect of Officers Employees Only as PMS is applicable to Officers Employees in the Bank.

10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? **(Yes/ No)**. If yes, the coverage such system?

There are no occupational health and safety risks owing to the nature of the business.

Owing to COVID-19 induced pandemic, health and safety issues became paramount for both, employees/ visitors in the office premises. For Field staff, Bank hosted the facilities such as reimbursement of vaccination expenses, setting up an online dedicated COVID-19 assistance portal etc.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Given the nature of business, this is not directly applicable. However, in light of the Covid-19 pandemic, our Bank recognizes the risks of infections that could take place in the office premises. To minimize these risks, Bank took necessary precautions at the offices, which included regular sanitization of all office premises, removal of biometric scanners, installation of thermal scanners, daily communication updates, restricted movements in common areas, and closure of common canteen facilities and avoidance of large gatherings.

Bank also strictly adhered to all the government directives and advisories issued from time to time. Employees with disabilities, Pregnant Women Employees were advised to work from Home. Employees in administrative offices were also advised to work on rotational basis to ensure employee safety and business continuity.

- c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Given the nature of business, this is not directly applicable. However, in light of the Covid-19 pandemic, the Bank has necessary protocols and systems in place to ensure employees' safety is not compromised at the workplace. All Administrative Offices had organized vaccination camps for its employees & dependents in an endeavor to urge all employees and their families to get vaccinated. Reimbursement of cost of the vaccine was also provided to employees & their dependents.

- d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

All Employees of Bank are covered under Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. Expenses incurred over and above the sum insured are also covered under Corporate Buffer subject to availability and its terms & conditions.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2021-22 Current Financial Year	FY 2020-21 Previous Financial Year
Lost Time Injury Frequencies Rate (LTIFR) (per one million - person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	NIL	NIL

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

All Employees of Bank are covered under the Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. In case the limit is exhausted, there is also a facility of Corporate Buffer as defined under the provisions of the 10th Bipartite Settlement.

In case of injuries sustained while on duty, all other expenses not covered under Medical Insurance Scheme are borne by the bank. Special Leave is also provided to such employees during the period of hospitalization.

To prevent the spread of COVID-19, Bank took necessary precautions at all its branches/ offices, which included sanitization facilities, social distancing, installation of thermal scanners, removal of biometric scanners etc. Detailed standard operating procedures and guidelines/advisories were issued periodically to the employees of the Bank. The Bank strictly adhered to directives issued by the government/local authorities pertaining to COVID-19.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	Financial Year 2021-22			Financial Year 2020-21		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Health & Safety	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

14. Assessments for the year:

No such incident of visits by any officials has been reported by any RO/ZO.

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Nil
Working Conditions	Nil

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Safety related to Fire drills, evacuation safety, branch security etc are carried out by training provided for the same.

Owing to COVID-19 induced pandemic, health and safety issues became paramount for both, employees/visitors in the office premises. For Field staff, Bank hosted the facilities such as reimbursement of vaccination expenses, setting up an online dedicated COVID-19 assistance portal etc.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of
(A) Employees (Y/N) - **Yes. The Bank offers an ex-gratia amount of ₹ 30000/- as funeral expenses to the family of the deceased immediately upon intimation of death. In addition, Bank may offer the compassionate appointment to the spouse/dependent of the deceased employee as per terms & conditions of the Banks Compassionate Appointment Policy. Terminal Benefits like provident fund, gratuity, PL encashment etc. are settled on a priority basis. The Bank assists the family in exercising such options.**

(B) Workers (Y/N). - **Not Applicable**

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

Not Applicable

3. Provide the number of employees/workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment.

Data related to ill-health/ injury is not maintained since any expenses arising out of the same are being settled under Group Health Insurance Scheme.

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	Financial Year 2021-22	Financial Year 2020-21	Financial Year 2021-22	Financial Year 2020-21
Employees	Nil	Nil	Nil	Nil
Workers	NA	NA	NA	NA

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? - **No**
5. Details on assessment of value chain partners:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Nil
Working Conditions	Nil

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners. **Not Applicable**

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

- Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.
There is not any specific process for identifying such groups, however, those who are availing our banking product or services including employee and shareholders are considered as stakeholder.
- List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Employees	No	Email, SMS, newspaper advertisement, notice board, website, Annual General Meetings, intimation to stock exchanges, annual/ quarterly financials and investors meetings/ conferences	Frequent and need based	-
Shareholders	No	Email, SMS, newspaper advertisement, notice board, website, Annual General Meetings, intimation to stock exchanges, annual/ quarterly financials and investors meetings/ conferences	Frequent and need based	To stay updated for the developments in the Bank
Customers	No	Letter, Email, Meetings	Frequent and need based	Better services and marketing
Channel Partners and Key Partners	NA	NA	NA	NA
Reserve Bank of India	No	Letter, Email, Meetings	Engagement through Letters, Emails are on regular basis. Meetings are conducted on Monthly/Bi-monthly/ Quarterly basis or as and when required.	• Performance of the Bank. • Risk and Compliance issues and measures taken for its mitigation.
Government of India	No	Letter , Email , Meetings	Engagement through Letters, Emails are on regular basis. Meetings are conducted as and when required.	• Performance of the Bank. • Compliance of Regulatory/ Statutory guidelines.
Communities and NGOs	NA	NA	NA	NA

Leadership Indicators

- Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.
Consultation between stakeholders and the Bank on various economic and other topics is through various meetings.
- Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.
Inputs and suggestions of shareholders are being incorporated into the policies and activities wherever considered feasible.
- Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.
Not Applicable

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2021-22 Current Financial Year			FY 2020-21 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. of employees/workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. of employees/workers covered (D)	%(D/C)
Employees						
Permanent	30289	3637	12%	32335	59	0.20%
Other than permanent	0	0	0	0	0	0
Total Employees	30289	3637	12%	32335	59	0.20%
Workers						
Permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Other than permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Total Workers	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2021-22 Current Financial Year			FY 2020-21 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. of employees/workers covered (B)	%(B/A)	Total (C)	No. of employees/workers covered (D)	%(D/C)
Employees						
Permanent	30289	30289	100%	32335	32335	100%
Male	22915	22915	100%	24522	24522	100%
Female	7374	7374	100%	7813	7813	100%
Other than permanent	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Male	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Female	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/salary/ wages of respective category	Number	Median remuneration/salary/ wages of respective category
Board of Directors (BoD) (Excluding sitting fees of non-official and shareholder directors)	4	241735.38	Nil	Nil
Key Managerial Personnel	10	212061.9	1	212697.7
Employees other than BoD and KMP	22905	76053.94	7373	71054.64

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? **No**

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights Issues.

The Bank is committed to conducting business and dealing with all its stakeholders and staff with the highest ethical standards and in compliance with all applicable regulations. We ensure to maintain a healthy and safe environment for our workforce irrespective of their caste, Gender, Work, designation etc. Representations received on the platform of Human rights are dealt with fairly and transparently at the Regional and Zonal level. Bank has constituted a Board for review and assessment of all representation received on a quarterly basis. Bank has also policy on code of ethics, Business conduct, and conflict of Interest and has "Zero tolerance" for any deviation in the provision of the said policy.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2021-22 Current Financial Year			FY 2020-21 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	12	6		2	2	Complaint disposed of in FY 21-22
Discrimination at workplace	0	0	0	0	0	0
Child Labour	0	0	0	0	0	0
Wages	0	0	0	0	0	0
Other human Rights related issues	0	0	0	0	0	0

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Committee has been constituted at all Regional offices and Zonal offices under the provisions of POSH Act, 2013.

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? **Yes**

9. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Nil
Forced/involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

Leadership Indicators

- Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.
No complaints have been received under human rights grievances/complaints.
- Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.
The Bank endeavours to maintain a safe environment alongwith providing equal opportunity to all the staff members. Issues related to discrimination based on sex, gender, nationality, religion, disability, language etc. are subject to free and neutral scrutiny based on the nature of the issue as per provisioning of the Bank's Policy and regulatory stipulations the same is being resolved as per applicable policy, laws, and regulations.
- Is the premise/office of the entity accessible to differently-abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?
Various branches/offices of our Bank, have ramps/lifts for easy movement of differently-abled people. Most of our branches/ offices are located either on the ground floor or have elevators and infrastructure for differently-abled individuals.

4. Details on assessment of value chain partners:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	Nil
Forced/involuntary labour	Nil
Sexual harassment	Nil
Discrimination at workplace	Nil
Wages	Nil
Others – please specify	Nil

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above. **Not Applicable**

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 2021-22 Current Financial Year	FY 2020-21 Previous Financial Year
Total electricity consumption (A)	597.03 lakh kwh	598.06 lakh kwh
Total fuel consumption (B)	NIL	NIL
Energy consumption through other sources (C)	NIL	NIL
Total energy consumption (A+B+C)	597.03 lakh kwh	598.06 lakh kwh
Energy intensity per rupee of turnover (Total electricity consumption / turnover in rupees)	N/A	N/A

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any. **No**

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

The Bank's usage of water is restricted to human consumption purposes only. Efforts have been made to ensure that water is consumed judiciously in the office premises. The Corporation ensures that the domestic waste (sewage) from office and branches are not let into water bodies.

4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

No

5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format: **Not Applicable**

6. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format: **Not Applicable**

7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details. **Not Applicable**

8. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2021-22 Current Financial Year	FY 2020-21 Previous Financial Year
Total Waste generated		
Plastic waste (A)	*	*
E-waste (B)(₹ In lakh)**	806.55	759.25
Bio-medical waste (C)	Not Applicable	Not Applicable
Construction and Demolition waste (D)		
Battery waste (E)		
Radioactive waste (F)		
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-hazardous Waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)		
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)	806.55	759.25

*Wastes are disposed off through authorized re-sellers.

** Weight wise data not available.

9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Wastes are disposed off through authorized re-sellers as per guidelines. Equipment used are compliant to latest guidelines. No usage of hazardous and toxic chemicals in our products.

10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format: **Not Applicable**
11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year: **Not Applicable**
12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format: **Yes**

Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format:

Parameter	FY 2021-22 Current Financial Year	FY 2020-21 Previous Financial Year
From renewable sources		
Total electricity consumption (A)	Nil	Nil
Total fuel consumption (B)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (C)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	Nil	Nil
From non-renewable sources		
Total electricity consumption (D)	597.03 lakh kwh	598.06 lakh kwh
Total fuel consumption (E)	Nil	Nil
Energy consumption through other sources (F)	Nil	Nil
Total energy consumed from renewable sources (D+E+F)	597.03 lakh kwh	598.06 lakh kwh

2. Provide the following details related to water discharged: Not Applicable

Parameter	FY 2021-22 Current Financial Year	FY 2020-21 Previous Financial Year
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Surface water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) Third party water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment	Not Applicable	Not Applicable
(iv) Seawater / desalinated water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilolitres)		

3. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres): **Not Applicable**

4. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format: **Not Applicable**

5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities. **Not Applicable**

6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives: **Not Applicable**

7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

Yes, Our Bank has a Board approved BCP/ DR policy and it is circulated to all concerned for implementation. Each Department has identified its critical business functions and had a plan of action for resumption & recovery of critical Business processes in case of any eventuality/ disaster. The DR drills are being conducted by respective Departments for ensuring the robustness of the DR arrangements. Each branch has identified & linked to two nearby branches and are mapped by ROs to ensure the immediate start of all business activity of the Branch affected vide Circular no. 2986 dated 04.02.2022. The DR Drills are being carried out at periodic intervals for ensuring robust working of critical systems. The result of the DR drills is recorded & is being shared to respective verticals to take appropriate remedial /recovery measures.

8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?

No Adverse impact on the environment.

9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts. **Not Applicable**

PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations. - 9
- b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body the entity is a member of/ affiliated to).

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1.	Indian Banks Association (IBA)	National
2.	Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	National
3.	Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)	National
4.	National Institute of Bank Management (NIBM)	National
5.	National Payment Corporation of India (NPCI)	National
6.	International Chamber of Commerce (ICC)	National
7.	Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	National
8.	Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	National
9.	Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
	Nil	

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available
1.	KYC-AML Policy	Bank's Internal Policy	YES	ANNUAL	https://www.centralbankofindia.co.in/en
2.	Government Business Policy		YES	ANNUAL	
3.	Cheque Collection Policy		YES	ANNUAL	
4.	Policy on Bank Deposits		YES	ANNUAL	
5.	Policy on Safe Deposit Locker		YES	ANNUAL	
6.	Record Maintenance Policy		YES	ANNUAL	

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify)	Web Link, if available

7. Policy for settlement of claim of Deceased depositors and return of Articles in safe Deposit Lockers/ Safe Custody and Policy for Settlement of claims in respect of Missing Persons	YES	ANNUAL
8. Policy for Senior Citizens/ Disabled/ Incapacitated Account holders	YES	ANNUAL
9. Compensation Policy	YES	ANNUAL
10. Policy on Customer Grievances Redressal Mechanism	YES	ANNUAL
11. Customer Rights Policy	YES	ANNUAL

PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

- Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year. **Not Applicable**
- Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format: **Not Applicable**
- Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.
Grievance redressing mechanism is in place as per policy.
- Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:
No such data available.

Leadership Indicators

- Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above): **No negative social impact reported.**
- Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies: **Not applicable**
- Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? **Yes**
 - From which marginalized /vulnerable groups do you procure? **Micro & Small Enterprises**
 - What percentage of total procurement (by value) does it constitute? **No such data available**
- Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge: **Not Available**
- Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved. **Not Available**
- Details of beneficiaries of CSR Projects: **Not Available**

PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

- Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.
Grievance Redressal Mechanism:

To meet the needs of the Bank, the Grievance Redressal Mechanism has been improved. At each level of the Grievance Redressal Mechanism, duties and responsibilities have been clearly recognised and defined. To speed up the grievance redressal process, mechanisms for resolving complaints and Standard Operating Procedures have been created at all levels.

Grievance Redressal Policy: -

This policy aims at minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanisms and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The review mechanism should help in identifying shortcomings in product features and service delivery.

Customer care details on the website:-

The Bank has updated call centers details, helpline numbers for internet banking, mobile banking, UPI and BHIM app, NEFT handling team, nodal officers for pension, Banking Ombudsman, Customer Service, and Grievance Redressal nodal officer at Regional Office and Zonal Office on its website. The web link for the same is https://www.centralbankofindia.co.in/en/customer_care.

Further complaints can be submitted through Central Bank of India customer login <https://centralbankofindia.co.in/ogrs/customerlogin>.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

As a percentage to total turnover	
Environmental and social parameters relevant to the product	Not Applicable
Safe and responsible usage	
Recycling and/or safe disposal	

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2021-22 Current Financial Year			FY 2020-21 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Data privacy	-	-	-	-	-	-
Advertising	-	-	-	-	-	-
Cyber-security	-	-	-	-	-	-
Delivery of						
Essential services	-	-	-	-	-	-
Restrictive						
Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Unfair Trade						
Practices	-	-	-	-	-	-
Other	183566	923	All resolved	213958	4381	All resolved

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues: **Not Applicable**
5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, Since this is an internal document and not available on website.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

Corrective actions taken on issues relating to cyber security include:

- 2FA for digital transactions
- SMS to customers

- Alert Monitoring

Leadership Indicators

- Channels/platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).
 - website <https://www.centralbankofindia.co.in/en>,
 - Mobile Banking application in the name of "Cent Mobile" available at the play store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.CentralBank>) and app store (<https://apps.apple.com/in/app/centmobile/id1053790727>),
 - Mobile Passbook application in the name of "Cent m-Passbook" available at the play store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.cbiepassbook>) and app store (<https://apps.apple.com/in/app/cent-m-passbook/id950604171>)
 - Mobile UPI application in the name of "BHIM Cent UPI" available at the play store (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infrasofttech.centralbankupi>) and app store (<https://apps.apple.com/in/app/bhim-cent-upi/id1282995874>)
 - Social media network over Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCAIZ_H8-YpEOfQ0VeQ_XsnQ), Twitter (https://twitter.com/centralbank_in), Facebook (<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>), LinkedIn (<https://www.linkedin.com/company/centralbankofindia>) and Instagram (<https://www.instagram.com/centralbankofindiaofficial/>)
 - Toll-free number 1800 22 1911.
- Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

We are taking the following necessary steps for educating customers about the safe and responsible usage of Banks products and services:

 - Customers are informed about security tips via social media platforms such as Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, and Twitter.
 - Other platforms, such as Internet Banking and Mobile Banking, are used to raise awareness.
 - Customers are receiving Security Awareness Messages through SMS from the Bank.
 - Bank customers receive Cyber Security Awareness Tips through SMS when they receive transactional SMS/OTP SMS.
 - For customer awareness, security awareness messages are displayed on ATM slips.
 - Various Security Awareness Standees are prominently presented.
- Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Customers are informed through SMS or mail about any disruption due to technical reasons.
- Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? If yes, provide details in brief.

No

Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products/services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

Yes
- Provide the following information relating to data breaches:
 - Number of instances of data breaches along-with impact – No instance Reported yet
 - Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers – Not Applicable

Dividend Distribution Policy

I. DEFINITIONS :

- Dividend:** Dividend includes interim dividend. In common parlance, 'Dividend' means the profit of the Bank, which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in proportion to the amount paid up on the shares held by them.
- CRAR:** It is the ratio of the Bank's capital to its risk weighted assets.
- Dividend Payout Ratio:** 'Dividend payout ratio' is calculated as a percentage of dividend payable in a year' (excluding dividend tax) to 'net profit during the year'.
- Board:** Board means Board of Directors of the Bank constituted in terms of Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

II. Policy:

- The Policy will be called as 'Central Bank of India Dividend Distribution Policy.'
- General Principles of the Bank regarding distribution of dividend:

Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value. The dividend for each year would be recommended by the Board at its discretion as per the Policy guidelines, after taking into account the financial performance of the Bank, its future plans, internal and external factors, statutory restrictions, etc., for declaration by the shareholders in General Meeting. The Board may also declare interim dividend at its discretion.

III. Eligibility Criteria for declaration of dividend:

Bank will be eligible to declare dividends only when it complies with the following minimum prudential requirements;

- The Bank should have :
 - CRAR of at least 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend
 - Net NPA less than 7%.

In case the Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA is less than 5%.

- The Bank shall comply with the provisions of Sections 15 (which prohibits payment of dividend until all capitalized expenses have been written off) and Section 17 (which stipulates transfer of specified portion of profit to statutory reserve fund) of the Banking Regulation Act, 1949.
- The Bank shall comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.
- The proposed dividend should be payable out of the current year's Net Profit.
- The Reserve Bank of India should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

IV. Quantum of dividend payable :

- In terms of Government of India guidelines, the Bank shall pay a minimum dividend of 20% of its equity (i.e. paid up capital) or 20% of its post –tax profits, whichever is higher. In case, Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the bank based on the annual results should be as per the guidelines.

Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission from the Government of India.

- However in terms of the guidelines prescribed by Reserve Bank of India, the Bank, if it fulfills the eligibility criteria set out at Clause II Point No.3 above, may declare and pay dividends subject to the following:
 - The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished in Annexure.
 - In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extraordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.
 - The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by

the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

- iv. In case of non payment of interest on Basel-III Compliant bonds or non achievement of the Basel-III CRAR ratios including CCB, RBI puts restrictions on the dividend in their master circular issued for this purpose.

V. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations including the treatment of deferred tax assets etc., as may be applicable at the time of declaration of the dividend.

Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, the interim dividend paid, the Annual Financial Inspection findings of the Reserve Bank with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning, etc., the auditors' qualifications pertaining to the statement of accounts, future capital requirements, replacement of capital assets, etc. The decision of the Board regarding dividend shall be final.

VI. Provisions with regard to various classes of shares:

The Bank currently has only one class of shares, namely Equity Shares. In case of issuance of any other class

of shares in future, the parameters shall be decided suitably by the Bank at appropriate time. However, Bank shall follow the guidelines as applicable for preference shares, if raised.

VII. Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends. Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or cheques will be issued to the eligible shareholders.

VIII. Disclosure and Reporting:

- a. The Policy will be disclosed on the website of the Bank and a web link shall be provided in the Annual Report.
- b. The Bank shall report the details of dividend declared during the accounting year to RBI as per the proforma and timeline specified by RBI.
- c. The Bank shall declare and disclose the dividend on per share basis only as specified under SEBI (LODR) Regulations.

IX. Tenure

This Policy will be in force till the time it is not amended or revoked by the Board. In the event of variance on any matters, between the Policy and Regulatory changes made after approval of the current policy, the Regulatory Changes will be effective till the Policy is amended in line with the these changes.

Annexure

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio (As per RBI Circular No.RBI/2004-05/451; DBOD. NO.BP.BC. 88 / 21.02.067 / 2004-05 dated May 04, 2005)

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than Zero but <3%	From 3% to <5%	From 5% to <7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more In the current year	Upto 10	Upto 10	Up to 5	NIL

M/s **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
12 Ho Chi Minh Sarani, Suite No 2 (D, E & F)
2nd Floor, Kolkata 700071

M/s **A S K A & CO**
(Formerly known as, AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR)
Chartered Accountants
501, Mirage Arcade, Opp Ganesh Mandir, Off. Phadke Road
Dombivali East, Mumbai 421201

M/s **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
101, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri
(East) Mumbai 400063

M/s **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
C-7, Sector-E (New), Aliganj,
Lucknow-226024

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Central Bank of India
Mumbai

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying standalone financial statements of Central Bank Of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2022, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Head Office, 12 Zones, 1 Specialized Integrated Treasury Branch and 20 branches audited by us and 1869 branches audited by respective statutory branch auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2639 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 16.76 per cent of advances, 34.97 per cent of deposits, 9.27 per cent of interest income and 33.12 per cent of interest expenses.

- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required for the Bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
 - the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the

necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022;

- the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the standalone financial statements" section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter

- We draw attention to:
 - Note no. 15 (v) of Schedule 18 to the standalone financial statements regarding amortization of additional liability on revision of family pension amounting to ₹ 821.95 crore. The Bank has charged an amount of ₹ 544.52 crore to the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2022 and the balance unamortised expense has been carried

forward pursuant to RBI circular no. RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dt. 4th October, 2021.

- b) Note no. 1(d) of Schedule 18 to the standalone financial statements regarding set-off of accumulated losses amounting to ₹ 18724.22 crore against the available balance in share premium account after obtaining approval from the shareholders and the Reserve Bank of India.
- c) Note no. 20(g) of Schedule 18 to the standalone financial statements regarding deferred tax, wherein on the basis of tax review made by the Bank's management with respect to the possible tax benefits arising out of the timing difference, the net deferred tax asset of ₹ 6862.05 crore is recognised as on 31st March 2022 (₹ 7545.68 crore as on 31st March 2021).
- d) Note No. 11 of Schedule 18 to the standalone financial statements, which describes the

uncertainties due to the COVID-19 pandemic and management's evaluation of impact on the Bank's financial performance which will depend on future developments, which are uncertain.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended 31st March 2022. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	Auditors' response
1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances (refer Schedule 9 read with Note 2 of Schedule 17 to the standalone financial statements) Advances comprise substantial portion of the Bank's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein. Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provisions on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the standalone financial statements of the Bank.	Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular: » We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. » We assessed and evaluated the process of identification of NPAs, and corresponding reversal of income and creation of provision. » We have analyzed and understood key IT systems/applications used operational effectiveness of relevant controls including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have: » Timely recognized the depletion in the value of available security. » Made adequate provisioning based on such time-to-time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package. » We placed reliance upon the Independent Auditor's Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.



Key Audit Matters

2. Investments

Investment portfolio of the Bank comprises of investments in government securities, bonds, debentures, shares, security receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets.

Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 4 of Schedule 17 to the standalone financial statements)

The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc.

As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments.

Hence, the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process

The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions.

The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use.

The Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services.

Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the standalone financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

Auditors' response

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments. In particular:

- » We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.
- » Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines.
- » We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- » We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided.
- » We assessed that the standalone financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.

We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular:

- » We obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.
- » We tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner.

Key Audit Matters

Auditors' response

4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims:

Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 11 of Schedule 17 and Note No. 20. i. of Schedule 18).

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.

Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability.

However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage.

Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.

» We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the standalone financial statements, information other than the standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon.

We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.

We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank.

We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Information other than the standalone financial statements and Auditors' report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and the Pillar 3 disclosures under Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein,

we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and those charged with governance for the Standalone financial statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time ("RBI guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the standalone financial statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of

users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- » Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- » Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- » Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- » Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- » Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements/ information of 1869 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 2,30,319.41 crore as at 31st March 2022 and total revenue of ₹ 6,490.25 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 43.90 per cent of advances, 61.16 per cent of deposits and 22.92 per cent of non-performing assets as at 31st March 2022 and 25.19 per cent of revenue for the year ended 31st March 2022. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
10. In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2639 branches certified by the respective branch's management whose financial statements/ information reflect total assets of ₹ 58318.30 crore as at 31st March 2022 and total revenue of ₹ 2836.01 crore for the year ended on that date. These unaudited branches cover 16.76 per cent of advances, 34.97 per cent of deposits and 8.76 per cent of non-performing assets as on 31st March 2022 and 11.01 per cent of revenue for the year then ended.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The standalone Balance sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 10 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
13. As required by letter No. DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
 - c) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
 - d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter No. DOS. ARG. No. 6270/ 08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in

Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the standalone financial statements as at 31st March 2022.

14. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) the standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement

dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

(CA RITESH AGRAWAL)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN:22062410AIPWFO9548

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

(CA VIJAY SHELAR)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN:22101504AIPVUC2673

Place : Mumbai
Date : May 9th, 2022

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

(CA KIRAN K. DAFTARY)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN:22010279AIPVUH9802

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN:22018808AIPVVF2318

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

(Referred to in paragraph 12 (e) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting of Central Bank of India (“the Bank”) as at March 31, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank’s branches.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor’s Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls

over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

4. A Bank’s internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank’s internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank’s assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

5. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate

because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

6. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

(CA RITESH AGRAWAL)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN:22062410AIPWFO9548

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

(CA VIJAY SHELAR)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN:22101504AIPVUC2673

Place : Mumbai
Date : May 9th, 2022

Other Matters

7. Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 70 (seventy) branches is based on the corresponding reports of the respective Central Statutory Auditors / Statutory Branch Auditors of those branches.

During our testing of the internal financial controls over financial reporting and based on the report of the branch auditors, certain matters were noticed by us. Bank needs to further strengthen the process including alteration of the existing Risk Control Matrix (RCM) and designing a few more RCMs. Our suggestions in this regard have been submitted to the management to further strengthen the internal financial controls over financial reporting of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

(CA KIRAN K. DAFTARY)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN:22010279AIPVUH9802

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN:22018808AIPVVF2318

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Balance sheet

as at March 31, 2022

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	Year Ended 31-Mar-22 (₹)	Year Ended 31-Mar-21 (₹)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	8,68,09,394	5,87,55,625
Share Application Money Pending Allotment	1a	-	4,80,00,000
Reserves and Surplus	2	18,84,57,659	15,82,95,276
Deposits	3	3,42,69,19,375	3,29,97,29,496
Borrowings	4	7,47,43,610	5,46,86,391
Other Liabilities and Provisions	5	8,87,25,895	7,26,83,150
TOTAL		3,86,56,55,933	3,69,21,49,938
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	38,03,36,974	32,18,78,420
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	15,06,06,268	6,76,34,665
Investments	8	1,40,78,69,475	1,48,58,24,347
Advances	9	1,68,17,35,000	1,56,57,86,472
Fixed Assets	10	4,95,50,429	5,13,24,206
Other Assets	11	19,55,57,787	19,97,01,828
TOTAL		3,86,56,55,933	3,69,21,49,938
Contingent Liabilities	12	1,75,95,31,053	92,13,90,013
Bills for Collection	-	11,37,50,285	11,89,87,673
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

ALOK SRIVASTAVA

Executive Director

VIVEK WAHI

Executive Director

RAJEEV PURI

Executive Director

M V RAO

Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH

Director

SHRI P. J. THOMAS

Director

SHRI DINESH PANGTEY

Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI

Director

For **S JAYKISHAN**

Chartered Accountants

F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**

Chartered Accountants

F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**

Chartered Accountants

F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**

Chartered Accountants

F.R. No. 000291N

(CA RITESH AGRAWAL)

PARTNER

M. No. 062410

UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)

PARTNER

M. No. 010279

UDIN:22010279AIPWCE5031

(CA VIJAY SHELAR)

PARTNER

M. No. 101504

UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)

PARTNER

M. No. 018808

UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai

Date: May 9th, 2022



PROFIT AND LOSS ACCOUNT

for the year ended March 31, 2022

(000 IN Crores)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As at 31-Mar-22 (₹)	As at 31-Mar-21 (₹)
I. INCOME			
Interest Earned	13	22,80,16,476	22,73,02,329
Other Income	14	2,96,84,840	3,11,56,742
TOTAL		25,77,01,316	25,84,59,071
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	13,31,48,828	14,48,51,898
Operating Expenses	16	7,25,80,987	6,78,22,330
Provisions and Contingencies		4,15,23,220	5,46,60,689
TOTAL		24,72,53,035	26,73,34,917
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM		1,04,48,281	(88,75,846)
Less: Prior period Item		-	-
Net Profit/(Loss) for the year after Prior period item		1,04,48,281	(88,75,846)
Balance of Profit/(Loss) as per last Balance sheet brought		(18,72,42,173)	(17,52,93,938)
Amount transferred from Share Premium A/c		18,72,42,173	-
TOTAL		1,04,48,281	(18,41,69,784)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		26,12,100	-
Investment Fluctuation Reserve		65,80,920	
Investment Reserve		12,55,261	30,72,389
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	-
Staff Welfare Fund		-	-
Revenue Reserve		-	-
Fund in lieu of Insurance			
Proposed Dividend - Preference Capital		-	-
Proposed Dividend - Equity Capital		-	-
Dividend Tax		-	-
Balance carried over to Balance Sheet		-	(18,72,42,173)
TOTAL		1,04,48,281	(18,41,69,784)
EPS (Basic & Diluted) in ₹ (nominal value ₹ 10/- per share)		1.27	(1.53)
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH
Director

SHRI P. J. THOMAS
Director

SHRI DINESH PANGTEY
Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI
Director

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(**CA RITESH AGRAWAL**)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN:22062410AIPWMB7737

(**CA KIRAN K. DAFTARY**)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN:22010279AIPWCE5031

(**CA VIJAY SHELAR**)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN:22101504AIPWBV8382

(**CA P. R. KARANTH**)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai

Date: May 9th, 2022

Schedules forming part of the Balance Sheet

as at March 31, 2022

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		10,00,00,000		10,00,00,000
1000,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
(previous year 1000,00,00,000 shares) of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares	8,68,09,394		5,87,55,625	
8680939432 Equity Shares (previous year 5875562460 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 8080391687 Equity shares (previous year 5275014715 Equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		8,68,09,394		5,87,55,625
1.a. Share Application money pending Allotment		-		4,80,00,000
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,06,35,979		2,06,35,979	
Additions during the year	26,12,100		-	
		2,32,48,079		2,06,35,979
II. Capital Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1,62,97,813		1,32,25,424	
Additions during the year	12,55,261		30,72,389	
		1,75,53,074		1,62,97,813
III. Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	3,79,22,814		2,96,25,988	
Additions - during the year	-		88,19,556	
Less : Transfer to Revenue Reserves	5,41,238		5,09,495	
Deductions during the year	2,32,128		13,235	
		3,71,49,448		3,79,22,814
IV. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	24,19,62,271		24,10,70,269	
Less: Transferred to the Balance in P & L A/c	18,72,42,173		-	
Additions during the year	1,99,46,230		8,92,002	
		7,46,66,328		24,19,62,271
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act		10,00,000		10,00,000
VI. Revenue and Other Reserves				
i) Investment Fluctuation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	-		-	
Add : Addition during the year	65,80,920		-	



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
Less: Deductions during the year	-			
		65,80,920		-
ii) Revenue Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	2,77,18,572		2,69,33,380	
Add : Transfer from Revaluation Reserve	5,41,238		5,09,495	
Additions/Adjustment during the year	-		2,75,697	
Less: Deductions during the year	-			
		2,82,59,810		2,77,18,572
VII. Balance in Profit and Loss Account		-		
Balance as per last Balance Sheet	(18,72,42,173)			
Add: Balance transferred from Share Premium A/c.	18,72,42,173			
Net Balance		-		(18,72,42,173)
TOTAL		18,84,57,659		15,82,95,276
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	1,03,37,153		65,67,481	
ii) From Others	16,51,49,281		16,25,93,515	
		17,54,86,434		16,91,60,996
II. Savings Bank Deposits		1,55,96,51,980		1,45,66,70,191
III. Term Deposits				
i) From Banks	62,23,208		43,92,999	
ii) From Others	1,68,55,57,753		1,66,95,05,310	
		1,69,17,80,961		1,67,38,98,309
TOTAL		3,42,69,19,375		3,29,97,29,496
B. i) Deposits of Branches in India		3,42,69,19,375		3,29,97,29,496
ii) Deposits of Branches outside India				
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	1,76,40,000		1,76,40,000	
ii) Other Banks	839		20,042	
iii) Other Institutions & Agencies	2,57,11,771		6,35,349	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	-		50,00,000	
v) Upper Tier II bonds	-		-	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,91,000		13,91,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	3,00,00,000		3,00,00,000	
		7,47,43,610		5,46,86,391
II. Borrowings outside India		-		-
TOTAL		7,47,43,610		5,46,86,391
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable		1,11,47,968		78,43,261
II. Inter Office Adjustments (Net)		1,90,081		1,02,978
III. Interest Accrued		77,44,537		74,69,906
IV. Deferred Tax Liability		-		-
V. Others (including provisions)		6,96,43,309		5,72,67,005
TOTAL		8,87,25,895		7,26,83,150
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,45,54,487		1,47,51,586
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	13,67,22,487		14,71,26,834	
In Other Accounts	22,90,60,000		16,00,00,000	
		36,57,82,487		30,71,26,834
TOTAL		38,03,36,974		32,18,78,420
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	2,57,604		5,07,341	
b) In Other Deposit Accounts	17,291		13,815	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		20,00,000	
b) With Other Institutions	6,40,128		-	
		9,15,023		25,21,156
II. Outside India				
a) In Current Accounts	10,62,153		6,51,13,509	
b) In Other Deposit Accounts	14,86,29,092		-	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
		14,96,91,245		6,51,13,509
TOTAL		15,06,06,268		6,76,34,665
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,05,50,89,160		1,10,35,84,201	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	88,33,691		79,19,176	
iv) Debentures and Bonds	33,77,84,388		35,39,72,427	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	25,79,832		25,79,832	
vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	31,07,519		1,72,93,826	
		1,40,73,94,590		1,48,53,49,462
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		4,74,885		4,74,885
TOTAL		1,40,78,69,475		1,48,58,24,347



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
* Investments in India				
Gross Value	1,46,71,17,739		1,53,77,25,730	
Less: Provision for Depreciation	5,97,23,149		5,23,76,268	
Net Value		1,40,73,94,590		1,48,53,49,462
** Investments outside India				
Gross Value	4,74,885		4,74,885	
Less: Provision for Depreciation	-		-	
Net Value		4,74,885		4,74,885
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	2,40,31,721		89,00,535	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	70,22,91,110		70,35,42,501	
iii) Term Loans	95,54,12,169		85,33,43,436	
TOTAL		1,68,17,35,000		1,56,57,86,472
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets	1,55,92,58,701		1,52,34,13,189	
(including advances against Book Debts)				
Including advances against Book Debts of ₹1671871('000's omitted) as at 31 st March 2022, as against ₹ 1584789('000's omitted) as at 31 st March 2021.				
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	1,32,94,746		3,66,01,365	
iii) Unsecured	10,91,81,553		57,71,918	
TOTAL		1,68,17,35,000		1,56,57,86,472
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	86,05,76,958		80,84,25,818	
ii) Public Sector	4,14,01,906		5,09,87,479	
iii) Banks	53,224		4,926	
iv) Others	77,97,02,912		70,63,68,249	
TOTAL		1,68,17,35,000		1,56,57,86,472
(II) Advances outside India	-		-	
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31 st March of the preceding year	4,91,01,269		4,02,25,174	
Additions during the year	25,445		88,89,449	
Total	4,91,26,714		4,91,14,623	
Deductions / Adjustments during the year	3,14,796		13,354	
Total	4,88,11,918		4,91,01,269	
Depreciation to date	91,65,015		85,28,592	
Total		3,96,46,903		4,05,72,677

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31 st March of the preceding year	3,53,05,979		3,41,66,836	
Additions / Adjustments during the year	23,46,422		31,41,004	
Total	3,76,52,401		3,73,07,840	
Deductions / Adjustments during the year	11,02,236		20,01,861	
Total	3,65,50,165		3,53,05,979	
Depreciation to Date	2,66,46,639		2,45,54,450	
Total		99,03,526		1,07,51,529
TOTAL (I & II)		4,95,50,429		5,13,24,206
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	2,17,76,858		2,25,48,629	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	3,96,32,629		4,23,72,140	
III. Stationery and Stamps	2,25,424		2,05,552	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims				
V. Deferred Tax Assets	6,86,20,500		7,54,56,800	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	-		-	
VII. Others	6,53,02,376		5,91,18,707	
TOTAL		19,55,57,787		19,97,01,828
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		14,20,497		13,83,689
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		2,40,55,801		1,77,15,073
II. Liability for partly paid Investments		26,89,347		35,59,282
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		1,59,08,50,230		73,37,62,848
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	8,83,87,515		10,69,33,332	
b) Outside India	58,26,051		63,28,682	
		9,42,13,566		11,32,62,014
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		2,43,01,093		2,64,31,675
VI. Other item for which the bank is contingently liable		2,20,00,519		2,52,75,432
TOTAL		1,75,95,31,053		92,13,90,013



Schedules forming part of the Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2022

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-22 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-21 (₹)
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	11,50,06,591	11,63,83,361
II. Income on Investments	9,26,35,596	10,00,89,617
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds	1,23,81,061	67,60,466
IV. Others	79,93,228	40,68,885
TOTAL	22,80,16,476	22,73,02,329
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,42,47,404	1,04,17,203
II. Profit on Sale of Investments (Net)	49,10,035	1,38,05,508
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	(27,68,771)	(5,15,400)
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	91,365	(2,09,976)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	19,92,437	8,66,918
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	80,103	64,778
VII. Miscellaneous Income	1,11,32,267	67,27,711
TOTAL	2,96,84,840	3,11,56,742
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	12,84,76,515	13,99,40,735
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	7,17,858	32,564
III. Others	39,54,455	48,78,599
TOTAL	13,31,48,828	14,48,51,898
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	4,47,19,052	4,14,13,063
II. Rent, Taxes and Lighting	48,17,519	49,40,807
III. Printing and Stationery	2,65,002	2,65,400
IV. Advertisement and Publicity	1,31,795	47,864
V. Depreciation on Bank's property	29,66,139	29,23,187
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	5,164	5,379
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	3,07,403	2,84,431
VIII. Law Charges	1,77,675	1,52,867
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	9,47,807	9,69,949
X. Repairs and Maintenance	16,21,188	11,66,162
XI. Insurance	42,80,618	43,80,795
XII. Other Expenditure	1,23,41,625	1,12,72,426
TOTAL	7,25,80,987	6,78,22,330

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background

Central Bank of India (the Bank) is a body corporate registered under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. The principal business is providing banking and financial services with wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies and institutional customers. The business is conducted through its branches in India. The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

B. Basis of preparation:

The financial statements have been prepared following the going concern concept on historical cost basis except in respect of revaluation of premises and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the banking industry in India.

C. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. The management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Actual results could differ from these estimates. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/ materialised.

D. Significant accounting policies:

1. Revenue recognition

1.1 General

- Income/ expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.
- In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures

are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

- Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

1.2 Income from investments

- The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, profit on sale of investments in the Held to Maturity (HTM) category is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".
- Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
 - on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- Dividend income is recognized when right to receive the dividend is established.
- Upside on security receipts is recognised on realisation as 'Other income'.

1.3. Sale of financial assets

Financial Assets sold are recognized as under:

- The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI. When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account in the year of sale.
- In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

1.4. Fee based income

Commission on letters of credit, bank guarantee and deferred payment guarantee are recognised on accrual basis proportionately over the period. All

other commission and fee income are recognised on their realisation.

2. Advances:

2.1 Based on the guidelines/ directives issued by the RBI, loans and advances are classified as performing and non-performing, as follows:

- The term loan is classified as a non-performing asset, if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
- An overdraft or cash credit is classified as a non-performing asset, if, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the previous 90 days period.
- The bills purchased/ discounted are classified as non-performing asset if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.
- The agricultural advances are classified as a non-performing if, (i) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (ii) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

2.2 Non-performing assets are classified into sub-standard, doubtful and loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

2.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard assets:

- A general provision of 15% on the total outstanding.
- Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio).

- Unsecured Exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%.

Doubtful Assets:

- Secured portion	Up to one year- 25%
	One to three years- 40%
	More than three years- 100%
- Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

2.4 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and claims received from CGTSI/ ECGC, etc.

2.5 For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which inter alia require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.

2.6 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

2.7 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

2.8 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

2.9 Additional provisions higher than regulatory norms are made in specific assets in view of the identified weakness and/ or prevailing economic situation.

2.10 Partial recoveries in non-performing account are appropriated in the following order:

- Principal Overdues/Irregularities.
- Unrealised interest.
- Write Off.
- Uncharged Interest

In case of suit filed/SARFAESI/ recalled market accounts, recovery is appropriated in the following order:

- Ledger outstanding balance.

- ii. Unrealised interest.
- iii. Write Off.
- iv. Uncharged Interest

However, where any borrower account is required to be classified as non-performing from an earlier date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long-Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

3 Provision for country exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others".

4. Investments:

Investments are accounted for in accordance with the extant guidelines of investment classification and valuation, as given below:

4.1 Classification:

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity (HTM)", "Held for Trading (HFT)" and "Available for Sale (AFS)" categories.

For disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, investments are classified as Investments in India and outside India.

Under each category, the investments in India are further classified as

- a) Government Securities
- b) Other Approved Securities
- c) Shares
- d) Debentures and Bonds
- e) Subsidiaries, joint ventures and sponsored institutions; and

- f) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

The investments outside India are further classified under 3 categories

- a) Government Securities
- b) Subsidiaries and Joint Ventures
- c) Other Investments

4.2 Basis of Classification:

Classification of an investment is done at the time of purchase into the following categories:

- a) Held to Maturity: Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- b) Held for Trading: Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".
- c) Available for Sale: Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)".
- d) Transfer of Securities between categories: An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the regulatory guidelines.
- e) Investments in subsidiaries, joint ventures and sponsored institutions are classified as HTM except in respect of those investments which are acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal. Such investments are classified as AFS.

4.3 Valuation:

The transactions in all securities are recorded on a Settlement Date and cost is determined on the weighted average cost method.

- a) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- b) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to the Profit and Loss Account as revenue expenses.
- c) x period interest paid/ received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/ sale consideration.



a) Valuation of investments classified as Held to Maturity:

The investments classified under this category are carried at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium is accounted as income on investments.

Investments (in India and abroad) in subsidiaries, joint ventures and associates are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost (i.e. book value).

b) Valuation of investments classified as Available for sale and Held for Trading:

Investments classified as Available for Sale and Held for Trading are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines and the net depreciation if any, of each group for each category (viz.(i) Government securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Bonds and Debentures, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) others) is provided for and net appreciation is ignored.

c) Valuation policy in event of inter category transfer of investments:

- i) Transfer of securities from HFT/ AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- ii) Transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/ book value. On transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided, in the Profit and Loss Account.

d) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts:

- i) The investment in security receipts obtained by way of sale of NPA to SC/ RC, is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held) of the financial asset; and

(ii) Redemption value of SR.

- ii) SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

e) Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

4.4 Investments (NPI):

Investments are classified as performing and non-performing, based on "Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021" and "Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances", as under:

- a) Interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days. The same is applied to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- b) In the case of equity shares, in the event the investment in shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c) The Bank also classifies an investment as a non-performing investment, in case any credit facility availed by the same borrower/ entity has been classified as a non-performing asset and vice versa.
- d) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

4.5 Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions

The Bank enters into repurchase and reverse repurchase transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and also with market participants. Repurchase transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse repurchase transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as overnight Tri-

party Repo (TREPS) dealing and settlement.

- b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.
- c) The above entries are reversed on the date of maturity. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

5. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

5.1 Derivatives used for hedging are accounted as under:

- a) In cases where the underlying assets/ liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- b) Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying assets/ liabilities are also marked to market.
- c) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/ liabilities.

5.2 Derivatives used for trading are accounted as under:

- a) Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- b) Mark to market profit or loss is accounted by credit/ debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in the Bank's profit and loss account on final settlement.
- c) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market losses are booked and gains, if any, are ignored on net basis.

- d) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/ expense under the above head.

6. Transactions involving foreign exchange:

- 6.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.
- 6.2 Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India ("FEDAI") closing (spot/ forward) rates and the resultant profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign currency non-monetary items, which are carried at historical cost, are reported using the exchange rate on the date of the transaction.

Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- 6.3 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- 6.4 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

7. Fixed assets and depreciation:

- 7.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortisation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes and professional fees incurred on the asset before it is put to use.

- 7.2 Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 7.3 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

Premises At varying rates based on estimated life

- a) Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%

- b) Vehicles, Plant & Machinery 20%
- c) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%.
- d) Computers including Systems Software 33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

- 7.4 Other fixed assets are depreciated on Straight Line Method on the basis of estimated useful life of the assets.
- 7.5 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.
- 7.6 Where it is not possible to segregate the cost of land and premises, depreciation is charged on the composite cost.
- 7.7 In case of assets, which have been revalued, the depreciation/ amortization is provided on the revalued amount and is charged to the Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation/ amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to 'Revenue and Other Reserves'.
- 7.8 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year.

No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year on assets sold after 30th September.
- 7.9 The Bank considers only immovable assets for revaluation. Properties acquired during the last three years are not revalued. Valuation of the revalued assets is done every three years thereafter.
- 7.10 The increase in net book value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account.

Additional depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.
- 7.11 The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

8 Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. Employee Benefits:

- 9.1 Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees.

9.2 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

9.3 Defined benefit plans:

The Bank operates Gratuity and Pension schemes which are defined benefit plans.

- a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation.
- b) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

- c) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.
- d) When the benefits of the plan are changed, or when a plan is curtailed or settlement occurs, the portion of the changed benefit related to past service by employees, or the gain or loss on curtailment or settlement, is recognized immediately in the profit or loss account when the plan amendment or when a curtailment or settlement occurs.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.
- e) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

9.4 Defined Contribution Plan:

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates.

The obligation of the bank is limited to such fixed contribution.

The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

10. Accounting for Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – “Accounting for Taxes on Income” respectively.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods.

Deferred tax assets are recognised only to the extent

that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization.

Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss Account.

11. Provisions, Contingencies and Contingent assets:

11.1 In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

11.2 No provision is recognised for:

- a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - i. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - ii. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

11.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is made on estimated basis.

11.4 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

12 Special Reserves:

Revenue and other Reserve include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that it has no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

13 Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the

Accounting Standard 17 – “Segment Reporting” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

14 Earnings per Share:

- The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – “Earnings per Share” issued by the ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.
- Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

ALOK SRIVASTAVA

Executive Director

VIVEK WAHI

Executive Director

RAJEEV PURI

Executive Director

M V RAO

Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH

Director

SHRI P. J. THOMAS

Director

SHRI DINESH PANGTEY

Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI

Director

For **S JAYKISHAN**

Chartered Accountants

F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**

Chartered Accountants

F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**

Chartered Accountants

F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**

Chartered Accountants

F.R. No. 000291N

(CA RITESH AGRAWAL)

PARTNER

M. No. 062410

UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)

PARTNER

M. No. 010279

UDIN:22010279AIPWCE5031

(CA VIJAY SHELAR)

PARTNER

M. No. 101504

UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)

PARTNER

M. No. 018808

UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai

Date: May 9th, 2022

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Regulatory Capital:

- a) Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2022 is ₹ 8,680.94 crore, which is increased from ₹ 5,875.56 crore of previous year by issuance and allotment of fresh 280,53,76,972 equity shares of ₹ 10 each to President of India (Government of India) on preferential basis at an issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share on 29.05.2021. With this allotment, shareholding of President of India (Government of India) in the Bank has increased from 89.78% to 93.08%.

b) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	PARTICULARS	As at 31-Mar-22	As at 31-Mar-21
1.	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	17,049.44	19,096.57
2.	Additional Tier 1 capital	0.00	0.00
3.	Tier 1 Capital (i+ii)	17,049.44	19,096.57
4.	Tier 2 Capital	3,510.43	2,966.47
5.	Total Capital (Tier 1+ Tier 2)	20,559.87	22,063.04
6.	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	1,48,506.29	1,48,916.58
7.	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	11.48%	12.82%
8.	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	11.48%	12.82% (Note 3)
9.	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.36%	1.99%
10.	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	13.84%	14.81%
11.	Leverage Ratio	4.25%	5.00%
12.	Percentage of the shareholding of Government of India	93.08%	89.78%
13.	Amount of paid-up equity capital raised during the year	NIL (Note 2)	5055
14.	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year of which:	NIL	NIL
	a) NIL	NIL	NIL
	b) NIL	NIL	NIL
15.	Amount of Tier 2 capital raised during the year of which: (Give list as per instrument type) Commercial banks shall also specify if the instrument are Basel II or Basel III compliant	NIL	NIL

Note: 1. The said computation of Capital to Risk weighted asset Ratio & Leverage ratio is arrived at after considering the effect of Net Present Value of non-interest bearing recapitalization bond infused as capital by the Government of India during the FY ended 31.03.2021. Without considering the said adjustment, CET 1 ratio is 13.39%, Tier 1 ratio is 13.39%, Tier 2 ratio 2.36% , CRAR is 15.75% and Leverage ratio is 4.98% as on 31-03-2022.

Note: 2. capital funds of ₹ 4,800 crores was received from Government of India on 31.03.2021 towards preferential allotment of equity shares. The amount was kept in share application money account pending allotment and considered as part of CET1 capital for financial year ended on 31.03.2021 with the prior approval of Reserve Bank of India. The resultant 280,53,76,972 equity shares of ₹ 10 each was allotted to President of India (Government of India) at an issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share on 29.05.2021. Though the paid up equity share capital of the Bank was increased in financial year ended on 31.03.2022, the increase in CET 1 capital was factored in previous financial year ended on 31.03.2021. Therefore, no fresh capital infusion was shown in the financial year ended on 31.03.2022.

Note: 3. Capital ratios as assessed by RBI (considering interalia effect of NPV of non interest bearing recapitalization bond) in its Risk Assessment Report for the FY ended 31st March 2021 are CRAR – 12.78% and CET 1&Tier 1 Ratio – 10.79%

The said computations of Capital to Risk Weighted Average Ratio and Leverage Ratio has been reckoned after taking into effect of the present value of non-interest carrying recapitalization bond.

c) Draw down from reserves

During the financial year 2021-22, Bank has not drawn down any Reserves.

d) Set-off of accumulated losses

On 6th September, 2021 the Bank has set-off the accumulated losses of ₹ 18724.2174 crore as at 31st March, 2021 against the available balance in the share premium account after obtaining approval from the shareholders as well as the Reserve Bank of India.

2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities are as follows: -

Period	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1516.87	2940.12	2888.41	4588.65	8893.78	8636.28	12890.58	24895.30	154125.01	62862.65	58454.28	342691.94
Advances	1310.10	408.20	544.90	2570.13	3543.48	3195.04	5233.16	10404.10	90440.66	16139.71	34384.02	168173.50
Investments	42936.96	1022.77	1533.68	331.59	4485.87	1054.03	2607.41	6143.02	14123.63	22811.90	43736.08	140786.95
Borrowings #	3.28	-	64.77	-	64.77	67.81	245.33	534.28	3349.06	5.96	-	4335.26
Foreign Currency assets	611.07	847.09	202.83	6886.57	-	7844.80	23491.25	47715.46	79.51	0.61	-	87679.20
Foreign Currency liabilities	320.27	1155.33	42.28	6953.63	-	8148.52	22304.46	47682.45	1023.44	39.91	-	87670.29

Note: - # Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been compiled on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management.

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

LCR Qualitative Disclosures:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquidity Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar date and horizon under significantly severe liquidity stress scenario.

LCR has been defined as :

Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

Total net cash outflow over the next 30 calendar days

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is one of the Basel Committee's key reforms to develop a more resilient banking sector. The LCR is expected to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, thus reducing the risk of spill over from the financial sector to the real economy. The Liquidity Risk Management of the Bank is governed by the Asset Liability Management (ALM) Policy approved by the Board.

NOTE: In accordance with RBI Circular no. RBI/2014-15/529 DBR No. BP:BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31st March 2015 guidelines; the LCR is calculated by dividing a Bank's stock of HQLA by its total net cash outflows over a 30-day- stress period. The line items significant to LCR are:



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आज़ादी के लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

FINANCIALS

REPORTS

NOTICE

STRATEGY

Liquidity Coverage ratio (LCR) – Quantitative Disclosure

(Amount in ₹ Crore)

		30.06.2021		30.09.2021		31.12.2021		31.03.2022	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		130947		134460		133402		128085
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:								
(i)	Stable deposits	165111	8256	163910	8196	162803	8140	164395	8220
(ii)	Less stable deposits	134825	13483	137803	13780	139520	13952	141041	14104
3	Unsecured wholesale funding of which:								
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	29883	12715	29853	12680	31100	13118	30852	13189
iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding								
5	Additional requirements, of which								
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	8133	8133	6281	6281	9749	9749	17522	17522
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	12925	1377	13188	2117	14074	2252	15175	2320
6	Other contractual funding obligations	2470	2470	2446	2446	2851	2851	2913	2913
7	Other contingent funding obligations	77308	3591	92266	4346	91701	4326	131981	6350
8	Total Cash Outflows		50024		49846		54388		64617
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	17879	0	23506	0	29605	0	26828	0
10	Inflows from fully performing exposures	1367	1367	5467	5467	3809	3809	1777	1777
11	Other cash inflows	15308	13983	11951	11028	14691	13717	22466	21698
12	Total Cash Inflows	34554	15350	40925	16495	47798	17525	51071	23475
		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value	
13	TOTAL HQLA		130947		134460		133402		128085
14	Total Net Cash Outflows		34673		33351		36863		41142
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		377.66%		403.17%		361.89%		311.32%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures

Line items significant to LCR	Explanatory Notes
A The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	The main drivers of LCR results are : 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR; the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF), FALLCR & excess SLR investments. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
B Intra-period changes as well as changes over time	Not Applicable
C The composition of HQLA	The HQLA comprises of the following: 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 15.00% of NDTL (FALLCR) as per RBI circular no. RBI/2018-19/164 DBR.BP.BC. No.34/ 21.04.098/2018-19 dated 04/04/2019. 2. Level 2A assets comprises of Special (Discom) Bonds issued by State Government, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies and bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 3. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 4. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.
D Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).
E Derivative exposures and potential collateral calls	Derivative exposure of the bank consists of the following: 1. OTC Derivatives a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap 2. Exchange Traded Derivatives a) Currency Futures b) Interest Rate Futures Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement , is signed with the counterparties. For exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market. All Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). Bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) with CCIL for guaranteed settlement of Interbank USD/ INR Swaps and Forwards.

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Line items significant to LCR	Explanatory Notes
	The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same. At present, Bank does not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.
F Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. Bank doesn't have currency mismatch in LCR as bank does not have exposure in 'significant' currency.
G Degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, CBS, ALM team & other functional units are seamless.
H Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
I Other Information	None

The average LCR for the quarter ended March 31, 2022 was at 311.32% as against 417.10% for the quarter ended March 31, 2021 and well above the present prescribed minimum requirement of 100%.

The average HQLA for the quarter ended March 31, 2022 was 1,28,085 crore as against 1,29,693 crore for the quarter ended March 31, 2021.

The average LCR for the year ended March 31, 2022 was at 360.81 % as against 386.91% for the year ended March 31, 2021.

c) Net Stable Funding ratio (NSFR):

DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) AS ON 31.03.2022

Reserve Bank of India vide its circular no. BR.BP.BC.No.106/21.04.098/2017-18 May 17, 2018 had issued guidelines on "Basel III Framework on Liquidity Standards – Net Stable Funding Ratio (NSFR)". The guidelines for NSFR were effective from October 1, 2021.

NSFR indicates institution's resilience to have a stable funding profile over a time horizon of one year. It is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

NSFR for the quarter ended 31st March 2022 is 168.67%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

(₹ in Crore)	Mar-22					Dec-21				
	Unweighted value by residual maturity					Unweighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
ASF Item										
1 Capital: (2+3)	23592.62	-	-	3,000.00	26,592.62					
2 Regulatory capital	23453.52	-	-	2,200.00	25653.52	28178.03	-	-	-	28178.03
3 Other capital instruments	139.10	-	-	800.00	939.10	1439.10	-	-	-	1439.10
4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)			270607.03		252969.53			260760.93		243645.89
5 Stable deposits	-	-	188464.00	-	179040.80	-	-	179221.18	-	170260.12
6 Less stable deposits	-	-	82143.03	-	73928.73	-	-	81539.75	-	73385.78
7 Wholesale funding: (8+9)	16683.97	10081.53	9028.04	1420.66	9317.18			7069.19		8148.25
8 Operational deposits	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
9 Other wholesale funding	16683.97	10081.53	9028.04	1420.66	9317.18	16400.48	9497.49	7069.19	4226.59	8148.25
10 Other liabilities: (11+12)	-	-	11,635.86	36,963.19	38,319.55					
11 NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 All other liabilities and equity not included in the above categories	-	-	11635.86	36963.19	38319.55	-	-	3668.53	52164.96	56492.05
13 Total ASF (1+4+7+10)					327198.88					337903.33
RSF Item										
14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					7075.67					8473.75
15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	1851.03	1918.66	126795.13	99533.47	-	1213.06	1833.73	77318.86	58916.03
17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	1,851.03	1,918.66		1236.99	-	1,213.06	1,833.73	-	1098.82



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रिय"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



FINANCIALS

REPORTS

NOTICE

STRATEGY

	Mar-22					Dec-21				
	Unweighted value by residual maturity					Unweighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
(₹ in Crore)										
19 Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	-	-	-	106,678.64	85220.77	-	-	-	57,811.29	45137.29
20 With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	27,280.38	17732.25	-	-	-	20,011.53	13007.50
21 Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	20116.4934	13075.72	-	-	-	19507.57	12679.92
22 With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	20,116.49	13075.72	-	-	-	19,507.57	12679.92
23 Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	0.00	31182.94	67829.17	81390.86	-	-	43058.30	106265.06	124949.90
25 Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
26 Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	-	-	-	7934.85	6744.62	-	-	-	12380.00	10523.00
27 NSFR derivative assets	-	-	-	87.28	87.28	-	-	-	143.11	143.11
28 NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	-	-	-	28.45	28.45	-	-	-	48.32	48.32
29 All other assets not included in the above categories	-	-	31182.94	59778.59	74530.51	-	-	43058.30	93693.63	114235.47
30 Off-balance sheet items	-	-	-	191081.61	5983.68	-	-	-	164988.05	5206.93
31 Total RSF (14+15+16+24+30)	-	-	-	193983.68	193983.68	-	-	-	164988.05	197546.62
32 Net Stable Funding Ratio (%)	-	-	-	168.67%	168.67%	-	-	-	168.67%	171.05%



3. Investments

a. Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2022

(Amount in ₹ Crore)

	Investments in India				Investments Outside India			Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	others	Total investments in india (including local authorities)	Total investments outside india
Held to Maturity								
Gross	72813.03	-	7.54	27551.75	257.98	126.28	100756.59	47.49
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	72813.03	-	7.54	27551.75	257.98	126.28	100756.59	47.49
Available for Sale								
Gross	33042.53	-	2979.99	7044.88	-	2901.69	45969.10	-
Less: Provision for depreciation and NPI	332.60	-	2104.16	818.19	-	2717.22	5972.17	-
Net	32709.94	-	875.83	6226.69	-	184.47	39996.93	-
Held to Trading								
Gross	(13.91)	-	-	-	-	-	(13.91)	-
Less: Provision for depreciation and NPI	0.14	-	-	-	-	-	0.14	-
Net	(14.05)	-	-	-	-	-	(14.05)	-
Total Investment								
Gross	105841.66	-	2987.53	34596.63	257.98	3027.97	146711.77	47.49
Less: Provision for non-performing investments	-	-	-	-	-	-	-	-
Less: Provision for depreciation and NPI	332.74	-	2104.16	818.19	-	2717.22	5972.31	-
Net	105508.92	-	883.37	33778.44	257.98	310.75	140739.46	47.49

(Amount in ₹ Crore)

Note: Above Amount includes encumbered securities as on March 31 st , 2022		Face Value
Collateral/Margin with CCIL - TREPS		14,744.00
Margin & Default Fund with CCIL, Securities with NSE clearing, MCX clearing, RBI RTGS		5,816.00
Securities with RBI for Repo		3,530.00
Total		24,090.00

Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2021

(Amount in ₹ Crore)

	Investments in India				Investments Outside India			Total
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and or joint ventures	others	Total investments in India (including local authorities)	Total Investments in India
Held to Maturity								
Gross	64046.11	-	7.54	28999.69	257.98	58.00	93369.33	47.49
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	64046.11	-	7.54	28999.69	257.98	58.00	93369.33	47.49
Available for Sale								
Gross	46269.23	-	3031.28	7383.99	-	3618.43	60302.93	-
Less: Provision for depreciation and NPI	55.86	-	2248.27	986.44	-	1947.05	5237.63	-
Net	46213.37	-	783.01	6397.55	-	1671.38	55065.30	-
Held to Trading								
Gross	98.94	-	1.37	-	-	-	100.32	-
Less: Provision for depreciation and NPI	-	-	-	-	-	-	-	-
Net	98.94	-	1.37	-	-	-	100.32	-
Total Investment								
Gross	110414.28	-	3040.19	36383.68	257.98	3676.44	153772.57	47.49
Less: Provision for non-performing investments	-	-	-	-	-	-	-	-
Less: Provision for depreciation and NPI	55.86	-	2248.27	986.44	-	1947.05	5237.63	-
Net	110358.42	-	791.92	35397.24	257.98	1729.38	148534.95	47.49

(Amount in ₹ Crore)

Note: Above Amount includes encumbered securities as on March 31 st , 2021		Face Value
Collateral/Margin with CCIL - TREPS		8,550.00
Margin & Default Fund with CCIL, Securities with NSE clearing, MCX clearing, RBI RTGS		2,306.00
Securities with RBI for Repo		5,830.00
Total		16,686.00

b. Value of Investment

(Amount in ₹ crore)

Sr. Items No.	31.03.2022	31.03.2021
1) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments	1,46,759.26	1,53,820.06
a) In India	1,46,711.77	1,53,772.57
b) Outside India	47.49	47.49
ii) Provision for Depreciation	5,972.31	5,237.63
a) In India	5,972.31	5,237.63
Excess prov for dep (held at the of shifting) over current valuation	0.00	0.00
Total	5,972.31	5,237.63
b) Outside India	0.00	0.00
iii) Net Value of Investments	1,40,786.95	1,48,582.44
a) In India	1,40,739.46	1,48,534.95
b) Outside India	47.49	47.49

c. Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	5237.63	4840.33
b) Add: Provisions made during the year	884.53	1314.43
c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	149.85	917.13
d) Closing balance	5972.31	5237.63
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
Opening Balance	-	-
Add: Amount transferred during the year	658.09	-
Less: Drawdown	-	-
Closing Balance	658.09	-
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investment in AFS and HFT/ Current Category	1.43	-

d. Sale and transfer to / from HTM category

As per the directives of Reserve Bank of India and our Investment policy, profit on sale of investments under HTM category should be first taken to P&L account and thereafter be appropriated to the Capital Reserve Account.

Profit on sale/redemption of HTM securities amounted to ₹ 257.27 crore for the financial year ended 31 March 2022.

Particulars	Category	FY 2020-21	FY 2021-22
Profit on sale of securities	HTM	471.86	257.26
Profit on redemption of securities	HTM	0.40	0.0055
Total		472.26	257.27

- e. During the year ended Mar 31, 2022 the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year, sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions and repurchase of Government securities by the government of India had not exceeded 5% of the Book Value of the Investment held in HTM category at the beginning of the year.

f. Disclosures under Basel II/Basel III Guidelines for quarterly closing 31.03.2022

Description	Amount in ₹ Crore	
Amount of Non-Performing Investments	2,653.80	
Amount of provisions held for non-performing investments	2,577.00	
Movement of provisions for depreciation on investments	Total	PI
Opening balance	5453.20	3427.10
Provisions made during the period	830.30	279.30
Write off	-	-
Write back of excess provisions	311.20	311.20
Closing balance	5,972.30	3,395.20

g. Details of Book Value of Investments in Security Receipt

The details of the book value of investments in Security Receipts is as under:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
(i) Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2481.82	2633.26
(ii) Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	1.88	1.88
Total	2483.70	2635.14

h. Details of Investment in Security Receipts

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i) Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	148.56	869.92	1463.34
Provision held against (i)	(148.56)	(761.29)	(1463.34)
(ii) Book Value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00	0.12	1.76
Provision held against (ii)	0.00	(0.07)	(1.76)
Total Book Value (i) + (ii)	148.56	870.04	1465.10

i. Recovery ratings assigned to Security Receipts held by bank as on 31.03.2022

Bank is holding an investment of ₹ 2483.70 crore in security receipts (SR) as on 31.03.2022. Rating wise distribution of the same is as under:

Rating of SR	Book Value 31.03.2022
R1	31,37,83,143.95
R2	2,36,89,97,705.11
R3	18,33,70,000.00
R4	34,23,34,250.00
R5	20,07,33,03,000.00
Rating Withdrawn	1,55,52,00,624.20
Grand Total	24,83,69,88,723.26

j. Non SLR Investment Portfolio

Issuer-wise composition of Non-SLR Investments: 31st March 2022

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
		(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)
(1)	(2)	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	Central Govt Recap Bonds	19580	19580	0	0	0	0	19580	19580	19580	19580
2	State Govt Special Bond	1935	2011	0	0	0	0	1935	2011	0	0
a)	PSUs	5251	5534	400	300	0	0	22	22	1676	1769
b)	FIs	1971	2072	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Banks	283	261	55	5	0	0	69	69	69	69
d)	Private Corporates	5577	6925	3540	2970	872	870	57	27	801	801
e)	Subsidiaries/ Joint Ventures	305	305	305	305	0	0	305	305	305	305
f)	Others	6015	6717	2375	2324	585	5757	5407	5434	3578	3633
	TOTAL*	40917	43406	6675	5904	1457	6627	27375	27448	26009	26157
g)	Provision held towards depreciation	5639	5182								
	NET TOTAL	35278	38224	6675	5904	1457	6627	27375	27448	26009	26157

Note:

(1) *Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in schedule 8 to the balance sheet:

- (a) Shares
- (b) Debentures & Bonds
- (c) Subsidiaries/Joint Ventures
- (d) Others

(2) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 are mutually exclusive

k. Non-Performing Non-SLR Investments

Sr. No.	Particulars	(Amount in ₹ crore)	
		31.03.2022	31.03.2021
a)	Opening Balance	1936.51	2153.39
b)	Additions during the year since 1 st April	1004.00	401.08
c)	Reductions during the above period	286.72	617.96
d)	Closing balance	2653.79	1936.51
e)	Total provisions held	2577.01	1887.01



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

I. Repo Transactions (in face value terms)

The details of face value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2022 are as follows:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2022
i) Securities sold under Repo				
a) Government Securities	1764.00	1844.00	1765.29	1764.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Securities purchased under Reverse Repo				
a) Government Securities	11985.00	36127.00	24189.97	22906.00
b) Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

(Amount in ₹ crore)

	Standard			Non-Performing			Total		
	Total Standard Advances			Loss			Total Non-Performing Advances		
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022
Gross Standard Advances and NPAs									
Opening balance	147636	139655	5274.61	5294.14	20466.84	24545.42	29276.96	32589.08	176912.96
Add: Additions during the year							4717.93	6448.53	4717.93
Less: Reduction during the year							5838.67	9760.65	5838.67
Closing balance	161556	147636	3098.3	5274.61	22185.95	20466.84	28156.22	29276.96	189712.22
Reductions in Gross NPAs due to:									
i) Upgradation							1337.14	804.82	1337.14
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)							3266.03	2963.39	3266.03
iii) Technical/ Prudential Write-offs							0	4809.62	4809.62
iv) Write-offs other than those under (iii) above							1235.5	1182.82	1235.5
Provisions (excluding Floating Provisions)									
Opening balance of provisions held	1029.83	760.34	842.55	1159.34	15098.85	16131.26	3207.79	2581.48	20179.31
Add: Fresh provisions made during the year							3723.97	5656.01	3723.97
Less: Excess provision reversed/Write-off loans							2407.59	6378.6	2407.59
Closing balance of provisions held	1541.08	1029.83	674.87	842.55	17258.39	15098.85	2532.6	3207.79	22006.94
Net NPAs									
Opening Balance			4373.68	4082.94	4662.77	7451.52	0	9036.45	11534.46
Add: Fresh Additions during the year							2932.09	1883.82	
Less: Reductions during the year							5293.37	4381.83	
Closing Balance			2403.54	4373.68	4271.63	4662.77	0	6675.17	9036.45
Floating Provisions									
Opening Balance									100.56
Add: Additional provisions made during the year									0
Less: Amount drawn down during the year									100.56
Closing balance of floating provisions									0
Technical write-offs and the recoveries made thereon									
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts									22478.36
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year									0
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year									485.95*
Closing balance									21992.41

* includes conversion to Regular Write off of ₹ 149.43 crore (Previous Year ₹ 128.70 crore), ECGC Claim Approval amount to ₹ 19.13 Crore.

Ratios (in percent)	31.03.2022	31.03.2021
Gross NPA to Gross Advances	14.84	16.55
Net NPA to Net Advances	3.97	5.77
Provision coverage ratio	86.69	82.54



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल"

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

b) Sector- wise Advances and Gross NPAs:

(Amount in ₹ Crore)

Sr. No.	Sector*	31.03.2022			31.03.2021		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	39,153.93	6,052.84	15.46	36,206.99	5,349.43	14.77
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	13,564.33	2,334.56	17.21	11,748.97	2,551.80	21.72
c)	Services	20,576.70	3,071.52	14.93	20,797.66	3,138.39	15.09
d)	Personal loans	22,210.89	1,226.73	5.52	19,468.85	1,369.77	7.04
	Subtotal (i)	95,505.85	12,685.65	13.28	88,222.47	12,409.39	14.07
ii)	Non-Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Industry	53,765.74	8,062.99	15.00	19,304.03	8,379.49	43.41
c)	Services	10,425.82	6,411.57	61.50	39,309.32	7,315.77	18.61
d)	Personal loans	30,014.79	996.01	3.32	30,077.15	1,172.31	3.90
	Sub-total (ii)	94,206.35	15,470.57	16.42	88,690.50	16,867.57	19.02
	Total (i+ii)	1,89,712.20	28,156.22	14.84	1,76,912.97	29,276.96	16.55

Total outstanding amount of advances (FB + NFB) secured by Book Debts as on 31.03.2022 is ₹ 15847.89 crore (as against ₹ 16718.70 Crore as of 31.03.2021)

c) Sector wise advances- Movement of NPA

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Gross NPAs *as on 1 st April (Opening Balance)	29276.96	32589.08
Additions (Fresh NPAs) during the year	4717.93	6448.53
Sub-total (A)	33994.89	39037.61
Less:-		
(i) Upgradation	1337.14	804.82
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)* Sale of NPA	3266.03	2963.39
(iii) Technical/Prudential Write-offs	0.00	4809.62
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	1235.50	1182.82
Sub-total (B)	5838.67	9760.65
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	28156.22	29276.96

d) Technical write-off/ Prudential written-off and the recoveries:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	22478.36	18204.84
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	0	4809.62
Sub-total (A)	22478.36	23014.46
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)*	485.95*	536.1
Closing balance as at March 31 (A-B)	21992.41	22478.36

*includes conversion to regular write off of ₹ 149.43 crore (Previous year ₹ 128.70 crore), ECGC Claims Appropriation amount to ₹ 19.13 crore.

e) Overseas assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

f) Particulars of Resolution Plan & Restructuring:

As per RBI circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June 2019, the Bank has implemented Resolution Plans for its 7 borrowers having total exposure of ₹ 4348.68 crore. The total exposure outstanding in such resolved accounts as on 31.03.2022 was ₹ 2457.99 crore.

g) Disclosure of transfer of loan exposures (SMA)
1. Details of stressed loans (SMA) transferred during the:

(All Amounts in ₹ crore)	To ARCs			To permitted transferees			To other transferees (please specify)		
	Quarter Ended	Year Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Year Ended
	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021
No: of accounts	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

2. Details of loans acquired (SMA) during the year:

(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)			From ARCs		
	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

h) Disclosure of transfer of loan (NPA) exposures:

1. Details of stressed loans (NPA) transferred during the:

(All Amounts in ₹ crore)	To ARCs			To permitted transferees			To other transferees (please specify)		
	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
No: of accounts	NIL	1	9	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	41.91	725.95	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	34 Months	36 Months*	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	0.00	153.90	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	13.21	270.11	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	327.93	8.97	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

* Residual tenure is calculated taking simple average of 9 accounts transferred.

2. Details of loans acquired (NPA) during the year:

(Amount in ₹ crore)

(All amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)			From ARCs		
	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration paid	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

i) Details of Standard Assets transferred or acquired:
i. Details of Standard Assets Transferred:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
1. No. of accounts sold during the year	NIL	NIL	NIL
2. Aggregate outstanding	NIL	NIL	NIL
3. Weighted average maturity	NIL	NIL	NIL
4. Weighted average holding period	NIL	NIL	NIL
5. Retention of beneficial economic interest	NIL	NIL	NIL
6. Coverage of tangible security coverage	NIL	NIL	NIL
7. Rating wise distribution of rated loans	NIL	NIL	NIL

j) Details of Standard Assets Acquired through assignment/Novation and Loan Participation:
i. Pool Buyout

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
1. No. of accounts Purchased during the year	89604	162184	336364
2. Aggregate outstanding	817.86	1315.95	2404.40
3. Weighted average maturity (In Months)	19.35	19.46	130.06
4. Weighted average holding period	3.20	3.86	17.50
5. Retention of beneficial economic interest	10%	10%	10%
6. Coverage of tangible security coverage	100%	100%	100%
7. Rating wise distribution of rated loans	NA	NA	NA

ii. Co-Lending

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
1. No. of accounts Purchased during the year	6369	13272	NIL
2. Aggregate outstanding	585.93	1500.21	NIL
3. Weighted average maturity (In Months)	204.00	204.00	NIL
4. Weighted average holding period	0.00	0.00	NIL
5. Retention of beneficial economic interest	20%	20%	NIL
6. Coverage of tangible security coverage	100%	100%	NIL
7. Rating wise distribution of rated loans	NA	NA	NIL

k) Fraud Accounts

In terms of RBI circular RBI/2015-16/376/DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2016-16 dated 18.04.2016 details of Fraud and Provision are as below:-

Out of the total frauds of ₹ 773.33 crore in 1243 cases (Previous year ₹ 4518.31 crore in 1026 cases) reported during the year, an amount of ₹ 758.34 Crore in 31 cases represents advances declared as frauds. Full provision has been made for the outstanding balance as on 31st March, 2022 in respect of frauds reported during the year. The details of the same are as under:

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Number of frauds reported	1243	1026
Amount involved in fraud (₹ Crore)	773.33	4518.31
Amount of provision made for such frauds (₹ Crore)	773.33	4518.31
Amount of Unmortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ Crore)	0	0

I) Disclosure regarding accounts restructured under resolution framework 1.0 & 2.0 as on 31.03.2022

(Amount in ₹ crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of the previous half-year (A)**	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year***	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan-Position as at the end of this half-year
Personal Loans #	1948.63	18.93	NIL	42.29	1887.41
Corporate persons*	3480.23	851.82	NIL	576.06	2052.35
Of which MSMEs	466.24	7.47	NIL	61.05	397.72
Others	3055.60	135.54	-	193.37	2726.69
Total	8484.46	1006.29	NIL	811.72	6666.45

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

**Includes accounts where request received till sept.30, 2021 and implemented subsequently. Customer-wise exposure has been taken in disclosure.

*** Includes net change in exposure during the period.

#Personal loan represents retail advances.

Disclosure of Restructured Accounts as on 31st March, 2022

Amount in Cr

NAME OF THE BANK: CENTRAL BANK OF INDIA

Sr. No.	Type of Restructuring → Asset Classification →	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total							
		Standard	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total Standard	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total Standard	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total Standard	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total			
Details ↓																					
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY Amount (opening figures)*	1	0	8	1	10	24569	2968	965	441	28943	8873	834	4079	73	13859	33443	3802	5052	515	42812
		1.09	0.00	465.29	156.85	623.23	1722.76	150.80	277.06	41.06	2191.68	1753.84	38.86	4474.00	2068.64	8335.34	3477.69	189.66	5216.35	2266.55	11150.25
		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	53.78	5.52	1.68	0.00	60.98	40.03	1.95	8.28	0.00	50.26	93.82	7.47	9.96	0.00	111.25
2	Fresh restructuring during the year	0	0	0	0	0	12677	1972	38	88	14775	38948	1345	287	19	40599	51625	3317	325	107	55374
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1716.55	110.23	15.42	3.08	1845.29	4235.90	74.38	774.39	24.61	5109.28	5952.45	184.61	789.82	27.69	6954.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.05	0.05	0.00	0.63	2.09	0.15	0.20	0.00	2.44	2.62	0.20	0.25	0.00	3.07
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	0	0	0	0	0	356	(326)	(8)	(22)	0	284	(256)	(19)	(9)	0	640	(582)	(27)	(31)	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24	(24.43)	(1.04)	(1.77)	0.00	25.53	(22.25)	(1.61)	(1.67)	0.00	52.77	(46.68)	(2.65)	(3.44)	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	(0.65)	(0.04)	(0.04)	0.00	0.58	(0.49)	(0.07)	(0.01)	0.00	1.31	(1.15)	(0.11)	(0.05)	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	0	0	0	0	0	(4444)	3954	24	466	0	(840)	784	20	36	0	(5284)	4738	44	502	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(236.20)	226.14	2.25	7.81	0.00	(47.05)	42.60	0.41	4.04	0.00	(283.24)	268.74	2.65	11.85	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3.05)	3.04	0.01	0.00	0.00	(0.97)	0.95	0.02	0.00	0.00	(4.02)	3.99	0.03	0.00	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY \$	(1)	0	(1)	0	(2)	(1637)	(2278)	1938	4	(1973)	(2808)	(862)	(93)	4	(3759)	(4446)	(3140.00)	1844.00	8.00	(5734)
		(1.09)	0.00	(57.80)	(34.82)	(93.71)	43.84	(102.61)	65.68	(6.51)	0.30	(448.61)	(46.72)	(223.21)	84.03	(634.50)	(405.86)	(149.32)	(215.43)	42.71	(727.91)
		0	0	7	1	8	31521	6290	2967	977	41745	44457	1845	4274	123	50699	75978	8135	7238	1101	92452
7	Restructured Accounts as on 31.03.2022 (closing figures)#	0.00	0.00	407.49	122.03	529.52	3274.20	360.13	359.27	43.67	4037.28	5519.61	86.88	5023.98	2179.65	12810.12	8793.81	447.01	5790.74	2346.36	17376.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.26	3.17	3.30	0.00	27.73	29.85	1.13	2.42	0.00	33.40	57.66	4.30	5.72	0.00	67.68
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** provision held is figure of sacrifice provision. Final provision on Standard restructured accounts includes ₹ 6.55 Crores pertaining to out of purview accounts.

Sr. No. 2 includes ₹ 291.86 Crores of fresh/ additional sanction(813 no of accounts & ₹ 4.60 crore provision thereto) to existing restructured accounts.

Sr. No. 6 includes ₹ 441.20 Crore of reduction from existing restructured accounts by way of sale/recovery/Closure.

Closing outstanding balance as on 31.03.2022 is after increase / recovery during the financial year.The figures also includes accounts restructured under resolution framework under COVID19 scheme(RF1.0 & RF2.0).



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India



STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

- m) In accordance with RBI circular no. DBR No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01,2019, DOR No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax(GST), the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2022 are as under:

No of Accounts Restructured	Amount in Crore
29838	2808.24

*The Bank has maintained additional provision on standard restructured accounts at 5.0% & 10.0% whichever applicable.

- n) **Disclosure with respect to NCLT provisions:-**

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6406.10 crore (including FITL of ₹ 127.90 crore) @ (100 % of total outstanding including Investment) as on March 31, 2022.

- o) **Resolution of Stressed Assets**

RBI vide their circular no. RBI/ 2018-19/ 203 DBR. No.BP.BC. 45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Asset issued guidelines for implementation of Resolution Plan, also containing requirements of additional provision as per Para 17 of this RBI circular. The outstanding in such cases as on March 31, 2022 is ₹ 1757.84 crore and in compliance of the above RBI circular, the Bank has made additional provision of ₹ 435.37 crore during the quarter ended March 31, 2022 and hold total provision of ₹ 1092.32 crore as on March 31, 2022.

- p) **Provisioning Coverage Ratio (PCR)**

Ratios (in per cent)	31.03.2022	31.03.2021
Gross NPA to Gross Advances	14.84	16.55
Net NPA to Net Advances	3.97	5.77
Provision coverage ratio	86.69	82.54

The PCR (inclusive of Technical Write Off) stood at 86.69% (Previous Year 82.54 %).

The PCR (exclusive of Technical Write Off) stood at 76.29% (Previous Year 69.13 %).

- q) **Disclosure in respect of ILFS and ILFS entities**

In terms of RBI circular no RBI/2018-19/175 DBR.BP.BC.No.37/21.04.048/2018-19 dated 24.04.2019

Position as on 31.03.2022 is as under:

(Amount in ₹ crore)				
Amount Outstanding	Of (1), total amount of exposures which are NPAs as per IRAC norms and not classified as NPA.	Provisions required to be made as per IRAC norms	Provisions actually held	Description
1	2	3	4	5
193.31	0	193.31	193.31	ILFS FIN CP
16.49	0	16.49	16.49	ILFS EQ
2.47	2.47	1.36	1.36	New TIRUPUR
212.27	2.47	211.16	211.16	TOTAL

- r) Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

s) Countercyclical Provisioning Buffer

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
A Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	-	-
C Amount of draw down made during the Accounting Year.	47.34	-
D Closing balance in the Countercyclical Provisions account	NIL	47.34

t) Floating Provisioning Buffer

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
A Opening balance in the Countercyclical Provisions account	100.56	100.56
B The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	-	-
C Amount of draw down made during the Accounting Year.	100.56	-
D Closing balance in the Countercyclical Provisions account	NIL	100.56

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has transferred the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crore and Countercyclical Provision amount of ₹47.34 Crore to bad and doubtful provision accounts.

u) Provision on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2022	31.03.2021
Provisions towards Standard Assets held	1541.08	1029.83

*Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm current year's classification.

v) Disclosure on Large Exposure framework:

Details of Accounts where bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) Framework in respect of any Individual and Group Account based on Tier-1 capital, are as below:-

Large Exposures to counterparties (Single as well as group of connected counterparties) bank's eligible capital base. (Tier I Capital as of 31.03.2022 ₹ 17,049.44 Crore)

(Amount ₹ in Crore)

Sr. No.	Borrower/ Customer Name*	Whether Single (S) or Group (G) of connected Counter parties	Exposure Amount	Exposure as % of Tier I Capital ₹ 17,049.44 Crore
NIL				

w) Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz. Rights Licenses Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9:

	31.03.2022	31.03.2021
Advances against charge over intangible security such as Rights, Licenses, Authorization etc. are considered as unsecured	NIL	NIL
Value of intangible security	NIL	NIL
Letters of Comfort (LoCs) issued by banks	NIL	NIL
value of intangible security	NIL	NIL
Unsecured Advances	NIL	NIL

5. Exposures

a) Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)		
Category	31.03.2022	31.03.2021
(A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	29376.53	30440.75
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	(13484.79)	(17974.42)
(Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.		
(ii) Commercial Real Estate –		
Lending Fully secured by mortgages on residential property (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits:	1696.14	3197.55
(iii) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures-		
- Residential	0.00	0.00
- Commercial Real Estate	184.50	112.83
(B) Indirect Exposure		
(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2048.40	2644.62
(ii) Any Other-Indirect Exposure-Please Specify #	0.00	0.00
Total Exposure to Real Estate Sector	19820.78	18421.33

b) Exposure to capital market

(Amount in ₹ crore)		
Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i) Direct Investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	408.71	444.81
ii) Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs) convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	1.58	1.63
iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	0.00	0.00
iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	28.73	0.00
Debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.		



(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	292.35	218.02
(vi) Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
(vii) Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
(ix) Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
(x) All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	471.22	490.17
Total Exposure to Capital Market	1,202.59	1,154.63

c) Risk Category-wise Country Exposure :

Risk Category	Exposure (net) as at March 31 st (2022)	Provision held as at March 31 st (2022)	Exposure (net) as at March 31 st (2021)	Provision held as at March 31 st (2021)
Insignificant	15300.57	NIL	550.74	NIL
Low	351.35	NIL	725.76	NIL
Moderately Low	NIL	NIL	NIL	NIL
Moderate	3.76	NIL	178.83	NIL
Moderately High	NIL	NIL	NIL	NIL
High	22.38	NIL	3.40	NIL
Very High	56.08	NIL	1.61	NIL
Total	15734.15	NIL	1460.34	NIL

As the Bank's Net Funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1 % of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

d) Unsecured Advances

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total unsecured advances of the bank	14416.76	10970
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

e) Factoring Exposures:

As the Bank's Net Funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

f) Intra-Group Exposures

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total amount of intra-group exposures	1099.69	761.28
Total amount of top-20 intra-group exposures	1099.69	761.28
Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.40%	0.29%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon if any	NIL	NIL

g) Unhedged Foreign Currency exposure:

Based on the available financial statements and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular DBOD.NO.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of Unhedged Foreign Currency Exposure and accordingly Bank has out in place risk mitigation measures. Thus, there is a provision of ₹ 4.18 Crore as on 31st Mar 2022.

CATEGORY	31.03.2022	31.03.2021
Unhedged Foreign Currency exposure	8118.03	9340.99
Provisions held for Unhedged Foreign Currency exposure	4.18	3.53

h) Single Borrower and Group Borrower exposure limits:

The Bank had taken single borrower exposure & Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

6. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

a) Concentration of deposits:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total deposits of the twenty largest depositors	12342.17	9631.66
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	3.60%	2.92%

b) Concentration of Advances*

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Advances (Credit Exposure) to Top 20 largest borrowers	32719.97	26799.69
Total Advances (Credit Exposure)	254575.14	239395.06
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	12.85%	11.19%

*Represent Credit exposure as per RBI Norms

c) Concentration of Exposures**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total exposure to twenty largest borrowers/customers	34890.24	29346.87
Total Exposure	273978.20	261162.02
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/customers to the total exposure of the bank on borrowers/customers	12.73%	11.24%

** Represent credit and investment exposure

d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Exposure to top twenty NPA accounts	13962.04	14689.57
Percentage of exposures to the top twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	27.84	28.38

7. Derivatives

a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
i) The Notional Principal of Swap agreements	3530.00	1305.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements.	2.90	0.00
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Not Significant	Not Significant
v) The fair value of the swap book	2.90	-3.78

b) Forward Rate Agreement / Currency Rate Swap

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
i) The Notional Principal of Swap agreements	0.00	351.48
ii) Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	0.00	3.78
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Not Significant	Not Significant
v) The fair value of the swap book	0.00	3.78

c) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
i) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2022 (instrument wise)	NIL	NIL
iii) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv) Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

d) Exchange Traded Currency Derivatives

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
i) Notional principal amount of exchange traded Currency derivatives undertaken during the year		
a) Currency Futures	133.93	8992.53
b) Currency Options	0.00	0.00
ii) Notional principal amount of exchange traded Currency derivatives outstanding as on 31 st March 2022		
a) Currency Futures	0.00	65.80
b) Currency Options	0.00	0.00
iii) Notional principal amount of exchange traded Currency derivatives outstanding and not 'highly effective'		
a) Currency Futures	0.00	0.00
b) Currency Options	0.00	0.00
iv) Mark to market value of exchange traded Currency derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		
a) Currency Futures	0.00	2.15
b) Currency Options	0.00	0.00

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

e) Qualitative Disclosures

Qualitative Risk Exposure

The Bank currently deals in over the counter (OTC) interest rate and currency derivatives as also in Interest Rate Futures and Exchange Traded Currency Derivatives. Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are rupee interest rate swaps, foreign currency interest rate swaps. Currency derivatives dealt by the Bank are USD, INR & cross currency swaps. The products are offered to the Bank's customers to hedge their exposures and the Bank also enters into derivatives contracts to cover off such exposures. Derivatives are used by the Bank both for trading as well as hedging balance sheet items.

- i. Derivative transactions carry market risk i.e., the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates/exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board prescribes the market risk parameters (Loss Limits, cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.) as well as customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship, limits and customer appropriateness and suitability of policy (CAS) etc.) for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties satisfying the criteria prescribed in the Policy. Appropriate limits are set for the counterparties taking into account their ability to honor obligations and the Bank enters into ISDA agreement with each counterparty.
- ii. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Risk Management Department (RMD) identifies, measures, monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.
- iii. Interest Rate Swaps are mainly used for hedging of the assets and liabilities.
- iv. Majority of the swaps were done with good rated counterparty banks.
- v. Derivative transactions comprise of swaps which are disclosed as contingent liabilities. The swaps are categorized as trading or hedging.
- vi. Derivative deals are entered with only those interbank participants for whom counterparty exposure limits are sanctioned. Similarly, derivative deals entered with only those corporates for whom credit exposure limit is sanctioned. Collateral requirements for derivative transactions are laid down as a part of credit sanctions terms on a case-by-case basis. Such collateral requirements are determined based on usual credit appraisal process. The Bank retains the right to terminate transactions as a risk mitigation measure in certain cases.
- vii. Hedge Positions:
 - » Accrual on account of interest expenses/ income on the Interest Rate Swap (IRS) are accounted and recognized as income/expenses.
 - » If the swap is terminated before maturity, mark-to-market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expenses/ income under interest paid/ received on IRS.
- viii. Trading Position:
 - » Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX (MSEL) and NSE.
 - » MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in Bank's profit and loss account in final settlement.
 - » Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains, if any are ignored.
 - » Gains or losses on termination of Swaps are recorded as immediate income/expenses under the above head.

i. Outstanding Forward Contract of Merchant & Interbank as on 31.03.2022

	(Amount in ₹ crore)
Outstanding as on 31.03.2022	46821.84
Hedging Position	21920.47
Trading position	24901.37

i. Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a)	For hedging	21920	1200	6596	0
b)	For trading	24901	2330	64539	1305
ii)	Marked to Market Positions				
a)	Asset (+)	664	17	558	9
b)	Liability (-)	562	14	484	13
iii)	Credit Exposure	936	353	1423	130
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	-	0.01	-	0.01
a)	On hedging derivatives	-	0.00	-	0.00
b)	On trading derivatives	-	0.01	-	0.01
v)	Maximum and Minimum of 100* PV01 observed during the year				
a)	On hedging	-	Max-0.00 Min-0.00	-	Max-0.00 Min-0.00
b)	On trading	-	Max-0.04 Min-0.01	-	Max-0.04 Min-0.01

ii. Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2021-22 (Previous Year-Nil).

8. Disclosure Relating to securitization

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
1	No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL
a)	Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
b)	On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL
a)	Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
i)	Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Loss	NIL	NIL
ii)	Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
a) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
i) Exposure to own securitisations	NIL	NIL
First loss	NIL	NIL
Others	NIL	NIL
ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
First loss	NIL	NIL
Others	NIL	NIL
5 Sale consideration received for the securitized assets and gain/loss on sale on account of securitization	NIL	NIL
6 Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitization asset servicing, etc.	NIL	NIL
7 Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.		
(a) Amount paid		
(b) Repayment received		
(c) Outstanding amount	NIL	NIL
8 Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	NIL	NIL
9 Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	NIL	NIL
10 Investor complaints		
(a) Directly/Indirectly received and;		
(b) Complaints outstanding	NIL	NIL

*Only the SPVs relating to outstanding securitization transactions may be reported here

9. Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(Which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	31.03.2022	31.03.2021
Domestic	NIL	NIL
Overseas	NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ crore)

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
i) Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	837.35	536.14
ii) Add: Amount transferred to DEA Fund during the year	258.53	304.16
iii) Less: Amount reimbursement by DEA Fund towards claims	10.15	2.95
iv) Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	1085.73	837.35

11. The outbreak of Corona virus (COVID-19) pandemic globally including India has resulted in slowdown of economic activities and increased volatility in financial markets. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's financial results will depend on future developments, which are highly uncertain. Given the uncertainty, because of COVID-19 pandemic, the bank's is continuously monitoring any material change in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of the financial statements.

12. Disclosure of Complaints:

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman:

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
Complaints received by the bank from its customers		
1 Number of complaints pending at beginning of the year	162	425
2 Number of complaints received during the year	28413	23812
3 Number of complaints disposed during the year	28191	24075
3.1 Of which, number of complaints rejected by the bank	0	0
4 Number of complaints pending at the end of the year	384	162
Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5 Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	5911	5383
5.1 Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	5543	4017
5.2 Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by Office of Ombudsman	367	1021
5.3 Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	01	02
6 Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

b) Complaints received by the Bank from customers pertaining to ATM transactions:

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
1 Number of complaints pending at beginning of the year	4219	9865
2 Number of complaints received during the year	155153	190146
3 Number of complaints disposed during the year	158833	195792
3.1 Of which, number of complaints rejected by the Bank	27819	21442
4 Number of complaints pending at the end of the year	539	4219

c) Complaints received by the Bank Pertaining to Central Card transactions:

Sr. Particulars No.	31.03.2022	31.03.2021
1 Number of complaints pending at beginning of the year	0	0
2 Number of complaints received during the year	0	2354
3 Number of complaints disposed during the year	0	2354
4 Number of complaints pending at the end of the year	0	0

d) Top five Grounds of Complaints received by the bank from customers:

Grounds of complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, Number of complaints beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
31.03.2022					
ATM Transactions	4219	155153	(-) 18.40	539	0
Internet/Mobile/E-banking	3	1650	(-) 33.60	8	0
Facilities for customers visiting the branch etc.	3	2062	(-) 3.87	22	0
A/C Opening/difficulty in operation of account-General Banking	2	1529	(-) 13.57	7	0
Loans & Advances	2	666	(+) 20.87	6	0
Others	152	22506	(+) 33.47	341	0
Total	4381	183566		923	0
31.03.2021					
ATM Transactions	9865	190146	(-) 34.16	4219	0
Internet/Mobile/E-banking	25	2485	(+) 113.85	3	0
Facilities for customers visiting the branch etc.	17	2145	(+) 64.49	3	0
A/C Opening/difficulty in operation of account-General Banking	17	1769	(+) 94.61	2	0
Loans & Advances	8	551	(+) 89.34	2	0
Others	358	16862	(+) 46.09	152	0
Total	10290	213958		4381	

e) Investors' Complaints:

Sr. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
1	Pending at the beginning of the year	0	0
2	Received during the year	3	2
3	Redressed during the year	3	2
4	Pending at the end of the year	0	0

13. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India

i. Penalties imposed by RBI

- Reserve Bank India has levied penalties of ₹ 0.36 crore (previous year ₹ NIL) in terms of clause (c) of sub-section (1) of section 47(A) read with clause (i) of sub-section (4) of section 46 and section (1) of section 51 of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance with the controversial of the failed to credit (Shadow reversal) the amount involved in the unauthorized electronic transaction to the customers' accounts.
- RBI has imposed a penalty of ₹ 1.00 crore (previous year ₹ NIL crore) in terms of clause (c) of section (1) of section 41 (A) of the act, Read with clause I (i) of section (4) of section 46 & sub-section (1) of section 51 of the Act for the contra version of section 20 (1) of the act entering in to commitment with the borrower company for guaranteeing loans to it, despite commonality of director.
- RBI has imposed a penalty of ₹ NIL crore (previous year ₹ 0.50 crore) to our bank due to non-compliance of RBI circular dated 03.09.2013 on few housings loan accounts.

- d) RBI has imposed a penalty of ₹ NIL crore (previous year ₹ 0.31 crore) in terms of section 47A (1) (a) read with section 46(4) (i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms on currency chest operation.*

*As complied by the Management and relied by the Auditors.

- e) Penalties imposed by Financial Intelligence Unit - India

The Earlier version FIU-India imposed penalty of ₹ 0.02 Crore for delay in submission of Report – 1 & non-submission of Report-2 under Alert No.5, General Election (Lok Sabha)-2019 as per FIU-India order dated 23-12-2020. The said penalty was paid by Bank on 15th January 2021. Since there is no penalty this year, it may be treated as NIL.

14. Disclosure on Remuneration

(Amount in ₹ crore)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2022	31.03.2021
Mr. M V Rao (w.e.f. 01.03.2021)	Managing Director & CEO	0.32	0.02
Mr. Pallav Mohapatra (up to 28.02.2021)	Managing Director & CEO	0.00	0.94
Mr. B. S. Shekhawat (up to 08.10.2020)	Executive Director	0.00	1.30
Mr. Alok Srivastava	Executive Director	0.29	0.27
Mr. Vivek Wahi (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director	0.27	0.01
Mr. Rajeev Puri (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director	0.28	0.01
Total		1.16	2.55

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – “Related Party Disclosure” issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

15. Other Disclosures

i. Business Ratios

Sr. No.	Items	31.03.2022	31.03.2021
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	6.65 %	6.67%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **	0.87%	0.91%
(iii)	Cost of Deposits	3.86 %	4.35%
(iv)	Net Interest Margin **	3.21 %	2.78%
(v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds ***	1.67%	1.34%
(vi)	Return on Assets ***	0.30%	(0.26)%
(vii)	Business (deposits plus advances) per employee **** (in ₹ Crore)	17.15 crore	15.60 crore
(viii)	Profit per employee (in ₹ Crore)	0.03	(0.03)

* Working funds to be reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X for Commercial Banks and Form IX for UCBs, during the 12 months of the financial year.

** Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

***Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e. total of assets excluding accumulated losses, if any)

****For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

ii. Bancassurance Business:

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business undertaken by them shall be disclosed for both the current year and previous year.

Fees/brokerage received in respect of the Bancassurance Business undertaken is as under:

Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
	No. of policies	Amount (in ₹ crore)	No. of policies	Amount (in ₹ crore)
Life	97299	63.75	78385	50.78
Non-Life	239907	10.61	273976	11.59
Total	337206	74.36	352361	62.37

iii. Disclosure regarding priority sector lending certificates

Sector	Agri		General		Micro		S&M Farmer		Total	Total
Month	Quantity (₹ Cr)	Profit/ (Loss)	Quantity (₹ Cr)	Profit/ (Loss)	Quantity (₹ Cr)	Profit/ (Loss)	Quantity (₹ Cr)	Profit/ (Loss)	Quantity (₹ Cr)	profit/ (Loss)
Jun-21	-	-	(8000.00)	79.96	--	-	(2000.00)	54.78	(10000.00)	134.74
Sep-21	-	-	(2500.00)	22.10	-	-	(2500.00)	52.26	(5000.00)	74.36
Mar-22	-	-	-	-	-	-	(528.00)	0.53	(528.00)	0.53
	-	-	(10500.00)	102.06	-	-	(5028.00)	107.57	(15528.00)	209.63

Note : -ve indicates sale of PSLC and +ve indicates purchase of PSLC. Commission Rate for the above PSLC's ranges from 0.10% to 2.85%.

iv. Payment of DICGC Insurance Premium

Provisions debited to Profit and Loss Account		31.03.2022	31.03.2021
i) Payment of DICGC Insurance Premium		448.98	429.35
ii) Arrears in payment of DICGC premium		-	-

v. Disclosure on amortization of expending on account of enhancement in family pension of employees of Banks :-

RBI vide their Circular No.:RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the additional liability on account of revision in family pension for employees over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March, 2022 subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. Based on the Actuarial Valuation report obtained by the Bank the additional liability on account of revision in family pension for employees is arrived at ₹ 82,195.00 lakh. Bank has opted to amortize as per the said circular of RBI and has charged an amount of ₹ 54,452.00 lakh out of ₹ 82,195.00 lakh to the Profit & Loss account during the financial year ended 31st March 2022. The balance unamortized expense of ₹ 27,743.00 lakh has been carried forward to subsequent years. The consequential impact of unamortized pension liability on net profit for the current year is ₹ 18,048.00 lakh (Net of Taxes).

vi. Balancing of Books / Reconciliation:

- a) The parent Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account.

The Net balance of IBR account as at 31st March, 2022 is ₹.19.01 Crore (net credit) and as at 31st March, 2021 is ₹ 10.30 Crore (net credit).

- b) The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts

- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM Department
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances
- GST
- Fixed Asset
- Other Assets
- Other Liabilities

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

16. Income Tax:

- a) Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- b) Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 2405.58 crore (previous year ₹ 1771.51 crore) towards disputed Income Tax liability of the parent Bank. It includes Income tax appeals at various levels by bank and Income tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case. Disputed service tax matter as on March 31st, 2022 is ₹ 7.64 crore.
- c) Government of India has inserted Section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019 which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at a reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The Bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate (i.e. 34.944%) for the financial year ended March 31st, 2022.

17. Premises:

- a) Premises obtained on Lease by the Bank include properties costing ₹ 1.45 crore (previous year ₹ 1.45 crore) for which registration formalities are still under progress.
- b) The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2021 based on valuation reports of external independent valuers' and approved by the Board of Director and ₹ 881.96 crore increases in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.
- c) In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 54.12 crore (previous year ₹ 58.85 crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".
- d) Land obtained on lease by bank includes ₹ 8.02 crore (previous year ₹ 8.02 crore) with written down value as NIL (previous year ₹ NIL), the lease period of which has expired and the bank is still having its offices/building on these lands and perusing with authorities for lease renewals.

18. In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) Lending of ₹ NIL has been undertaken. Accordingly, these have been adjusted from the advances of the Bank. Interest income of ₹ NIL has been recognized against these borrowings.

19. Amount lying in Blocked accounts pertaining to old NOSTRO/MIRROR Credit entries are carried at historical cost using the exchange rate on the date of the crystallization.

The Bank maintains 15 Nostro Accounts for 8 different currencies. These Nostro accounts are operated by one 'A' category Branch (Integrated Treasury Branch) and Sixty two 'B' category branches.

Reconciliation of these Nostro accounts is done by Integrated Treasury Branch. Reconciliation is an ongoing process and

is done on daily basis.

Progress Report on Reconciliation and outstanding entries in Nostro Accounts is placed before audit Committee of the Board at quarterly intervals.

20. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

- a) Accounting Standard – 5 “Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items, and Changes in Accounting Policies”
- During the year, there were no material prior period income / expenditure items.
 - There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 20220 as compared to those followed in the previous financial year 2020-21.

b) Accounting Standard – 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. D-1. However, the said income is not considered to be material.

c) Accounting Standard-15 “Employee Benefits”:

i. Defined Benefit Plans, Employee’s pension plan and Gratuity plan

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plans and Gratuity Plan as per Actuarial Valuation by the independent Actuary appointed by the bank:-

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(21-22)	FY(20-21)	FY(21-22)	FY(20-21)
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation				
Opening Defined Benefit Obligation 1 st April, 2021	15557.68	15421.82	1726.67	1623.23
Current Service Cost	82.63	78.11	100.62	82.83
Interest Cost	1012.96	1000.65	103.25	101.61
Past Service Cost (Vested Benefit)	821.95	0.00	0.00	0.00
Actuarial Losses (gains)	301.95	598.99	100.23	244.23
Benefits Paid	(1539.75)	(1541.90)	(300.56)	(325.23)
Direct Payment by Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Defined Benefit Obligation at 31 st March, 2022	16237.43	15557.68	1730.20	1726.67
Change in Plan Assets				
Opening Fair Value of Plan Assets as at 1 st April, 2021	15198.05	14939.64	1534.62	1720.32
Expected Return on Plan Assets	1074.53	1037.01	98.93	106.55
Contributions by Employer	976.98	487.00	252.11	0.00
Expected Contributions by the employees	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits Paid	(1539.75)	(1541.90)	(300.56)	(325.24)
Actuarial Gains /(Loss) on Plan Assets	98.07	276.30	45.41	32.99
Closing Fair Value of Plan Assets as at 31 st March, 2022	15807.88	15198.05	1630.51	1534.62
Amount Recognized in the Balance Sheet				
Present Value of Funded obligation at 31 st March, 2022	16,237.43	15,557.68	1,730.20	1,726.67



(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(21-22)	FY(20-21)	FY(21-22)	FY(20-21)
Fair Value of Plan Assets at 31 st March, 2022	(15,807.88)	(15,198.05)	(1,630.51)	(1,534.62)
Unrecognized past service Cost	(277.43)	0.00	0.00	0.00
Deficit/(Surplus)	152.12	359.63	99.69	192.05
Net Liability/(Asset)	152.12	359.63	99.69	192.05
Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account				
Current Service Cost	82.63	78.11	100.62	82.84
Past Service Cost-Recognized	544.52	0.00	0.00	0.00
Interest Cost	1,012.96	1,000.65	103.25	101.61
Expected Return on Plan Assets	(1,074.53)	(1,037.01)	(98.93)	(106.55)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	203.88	322.69	54.82	211.24
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	769.47	364.45	159.76	289.14
Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1,074.53	1,037.01	98.93	106.55
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	98.07	276.30	45.41	32.99
Actual Return on Plan Assets	1,172.60	1,313.31	144.34	139.54
Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet				
Opening Net Liability /(Asset) as at 1 st April, 2021	359.63	482.18	192.05	(97.09)
Expenses as Recognized in Profit And Loss Account	769.47	364.45	159.76	289.14
Employer's Contribution	(976.98)	(487.00)	252.11	0.00
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	152.12	359.63	99.69	192.05

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on 31st March, 2022 are as follows-

CATEGORY OF ASSETS	PENSION FUND	GRATUITY FUND
	% OF PLAN ASSETS	% OF PLAN ASSETS
Central Govt. Securities	0.62	2.39
State Govt. Securities	21.50	39.46
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	22.91	39.23
Mutual Funds	2.29	1.92
Insurer Managed Funds	52.68	15.62
Others	0.00	1.38
Total	100.00	100.00

Particulars	Pension Plan	
	Current Year	Previous Year
	FY(21-22)	FY(20-21)
Principal Actuarial Assumptions		
Discount Rate	7.25	6.85
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.25	6.85
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Pension Escalation Rate	4.00	4.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	IALM(2012-14)	

Particulars	Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year
	FY(21-22)	FY(20-21)
Principal Actuarial Assumptions		
Discount Rate	6.90	6.55
Expected Rate of Return on Plan Assets	6.90	6.55
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	IALM(2012-14)	

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

GRATUITY PLAN		YEAR ENDED			
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
Liability at the end of the year	1,741.56	1,648.13	1,623.23	1,726.66	1,730.20
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,124.94	1,878.26	1,720.32	1,534.62	1,630.51
Difference	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69
Amount Recognized in the Balance Sheet	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69

EXPERIENCE ADJUSTMENT		YEAR ENDED			
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
On Plan Liability (Gain)/ Loss	(511.99)	(29.08)	(6.34)	249.60	145.94
On Plan Asset (Loss) / Gain	14.57	(42.56)	(3.38)	32.99	45.41

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

PENSION PLAN		YEAR ENDED			
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
Liability at the end of the year	13,821.17	14,245.10	15,421.82	15,557.67	16,237.43
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	13,515.58	14,645.14	14,939.64	15,198.04	15,807.88
Difference	305.59	(400.04)	482.18	359.63	429.55
Amount unrecognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	0.00	0.00	0.00	0.00	277.43
Amount Recognized in the Balance Sheet	305.59	(400.04)	482.18	359.63	152.12
Amount Recognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	0.00	0.00	0.00	0.00	544.52

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
On Plan Liability (Gain)/ Loss	1,029.93	422.24	12.65	2,279.00	847.41
On Plan Asset (Loss) / Gain	263.51	(72.66)	346.19	276.30	98.07

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for next year is ₹ 130.08 crore and ₹ 76.50 crore respectively.

ii. Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (NSDL) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2021-22, the bank has contributed ₹ 146.97 crore (Previous year ₹ 103.67 crore).

iii. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹ 43.24 crore (Previous Year ₹ 131.20 crore) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

d) Accounting Standard 17 –

Segment Reporting

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognized Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

The following are the primary segments of the Bank:-

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank based on the present internal, organizational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

i. Treasury –

The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

ii. Corporate / Wholesale Banking –

The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts, Trust / Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking and Stressed Assets Management Branch. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients.

iii. Retail Banking –

The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures. This segment also includes agency business and ATMs.

iv. **Other Banking business –**

Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

(Amount in ₹ crore)

Business Segment	Business Segment (Solo)										Total	
	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations					
Particulars	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Revenue	11,628.52	12,549.65	5,296.04	5,201.19	8,845.57	8,095.06	-	-	25,770.13	25,845.90		
Result	2,536.03	4,004.01	291.52	(3,424.09)	(849.42)	(1,696.81)	-	-	1,978.13	(1,116.89)		
Unallocated Expenses									261.17	206.72		
Operating Profit									1,716.96	(1,323.61)		
Income Taxes									672.13	(436.03)		
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Net Profit									1,044.83	(887.58)		
Other Information												
Segment Assets	197,643.37	192,414.73	65,074.66	60,023.68	1,08,689.45	100,504.58	-	-	3,71,407.48	352,942.99		
Unallocated Assets									15,158.11	16,272.00		
Total Assets									3,86,565.59	369,214.99		
Segment Liabilities	191,840.34	197,847.45	62,615.86	54,166.02	1,04,582.69	90,696.43	-	-	3,59,038.89	3,42,709.90		
Unallocated liabilities												
Total Liabilities									3,59,038.89	342,709.90		

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current classification.

e) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party
List of Related Parties:
I. Key Managerial Personal –

Name	Designation
i) Mr. M V Rao	Managing Director & CEO
ii) Mr. Alok Srivastava	Executive Director
iii) Mr. Vivek Wahi	Executive Director
iv) Mr. Rajeev Puri	Executive Director

II. Subsidiaries –

Name
i) Cent Bank Home Finance Ltd.
ii) Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

III. Associates –

i) Regional Rural Banks –
a. Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Bihar)
b. Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (West Bengal)
ii) Indo – Zambia Bank Ltd., Zambia

#In respect of related party disclosure regarding remuneration details are mentioned in note no.13.

f) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 have been arrived at as follows:

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Net Loss after Tax available for Equity Share Holder (₹in Crore)	1044.83	(887.58)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	823,51,53,502	579,37,98,207
Basic Earnings per Share (₹) *	1.27	(1.53)
Diluted Earnings per Share (₹) *	1.27	(1.53)
Nominal Value per Share (₹)	10	10

g) Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 6,862.05 crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2022. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2022 are as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Business Loss	1655.92	2278.67		
Provision for Leave Encashment	346.52	331.41		
Provision for Loans and Advances	5728.37	5810.18		
Interest on Income Tax Refund	0	0.00	26.94	0.00
Interest accrued but not due on investments	0	0.00	760.96	787.93
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0	0.00	34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets	0	0.00	45.90	51.71
TOTAL	7730.80	8420.26	868.75	874.58
Net Deferred Tax Asset/Liability	6862.05	7545.68		

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2021-22 is ₹ 683.63 crore (Previous year ₹ 71.12 crore) has been recognized in profit & loss account.

h) Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2022 requiring recognition in terms of the Standard.

i) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

a) (Amount in ₹ crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2022	31.03.2021
Provisions/Depreciation on Investment (NPI)	646.74	356.57
Provision towards NPA	2461.55	5175.89
Provision towards Standard Asset	(222.47)	263.15
Provision made for Taxes	672.13	(436.03)
Provision for Restructured Advances	595.94	76.49
Other Provisions	(1.57)	30.00
TOTAL	4152.32	5466.07

The figures for previous year have been regrouped/ reclassified wherever considered necessary to confirm current year's classification.

b. Details of Letter of Comfort issue by Banks and outstanding as on 31.03.2022

(Amount in ₹ crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Letter of Comforts issued during the year	0	0
Letter of Comforts matured/cancelled during the year	0	0
Letter of Comforts outstanding as at the end of year	0	0

c. The vendors whose services are utilized are selected in compliance with Government of India guidelines regarding MSME sector and Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

j) Implementation of the Guidelines on Information Security Electronic Banking Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31. 02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 30.03.2022.

k) Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt (PCA) Corrective Action in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank is complying the PCA framework norms meticulously. Bank has prepared an action plan and also taken various steps to reduce NPA and improve the profitability.

l) Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm current year's classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH
Director

SHRI P. J. THOMAS
Director

SHRI DINESH PANGTEY
Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI
Director

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(CA RITESH AGRAWAL)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN:22010279AIPWCE5031

(CA VIJAY SHELAR)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai

Date: May 9th, 2022

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT

for the year ended March 31, 2022

		(₹ In Crore)	
Sn	Particulars	31-03-2022	31-03-2021
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before taxes	1,716.96	(1,323.61)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	296.61	292.32
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	368.87	398.67
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	3,057.49	5,205.48
	Provision for Standard Assets	(222.47)	263.15
	Provision for Other items (Net)	276.30	86.34
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	(9.13)	21.00
	Dividend Received from Subsidiaries	(8.01)	(6.48)
	Sub total	5,476.62	4,936.87
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	12,718.99	16,209.78
	Increase / (Decrease) in Borrowings	2,005.72	(318.57)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,826.75	(8,264.10)
	(Increase) / Decrease in Advances	(14,652.34)	(10,683.25)
	(Increase) / Decrease in Investments	7,426.61	(6,464.03)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(819.48)	954.48
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc.)	285.45	1,641.94
	Sub total	8,791.70	(6,923.76)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	14,268.32	(1,986.89)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	24.37	2.71
	Purchase of Fixed Assets	(157.67)	(203.11)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	8.01	6.48
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(125.29)	(193.92)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	-	255.00
	Share Application Money	-	4,800.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-	5,055.00

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31-03-2022	31-03-2021
D	NET INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A + B + C) OR (F - E)	14,143.03	2,874.19
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	32,187.84	30,059.82
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	6,763.46	6,017.29
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	38,951.30	36,077.11
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	38,033.70	32,187.84
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	15,060.63	6,763.46
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	53,094.33	38,951.30

Notes:

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH
Director

SHRI P. J. THOMAS
Director

SHRI DINESH PANGTEY
Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI
Director

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(CA RITESH AGRAWAL)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN:22010279AIPWCE5031

(CA VIJAY SHELAR)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai

Date: May 9th, 2022

M/s **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
12 Ho Chi Minh Sarani, Suite No 2 (D, E & F)
2nd Floor, Kolkata 700071

M/s **A S K A & CO**
(Formerly known as, AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR)
Chartered Accountants
501, Mirage Arcade, Opp Ganesh Mandir, Off. Phadke Road
Dombivali East, Mumbai 421201

M/s **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
101, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri
(East) Mumbai 400063

M/s **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
C-7, Sector-E(New), Aliganj,
Lucknow-226024

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of
Central Bank of India
Mumbai

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Central Bank of India ('the Parent Bank') which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2022, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements") which includes:

- audited standalone financial statements of the Parent Bank audited by us;
- audited financial statements of two (2) subsidiaries – (i) Cent Bank Home Finance Limited and (ii) Centbank Financial Services Limited – audited by other auditors
- unaudited financial statements of three (3) associates – (i) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur; (ii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar; and (iii) Indo-Zambia Bank Limited.

The above entities together with the Parent Bank are referred to as "the Group".

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of subsidiaries, the unaudited financial statements and other financial information of the associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking

Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- the consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022;
- the consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- the consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

- We draw attention to:
 - Note no. 5.14 of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding amortization of additional liability on revision of family pension amounting to ₹ 821.95 crore. The Parent Bank has charged an amount of ₹ 544.52 crore to

the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2022 and the balance unamortised expense has been carried forward pursuant to RBI circular no. RBI/2021-22/105 DORACC. REC.57/21.04.018/2021-22 dt.4th October,2021.

- b) Note no. 3.1.2 of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding set-off of accumulated losses of the Parent Bank amounting to ₹ 18724.22 crore against the available balance in share premium account after obtaining approval from the shareholders and the Reserve Bank of India.
- c) Note no.4.6 of Schedule 18 to the consolidated financial statements regarding deferred tax, wherein on the basis of tax review made by the Parent Bank's management with respect to the possible tax benefits arising out of the timing difference, the net deferred tax asset of ₹ 6862.05 crore is recognised as on 31st March 2022 (₹ 7545.68 crore as on 31st March 2021).

- d) Note No. 5.15 of Schedule 18 to the consolidated financial statements, which describes the uncertainties due to the COVID-19 pandemic and management's evaluation of impact on the Group's financial performance which will depend on future developments, which are uncertain.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended 31st March 2022. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters

1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances (refer Schedule 9 read with Note 2 of Schedule 17 to the consolidated financial statements)

Advances comprise substantial portion of the Group's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein.

Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provisions on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the financial statements of the Group.

Auditors' response

Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular:

- » We have evaluated and understood the Parent Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
- » We assessed and evaluated the process of identification of NPAs, and corresponding reversal of income and creation of provision.
- » We have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances.
- » In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have:
- » timely recognized the depletion in the value of available security.
- » made adequate provisioning based on such time-to-time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package.
- » We placed reliance upon the Independent Auditor's Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.

Key Audit Matters	Auditors' response
2. Investments Investment portfolio of the Group comprises of investments in government securities, bonds, debentures, shares, security receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets. Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 4 of Schedule 17 to the consolidated financial statements) The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments. Hence, the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning/ depreciation related to Investments. In particular: » We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Parent Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non- Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments. » Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. » We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. » We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. » We assessed that the financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.
3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process The Group's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions. The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use. The Bank has an in-house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services. Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive Impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular: » We obtained an understanding of the Parent Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. » We tested the design, implementation, and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting including obtaining reports from independent experts. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner.

Key Audit Matters

Auditors' response

4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims:

Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 11 of Schedule 17 and Note No. 4.8.1 of Schedule 18).

There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.

Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability.

However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/ unascertainable at this stage.

Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.

» We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements, information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon.

We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.

We broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank.

We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/ or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/ litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Information other than the consolidated financial statements and Auditors' report thereon

- The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and the Pillar 3 disclosures under Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements, or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date prior to the date of auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein,

we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and those charged with governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time ("RBI guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group are responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material

if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- » Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- » Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- » Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- » Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- » Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- » Obtain sufficient appropriate evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group of which we are the independent auditors and whose financial information we have audited, to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the audit

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

8. Incorporated in these consolidated financial statements are the:

- (a) We did not audit the financial statements/information of 1869 branches included in the standalone financial statements of the Parent Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹ 2,30,319.41 crore as at 31st March 2022 and total revenue of ₹ 6,490.26 crore for the year ended on that date, as considered in

the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

- (b) In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2639 branches included in the standalone financial statements of the Parent Bank certified by the respective branch's management whose financial statements/information reflect total assets of ₹ 58318.30 crore as at 31st March 2022 and total revenue of ₹ 2836.01 crore for the year ended on that date.
- (c) We did not audit the financial statements/information of 2 subsidiaries whose financial statement reflects total assets of ₹ 1254.35 crore as at 31st March 2022 and total revenues of ₹ 125.91 crore for the year ended on that date as considered in the consolidated financial statements. These financial statements / information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the report of the other auditors.
- (d) The consolidated financial statements include the Group's share of net profit of ₹ 18.45 crore for the year ended 31st March 2022 in respect of 3 associates, whose financial statements / financial information have not been audited by us. These financial statements are unaudited and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates is based solely on such unaudited financial statements certified by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The consolidated Balance sheet and the consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- The transactions, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Group so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors and proper returns

adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

- the consolidated Balance Sheet, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Parent Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- In our opinion, the consolidated Balance Sheet, the consolidated Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

(CA RITESH AGRAWAL)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN:22010279AIPWCE5031

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(CA VIJAY SHELAR)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai
Date: May 9th, 2022

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

as at March 31, 2022

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	Year Ended 31-Mar-22 (₹)	Year Ended 31-Mar-21 (₹)
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	8,68,09,394	5,87,55,625
Reserves and Surplus	2	18,86,84,669	15,82,12,803
Minorities Interest	2A	5,76,992	5,05,403
Share Application Money Pending Allotment		-	4,80,00,000
Deposits	3	3,43,16,45,666	3,30,32,83,137
Borrowings	4	7,66,33,015	5,75,96,647
Other Liabilities and Provisions	5	9,00,02,944	7,33,91,206
TOTAL		3,87,43,52,680	3,69,97,44,821
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	38,03,36,980	32,18,81,038
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	15,06,32,393	6,76,56,661
Investments	8	1,40,77,45,413	1,48,51,80,075
Advances	9	1,69,04,15,429	1,57,38,90,795
Fixed Assets	10	4,95,53,768	5,13,28,977
Other Assets	11	19,55,79,801	19,97,18,379
Goodwill on Consolidation		88,896	88,896
TOTAL		3,87,43,52,680	3,69,97,44,821
Contingent Liabilities	12	1,75,96,41,890	92,13,92,979
Bills for Collection		11,37,50,285	11,89,87,674

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH
Director

SHRI P. J. THOMAS
Director

SHRI DINESH PANGTEY
Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI
Director

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(**CA RITESH AGRAWAL**)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN:22062410AIPWMB7737

(**CA KIRAN K. DAFTARY**)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN:22010279AIPWCE5031

(**CA VIJAY SHELAR**)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN:22101504AIPWBV8382

(**CA P. R. KARANTH**)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai
Date: May 9th, 2022



CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

for the year ended March 31, 2022

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As at 31-Mar-22 (₹)	As at 31-Mar-21 (₹)
I. INCOME			
Interest Earned	13	22,90,33,395	22,82,95,277
Other Income	14	2,96,74,897	3,11,07,685
TOTAL		25,87,08,292	25,94,02,962
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	13,36,08,786	14,54,29,610
Operating Expenses	16	7,27,70,729	6,79,86,091
Provisions and Contingencies		4,16,83,773	5,47,72,117
TOTAL		24,80,63,288	26,81,87,818
Share of earning/(loss) in Associates	17	1,84,501	(11,64,019)
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before Minority Interest		1,08,29,505	(99,48,875)
Less: Minority Interest		71,589	52,225
CONSOLIDATED PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		1,07,57,916	(1,00,01,100)
Add: -Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		(18,74,09,075)	(17,42,86,952)
Less:- Balance transferred from Share Premium A/c		18,72,42,173	-
Carried forward consolidated Profit/(Loss)		1,67,054	(17,42,86,952)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		26,12,100	-
Transfer to Other Reserve		78,36,181	31,21,023
a. Investment Reserve		12,55,261	30,72,389
b. Revenue Reserve		-	12,521
c. Staff Welfare Fund		-	-
d. Fund in lieu of Insurance		-	-
e. Proposed Dividend- Equity Share Capital		-	-
f. Tax on Dividend		-	-
g. Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		-	36,113
h. Appropriation of Deferred Tax Liability on special Reserve as per NHB guidelines		-	-
i. Investment Fluctuation Reserve		65,80,920	-
Transfer to Government/Proposed Dividend		-	-
Balance Carried over to the Balance Sheet		1,42,581	(18,74,09,075)
TOTAL		1,07,57,916	(18,42,88,052)
Earnings Per Share (In ₹)- Basic (Nominal Value ₹ 10/- per share)		1.31	(1.73)
Earnings Per Share (In ₹)- Diluted (Nominal Value ₹ 10/- per share)		1.31	(1.73)

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

M V RAO
Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH
Director

SHRI P. J. THOMAS
Director

SHRI DINESH PANGTEY
Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI
Director

For **S JAYKISHAN**
Chartered Accountants
F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**
Chartered Accountants
F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**
Chartered Accountants
F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**
Chartered Accountants
F.R. No. 000291N

(CA RITESH AGRAWAL)
PARTNER
M. No. 062410
UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)
PARTNER
M. No. 010279
UDIN:22010279AIPWCE5031

(CA VIJAY SHELAR)
PARTNER
M. No. 101504
UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)
PARTNER
M. No. 018808
UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai
Date: May 9th, 2022

Schedules Forming Part Of The Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2022

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		10,00,00,000		10,00,00,000
1000,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued Capital :	8,68,09,394		5,87,55,625	
(8680939432 Equity Shares of ₹ 10 each)				
Subscribed Capital	8,68,09,394		5,87,55,625	
(8680939432 Equity Shares of ₹ 10 each)				
Paid up	8,68,09,394		5,87,55,625	
(8680939432 Equity Shares of ₹ 10 each)				
8680939432 Equity Shares (previous year 5875562460 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 8080391687 Equity shares (previous year 5275014715 Equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)		8,68,09,394		5,87,55,625
TOTAL		8,68,09,394		5,87,55,625
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,07,59,131		2,07,59,131	
Additions during the year	26,12,100		-	
		2,33,71,231		2,07,59,131
II. Capital Reserves				
Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,62,97,811		1,32,25,422	
Additions during the year	12,55,261		30,72,389	
		1,75,53,072		1,62,97,811
III. Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	3,79,22,814		2,96,25,988	
Additions - Adjustments during the year	-		88,19,556	
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves	2,32,128		5,09,495	
Deductions during the year	5,41,238		13,235	
		3,71,49,448		3,79,22,814
IV. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	24,19,62,271		24,10,70,269	
Additions/Adjustments during the year	1,99,46,230		8,92,002	
Reduction during the year	18,72,42,173		-	
		7,46,66,328		24,19,62,271
V. Other Reserves				
a). Special Reserve U/S 36 (1)(viii)	13,61,546		13,61,546	
		13,61,546		13,61,546



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
VI. Revenue and Other Reserves				
i) Investment Fluctuation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	-		-	
Add : Addition during the year	65,80,920		-	
Less: Deductions during the year	-			
	65,80,920		-	
ii) Revenue Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	2,73,18,305		2,65,48,101	
Add: Transfer from Capital Reserves	5,41,238		5,09,495	
Addition during the year	-		2,88,218	
(*) Add: Opening Balance Adjustment	-		(27,509)	
Add/Less: Adjustments during the year	-		-	
	2,78,59,543		2,73,18,305	
VII. Balance in Profit and Loss Account				
Balance as per last balance sheet	(18,74,09,075)		(17,42,86,952)	
Add:- Balance transferred from Share Premium A/c	18,72,42,173		-	
Add:- Profit for the year after appropriation of Profit	3,09,483		(1,31,22,123)	
Net Balance	1,42,581		(18,74,09,075)	
TOTAL	18,86,84,669		15,82,12,803	
(*) The adjustment is on account of change in results of RRBs post audit. The consolidated financial statements of previous year was compiled based on unaudited financial statements of such RRBs.				
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	5,52,492		4,80,903	
Minority interest on the date of Balance-Sheet	5,76,992		5,05,403	
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	1,03,37,153		65,67,481	
ii) From Others	16,50,66,866		16,25,14,897	
	17,54,04,019		16,90,82,378	
II. Savings Bank Deposits	1,55,96,51,980		1,45,66,70,191	
III. Term Deposits				
i) From Banks	77,57,952		54,32,722	
ii) From Others	1,68,88,31,715		1,67,20,97,846	
	1,69,65,89,667		1,67,75,30,568	
TOTAL (I,II and III)	3,43,16,45,666		3,30,32,83,137	
B. i) Deposits of Branches in India	3,43,16,45,666		3,30,32,83,137	
ii) Deposits of Branches outside India	-		-	

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	1,76,40,000		1,76,40,000	
ii) Other Banks	7,23,139		26,30,298	
iii) Other Institutions & Agencies	2,68,78,876		6,35,349	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	-		53,00,000	
v) Upper Tier II bonds	-		-	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,91,000		13,91,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	3,00,00,000		3,00,00,000	
	7,66,33,015		5,75,96,647	
II. Borrowings outside India		-		-
TOTAL	7,66,33,015		5,75,96,647	
Secured borrowings included in I & II above		Nil		
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	1,11,47,968		78,43,261	
II. Inter Office Adjustments (Net)	1,90,081		1,02,978	
III. Interest Accrued	77,45,822		74,43,934	
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	-		-	
V. Others(including provisions)	7,09,19,073	9,00,02,944	5,80,01,033	7,33,91,206
TOTAL	9,00,02,944		7,33,91,206	
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)	1,45,54,493		1,47,54,204	
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	13,67,22,487		14,71,26,834	
In Other Accounts	22,90,60,000		16,00,00,000	
	36,57,82,487		30,71,26,834	
TOTAL (I and II)	38,03,36,980		32,18,81,038	
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	2,64,777		5,10,385	
b) In Other Deposit Accounts	36,243		32,767	
	3,01,020		5,43,152	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		20,00,000	
b) With Other Institutions	6,40,128		-	
	6,40,128		20,00,000	
TOTAL.... I	9,41,148		25,43,152	
II. Outside India				
a) In Current Accounts	10,62,153		6,51,13,509	
b) In Other Deposit Accounts	14,86,29,092		-	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
TOTAL.... II	14,96,91,245		6,51,13,509	
TOTAL.... (I + II)	15,06,32,393		6,76,56,661	



(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,05,53,81,537		1,10,38,56,620	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	88,33,691		79,19,176	
iv) Debentures and Bonds	33,78,44,148		35,39,72,427	
v) Associates	6,39,854		4,82,119	
vi) Others				
a). UTI Shares & Commercial Papers				
Mutual Fund Units etc.	31,07,519		1,73,08,826	
Total I		1,40,58,06,749		1,48,35,39,168
II. Investments outside India in				
i) Government Securities	-		-	
ii) Associates	19,38,664		16,40,907	
iii) Other Investments	-		-	
Total II		19,38,664		16,40,907
TOTAL (I and II)		1,40,77,45,413		1,48,51,80,075
III. Investments in India :				
Gross Value of Investments	1,46,55,29,898		1,53,59,15,436	
LESS: Aggregate of Provision for Depreciation	5,97,23,149		5,23,76,268	
Net Investments		1,40,58,06,749		1,48,35,39,168
IV Investments outside India :				
Gross Value of Investments	19,38,664		16,40,907	
LESS: Aggregate of Provision for Depreciation	-		-	
Net Investments		19,38,664		16,40,907
TOTAL		1,40,77,45,413		1,48,51,80,075
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	2,40,31,721		89,00,535	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	70,15,80,440		70,45,31,176	
iii) Term Loans	96,48,03,268	1,69,04,15,429	86,04,59,084	1,57,38,90,795
TOTAL (i,ii and iii)		1,69,04,15,429		1,57,38,90,795
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets	1,57,07,97,055		1,53,15,17,512	
Including advances against Book Debts				
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	1,32,94,746		3,66,01,365	
iii) Unsecured	10,63,23,628	1,69,04,15,429	57,71,918	1,57,38,90,795
TOTAL (i,ii and iii)		1,69,04,15,429		1,57,38,90,795
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	86,38,51,917		81,23,20,163	
ii) Public Sector	4,14,01,906		5,09,87,479	
iii) Banks	53,224		4,926	
iv) Others	78,51,08,382	1,69,04,15,429	71,05,78,227	1,57,38,90,795
TOTAL (i,ii, iii and iv)		1,69,04,15,429		1,57,38,90,795
(II) Advances outside India	-		-	
*Figures of previous year have been restated wherever considered necessary.				

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-22		As at 31-Mar-21	
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31 st March of the preceding year	4,91,01,269		4,02,25,174	
Additions during the year	25,445		88,89,449	
Total	4,91,26,714		4,91,14,623	
Deductions / Adjustments during the year	3,14,796		13,354	
Total	4,88,11,918		4,91,01,269	
Depreciation to date	91,65,015		85,28,592	
TOTAL.... I		3,96,46,903		4,05,72,677
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31 st March of the preceding year	3,53,41,109		3,42,01,799	
Additions / Adjustments during the year	23,47,271		31,41,536	
Total	3,76,88,380		3,73,43,335	
Deductions/Adjustments during the year	11,05,370		20,01,934	
Total	3,65,83,010		3,53,41,401	
Depreciation to Date	2,66,76,145		2,45,85,101	
TOTAL.... II		99,06,865		1,07,56,300
TOTAL (I & II)		4,95,53,768		5,13,28,977
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Inter office adjustments (Net).	-		-	
II. Interest accrued	2,17,85,964		2,25,54,880	
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	3,96,36,119		4,23,83,268	
IV. Stationery and Stamps	2,25,424		2,05,553	
V. Non-banking assets acquired in Satisfaction of claims	-		-	
VI. Deferred Tax Assets	6,85,59,904		7,53,92,820	
VII. Others	6,53,72,390		5,91,81,858	
		19,55,79,801		19,97,18,379
TOTAL		19,55,79,801		19,97,18,379
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		14,20,497		13,83,689
(b) Disputed tax demands under appeals, revision		2,40,57,728		1,77,15,073
II. Liability for partly paid Investments		26,89,347		35,59,281
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		1,59,08,50,230		73,37,62,848
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	8,83,87,515		10,69,33,332	
b) Outside India	58,26,051		63,28,682	
		9,42,13,566		11,32,62,014
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		2,43,01,093		2,64,31,675
VI. Other items for which the bank is contingently liable		2,21,09,429		2,52,78,399
TOTAL		1,75,96,41,890		92,13,92,979

Schedules forming part of the Profit & Loss Account

for the year ended March 31, 2022

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-22 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-21 (₹)
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	11,59,98,697	11,73,26,965
II. Income on Investments (Including Dividend)	9,26,60,400	10,01,38,785
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1,23,81,061	67,60,466
IV. Others	79,93,237	40,69,061
TOTAL	22,90,33,395	22,82,95,277
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,42,47,404	1,11,59,510
II. Profit on sale of land, buildings and Other Assets	91,365	
Less: Loss on sale of land, buildings and Other Assets	361	2,09,964
III. Profit on Exchange transactions	19,92,437	8,66,918
Less: Loss on Exchange transactions	-	-
IV. Profit on sale of Investments (Net)	49,10,035	1,38,05,508
Less Loss on sale of Investments	326	5,15,400
V. Profit on revaluation of Investments	-	-
Less Loss on revaluation of Investments	27,68,771	-
VI. a) Lease finance income	-	-
b) Lease management fee	-	-
c) Overdue charges	-	-
d) Interest on lease rent receivables	-	-
VII. Miscellaneous Income		
a. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	65,103	-
b. Others	1,11,38,011	60,01,113
TOTAL	2,96,74,897	3,11,07,685
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	12,87,87,024	13,99,17,399
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	8,54,849	6,20,931
III. Others	39,66,913	48,91,280
TOTAL	13,36,08,786	14,54,29,610

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-22 (₹)	YEAR ENDED 31-Mar-21 (₹)
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	4,48,21,474	4,15,02,341
II. Rent, Taxes and Lighting	48,32,319	49,54,177
III. Printing and Stationery	2,66,105	2,66,222
IV. Advertisement and Publicity	1,33,946	48,055
V. a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	29,67,646	29,25,288
b) Depreciation on Leased Assets	-	-
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	6,632	9,952
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	3,08,704	3,87,069
VIII. Law Charges	1,90,637	1,63,217
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	9,49,677	9,71,751
X. Repairs and Maintenance	16,20,903	11,67,395
XI. Insurance	42,80,664	-
XII. Amortisation of Goodwill, if any	-	43,80,824
XII. Other Expenditure	1,23,92,022	1,12,09,800
TOTAL	7,27,70,729	6,79,86,091
SCHEDULE 17 : SHARE OF EARNING/(LOSS) IN ASSOCIATES		
Computation of Profits from Associates (Share of the Bank)		
Uttar Bihar	(270991)	(1330031)
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank	157735	7281
Domestic sub-total	(113256)	(1322750)
Indo Zambia Bank	297757	158731
Foreign Sub-total	297757	158731
Total	184501	(1164019)

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the revaluation of premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, the Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

B. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and on the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred, and the amounts can reasonably be estimated. Actual results could differ from these estimates. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/ materialised.

C. Basis of Consolidation

Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries and 3 Associates [including 2 RRBs]) have been prepared on the basis of:

- Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)
- Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/ transactions, unrealized profit/ losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI.
- Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The financial

statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

- The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit/ loss is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit/ loss is taken based on unaudited figures.
- The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the Company's separate Financial Statements except as otherwise stated.

2.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

- The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and
- The minority share of movements in equity since date of parent-subsidiary relationship came into existence.

D. Significant accounting policies:

1. Revenue recognition

A. Parent bank

1.1 General

- Income/ expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.
- In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/ total expenditure.
- Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.

1.2 Income from investments

- The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, profit of sale of investments in the Held to Maturity (HTM)

category is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".

- b) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:
 - (i) on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
 - (ii) on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.
- c) Dividend income is recognized when right to receive the dividend is established.
- d) Upside on security receipts is recognised on realisation as 'Other income'.

1.3. Sale of financial assets

Financial Assets sold are recognized as under:

- a) The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI. When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- b) In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account in the year of sale.
- c) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

1.4. Fee based income

Commission on letters of credit, bank guarantee and deferred payment guarantee are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

B. Subsidiaries

- a) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).
- b) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges, interest on income tax refunds and other income etc. are recognized on receipt basis.

- c) In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, income in relation to Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from debenture and security trusteeship services is recognized on period basis and accounted on accrual basis except the income from debenture trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

2. Advances:

A. Parent bank

2.1 Based on the guidelines/ directives issued by the RBI, loans and advances are classified as performing and non-performing, as follows:

- a) The term loan is classified as a non-performing asset, if interest and/ or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days.
- b) An overdraft or cash credit is classified as a non-performing asset, if, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days, or if the credits are not adequate to cover the interest debited during the previous 90 days period.
- c) The bills purchased/ discounted are classified as non-performing asset if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.
- d) The agricultural advances are classified as a non-performing if, (i) for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for two crop seasons; and (ii) for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

2.2 Non-performing assets are classified into sub-standard, doubtful and loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

- a) Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- b) Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- c) Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

- 2.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-standard assets:

- A general provision of 15% on the total outstanding.
- Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio).
- Unsecured Exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%.

Doubtful Assets:

- Secured portion	Up to one year- 25%
	One to three years- 40%
	More than three years- 100%
- Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

- 2.4 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and claims received from CGTSI/ ECGC, etc.
- 2.5 For restructured/ rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which inter alia require that the difference between the fair value of the loans/ advances before and after restructuring is provided for, in addition to provision for the respective loans/ advances. The provision for diminution in fair value and interest sacrifice, if any, arising out of the above, is reduced from advances.
- 2.6 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.
- 2.7 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 2.8 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.
- 2.9 Additional provisions higher than regulatory norms are made in specific assets in view of the identified weakness and/ or prevailing economic situation.
- 2.10 Partial recoveries in non-performing account are appropriated in the following order:
- Principal Overdues/Irregularities.

- Unrealised interest.
- Write Off.
- Uncharged Interest

In case of suit filed/SARFAESI/ recalled market accounts, recovery is appropriated in the following order:

- Ledger outstanding balance.
- Unrealised interest.
- Write Off.
- Uncharged Interest

However, where any borrower account is required to be classified as non-performing from an earlier date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long-Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

B. Subsidiaries

- In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.
- In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, Interest income is recognized on accrual basis except in case of Non-Performing Assets (NPA) where interest is accounted on realization. In loans, the repayment is received by the way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the month. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI monthly interest is charged. Recovery in case of NPA is appropriated first towards interest portion of overdue EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.

3. Provision for country exposure:

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is

maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others".

4. Investments:

A. Parent bank

Investments are accounted for in accordance with the extant guidelines of investment classification and valuation, as given below:

4.1 Classification:

In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity (HTM)", "Held for Trading (HFT)" and "Available for Sale (AFS)" categories.

For disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, investments are classified as Investments in India and outside India.

Under each category, the investments in India are further classified as

- Government Securities
- Other Approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries, joint ventures and sponsored institutions; and
- Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

The investments outside India are further classified under 3 categories

- Government Securities
- Subsidiaries and Joint Ventures
- Other Investments

4.2 Basis of Classification:

Classification of an investment is done at the time of purchase into the following categories:

- Held to Maturity:** Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- Held for Trading:** Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".
- Available for Sale:** Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)".
- Transfer of Securities between categories:** An investment is classified as HTM, HFT or AFS at

the time of purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with the regulatory guidelines.

- Investments in subsidiaries, joint ventures and sponsored institutions are classified as HTM except in respect of those investments which are acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal. Such investments are classified as AFS.

4.3 Valuation:

The transactions in all securities are recorded on a Settlement Date and cost is determined on the weighted average cost method.

- Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to the Profit and Loss Account as revenue expenses.
- Broken period interest paid/ received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/ sale consideration.

- Valuation of investments classified as Held to Maturity:** The investments classified under this category are carried at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Such amortisation of premium is accounted as income on investments.

Investments (in India and abroad) in subsidiaries, joint ventures and associates are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost (i.e. book value).

- Valuation of investments classified as Available for sale and Held for Trading:** Investments classified as Available for Sale and Held for Trading are individually revalued at market price or fair value determined as per the regulatory guidelines and the net depreciation if any, of each group for each category (viz.(i) Government securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Bonds and Debentures, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) others) is provided for

and net appreciation is ignored.

c) Valuation policy in event of inter category transfer of investments:

- i) Transfer of securities from HFT/ AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- ii) Transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/ book value. On transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided, in the Profit and Loss Account.

d) Valuation in case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts:

- i) The investment in security receipts obtained by way of sale of NPA to SC/ RC, is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR.
- ii) SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

e) Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

4.4 Investments (NPI):

Investments are classified as performing and non-performing, based on "Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021" and "Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances", as under:

- a) Interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days. The same is applied to preference shares where the fixed dividend is not paid.

- b) In the case of equity shares, in the event the investment in shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.
- c) The Bank also classifies an investment as a non-performing investment, in case any credit facility availed by the same borrower/ entity has been classified as a non-performing asset and vice versa.
- d) The investments in debentures/ bonds, which are deemed to be advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

4.5 Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions

The Bank enters into repurchase and reverse repurchase transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and also with market participants. Repurchase transaction represents borrowing by selling the securities with an agreement to repurchase the securities. Reverse repurchase transactions on the other hand represent lending funds by purchasing the securities.

- a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as collateralized lending and borrowing transactions.
- b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.
- c) The above entries are reversed on the date of maturity. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).
- d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

B. Subsidiaries

In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

5. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

5.1 Derivatives used for hedging are accounted as under:

- In cases where the underlying assets/ liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying assets/ liabilities are also marked to market.
- Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/ liabilities.

5.2 Derivatives used for trading are accounted as under:

- Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- Mark to market profit or loss is accounted by credit/ debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in the Bank's profit and loss account on final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any mark to market losses are booked and gains, if any, are ignored on net basis.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/ expense under the above head.

6. Transactions involving foreign exchange:

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.
- Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India ("FEDAI") closing (spot/ forward) rates and the resultant profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

Foreign currency non-monetary items, which are carried at historical cost, are reported using the exchange rate on the date of the transaction.

Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- Outstanding foreign exchange spot and forward contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

7. Fixed assets and depreciation:

A. Parent bank

- Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortisation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes and professional fees incurred on the asset before it is put to use.

- Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

Premises At varying rates based on estimated life

- Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%
- Vehicles, Plant & Machinery 20%
- Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%.
- Computers including Systems Software 33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

- Other fixed assets are depreciated on Straight Line Method on the basis of estimated useful life of the assets.
- Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.
- Where it is not possible to segregate the cost of land and premises, depreciation is charged on the composite cost.

7.7 In case of assets, which have been revalued, the depreciation/ amortization is provided on the revalued amount and is charged to the Profit and Loss Account. Amount of incremental depreciation/ amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to 'Revenue and Other Reserves'.

7.8 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year.

No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year on assets sold after 30th September.

7.9 The Bank considers only immovable assets for revaluation. Properties acquired during the last three years are not revalued. Valuation of the revalued assets is done every three years thereafter.

7.10 The increase in net book value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account.

Additional depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

7.11 The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

B. Subsidiaries

- a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Cost includes all expenses incidental to expenses to the acquisition of fixed assets.
- b) Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, intangible assets have been amortized considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortized accordingly.

8 Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered

to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. Employee Benefits:

A. Parent bank

9.1 Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees.

9.2 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

9.3 Defined benefit plans:

The Bank operates Gratuity and Pension schemes which are defined benefit plans.

- a) The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to the cap prescribed by the Statutory Authorities. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation.
- b) The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.
- c) The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.
- d) When the benefits of the plan are changed, or when a plan is curtailed or settlement occurs, the portion of the changed benefit related to

past service by employees, or the gain or loss on curtailment or settlement, is recognized immediately in the profit or loss account when the plan amendment or when a curtailment or settlement occurs.

Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.

- e) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise.

9.4 Defined Contribution Plan:

Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates.

The obligation of the bank is limited to such fixed contribution.

The contributions are charged to Profit and Loss account.

National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account

B. Subsidiaries

- a) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).
- b) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges, interest on income tax refunds and other income etc. are recognized on receipt basis.
- c) In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, income in relation to Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from Debenture and Security Trusteeship services is recognized on period basis and accounted on accrual basis except the income from Debenture Trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

10. Accounting for Taxes on Income:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively.

Deferred tax is recognized on timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization.

Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment/ appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss Account.

11. Sundry Unallocated Income and Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries cannot be ascertained, such amounts have been accounted in nominal account "Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest" and "Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities".

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

12. Provisions, Contingencies and Contingent assets:

12.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

12.2 No provision is recognised for:

- any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
 - it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

12.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is made on estimated basis.

12.4 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

ALOK SRIVASTAVA

Executive Director

VIVEK WAHI

Executive Director

RAJEEV PURI

Executive Director

M V RAO

Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH

Director

For **S JAYKISHAN**

Chartered Accountants

F.R. No. 309005E

SHRI P. J. THOMAS

Director

For **CHHAJED & DOSHI**

Chartered Accountants

F.R. No. 101794W

SHRI DINESH PANGTEY

Director

For **A S K A & CO**

Chartered Accountants

F.R. No. 122063W

SHRI PRADIP P. KHIMANI

Director

For **KISHORE & KISHORE**

Chartered Accountants

F.R. No. 000291N

(CA RITESH AGRAWAL)

PARTNER

M. No. 062410

UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)

PARTNER

M. No. 010279

UDIN:22010279AIPWCE5031

(CA VIJAY SHELAR)

PARTNER

M. No. 101504

UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)

PARTNER

M. No. 018808

UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai

Date: May 9th, 2022

13 Special Reserves:

Revenue and other Reserve include Special Reserve created under Section 36(i)(viii) of the Income Tax Act, 1961. The Board of Directors of the Bank has passed a resolution approving creation of the reserve and confirming that it has no intention to make withdrawal from the Special Reserve.

14 Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 – "Segment Reporting" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

15 Earnings per Share:

- The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – "Earnings per Share" issued by the ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.
- Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1. Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements

- 1.1. The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two subsidiaries (collectively referred to as "the Group") and share of profit / loss in three Associates consisting of two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited as per details given below:

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2022	Ownership interest as at March 31, 2021
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

- 1.2. The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of Parent Bank i.e. 31st March, 2022, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken on unaudited figures for the financial year ended 31.03.2022. Financial Statement of Indo Zambia Bank is prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management the impact is not material.
- 1.3. The accumulated share of profit/ loss of the Parent Bank in the associates has been added to/ reduced from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated reserves of the Group.
- 1.4. Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits received/ liabilities are for shorter tenure, resulting in mismatch of assets and liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.
- 1.5. Financial Statements of Subsidiaries are audited by other auditors. Financial statements of associates are unaudited and certified by the management.

2. In the preparation of consolidated financial statements, wherever, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries and associates, adjustments have not been made as in the opinion of management of the Bank the same are not material.

3. PARENT BANK

3.1. CAPITAL:

- 3.1.1. Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2022 is ₹ 8,680.94 crore, which is increased from ₹ 5,875.56 crore of previous year by issuance and allotment of fresh 280,53,76,972 equity shares of ₹ 10 each to President of India (Government of India) on preferential basis at an issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share on 29.05.2021. With this allotment, shareholding of President of India (Government of India) in the Bank has increased from 89.78% to 93.08%.

3.1.2. Set-off of accumulated losses

On 6th September, 2021 the Bank has set-off the accumulated losses of ₹ 18,724.2174 crore as at 31st March, 2021 against the available balance in the share premium account after obtaining approval from the shareholders as well as the Reserve Bank of India.

3.2. Balancing of Books / Reconciliation:

- 3.2.1. The parent Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account.

The Net balance of IBR account as at 31st March, 2022 is ₹ 19.01 crore (net credit) and as at 31st March, 2021 is ₹ 10.30 crore (net credit).

3.2.2. The reconciliation of the following items is in progress.

- » Inter Branch Office Balance
- » Inter Bank Accounts
- » Suspense Accounts
- » Clearing & other Adjustment Accounts
- » Certain balances in nominal account
- » NOSTRO Accounts
- » Balances related to ATM Department
- » Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances
- » Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances
- » GST
- » Fixed Asset
- » Other Assets
- » Other Liabilities

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3. Income Tax:

3.3.1. Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.3.2. Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 2,405.58 crore (previous year ₹ 1,771.51 crore) towards disputed Income Tax liability of the parent Bank. It includes Income tax appeals at various levels by bank and Income tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case. Disputed service tax matter as on 31st March, 2022 is ₹ 7.64 crore.

3.3.3. Government of India has inserted Section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019 which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at a reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The Bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate (i.e. 34.944%) for the financial year ended 31st March, 2022.

3.4. Premises:

3.4.1. Premises obtained on Lease by the Parent Bank include properties costing ₹ 1.45 crore (previous year ₹ 1.45 crore) for which registration formalities are still under progress.

3.4.2. The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2021 based on valuation reports of external independent valuers' and approved by the Board of Director and ₹ 881.96 crore increases in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.

3.4.3. In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 54.12 crore (previous year ₹ 58.85 crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

3.4.4. Land obtained on lease by the Parent Bank includes ₹ 8.02 crore (previous year ₹ 8.02 crore) with written down value as NIL (previous year ₹ NIL), the lease period of which has expired and the bank is still having its offices/building on these lands and perusing with authorities for lease renewals.

3.5. Advances / Provisions:

3.5.1. Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

3.5.2. In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has transferred the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crore and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 crore to bad and doubtful provision accounts.

3.6. Disclosure of Penalties imposed by RBI

3.6.1. Reserve Bank India has levied penalties of ₹ 0.36 crore (previous year ₹ NIL) in terms of clause (c) of sub-section (1) of section 47(A) read with clause (i) of sub-section (4) of section 46 and section (1) of section 51 of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance with the controversial of the failed to credit (Shadow reversal) the amount involved in the unauthorized electronic transaction to the customers' accounts.

3.6.2. RBI has imposed a penalty of ₹ 1.00 crore (previous year ₹ NIL crore) in terms of clause (c) of section (1) of section 41 (A) of the act, read with clause I (i) of section (4) of section 46 & sub-section (1) of section 51 of the Act for the contra version of section 20 (1) of the act entering in to commitment with the borrower company for guaranteeing loans to it, despite commonality of director.

3.6.3. RBI has imposed a penalty of ₹ NIL crore (previous year ₹ 0.50 crore) to our bank due to non-compliance of RBI circular dated 03.09.2013 on few housings loan accounts.

3.6.4. RBI has imposed a penalty of ₹ NIL crore (previous year ₹ 0.31 crore) in terms of section 47A (1)(a) read with section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms on currency chest operation.*

*As complied by the Management and relied by the Auditors.

4. Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

4.1. Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy no.9. However, the said income is not considered to be material.

4.2. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

4.2.1. Defined Benefit Plans

Employee's pension plan and Gratuity plan

The following tables sets out the status of the defined benefit pension plans and gratuity plan as per actuarial valuation by the independent actuary appointed by the parent bank:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(21-22)	FY(20-21)	FY(21-22)	FY(20-21)
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation				
Opening Defined Benefit Obligation 1 st April, 2021	15557.68	15421.82	1726.67	1623.23
Current Service Cost	82.63	78.11	100.62	82.83
Interest Cost	1012.96	1000.65	103.25	101.61
Past Service Cost (Vested Benefit)	821.95	0.00	0.00	0.00
Actuarial Losses (gains)	301.95	598.99	100.23	244.23
Benefits Paid	(1539.75)	(1541.90)	(300.56)	(325.23)
Direct Payment by Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Defined Benefit Obligation at 31 st March ,2022	16237.43	15557.68	1730.20	1726.67



(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Pension Plan		Gratuity Plan	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(21-22)	FY(20-21)	FY(21-22)	FY(20-21)
Change in Plan Assets				
Opening Fair Value of Plan Assets as at 1 st April, 2021	15198.05	14939.64	1534.62	1720.32
Expected Return on Plan Assets	1074.53	1037.01	98.93	106.55
Contributions by Employer	976.98	487.00	252.11	0.00
Expected Contributions by the employees	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits Paid	(1539.75)	(1541.90)	(300.56)	(325.24)
Actuarial Gains /(Loss) on Plan Assets	98.07	276.30	45.41	32.99
Closing Fair Value of Plan Assets as at 31 st March, 2022	15807.88	15198.05	1630.51	1534.62
Amount Recognized in the Balance Sheet				
Present Value of Funded obligation at 31 st March, 2022	16,237.43	15,557.68	1,730.20	1,726.67
Fair Value of Plan Assets at 31 st March, 2022	(15,807.88)	(15,198.05)	(1630.51)	(1,534.62)
Unrecognized past service Cost	(277.43)	0.00	0.00	0.00
Deficit/(Surplus)	152.12	359.63	99.69	192.05
Net Liability/(Asset)	152.12	359.63	99.69	192.05
Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account				
Current Service Cost	82.63	78.11	100.62	82.84
Past Service Cost-Recognized	544.52	0.00	0.00	0.00
Interest Cost	1,012.96	1,000.65	103.25	101.61
Expected Return on Plan Assets	(1,074.53)	(1,037.01)	(98.93)	(106.55)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	203.88	322.69	54.82	211.24
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	769.47	364.45	159.76	289.14
Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1,074.53	1,037.01	98.93	106.55
Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	98.07	276.30	45.41	32.99
Actual Return on Plan Assets	1,172.60	1,313.31	144.34	139.54
Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet				
Opening Net Liability /(Asset) as at 1 st April, 2021	359.63	482.18	192.05	(97.09)
Expenses as Recognized in Profit And Loss Account	769.47	364.45	159.76	289.14
Employer's Contribution	(976.98)	(487.00)	252.11	0.00
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	152.12	359.63	99.69	192.05

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on 31st March, 2022 are as follows-

CATEGORY OF ASSETS	PENSION FUND	GRATUITY FUND
	% OF PLAN ASSETS	% OF PLAN ASSETS
Central Govt. Securities	0.62	2.39
State Govt. Securities	21.50	39.46
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	22.91	39.23
Mutual Funds	2.29	1.92
Insurer Managed Funds	52.68	15.62
Others	0.00	1.38
Total	100.00	100.00

Principal Actuarial Assumptions

	Pension Plan	
	Current Year	Previous Year
	FY(21-22)	FY(20-21)
Discount Rate	7.25	6.85
Expected Rate of Return on Plan Assets	7.25	6.85
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Pension Escalation Rate	4.00	4.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	IALM(2012-14)	

Principal Actuarial Assumptions

	Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year
	FY(21-22)	FY(20-21)
Discount Rate	6.90	6.55
Expected Rate of Return on Plan Assets	6.90	6.55
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Attrition Rate	2.50	2.50
Mortality Table	IALM(2012-14)	

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(Amount in ₹ crore)

GRATUITY PLAN			YEAR ENDED		
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
Liability at the end of the year	1,741.56	1,648.13	1,623.23	1,726.66	1,730.20
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,124.94	1,878.26	1,720.32	1,534.62	1,630.51
Difference	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69
Amount Recognized in the Balance Sheet	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04	99.69

EXPERIENCE ADJUSTMENT			YEAR ENDED		
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
On Plan Liability (Gain)/ Loss	(511.99)	(29.08)	(6.34)	249.60	145.94
On Plan Asset (Loss) / Gain	14.57	(42.56)	(3.38)	32.99	45.41

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(Amount in ₹ crore)

PENSION PLAN	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
Liability at the end of the year	13,821.17	14,245.10	15,421.82	15,557.67	16,237.43
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	13,515.58	14,645.14	14,939.64	15,198.04	15,807.88
Difference	305.59	(400.04)	482.18	359.63	429.55
Amount unrecognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	0.00	0.00	0.00	0.00	277.43
Amount Recognized in the Balance Sheet	305.59	(400.04)	482.18	359.63	152.12
Amount Recognized in the Balance Sheet (w.r.t. past service cost)	0.00	0.00	0.00	0.00	544.52

(Amount in ₹ crore)

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
On Plan Liability (Gain)/ Loss	1,029.93	422.24	12.65	2,279.00	847.41
On Plan Asset (Loss) / Gain	263.51	(72.66)	346.19	276.30	98.07

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for next year is ₹ 130.08 crore and ₹ 76.50 crore respectively.

4.2.2. Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited (NSDL) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2021-22, the bank has contributed ₹ 146.97 crore (Previous year ₹ 103.67 crore).

4.2.3. Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹ 43.24 crore (Previous Year ₹ 131.20 crore) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

The Cent Bank Home Finance Ltd, the subsidiary, provides for Gratuity covering eligible employees. To fund its liability, the Company has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India, to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit and Loss Account and the Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on 31st March, 2021. The same has been provided for the year ended 31.03.2021.

4.3. Accounting Standard 17 – Segment Report of the Group

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognized Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

The following are the primary segments of the Bank:-

- » Treasury
- » Corporate / Wholesale Banking
- » Retail Banking
- » Other Banking Business.

The present accounting and information system of the Bank based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

- » Treasury – The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.
- » Corporate / Wholesale Banking – The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts, Trust / Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking and Stressed Assets Management Branch. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients.
- » Retail Banking – The Retail Banking Segment comprises of retail branches, which primarily includes Personal Banking activities including lending activities to corporate customers having banking relations with these branches. The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non-Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures. This segment also includes agency business and ATMs.
- » Other Banking business – Segments not classified under (i) to (iii) above are classified under this primary segment.

(Amount in ₹ crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Revenue	11,628.52	12,549.65	5,296.04	5,201.19	8,944.92	8,187.93	1.35	1.53	25,870.83	25,940.30
Result	2,536.03	4,004.01	291.52	(3,424.09)	(821.85)	(1,677.01)	0.28	0.03	2,005.98	(1,097.06)
Unallocated Expenses									261.17	211.95
Operating Profit									1,744.81	(1,309.01)
Income Taxes									680.31	(430.52)
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	11.29	(121.62)
Net Profit									1,075.79	(1,000.11)
Other Information:										
Segment Assets	1,97,643.37	1,92,414.73	65,074.66	60,023.68	1,09,543.82	1,01,263.04	8.88	6.31	3,72,270.73	3,53,707.76
Unallocated Assets									15,164.54	16,266.72
Total Assets									3,87,435.27	3,69,974.48
Segment Liabilities	1,91,840.34	1,97,847.44	62,615.86	54,166.03	1,05,422.85	91,457.62	6.81	6.55	3,59,885.86	3,43,477.64
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									3,59,885.86	3,43,477.64

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible.

Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

The Group has only one geographical segment i.e. Domestic Segment

4.4. Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party (of Parent Bank)

4.4.1. List of Related Parties:

4.4.1.1. Key Managerial Personnel as on 31.03.2022

Sr. No.	Name	Designation
PARENT BANK		
i.	Mr. M V Rao	Managing Director & CEO
ii.	Mr. Alok Srivastava	Executive Director
iii.	Mr. Vivek Wahi	Executive Director
iv.	Mr. Rajeev Puri	Executive Director



Sr. No.	Name	Designation
SUBSIDIARIES		
CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED		
i.	Mr. S. Venkataraman	Managing Director
ii.	Mr. H.V. Kamdar	Ex-Company Secretary
iii.	Ms. Aarti Sharma	Company Secretary
CENT BANK HOME FINANCE LIMITED		
i.	Mr. Kushal Pal	Managing Director
ii.	Mr. Shishram Tundwal	Ex-Managing Director
iii.	Mr. Ashish Shrivastava	Company Secretary
iv.	Mr. Manish Payal	Ex-Company Secretary
v.	Mr. S.C. Mehta	Chief Financial Officer

4.4.1.2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons:

		(Amount in ₹ crore)	
Name	Designation	Key Management Personnel	
PARENT BANK		31.03.2022	31.03.2021
Mr. M V Rao (w.e.f. 01.03.2021)	Managing Director & CEO	0.32	0.02
Mr. Pallav Mohapatra (up to 28.02.2021)	Managing Director & CEO	-	0.94
Mr. B. S. Shekhawat (up to 08.10.2020)	Executive Director	-	1.30
Mr. Alok Srivastava	Executive Director	0.29	0.27
Mr. Vivek Wahi (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director	0.27	0.01
Mr. Rajeev Puri (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director	0.28	0.01
SUBSIDIARIES			
CFSL			
Mr. S. Venkataraman	Managing Director	0.23	0.001
Mr. H.V. Kamdar	Ex-Company Secretary	0.001	0.19
Ms. Aarti Sharma	Company Secretary	0.07	-
CBHFL			
Mr. Kushal Pal	Managing Director	0.19	-
Mr. Shishram Tundwal	Ex-Managing Director	0.06	0.20
Mr. Ashish Shrivastava	Company Secretary	0.05	-
Mr. Manish Payal	Ex-Company Secretary	0.06	0.14
Mr. S.C. Mehta	Chief Financial Officer	0.07	-
Mr. Ashish Mittal	Ex-Chief Financial Officer	-	0.10

Note: Keeping in line with para 9 of the AS - 18 - "Related Party Disclosure" issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

4.5. Earnings per Share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

		(Amount in ₹ crore)	
Particulars		31.03.2022	31.03.2021
Net Profit / (Loss) after Tax available for Equity Share Holder (Amount in ₹ crore)		1076	(1000)
Weighted Average number of Equity Share (No.)		823,51,53,502	579,37,98,207
Basic Earnings per Share (₹)		1.31	(1.73)
Diluted Earnings per Share (₹)		1.31	(1.73)
Nominal Value per Share (₹)		10	10.00

4.6. Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income (of the Group)

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 6,856.01 crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2022.

Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2022 are as under:

(Amount ₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Parent Bank:-				
Business Loss	1655.92	2278.67		
Provision for Leave Encashment	346.52	331.41		
Provision for Loans and Advances	5728.37	5810.18		
Interest on Income Tax Refund	0.00	0.00	26.94	0.00
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	760.96	787.93
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	45.90	51.71
Subsidiary:-				
Cent Bank Home Finance Ltd.				
Provision on Advances	9.58	7.57	0.00	0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.01	0.02	0.00	0.00
Others	0.10	0.05	1.12	0.91
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	14.64	13.16
Cent Bank Financial Services Ltd (Net)	0.01	0.02	0.00	0.00
TOTAL	7740.51	8427.92	884.50	888.64
Net Deferred Tax Asset/Liability	6856.00	7539.27	-	-

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2021-22 is ₹ 683.27 crore (Previous year ₹ 67.61 crore) has been recognized in profit & loss account.

4.7. Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at 31st March, 2022 requiring recognition in terms of the Standard.

4.8. Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets (of Parent Bank)

4.8.1. Provisions and Contingencies

(Amount in ₹ crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head	31.03.2022	31.03.2021 *
Expenditure in P&L Account		
Provisions/Depreciation on Investment (NPI)	646.74	356.57
Provision towards NPA	2461.55	5175.89
Provision towards Standard Asset	(222.47)	263.15
Provision made for Taxes	672.13	(436.03)
Provision for Restructured Advances	595.94	76.49
Other Provisions	(1.57)	30.00
TOTAL	4152.32	5466.07

The figures for previous year have been regrouped/ reclassified wherever considered necessary to confirm current year's classification.

4.8.2. Floating Provisions

(Amount in ₹ crore)		
Particulars	31.03.2022	31.03.2021
A Opening Balance	100.56	100.56
B Add: Additional provisions made during the year	-	-
C Less: Amount drawn down during the year	100.56	-
D Closing balance of floating provisions	NIL	100.56

4.8.3. Countercyclical Provisioning Buffer:

(Amount in ₹ crore)		
Particulars	31.03.2022	31.03.2021
A Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	-	-
C Amount of draw down made during the Accounting Year.	47.34	-
D Closing balance in the Countercyclical Provisions account	-	47.34

5. Other Disclosures:-

5.1 Corporate Social Responsibility

During the year Cent Bank Home Finance Limited the subsidiary, has spent ₹ 0.51 crore (Previous year ₹ 0.42 crore) towards Corporate Social Responsibility under section 135 of Companies Act 2013 and rules thereon.

5.2 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (inclusive of Technical write off) stood at 86.69 % (Previous Year 82.54 %) – Parent Bank.

The PCR (exclusive of Technical write off) stood at 76.29 % (Previous Year 69.13 %) – Parent Bank.

5.3 Centbank Financial Services Limited, the subsidiary, holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

5.4 Centbank Financial Services Limited, the subsidiary, has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies / undertakings, amounting to ₹ 1.79 crore to the trusts / beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under Trusteeship Services. The said amount stood at ₹ 1.66 crore as at 31.03.2021 and has increased to ₹ 1.79 crore as at 31.03.2022. Similarly, it has not transferred or allocated sales / redemption proceeds of shares / debentures amounting to ₹ 0.18 crore to the respective trust / beneficiary. The same is outstanding since 2005-06. It has kept the above funds in current account with its bank since long.

5.5 In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) Lending of ₹ NIL has been undertaken. Accordingly, these have been adjusted from the advances of the Parent Bank. Interest income of ₹ NIL has been recognized against these borrowings.

5.6 The vendors whose services are utilized are selected in compliance with Government of India guidelines regarding MSME sector and Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditor.

5.7 Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds.

The Parent Bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31. 02.008/2010-11 dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 30.03.2022.

5.8 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

5.9 Disclosure with respect to NCLT provisions:

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6,406.10 crore (including FITL of ₹ 127.90 crore) @ (100 % of total outstanding including Investment) as on March 31, 2022.

5.10 In accordance with RBI circular no. DBR No. BPBC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR No. BPBC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR No. BPBC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax(GST), the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2022 are as under:

No of Accounts Restructured	Amount in crore
29838	2,808.24

5.11 Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Parent Bank under Prompt (PCA) Corrective Action in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank is complying the PCA framework norms meticulously. Bank has prepared an action plan and also taken various steps to reduce NPA and improve the profitability.

5.12 Disclosure on amortization of expending on account of enhancement in family pension of employees of Banks :-

RBI vide their Circular No.:RBI/2021-22/105 DORACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the additional liability on account of revision in family pension for employees over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March, 2022 subject to a minimum of 1/5 th of the total amount being expensed every year. Based on the Actuarial Valuation report obtained by the Bank the additional liability on account of revision in family pension for employees is arrived at ₹ 82,195.00 lakh. Bank has opted to amortize as per the said circular of RBI and has charged an amount of ₹ 54,452.00 lakh out of ₹ 82,195.00 lakh to the Profit & Loss account during the financial year ended 31st March 2022. The balance unamortized expense of ₹ 27,743.00 lakh has been carried forward to subsequent years. The consequential impact of unamortized pension liability on net profit for the current year is ₹ 18,048.00 lakh (Net of Taxes).

5.13 The outbreak of Corona virus (COVID-19) pandemic globally including India has resulted in slowdown of economic activities and increased volatility in financial markets. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's financial results will depend on future developments, which are highly uncertain. Given the uncertainty, because of COVID-19 pandemic, the bank's is continuously monitoring any material change in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of the financial statements.

5.14 Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

ALOK SRIVASTAVA

Executive Director

VIVEK WAHI

Executive Director

RAJEEV PURI

Executive Director

M V RAO

Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH

Director

SHRI P. J. THOMAS

Director

SHRI DINESH PANGTEY

Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI

Director

For **S JAYKISHAN**

Chartered Accountants

F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**

Chartered Accountants

F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**

Chartered Accountants

F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**

Chartered Accountants

F.R. No. 000291N

(CA RITESH AGRAWAL)

PARTNER

M. No. 062410

UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)

PARTNER

M. No. 010279

UDIN:22010279AIPWCE5031

(CA VIJAY SHELAR)

PARTNER

M. No. 101504

UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)

PARTNER

M. No. 018808

UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai

Date: May 9th, 2022

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

for the year ended March 31, 2022

		(₹ In Crore)	
Sn	Particulars	31-03-2022	31-03-2021
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit/(Loss) before Taxes & Minority Interest	1,763.26	(1,425.41)
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	296.76	292.53
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	368.87	399.68
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	3,101.21	5,212.63
	Provision for Standard Assets	(217.55)	261.62
	Provision for Other items (Net)	235.53	85.35
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	(9.10)	21.00
	Sub total	5,538.98	4,847.39
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	12,836.26	16,127.17
	Increase / (Decrease) in Borrowings	1,903.64	(316.37)
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,878.72	(8,215.90)
	(Increase) / Decrease in Advances	(14,753.67)	(10,649.33)
	(Increase) / Decrease in Investments	7,374.60	(6,392.02)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(779.68)	962.13
	Direct Taxes Paid (Net of Refund etc.)	277.70	1,633.60
	Sub total	8,737.57	(6,850.72)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	14,276.55	(2,003.33)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	24.38	2.72
	Purchase of Fixed Assets	(157.76)	(205.17)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	(133.38)	(202.45)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital (Including Share Premium)	-	255.00
	Share Application Money	-	4,800.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-	5,055.00

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31-03-2022	31-03-2021
D	NET INCREASE IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A + B + C) OR (F - E)	14,143.17	2,849.22
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	32,188.10	30,059.99
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	6,765.67	6,044.56
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	38,953.77	36,104.55
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	38,033.70	32,188.10
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	15,063.24	6,765.67
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	53,096.94	38,953.77

Notes:

- 1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.
- 2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA

Executive Director

VIVEK WAHI

Executive Director

RAJEEV PURI

Executive Director

M V RAO

Managing Director & CEO

SHRI HARDIK M. SHETH

Director

SHRI P. J. THOMAS

Director

SHRI DINESH PANGTEY

Director

SHRI PRADIP P. KHIMANI

Director

For **S JAYKISHAN**

Chartered Accountants

F.R. No. 309005E

For **CHHAJED & DOSHI**

Chartered Accountants

F.R. No. 101794W

For **A S K A & CO**

Chartered Accountants

F.R. No. 122063W

For **KISHORE & KISHORE**

Chartered Accountants

F.R. No. 000291N

(CA RITESH AGRAWAL)

PARTNER

M. No. 062410

UDIN:22062410AIPWMB7737

(CA KIRAN K. DAFTARY)

PARTNER

M. No. 010279

UDIN:22010279AIPWCE5031

(CA VIJAY SHELAR)

PARTNER

M. No. 101504

UDIN:22101504AIPWBV8382

(CA P. R. KARANTH)

PARTNER

M. No. 018808

UDIN:22018808AIPWCC2861

Place: Mumbai

Date: May 9th, 2022

PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2022

Table DF-1: Scope of Application

(i) Qualitative Disclosures:

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), Bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	Yes	NA	NA	NA
Cent Bank Financial Services Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	Yes	NA	NA	NA
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Associate: Not under scope of regulatory Consolidation
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Associate: Not under scope of regulatory Consolidation
Indo-Zambia Bank Ltd. / Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Joint Venture: Not under scope of regulatory Consolidation

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ in Crore	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ in Crore
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance and mortgage loan	25.00	1212.15
Cent Bank Financial Services Ltd./India	Providing investment banking products / services to corporate clients	5.00	42.19
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Regional Rural Bank	569.44	20411.16
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar/ India	Regional Rural Bank	90.79	4458.84

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: NIL

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: NIL

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities:

The Bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The Bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk for computation of risk weight.

The Bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the Bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar I; the risks that are not at all taken into account by the pillar I; and the factors external to the Bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The Bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The Bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

The Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Capital Adequacy

Computation, and has implemented SAS solution for computation of risk weight under Advanced Approach.

Quantitative disclosures

(b) Capital requirements for credit risk:

- Portfolios subject to standardized approach @9% ₹ 10710.00 Crore
- Securitization exposures : NIL

(c) Capital requirements for market risk:

- Standardized duration approach;
 - Interest rate risk ₹ 597.17 Crore
 - Foreign exchange risk (including gold) ₹ 4.05 Crore
 - Equity risk ₹ 287.56 Crore

(d) Capital requirements for operational risk:

- Basic Indicator Approach ₹ 1471.71 Crore

(e) Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:

- Common Equity Tier 1 11.48%
- Tier 1 11.48%
- Total Capital ratio 13.84%

General qualitative disclosure requirement

A committee of Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market, etc. The Bank also has separate committees comprising of top executives of Bank, headed by Managing Director & CEO and Executive Directors, such as Asset Liability Management Committee, Credit Risk Management Committee and Operational Risk Management Committee. These committees meet at regular intervals to assess and monitor the level of risk under various operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at Central Office headed by the Chief Risk Officer measures controls and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by the committees. The Chief Risk Officer is assisted by a team of Deputy General Manager, Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

Risk Managers are posted at all Zonal offices who act as extended arms of Risk Management Department of Central Office. Risk Managers have also been identified at Regional Offices.

The Bank has in place detailed policies such as Credit Risk Policy, Model Risk Policy, Credit Rating Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Enterprise Risk Management Policy, Operational Risk Management Policies, ALM Policy, Market Risk Management Policy, etc.

Besides these, the Loan Policy prescribe the parameters governing loan sourcing, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authorities, exposure norms and prudential limits.

Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitors the loan portfolio, identifies Special Mention Accounts and takes corrective measures. Loan Review Mechanism is implemented by the department apart from managing of accounts under CDR mechanism.

Dynamic Review of all account with exposure above ₹ 300 Crore is also under taken at specified frequency. Further, Dynamic Review of accounts with exposure above ₹ 25 crore is under taken as and when any trigger/event takes place. Credit monitoring policy prescribes the methodology for monitoring and supervising the credit portfolio.

The Bank has introduced rating models for different segments of borrowers including retail lending schemes which measure the risks associated with counterparties and helps in making lending and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate Financial risk, Industry risk, Management risk and Business risk of the counter party. Conduct

of account is also factored in for arriving at an overall rating of the counter party. If parental support as corporate guarantee is available, it is also factored in. To assess the risk return trade off, RAROC is computed and used in decision making.

Table DF-3

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Impaired :

The Working Group to review the existing prudential guidelines on restructuring of advances by banks/financial institutions in its report dated 20.07.2012 observed that as per international accounting standards, accounts are generally treated as impaired on restructuring and recommended that similar practice should be followed in India. Ind AS 109 contains guidance on the recognition, derecognition, classification and measurement of financial instruments including impairment and hedge accounting

A Non-Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes
 - a) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
 - b) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops
- (v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- (vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as "Out of Order" if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power, or in cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to a bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

The Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,

- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in interbank exposure,
- Country risk and other operational matters

(₹ in Crore)

Quantitative Disclosures:

(a) Total gross credit risk exposures:

Fund based*:	347259.49
Non-fund based:	36484.48
*includes cash, balances with banks, investments, etc	

(b) Geographic distribution of exposures:

• Overseas	15013.04
• Domestic	368730.97

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

(c)

Industry Name	₹ in Crore	₹ in Crore	₹ in Crore
	Funded	Non-Funded	Investment
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	519.29	635.18	0.00
A.1 Coal	296.40	300.38	0.00
A.2 Others	222.89	334.80	0.00
B. Food Processing (B.1 to B.5)	3646.57	886.01	486.13
B.1 Sugar	760.19	11.57	425.10
B.2 Edible Oils and Vanaspati	342.17	8.52	0.01
B.3 Tea	30.25	2.47	0.07
B.4 Coffee	1.24	0.00	0.00
B.5 Others	2512.72	863.45	60.95
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	228.89	16.67	0.00
C.1 Tobacco and tobacco products	52.65	0.03	0.00
C.2 Others	176.24	16.64	0.00
D. Textiles	4200.24	238.53	292.24
D.1 Cotton	1777.96	183.99	183.81
D.2 Jute	142.40	21.80	0.03
D.3 Man-made, of which	393.32	1.40	0.00
D.4 Others	1886.56	31.34	108.40
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	384.65	6.95	0.00
E. Leather and Leather products	177.55	6.79	0.00
F. Wood and Wood Products	253.04	47.37	0.00
G. Paper and Paper Products	665.15	87.51	44.99
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	2953.11	126.84	763.59
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	2399.09	778.74	11.54
I.1 Fertilizers	202.99	40.78	0.04
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	1066.76	667.54	9.47
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	211.13	7.22	0.00
I.4 Others	918.21	63.20	2.03
J. Rubber, Plastic and their Products	1099.74	163.19	0.00
K. Glass & Glassware	82.43	23.24	0.00
L. Cement and Cement Products	1431.17	108.89	0.00
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	7291.71	1509.43	273.93
M.1 Iron and Steel	4396.14	297.52	52.76
M.2 Other Metal and Metal Products	2895.57	1211.91	221.17
N. All Engineering (N.1 + N.2)	6998.54	2569.76	62.98
N.1 Electronics	3243.19	144.10	20.08
N.2 Others	3755.35	2425.66	42.90
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's	1490.24	100.32	17.49
P. Gems and Jewellery	3318.40	18.38	7.70
Q. Construction	4276.28	3639.11	291.96
R. Infrastructure (a to d)	28460.91	4616.17	7226.18
R.a Transport (a.1 to a.8)	10238.35	1164.71	1168.92
R.a.1 Roads and Bridges	8497.40	700.99	1168.92
R.a.2 Ports	194.56	0.00	0.00
R.a.3 Inland Waterways	0.00	0.00	0.00
R.a.4 Airport	875.51	275.01	0.00
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	437.37	5.98	0.00
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	208.85	177.96	0.00



Industry Name	₹ in Crore Funded	₹ in Crore Non-Funded	₹ in Crore Investment
R.a.7 Shipyards	24.60	0.00	0.00
R.a.8 Logistics Infrastructure	0.06	4.77	0.00
b. Energy (b.1 to b.6)	13500.78	937.26	5613.42
b.1 Electricity (Generation)	7908.95	408.94	5613.42
b.1.1 Central Govt PSUs	1446.01	0.00	1061.70
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1782.91	5.91	3561.17
b.1.3 Private Sector	4680.03	403.03	990.55
b.2 Electricity (Transmission)	9.35	37.50	0.00
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	0.00	0.00	0.00
b.2.3 Private Sector	9.35	37.50	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	5499.83	487.43	0.00
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	5499.83	487.43	0.00
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00	0.00
R.b.4 Oil Pipelines	0.00	0.00	0.00
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	82.65	0.01	0.00
R.b.6 Gas Pipelines	0.00	3.38	0.00
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	777.68	5.55	0.00
R.c.1 Solid Waste Management	1.08	0.00	0.00
R.c.2 Water supply pipelines	0.25	1.27	0.00
R.c.3 Water treatment plants	7.11	4.28	0.00
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	7.16	0.00	0.00
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	762.08	0.00	0.00
R.c.6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00	0.00
R.c.7 Slurry Pipelines	0.00	0.00	0.00
R.d. Communication (d.1 to d.3)	506.74	2401.00	37.88
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	0.00	0.00	0.00
R.d.2 Telecommunication towers	0.00	0.00	0.00
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	506.74	2401.00	37.88
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.12)	2167.66	107.65	0.00
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	465.98	3.31	0.00
R.e.2 Hospitals (capital stock)	457.23	78.77	0.00
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	618.32	18.49	0.00
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	188.77	0.57	0.00
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00	0.00
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	251.63	5.75	0.00
R.e.7 Terminal markets	0.00	0.00	0.00
R.e.8 Soil-testing laboratories	0.19	0.00	0.00
R.e.9 Cold Chain	0.00	0.00	0.00
R.e.10 Sports Infrastructure	132.59	0.00	0.00
R.e.11 Tourism - Ropeways and Cable Cars	50.00	0.00	0.00
R.e.12 Affordable Housing	2.95	0.76	0.00
R.f. Others, if any, please specify	1269.71	0.00	405.97
S. Other Industries, pl. specify	33379.66	3690.45	29.44
All Industries (A to S)	102872.01	19262.58	9508.17
Residuary other advances (to tally with gross advances)	131353.54	969.28	9894.90
Total	234225.55	20231.86	19403.07

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Industry exposure is more than 5% of gross exposure

			(Amt. in ₹ cr)
	Funded	Non-Funded	Investment
Infrastructure	28460.91	4616.17	7226.18
Energy	13500.78	937.26	5613.42

(d) Residual maturity breakdown of Performing Assets:

	(Amt. in ₹ cr)
Day 1	44247.06
02 days to 07 days:	1430.97
08 days to 14 days:	2078.58
15 days to 30 days:	2901.72
31days to 2 months:	8029.36
Above 2 months to 3 months:	4249.07
Above 3 months to 6 months	7840.57
Above 6 months to 12 months:	16547.12
Above 1 year to 3 year	104564.29
Above 3 years to 5 years	36548.06
Over 5 years	73771.69
Total	302208.49

(e) Amount of NPAs (Gross) (₹ in cr)	
• Substandard	3098
• Doubtful 1	4164
• Doubtful 2	6794
• Doubtful 3	11228
• Loss	2872
(f) Net NPAs (₹ in cr.)	6675
(g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	14.84%
• Net NPAs to net advances	3.97%
(h) Movement of NPAs (Gross) (₹ in cr.)	
• Opening balance	27608
• Additions	2273
• Reductions	1725
• NPA (Gross)	28156
(i) Movement of provisions for NPAs (₹ in cr)	
• Opening balance	19149.48
• Provisions made during the period	3723.97
• Write-off/Write-back of excess provisions	2407.59
• Closing balance	20465.87
(j) Amount of Non-Performing Investments (₹ in cr)	2653.80
(k) Amount of provisions held for non-performing investments (₹ in cr)	2577.00
(l) Movement of provisions/depreciation on investments: (₹ in cr)	
• Opening balance	5453.20
• Provisions made during the period	830.30
• Write-off	NIL
• Write back of excess provision	311.20
• Closing balance	5972.30

(m) Amount of NPA by 5 major industry (₹ in cr)		
	Industry Name	Gross NPAs
	Infrastructure	3888
	All Engineering	3355
	Basic Metal and Metal Products	1472
	Textiles	1120
	Food Processing	1069
(n) Amount of NPA by geographic areas (₹ in cr)		
	Overseas	Domestic
	0	28156

Table DF-4
Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach
Qualitative Disclosures

- The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.
- The Bank has recognized the ratings issued by seven External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ratings Ltd., CARE Rating, ICRA Ltd., India Ratings and Research Pvt. Ltd, ACUITE (SMERA) Ratings, BRICKWORK and INFOMERICS to rate the exposures of borrowers.
- These agencies rate all fund and non-fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the Bank's borrowers are adopted for assigning risk-weights.
- In case of Bank's investment in particular issues of Corporates, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight.

Quantitative Disclosures:		₹ in Crore
(b)	For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach	
•	Below 100 % risk weight:	324454.22
•	100 % risk weight	43293.52
•	More than 100 % risk weight	15996.24
•	Amount Deducted-CRM	15741.55

Table DF-5

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

- **Policies and processes for collateral valuation and management;**
Bank has a well-defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by the Bank are cash and near cash securities, land and building, plant, machinery and stocks etc.
- **A description of the main types of collateral taken by the Bank;**
Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

Quantitative Disclosures	₹ in Crore
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
• eligible financial collateral;	
• Fund based	14389.38
• Non fund based	1352.17

Table DF-6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: Nil

Quantitative Disclosures	₹ in Crore
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitized by the bank	Nil
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	Nil
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	Nil
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	Nil
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	Nil
(i) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(j) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	Nil
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Quantitative Disclosures

Trading Book:

(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	Nil
(l) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	Nil
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	Nil
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure for specific risk: and	Nil
- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	Nil
(n) Aggregate amount of :	
- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	Nil
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	Nil

Table DF-7

Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The Bank has a well-defined Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market rates, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The Bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are Integrated Treasury Policy and Asset Liability Management Policy.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with Bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is framed as per the extant regulatory guidelines and is approved by the Board of Directors. The Policy is reviewed periodically to incorporate changes as required by regulatory stipulation or to re-align with changes in the economic landscape. The ALCO of the Bank approves and reviews strategies and provides guidance for management of liquidity risk and interest rate risk within the framework laid out in the ALM Policy. The Risk Committee of the Board has an oversight on the ALCO.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is measured using flow approach & stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches. Stock approach involves measurement of critical ratios in respect of liquidity risk.

Further, Bank has also adopted the Basel III framework on liquidity standards and has put in place requisite systems and processes to enable monitoring and reporting of the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR), as per the extant regulations. The Bank has a Board approved liquidity stress framework guided by the regulatory instructions. Bank has also set up a formal contingency funding plan (CFP) that sets out the strategies for addressing liquidity shortfalls in emergency situations.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. Changes in interest rates impact a bank's earnings through changes in its Net Interest Income (NII). Changes in interest rates also impact a bank's Market Value of Equity (MVE) through changes in the economic value of its rate sensitive assets, liabilities and off-balance sheet positions. The interest rate risk, when viewed from these two perspectives, is known as 'earnings perspective' and 'economic value perspective', respectively.

The Bank measures and controls IRRBB using both Earnings Perspective (Traditional Gap Analysis) and Economic Value Perspective (Duration Gap Analysis). These methods involve bucketing of rate sensitive assets and rate sensitive liabilities including off-balance sheet items, based on the maturity/re-pricing dates.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge (₹ in Crore)
Interest Rate Risk	597.17
Equity Position Risk	287.57
Foreign Exchange Risk	4.05
TOTAL	888.79

Table DF-8

Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well-defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The Bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to loss events including near miss event through Loss Data Management, Risk & Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI). Bank is also a member of loss data consortium "PSB Alliance" (erstwhile CORDEX) from where external loss data is obtained.

The Bank has put in place SAS system for moving to Advanced Measurement Approach.

The Bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2022 is ₹ 1471.71 Crore.

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure

Parameter of Change	₹ in Crore
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	381.54
2. Market value of Equity: 200 bps change	548.32

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

- (a) The Bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality.

The Bank has a well-defined market risk management policy.

The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The Bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.

Quantitative Disclosures		₹ in Crore
Particulars		Amount
(b) Gross positive value of contracts		75.75
Netting Benefits		0
Netted current credit exposure		75.75
Collateral held		0
Net Derivative Credit Exposure		270.83
(c)		₹ in Crore
Item	Notional Amount	Current credit Exposure
Forward Forex contracts	8097.48	221.28
Currency futures and Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	0.00	0.00
Interest rate Contracts	3530.00	52.02

Table DF-11: Composition of Capital

Basel III common disclosure template as on March 31st, 2022

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Crore	Ref. No.
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	7125.70	
2	Retained earnings	0	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	15017.38	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	22143.08	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	0	
10	Deferred tax assets (Business Loss)	1402.85	
11	Cash-flow hedge reserve	0	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	
13	Securitisation gain on sale	0	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	
15	Defined-benefit pension fund net assets	277.43	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.39	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	3412.97	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	
24	of which: mortgage servicing rights	0	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	
26	National specific regulatory adjustments ⁷ (26a+26b+26c+26d)	0	
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	5093.64	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	17049.44	
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0	



Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Crore	Ref. No.
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	17049.44	
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2200.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	0	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions (Revaluation reserves, Provision on Standard assets, sale of NPAetc)	1310.43	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	3510.43	
52	Investments in own Tier 2 instruments	0	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0	
58a	Tier 2 capital	3510.43	
58b	Tier 2 capital (T2) admissible for regulatory capital purposes	3510.43	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	20559.87	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	148506.29	
60a	of which: total credit risk weighted assets	119000.01	
60b	of which: total market risk weighted assets	11109.87	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Crore	Ref. No.
60c	of which: total operational risk weighted assets	18396.40	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.48%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.48%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.84%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.50%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	11.50%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	NA	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	NA	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	NA	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	NA	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	NA	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	NA	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	0	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	

Table DF-12:

Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(₹ in Crore)

	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2022	Reference
A Capital & Liabilities		
i Paid-up Capital	8680.93	
of which: Amount eligible for CET 1	7125.70	
of which: Amount eligible for AT 1	0	
Reserves & Surplus	18845.77	
Share application Money pending allotment	0	
Minority Interest	0	
Total Capital	27526.70	
ii Deposits	342691.94	
of which: Deposits from banks	1656.04	
of which: Customer deposits	341035.90	
of which: Other deposits (pl. specify)	-	
iii Borrowings	7474.36	
of which: From RBI	1764.00	
of which: From banks	0	
of which: From other institutions & agencies	2571.26	
of which: Others (Outside India)	0	
of which: Subordinated Debt	0	
of which: Upper Tier 2	0	
of which: Unsecured. reedem NC Basel III Bonds (Tier 2)	3000.00	
of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	139.10	
iv Other liabilities & provisions	8872.59	
Total	386565.59	
B Assets		
i Cash and balances with Reserve Bank of India	38033.70	
Balance with banks and money at call and short notice	15060.63	
ii Investments:	140786.95	
iii Loans and advances	168173.50	
of which: Loans and advances to banks	0	
of which: Loans and advances to customers	168173.50	
iv Fixed assets	4955.04	
v Other assets	19555.77	
of which: Goodwill and intangible assets	0	
of which: Deferred tax assets	6862.05	
vi Goodwill on consolidation	0	
vii Debit balance in Profit & Loss account	0	
Total Assets	386565.59	

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

Table DF-13:

Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	₹ 8681
Par value of instrument	₹ 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others
Creditors, bonds, and PNCPS	
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	



Details	Equity
SERIES DETAILS	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Ineligible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	0
Par value of instrument	₹10 lakhs
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors
Non-compliant transitioned features	Yes
If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, No Basel III Loss absorbency features

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS				
	SR I	SR II	SR III	SR IV	SR V
Issuer					
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260	INE483A09278	INE483A09286	INE483A08023	INE483A08031
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment					
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	200	500	500	500	500
Par value of instrument	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013	07.03.2017	29.03.2019	30.09.2019	20.03.2020
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	08.11.2023	07.05.2027	29.05.2029	30.11.2029	20.05.2030
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	07.05.2022	29.05.2024	30.11.2024	20.05.2025
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends					
Fixed or floating dividend/ coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%	8.62%	10.80%	9.80%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	YES	YES	YES	YES	YES



BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS					
	SR I	SR II	SR III	SR IV	SR V
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger' ("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial	Partial	Partial	Partial	Partial
If write-down, permanent or temporary	Temporary	Temporary	Temporary	Temporary	Temporary
If temporary write-down, description of write-up mechanism	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS				
	SR I	SR II	SR III	SR IV	SR V
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO	NO	NO	NO	NO
If yes, specify non-compliant features	-	-	-	-	-

Table DF-14:

Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
2.	TIER1	PDI	As disclosed in Main features section
3.	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

Table DF-16:

Equities – Disclosure for Banking Book Positions As on 31.03.2022

Qualitative Disclosures		
1	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including: • differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and • Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	• Investments in equity of subsidiaries and joint ventures (a Joint Venture would be one in which the bank, along with its subsidiaries, holds more than 25 percent of the equity) are required to classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes. • In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into “Held for Trading” (HFT), “Available for Sale” (AFS) and “Held to Maturity” (HTM) categories (hereinafter called “categories”). Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose. Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to “Capital Reserve” in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures

₹ in Crore

		BOOK VALUE 31.03.2022	FAIR VALUE 31.03.2022
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments	313.01	415.03
	Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	-	-
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	-	-
	Publicly traded	-	-
	Privately held.	313.01	415.03
	JV In India (Cent Bank Home Finance)	21.90	21.90
	Associate Outside India (JV in Indo Zambia Bank Ltd)	47.49	47.49
	RRBs	231.09	231.09
	Subsidiaries(Cent Bank Financial Services Ltd)	5.00	5.00
	Strategic Investments- Central Ware housing Corporation	2.09	104.11
	Strategic Investments-IFCI	3.37	3.37
	Strategic Investments-Other FIs (GSFC, JKFC, WBFC)	2.07	2.07
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	-	-
4	Total unrealised gains (losses)	-	-
5	Total latent revaluation gains (losses)	NIL	NIL
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	-	-
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	NA	NA

LEVERAGE RATIO DISCLOSURES AS ON 31.03.2022

LEVERAGE RATIO

The minimum risk-based capital requirements under Basel III will be supplemented by non-risk-based Tier 1 leverage ratio.

Table DF 17-

Summary comparison of Accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(₹ in Crore)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	387435.27
2	Less: Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	2197.26
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	999.73
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	16212.16
7	Other adjustments	(5190.96)
8	Leverage ratio exposure	401644.57

STRATEGY

NOTICE

REPORTS

FINANCIALS

DF-18:

Leverage ratio common disclosure template

(Amount in ₹ Crore)		
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	364429.33
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(5190.96)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	359238.37
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	137.93
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	2059.33
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	2197.26
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	23916.93
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	79.86
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	23996.79
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	55096.16
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(38884.00)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	16212.16
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	17006.73
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	401644.57
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio (per cent)	4.23%

R C GOEL

DY. GENERAL MANAGER-RMD

ASHWINI KUMAR SHUKLA

CHIEF RISK OFFICER

RAJEEV PURI

EXECUTIVE DIRECTOR

VIVEK WAHI

EXECUTIVE DIRECTOR

ALOK SRIVASTAVA

EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO

MANAGING DIRECTOR & CEO



सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 में भारत की पहली "सेण्ट्रल" बैंक "सेण्ट्रल" TO YOU SINCE 1911

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Get a home of your own

With easy and affordable home loan

- Low EMI • Affordable Rate of Interest
- Repayment period up to 75 years of age • No pre-payment charges



Home Loans
Starting from
6.65%*

CENT
Home
Home Loan Scheme

Give us a missed call at **922 390 1111**

Terms and Conditions apply*

www.centralbankofindia.co.in



www.centralbankofindia.co.in

केंद्रीय कार्यालय, चंदरमुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

Central Office, Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021



हमें लाइक करें

Like us on

<https://www.facebook.com/CentralBankofIndia>



हमें फॉलो करें

Follow us on

https://twitter.com/centralbank_in